Ref:: SD:177/178/11/12::2022-23 **16.06.2022**

The Vice President **BSE Ltd.** **Phiroze Jeejeebhoy Towers** **Dalal Street** **MUMBAI - 400 001** Scrip Code: **532483**	**The Vice President** **Listing Department** **National Stock Exchange of India Ltd** **EXCHANGE PLAZA** **Bandra-Kurla Complex, Bandra [E]** **MUMBAI - 400 051** Scrip Code: **CANBK**

Sub : Errata in connection with Annual Report of the bank for the year 2021-22
Ref : Our letter SD:120/121/11/12::2022-23 dated May 31, 2022

With reference to the captioned subject, we have noticed an inadvertent typographical error on page number 267 of the Annual Report of the bank for the year 2021-22.

Errata:
Page 267, Point No. 5 - Exposures - a) Exposure to Real Estate Sector - i) Direct Exposure as on 31.03.2022 - Rs. 954052.46 Crores **may be read** as **Rs. 95402.46 Crores**

The Annual Report incorporating the aforesaid is enclosed herewith. The same is also available on the website of the bank at www.canarabank.com at 'Investor Relations' under 'Annual Reports' (https://canarabank.com/media/8596/Annual%20Report%202021-22.pdf).

This is for your information and appropriate dissemination.

Yours faithfully,
कृते केनरा बैंक
For CANARA BANK

सहायक महा प्रबधक और कपनि सचिव
Assistant General Manager & Company Secretary
VINAY MOHTA
COMPANY SECRETARY

केनरा बैंक CANARA BANK सचिवालय विभाग, प्रधान कार्यालय, बेंगलूरु Secretarial Dept., H.O., Bangalore-2 - 560 002

वार्षिक रिपोर्ट

2021-22

ANNUAL REPORT

उत्कृष्टता के नए क्षितिज की ओर अग्रसर

RISING TOWARDS NEW HORIZONS OF EXCELLENCE

केनरा बैंक Canara Bank

उपक्रम

A Government of India Undertaking

सिंडिकेट Syndicate

Together We Can

निदेशक मंडल BOARD OF DIRECTORS

श्री एल.वी. प्रभाकर
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
Shri L.V. PRABHAKAR
MANAGING DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER

श्री देवाशीष मुखर्जी
कार्यपालक निदेशक
Shri DEBASHISH MUKHERJEE
EXECUTIVE DIRECTOR

सुश्री ए. मणिमेखलै
कार्यपालक निदेशक
Ms. A. MANIMEKHALAI
EXECUTIVE DIRECTOR

श्री के. सत्यनारायण राजू
कार्यपालक निदेशक
Shri K. SATYANARAYANA RAJU
EXECUTIVE DIRECTOR

श्री बृज मोहन शर्मा
कार्यपालक निदेशक
Shri BRIJ MOHAN SHARMA
EXECUTIVE DIRECTOR

श्री सुचीन्द्र मिश्रा
प्रतिनिधि निदेशक भारत सरकार
Shri SUCHINDRA MISRA
DIRECTOR REPRESENTING GOVERNMENT OF INDIA

श्री आर. केशवन
प्रतिनिधि निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक
Shri R. KESAVAN
DIRECTOR REPRESENTING RESERVE BANK OF INDIA

सुश्री नलिनी पद्मनाभन
अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक
(21.12.2021 से)
Ms. NALINI PADMANABHAN
PART-TIME NON-OFFICIAL DIRECTOR (FROM 21.12.2021)

श्री दिबाकर प्रसाद हरिचंदन
अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक
(21.03.2022 से)
Shri DIBAKAR PRASAD HARICHANDAN
PART-TIME NON-OFFICIAL DIRECTOR (FROM 21.03.2022)

श्री वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर
शेयरधारक निदेशक
Shri VENKATACHALAM RAMAKRISHNA IYER
SHAREHOLDER DIRECTOR

श्री बिमल प्रसाद शर्मा
शेयरधारक निदेशक
Shri BIMAL PRASAD SHARMA
SHAREHOLDER DIRECTOR

श्री करुणाकर शेट्टी
शेयरधारक निदेशक (30.11.2021 से)
Shri KARUNAKARA SHETTY
SHAREHOLDER DIRECTOR (FROM 30.11.2021)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का वक्तव्य

प्रिय शेयरधारको,

आपका बैंक अपनी सार्थक सेवा और समृद्ध विरासत के अपने 117वें कामयाब वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। आपके निरंतर समर्थन के लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। केनरा बैंक के साथ आपकी बहुमूल्य साझेदारी ने इस प्रतिष्ठित संस्थान को चुनौतियों के बावजूद लचीला बने रहने और वित्त वर्ष 2021-22 में मजबूत बुनियादी बातों के साथ मजबूत व्यावसायिक निष्पादन दर्ज करने में मदद की है। मैं आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य और शांति की कामना करता हूँ।

दुनिया के कई हिस्सों में महामारी के छिटपुट पुनरुत्थान, वैश्विक स्तर पर वस्तु की कीमतों में वृद्धि, आपूर्ति बाधाओं, मुद्रास्फीति अपेक्षाओं में उत्तरोतर वृद्धि और चुनौतीपूर्ण वित्तीय बाजार स्थितियों के साथ वित्त वर्ष 2021-22 में वैश्विक माइक्रोइकनॉमिक परिदृश्य अस्थिर रहा। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध ने ईंधन, भोजन और कई अन्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के साथ विकास की गति में गिरावट के जोखिम को और बढ़ा दिया है। आईएमएफ ने वैश्विक आर्थिक विकास को 2021 में अनुमानित 6.1% से घटाकर 2022 और 2023 में 3.6% होने का अनुमान लगाया है।

वैश्विक माइक्रो परिदृश्य से उत्पन्न चुनौतियों का असर घरेलू अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। नतीजतन, भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास गति धीमी हुई है और राष्ट्रीय आय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, वास्तविक वित्त वर्ष 2021-22 में 9.2% के पूर्व के अनुमान की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद 8.9% बढ़ा है। उज्जवल पक्ष में, उपभोक्ता और व्यावसायिक विश्वास में वृद्धि के साथ कुल मांग के लिए सकारात्मक संकेत हैं, बैंक ऋण में वृद्धि से क्रमिक वसूली और निर्यात एवं आयात में सुधार के संकेत मिल रहें है। घरेलू और वैश्विक माइक्रोइकनॉमिक विकास को ध्यान में रखते हुए, आरबीआई ने पहली तिमाही में 16.2%, दूसरी तिमाही में 6.2%, तीसरी तिमाही में 4.1% और चौथी तिमाही में 4.0% के साथ वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.2% का अनुमान लगाया है। आगे बढ़ते हुए, आर्थिक विकास के साथ-साथ ऋण वृद्धि में भी तेजी आने की उम्मीद है।

वित्त वर्ष 2021-22 की चुनौतियों के बावजूद, आपके बैंक ने जमा और अग्रिम दोनों में अच्छी वृद्धि के साथ मजबूत व्यावसायिक निष्पादन का प्रदर्शन किया है और मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि

MD & CEO'S STATEMENT

Dear Shareholders,

Your Bank steps into its 117th fruitful year of service and rich legacy. I extend my gratitude to each one of you for your continued support. Your valuable partnership with Canara Bank has helped this esteemed institution to remain resilient, despite the challenges and record robust business performance in FY 2021-22, with strengthened core fundamentals. I wish each one of you good health and spirit.

The global macroeconomic scenario remained volatile in FY 2021-22 with sporadic resurgence of the pandemic in several parts of the world, spike in global commodity prices, supply bottlenecks, an upward trajectory for inflation expectations and challenging financial market conditions. The war between Russia and Ukraine has further increased the downside risks to the growth momentum with spike in prices of fuel, food and many other commodities. IMF has projected global economic growth to slow down from an estimated 6.1% in 2021 to 3.6% in 2022 and 2023.

The challenges emanating from the global macro scenario has its reflections on the domestic economy. Consequently, the growth momentum of Indian economy slowed down and as per second advance estimate of national income, real GDP grew by 8.9% in FY 2021-22 as compared to earlier estimate of 9.2%. On the brighter side, there are positive signals for aggregate demand with consumer and business confidence picking up, bank credit growth indicating signs of a gradual recovery and improvement being observed in exports and imports. Taking into consideration, the domestic and global macroeconomic developments, RBI has projected real GDP growth for FY 2022-23 at 7.2% with 16.2% in Q1, 6.2% in Q2, 4.1% in Q3 and 4.0% in Q4. Going forward, credit growth is expected to gain traction in tandem with economic growth.

Despite the challenges of FY 2021-22, your Bank has demonstrated robust business performance with good growth in both deposits and advances and I am happy

बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 में ₹2558 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 में ₹5678 करोड़ के निवल लाभ के साथ वर्षानुवर्ष 122% की रिकॉर्ड वृद्धि हासिल की है। निदेशक मंडल ने वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन, वर्ष 2021-22 के लिए शेयरधारकों को प्रत्येक ₹10/- अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर पर ₹6.50 (यानी 65%) के लाभांश की सिफारिश की है।

मुझे यह घोषणा करते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि 11वें द्विपक्षीय समझौते के अनुसार, 15 दिनों के वेतन का निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) 6 मई, 2022 को कर्मचारियों के खातों में जमा कर दिया गया है क्योंकि बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ₹5678 करोड़ के निवल लाभ के साथ 15% से अधिक के अनिवार्य मानदंड के अनुसार 17.27% का वर्षानुवर्ष परिचालन लाभ दर्ज किया है।

बैंक का प्रमुख निष्पादन

कारोबार

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, बैंक का वैश्विक कारोबार वर्षानुवर्ष 8.39% बढ़कर ₹1827556 करोड़ हो गया, जिसमें वैश्विक जमा वर्षानुवर्ष 7.47% की गति से बढ़कर ₹1086409 करोड़ हो गया है और वैश्विक अग्रिम वर्षानुवर्ष 9.77% की वृद्धि के साथ ₹741147 करोड़ हो गया है। घरेलू व्यापार पर अधिक जोर के फलस्वरूप, घरेलू व्यापार वर्षानुवर्ष 7.6% से बढ़कर ₹1738813 करोड़ हो गया है, जिसमें घरेलू जमा वर्षानुवर्ष 6.69% बढ़कर ₹1027767 करोड़ हो गया और घरेलू अग्रिम वर्षानुवर्ष 8.96% बढ़कर ₹711046 करोड़ हो गया है।

कम लागत वाली जमाराशियों का स्रोत होने के कारण कासा बैंक के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। बैंक ने हमेशा कासा अनुपात में सुधार पर जोर दिया है। बैंक के कासा निष्पादन में और अधिक सुधार दर्ज हुआ है जो यथा मार्च, 2021 को दर्ज ₹330656 करोड़ से बढ़कर मार्च 2022 को ₹368732 करोड़ हो गया है, यानी 11.52% वर्षानुवर्ष की वृद्धि, और बचत जमा वर्षानुवर्ष 12.2% की वृद्धि के साथ ₹315916 करोड़ और चालू जमा 7.5% वर्षानुवर्ष की वृद्धि के साथ ₹52816 करोड़ हो गया है। नतीजतन, बैंक का कासा अनुपात 34.33% से बढ़कर 35.88% हो गया है। बैंक के पास लगभग 10.51 करोड़ का मजबूत जमा ग्राहक आधार है।

खुदरा सावधि जमा ने यथा मार्च, 2022 को वर्षानुवर्ष 5.1% की दर से ₹441777 करोड़ की वृद्धि दर्ज की है।

बैंक, हमेशा एक सुसंतुलित परिसंपत्ति मिश्रण बनाए रखने के लिए उत्सुक रहा है, जिसमें कृषि और सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (एमएसएमई) जैसे क्षेत्रों के साथ-साथ आवास, शिक्षा और वाहन ऋण सहित खुदरा आस्तियों पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। उल्लेखनीय है

to announce that the Bank has achieved record 122% y-o-y growth in net profit in FY 2021-22 to ₹5678 crore as compared to ₹2558 crore in FY 2020-21. The Board of Directors of the Bank has recommended a dividend of ₹6.50 per equity share (i.e. 65%) of face value of ₹10/- each to the Shareholders for the year 2021-22, subject to the approval of the Shareholders at the AGM.

I am also happy to announce that as per the 11th bipartite settlement, performance linked incentive (PLI) of 15 days salary has been credited to staff accounts on 6th May 2022 as the Bank has recorded operating profit of 17.27% y-o-y as per the mandatory criteria of above 15% with net profit of ₹5678 crore for FY 2021-22.

KEY PERFORMANCE OF THE BANK

BUSINESS

During FY 2021-22, the global business of the Bank increased to ₹1827556 crore, up by 8.39% y-o-y with global deposits growing at a pace of 7.47% y-o-y to ₹1086409 crore and global advances growing by 9.77% y-o-y to ₹741147 crore. The enhanced thrust on domestic business resulted in the growth of 7.6% y-o-y to ₹1738813 crore with domestic deposits growing by 6.69% y-o-y to ₹1027767 crore and domestic advances growing by 8.96% y-o-y to ₹711046 crore.

CASA has been the thrust area for the Bank as it is the source of low cost deposits. The Bank has always emphasized upon improving the CASA Ratio. The Bank's CASA performance has improved further and increased from ₹330656 crore as on March 2021 to ₹368732 crore as on March 2022 i.e. a growth of 11.52% y-o-y, with savings deposits growing by 12.2% y-o-y to ₹315916 crore and current deposits growing by 7.5% y-o-y to ₹52816 crore. Consequently, the CASA ratio of the Bank has improved from 34.33% to 35.88%. The Bank has a strong deposits clientele base of about 10.51 crore.

Retail Term deposits registered a growth of 5.1% y-o-y to ₹441777 crore as at March 2022.

The Bank is always keen on maintaining a well-balanced asset mix, encompassing sectors such as Agriculture and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) as well as keeping a focus on retail assets, including

कि, इस वर्ष आपके बैंक का मूल खुदरा पोर्टफोलियो वर्षानुवर्ष 9.51% बढ़कर ₹126277 करोड़ हो गया, जिसमें आवास ऋण वर्षानुवर्ष 14.77% बढ़कर ₹73828 करोड़, वाहन ऋण वर्षानुवर्ष 2.86% बढ़कर ₹14105 करोड़ और शिक्षा ऋण वर्षानुवर्ष 4.31% बढ़कर ₹12975 करोड़ हो गया। यथा मार्च, 2022 की स्थिति में उधार लेने वाले ग्राहकों की संख्या 1.08 करोड़ है।

यथा मार्च, 2022 को एमएसई अग्रिम ₹101716 करोड़ के साथ एमएसएमई क्षेत्र को अग्रिम ₹119026 करोड़ रहा । इस खंड में ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए, वित्त वर्ष 2021-22 में बैंक ने विशिष्ट क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न आवश्यकता आधारित योजनाएं और उत्पाद शुरू किए हैं।

वित्तीय निष्पादन

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए, बैंक की कुल आय वर्षानुवर्ष 2.02% की दर से बढ़कर ₹85907 करोड़ हो गई और गैर–ब्याजी आय वर्षानुवर्ष 10.54% बढ़कर ₹16497 करोड़ हो गई। बैंक की जमा राशि की लागत वर्षानुवर्ष 57 बीपीएस घटकर 3.95% हो गई। यथा मार्च, 2022 को निवल ब्याज आय, जो भुगतान किए गए ब्याज और बैंक द्वारा अर्जित ब्याज के बीच का अंतर है, वर्षानुवर्ष 9.46% की दर से बढ़कर ₹26384 करोड़ हो गया। सकल अनर्जक आस्ति (एनपीए) अनुपात इस साल वर्षानुवर्ष 142 बीपीएस घटकर 7.51% हो गया और निवल अनर्जक आस्ति (एनपीए) वर्षानुवर्ष 117 बीपीएस घटकर 2.65% हो गया। यथा मार्च, 2022 को प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) वर्षानुवर्ष 449 बीपीएस बढ़कर 84.17% हो गया।

लाभप्रदता

बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 में निवल लाभ में वर्षानुवर्ष 122% की दर से ₹5678 करोड़ की मजबूत वृद्धि दर्ज की है, जिससे परिचालन लाभ वर्षानुवर्ष 17.27% की दर से बढ़कर ₹23089 करोड़ हो गया है। एनआईएम 2.82% पर और अग्रिमों पर प्रतिफल 7.22% रहा। यथा मार्च, 2022 की स्थिति में, बासेल III के तहत आपके बैंक का पूंजी पर्याप्त अनुपात 11.5% की नियामक आवश्यकता के मुक़ाबले 14.90% रहा, जिससे बैंक के पास पर्याप्त पूंजी उपलब्ध है।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, बैंक ने बासेल III के अनुरूप अतिरिक्त टियर 1 बॉन्ड के माध्यम से ₹4000 करोड़, टियर 2 बॉन्ड से ₹2500 करोड़ और क्यूआईपी के माध्यम से ₹2500 करोड़ की इक्विटी पूंजी जुटाई है और इस तरह यथा 31.03.2022 को बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता 62.93% हो गई है।

Housing, Education, and Vehicle loans. This year your Bank's core retail portfolio grew by 9.51% y-o-y to ₹126277 crore with Housing loans growing by 14.77% y-o-y to ₹73828 crore, Vehicle loans growing by 2.86% y-o-y to ₹14105 crore and Education loan growing by 4.31% y-o-y to ₹12975 crore. The number of borrowal clientele is at 1.08 crore as at March 2022.

Advances to MSME stood at ₹119026 Crore with MSE advances of ₹101716 crore as at March 2022. In order to increase credit flow to this segment, in FY 2021-22 the Bank has launched various need-based Schemes and products catering to the needs of specific segments.

FINANCIAL PERFORMANCE

For FY 2021-22, the total Income of the Bank increased by 2.02% y-o-y to ₹85907 crore and non-Interest Income increased by 10.54% y-o-y to ₹16497 crore. The Bank's cost of deposits decreased by 57 bps y-o-y to 3.95%. The net interest income, the difference between interest paid and interest earned by the Bank, grew by 9.46% y-o-y to ₹26384 crore as at March 2022. The Gross NPA ratio declined by 142 bps y-o-y to 7.51% this year and Net NPA declined by 117 bps y-o-y to 2.65%. Provision Coverage Ratio (PCR) improved by 449 bps y-o-y to 84.17% as at March 2022.

PROFITABILITY

The Bank has recorded robust growth of 122% y-o-y in net profit to ₹5678 crore in FY 2021-22 with operating profit growing by 17.27% y-o-y to ₹23089 crore. NIM stood at 2.82% and Yield on Advances at 7.22%. Your Bank has a comfortable capital cushioning with Capital Adequacy Ratio, under Basel III at 14.90% as at March 2022 against the regulatory requirement of 11.5%.

During the Financial Year 2021-22, Bank has raised capital via Basel III compliant additional Tier 1 Bond amounting to ₹4000 crore, Tier 2 Bond amounting to ₹2500 crore and equity through QIP of ₹2500 crore and thereby the Government of India shareholding in the Bank is 62.93% as on 31.03.2022.

प्राथमिकता–प्राप्त क्षेत्र और वित्तीय समावेशन

आपका बैंक राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के तहत विभिन्न लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपनी रणनीतियों को पुनर्निर्देशित करने के लिए प्रतिबद्ध है। विभिन्न राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के तहत, आपके बैंक ने निम्नानुसार अनिवार्य लक्ष्यों को विश्वसनीय रूप से हासिल किया है:

- ✓ कुल प्राथमिकता क्षेत्र में 40% के मानदंड के मुकाबले समायोजित निवल बैंक ऋण का 49.68%
- ✓ कृषि क्षेत्र को उधार देने में 18% के मानदंड के मुकाबले समायोजित निवल बैंक ऋण का 22.47%
- ✓ छोटे और सीमांत किसानों को उधार देने में 9% के मानदंड के मुकाबले समायोजित निवल बैंक ऋण का 16.26%
- ✓ कमजोर वर्ग को उधार देने में 11% के मानदंड के मुकाबले समायोजित निवल बैंक ऋण का 22.41 प्रतिशत

बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 में 160000 इकाइयों को शामिल करते हुए पीसीएलसी को ₹40000 करोड़ में बेचा है।

ये उपलब्धियां वास्तव में समावेशी राष्ट्र निर्माण के लिए आपके बैंक की प्रतिबद्धता और महामारी के कहर से अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के पुनरुद्धार का समर्थन करने की बात करती हैं।

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आपके बैंक के निष्पादन की मुख्य विशेषताएं वार्षिक रिपोर्ट में दी गई हैं।

बैंक द्वारा प्रमुख रणनीतिक पहल

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, आपके बैंक ने गुणवत्तापूर्ण बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने और सभी हितधारकों के लिए मूल्य निर्माण के मिशन को प्राप्त करने के लिए कई पहल की हैं। कुछ महत्वपूर्ण पहल इस प्रकार हैं:

1. समामेलन के बाद, बैंक ने विभिन्न प्रक्रियाओं के सामंजस्य को पूरा कर लिया है और हमेशा की तरह सबसे प्रभावी तरीके से व्यवसाय सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। परिचालन दक्षता बढ़ाने और व्यवसाय को बढ़ाने पर जोर देते हुए, वित्त वर्ष 2021–22 में बैंक ने एमएसएमई विभाग के अंतर्गत सीजीटीएमएसई वर्टिकल, डिजिटल बैंकिंग सेवाएं विभाग के अंतर्गत कार्ड वसूली कक्ष और डिजिटल लेंडिंग कक्ष, लेनदेन निगरानी विभाग, एसपीएंडडी विभाग के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) अनुभाग और मणिपाल में एकीकृत ट्रेजरी विभाग की एक समानांतर इकाई को स्थापित किया है। इसके अलावा, बैंक ने चालू वित्त वर्ष में नई

PRIORITY SECTOR AND FINANCIAL INCLUSION

Your Bank is committed towards re-orienting its strategies to meet various goals under national priorities. Under various national priorities, your Bank has credibly achieved the mandated targets as follows:

- ✓ 49.68% of the adjusted net bank credit against 40% norm in total priority
- ✓ 22.47% of the adjusted net bank credit against 18% norm in lending to agriculture
- ✓ 16.26% of the adjusted net bank credit against 9% norm in lending to small and marginal farmers
- ✓ 22.41% of the adjusted net bank credit against 11% norm in lending to weaker section

The Bank has sold PSLC to the tune of ₹40000 crore in FY 2021-22 encompassing 160000 units.

These achievements indeed speak of your Bank's commitment to the inclusive nation building and supporting the revival of the critical sectors of the economy from the ravages of the pandemic.

The highlights of your Bank's performance for the year FY 2021-22 have been given in the Annual Report.

KEY STRATEGIC INITIATIVES BY THE BANK

During FY 2021-22, your Bank has undertaken multiple initiatives to achieve the mission of providing quality banking services and creating value for all stakeholders. Some of the important initiatives are as under:

1. Post-amalgamation, the Bank has completed harmonization of various processes and has focused on ensuring business as usual in the most effective manner. Continuing with the thrust on increasing the operational efficiency and augmentation of business, in FY 2021-22, Bank has created CGTMSE Vertical under MSME Wing, Card Recovery Cell and Digital Lending Cell under Digital Banking Services Wing, Transaction Monitoring Wing, Research & Development (R&D) Section under SP&D Wing and one parallel Unit of Integrated Treasury wing at Manipal. In addition to that, Bank has also created Government Services Wing at New Delhi in the

दिल्ली में सरकारी सेवा विभाग भी स्थापित किया है। व्यवसाय के विस्तार और परिचालन दक्षता में सुधार के लिए एक केंद्रित और लक्ष्य उन्मुख दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए आपके बैंक द्वारा जारी कई पहलों में से ये कुछ उदाहरण हैं।

2. व्यावसायिक प्रक्रिया गतिविधियों को केंद्रीकृत और डिजिटल बनाते हुए बैंक ने परिचालन दक्षता के लिए शुरू की गई विभिन्न पहलों को सुदृढ़ किया है जैसे - केंद्रीय प्रसंस्करण हब के माध्यम से खाता खोलना, सीकेवाईसी ऐप्प के माध्यम से केवाईसी का अद्यतन, सीपीसीएफटी के माध्यम से विदेशी मुद्रा लेनदेन, रिकवरी कॉल सेंटर (आरईसीसी), एनालिटिक्स आधारित खुदरा ऋण, लीड जनरेशन के लिए फिन-टेक और ई-कॉमर्स के साथ गठजोड़ व्यवस्था, एनालिटिक्स आधारित रिटेल क्रेडिट ऑफ़र और प्रक्रियाओं को स्वचालित करने और पेपर-लाइट बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली।

3. इसके अलावा, विशेषीकृत इकाइयों को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है जैसे खुदरा आस्ति केंद्र (आरएएच), एमएसएमई सुलभ, बड़ी कॉर्पोरेट शाखाएं (एलसीबी) और कृषि ऋण केंद्र (एसीसी) ताकि बेहतर गुणवत्ता और प्रस्तावों के त्वरित निपटान के साथ ऋण वृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके। वित्त वर्ष 2021–22 में, बैंक ने 158 नए बैंकिंग आउटलेट खोले, जिनमें 16 सामान्य शाखाएं, 27 खुदरा आस्ति केंद्र, 81 एमएसएमई सुलभ, 5 आस्ति वसूली प्रबंधन (एआरएम) शाखाएं, 14 कृषि ऋण केंद्र और 15 बड़ी कॉर्पोरेट शाखाएँ शामिल हैं। इसके अलावा, 31 एसएमई हब (बैक ऑफिस) और 12 सैंक्शन–अलोन' आरएएच को बैंकिंग आउटलेट के रूप में परिवर्तित किया गया है। अतः, कुल 201 शाखाएं जोड़ी गईं। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2021-22 में 3 करेंसी चेस्ट भी खोले गए हैं।

4. परिचालन दक्षता में सुधार और उत्पादकता को बढ़ावा देने हेतु विश्लेषण शक्ति का लाभ उठाने के लिए भी सक्रिय कदम उठाए जा रहे हैं। इस संबंध में, प्रमुख व्यावसायिक मापदंडों की दिन–प्रतिदिन की निगरानी के लिए बीडी 360, डिजिटल उत्पाद और सीपीजीआरएस (केनरा लोक शिकायत निवारण पैकेज) जैसे विभिन्न डैशबोर्ड की शुरुआत की गई है।

current financial year. These are few of the several on-going initiatives that your Bank continues to take in order to ensure a focused and goal oriented approach towards expanding business and improving the operational efficiency.

2. Bank has further strengthened the various initiatives undertaken for operational efficiency like centralizing and digitalizing the business process activities such as account opening through Central Processing Hubs, KYC updation through CKYC app, forex transactions through CPCFT, Recovery Call Centre (RECC), analytics based Retail credit offers, tie-up arrangements with Fin-Tech & E-Commerce for lead generation and Document Management System to automate processes and promote paper-light banking.

3. In addition to it, focus has also been placed on strengthening of specialized units like Retail Asset Hubs (RAH), MSME Sulabhs, Large Corporate Branches (LCBs) and Agricultural Credit Centers (ACC) to boost the credit growth with improved quality and speedy disposal of proposals. In FY 2021-22, the Bank has opened 158 new Banking outlets, out of which 16 are General branches, 27 are Retail Assets Hubs, 81 are MSME Sulabhs, 5 are Asset Recovery Management (ARM) branches, 14 are Agricultural Credit Centers and 15 are Large Corporate Branches. Moreover, 31 SME Hubs (Back Office) and 12 'Sanction-Alone' RAHs were converted as Banking Outlets. Hence, total of 201 branches were added. Besides this, 3 Currency Chests were also opened in FY 2021-22.

4. Proactive steps are also being taken to leverage the power of Analytics to improve the operational efficiency and boost productivity. In this regard, different dashboards like BD 360, digital products and CPGRS (Canara Public Grievance Redressal Package) have been introduced for day-to-day monitoring of key business parameters.

5. आपका बैंक सरकारी प्रायोजित ऋणों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल के साथ एकीकरण को पूरा करने वाले शीर्ष बैंकों में से एक है, जिसमें बैंक ने हाल ही में एमएसएमई, खुदरा और कृषि में क्रेडिट सब्सिडी से जुड़ी योजनाओं की सोर्सिंग के लिए डीएफएस पहल के एक हिस्से के रूप में हमारी ऋण उत्पत्ति प्रणाली के साथ जन समर्थ (राष्ट्रीय) पोर्टल को एकीकृत किया है।

6. बैंकिंग उद्योग के तेजी से बदलते परिदृश्य के अनुरूप हम अपने मूल्यवान ग्राहकों को बैंकिंग उद्योग में सर्वश्रेष्ठ सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक के डिजिटल बैंकिंग आधार को प्राथमिकता देते हैं। हमारे डिजिटल बैंकिंग प्रस्तावों में सुधार करने के लिए, हमने "केनडि" मोबाइल बैंकिंग ऐप्प के तहत सुविधाओं को बढ़ाया है, सहज विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए "एफ़एक्सफॉरयू" की सुविधा और इंटरनेट बैंकिंग के तहत डिजिलॉकर सुविधा को जोड़ा है। हमने अपने ग्राहकों को मर्चेंट साइट पर आवर्ती लेनदेन के लिए ई-मैंडेट सुविधा का विकल्प चुनने में सक्षम बनाने के लिए एसआईहब (SiHUB) (स्थायी निर्देश हब) समाधान को भी लागू किया है।

7. हम एंड-टू-एंड डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म भी प्रदान करते हैं, जिसमें ऋण के लिए आवेदन करना, केवाईसी सत्यापन, योजना दिशानिर्देशों पर पात्रता आधारित जांच, मंजूरी, डिजिटल दस्तावेज़ निष्पादन (ई-मुद्रांकन और ई-हस्ताक्षर) और न्यूनतम मैनुअल हस्तक्षेप के साथ ऋण का संवितरण किया जाना शामिल है। वर्तमान में, डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म के अंतर्गत खुदरा ऋण के तहत केनरा बजट और केनरा वाहन योजनाएं और एमएसएमई ऋण के तहत शिशु मुद्रा ऋण की शुरुआत की गई है और इस प्लेटफॉर्म के तहत चरणबद्ध तरीके से और अधिक योजनाएं शुरू की जाएंगी। इन डिजिटल पहलों को बढ़ावा देने से बैंक के निष्पादन में और अधिक बढ़ोतरी होगी।

8. एमएसएमई ऋण हमारे प्रमुख क्षेत्रों में से एक है, क्योंकि यह क्षेत्र रोजगार सृजन, निर्यात वृद्धि को बढ़ावा देता है और इसका सकारात्मक गुणक प्रभाव पड़ता है। इस संबंध में, पीएसबी 59 और ट्रेड्स (TReDS) प्लेटफॉर्म जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एमएसएमई उधार के क्रेडिट ऑफ-टेक को बेहतर बनाया गया है। इसके अलावा, केनरा बैंक ने दो फिन-टेक कंपनियों, मेसर्स अत्याती टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स सब

5. Your Bank is one among the top Banks to complete Integration with National portal for Govt. Sponsored Loans, wherein Bank has recently integrated Jan Samarth (National) portal with our loan origination system as a part of DFS initiative for sourcing the credit subsidy linked schemes in MSME, Retail and Agriculture.

6. In line with the fast changing landscape of Banking industry, we prioritize to leverage the Digital Banking base of the Bank to provide best in the industry banking services to our valued customers. To optimize our Digital banking offerings, we have enhanced the features under "CANDI" mobile Banking app, added the facility of "FX4U" for seamless forex transactions and DigiLocker facility under internet banking. We have also implemented SiHUB (Standing Instruction Hub) solution to enable our customers to opt for e-Mandate facility for recurring transactions at the Merchant site.

7. We also provide End-to-End Digital Lending Platform, in which applying for loan, KYC validation, eligibility based check on the scheme guidelines, sanction, digital document execution (e-stamping & e-signing) and disbursement of the loan happens with minimum manual intervention. Presently, Canara Budget and Canara Vehicle Schemes under Retail loans and Shishu Mudra loans under MSME loans have been introduced under the Digital Lending Platform and more schemes will be introduced in a phased manner under this platform in due course. Leveraging on these digital initiatives will further aid the performance of the Bank.

8. MSME Lending is one of our thrust areas, as the sector supports employment generation, export growth and has a positive multiplier effect. In this regard, credit off-take of MSME lending through digital platforms like PSB 59 & TReDS platform has been further improved. Besides this, Canara Bank has entered into tie-up with two Fin-tech companies namely M/s Atyati Technologies

के इम्पैक्ट सॉल्यूशंस लिमिटेड के साथ संभावित पीएमएमवाई उधारकर्ताओं से ₹10 लाख तक के ऋण प्रस्तावों की सोर्सिंग के लिए गठजोड़ किया है।

9. आपका बैंक पीएफएमएस में केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) खातों को एकीकृत किया है। इस संबंध में, यथा मार्च, 2022 तक बैंक के कुल 256925 पीएफएमएस खाते हैं, जिनकी राशि ₹12,534 करोड़ है। इसके अलावा, हमने पीएफएमएस के साथ इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सूचना (ई–पीए) एकीकरण पूरा कर लिया है।

10. आपके बैंक ने ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली नामतः सीपीजीआरएस (केनरा लोक शिकायत निवारण प्रणाली) के लिए एक आंतरिक पैकेज विकसित किया है। यह पैकेज ग्राहकों को हमारी वेबसाइट के माध्यम से अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करने में सक्षम बनाता है।

11. आपके बैंक ने 'छात्रवृत्ति और फैलोशिप प्रबंधन पोर्टल' के उन्नत संस्करण को प्रभावी ढंग से लागू किया है। इस पोर्टल का उद्घाटन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शिकायत निवारण तंत्र को आसान बनाने और महामारी के दौरान व्यक्तिगत संपर्क को कम करते हुए छात्रवृत्ति भुगतान के लिए किया गया है।

12. ग्राहक सुविधा को बढ़ावा देने के लिए, बैंक ने पेंशनभोगियों द्वारा जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए 'वीसीआईपी - वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया' शुरू की है।

13. किसी भी संदिग्ध / धोखाधड़ी लेनदेन की घटना को रोकने की दिशा में, आपके बैंक ने नियम आधारित ईएफआरएम (एंटरप्राइज फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट) समाधान की शुरुआत की है जिसमें उत्पन्न अलर्ट के आधार पर, ग्राहक लेनदेन की वास्तविकता सुनिश्चित करने के लिए ग्राहकों को कॉल किए जाते हैं।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

हम एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट सामाजिक नागरिक हैं और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के सिद्धांत हमारी व्यावसायिक प्रक्रियाओं में गहराई से अंतर्निहित हैं। सीएसआर के तहत, बैंक का उद्देश्य समावेशी विकास के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप स्थापित पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन के उद्देश्यों को एकीकृत करना है। बैंक की सीएसआर पहल बहुविध हैं, जिनमें बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण, मेधावी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को छात्रवृत्ति, स्कूलों का नवीनीकरण और जरूरतमंद शैक्षणिक संस्थानों को अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान

Pvt. Ltd., and M/s SUB K Impact Solutions Ltd., for sourcing of loan proposals from prospective PMMY borrowers up to ₹10 lakhs.

9. Your Bank has integrated Centrally Sponsored Scheme (CSS) Single Nodal Agency (SNA) accounts to PFMS. In this regard, Bank has a total of 256925 PFMS accounts amounting to ₹12,534 crores as on March, 2022. In addition to this, we have completed Electronic Payment Advice (e-PA) Integration with PFMS.

10. Your bank has developed an in-house package for the online grievance redressal system namely CPGRS (Canara Public Grievance Redressal System). This package enables the customers to register their complaints online through our website.

11. Your Bank has effectively implemented enhanced version of 'Scholarship and Fellowship Management Portal'. The portal was inaugurated by Ministry of Social Justice and Empowerment to ease out grievance redressal mechanism and for seamless scholarship payment by reducing the physical contact during the pandemic.

12. To boost customer convenience, Bank has introduced 'VCIP - Video Based Customer Identification Process' for submission of Life Certificate by pensioners.

13. In a bid towards obviating occurrence of any suspicious / fraudulent transaction, your Bank has introduced Rule based EFRM (Enterprise Fraud Risk Management) solution wherein on the basis of alerts generated, calls are made to customers to ensure the genuineness of customer transaction.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

We are a responsible Corporate Social citizen and the principles of Corporate Social Responsibility (CSR) are deeply embedded in our business processes. Under CSR, the Bank aims to integrate environmental, social and governance objectives, established in line with national priorities for inclusive development. CSR initiatives of the Bank are multifarious, covering activities like training unemployed rural youth, scholarship to meritorious SC / ST Girl students, renovation of schools and providing of other infrastructural facilities to the needy educational

करना, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, पेयजल, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ भारत, सामुदायिक विकास प्रदान करना, खेल और अन्य सामाजिक पहल जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं।

भविष्य की दिशा

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए दृष्टिकोण सकारात्मक है, बड़ी आबादी के त्वरित टीकाकरण, पूंजीगत व्यय पर (कैपेक्स) सरकार का ध्यान और विशेष रूप से वर्ष की दूसरी छमाही में आर्थिक गतिविधियों के सामान्यीकरण पर समग्र मांग में अपेक्षित वृद्धि, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और उच्च इनपुट लागत पर बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण निकट भविष्य में विकास की गति में कुछ कमी की उम्मीद है । तथापि, ग्राहकों की सभी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने और अर्थव्यवस्था के समावेशी विकास में योगदान देने के लिए बैंक प्रतिबद्ध है।

आगे बढ़ते हुए, बैंक का उद्देश्य दक्षता में सुधार के लिए डिजिटलीकरण को अधिकाधिक अपनाने के साथ-साथ खुदरा, एमएसएमई और कॉर्पोरेट अग्रिमों पर संतुलित जोर देकर समग्र लाभ को बढ़ाना है। बैंक को उम्मीद है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में ग्राहक नेटवर्क को बढ़ाकर और सरकारी विभाग के साथ संपर्क के लिए नोडल वर्टिकल के रूप में कार्य करने के लिए एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) और केंद्रीय नोडल एजेंसी (सिएनए) खाते खोलने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सरकारी बिजनेस वर्टिकल की स्थापना की आक्रामक रणनीति अपनाकर कासा और कासा अनुपात में सुधार होगा। बैंक का प्रयास होगा कि उभरते उद्योग परिदृश्य और ग्राहकों की बदलती जरूरतों के अनुसार अपनी ताकत का निर्माण करते हुए खुद को नए सिरे से तैयार करें। हमारा प्रयास एक 'ग्राहक केंद्रित' बैंकिंग मॉडल सुनिश्चित करना है जो अपने सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य निर्माण करता है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 और उसके बाद मजबूत पूंजी आधार के साथ डिजिटल प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर सभी व्यावसायिक क्षेत्रों में संवर्धित विकास प्राप्त करने के बारे में बैंक का प्रबंधन अत्यधिक आश्वस्त है। आस्ति गुणवत्ता और पूंजी संरक्षण पर बैंक अपना ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा।

मैं बोर्ड के सभी सदस्यों को हमारे प्रयासों के प्रबंधन में उनके बहुमूल्य समर्थन, मार्गदर्शन और योगदान (इनपुट) के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक को भी समय-समय पर उनके समर्थन और मार्गदर्शन के

institutes, providing primary health care, drinking water, community development, empowerment of women, environment protection, Swachh Bharat, sports and other social initiatives.

WAY FORWARD

The outlook for FY 2022-23 is positive with accelerated vaccination of the larger population, Government focus on capex and expected pick-up in aggregate demand on further normalization of economic activities, particularly in the second half of the year, with some moderation in growth momentum expected in the near term due to rising inflation on elevated crude oil prices and high input costs. However, the Bank is committed to champion in meeting all financial needs of the customers and contribute to inclusive growth of the economy.

Going ahead, Bank aims at improving the bottom-line further with balanced thrust on retail, MSME and corporate advances coupled with increased adoption of digitalization for efficiency improvement. The Bank expects improved CASA and CASA ratio in FY 2022-23 by increasing customer network and adopting aggressive strategy of setting up of Government Business Vertical to act as the nodal vertical for liaisoning with Government Department including focus on opening of Single Nodal Agency (SNA) & Central Nodal Agency (CNA) accounts. Bank's endeavor will be to keep reinventing itself by building on its strengths as per emerging industry landscape and changing customer needs. Our endeavor is to ensure a 'customer-centric' Banking model that creates long-term value for all its stakeholders.

The Bank's management is highly confident about achieving augmented growth across all business segments by leveraging the digital technology with robust capital base in financial year 2022-23 and beyond. Bank will continue its focus on asset quality and capital conservation.

I would like to acknowledge and thank all the members of the Board for their valuable support, guidance and inputs to the management in our endeavors. I also thank the Department of Financial Services, Ministry of Finance and Reserve Bank of India for their support and

लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने सभी कर्मचारियों की कड़ी मेहनत, समर्पण और प्रतिबद्धता को स्वीकारते हुए उन्हें धन्यवाद देता हूँ। इस विकास यात्रा में सभी ग्राहकों और हितधारकों का स्पष्ट समर्थन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। हम आपके निरंतर संरक्षण, समर्थन और सद्भावना के लिए आशान्वित हैं ताकि हम नई ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए आगे बढ़ते रहें।

एल वी प्रभाकर
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

दिनांक: 18.05.2022

guidance from time to time. I acknowledge and thank all our employees for their hard work, dedication and commitment. The unequivocal support of all customers and stakeholders in this growth journey has been extremely important for us. We look forward to your continued patronage, support and goodwill, as we march ahead for scaling newer heights.

L.V. Prabhakar
Managing Director & CEO

Date: 18.05.2022

केनरा बैंक
भारत सरकार का उपक्रम

Canara Bank
A Government of India Undertaking
सिंडिकेट Syndicate
Together We Can

वार्षिक रिपोर्ट
2021-2022
ANNUAL REPORT

वार्षिक रिपोर्ट 2021-2022

विषयवस्तु

1. नोटिस 3
2. प्रगति की एक झलक 49
3. निदेशकों की रिपोर्ट 2021-2022 50
   - प्रबंधन विचार-विमर्श व विश्लेषण 53
   - कारोबार निष्पादन 55
   - वित्तीय निष्पादन 57
   - वित्तीय समावेशन 72
   - निदेशकों के दायित्व वक्तव्य 99
   - सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट 101
4. कारोबार दायित्व रिपोर्ट 107
5. कॉरपोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट 142
   - निदेशकों की गैर-अनर्हता का प्रमाण पत्र 181
6. कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर लेखापरीक्षकों का प्रमाण पत्र 184
7. मुख्य पदों, कार्यपालक प्रमुखों और महाप्रबंधकों / मुख्य महाप्रबंधकों की सूची - यथा 31.03.2022 185
8. एकल वित्तीय विवरण
   - लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट 193
   - असंशोधित विचार के साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट की घोषणा 210
   - सीईओ / सीएफओ प्रमाणन-सेबी सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ (एलओडीआर) विनियमन, 2015 का विनियम 17(8) 211
   - तुलन पत्र 213
   - लाभ व हानि लेखा 214
   - तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ 215
   - लाभ व हानि लेखा का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ 223
   - लेखांकन नीतियाँ 225
   - लेखा संबंधी टिप्पणियाँ 237
   - स्तंभ 3 (बासेल III) प्रकटन 306
   - नकद प्रवाह विवरण 308
9. समेकित वित्तीय विवरण
   - लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 313
   - असंशोधित विचार के साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट की घोषणा 327
   - सीईओ / सीएफओ प्रमाणन - सेबी (एलओडीआर) विनियामक, 2015 का विनियम 17 (8) 328
   - समेकित तुलन पत्र 330
   - समेकित लाभ व हानि लेखा 331
   - समेकित तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ 333
   - समेकित लाभ व हानि लेखा का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ 340
   - लेखांकन नीतियाँ 342
   - समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा संबंधी टिप्पणियाँ 357
   - समेकित नकद प्रवाह विवरण 373
10. नामांकन पत्र 376
11. लाभांश वितरण नीति 393
12. हरित पहल - शेयरधारकों से अपील 399

ANNUAL REPORT 2021-2022

CONTENTS

1. NOTICE 3
2. PROGRESS AT A GLANCE 49
3. DIRECTORS' REPORT 2021-2022 50
   - MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS 53
   - BUSINESS PERFORMANCE 55
   - FINANCIAL PERFORMANCE 57
   - FINANCIAL INCLUSION 72
   - DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT 99
   - SECRETARIAL AUDIT REPORT 101
4. BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT 107
5. REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE 142
   - CERTIFICATE OF NON - DISQUALIFICATION OF DIRECTORS 182
6. AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE 184
7. LIST OF KEY POSITIONS, FUNCTIONAL HEADS & CHIEF GENERAL MANAGER / GENERAL MANAGER AS ON 31.03.2022 186
8. STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS
   - AUDITORS' REPORT 193
   - DECLARATION OF AUDIT REPORT WITH UNMODIFIED OPINION 210
   - CEO / CFO CERTIFICATION - REGULATION 17(8) OF SEBI (LODR) REGULATIONS, 2015 211
   - BALANCE SHEET 213
   - PROFIT AND LOSS ACCOUNT 214
   - SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET 215
   - SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT AND LOSS ACCOUNT 223
   - ACCOUNTING POLICIES 225
   - NOTES ON ACCOUNTS 237
   - PILLAR 3 (BASEL III) DISCLOSURES 307
   - CASH FLOW STATEMENT 308
9. CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
   - AUDITORS' REPORT 313
   - DECLARATION OF AUDIT REPORT WITH UNMODIFIED OPINION 327
   - CEO / CFO CERTIFICATION - REGULATION 17(8) OF SEBI (LODR) REGULATIONS, 2015 328
   - CONSOLIDATED BALANCE SHEET 330
   - CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT 331
   - SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET 333
   - SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT 340
   - ACCOUNTING POLICIES 342
   - NOTES ON ACCOUNTS ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 358
   - CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT 373
10. NOMINATION FORM 377
11. DIVIDEND DISTRIBUTION POLICY 393
12. GREEN INITIATIVE - APPEAL TO SHAREHOLDERS 400

नोटिस

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि केनरा बैंक के शेयरधारकों की बीसवीं वार्षिक सामान्य बैठक, **वीडियो कांफ्रेसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों के द्वारा गुरुवार, 23 जून 2022 को प्रातः 11.00 बजे** आयोजित की जाएगी, जिसका उद्देश्य निम्नांकित कार्यों का संचालन करना है:

1. यथा 31 मार्च, 2022 को बैंक के लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ व हानि लेखा, तुलन-पत्र व लेखों पर लेखा व लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट द्वारा प्रावरित अवधि हेतु बैंक के कार्य व गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर परिचर्चा करना, उसे अनुमोदित करना व अगींकृत करना।
2. वित्त वर्ष 2021–22 के लिए लाभांश घोषित करना।
3. बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) की धारा 9(3)(i) के अनुसार केंद्र सरकार के इतर बैंक के शेयरधारकों में से दो निदेशकों का चुनाव करना, जिनके संबंध में अधिनियम, 1970 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (इसके बाद "बैंककारी विनियमन (बीआर) अधिनियम" के रूप में संदर्भित) और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (इसके बाद "योजना" के रूप में संदर्भित) और केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000, यथा संशोधित (इसके बाद "विनियम" के रूप में संदर्भित) अधिनियम की धारा 19 और भारतीय रिज़र्व बैंक (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के निदेशक मंडल में निर्वाचित निदेशकों के लिए 'उपयुक्त और उचित' मानदंड) जिसे आरबीआई/डीबीआर/2019–20/71 मास्टर निदेश डीबीआर. एपीटी.सं: 9/29.67.001/2019–20 दिनांक 02 अगस्त 2019 द्वारा जारी किए गए, जिसे आरबीआई परिपत्र सं.डीबीआर.एपीटी. बी सी. सं.39/29.39.001/2016–17 दिनांक 24 नवंबर 2016 के साथ पठित और उसमें आगे संशोधन, यदि कोई हो (इसके बाद "आरबीआई के निर्देश" के रूप में संदर्भित) और भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.सं.16/83/2013–बीओ.I दिनांक 3 सितंबर, 2013, एफ.सं.16/51/2012–बीओ.I दिनांक 28 अप्रैल, 2015 और दिनांक 20 जुलाई, 2016 जिसे भारत सरकार द्वारा 25 मार्च 2015, 08 जुलाई, 2016 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर–सरकारी निदेशक के रूप में विचार करने के लिए निर्धारित मानदंडों के साथ पठित और उसमें कोई और संशोधन (बाद में "भारत सरकार के दिशानिर्देश" के रूप में संदर्भित) के अनुसार वैध नामांकन प्राप्त हुए हैं तथा संशोधनों के साथ या बिना, निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करना:

NOTICE

Notice is hereby given that the Twentieth Annual General Meeting of the Shareholders of Canara Bank will be held on **Thursday, the 23rd June, 2022 at 11.00 a.m. IST through Video Conferencing / Other Audio-Visual Means,** to transact the following business:

1. To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2022, Profit & Loss account for the year ended 31st March 2022, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
2. To declare dividend for the financial year 2021-22.
3. To elect two Directors from amongst Shareholders of the Bank other than the Central Government, in respect of whom valid nominations have been received, in terms of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as "the Act") read with the Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as "the B R Act") and Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as "the Scheme") and Canara Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2000, as amended (hereinafter referred to as "the Regulations") made pursuant to Section 19 of the Act and Reserve Bank of India ('Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs) Directions, 2019 issued vide RBI/DBR/2019-20/71 Master Direction DBR. Appt. No: 9/29.67.001/2019-20 dated August 02, 2019 read with RBI circular No. DBR. Appt. BC. No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 and further amendment thereto, if any (hereinafter referred to as "RBI Directions") and Notification No.F.No.16/83/2013-BO.I dated 3rd September, 2013, F.No.16/51/2012-BO.I dated April 28, 2015 and dated July 20, 2016 of the Government of India read with the criteria laid down by the Government of India for consideration as Non-Official Director of Public Sector Banks on March 25, 2015, July 08, 2016 and any further amendment thereto, (hereinafter referred to as the "GOI Guidelines") and to pass the following resolution with or without modification(s):

"**संकल्प लिया जाता है कि** बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, संगत योजना, इसके तहत बनाए गए विनियम, आरबीआई के निर्देशों और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के अनुसार, केंद्र सरकार से इतर शेयरधारकों में से चुने गए दो निदेशकों को एतद्वारा बैंक के निदेशकों के रूप में नियुक्त किया जाता है जो 27 जुलाई, 2022 से पदग्रहण करेंगे और इस प्रकार पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि पूरी होने तक (यानी, 26 जुलाई, 2025 तक) पद पर बने रहेंगे।"

निदेशक मंडल के आदेशों द्वारा

एल वी प्रभाकर
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 18.05.2022

"**RESOLVED THAT** two Directors elected from amongst Shareholders other than the Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with Banking Regulation Act, 1949, relevant Scheme, Regulations made thereunder, RBI Directions and GOI Guidelines, be and are hereby appointed as the Directors of the Bank to assume office from 27th July, 2022 and hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption (i.e., up to 26th July, 2025)"

By Order of the Board of Directors

L V PRABHAKAR
MANAGING DIRECTOR & CEO

Place : Bengaluru
Date : 18.05.2022

टिप्पणियां

1. **व्याख्यात्मक वक्तव्य**

   नोटिस की मद संख्या 3 के संबंध में तात्विक तथ्यों को स्थापित करने वाले व्याख्यात्मक विवरण अलग से दिए गए हैं।

2. **वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम)**

   देश में कोविड–19 महामारी और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए व्यक्तियों की आवाजाही पर सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के मद्देनज़र, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने समय–समय पर जारी विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से उन कंपनियों को अनुमति दी है जिनका 31.03.2022 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए 2022 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से वार्षिक सामान्य बैठक(एजीएम) का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। परिपत्रों के अनुरूप बैंक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों के माध्यम से अपनी 20वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) आयोजित कर रहा है, जिसे इसके बाद "ई–एजीएम" कहा जाएगा।

   बैंक ने वार्षिक सामान्य बैठक के लिए वीडियो कांफ्रेसिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तथा ई–एजीएम के आयोजन के लिए प्रतिभागियों को सक्षम करने के लिए केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, रजिस्ट्रार तथा अंतरण एजेंट को नियुक्त किया है ।

3. **वीडियो कांफ्रेसिंग (वीसी) / ऑडियो विजुअल माध्यम (एवीम) के द्वारा ई–एजीएम में भाग लेने के लिए अनुदेश**

   क) वीसी / एवीएम पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कम से कम 1000 सदस्यों की भागीदारी की अनुमति देगा।

   ख) बड़े शेयरधारकों (2% या अधिक की शेयरधारिता), प्रायोजकों, संस्थागत निवेशकों, निदेशकों, मुख्य प्रबंधक कार्मिकों तथा लेखापरीक्षा समिति, नामांकन व पारिश्रमिक समिति तथा हितधारक समिति के अध्यक्ष, लेखापरीक्षकों के संबंध में ई–एजीएम में फीफो के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

   ग) बैठक के कोरम की संख्या का पता लगाने के लिए ई–एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति की गणना की जाएगी ।

   घ) सदस्य बैठक आरंभ होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले तथा बाद ई–एजीएम में भाग ले सकते हैं।

   ङ) सदस्य रिमोट इवोटिंग क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके शेयरधारकों / सदस्यों के लॉगिन के तहत https://emeetings.kfintech.com / पर वीसी अभिगम कर

NOTES

1. **EXPLANATORY STATEMENT**

   The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of Item No. 3 of the Notice is given separately.

2. **AGM THROUGH VIDEO CONFERENCING**

   In view of the COVID-19 pandemic in the country, Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide various Circulars issued from time to time has permitted companies who are proposing to organize AGMs in 2022 for the Financial Year ending 31.03.2022 through VC or OAVM. In line with the Circulars the Bank is conducting its 20th AGM through Video Conferencing / Other Audio Visual Means hereinafter called as "e-AGM".

   The Bank has appointed KFin Technologies Limited, Registrars and Transfer Agents, to provide Video Conferencing facility for the Annual General Meeting and the attendant enablers for conducting the e-AGM.

3. **INSTRUCTIONS FOR ATTENDING THE e-AGM THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / AUDIO VISUAL MEANS (AVM)**

   a) The VC / AVM would allow participation of at least 1000 members on first-come-first-serve basis.

   b) No restrictions on account of FIFO entry into e-AGM in respect of large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc.

   c) The attendance of members attending the e-AGM would be counted for the purpose of reckoning the quorum of the meeting.

   d) The Members can join the e-AGM 30 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting.

   e) Members may access the VC at https://emeetings.kfintech.com / under Shareholders/ members login by using the remote e-voting

सकते हैं। ई–एजीएम के लिए लिंक शेयरधारकों / सदस्यों के लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां ईवेंट और कंपनी के नाम का चयन किया जा सकता है। कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई–वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या वे यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई–वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

च) बेहतर अनुभव के लिए सदस्यों को गूगल क्रोम के साथ लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

छ) इसके अलावा, सदस्यों को कैमरे, यदि कोई हो, की अनुमति देने की आवश्यकता होगी और इसलिए बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए अच्छी स्पीड के साथ इंटरनेट का उपयोग करें।

ज) कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरणों या टैबलेट से या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से लैपटॉप के माध्यम से जुड़ने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार–चढ़ाव के कारण ऑडियो / वीडियो की कमी का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की पूर्वोक्त खमियों को कम करने के लिए स्थिर वाई–फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

झ) हितधारक किसी भी सहायता के लिए evoting@kfintech.com पर आरटीए / तकनीकी हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।

4. कार्यसूची मदों पर प्रश्न

बैठक के दौरान जो शेयरधारक अपने विचार व्यक्त करना/प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपने नाम, फोलियो / डीमैट संबंधी विवरण, ई–मेल आईडी और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अपने लॉग–इन पेज https://evoting.kfintech.com/ पर दिए गए स्पीकर पंजीकरण विंडो में प्रस्तुत कर सकते हैं। "एजीएम प्रश्न" विंडो 18 जून, 2022 प्रातः 10.00 बजे से 21 जून, 2022 सांय 5.00 बजे तक सक्रिय रहेगा।

कृपया ध्यान दें कि, शेयरधारक द्वारा की गई पूछताछ / उनके विचारों/प्रश्नों का उत्तर केवल तभी दिया जाएगा, जब शेयरधारक निर्धारित तिथि, अर्थात् 16 जून 2022 तक शेयरों का धारण जारी रखते हैं।

बैठक में जो शेयरधारक बोलना चाहते हैं, उन्हें कैमरे की अनुमति देनी होगी और बैठक के दौरान किसी भी बाधा से बचने के लिए सुगम गति वाले इंटरनेट का उपयोग करना होगा। शेयरधारक "स्पीकर पंजीकरण" के तहत उसी पोर्टल में दिए गए विकल्प के माध्यम से भी अपने वीडियो को पूर्व रूप से रिकॉर्ड और अपलोड कर सकते हैं।

credentials. The link for e-AGM will be available in Shareholders / members login where the EVENT and the name of the company can be selected. Please note that the members who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice.

f) Members are encouraged to join the Meeting through laptops with Google Chrome for better experience.

g) Further, Members will be required to allow camera, if any, and hence use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.

h) Please note that participants connecting from mobile devices or tablets or through laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio / Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

i) The stakeholders may contact RTA / Technical helpdesk at evoting@kfintech.com for any assistance.

4. QUERIES ON AGENDA ITEMS

The Shareholders who would like to express their views / pose queries on agenda items may submit their questions in the speaker registration window provided to them at their login page https://evoting.kfintech.com/, by mentioning their name, folio / demat details, e-mail id and mobile number. The “AGM Questions” window shall be activated from 10 A.M. IST on 18th June 2022 till 5 P.M. IST on 21st June 2022.

Please note that, shareholder’s queries / views / questions will be responded to, only if, the shareholder continues to hold the shares as on the cut-off date, i.e., 16th June 2022.

Shareholders who wish to speak at the Meeting will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting. The Shareholders can also record and upload their video in advance through the option provided in the same portal under “Speaker Registration.”

कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरणों या टैबलेट से या लैपटॉप के माध्यम से मोबाइल हॉटस्पॉट से जुड़ने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार–चढ़ाव के कारण ऑडियो / वीडियो में लोप का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की पूर्वोक्त खामियों को कम करने के लिए स्थायी वाई–फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

एजीएम में बोलने और सवाल उठाने के इच्छुक शेयरधारक, https://evoting.kfintech.com/ में लॉग–इन कर सकते हैं और डीमैट खाता संख्या/फोलियो नंबर, शहर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करके "स्पीकर पंजीकरण" पर क्लिक करते हुए जमा कर सकते हैं। स्क्रीन पर संदर्भ संख्या प्रदर्शित की जाएगी जिसे ई–एजीएम बैठक में प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान फिर से बुलाए जाने के लिए परिरक्षित किया जा सकता है।

जो शेयरधारक इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शामिल नहीं हो पा रहे हैं, वे केफिनटेक की ई–वोटिंग वेबसाइट https://evoting.kfintech.com/ पर अपने रिमोट ई–वोटिंग क्रेडेंशियल्स का उपयोग करते हुए लॉग–इन करके एजीएम की कार्यवाही का लाइव वेबकास्ट देख सकेंगे॥

5. प्रॉक्सी की नियुक्ति

प्रॉक्सी को, शेयरधारक जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में सक्षम नहीं है, की ओर से सामान्य बैठक में भाग लेने और मतदान करने की अनुमति दी जाती है। चूंकि, यह बैठक वीडियो कांफ्रेसिंग (वीसी) / एवीएम के माध्यम से आयोजित की जाती है, जहां शेयरधारक की भौतिक उपस्थिति को बंद किया गया है, इसलिए प्रोक्सी की नियुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, शेयरधारकों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा इस बैठक के लिए उपलब्ध नहीं होगी।

6. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी या किसी अन्य कॉरपोरेट निकाय जो कि बैंक का शेयरधारक है, के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने या मतदान करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि उसे विधिवत् रूप से अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले संकल्प की एक प्रति, जिस बैठक में उसे पारित किया गया था, उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रति प्रमाणित किया गया हो, उसे बैंक के प्रधान कार्यालय में वार्षिक आम बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् शनिवार, 18, जून, 2022 को बैंक के समापन समय पर या उससे पहले जमा किया जाना चाहिए।

Please note that Participants Connecting from mobile devices or tablets or through laptop connecting via mobile hotspot may experience audio / video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use stable wi-fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

Shareholders intending to speak and raise questions at the AGM, may log into https://evoting.kfintech.com/ and click on "Speaker Registration" by mentioning the demat account number / folio number, city, e-mail id, mobile number and submit. A reference number shall be displayed on the screen which may be preserved for recalling during the Q&A session in the e-AGM meeting.

Shareholders who are not able to join this Meeting over video conferencing will be able to view the live webcast of proceedings of AGM by logging on the e-voting website of KFintech at https://evoting.kfintech.com/ using their remote e-voting credentials.

5. APPOINTMENT OF PROXY

A proxy is allowed to attend and vote at a general meeting on behalf of a shareholder who is not able to attend personally. Since this meeting is held through VC / AVM, where the physical attendance of the shareholder has been dispensed with, there is no requirement of appointment of proxies. Accordingly, the facility of appointment of proxies by Shareholders would not be available for this meeting.

6. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to participate or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him / her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank at least four days before the date of the Annual General Meeting, i.e., on or before the closing hours of the Bank on Saturday, the 18th June, 2022.

7. शेयर अंतरणकर्ता एजेंटों के साथ संपर्क

भौतिक रूप में शेयर का धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि यदि उनके पंजीकृत पते में कोई परिवर्तन हो तो वे उसकी सूचना बैंक के शेयर अतंरणकर्ता एजेंट को निम्नांकित पते पर दें।

केफिन टेक्नोलोजिस लिमिटेड
यूनिट : केनरा बैंक
सेलीनियम टॉवर बी, प्लॉट संख्या 31–32
गाचीबावली, फाइनांशियल दीस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा
हैदराबाद - 500 032

आगे, शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने ई–मेल आईडी, शेयर अंतरणकर्ता एजेंट (उपर्युक्त पते पर) या बैंक को hosecretarial@canarabank.com पर सूचित / पंजीकृत करें।

अभौतिक रूप में शेयर का धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे केवल अपने निक्षेपागार प्रतिभागियों को उपर्युक्त परिवर्तन / ई–मेल आईडी सूचित करें।

8. बही खातों का बंद होना

वार्षिक सामान्य बैठक के संबंध में शुक्रवार, 17 जून, 2022 से गुरुवार, 23 जून, 2022 (दोनों दिन शामिल) तक शेयरधारकों का रजिस्टर और बैंक की शेयर हस्तांतरण खाता बही बंद रहेंगी।

9. लाभांश का भुगतान / रिकॉर्ड तारीख

बैंक के निदेशक मंडल ने वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन, वर्ष 2021-22 के लिए शेयरधारकों को प्रत्येक ₹10/- अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर पर ₹6.50 (यानी 65%) के लाभांश की सिफारिश की है। उन शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है, जिनके नाम एनएसडीएल / सीडीएसएल द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुसार यथा गुरुवार, 16 जून, 2022 (इसके बाद रिकॉर्ड तारीख के रूप में संदर्भित) को शेयरधारकों / लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज हैं। वार्षिक सामान्य बैठक (23 जून, 2022) को लाभांश की घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान किया जाएगा।

बैंक, जहां भी संभव होगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) / नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (एनईसीएस) सुविधा के माध्यम से शेयरधारकों के बैंक खातों में लाभांश राशि जमा करेगा। शेयरधारक, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर हैं, से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को अपने पते में हुए नवीनतम परिवर्तन और बैंक मैंडेट विवरण

7. COMMUNICATION WITH THE SHARE TRANSFER AGENTS

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their Registered Addresses, to the Share Transfer Agents of the Bank at the following address:

KFin Technologies Limited
Unit : Canara Bank
Selenium Tower B, Plot No. 31-32
Gachibowli, Financial District, Nanakramguda
HYDERABAD - 500 032

Further, the Shareholders are advised to inform / register their e-mail IDs either to the Share Transfer Agents (at the above address) or to the Bank at hosecretarial@canarabank.com.

Shareholders holding shares in dematerialized form are requested to intimate the aforesaid changes / e-mail IDs only to their depository participants.

8. CLOSURE OF BOOKS

The Register of Shareholders and the share transfer books of the Bank will remain closed from Friday, the 17th June, 2022 to Thursday, the 23rd June, 2022 (both days inclusive) in connection with the Annual General Meeting.

9. PAYMENT OF DIVIDEND / RECORD DATE

The Board of Directors of the Bank has recommended a dividend of ₹6.50 per equity share (i.e. 65%) of face value of ₹10/- each to the Shareholders for the year 2021-22, subject to the approval of the Shareholders at the AGM. It has been decided to pay the dividend to the Shareholders whose names appear on the Register of Shareholders/ Beneficial Owners as furnished by NSDL / CDSL as on Thursday, 16th June 2022 (hereinafter referred to as Record Date). The dividend will be paid to the shareholders within 30 days from the date of declaration at the Annual General Meeting (23rd June 2022).

The Bank will credit the dividend amounts to the bank accounts of the Shareholders through National Electronic Funds Transfer (NEFT) / National Electronic Clearing Service (NECS) facility, wherever possible. The Shareholders, who are holding the shares in electronic form, are, therefore, requested to inform their Depository Participants about their latest change of address and bank mandate details (including new account number, if any, bank's

(नया खाता संख्या, यदि कोई हो, बैंक के एमआईसीआर और आईएफएससी कोड नंबर सहित) के बारे में तुरंत सूचित करें ताकि एनईएफटी / एनईसीएस के माध्यम से लाभांश राशियों को शीघ्र जमा करना सुनिश्चित किया जा सके। अभौतिक रूप में शेयर रखनेवाले शेयरधारक इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए केवल अपने डिपोजिटरी प्रतिभागियों से संपर्क कर सकते हैं।

शेयरधारक जो भौतिक रूप में अपने शेयर धारण कर रहे हैं, वे इस नोटिस में दिए गए पते पर बैंक के सचिवीय विभाग या बैंक के शेयर ट्रांसफर एजेंट को अपने बैंक मैंडेट विवरण प्रस्तुत / अद्यतन करें।

10. लाभांश भुगतान पर कर

क) आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान के अनुसार, 1 अप्रैल 2020 से शेयरधारकों को प्राप्त लाभांश आय कर योग्य है और बैंक को निर्धारित दरों पर शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश से स्रोत पर कर कटौती करना आवश्यक है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित दरों की जानकारी हेतु आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों और उसके संशोधनों का संदर्भ लें। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक / आरटीए (भौतिक रूप में धारित शेयरों के मामले में) और डिपॉजिटरी (डीमैट रूप में शेयरों के मामले में) के साथ अपना पैन अपडेट करें।

ख) वैध पैन रखने वाला एक निवासी व्यक्तिगत शेयरधारक, जिसकी आय, आयकर भुगतान के दायरे में नहीं आती है, स्रोत पर कर की गैर-कटौती का लाभ उठाने के लिए फॉर्म संख्या 15जी / 15एच में वार्षिक घोषणा प्रस्तुत कर सकता है। शेयरधारकों से यह नोट करने का अनुरोध किया जाता है कि यदि उनका पैन पंजीकृत नहीं है, तो 20% की उच्च दर से कर कटौती की जाएगी। अनिवासी शेयरधारक भारत और उनके निवास के देश के बीच कर संधि के तहत आवश्यक दस्तावेज अर्थात् कोई स्थायी स्थापना और लाभकारी स्वामित्व न होने की घोषणा, टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट, फॉर्म 10एफ, प्रासंगिक दस्तावेज / घोषणाएं जमा करके कर संधि लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक किसी अन्य दस्तावेज को प्रस्तुत करने के अधीन लाभकारी दरों का लाभ उठा सकते हैं, दस्तावेजों / फॉर्मों को या तो अपलोड करके या ईमेल भेजकर या आरटीए की वेबसाइट (www.kfintech.com) पर उपलब्ध संबंधित दस्तावेजों / फॉर्मों की हार्डकॉपी भेजकर प्रस्तुत किया जा सकता है।

ग) शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त दस्तावेजों को गुरुवार, 16 जून, 2022 को शाम 5 बजे (आईएसटी) तक आरटीए की वेबसाइट https://ris.kfintech.com/form15 पर

MICR and IFSC Code numbers) immediately to ensure prompt crediting of the dividend amounts through NEFT / NECS. The Shareholders who are holding the shares in demat form may approach their DEPOSITORY PARTICIPANTS ONLY for necessary action in this connection.

The Shareholders who are holding their shares in physical form should furnish / update their Bank Mandate details to the Secretarial Department of the Bank or to the Share Transfer Agent of the Bank at the address given in this Notice.

10. TAX ON DIVIDEND PAYMENT

a) Pursuant to Provision of Income Tax Act, 1961, dividend income is taxable in the hands of shareholders w.e.f. 1st April, 2020 and the Bank is required to deduct tax at source from dividend paid to shareholders at the prescribed rates. For the prescribed rates for various categories, the shareholders are requested to refer to the provisions of Income Tax Act, 1961 and amendments thereof. The shareholders are requested to update their PAN with the Bank / RTA (in case of shares held in physical form) and Depositories (in case of shares held in demat form).

b) A Resident individual shareholder with valid PAN and who is not liable to pay income tax can submit a yearly declaration in Form No. 15G / 15H, to avail the benefit of non-deduction of tax at source. Shareholders are requested to note that in case their PAN is not registered, the tax will be deducted at a higher rate of 20%. Non-resident shareholders can avail beneficial rates under tax treaty between India and their country of residence, subject to providing necessary documents i.e. No Permanent Establishment and Beneficial Ownership Declaration, Tax Residency Certificate, Form 10F, any other document which may be required to avail the tax treaty benefits by submitting the relevant documents / declarations either by uploading the documents / forms or sending an email or sending the hardcopy of relevant documents / forms which are available on the website of the RTA (www.kfintech.com).

c) The shareholders are requested to upload the aforementioned documents latest by 5 PM (IST), Thursday, 16th June, 2022 on the website of the RTA viz. https://ris.kfintech.com/form15

अपलोड कर दें या उन्हें einward.ris@kfintech.com पर ई–मेल करें ताकि बैंक उचित टीडीएस / विदहोल्डिंग टैक्स दर पर कर का निर्धारण और कटौती कर सके।

घ) डाक / कोरियर या पंजीकृत ई–मेल आईडी से प्राप्त दस्तावेजों को ही स्वीकार किया जाएगा। संबंधित दस्तावेजों की भौतिक प्रतियां (जहां शेयरधारक केवल हार्ड कॉपी भेज रहा है) हमारे आरटीए को पैरा 7 में उल्लिखित उनके पते पर भेजी जा सकती हैं। गुरुवार, 16 जून 2022 के बाद कर निर्धारण / कटौती के संबंध में किये गए किसी भी संचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

11. फोलियो का समेकन

उन शेयरधारकों से, जो नाम के समरूपी क्रम में एक से अधिक खातों में शेयर रखते हैं, अनुरोध है कि केफिन टेक्नोलोजिस लिमिटेड को उन खातों की खाता बही (लेजर फोलियो) के बारे में सूचित करें, साथ में शेयर प्रमाणपत्र भी दें ताकि बैंक द्वारा सभी धारणों का एक खाते में समेकन किया जा सके।

12. अदावी लाभांश, यदि कोई हो तो

जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश वारंटों का नकदीकरण नहीं किया है / पिछली अवधियों का लाभांश प्राप्त नहीं किया है यानी, वर्ष 2014–15 और 2016–17, उनसे अनुरोध है कि वे पूनर्मूल्यांकन / डुप्लिकेट लाभांश वारंट जारी करने, बैंक खातों के अपग्रेडेशन के संबंध में बैंक के शेयर अंतरण एजेंट से संपर्क करें।

शेयर अंतरणकर्ता एजेंट / या बैंक से hosecretarial@canarabank.com पर संपर्क स्थापित करते हुए दावा करने हेतु शेयरधारकों को सक्षम बनाने के लिए बैंक ने अदावी / अप्रदत्त लाभांश वारंट संबंधी विवरण अपनी वेबसाइट www.canarabank.com में पोस्ट किया है ।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी के अनुसार, सात वर्षों की अवधि के लिए बकाया या दावा न किए गए लाभांश की राशि को भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956/2013 की धारा 205सी/125 के तहत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में अंतरित करने की आवश्यकता है। बैंक वर्ष 2014–15 के लिए बैंक की अदावी/अवैतनिक लाभांश राशि को लागू प्रावधानों के अनुसार उक्त निधि में अंतरित करने की प्रक्रिया में है। तदनुसार, आईईपीएफ को वर्ष 2014–15 के लिए अप्रदत्त लाभांश राशि का अंतरण निम्नलिखित तिथियों पर देय है:

- **ई–सिंडिकेट बैंक हेतु (अब केनरा बैंक) : 01.08.2022**
- **केनरा बैंक हेतु : 14.08.2022**

or e-mail them at einward.ris@kfintech.com in order to enable the Bank to determine and deduct tax at appropriate TDS / withholding tax rate.

d) Documents received by post / courier or from registered e-mail ID will only be accepted. The physical copies of the relevant documents (wherever shareholder is sending hard copy only) may be sent to our RTA at their address mentioned in para 7 above. No communication on the tax determination / deduction shall be entertained post Thursday, 16th June, 2022.

11. CONSOLIDATION OF FOLIOS

The Shareholders who are holding shares in identical order of names in more than one account are requested to intimate KFin Technologies Limited, the ledger folio of such accounts together with the share certificates to enable the Bank to consolidate all the holdings into one account.

12. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The Shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received dividend of previous periods, i.e., for the years 2014-15 & 2016-17, are requested to contact the Share Transfer Agent of the Bank for revalidation / issue of duplicate dividend warrants, updation of Bank accounts for direct credit of dividends into accounts.

The Bank has posted the details of the Unclaimed/ Unpaid Dividend Warrants on its site i.e., www.canarabank.com to enable the Shareholders to claim by contacting with the Share Transfer Agent / or with the Bank at hosecretarial@canarabank.com.

As per Section 10B of the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under section 205C/125 of the Companies Act, 1956/2013. The Bank is in the process of transferring the Unclaimed/ Unpaid Dividend amount of Bank for the year 2014-15 to the said fund as per applicable provisions. Accordingly, the transfer of unpaid dividend amount for the year 2014-15 to IEPF falls due on following dates:

- **For E-Syndicate Bank (Now Canara Bank) : 01.08.2022**
- **For Canara Bank : 14.08.2022**

13. वार्षिक रिपोर्ट

बैंक के शेयरधारक यह नोट करें कि एमसीए, भारत सरकार और सेबी द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों के अनुपालन में बैंक, वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति शेयरधारकों को नहीं भेजेगा। वार्षिक रिपोर्ट की संपूर्ण प्रति को बैंक की वेबसाइट (www.canarabank.com) पर अपलोड किया गया है। शेयरधारक, वेबसाइट से इसके पठनीय संस्करण को डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिस को बीएसई लिमिटेड, एनएसई लिमिटेड व ई–वोटिंग एजेंसी केफिन टेक्नोलोजिस लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com, www.nseindia.com तथा https://evoting.kfintech.com/ में भी देखा जा सकता है ।

14. शेयरधारकों का मतदान अधिकार

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ई) के प्रावधानों के अनुसार, सिवाय केंद्र सरकार के, बैंक का कोई भी शेयरधारक, अपने पास स्थित बैंक के समग्र शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकार के दस प्रतिशत से अधिक शेयरों के संबंध में मतदान अधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा।

15. ई–वोटिंग : {सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के विनियम 44 के अनुसार}

बैंक को इस बात की प्रसन्नता है कि वह बैंक के शेयरधारकों को नोटिस में दी गई मदों पर अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप से करने में सक्षम बनाने के लिए मेसर्स केफिन टेक्नोलोजिस लिमिटेड के माध्यम से रेमोट ई–वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करा रहा है ।

कार्यसूची मद नंबर 1 और 2 के संबंध में, शेयरधारकों / लाभार्थी मालिकों के ई–वोटिंग अधिकारों की गणना उनके द्वारा यथा गुरुवार, 16 जून, 2022 को धारित इक्विटी शेयरों पर और कार्यसूची मद नंबर 3 के संबंध में यथा शुक्रवार, 20 मई, 2022, क्रमशः अंतिम तारीख **(कट–ऑफ तारीख)** होने के कारण बैंक के वे शेयरधारक जो भौतिक या डीमैट रूप में शेयर रखते हैं, **नोटिस की कार्यसूची मदों (आइटम)** पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं।

ई–मतदान के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं:

क. ई–मतदान के लिए निम्नलिखित यूआरएल का उपयोग करना https://evoting.kfintech.com

ख. लॉगिन क्रेडेंशियल प्रविष्ट करना

आपका फोलियो नं. / डीपी आईडी ग्राहक (क्लॉएंट) आईडी आपका यूज़र (प्रयोक्ता) आईडी होगा। पासवर्ड आपके पंजीकृत ई–मेल आईडी पर भेज दिया जाएगा।

13. ANNUAL REPORT

Shareholders of the Bank may please note that in compliance with the various Circulars issued by MCA, GOI and SEBI, the Bank will not be sending the physical copies of Annual Report to the Shareholders. The full copy of the Annual Report is uploaded on the website of the Bank (www.canarabank.com). Shareholders may download the readable version of the same from the website. The notice can also be accessed from the websites of BSE Limited, NSE Limited & e-voting agency KFin Technologies Limited at www.bseindia.com, www.nseindia.com and https://evoting.kfintech.com/ respectively.

14. VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS

In terms of the provisions of Section 3 (2E) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the Bank, other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the Shareholders of the Bank.

15. e-Voting: {As per the Regulation 44 of SEBI(LODR) Regulations, 2015}

The Bank is pleased to provide Remote e-voting facility to the Shareholders of the Bank through KFin Technologies Limited to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice.

With respect to agenda items No.1 and 2, the e-Voting rights of the Shareholders / Beneficiary Owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on Thursday, 16th June 2022 and with respect to agenda item No.3 as on Friday, the 20th May, 2022 **being the Cut-off date(s) respectively** Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off date(s), may cast their vote electronically **on the agenda items of the Notice.**

The instructions for e-Voting are as under:

a. To use the following URL for e-voting: https://evoting.kfintech.com

b. Enter the login credentials

Your Folio No. / DP ID Client ID will be your user ID. The passwords would be sent to your registered e-mail id.

ग. **उन व्यक्तियों के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल / वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए कार्यविधि, जिनका ई-मेल पता पंजीकृत नहीं है:**

शेयरधारक जिन्होंने अपना मेल पता पंजीकृत नहीं किया है और परिणामस्वरूप उन्हें वार्षिक रिपोर्ट, ई–एजीएम की नोटिस और ई–वोटिंग की नोटिस नहीं भजी जा सकी हैं, वे कंपनी के रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट, केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को उपलब्ध कराए गए अस्थायी रूप से अपना ई–मेल पता तथा मोबाइल नम्बर को लिंक : https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx / पर क्लिक करते हुए प्राप्त कर सकते हैं ताकि उसे भेजी जा सके। शेयरधारिकों से अनुरोध है कि वे नोटिस और ई–मतदान निर्देशों के साथ–साथ प्रयोक्ता (यूज़र) आईडी और पासवर्ड की सॉफ्ट प्रति भेजने हेतु ई–मेल पते और मोबाइल नंबर कैप्चर करने के लिए यथा निर्देशित प्रक्रिया का अनुसरण करें। किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए शेयरधारक einward.ris@kfintech.com पर लिखें।

वार्षिक रिपोर्ट, ई–एजीएम की नोटिस तथा ई–मतदान अनुदेश प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक रूप से सदस्य, इलेक्ट्रॉनिक फोलियो के मामले में ई–मेल पता, मोबाइल नम्बर, स्व–सत्यापित पैन प्रति तथा ग्राहक (क्लॉएंट) मास्टर प्रति उपलब्ध कराते हुए अनुरोध पत्र की हस्ताक्षरित प्रति की स्कैन की गई प्रतिलिपि तथा भौतिक फोलियो के मामले में शेयर प्रमाणपत्र की प्रति के साथ ई–मेल आईडी einward.ris@kfintech.com पर ई–मेल अनुरोध भेज सकते हैं।

घ. उचित रूप से विवरण प्रविष्ट करने के बाद, लॉगिन पर क्लिक करें।

ड. आप पासवर्ड बदलने के मेनू तक पहुंच कायम करेंगे, जिसमें आपको अपना पासवर्ड अनिवार्य रूप से बदलना होगा। नए पासवर्ड में कम से कम 8 अक्षर होंगे जिसमें एक बड़ा अक्षर (ए–ज़ेड), एक छोटा अक्षर (ए–ज़ेड), एक संख्यात्मक मान (0–9) और एक विशेष अक्षर शामिल होगा। पहले लॉगिन पर सिस्टम आपसे पासवर्ड बदलने तथा संपर्क विवरण जैसे मोबाइल, ई–मेल आदि अद्यतन करने के लिए निर्देश देगा । यदि आप इसे भूल जाते हैं तो आप अपना पासवर्ड प्राप्त करने के लिए अपनी पसंद का गोपनीय प्रश्न और उत्तर भी प्रविष्ट कर सकते हैं। इस बात पर जोर दिया जाता है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें।

च. आपको नए क्रेडेंशियल के साथ दोबारा लॉगिन करना आवश्यक है।

छ. सफल लॉगिन पर सिस्टम आपको आयोजन (ईवेंट) यानी, **केनरा बैंक** का चयन करने का निर्देश देगा।

ज. **कार्यसूची मद 1 व 2 के लिए** : मतदान पृष्ठ पर अंतिम तिथि **(कट ऑफ)** (16 जून, 2022) तक शेयरधारक द्वारा यथा धारित

c. **Procedure for obtaining login credentials / Annual Report for those whose e-mail address are not registered:**

Shareholders who have not registered their mail address and in consequence the Annual Report, Notice of e-AGM and e-voting notice could not be serviced. may temporarily get their e-mail address and mobile number provided with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Limited, by clicking the link: https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx for sending the same. Shareholders are requested to follow the process as guided to capture the e-mail address and mobile number for sending the soft copy of the notice and e-voting instructions along with the User ID and Password. In case of any queries, shareholder may write to einward.ris@kfintech.com.

Alternatively, member may send an e-mail request at the e-mail id einward.ris@kfintech.com along with scanned copy of the signed copy of the request letter providing the e-mail address, mobile number, self-attested PAN copy and Client Master copy in case of electronic folio and copy of share certificate in case of physical folio for sending the Annual report, Notice of e-AGM and the e-voting instructions.

d. After entering the details appropriately, click on LOGIN.

e. You will reach the Password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character. The system will prompt you to change your password and update any contact details like mobile, e-mail etc. on first login. You may also enter the secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

f. You need to login again with the new credentials.

g. On successful login, the system will prompt you to select the EVENT, i.e., **Canara Bank**.

h. **FOR THE AGENDA ITEMS 1 and 2 :** On the voting page, the number of shares as held by the shareholder as

शेयरों की संख्या प्रदर्शित होगी। यदि आप उक्त कार्यसूची मद के संकल्पों के लिए सभी मतों को सहमति / असहमति देने की इच्छा रखते हैं, तो सभी शेयरों को प्रविष्ट करते हुए यथा मामले के अनुसार "के लिए"/"के विरुद्ध" पर क्लिक करें। आपको अपने सभी वोट एक ही तरह से डालने की आवश्यकता नहीं है। आप कितनी भी संख्या में आंशिक रूप से "के लिए" में और आंशिक रूप से "के विरुद्ध" प्रविष्ट कर सकते हैं, लेकिन "के लिए / के विरुद्ध" दोनों जोड़ने के फलस्वरूप उत्पन्न कुल संख्या, आपकी कुल शेयरधारिता से अधिक नहीं होनी चाहिए जैसा कि यहां ऊपर उल्लिखित है। यदि आप मतदान से बचना चाहते हैं तो आप "बचना (अब्स्टेन)" विकल्प भी चुन सकते हैं। यदि आप या तो "के लिए" या "के विरुद्ध" इंगित नहीं करते हैं, तो इसे "बचना (अब्स्टेन)" के रूप में माना जाएगा और धारित शेयरों को किसी भी मद के तहत नहीं गिना जाएगा। पुष्टी हेतु 'ओके' वरना संशोधित करने के लिए "रद्द (कैंसल)" पर क्लिक करें। आपके द्वारा पुष्टी कर लिए जाने के बाद आपको अपना मत संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी। मतदान अवधि के दौरान शेयरधारक इन संकल्पों पर मतदान करने तक जितनी चाहे उतनी बार लॉगिन कर सकते हैं।

झ. **कार्यसूची मद नंबर 3** इस कार्यवृत्त मद के संबंध में, निर्दिष्ट तिथि, यानी शुक्रवार, 20 मई 2022 को शेयर रखने वाले, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में से, जिनके नाम स्क्रीन पर दिखाई देंगे, अधिकतम दो उम्मीदवारों के पक्ष में अपना वोट डाल सकते हैं। दो उम्मीदवारों से अधिक वोट डालने से आपका वोट अमान्य हो जाएगा। पुष्टि करने के लिए 'ओके' पर क्लिक करें अन्यथा संशोधित करने के लिए 'रद्द' करें। एक बार पुष्टि करने के बाद, आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतदान अवधि के दौरान, शेयरधारक चुनाव प्रस्ताव पर मतदान करने तक कितनी भी बार लॉग-इन कर सकते हैं।

ञ. कई फोलियो / डीमैट अकाउंट रखने वाले शेयरधारक प्रत्येक फोलियो / डीमैट खाते के लिए अलग-अलग मतदान प्रक्रिया का चयन करें ।

तथापि, शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि बैंकिंग कंपनियों की धारा 3 (2ई) (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के अनुसार, भारत सरकार के अलावा किसी भी शेयरधारक को बैंक की कुल शेयरधारिता के 10% से अधिक वोटिंग अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है।

ट. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई, आदि के अलावा) को ई-मेल scrutinizer@snaco.net के माध्यम से संवीक्षक को प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के अनुप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर सहित संबंधित बोर्ड संकल्प / प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की हुई प्रतिलिपि (पीडीएफ / जेपीजी प्रारूप) भेजने की आवश्यकता है।

on the **Cut-off Date** (16th June, 2022) will appear. If you desire to cast all the votes assenting / dissenting to the Resolutions for the said Agenda Items then enter all shares and click "FOR" / "AGAINST" as the case may be. You are not required to cast all your votes in the same manner. You may partially enter any number in "FOR" and partially in "AGAINST" but the total number in "FOR / AGAINST" taken together should not exceed your total shareholding as mentioned hereinabove. You may also choose the option "ABSTAIN" in case you wish to abstain from voting. If you do not indicate either "FOR" or "AGAINST" it will be treated as "ABSTAIN" and the shares held will not be counted under either head. Click OK to confirm else CANCEL to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, Shareholders can login any number of times till they have voted on these resolutions.

i. **For Agenda item No.3** In respect of this Agenda Item, those holding shares as on the specified date, ie., Friday, 20th May, 2022, can cast their vote in favour of maximum TWO candidates, out of the contesting candidates, whose names will appear on the screen. Casting Vote exceeding TWO candidates shall render your vote as invalid. Click OK to confirm else CANCEL to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, shareholders can login any number of times till they have voted on the Election resolution.

j. Shareholders holding multiple folios / demat account shall choose the voting process separately for each folio / demat account.

However, shareholder may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder other than Government of India is allowed to exercise voting rights in excess of 10% of the total shareholding of the Bank.

k. Institutional Shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution / Authority letter, etc., together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail scrutinizer@snaco.net.

ठ. एक बार आपके द्वारा संकल्प पर अपना मतदान कर दिए जाने के बाद आपको बाद में इसे संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी।

ड. रिमोट ई–मतदान अवधि :

मतदान के लिए पोर्टल सोमवार, 20 जून, 2022 को पूर्वाह्न 09.00 बजे से बुधवार, 22 जून, 2022 सायं 5.00 बजे तक (दोनों दिन सम्मिलित) खुला रहेगा तथा आरटीए उसके बाद ई–मतदान प्लैटफार्म को अक्षम कर देगा।

ढ. किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए, https://evoting.kfintech.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा शेयरधारकों के लिए ई–मतदान प्रयोक्ता (यूज़र) मैनुअल का संदर्भ लें या 1–800–345–4001 (टोल फ्री नं.) पर केफिन टेक्नोलाजिस लिमिटेड में श्री एस वी राजु से संपर्क करें।

ण. इस बात पर जोर दिया जाता है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें और इसे गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें।

त. ई–वोटिंग के परिणामों की घोषणा बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट में की जाएगी और स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किया जाएगा।

कृपया नोट करें की एक बार जब आप ई–वोटिंग के तहत अपना वोट डालते हैं, तो आप वार्षिक सामान्य बैठक में मतदान को संशोधित या मतदान नहीं कर सकते हैं। तथापि, आप बैठक में भाग ले सकते हैं और चर्चा, यदि कोई हो, में भाग ले सकते हैं।

निक्षेपागार के माध्यम से दूरस्थ ई–मतदान (रिमोट ई–नोटिंग) करने के लिए निर्देश निमानुसार हैं :

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई गई ई–वोटिंग सुविधा संबंधी सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को निक्षेपागार और निक्षेपागार सहभागियों के पास अनुरक्षित अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। शयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपनी मोबाइल संख्या और ई-मेल आईडी के विवरण को अद्यतन करें।

निक्षेपागारों (डिपॉजिटरी) के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों द्वारा दूरस्थ ई-मतदान (रिमोट ई-वोटिंग) की प्रक्रिया:

l. Once you have cast your vote on a resolution you will not be allowed to modify it subsequently.

m. Remote e-Voting Period :

The Portal will remain open for voting from: **09.00 a.m. on Monday, the 20th June, 2022 to 5.00 p.m. on Wednesday, the 22nd June, 2022 (both days inclusive) and RTA will disable the e-voting platform thereafter**.

n. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting User Manual for Shareholders available at the download section of https://evoting.kfintech.com or contact Mr. S V Raju of KFin Technologies Limited at 1-800-345-4001 (toll free).

o. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep it confidential.

p. The results of e-voting will be announced by the Bank in its website and also informed to the stock exchanges.

Kindly note that once you have cast your vote under e-Voting, you cannot modify or vote on poll at the Annual General Meeting. However, you can attend the meeting and participate in the discussions, if any.

The instructions for remote e-voting through Depositories are as under:

In terms of SEBI circular SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020 on e-voting facility provided by Listed Companies, individual shareholders holding securities in Demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-voting facility.

Procedure for remote e-voting by Individual Shareholders holding securities in Demat mode with Depositories:

एनएसडीएल	सीडीएसएल
1. आईडीईएएस सुविधा के लिए पहले से पंजीकृत उपयोगकर्ता के लिए: • यूआरएल: https://eservices.nsdl.com • आइडीईएएस' सेक्शन के अंतर्गत "बेनीफिशियल ओनर'' आइकन पर क्लिक करें। • नए पेज पर यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें। सफल प्रमाणीकरण के बाद, "ई-वोटिंग तक पहुंच एक्सेस" पर क्लिक करें। • कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता पर क्लिक करें और इस प्रकार रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट डालने के लिए आप ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर चले जाएँ।	**1. वैसे मौजूदा उपयोगकर्ता जिन्होंने ईएएसआई/ईएएसआई ईएसटी को चुना है** • युआरएल : https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login या युआरएल: www.cdslindia.com • नई प्रणाली "मायसी" (Myeasi) पर क्लिक करें • यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करें। • बगैर किसी अन्य प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज पर पहुँचने का विकल्प उपलब्ध हो जाएगा। • अपना वोट डालने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें।
2. आईडीईएएस (IDeAS) ई-सेवाओं हेतु गैर-पंजीकृत उपयोगकर्ता के लिए • पंजीकरण के लिए https://eservices.nsdl.com पर क्लिक करें। • आईडीईएएस (IDeAS) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण को चुनें। • आवश्यक क्षेत्र को भरते हुए आगे बढें। वैकल्पिक रूप से, • पंजीकरण के लिए निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें: https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp • आवश्यक फ़ील्ड को पूर्ण करते हुए आगे बढ़ें।	**2. ईएएसआई / ईएएसआईईएसटी हेतु गैर-पंजीकृत उपयोगकर्ता:** • पंजीकरण का विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर उपलब्ध है। • आवश्यक क्षेत्र को भरते हुए आगे बढ़ें।
3. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाकर • यूआरएल: https://www.evoting.nsdl.com/ • 'शेयरधारक/सदस्य' सेक्शन के अंतर्गत "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें। • स्क्रीन पर दिखाई गई उपभोगकर्ता आईडी {(यूजर आईडी) (यानी एनएसडीएल का 16 अंकों वाला डी-मैट खाता संख्या)}, पासवर्ड / ओटीपी और सत्यापन कोड दर्ज करें। • सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप एनएसडीएल निक्षेपागार साइट पर चले जाएंगे, जहां पर आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। • कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और इस प्रकार रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर चले जाएं।	**3. सीडीएसएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर जाकर** • यूआरएल www.cdslindia.com • डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रस्तुत करें • प्रणाली डीमैट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल संख्या और ई-मेल पर ओटीपी भेज कर उपयोगकर्ता को अधिप्रमाणित करेगा • सफल अधिप्रमाणीकरण के पश्चात, जहां ई-वोटिंग चल रहा है, वहाँ के लिए, उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी के लिए लिंक प्रदान किए जाएंगे।

NSDL	CDSL
1. User already registered for IDeAS facility: • URL: https://eservices.nsdl.com • Click on the "Beneficial Owner" icon under 'IDeAS' section. • On the new page, enter User ID and Password. Post successful authentication, click on "Access to e-Voting" • Click on company name or e-Voting service provider and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting the vote during the remote e-Voting period.	**1. Existing users who have opted for Easi / Easiest** • URL: https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or www.cdslindia.com • Click on New System Myeasi • Login with User ID and Password. • Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. • Click on e-Voting service provider name to cast your vote.
2. User not registered for IDeAS e-Services • To register click on link : https://eservices.nsdl.com • Select "Register Online for IDeAS" • Proceed with completing the required fields. Alternatively, • To register click on link : https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp • Proceed with completing the required fields.	**2. User not registered for Easi/Easiest** • Option to register is available at https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration • Proceed with completing the required fields.
3. By visiting the e-Voting website of NSDL • URL: https://www.evoting.nsdl.com/ • Click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. • Enter User ID (i.e. 16-digit demat account number held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. • Post successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. • Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period.	**3. By visiting the e-Voting website of CDSL** • URL: www.cdslindia.com • Provide demat Account Number and PAN No. • System will authenticate user by sending OTP on registered Mobile & E-mail as recorded in the demat Account. • After successful authentication, user will be provided links for the respective ESP where the e-Voting is in progress

महत्वपूर्ण नोट : जो सदस्य उपयोगकर्ता आईडी / पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगेट यूजर आईडी' और फॉरगेट पासवर्ड' विकल्प का उपयोग करें।

डिपॉजिटरी यानी सीडीएसएल और एनएसडीएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क इस प्रकार है।

Important note: Members who are unable to retrieve User ID / Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at above mentioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL.

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
सीडीएसएल में डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन करने में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य helpdesk.evoting@ cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या वे दूरभाष संख्या 022–23058738 और 022–23058542 43 पर संपर्क कर सकते हैं।
एनएसडीएल में डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन करने में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या वे टोल फ्री संख्या : 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं।

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022- 23058738 and 022-23058542-43
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30

निक्षेपागार प्रतिभागियों के माध्यम से रिमोट ई–वोटिंग के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

आप ई–वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल / सीडीएसएल में पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमैट खाते की लॉगिन पहचान (क्रेडेंशियल) का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। सफलतापूर्वक लॉगिन होने के पश्चात, आप ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे। जैसे ही आप ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करते हैं, आप सफल अधिप्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल / सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर चले जाएंगे, जहां आप ई-वोटिंग विशेषता (व्यवस्था) को देख सकते हैं। इसके बाद, कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और इस प्रकार रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और बैठक के दौरान मतदान करने के लिए आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे।

बैठक के दौरान ई-मतदान प्रणाली

केवल वे शेयरधारक जो ई–एजीएम में मौजूद हैं और उन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, उन्हें ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। शेयरधारक बैठक के दौरान दिए गए अनुदेशों का पालन करते हुए वीसी/एवीएम में लॉगिन करने के बाद उपलब्ध लिंक https://emeetings.kfintech.com/ पर क्लिक करते हुए मतदान कर सकते हैं।

The instructions for remote e-voting through Depository Participants are as under:

You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL / CDSL for e-Voting facility. After successful login, you will be able to see e-Voting option. Once you click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL / CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

E-VOTING SYSTEM DURING THE MEETING

Only those Shareholders who are present in the e-AGM and have not cast their vote through remote e-Voting shall be allowed to vote through e-voting system. The Shareholders may vote during the course of the meeting by clicking the link https://emeetings.kfintech.com/ available after logging in to VC/AVM by following the instructions mentioned therein.

16. वोटिंग / मतदान में जांचकर्ता

मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमण्यम एंड कंपनी, कंपनी सचिव बैठक की सभी कार्यसूची मदों के संबंध में रिमोट ई– वोटिंग और ई–वोटिंग दोनों के लिए संवीक्षक के रूप में कार्य करेंगे।

17. रिमोट ई-वोटिंग और मतदान के परिणाम

ई–एजीएम में रिमोट ई–वोटिंग और वोटिंग के समेकित परिणाम दो कार्य दिनों के भीतर या बैठक के अंत में घोषित किए जाएंगे और इसे बैंक, स्टॉक एक्सचेंजों और केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट पर भी होस्ट किया जाएगा।

नोटिस की मद संख्या 3 के प्रति उल्लिखित कारोबार के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के अनुसार दो शेयरधारक निदेशकों का चुनाव। वर्तमान में हमारे बैंक के निदेशक मंडल में केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन निदेशक हैं:

i. श्री. वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर (27.07.2016 से 26.07.2022 तक)

ii. श्री. बिमल प्रसाद शर्मा (27.07.2019 से 26.07.2022 तक)

iii. श्री. करुणाकर शेट्टी (30.11.2021 से 29.11.2024)

बैंक ने 25.07.2019 को आयोजित बैंक के शेयरधारकों की सत्रहवीं वार्षिक सामान्य बैठक के हिस्से के रूप में, केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों में से दो शेयरधारक निदेशकों के लिए चुनाव आयोजित किया और दो उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित किया। उनका कार्यकाल चुनाव के बाद पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष अर्थात, 27.07.2019 से और उक्त कार्यकाल 26.07.2022 को समाप्त हो रहा है। बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (i) के अनुसार, यदि जनता को जारी की गई चुकता पूंजी 32% से अधिक है, तो बैंक तीन निदेशकों का चुनाव करने का हकदार है। शेयरधारकों के बीच, केंद्र सरकार के अलावा अन्य, 24.08.2021 को पात्र योग्य संस्थागत खरीदारों को प्रत्येक ₹10 के 16,73,92,032 इक्विटी शेयरों के आबंटन के बाद, सार्वजनिक

16. SCRUTINIZERS AT VOTING / POLL

M/s S.N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries shall act as Scrutinizer for both remote e-Voting and e-Voting in respect of all the agenda items of the meeting.

17. RESULTS OF REMOTE E-VOTING AND POLL

The consolidated results of remote e-Voting and voting at the e-AGM will be announced within two working days or at the end of the Meeting and will also be hosted on the website of the Bank, Stock Exchanges and KFin Technologies Limited.

EXPLANATORY STATEMENT IN RESPECT OF THE BUSINESS MENTIONED AGAINST ITEM NO.3 OF THE NOTICE

Election of Two Shareholder Directors Pursuant to section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. At present the Board of Directors of our Bank has following Three Directors representing Shareholders other than the Central Government:

i. Shri. Venkatachalam Ramakrishna Iyer (w.e.f. 27.07.2016 to 26.07.2022)

ii. Shri. Bimal Prasad Sharma (w.e.f. 27.07.2019 to 26.07.2022)

iii. Shri. Karunakara Shetty (30.11.2021 to 29.11.2024)

The Bank, as part of the Seventeenth Annual General Meeting of Shareholders of the Bank held on 25.07.2019, conducted the election for two Shareholder Directors from amongst the Shareholders of the Bank other than the Central Government and two candidates were declared elected. Their term of office was 3 years from the date of assuming office after election i.e., on 27.07.2019 and the said term is expiring on 26.07.2022. As per the Section 9(3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, if the paid-up capital issued to Public is more than 32%, the Bank in entitled to elect 3 Directors from amongst shareholders, other than the Central Government. After allotment of 16,73,92,032 equity shares of ₹10 each to eligible qualified institutional buyers on 24.08.2021, the public shareholding (other

शेयरधारिता (भारत सरकार, प्रमोटर होल्डिंग्स के अलावा) बढ़कर 37.07% हो गई और 30.11.2022 को एक तीसरे शेयरधारक निदेशक चुने गए। बैंक के शेयरधारकों की सत्रहवीं वार्षिक आम बैठक के दौरान चुने गए दो निदेशकों का कार्यकाल 26.07.2022 को समाप्त हो रहा है।

पूर्वोक्त दिशानिर्देशों के अनुरूप, बैंक ने बैंक के शेयरधारकों की बीसवीं वार्षिक आम बैठक के हिस्से के रूप में, केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों में से दो निदेशकों का चुनाव कराने का निर्णय लिया है। इस प्रकार निर्वाचित निदेशक 27 जुलाई, 2022 से पद ग्रहण करता है और पद ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

इसलिए शेयरधारक (केंद्र सरकार के अलावा) विभिन्न और प्रासंगिक अधिनियम / योजना / विनियम / अधिसूचना में विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार अपना नामांकन भेजने के हकदार हैं, जिसके प्रासंगिक उद्धरण / भाग यहां पुनः प्रस्तुत किए गए हैं।

than Government of India, Promoter holdings) increased to 37.07% and a third shareholder director was elected on 30.11.2022. The term of the two Directors who were elected during the Seventeenth Annual General Meeting of the Shareholders of the Bank is expiring on 26.07.2022.

In line with aforesaid guidelines, the Bank as part of Twentieth Annual General Meeting of Shareholders of the Bank, has decided to conduct the election of two Directors from amongst the Shareholders of the Bank other than the Central Government. A Director so elected assumes office from 27th July, 2022 and shall hold office for a period of three years from the date of such assumption of office.

The Shareholders (other than the Central Government) are therefore, entitled to send their nominations as per the procedure detailed in various and relevant Act / Scheme / Regulations / Notification, the relevant extracts / portions of which are reproduced hereunder.

ए. कानूनी प्रावधान

इस संबंध में लागू विभिन्न अधिनियमों / विनियमों / योजनाओं / अधिसूचनाओं में निहित प्रावधानों के संकेत निम्न सारणी में दिए गए हैं :

अधिनियम / योजना / विनियम / अधिसूचना	महत्वपूर्ण प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949	धारा 5 (एन–ई) धारा 16(1) धारा 20	➢ पर्याप्त हित ➢ सामान्य निदेशकों का निषेध ➢ किसी निदेशक को या किसी निदेशक की ओर से ऋण या अग्रिमों की मंज़ूरी के लिए प्रतिबंध
बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970	धारा 3 (2ई) धारा 9(3)(i) धारा 9(3ए) (ए) से (सी) धारा 9(3एए) व धारा 9(3एबी) धारा 9(3बी) धारा 13(2)	➢ निर्वाचन अधिकारों पर प्रतिबंध ➢ शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित किए जानेवाले निदेशकों की संख्या ➢ कुछ क्षेत्रों में विशेष ज्ञान ➢ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित मानदंडों के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो ट्रैक रिकॉर्ड तथा अखंडता के आधार पर योग्य व उचित नहीं हो व ऐसे अन्य किसी मानदंड के आधार पर, वह निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं है । ➢ उक्त अधिनियम की धारा 9(3ए) व 9(3एए) के प्रावधानों को पूरे नहीं करनेवाले यथा निर्वाचित निदेशकों को हटाने का अधिकार भारतीय रिज़र्व बैंक को होगा । ➢ निष्ठा व गोपनीयता का दायित्व
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना, 1970	खंड 9(4) खंड 10 खंड 11 खंड 11 ए खंड 11 बी खंड 12(8) खंड 14ए, विशेष प्रावधान	➢ निर्वाचित निदेशकों का कार्यकाल ➢ बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने से अयोग्य ठहराया जाना ➢ निदेशक के पद को रिक्त किया जाना ➢ निर्वाचित निदेशक को पदच्युत किया जाना ➢ निर्वाचित निदेशक के पद में आकस्मिक रिक्तियों को भरना ➢ अपने हितानुसार कुछ व्यवस्थाओं में निदेशकों द्वारा हित का प्रकटन ➢ यदि बोर्ड इस बात से संतुष्ट है कि समिति की बैठक के लिए कोरम, ऐसी समिति में किसी भी रिक्ति होने या उसके सदस्य के इनकार करने के कारण पूरा नहीं किया जा सकता है, तो बोर्ड वह कार्य या उस प्रकार कर सकता है।
केनरा बैंक (शेयर व बैठक) विनियम, 2000	विनियम 10 विनियम 61 विनियम 63 विनियम 64 विनियम 65 विनियम 66 विनियम 67 विनियम 68 विनियम 69 विनियम 70	➢ संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग ➢ आम बैठकों में मतदान ➢ आम बैठकों में निर्वाचित किए जानेवाले निदेशक ➢ शेयरधारकों की सूची ➢ निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों का नामांकन ➢ नामांकनों की संवीक्षा ➢ निर्वाचन संबंधी विवाद ➢ मतदान अधिकारों का निर्धारण ➢ प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान ➢ प्रॉक्सियाँ(प्रतिनिधि)
भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना– डीबीआर. एपीपी सं. 9/29.67.001/2019–20 दिनांक 02.08.2019 और अन्य	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3एए) तथा धारा 9(3एबी) की अनुवर्ती	राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड पर निर्वाचित निदेशकों के लिए योग्य व उचित मानदंड

A. LEGAL PROVISIONS

The following table indicates the provisions contained in various Acts / Regulation / Scheme / Notifications applicable in this regard:

ACT/SCHEME / REGULATIONS / NOTIFICATIONS	IMPORTANT PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 5 (ne) Section 16 (1) Section 20	➢ Substantial Interest ➢ Prohibition of Common Director ➢ Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3 (2E) Section 9(3)(i) Section 9(3A) (A) to (C) Section 9(3AA) & Section 9(3AB) Section 9(3B) Section 13(2)	➢ Restriction on voting rights ➢ No. of directors to be elected by the Shareholders ➢ Special knowledge in certain fields ➢ No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe. ➢ Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act. ➢ Obligation as to fidelity and secrecy
The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 9(4) Clause 10 Clause 11 Clause 11A Clause 11B Clause 12(8) Clause 14A, Special provision	➢ Term of office of elected directors ➢ Disqualifications from being elected as a Director of the Bank ➢ Vacation of office of Director ➢ Removal from office of an elected Director ➢ Filling of casual vacancy in the office of an elected Director ➢ Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested. ➢ if the Board is satisfied that quorum for meeting of Committee cannot be met on account of either existence of any vacancy in such Committee or recusal by member thereof, the Board may do that act or thing.
Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000	Regulation 10 Regulation 61 Regulation 63 Regulation 64 Regulation 65 Regulation 66 Regulation 67 Regulation 68 Regulation 69 Regulation 70	➢ Exercise of rights of joint holders ➢ Voting at General Meetings ➢ Directors to be elected at General Meetings ➢ List of Shareholders ➢ Nomination of candidates for election ➢ Scrutiny of nominations ➢ Election disputes ➢ Determination of voting rights ➢ Voting by duly authorized representative ➢ Proxies
RBI Notification No. DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019 and others	Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Fit and Proper criteria for elected directors on the board of nationalized banks

अधिनियम / योजना / विनियम / अधिसूचना	महत्वपूर्ण प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक की नियुक्ति, भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देश, जोकि कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा दिनांक 25 मार्च 2015 को स्वीकृत किया गया था। जोकि उत्तरवर्ती संशोधन, यदि कोई हो, के साथ भारत सरकार के पत्र एफ. सं.16/51/2012–बीओ.आई, दिनांकित 28.04.2015 और दिनांकित 20 जुलाई 2016 के साथ पठित और कार्यालय ज्ञापन दिनांकित 03.09.2013 के साथ पठित है।		बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (i) के अनुसार, शेयर्धारक निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए उम्मीदवारों की फिट और उचित स्थिति का निर्धारण करते समय बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा इन दिशानिर्देशों को ध्यान में रखा जाए।
भारतीय रिज़र्व बैंक दिनांक 1 जुलाई 2015 का मास्टर परिपत्र		निदेशकों के रिश्तेदारों को ऋण और अग्रिम प्रदान करना
सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015		स्वतंत्र निदेशक से संबंधित प्रावधान

ACT / SCHEME / REGULATIONS / NOTIFICATIONS	IMPORTANT PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
Revised Guidelines issued by the Government of India approved by Appointment Committee of the Cabinet for appointment of part-time, non-official director dated 25th March 2015 read with GOI letter F.No.16/51/2012-BO.I. Dated 28th April 2015 and dated 20th July 2016 read with OM dated 3rd September 2013 and subsequent amendments thereto, if any.		These guidelines be kept in mind by the Nomination and Remuneration Committee of the Board while carrying out determination of Fit and Proper Status of the Candidates to be elected as Shareholder Director pursuant to Section 9(3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.
RBI Master Circular dated 1st July 2015		Granting loans and advances to relatives of Directors
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015		Provisions relating to Independent Director

शेयरधारकों की सुविधा के लिए संबद्ध अधिनियम, विनियम अधिनियम, योजना / विनियम के प्रासंगिक सार और भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना डीबीआर.एपीपीटी.सं.9/29.67.001/2019–20 दिनांक 02.08.2019 और भारत सरकार के दिशानिर्देश, बैंक की वेबसाइट www.canarabank.com पर भी उपलब्ध होगा जिसका अवलोकन / डाउनलोड किया जा सकता है। इच्छुक उम्मीदवारों से प्रधान कार्यालय, बेंगलूरु में कंपनी सचिव, केनरा बैंक को संबोधित नामांकन फॉर्म जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात्, 08 जून 2022 को या उससे पूर्व अनुरोध प्राप्त होने पर ये सार उन्हें ई–मेल के द्वारा भेज दिए जाएंगे।

बी. चुनाव में भागीदारी

जैसा कि पहले ही इंगित किया जा चुका है कि ऐसे शेयरधारक जिनके नाम एनएसडीएल / सीडीएसएल द्वारा यथा निर्दिष्ट / अंतिम तारीख यानी, शुक्रवार, 20 मई 2022 को शेयरधारकों / लाभार्थी स्वामियों की बही में शामिल हैं, वे केन्द्र सरकार के शेयर धारकों को छोड़कर अन्य शेयर धारकों में से निदेशकों के चुनाव में भाग लेने हेतु यानी नामांकन भरने, चुनाव लड़ने तथा मतदान करने के लिए पात्र होंगे।

यह ध्यान दिया जाए कि, केंद्र सरकार निदेशकों के चुनाव में भाग लेने की हकदार नहीं है।

सी. बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने संबंधी अयोग्यताएं

(ए) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 10 के अनुसार एक व्यक्ति को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने हेतु अयोग्य करार दिया जाएगा:

ए) यदि उसे किसी भी समय दिवालिया घोषित कर दिया गया है या उसने भुगतान रोक दिया है या लेनदारों से मिलीभगत कर ली हो: या

बी) यदि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ पाया गया है और किसी सक्षम अदालत द्वारा ऐसा घोषित किया गया है; या

सी) यदि उसे दंड न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसमें नैतिक रूप से भ्रष्ट होना भी शामिल है; या

डी) यदि वह बैंक के कर्मचारियों के बीच से अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ई) एवं (एफ़) के तहत नामित प्रबंध निदेशक और निदेशकों सहित पूर्णकालिक निदेशकों का पद छोड़कर, किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955

For the convenience of the Shareholders, the relevant extracts from the Act, Regulation Act, the Scheme / Regulation as well as RBI Notifications No. DBR.Appt. No: 9/29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019 and GOI Guidelines will be hosted in the Bank's website www.canarabank.com which can be viewed/downloaded by the user. Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Company Secretary, Canara Bank at their Head Office at Bengaluru on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz. June 8, 2022.

B. PARTICIPATION IN ELECTION

As already indicated earlier, such of those Shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Beneficial Owners as furnished by NSDL / CDSL as on the Specified / Cut- Off Date i.e., on Friday, May 20, 2022 shall be entitled to participate, i.e., nominate, contest and vote in election of directors from amongst Shareholders other than the Central Government.

It may be noted that, Central Government is not entitled to participate in the election of Directors.

C. DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

(A) In terms of Clause 10 of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:

a) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or

b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or

d) if he holds any office of profit under any nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section

की धारा 3 की उप–धारा (1) के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट (अनुषंगी बैंक), अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यथा परिभाषित किसी अनुषंगी बैंक के अंतर्गत कोई लाभ का पद धारण करता है ।

(बी) यदि वह भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचनाओं, डीबीआर. एपीपीटी.संख्या:9 / 29.67.001 / 2019–20 दिनांक 02.08.2019 और भारत सरकार दिशानिर्देश संख्या फा. सं.16/51/2012–बीओ.आई. दिनांक 28 अप्रैल 2015 और दिनांक 20 जुलाई 2016 तथा दिनांक 3 सितंबर 2013 के कार्यालय ज्ञापन के साथ पठित के अनुसार 'उपयुक्त और उचित व्यक्ति' नहीं पाया जाता है।

डी. कार्यकाल

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 9(4) के अनुसार, निर्वाचित निदेशक का कार्यकाल 3 वर्षों के लिए रहेगा और वह पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा ।

बशर्ते, कोई भी निदेशक लगातार 6 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पद धारण नहीं करेगा ।

ई. बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए आवश्यक योग्यताएं

1. अधिनियम की धारा 9(3ए) के अनुसार, कोई उम्मीदवार बैंक का शेयरधारक होने के नाते और जो अधिनियम की धारा 9(3) (i) के तहत बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने की इच्छा रखता है, उसके पास:

   ए. निम्नलिखित मामलों में से एक या अधिक के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए:–

      i. कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था
      ii. बैंकिंग
      iii. सहकारिता
      iv. अर्थशास्त्र
      v. वित्त
      vi. विधि
      vii. लघु उद्योग
      viii. अन्य किसी मामले में से विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के विचार से बैंक के लिए उपयोगी होगा ।

3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of whole-time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank.

(B) If he / she is not found to be 'Fit and Proper' person in terms of notifications of Reserve Bank of India DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019 and Government of India guidelines No. F.No.16/51/2012-BO.I. Dated 28th April 2015 and dated 20th July 2016 read with OM dated 3rd September 2013.

D. TENURE

In terms of Clause 9 (4) of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, an elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election.

Provided no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years

E. QUALIFICATIONS REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

1. In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director of the Bank under Section 9(3)(i) of the Act shall:

   a. have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters namely:-

      i. agriculture and rural economy
      ii. banking
      iii. co-operation
      iv. economics
      v. finance
      vi. law
      vii. small scale industry
      viii. any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank.

(आरबीआई ने अपने परिपत्र सं. डीबीआर.एपीपीटी. बीसी.सं.39/29.39.001/2016–17 दिनांक 24 नवंबर, 2016 के माध्यम से विशेषज्ञता के क्षेत्रों का विस्तार करके (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii) भुगतान तथा निपटान प्रणाली (iii) मानव संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन और (v) व्यावसायिक प्रबंधन को शामिल किया है जिसे बैंको में निदेशक की नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है।

बी. जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो; या

सी. किसानों, मजदूरों और कारीगरों का प्रतिनिधित्व करता हो।

2. अधिनियम की धारा9(3एए) तथा आरबीआई की अधिसूचना के अनुसार, बैंक का शेयरधारक होने के नाते कोई उम्मीदवार, जो बैंक का निदेशक बनना चाहता है, उसकी स्थिति 'उपयुक्त और उचित' होनी चाहिए ।

अधिनियम की धारा 9(3एबी) के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक उप-धारा 3(एए) के तहत जारी अधिसूचना में उपयुक्त और उचित' स्थिति का निर्धारण करने वाला प्राधिकारी, ऐसे निर्धारण के तरीके, ऐसे निर्धारण हेतु अनुकरणीय प्रक्रिया तथा ऐसे मामले, जिन्हें आवश्यक या आकस्मिक माना जा सकता है, निर्दिष्ट कर सकता है ।

इसके अतिरिक्त, चयनित निदेशक को प्रसंविदा विलेख निष्पादित करना चाहिए और उनके द्वारा इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित वार्षिक घोषणा पत्र भी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

एफ़. आरबीआई की 'उपयुक्त और उचित' मानदंड अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक इस संबंध में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 / 1980 की धारा 9 की उप-धारा (3एए) के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग कर डीआरबी. एपीपीटी.संख्या: 9/29.67.001/2019–20 दिनांक 02 अगस्त, 2019 को अधिसूचना जारी किया है, जिसमें बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 / 1980 की धारा 9(3)(i) के प्रावधानों के तहत बैंकों के बोर्ड पर निदेशकों के रूप में निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों द्वारा पूरे किए जाने वाले विशिष्ट "उपयुक्त और उचित" मानदंड दिये गए हैं ।

(RBI vide its circular no.DBR. Appt. BC.No.39/29.39.001/2016-17dated November 24, 2016 has extended the fields of specialization to include (i) Information Technology (ii) Payment & Settlement Systems (iii) Human Resources (iv) Risk Management and (v) Business Management, for persons who could be considered for appointment of director in the banks)

b. represents the interest of depositors; or

c. represents the interest of farmers, workers and artisans

2. In terms of Section 9(3AA) of the Act and RBI Notification a candidate being a shareholder of the Bank, who desires to be a Director of the Bank, should possess 'Fit and Proper' status.

In terms of Section 9(3AB) of the Act, the Reserve Bank may also specify in the notification issued under sub-section 3(AA), the Authority to determine the 'Fit and Proper' status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

Further the elected Director should execute the deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

F. RBI'S 'FIT AND PROPER' CRITERIA Notification

Reserve Bank of India (RBI), in exercise of powers conferred on it under sub-sections (3AA) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970 / 1980 has issued notification DBR.Appt.No: 9/29.67.001/ 2019-20 dated 02nd August 2019 laying down specific "Fit and Proper" Criteria to be fulfilled by the persons being elected as directors on the Board of the Banks under the provisions of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970 / 1980.

अधिसूचना की मुख्य विशेषताएं:

"उपयुक्त और उचित" स्थिति आदि का निर्धारण करने हेतु प्राधिकारी, तरीका / प्रक्रिया और मानदंड निम्नानुसार है:

ए) प्राधिकारी

बैंक को एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति [इसके बाद समिति के रूप में संदर्भित] का गठन करना आवश्यक है, जिसमें निदेशक मंडल [इसके बाद बोर्ड के रूप में संदर्भित] में से कम से कम तीन गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल होंगे, जिनमें से कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होंगे और इसमें बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति से कम से कम एक सदस्य का शामिल होना आवश्यक है, ताकि एसबीआई अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (सी) / बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 / 1980 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (i) के तहत निदेशक के रूप में चुने जाने वाले व्यक्तियों की 'उपयुक्त और उचित' स्थिति का निर्धारण करने के लिए समुचित सावधानी की प्रक्रिया शुरू की जा सके ।

बी) तरीका और प्रक्रिया

बैंक चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करने वाले व्यक्तियों से निर्धारित प्रारूप में आवश्यक जानकारी तथा एक घोषणा पत्र और वचन पत्र लेगा । समिति की बैठक नामांकन की स्वीकृति के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के बाद होगी तथा नीचे उल्लिखित मानदंडों के आधार पर समिति यह निर्धारित करेगी कि व्यक्ति की उम्मीदवारी स्वीकार की जाएगी या नहीं। समिति की चर्चा को बैंक के औपचारिक कार्यवृत्त के रूप में अभिलेखित किया जाएगा तथा वोटिंग, यदि कोई हो, को भी नोट किया जाएगा। हस्ताक्षरित घोषणा पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर समिति उम्मीदवारी के स्वीकरण पर विचार करेगी और जहाँ आवश्यक लगे वहाँ यह सुनिश्चित करने के लिए कि उम्मीदवार निर्दिष्ट अपेक्षाओं की पुष्टि करता है, उपयुक्त प्राधिकारी / व्यक्तियों को संदर्भित करेगी।

सी) मानदंड

नामांकन और पारिश्रमिक समिति यहाँ नीचे उल्लिखित व्यापक मानदंड के आधार पर प्रस्तावित उम्मीदवारों की 'उपयुक्त तथा उचित' स्थिति का निर्धारण करेगी :

(i) आयु - चुनाव में नामांकन जमा करने हेतु उम्मीदवार की आयु निर्धारित अंतिम तिथि को 35 से 67 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।

Salient Features of the Notification:

The Authority, Manner / Procedure and Criteria for deciding the "Fit and Proper" status etc., are as under

a) Authority

The Bank is required to constitute a Nomination and Remuneration Committee [hereinafter referred to as the Committee] consisting of a minimum of three non-executive directors from amongst the Board of Directors [hereinafter referred to as Board], out of which not less than one-half shall be independent directors and should include at least one member from Risk Management Committee of the Board, for undertaking a process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of the persons to be elected as directors under sub-section (c) of Section 19 of the SBI Act / clause (i) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 / 1980.

b) Manner and procedure

The banks shall obtain necessary information, and a declaration & undertaking, in the prescribed format from the persons who file their nominations for election. The Committee shall meet after the last date prescribed for acceptance of nominations and determine whether or not the person's candidature should be accepted, based on the criteria mentioned below. The Committee's discussions shall be properly recorded as formal minutes of the meeting and the voting, if done, shall also be noted. Based on the information provided in the signed declaration, the Committee shall decide on the acceptance or otherwise of the candidature and shall make references, where considered necessary, to the appropriate authority / persons, to ensure that the candidate conforms to the requirements indicated.

c) Criteria

The Nomination and Remuneration committee should determine the 'fit and proper' status of the proposed candidates based on the broad criteria as mentioned hereunder:

(i) Age - The candidate's age should be between 35 to 67 years as on the cut-off date fixed for submission of nominations for election.

(ii) शैक्षिणिक योग्यता - उम्मीदवार कम से कम स्नातक होना चाहिए ।

(iii) अनुभव और विशेषज्ञता का क्षेत्र - आरबीआई परिपत्र सं. डीबीआर. एपीपीटी.बीसी.सं. 39/29 39.001/2016–17 दिनांक 24 नवंबर, 2016 के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 / 1980 की धारा 9(3ए)(ए)/एसबीआई अधिनियम की धारा 19(ए)(ए) में दिए गए एक या अधिक मामलों के संबंध में उम्मीदवार को विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए ।

(iv) अयोग्यता: राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 / 1980 के खंड 10 / एसबीआई अधिनियम की धारा 22 में यथा निर्धारित 'निर्देशकों की अयोग्यता' के अतिरिक्त:

(ए) उम्मीदवार किसी बैंक या भारतीय रिज़र्व बैंक या वित्तीय संस्थान (एफआई) या किसी बीमा कंपनी या किसी अन्य बैंक द्वारा धारित नॉन-ऑपरेटिव फिनेंशियल होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी) के निदेशक मंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए ।

स्पष्टीकरण: इस उप-परिच्छेद तथा उप-परिच्छेद (सी) के उद्देश्य के लिए, 'बैंक' शब्द में बैंकिंग कंपनी, नया संपर्की बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल होगा ।

(बी) किराया खरीद, वित्तपोषण, धन उधार, निवेश, पट्टे और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों से जुड़े व्यक्ति को पीएसबी के बोर्ड में निर्वाचित निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, ऐसी संस्थाओं के निवेशकों को निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा यदि वे उनमें किसी भी प्रबंधकीय नियंत्रण का लाभ नहीं लेते हैं।

(सी) किसी भी व्यक्ति को बैंक के बोर्ड में निर्वाचित / पुनर्निर्वाचित नहीं किया जा सकता है यदि उसने किसी भी श्रेणी के तहत किसी भी बैंक / एफआई / आरबीआई / बीमा कंपनी के बोर्ड में छह साल के लिए चाहे लगातार या अलग-अलग समयावधि में निदेशक के रूप में कार्य किया है।

(ii) Educational qualification - The candidate should at least be a graduate.

(iii) Experience and field of expertise - The candidate shall have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the matters enumerated in section 19A(a) of the SBI Act / section 9(3A)(A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 / 1980, as the case may be, read with RBI Circular DBR.Appt.BC No. 39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016.

(iv) Disqualifications: In addition to 'Disqualifications of Directors' as prescribed in Section 22 of the SBI Act, 1955 / Clause 10 of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 / 1980:

(a) The candidate should not be a member of the Board of any bank or the Reserve Bank or a Financial Institution (FI) or an Insurance Company or a Non-Operative Financial Holding Company (NOFHC) holding any other bank.

Explanation: For the purpose of this sub-para and sub-para (c), the expression "bank" shall include a banking company, a corresponding new bank, State Bank of India, a co-operative bank and a regional rural bank.

(b) A person connected with hire purchase, financing, money lending, investment, leasing and other para banking activities shall not be considered for appointment as elected director on the board of a PSB. However, investors of such entities would not be disqualified for appointment as directors if they do not enjoy any managerial control in them.

(c) No person may be elected / re-elected on the Board of a bank if he / she has served as director in the past on the board of any bank / FI / RBI / Insurance Company under any category for six years, whether continuously or intermittently.

(डी) उम्मीदवार, को स्टॉक ब्रोकिंग के कारोबार में संलग्न नहीं होना चाहिए।

(इ) उम्मीदवार, संसद या राज्य विधानमंडल या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों (अन्य स्थानीय निकायों का मतलब निकाय जैसे, अधिसूचित क्षेत्र परिषद, नगर परिषद, पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद आदि) का सदस्य नहीं होना चाहिए।

(एफ) उम्मीदवार को चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म के साझेदार के रूप में कार्य नहीं कर रहा होना चाहिए जो वर्तमान में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत है।

(जी) उम्मीदवार को चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म के साझेदार के रूप में कार्य नहीं कर रहा होना चाहिए जो वर्तमान में उस बैंक के सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक या समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत है जिसमें चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया गया है।

(v) कार्यकाल - एक निर्वाचित निदेशक तीन साल के लिए पद धारण करेगा और फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा: बशर्ते ऐसे किसी भी निदेशक ने छह साल से अधिक की अवधि के लिए, चाहे लगातार या अलग–अलग समयावधि में सेवा हेतु पद धारण न किया हो।

(vi) व्यावसायिक प्रतिबंध -

(ए) उम्मीदवार का संबंधित बैंक के साथ न तो कोई व्यावसायिक संबंध (कानूनी सेवाओं, सलाहकार सेवाओं आदि सहित) होना चाहिए और न ही ऐसी गतिविधियों में शामिल होना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप उस बैंक के साथ व्यावसायिक हितों का टकराव हो सकता है।

(बी) उम्मीदवार का किसी बैंक या किसी अन्य बैंक की होल्डिंग रखने वाली किसी गैर–संचालन वित्तीय होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी) के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं होना चाहिए।

बशर्ते कि किसी उम्मीदवार का चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते समय बैंक के साथ ऐसा कोई संबंध हो, यह माना जाएगा कि वह मद (बी) के तहत आवश्यकता को पूरा करता है, उम्मीदवार समिति को एक घोषणा प्रस्तुत करेगा कि बैंक के साथ ऐसे किसी संबंध को निदेशक के रूप में चुने जाने पर रोक दिया जाएगा,

(d) The candidate should not be engaging in the business of stock broking.

(e) The candidate should not be holding the position of a Member of Parliament or State Legislature or Municipal Corporation or Municipality or other local bodies (other local bodies means bodies such as Notified Area Council, City Council, Panchayat, Gram Sabha, Zila Parishad, etc).

(f) The candidate should not be acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as a Statutory Central Auditor of any nationalised bank or State Bank of India.

(g) The candidate should not be acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor of the bank in which nomination for election is filed.

(v) Tenure - An elected director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election: Provided that no such director shall hold office for a period exceeding six years, whether served continuously or intermittently.

(vi) Professional Restrictions -

(a) The candidate should neither have any business connection (including legal services, advisory services etc.) with the concerned bank nor should be engaged in activities which might result in a conflict of business interests with that bank.

(b) The candidate should not be having any professional relationship with a bank or any Non-Operative Financial Holding Company (NOFHC) holding any other bank.

Provided that a candidate having any such relationship with a bank at the time of filing nomination for election shall be deemed to be meeting the requirement under item (b), the candidate shall submit a declaration to the Committee that such relationship with the bank shall be severed if he is elected as a director, and upon being elected, severs

और चुने जाने पर, बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्ति से पहले इस तरह के संबंध को खत्म कर दिया जाएगा।

(vii) पिछला कार्य निष्पादन रिकॉर्ड और सत्यनिष्ठा - उम्मीदवार किसी भी नियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण / एजेंसी, या कानून प्रवर्तन एजेंसी के प्रतिकूल नोटिस के तहत नहीं होना चाहिए और किसी भी ऋण देने वाली संस्था का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।

बैंक निर्वाचित निदेशक से निम्न को प्राप्त करेगा:

(ए) ऐसे व्यक्ति के निदेशक का पद ग्रहण करने से पहले, निर्धारित प्रारूप में संलग्न प्रारूप में निष्पादित अनुबंध विलेख;

(बी) हर साल 31 मार्च को इस आशय की एक साधारण घोषणा कि ऐसे व्यक्ति द्वारा पहले से प्रदान की गई जानकारी में कोई बदलाव नहीं आया है।

(सी) जहां निर्वाचित निदेशक सूचित करता है कि पहले प्रदान की गई जानकारी में परिवर्तन है, बैंक ऐसे निदेशक से परिवर्तनों को शामिल करते हुए एक नया अनुबंध प्राप्त करेगा।

बैंक यह भी करेगा -

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, इसके अलावा,

(ए) निर्वाचित सीए निदेशक / उसकी फर्म के ग्राहकों के उचित प्रकटीकरण सहित सुरक्षा उपायों की एक प्रणाली स्थापित करें, और बैंक के क्रेडिट / निवेश निर्णयों में भाग न लें, जिसमें उनके / फर्म के ग्राहक शामिल हों। चुने गए सीए निदेशक को अनिवार्य रूप से पूरी प्रक्रिया से खुद को अलग कर लेना चाहिए और इस संबंध में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाहिए।

(बी) निर्वाचित निदेशक को व्यावसायिक संस्थाओं में अपने हितों और निदेशकों पद का पूर्ण और उचित प्रकटीकरण करने की आवश्यकता होगी, जिसमें निदेशक व्यक्तिगत रूप से खुद को दूर कर रहा है और बैंक के ऐसी संस्थाओं से जुड़े क्रेडिट / निवेश निर्णयों में भाग नहीं ले रहा है जिसमें वह रुचि रखता है।

(सी) ऐसे निदेशक के रूप में पद छोड़ने के बाद दो साल की अवधि के लिए उस बैंक के निर्वाचित निदेशक के रूप में चुने गए व्यक्ति को कोई भी पेशेवर काम आवंटित नहीं किया जाएगा।

जहां निर्वाचित निदेशक:

(ए) निम्न में विफल रहता है

(i) अनुबंध या घोषणा का विलेख प्रस्तुत करना; या

such relationship before appointment as a director of the bank.

(vii) Track record and integrity - The candidate should not be under adverse notice of any regulatory or supervisory authority / agency, or law enforcement agency and should not be a defaulter of any lending institution.

The banks shall obtain from the elected director:

(a) a Deed of Covenant executed in the format annexed in prescribed format, before such person assumes office of director;

(b) a simple declaration every year as on 31st March to the effect that the information already provided by such person has not undergone any change.

(c) Where the elected director informs that there is change in the information provided earlier, the bank shall obtain from such director a fresh Annexure incorporating the changes.

The banks shall also -

Ensure compliance to Section 20 of the Banking Regulation Act, 1949. In addition,

(a) Put in place a system of safeguards, including proper disclosure of the elected CA director's / his firm's clients, and not participating in bank's credit / investment decisions involving his/firm's clients. The elected CA director should be required to compulsorily dissociate himself from the entire process and sign a covenant to this effect.

(b) Require the elected director to make a full and proper disclosure of his interests and directorships in business entities, with the director personally distancing himself from and not participating in the bank's credit / investment decisions involving entities in which he is interested.

(c) Not allot any professional work to a person who was an elected director of that bank, for a period of two years after demitting office as such director.

Where the elected director:

(a) fails to

(i) submit the Deed of Covenant or declaration; or

(ii) उचित प्रकटीकरण करना; या

(iii) क्रेडिट / निवेश निर्णयों में भाग लेने से बचना, जहां वह रुचि रखता है,;
या

(बी) अपूर्ण या गलत प्रकटीकरण करता है, या

(सी) ऐसी गतिविधियों में शामिल है जो उसे ऊपर वर्णित मानदंडों के अनुसार 'फिट और उचित नहीं' ठहराता है,

ऐसे निदेशक को बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 / 1980 की धारा 9 की उप–धारा (3एए) / एसबीआई अधिनियम की धारा 19ए की उप–धारा (2) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करने वाला माना जाएगा और वह बाद के परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा।

समिति नए निदेशक (नियुक्ति / पुनर्नियुक्ति) के रूप में चुनाव के इच्छुक उम्मीदवारों के नामांकन की जांच करते समय ऊपर बताए गए संशोधित मानदंडों को अपनाएगी। हालांकि, मौजूदा निर्वाचित निदेशकों को पूर्व–संशोधित मानदंडों के अनुसार अपने मौजूदा कार्यकाल को पूरा करने की अनुमति दी जाएगी।

जी. भारत सरकार के दिशानिर्देश दिनांक 25 मार्च 2015 और दिनांक 20 जुलाई 2016

इसके अलावा, जैसा कि भारत सरकार द्वारा उनके पत्र दिनांक 3 सितंबर 2013 के माध्यम से सूचित किया गया है, बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति, गैर–सरकारी निदेशकों (एनओडी) के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों को शेयरधारक निदेशक की "उपयुक्त और उचित स्थिति" का निर्धारण करते समय भी ध्यान में रख सकती है। भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को संशोधित दिशानिर्देश दिनांक 25 मार्च 2015 को अपने पत्र दिनांक 28 अप्रैल 2015 संशोधन दिनांक 8 जुलाई 2016 के साथ पठित, के माध्यम से अग्रेषित किया है, जिसका सार निम्नानुसार है:

ए) सामान्य

1. नामांकन संबंधित अधिनियमों / नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

2. औपचारिक योग्यता और विशेषज्ञता, ट्रैक रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा आदि के संदर्भ में नामांकित व्यक्तियों की उपयुक्तता का आकलन किया जाता है। अखंडता और उपयुक्तता का आकलन करने के लिए, आपराधिक रिकॉर्ड, वित्तीय स्थिति, व्यक्तिगत ऋणों के संबंध में

(ii) make proper disclosures; or

(iii) refrain from participating in credit / investment decisions, where he is interested; or

(b) makes incomplete or incorrect disclosures, or

(c) involves in such activities that render him / her 'not fit and proper' as per the criteria mentioned above,

such director shall be deemed to be not fulfilling the requirements of sub-section (2) of section 19A of the SBI Act / sub-section (3AA) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 / 1980 and shall be liable for the consequences thereof.

The Committee shall adopt the revised criteria stated above while scrutinizing the nomination of candidates seeking election as new directors (appointment / re-appointment). However, existing elected directors may be allowed to complete their current terms as per the pre-revised criteria.

G. GOI GUIDELINES DATED 25TH MARCH 2015 & DATED 20TH JULY 2016

Further as advised by GOI, vide its letter dated 3rd September 2013 the Nomination and Remuneration Committee of the Board may keep in mind guidelines issued by GOI for Non-official Directors (NOD), while determining "Fit and Proper Status" of the Shareholder Director also. The GOI has forwarded revised guidelines dated 25th March 2015 to Public Sector Banks vide its letter dated 28th April 2015 read with amendments dated 8th July 2016, the gist of which is as under:

a) General

1. Nominations will be made keeping in view the provisions of the relevant Acts / Rules.

2. The suitability of nominees may be assessed in terms of formal qualifications and expertise, track record, integrity etc. For assessing integrity and suitability, information on criminal records, financial position, civil actions undertaken to pursue personal debts, refusal of admission to

की गई सिविल कार्रवाई, पेशेवर निकायों में प्रवेश से रोक या निष्कासन, नियामकों और इस तरह के निकायों द्वारा लागू प्रतिबंधों और पिछले संदिग्ध व्यावसायिक कार्यों आदि को ध्यान में रखा जाएगा।

बी) कार्य अनुभव

1. कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, कारोबार प्रबंधन, मानव संसाधन, वित्त, कॉर्पोरेट कानून, जोखिम प्रबंधन, उद्योग और आईटी के क्षेत्र में विशेष शैक्षणिक प्रशिक्षण या व्यावहारिक अनुभव वाले व्यक्तियों पर विचार किया जाएगा। एक वरिष्ठ पद पर उद्योग के 20 वर्षों के अनुभव, संबंधित क्षेत्रों में स्थापित विशेषज्ञता रखने वाले (एक प्रतिष्ठित संगठन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया, एक असफल संगठन में बदलाव लाया) को प्राथमिकता दी जाएगी।

2. संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर पर 20 वर्षों का कुल अनुभव और न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव रखने वाले सेवानिवृत्त वरिष्ठ सरकारी अधिकारी। सेवानिवृत्ति के एक वर्ष के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सेवानिवृत्त सीएमडी / ईडी। पूर्व सीएमडी/ ईडी को पीएसबी के बोर्ड में एनओडी के रूप में नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा, जहां से वे सेवानिवृत्त हुए हैं। पीएसबी के सेवारत सीएमडी/ ईडी को किसी अन्य पीएसबी के बोर्ड में एनओडी के रूप में चयन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

3. प्रमुख प्रबंधन बैंकिंग संस्थानों के शिक्षाविद निदेशक और 20 से अधिक वर्षों का अनुभव रखने वाले प्रोफेसर।

4. 20 साल का अनुभव रखने वाले चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (ऑडिट अनुभव को छोड़कर) को भी प्राथमिकता दी जाएगी।

5. हालांकि, असाधारण मामलों में मामले की योग्यता के आधार पर वित्त मंत्री के अनुमोदन से अनुभव मानदंडों में छूट दी जा सकती है।

6. जहां तक संभव हो महिलाओं और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्तियों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

or expulsion from professional bodies, sanctions applied by regulators and similar bodies and previous questionable business practices etc. will be relied upon.

b) Experience

1. Persons with special academic training or practical experience in the fields of agriculture, rural economy, banking, co-operation, economics, business management, human resources, finance, corporate law, risk management, industry and IT will ordinarily be considered. 20 years of industry experience at a senior position, established expertise in respective areas (successfully led a reputed organization, brought turnaround in a failing organization) would be preferred.

2. Retired senior Government officials with total experience of 20 years and minimum 10 years of experience at Joint Secretary and above level. Retired CMDs/EDs of Public Sector Banks after one year of retirement. The ex-CMDs / EDs will not be considered for appointment as NOD on the Board of the PSB from which they have retired. Serving CMDs/ EDs of PSB will not be considered as NOD on the Board of any other PSB.

3. Academicians, Directors of premier Management Banking Institutes and Professors having more than 20 years of experience.

4. Chartered Accountants with 20 years' experience (excluding audit experience) would also be preferred.

5. However, the experience criteria may be relaxed with the approval of the Finance Minister in exceptional cases based on merits of the case.

6. As far as possible, representation may also be given to women and the persons belonging to SC / ST community.

सी) शिक्षा

एक एनओडी को अधिमानतः व्यवसाय प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, वित्त, मानव संसाधन और आईटी में विशेषज्ञता के साथ कम से कम किसी स्ट्रीम में स्नातक होना चाहिए।

डी) आयु

खोज / नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा सिफारिश की तिथि को निदेशक की आयु 67 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

इ) कार्य अनुभव

पेशेवरों / शिक्षाविदों को अपने क्षेत्र विशेष में सामान्यत: 20 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए।

एफ) अपात्रता

i. किसी बैंक / वित्तीय संस्थान (एफआई) / आरबीआई / बीमा कंपनी में किसी भी श्रेणी के तहत पहले से ही निदेशक के रूप में कार्यरत व्यक्ति को किसी अन्य बैंक / एफआई / आरबीआई / बीमा कंपनी में एनओडी के रूप में नामांकन के लिए विचार नहीं किया जा सकता है।

ii. किराया खरीद, वित्तपोषण निवेश, लीजिंग और अन्य पैरा–बैंकिंग गतिविधियों से जुड़े व्यक्तियों, सांसदों, विधायकों, एमएलसी और स्टॉक ब्रोकर्स को बैंकों / एफआई / आरबीआई / बीमा कंपनियों के बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। किराया खरीद, वित्तपोषण निवेश, लीजिंग और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों में निवेशकों को एनओडी के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, यदि उनका ऐसी कंपनियों में कोई प्रबंधकीय नियंत्रण नहीं है।

iii. किसी भी व्यक्ति को बैंक / एफआई / आरबीआई / बीमा कंपनी के बोर्ड में एनओडी के रूप में दोबारा नामित नहीं किया जा सकता है, जिसमें उसने पूर्व में किसी भी श्रेणी के तहत दो कार्यकाल या छह साल, जो भी अधिक हो, के लिए निदेशक के रूप में कार्य किया है।

iv. एक चार्टर्ड एकाउंटेंट यदि उसकी फर्म वर्तमान में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत है।

c) Education

An NOD should at least be a graduate in any stream, preferably with specialization in Business Management, Risk Management, Finance, Human Resources and IT.

d) Age

The age of the Director, on the date of recommendation by Search / Nomination and Remuneration Committee should not be more than 67 years.

e) Work Experience

Professionals / academicians should ordinarily have 20 years of work experience in their particular field.

f) Disqualifications

i. A director already on a Bank / Financial Institution (FIs) / RBI / Insurance Company, under any category, may not be considered for nomination as NOD in any other Bank/ FI/RBI/Insurance Company.

ii. Persons connected with hire purchase, financing investment, leasing and other para-banking activities, MPs, MLAs, MLCs and Stock Brokers will not be appointed as non-official directors on the boards of Banks / FIs / RBI / Insurance Companies. Investors in a hire purchase, financing investment, leasing and other para banking activities would not be disqualified for appointment as NOD, if they are not having any managerial control in such companies.

iii. No person may be re- nominated as an NOD on the Board of a Bank / FI / RBI /Insurance Company on which he / she has served as Director in the past under any category for two terms or six years whichever is longer.

iv. A Chartered Accountant if his / her firm is currently engaged in any Public Sector Bank as a Statutory Central Auditor.

v. एक चार्टर्ड एकाउंटेंट यदि उसकी फर्म वर्तमान में बैंक में एक सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक या समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत है।

जी) कार्यकाल

किसी बैंक / एफआई / आरबीआई / बीमा कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामांकन के लिए एनओडी पर विचार नहीं किया जाएगा, यदि ऐसा निदेशक पहले से ही किसी अन्य बैंक / एफआई / आरबीआई / बीमा कंपनी के बोर्ड में छह साल के लिए, चाहे लगातार या अलग-अलग समयावधि में एनओडी / शेयरधारक-निदेशक रहा हो।

एच) व्यावसायिक प्रतिबंध

राष्ट्रीयकृत बैंक योजना (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 10 (डी) के तहत किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में लाभ के पद की तुलना में पेशेवर प्रतिबंध के मुद्दे की अलग से जांच की जा सकती है।

आई) क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड में देश के सभी छह क्षेत्रों - उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य और उत्तर-पूर्व का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

एच. शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण

शेयरधारकों का रजिस्टर बैंक के प्रधान कार्यालय में सभी कार्य दिवसों (रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार और बैंक छुट्टियों के अलावा) में दोपहर 3.00 बजे से शाम 5.00 बजे के बीच निरीक्षण के लिए खुला रहेगा। यदि किसी शेयरधारक को रजिस्टर या उसके किसी भाग की प्रति या कंप्यूटर प्रिंट आउट की आवश्यकता होती है, तो उसे प्रति 1000 शब्दों या उसके बाद प्रतिलिपि / मुद्रित करने के लिए आवश्यक भिन्नात्मक भाग के लिए के लिए ₹5/- की दर से पूर्व भुगतान करने पर आपूर्ति की जाएगी।

आई. शेयरधारकों की सूची

शेयरधारकों को चुनाव लड़ने में सक्षम बनाने के लिए, केनरा बैंक (शेयर और बैठक) विनियम 2000 के विनियम 64 में उल्लिखित शेयरधारकों की सूची की प्रति शेयरधारकों द्वारा खरीद के लिए **शुक्रवार, 3 जून 2022** से केनरा बैंक के पक्ष में बेंगलूरु में देय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा ₹50,000/- [रुपये पचास हजार मात्र जीएसटी के साथ] के भुगतान पर बैंक के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध कराई जाएगी।

v. A Chartered Accountant if his / her firm is currently engaged in the Bank as a Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor.

g) Tenure

An NOD would not be considered for nomination as a Director on the Board of a Bank / FI / RBI / Insurance Company if such Director has already been a NOD / Shareholder-Director on the board of any other Bank / FI / RBI / Insurance Company for six years, whether continuously or intermittently.

h) Professional Restriction

The issue of professional restriction vis-à-vis office of profit in any Public Sector Bank under clause 10(d) of the Nationalized Banks Scheme (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 may be separately examined.

i) Regional Representation

Efforts should be made to ensure representation of all the six zones of the country - North, South, East, West, Central and North-East on the boards of Public Sector Banks taken together.

H. INSPECTION OF THE REGISTER OF SHAREHOLDERS

The Register of Shareholders will be open for inspection at the Head Office of the Bank on all working days (other than Sundays, 2nd & 4th Saturday and Bank holidays) between 3.00 p.m. to 5.00 p.m. If any shareholder requires a copy or computer printouts of the register or of any part thereof, the same shall be supplied to him / her on pre-payment at the rate of ₹5/- for every 1000 words or fractional part thereof required to be copied / printed.

I. LIST OF SHAREHOLDERS

To enable the Shareholders to contest the election, a copy of the list of Shareholders as mentioned in Regulation 64 of Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations 2000 will be made available at the Head Office of the Bank, from **Friday, the 3rd June, 2022** onwards for purchase by Shareholders on payment of ₹50,000/- [Rupees Fifty Thousand Only plus GST] by Demand Draft in favour of Canara Bank payable at Bengaluru.

जे. चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन

निदेशक के रूप में चुनाव के लिए उम्मीदवार का नामांकन निम्न के अधीन स्वीकार किया जाएगा:

ए) विनियमों के विनियम 65 के अनुसार, वह शुक्रवार, 20 मई 2022 जो चुनाव में भागीदारी के लिए गणना की निर्दिष्ट / कट-ऑफ तिथि है, को बैंक के कम से कम 100 (एक सौ) शेयर धारण करने वाला एक शेयरधारक हो और बैठक की तारीख तक और उसके बाद यदि वह निर्वाचित होता है तो अपने कार्यकाल के अंत तक न्यूनतम 100 शेयरों को धारण करना जारी रखेगा।

बी) अधिनियम के तहत निदेशकों का चुनाव करने के हकदार कम से कम एक सौ शेयरधारकों द्वारा या उनके विधिवत गठित अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रूप में वैध नामांकन, बशर्ते कि शेयरधारक द्वारा नामांकन जो एक कंपनी है, उक्त कंपनी के निदेशकों के एक संकल्प द्वारा किया जा सकता है और जहां ऐसा किया जाता है, उस बैठक, जहां इसे पास किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित मूल प्रति की एक प्रति कंपनी सचिव, सचिवीय विभाग केनरा बैंक प्रधान कार्यालय बेंगलूरु को संबोधित करते हुए बैंक के प्रधान कार्यालय को भेजी जाएगी और ऐसी प्रति को ऐसी कंपनी की ओर से नामांकन माना जाएगा।

सी) शेयरधारकों द्वारा वैध नामांकनों (न्यूनतम 100) के साथ उम्मीदवार द्वारा इस नोटिस में प्रस्तुत नामांकन और घोषणा के नमूने के अनुसार उम्मीदवार द्वारा एक घोषणा पत्र संलग्न किया जाना है जिसे उम्मीदवार द्वारा एक न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप–रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के एक अधिकारी के समक्ष विधिवत हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए इस आशय से कि वह नामांकन स्वीकार करते हैं और चुनाव के लिए प्रतिभागिता के इच्छुक हैं और वह अधिनियम या विनियम अधिनियम या योजना या विनियम या भारत सरकार के लागू दिशा–निर्देशों के तहत निदेशक के रूप में प्रतिभागिता के लिए अयोग्य नहीं हैं और साथ ही विधिवत हस्ताक्षरित अपना व्यक्तिगत विवरण (बायो डेटा) इस बात की पुष्टि करते हुए प्रस्तुत किया जाना है कि प्रदान किये गए विवरण उनके ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं और साथ ही घोषणा के बाद बैंक को ऐसी घटनाओं के संबंध में जो सूचना के लिए प्रासंगिक हैं, के बारे में जल्द से जल्द पूरी तरह से सूचित करते रहने का वचनपत्र देंगे।

J. NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION

The nomination of a candidate for election as a Director shall be accepted provided:

a) In terms of Regulation 65 of the Regulations, he / she is a Shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares of the Bank as on Friday, 20th May 2022 being the Specified / Cut-Off Date of reckoning for participation in the election and continues to hold a minimum of 100 shares till the date of the meeting and thereafter till the end of his / her tenure, if he / she is elected.

b) The valid nomination in writing signed by at least One Hundred Shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by Shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall be dispatched to the Head Office of the Bank addressed to the Company Secretary, Secretarial Department, Canara Bank, Head Office, Bengaluru and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.

c) The valid nominations by the Shareholders (Minimum 100) are to be accompanied by a declaration by the candidate as per the specimen form of nomination and declaration furnished in this notice duly signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank, that he / she accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he / she is not disqualified either under the Act or Regulation Act or the Scheme or the Regulations or applicable GOI guidelines from being a Director along with his / her personal details (bio-data) duly signed and affirming that such details are true to the best of his / her knowledge and belief and also his / her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.

डी) नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 8 जून, 2022 को, वह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 या बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 या राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 या केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000 (बाद में "विनियम" के रूप में संदर्भित) के तहत अयोग्य नहीं पाया जाता है और उसके बाद बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर सरकारी निदेशकों के लिए सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश दिनांक 25 मार्च 2015 और 20 जुलाई 2016 के साथ पठित भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना संख्या डीबीआर.एपीपीटी.सं:9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02.08.2019 या निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए समय-समय पर जारी किये जाने वाले ऐसे अन्य निर्देशों के संदर्भ में "उपयुक्त और उचित" पाया जाता है।

ई) विनियमन द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार नामांकन फॉर्म और घोषणा पत्र इस नोटिस के साथ संलग्न हैं (प्रोफॉर्मा बैंक की वेबसाइट: www.canarabank.com पर भी उपलब्ध है)

के. नामांकन फार्म जमा करना

केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से बैंक के निदेशक का चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारकों को इस नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप में निम्नलिखित दस्तावेजों को एक सीलबंद लिफाफे में जिस पर "केनरा बैंक – निदेशकों का चुनाव - जून 2022" लिखा हुआ होना चाहिए, "व्यक्तिगत रूप से या रजिस्टर्ड डाक / कोरियर के माध्यम से कंपनी सचिव, सचिवीय विभाग, केनरा बैंक प्रधान कार्यालय 112, जेसी रोड बेंगलूरु-560 002 को इस प्रकार प्रस्तुत किए जाने है ताकि एजीएम के लिए निर्धारित तिथि यानी 8 जून, 2022 से कम से कम चौदह दिन पहले किसी भी कार्य दिवस को शाम 5.00 बजे या उससे पहले पहुंच सकें:

ए) विधिवत भरा हुआ घोषणा पत्र;

बी) चुनाव में भाग लेने के हकदार कम से कम सौ शेयरधारकों के वैध नामांकन फॉर्म;

सी) व्यक्तिगत जानकारी, संबंधित दस्तावेजों के साथ नोटिस के साथ संलग्न प्रारूपों में घोषणा और वचनपत्र, प्रशंसापत्र

d) As on 8th June, 2022, being the last date for receipt of nominations, he / she is not disqualified under the Banking Regulation Act, 1949 or the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 or the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 or the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 (hereinafter referred to as "the Regulations") and thereafter has been found "Fit and Proper" by the Nomination and Remuneration Committee of the Board in terms of the Notification No. DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019 of Reserve Bank of India read with Guidelines dated 25th March 2015 and 20th July 2016 issued by the Government for Non-Official Directors of the Public Sector Banks or such other directives as may be issued from time to time for being elected as a Director.

e) The nomination forms and declaration form are as prescribed by the Regulation as per the proforma annexed to this notice (The proforma is also available on the Bank's website: www.canarabank.com)

K. SUBMISSION OF NOMINATION FORMS

Shareholders desirous of contesting the election of the Director of the Bank from amongst the Shareholders, other than the Central Government, should submit following documents in formats annexed to this notice, in a sealed envelope superscribing thereon "Canara Bank - Election of Directors - June 2022" in person or through Regd. Post / Courier addressed to the Company Secretary, Secretarial Department, Canara Bank, 112 Head Office, 112, J C Road Bengaluru-560 002 so as to reach on any working day not less than fourteen days before the date fixed for the AGM, i.e., on or before 5.00 P.M. on 8th June, 2022:

a) Duly filled in Declaration Form;

b) Valid Nomination Forms minimum of hundred Shareholders entitled to participate in the election;

c) Personal Information, Declaration and Undertaking in the formats annexed to the Notice together with the connected documents, testimonials, viz. self-attested copies of

अर्थात बायोडाटा, शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र, बैंक से संबंधित अनुभव आदि की स्व-प्रमाणित प्रतियां।

डी) उक्त नामांकन प्रपत्र और अन्य दस्तावेज सभी प्रकार से पूर्ण होने चाहिए, ऐसा न होने पर नामांकन रद्द किया जा सकता है।

एल. निदेशकों के नामांकन और चुनाव की संवीक्षा

ए) नामांकनों की जांच **गुरुवार, 9 जून, 2022** को यानी नामांकन प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के बाद पहले कार्य दिवस को शुरू होगी, और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता है, तो उसे कारण दर्ज करने के बाद खारिज कर दिया जाएगा।

बी) वैध नामांकनों की जांच बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) द्वारा आरबीआई के दिशा-निर्देशों और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार या योजना के खंड 14ए के अनुसार बोर्ड द्वारा भी की जाएगी। चूंकि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश / अधिसूचना और भारत सरकार के दिशा-निर्देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध समान प्रकृति के हैं, बैंक उम्मीदवार (उम्मीदवारों) की "उपयुक्त (फिट) और उचित" स्थिति का निर्धारण करते समय दोनों में से सख्ती से विचार कर सकता है।

सी) बैंक नामांकन की जांच के समय या एनआरसी / बोर्ड द्वारा सलाह के अनुसार उम्मीदवार से उसकी उम्मीदवारी के समर्थन में अधिक जानकारी, दस्तावेज मांग सकता है।

डी) यदि चुनाव द्वारा भरी जाने वाली दो रिक्तियों के लिए केवल दो वैध नामांकन प्राप्त होते हैं, तो इस प्रकार नामांकित उम्मीदवारों के उपयुक्त (फिट) और उचित पाए जाने पर तुरंत निर्वाचित माना जाएगा और उनका नाम और पता चयन के संबंध में प्रकाशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में, कोई चुनाव / मतदान नहीं होगा। नवनिर्वाचित निदेशक 27 जुलाई 2022 को पदभार ग्रहण करेंगे।

ई) यदि दो से अधिक वैध नामांकन प्राप्त होते हैं, तो उम्मीदवारों के नाम समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे और चुनाव कराया जाएगा और उम्मीदवार को अपने पक्ष में बहुमत प्राप्त होने पर यानी बैठक में रिमोट ई-मतदान और मतदान के आधार पर उन्हें निर्वाचित माना जाएगा और उनके नाम की घोषणा की जाएगी और समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जाएगा।

Bio-data, Certificate of Educational Qualifications, Experience relevant to the Bank, etc.

d) The said nomination forms and other documents should be complete in all respects, failing which, the nominations are liable to be rejected.

L. SCRUTINY OF NOMINATIONS AND ELECTION OF DIRECTORS

a) The scrutiny of Nominations shall commence on **Thursday, the 9th June, 2022,** i.e., the first working day following the last date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons there for.

b) Valid Nominations shall also be subjected to scrutiny by the Nomination & Remuneration Committee (NRC) of the Board in terms of the RBI Directions and GOI Guidelines or by Board in terms of Clause 14A of the Scheme. As the restrictions imposed by RBI Direction / Notification and GOI Guidelines are similar in nature, the Bank may consider the stricter of the two while determining the Fit & Proper status of the Candidate(s).

c) The Bank may at the time of scrutiny of Nominations or as advised by the NRC / Board seek further information, documents from the candidate(s) in support of his / her candidature.

d) If there are only two valid nominations for the two vacancies to be filled by the election, the candidates so nominated and found Fit & Proper, shall be deemed to be elected forthwith and their names and addresses shall be published as so elected. In such an event, there shall not be any election / voting. The newly elected directors will assume office on July 27, 2022.

e) If there are more than two valid nominations, the names of the candidates shall be published in the newspapers and Election will be held and the candidates in receipt of the majority of the votes in their favour i.e., aggregate of remote e-voting and voting at the meeting will be deemed to have been elected and their names will be announced and also published in newspapers.

एम. उम्मीदवारी की नामवापसी

यदि कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहता है, तो वह बैंक के कार्यसमय के बंद होने से पहले यानी शाम 5.00 बजे से पहले किसी भी समय 17 जून 2022 को या उससे पहले कंपनी सचिव, सचिवीय विभाग, केनरा बैंक, प्रधान कार्यालय, 112 जेसी रोड, बेंगलुरु - 560 002 को संबोधित एक हस्ताक्षरित पत्र भेजकर या ई–मेल पर hosecretarial@canarabank.com पर स्कैन और हस्ताक्षरित पत्र भेजकर ऐसा कर सकता है।

एन. विवाद

यदि कोई विवाद है, तो उसे केनरा बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 2000 के विनियम 67 के अनुसार संशोधित किया जाएगा।

हो. निदेशकों का हित

बैंक के निदेशकों को उनकी शेयरधारिता की सीमा तक और ऐसे निदेशक, जो अपना नामांकन दाखिल करते हैं, उन्हें व्यवसाय की उक्त मदों में संबंधित या हित रखने वाला माना जा सकता है।

पी. निदेशकों का चुनाव - प्रासंगिक अधिनियमों, योजनाओं और विनियमों, आदि के सारांश।

शेयरधारक निदेशकों के चुनाव और केंद्र सरकार के इतर अन्य शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले ऐसे निदेशकों की संख्या का प्रावधान बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) में निहित हैं।

बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की प्रासंगिक धाराएं, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 और भारतीय की जगह केनरा बैंक विनियम, 2000 के प्रासंगिक विनियम (शेयर और बैठक), जैसा कि संशोधित किया गया है, शेयरधारकों की जानकारी के लिए नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है।

बैंकिंग कंपनी विनियम अधिनियम, 1949

पर्याप्तता हित - धारा 5 (एनई):

(i) कंपनी के संबंध में अर्थ है कि व्यक्ति या उसके जीवनसाथी या नाबालिग बच्चे द्वारा शेयर में लाभार्थी हित का धारण, चाहे वह अकेले लिया गया हो या संयुक्त रूप से, प्रदत्त राशि जो पाँच लाख रुपये से अधिक हो या कंपनी के प्रदत्त पूंजी के 10% से अधिक हो, इनमें से जो भी कम हो;

M. WITHDRAWAL OF CANDIDATURE

If any candidate desires to withdraw his nomination, he would be entitled to do so at any time prior to closing hours of the Bank i.e., on or before 5.00 P.M. on June 17, 2022 by sending a signed letter addressed to Company Secretary, Secretarial Department, Canara Bank, Head Office, 112 J C Road, Bengaluru - 560 002 or sending scanned and signed letter over e-mail at hosecretarial@canarabank.com.

N. DISPUTES

If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 as amended.

O. INTEREST OF DIRECTORS

Directors of the Bank to the extent of their shareholding and such Directors who file their nominations may be deemed to be concerned or interested in the aforesaid items of business.

P. ELECTION OF DIRECTORS - EXTRACTS OF RELEVANT ACTS, SCHEME AND REGULATIONS, ETC.

The provisions regarding Election of Shareholder Directors and number of such Directors to be elected by the Shareholders other than the Central Government are contained in Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

The relevant Sections of the Banking Regulations Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and the relevant regulations of Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, as amended, are reproduced below for the information of the Shareholders.

THE BANKING REGULATION ACT, 1949

Substantial Interest - Section 5(ne):

(i) in relation to a company, means the holding of a beneficial interest by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together in the shares thereof, the amount paid-up on which exceeds five lakh of rupees or ten per cent of the paid- up capital of the company, whichever is less;

(ii) फर्म के संबंध में अर्थ है कि व्यक्ति या उसके जीवनसाथी या नाबालिग बच्चे द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी हित का धारण, चाहे वह अकेले लिया गया हो या संयुक्त रूप से, जो कि कथित फर्म के सभी सहभागियों द्वारा लिये गये कुल पूंजी के 10% से अधिक है;

सामान्य निदेशकों पर प्रतिषेध: धारा 16(1):

भारत में निगमित कोई बैंकिंग कंपनी अपने निदेशक मंडल में किसी अन्य बैंकिंग कंपनी के निदेशक को अपने निदेशक के रूप में नहीं लेगी।

ऋणों और अग्रिमों पर प्रतिबंध - धारा 20:

1) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 77 में निहित किसी बात के होते हुए कोई भी बैंकिंग कंपनी -
   a) अपने खुद के शेयरों की प्रतिभूति पर कोई ऋण या अग्रिम मंजूर नहीं करेगी।
   b) निम्नलिखितों को या उनके पक्ष में ऋण या अग्रिम मंजूर करने के लिए किसी प्रकार की प्रतिबद्धता में प्रविष्ट नहीं होगी -
      (i) उनके किसी निदेशक
      (ii) कोई फर्म जिसमें साझेदार, प्रबंधक, कर्मचारी या गांरटर के रूप में उसका कोई निदेशक हितधारक हो, या
      (iii) बैंकिंग कंपनी की अनुषंगी नहीं होने वाली कोई कंपनी या कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के तहत पंजीकृत कंपनी, या किसी सरकारी कंपनी जिसकी अनुषंगी या धारक कंपनी जिसका बैंकिंग कंपनी का कोई निदेशक, प्रबंधन एजेंट, प्रबंधक, कर्मचारी या गांरटर हो या जिसमें पर्याप्त हित रखता हो या
      (iv) कोई व्यक्ति जिसके संबंध में निदेशक, साझेदार या गारंटर हो।
2) जहाँ बैंकिंग कंपनी द्वारा मंजूर किया गया ऋण या अग्रिम इस प्रकार का हो कि जिस तारीख को ऋण या अग्रिम दिया गया है, उस तारीख को यदि उपधारा (1) का खंड (ख) प्रवर्तन में हो तो उसके मंजूर किए जाने के लिए कोई वादा नहीं किया हुआ होगा या बैंकिंग विधि (आशोधन) अधिनियम 1968 (1968 का 58) की धारा 5 के आरंभ होने के बाद किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा मंजूर किया गया हो, लेकिन ऐसे आरंभ किये जाने के पहले किये गये वादा के परिणामस्वरूप ऋण या अग्रिम के कारण बैंकिंग कंपनी को देय राशियाँ ब्याज के साथ ऋण या अग्रिम के मंजूर किये जाने के समय निर्धारित

(ii) in relation to a firm, means the beneficial interest held therein by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together which represents more than ten per cent of the total capital subscribed by all the partners of the said firm.

Prohibition of Common Directors - Section 16(1):

No Banking Company incorporated in India shall have as a Director on its Board of Directors, any person who is a Director of any other Banking Company.

Restrictions on Loans and Advances - Section 20:

1) Notwithstanding anything to the contrary contained in Section 77 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), no Banking Company shall -
   a) grant any loans or advances on the security of its own shares, or
   b) enter into any commitment for granting any loan or advance to or on behalf

      of -
      (i) any of its Directors
      (ii) any firm in which any of its Directors is interested as partner, manager, employee or guarantor, or
      (iii) any company not being a subsidiary of the Banking Company or a Company registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or a Government Company of which or the subsidiary or the holding company of which any of the Directors of the Banking Company is a Director, Managing Agent, Manager, Employee or guarantor or in which he holds substantial interest, or
      (iv) any individual in respect of whom any of its Directors is a partner or guarantor.
2) Where any loan or advance granted by a Banking Company is such that a commitment for granting it could not have been made if Clause (b) of sub-section (1) had been in force on the date on which the loan or advance was made or is granted by a Banking Company after the commencement of Section 5 of the Banking Laws (Amendment) Act, 1968 (58 of 1968), but in pursuance of a commitment entered into before such commencement, steps shall be taken to recover the amounts due to the Banking

अवधि के अंदर या ऐसी अवधि निर्धारित नहीं की गई है तो कथित धारा 5 के आरंभ होने से एक वर्ष के समाप्त होने के पहले वसूल करने के कदम उठाये जाएंगे। बशर्ते कि किसी संदर्भ में इस मामले में बैंकिंग कंपनी द्वारा लिखित रूप से आवेदन दिये जाने पर ऋण या अग्रिम की वसूली की अवधि को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उचित समझी जाने वाली शर्तों के अधीन ऐसी तारीख तक बढ़ायेगा जो कथित धारा 5 के आरंभ होने से 3 वर्षों की अवधि के परे न हो।

बशर्ते कि यह उप-धारा तब लागू नहीं होगी जब संबंधित निदेशक मृत्यु, सेवानिवृत्ति, इस्तीफे या अन्य किसी कारण से बैंकिंग कंपनी के निदेशक कार्यालय को रिक्त कर दे।

3) उपधारा (2) में संदर्भित कोई ऋण या अग्रिम या उसका कोई भाग भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रेषित नहीं किया जाएगा और ऐसे अनुमोदन के बिना किया गया कोई भी प्रेषित शून्य और निष्प्रभावी होगा।

4) किसी व्यक्ति द्वारा देय उपधारा (2) में संदर्भित कोई ऋण या अग्रिम उस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर बैंकिंग कंपनी को पुनः भुगतान नहीं किया हो तब ऐसा व्यक्ति कथित अवधि के समाप्त होने की तारीख को ऐसी बैंकिंग कंपनी का निदेशक हो तो समझा जायेगा कि उसने उक्त तारीख को अपने पद/कार्यालय को रिक्त कर दिया है।

इस धारा में स्पष्टीकरण:

➢ "ऋण या अग्रिम" में ऐसा कोई संव्यवहार शामिल नहीं होगा जिसे संव्यवहार के स्वभाव, जिस अवधि के अंदर और ऐसी परिस्थितियों जहाँ संव्यवहार के कारण देय राशि के वसूल किये जाने की संभावना है, जमाकर्ताओं के हित और अन्य संबंद्ध पहलुओं के मद्देनजर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस धारा के लिए ऋण या अग्रिम के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं करेगा।

➢ "निदेशक" में बैंकिंग कंपनी द्वारा भारत में गठित किसी बोर्ड या समिति का सदस्य शामिल होगा, जिसका गठन उसके प्रबंधन, या उसके प्रबंधन तंत्र को इस दिशा में परामर्श देने के लिए किया गया हो।

Company on account of the loan or advance together with interest, if any, due thereon within the period stipulated at the time of the grant of loan or advance or where no such period has been stipulated, before the expiry of one year from the commencement of the said Section 5; Provided that the Reserve Bank may, in any case on application in writing made to it by the Banking Company in this behalf, extend the period for the recovery of the loan or advance until such date, not being a date beyond the period of three years from the commencement of the said Section 5 and subject to such terms and conditions, as the Reserve Bank may deem fit :

Provided further that this sub-section shall not apply if and when the Director concerned vacates the office of the Director of the Banking Company, whether by death, retirement, resignation or otherwise.

3) No loan or advance, referred to in sub-section (2), or any part thereof shall be remitted without the previous approval of the Reserve Bank, and any remission without such approval shall be void and of no effect.

4) Where any loan or advance referred to in sub-section (2), payable by any person, has not been repaid to the Banking Company within the period specified in that sub-section, then, such period shall, if he is a Director of such Banking Company on the date of the expiry of the said period, be deemed to have vacated his office as such on the said date.

Explanation in this Section:

➢ "Loan or advance" shall not include any transaction which the Reserve Bank of India may, having regard to the nature of the transaction, the period within which, and the manner and circumstances in which, any amount due on account of the transaction is likely to be realized, the interest of the depositors and other relevant considerations, specify by general or special order as not being a loan or advance for the purpose of this Section.

➢ "Directors" includes a member of any Board or Committee in India constituted by Banking Company for the purpose of managing or for the purpose of advising it in regard to the management of all or any of its affairs.

5) यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या इस धारा के लिए कोई संव्यवहार ऋण या अग्रिम है उसे भारतीय रिज़र्व बैंक को अग्रेषित किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 1956 से संबंधित पूर्वोक्त प्रावधानों के तहत किए गए किसी भी संदर्भ को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत प्रासंगिक प्रावधानों के अधीन किए गए संदर्भ के रूप में उपयुक्त माना जाएगा।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970

मतदान अधिकारों पर प्रतिबंध:

धारा 3(2ई): केंद्र सरकार के शेयरधारक को छोड़कर नये बैंक का कोई भी शेयरधारक नये बैंक के सारे शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के दस प्रतिशत के परे उसके द्वारा धरे गये शेयरों के मामले में मतदान अधिकारों का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा।

निदेशक मंडल का गठन:

धारा 9(3) (i): जहां धारा 3 की उप-धारा (2बी) के खंड (सी) के तहत पूँजी जारी की गई है:

ए) कुल प्रदत्त पूँजी का 16% से अधिक न हो तो, एक निदेशक।

बी) कुल प्रदत्त पूँजी का 16% से अधिक और 32% तक, दो निदेशक।

सी) कुल प्रदत्त पूँजी का 32% से अधिक हो तो, तीन निदेशकों को केंद्र सरकार के इतर अन्य शेयरधारकों के बीच से चुना जाएगा।

बशर्ते है कि इस खंड के तहत ऐसे किसी निदेशक के चुनाव के बाद कार्यभार ग्रहण किये जाने पर खंड (एच) के तहत नामित निदेशक योजना में विनिर्दिष्ट तरीके के समान संख्या में सेवानिवृत्त होंगे।

बशर्ते कि यदि संबंधित नए बैंक में बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रारंभ होने पर या उससे पहले चुने गए निदेशकों की संख्या उप-खंड (i) या उप-खंड (ii) या उप-खंड (iii) में निर्दिष्ट निदेशकों की संख्या से अधिक हो, जैसा भी मामला हो, ऐसे प्रारंभ से पहले निर्वाचित निदेशक, जो अधिक संख्या में हो, इस तरह से सेवानिवृत्त हो जाएंगे जैसा कि योजना में निर्दिष्ट किया हो और ऐसे निदेशक अपने कार्यकाल की समयपूर्व सेवानिवृत्ति के लिए किसी मुआवजे का दावा करने के हकदार नहीं होंगे।

5) If any question arises whether any transaction is a loan or advance for the purpose of this Section, it shall be referred to the Reserve Bank, whose decision thereon shall be final.

Further, any reference made under aforesaid provisions pertaining to the Companies Act, 1956 shall be suitably construed as references made under relevant provisions under the Companies Act, 2013.

THE BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ACT, 1970

Restrictions on Voting Rights:

Section 3(2E): No shareholder of the corresponding new Bank other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of ten per cent of the total voting rights of all the Shareholders of the corresponding new Bank.

Composition of the Board of Directors:

Section 9(3) (i): Where the capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 is:

a) not more than sixteen percent of the total paid-up capital, one Director.

b) more than sixteen percent, but not more than thirty-two per cent of the total paid up capital, two Directors.

c) more than thirty-two percent of the total paid-up capital, three Directors to be elected by the Shareholders other than the Central Government from amongst themselves.

Provided that on the assumption of charge after election of any such director under this clause, equal number of directors nominated under clause (h) shall retire in such manner as may be specified in the Scheme.

Provided further that in case the number of directors elected, on or before the commencement of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, in a corresponding new Bank exceed the number of directors specified in sub-clause (i) or sub-clause (ii) or sub-clause (iii), as the case may be, such excess number of directors elected before such commencement shall retire in such manner as may be specified in the scheme and such directors shall not be entitled to claim any compensation for the premature retirement of their term of office.

धारा 9(3ए): उक्त खंड (i) के तहत चुने जाने वाले निदेशकों का-

(ए) निम्नलिखित में से एक या अधिक मामलों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए, अर्थात्:

i. कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था

ii. बैंकिंग

iii. सहकारिता

iv. अर्थशास्त्र

v. वित्त

vi. विधि

vii. लघु उद्योग

viii. किसी अन्य विषय का विशेष ज्ञान एवं व्यावहारिक अनुभव, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के विचार से बैंक के लिए उपयोगी होगा।

(भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र सं.डीबीआर.एपीपीटी.बीसी. सं.39/29.39.001/2016–17 दिनांक 24 नवंबर 2016 द्वारा (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii) भुगतान और निपटान प्रणाली (iii) मानव संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन और (v) व्यवसाय प्रबंधन, उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें बैंकों में निदेशक की नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है, को शामिल करने के लिए विशेषज्ञता के क्षेत्रों का विस्तार किया है)

(बी) जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो; या

(सी) किसानों, श्रमिकों व कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो

धारा 9(3एए): उप-धारा 3 (ए) के प्रावधान की पूर्वधारणा के बिना और अधिनियम या अन्य कानून में निहित कुछ भी विपरीत होने के बावजूद, कोई भी व्यक्ति उप-धारा (3) के खंड (i) के तहत निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह ट्रैक रिकॉर्ड, अखंडता और ऐसे अन्य मानदंडों के आधार पर 'उपयुक्त और उचित स्थिति' रखने वाला व्यक्ति न हो, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक इस संबंध में समय-समय पर अधिसूचित कर सकता है।

धारा 9(3एबी): भारतीय रिज़र्व बैंक उप-धारा 3 (एए) के तहत जारी अधिसूचना में, 'उपयुक्त और उचित' स्थिति निर्धारित करने के लिए प्राधिकरण, इस तरह के निर्धारण के तरीके, इस तरह के निर्धारण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और इस तरह के अन्य मामलों के रूप में आवश्यक या आकस्मिक समझे जा सकते हैं।

धारा 9(3बी): जहां रिज़र्व बैंक की राय है कि उप-धारा (3) के खंड (i) के तहत चुने गए संबंधित नए बैंक का कोई भी निदेशक,

Section 9(3A): The Directors to be elected under the said clause (i) shall -

(A) have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters, namely:

i. Agricultural and rural economy

ii. Banking

iii. Co-operation

iv. Economics

v. Finance

vi. Law

vii. Small scale industry

viii. any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank.

(RBI vide its circular no.DBR.Appt.BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 has extended the fields of specialization to include (i) Information Technology (ii) Payment & Settlement Systems (iii) Human Resources (iv) Risk Management and (v) Business Management, for persons who could be considered for appointment of director in the banks)

(B) Represent the interests of depositors; or

(C) Represent the interest of farmers, workers and artisans

Section 9(3AA): Without prejudice to the provision of sub-section 3(A) and notwithstanding anything to the contrary contained in the Act or in other law for the time being in force, no person shall be eligible to be elected as a Director under Clause (i) of Sub-Section (3) unless he is a person having 'fit and proper status' based upon the track record, integrity and such other criteria as the Reserve Bank of India may notify from time to time in this regard.

Section 9(3AB): The Reserve Bank of India may also specify in the notification issued under sub-section 3(AA), the Authority to determine the 'Fit and Proper' status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

Section 9(3B): Where the Reserve Bank is of the opinion that any Director of a corresponding new Bank elected

उप-धारा (3ए) और (3एए) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, तो वह ऐसे निदेशक और बैंक को सुनवाई का एक उचित अवसर दे सकता है, और ऐसे निदेशक को आदेश द्वारा हटा दें और इस तरह के निष्कासन पर, निदेशक मंडल इस प्रकार हटाए गए व्यक्ति के स्थान पर उप-धारा (3ए) और (3एए) की आवश्यकता को पूरा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को निदेशक के रूप में तब तक सहयोजित करेगा जब तक कि संबंधित नए बैंक के शेयरधारकों द्वारा अगली वार्षिक सामान्य बैठक में विधिवत रूप से निदेशक निर्वाचित नहीं किया जाता है और इस प्रकार सहयोजित व्यक्ति को संबंधित नए बैंक के शेयरधारकों द्वारा निदेशक के रूप में विधिवत चुना गया माना जाएगा।

निष्ठा और गोपनीयता के रूप में दायित्व:

धारा 13(2): नये बैंक का प्रत्येक निदेशक, स्थानीय बोर्ड या समिति का सदस्य या लेखा परीक्षक, सलाहकार, अधिकारी या अन्य कर्मचारी अपने कर्तव्यों में प्रविष्ट होने के पहले तीसरी अनुसूची में निर्धारित प्रपत्र में निष्ठा और गोपनीयता की घोषणा करेंगे।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970

निर्वाचित निदेशक के पद की अवधि: खंड 9(4) :

एक निर्वाचित निदेशक तीन साल के लिए पद धारण करेगा और फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा। बशर्ते कि ऐसा कोई भी निदेशक छह साल से अधिक की अवधि के लिए लगातार पद पर नहीं रहेगा।

निदेशकों के पदों की रिक्ति:

खंड 11:

1. कोई निदेशक खंड 10 में विनिर्दिष्ट अनुसार अयोग्य घोषित होता है या बोर्ड की अनुमति के बिना लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित होता हो तो समझा जाएगा कि उसने अपने पद को रिक्त कर दिया है और उसका कार्यालय रिक्त हो जायेगा।
2. अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (बी) या खंड (सी) या खंड (डी) में संदर्भित प्रबंध निदेशक को शामिल करके अध्यक्ष या पूर्णकालिक निदेशक केंद्र सरकार को लिखित रूप में सूचित करके अपने पद से त्यागपत्र देता हो और उस सरकार द्वारा ऐसे त्यागपत्र के स्वीकारे जाने पर समझा जाता है कि उसने अपने पद को रिक्त कर दिया है; और केन्द्र सरकार को लिखित रूप में सूचित करके अपने पद

under clause (i) of sub-section (3) does not fulfill the requirements of sub-section (3A) and (3AA), it may after giving to such Director and the Bank a reasonable opportunity of being heard, by order, remove such Director and on such removal, the Board of Directors shall co-opt any other person fulfilling the requirement of sub-section (3A) and (3AA) as a Director in place of the person so removed till a Director is duly elected by the Shareholders of the corresponding new Bank in the next Annual General Meeting and the person so co-opted shall be deemed to have been duly elected by the Shareholders of the corresponding new Bank as a Director.

Obligation as to Fidelity and Secrecy:

Section 13(2): Every Director, member of a local Board or a Committee, or Auditor, Advisor, Officer or other employee of a corresponding new Bank shall before entering upon his duties, make a declaration of fidelity and secrecy in the form set out in the Third Schedule.

THE NATIONALISED BANKS (MANAGEMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) SCHEME, 1970

Term of office of elected Director: Clause 9(4) :

An elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election. Provided that no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

Vacation of office of Directors:

Clause 11:

1. If a Director becomes subject to any of the disqualifications specified in clause 10 or is absent without leave of the board for more than three consecutive meetings thereof, he shall be deemed to have vacated his office as such and thereupon his office shall become vacant.
2. The Chairman or a whole-time Director including the Managing Director or a Director referred to in clause (b) or clause (c) or clause (d) of sub section 3 of Section 9 of the Act may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and on such resignation being accepted by that Government shall be deemed to have vacated his office; and any other Director may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and such resignation shall take effect on the receipt

से कोई अन्य निदेशक त्यागपत्र देता हो तो ऐसा त्यागपत्र केंद्र सरकार को प्राप्त होने पर प्रभावी होगा।

3. उपर्युक्त उपखंडों के प्रावधान की पूर्वधारणा के बिना अधिनियम 9 की उपधारा 3 के खंड (ई) या खंड (एफ) में संदर्भित निदेशक का पद जिसका वह निदेशक है, उस राष्ट्रीयकृत बैंक के कामगार से अन्य को छोडकर कामगार या कर्मचारी नहीं रह जाता हो तो संदर्भित निदेशक का पद रिक्त हो जाता है।

4. निर्वाचित निदेशक को छोड़कर किसी अन्य निदेशक के पद में यदि रिक्ती होती है तो अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के अनुरूप उसे भरा जायेगा।

निर्वाचित निदेशक को पद से हटाना:

खंड 11ए :

केन्द्र सरकार से इतर शेयरधारकों द्वारा धारित शेयर पूँजी के आधे से अधिक शेयर पूँजी का धारण करने वाले शेयरधारकों के बहुमद द्वारा पारित संकल्प द्वारा धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (i) के तहत निर्वचित किसी निदेशक को हटाकर उस रिक्ती को भरने के लिए उसकी बजाय अन्य व्यक्तियों को चुन सकते हैं।

निर्वाचित निदेशक के पद में रिक्ती को भरना:

खंड 11बी :

1. निर्वाचित निदेशक के पद का कार्यकाल समाप्त होने से पहले यदि कोई रिक्ति उद्भूत होती है तो उसे निर्वाचन द्वारा भरा जायेगा।

   बशर्ते कि जहां रिक्ति की अवधि छह महीने से कम होने की संभावना है तो उसे शेष निदेशकों

   द्वारा भरा जायेगा।

2. जैसी भी स्थिति हो, उपखंड (1) में निर्वाचित या शामिल किया गया व्यक्ति उसके पूर्ववर्ती निदेशक की शेष अवधि तक पद संभालेगा।

निदेशकों द्वारा हितधारण का प्रकटीकरण:

खंड 12(8):

राष्ट्रीकृत बैंक द्वारा या उसके पक्ष में प्रविष्ट किसी संविदा, ऋण, प्रबंधन या प्रस्ताव में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हित रखने वाला निदेशक संबंद्ध परिस्थितियों के बारे में उसकी जानकारी में आने के बाद जितना शीघ्र हो सके बोर्ड को अपने हित के स्वभाव के बारे में प्रकट करेगा और जानकारी प्राप्त करने के लिए अन्य निदेशकों द्वारा उसकी उपस्थिति की अपेक्षा नहीं की जाती तो ऐसी, संविदा,

of the communication of the resignation by the Central Government.

3. Without prejudice to the provision of the foregoing sub-clauses, the office of a Director referred to in clause (e) or clause (f) of sub-section 3 of Section 9 of the Act shall become vacant as soon as the Director ceases to be a workman or an employee other than workman of the Nationalised Bank of which he is a Director.

4. Where any vacancy occurs in the office of a Director other than an elected Director, it shall be filled in accordance with sub-section (3) of Section 9 of the Act.

Removal from office of an elected Director:

Clause 11A :

The Shareholders, other than the Central Government, may, by a resolution passed by the majority of the votes of such Shareholders holding in the aggregate, not less than one half of the share capital held by all such Shareholders, remove any Director elected under Clause (i) of the sub-section (3) of Section 9 and elect in his stead another person to fill the vacancy.

Filling of vacancy in the office of an elected Director:

Clause 11B :

1. Where any vacancy occurs before the expiry of the term of office of an elected Director, the vacancy shall be filled by election.

   Provided that where the duration of vacancy is likely to be less than six months, the vacancy may be filled by the remaining Directors.

2. A person elected or co-opted, as the case may be, under sub clause (1) shall hold office for the unexpired portion of the term of his predecessor.

Disclosure of interest by Directors:

Clause 12(8):

A Director who is directly or indirectly concerned or interested in any contract, loan, arrangement or proposal entered into or proposed to be entered into by or on behalf of the Nationalised Bank shall, as soon as possible after the relevant circumstances have come to his knowledge disclose the nature of his interest to the Board and shall not be present at the meeting of the Board when any such contract, loan, arrangement or proposal is discussed

ऋण, प्रबंधन या प्रस्ताव पर चर्चा की जाने वाली बोर्ड की बैठक में उपस्थित नहीं होगा और उपस्थित होने के अपेक्षित कोई भी निदेशक ऐसी संविदा, ऋण, प्रबंधन या प्रस्ताव पर मतदान नहीं करेगा:

बशर्ते कि निम्न कारण द्वारा ऐसे निदेशक पर उप–धारा में समाहित कुछ भी लागू नहीं होगा:

i. कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) में परिभषित किसी सार्वजनिक कंपनी में प्रदत्त पूँजी के दो प्रतिशत से कम शेयर धारण करने वाला शेयरधारक (निदेशक के इतर) या भारत में संप्रति प्रवर्तन किसी विधि के तहत स्थापित किसी निगम या सहकारी संस्था इसके साथ राष्ट्रीयकृत बैंक संविदा, ऋण, प्रबंधन या प्रस्ताव में प्रविष्ट हुआ हो या पविष्टि का करता हो; या

ii. राष्ट्रीयकृत बैंक का एक अधिकारी या अन्य कर्मचारी, यदि वह अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ई) या खंड (एफ) में संदर्भित निदेशक हो।

विशेष प्रावधान:

खंड 14ए:

जहां एक राष्ट्रीयकृत बैंक को कानून द्वारा कोई कार्य करने की आवश्यकता होती है और ऐसा करने के लिए सुरक्षा धारकों की किसी भी समिति द्वारा किसी नियुक्ति, अनुमोदन या समीक्षा के संबंध में सिफारिशों या निर्धारण, या शिकायतों का समाधान बैंक के बोर्ड की आवश्यकता है, और यदि बोर्ड संतुष्ट है कि ऐसी समिति की बैठक के लिए कोरम ऐसी समिति में किसी भी रिक्ति के अस्तित्व या उसके सदस्य द्वारा अलग होने के कारण पूरा नहीं किया जा सकता है, तो बोर्ड वह कार्य कर सकता है।

केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000, यथा संशोधित:

संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग:

विनियम 10:

कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम से रहे हों तो रजिस्टर में पहले नाम दर्ज किये गये व्यक्ति को समझा जाएगा कि वह शेयरों के अंतरण को छोड़कर मतदान, लाभांश प्राप्त करना, सूचना प्रेषण और केनरा बैंक से संबद्ध अन्य किसी मामले में एकल शेयरधारक है।

unless his presence is required by the other Directors for the purpose of eliciting information and no Director so required to be present shall vote on any such contract, loan, arrangement or proposal :

Provided that nothing contained in this sub-clause shall apply to such Director by reason only of his being:

i. a shareholder (other than a Director) holding not more than two percent of the paid-up capital in any public Company as defined in the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or any Corporation established by or under any law for the time being in force in India or any Co-operative society, with which or to which the Nationalised Bank has entered into or made, or proposed to enter into or make, a contract, loan, arrangement or proposal; or

ii. an officer or other employee of the Nationalised Bank, if he is a director referred to in clause (e) or clause (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.

Special provision:

Clause 14A:

Where a Nationalised bank is required by law to do any act or thing and in order to do so the recommendations or determination of, or resolution of grievances of security holders by, or in respect of any appointment, approval or review by any Committee of the Board of the bank is required, and if the Board is satisfied that quorum for meeting of such Committee cannot be met on account of either existence of any vacancy in such Committee or recusal by member thereof, the Board may do that act or thing.

CANARA BANK (SHARES AND MEETINGS) REGULATIONS, 2000, AS AMENDED:

Exercise of rights of joint holders:

Regulation 10:

If any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall as regards voting, receipt of dividends, service of notices and all or any other matters connected with Canara Bank except the transfer of shares, be deemed to be the sole holder thereof.

अध्याय IV

शेयरधारकों की बैठक

61. सामान्य बैठक में मतदान

(i) किसी सामान्य बैठक में मतदान के लिए प्रस्तुत किये गये संकल्प पर, मतदान अपेक्षित नहीं हो तो हाथ दिखाने के द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(ii) अधिनियम के प्रावधान के अन्यथा, सामान्य बैठक को प्रस्तुत किये गये हर मामले पर बहुमत द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(iii) उप विनियम (i) के तहत यदि मतदान अपेक्षित नहीं होता तो, बैठक के अध्यक्ष द्वारा इस आशय की घोषणा कि हाथ दिखाने के द्वारा संकल्प को एकमत से या बहुमत विशेष के साथ अपनाया गया है या अपनाया नहीं गया है और ऐसे संकल्प के पक्ष में या विरूद्ध प्राप्त मतों की संख्या और अनुपात के साक्ष्य के बिना कार्यवाही का कार्यवृत्त रखने वाली बहियों में इस आशय की प्रविष्टि उस तथ्य का निष्कर्षात्मक साक्ष्य होगा।

(iv) हाथ दिखाकर किसी संकल्प पर किये गये मतदान के परिणाम की घोषणा के पहले या किये जाने पर बैठक के अध्यक्ष द्वारा मतदान का आदेश दिया जा सकता है और व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित बैंक के किसी शेयरधारक या शेयरधारकों द्वारा उस आशय से की गई माँग पर मतदान प्राप्त करने के लिए आदिष्ट होगा तथा बैंक में शेयरधरिता उसे संकल्प पर मतदान का अधिकार प्रदान करता है जो संकल्प के संबंध में कुल मतदान के पाँचवें हिस्से से कम नहीं होग।

(v) मतदान की माँग करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा मतदान की माँग कभी भी वापस ली जा सकती है।

(vi) बैठक के अध्यक्ष के स्थगन या चुनाव के सवाल पर मांगे गए मतदान को तुरंत लिया जाएगा।

(vii) किसी अन्य प्रश्न पर माँगा गया मतदान बैठक के अध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार लिया जायेगा, जो माँग किये समय से 48 घंटों के बाद न हो।

(viii) मतदान करने के लिए व्यक्ति विशेष की योग्यता और मतदान अपनाये जाने के संदर्भ में भी व्यक्ति विशेष कितने मत देने के लिए सक्षम होगा, इन पर बैठक के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

CHAPTER IV

MEETING OF SHAREHOLDERS

61. Voting at General Meeting.

(i) At any general meeting, a resolution put to the vote of the meeting shall, unless a poll is demanded, be decided on a show of hands.

(ii) Save as otherwise provided in the Act, every matter submitted to the general meeting shall be decided by a majority of votes.

(iii) Unless a poll is demanded under sub-regulation (i), a declaration by the Chairman of the meeting that a resolution on show of hands has or has not been carried either unanimously or by a particular majority and an entry to that effect in the books containing the minutes of the proceedings, shall be conclusive evidence of the fact, without proof of the number or proportion of the votes cast in favour of, or against such resolution.

(iv) Before or on the declaration of the result of the voting on any resolution on a show of hands a poll may be ordered to be taken by the Chairman of the meeting of his own motion, and shall be ordered to be taken by him on a demand made in that behalf by any shareholder or Shareholders present in person or by proxy and holding shares in the Bank which confer a power to vote on the resolution not being less than one fifth of the total voting power in respect of the resolution.

(v) The demand for a poll may be withdrawn at any time by the person or persons who made the demand.

(vi) A poll demanded on a question of adjournment or election of Chairman of the meeting shall be taken forthwith.

(vii) A poll demanded on any other question shall be taken at such time not being later than forty-eight hours from the time when the demand was made, as the chairman of the meeting may direct.

(viii) The decision of the Chairman of the meeting as to the qualification of any personto vote, and also in case of a poll, as to the number of votes any person is competent to exercise shall be final.

अध्याय V

निदेशकों का निर्वाचन

63. सामान्य बैठक में निर्वाचित किये जाने वाले निदेशक:

i) अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (i) के तहत केंद्र सरकार को छोड़कर रजिस्टर पर रहने वाले उनके द्वारा शेयरधारकों में से केनरा बैंक की सामान्य बैठक में निदेशक को चुना जायेगा।

ii) जहां किसी सामान्य बैठक में निदेशक का निर्वाचन किया जाना है तो उसकी सूचना बैठक आयोजित करने की सूचना में शामिल की जायेगी। ऐसी प्रत्येक सूचना में निर्वाचित किए जाने वाले निदेशकों की संख्या और रिक्तियों का विवरण, जिनके संबंध में निर्वाचन होना है, निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

64. शेयरधारकों की सूची:

i) इन विनियमों के विनियम 63 के उप-विनियम (i) के तहत निदेशक को निर्वाचित करने के लिए उन शेयरधारकों की सूची बनाई जायेगी, जिनके द्वारा निदेशक को चुना जाना है।

ii) सूची में शेयरधारकों के नाम, उनके पंजीकृत पते, शेयरों को पंजीकृत करने की तारीखों के साथ उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या और मूल्यवर्ग संख्याएं और निर्वाचन आयोजित की जाने वाली बैठक के लिए नियत तारीख पर वे कितने मतों के लिए पात्र होंगे, उसकी संख्याएं होंगी और सूची की प्रतियाँ बोर्ड या प्रबंधन समिति द्वारा नियत मूल्य पर बैठक के लिए नियत तारीख के पहले कम से कम तीन हफ्तों के पहले प्रधान कार्यालय में आवेदित हो।

67. निर्वाचन संबंधी विवाद:

i) निर्वाचित समझे या निर्वाचित घोषित किये जानेवाले व्यक्ति विशेष की योग्यता या अयोग्यता के बारे में, या निदेशक के निर्वाचन की विधिमान्यता के बारे में कोई संदेह या विवाद उत्पन्न हो तो ऐसे निर्वाचन में मतदान करने के लिए पात्र प्रत्याशी या शेयरधारक होने वाला कोई इच्छुक व्यक्ति, ऐसे चुनाव के परिणाम की घोषणा तिथि के सात दिनों के अंदर अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक को लिखित रूप से सूचित करेगा और उक्त सूचना में जिन

CHAPTER V

ELECTION OF DIRECTORS

63. Directors to be elected at General Meeting:

i) A Director under Clause (i) of Sub-Section (3) of Section 9 of the Act shall be elected by the Shareholders on the register, other than the Central Government, from amongst themselves in the General Meeting of Canara Bank.

ii) Where an election of a Director is to be held at any General Meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of Directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

64. List of Shareholders:

i) For the purpose of election of a Director under Sub-Regulation (i) of Regulation 63 of these regulations, a list shall be prepared of Shareholders on the register by whom the Director is to be elected.

ii) The list shall contain the names of the Shareholders, their registered addresses, the number and denoting numbers of shares held by them with the dates on which the shares were registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchases at least three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee, on application at the Head Office.

67. Election Disputes:

i) If any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed or declared to be elected, or as to the validity of the election of a director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman and Managing Director of Canara Bank and shall in the said intimation

बातों के आधार पर निर्वाचन की वैधता पर वह संदेह कर रहा है या निर्वाचन पर विवाद है।

ii) उप विनियम (i) के तहत सूचना प्राप्त होने पर अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में केनरा बैंक के कार्यपालक निदेशक ऐसी समिति के निर्णय के लिए ऐसे संदेह या विवाद को संदर्भित करेगा, जिसमें अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक और अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (बी) और (ई) या (एफ) या (जी) या (एच) के तहत नामित कोई दो निदेशक होंगे।

iii) उप विनियम (ii) में संदर्भित समिति उसके द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली पूछ–ताछ करेगी और यदि वह यह महसूस करे कि चुनाव विधिमान्य है, तो वह निर्वाचन के परिणाम घोषित करेगी या चुनाव को विधिमान्य नहीं महसूस करता है तो वह जाँच–पड़ताल के शुरू के 30 दिनों के अंदर उसे संगत लगने वाली परिस्थितियों में नये सिरे से निर्वाचन आयोजित करने के साथ–साथ ऐसे आदेश और निर्देश दे सकती है।

iv) इस विनियम के परिणामत: ऐसी समिति के आदेश और निर्देश अंतिम होंगे।

अध्याय VI
शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार

68. मतदान अधिकारों का निर्धारण:

i) अधिनियम की धारा 3(2ई) में निहित प्रावधानों के अधीन सामान्य बैठक की तिथि के पहले रजिस्टर बंद कर दिये जाने की तारीख को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक को ऐसी बैठक में हाथ दिखाने पर एक मत प्राप्त होगा और मतदान आयोजित किये जाने पर उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत होगा।

ii) अधिनियम की धारा 3(2ई) में निहित प्रावधानों के अधीन उपर्युक्त अनुसार मत देने के लिए पात्र प्रत्येक शेयरधारक, जो कंपनी न हो, जो व्यक्तिश: या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित हो या कंपनी हो तो विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित हो, को हाथ दिखाने पर एक मत प्राप्त होगा और मतदान आयोजित किये जाने पर उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत होगा, जैसे उपर्युक्त उपविनियम (i) में बताया गया है।

give full particulars of the grounds upon which he doubts or disputes the validity of the election.

ii) On receipt of an intimation under Sub-Regulation (i), the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director of Canara Bank shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Chairman & Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the Directors nominated under clauses (b) and (e) or (f) or (g) or (h) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.

iii) The committee referred to in Sub-Regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was a valid election, it shall confirm the declared result of the election or, if it finds that the election was not a valid election, it shall, within 30 days of the commencement of the enquiry, make such order and give such directions including the holding of a fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.

iv) An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

CHAPTER VI
VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS

68. Determination of Voting Rights:

i) Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of closure of the register prior to the date of a General Meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

ii) Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a company, is present in person or by proxy or who being a company is present by a duly authorized representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in Sub-Regulation (i).

स्पष्टीकरण - इस अध्याय के लिए,"कंपनी" का अर्थ किसी भी कॉर्पोरेट निकाय है।

कृपया नोट करें कि शेयरधारक निदेशक के चुनाव के संबंध में मतदान केवल रिमोट ई-मतदान व पोल के माध्यम से ही किया जाएगा।

iii) सामान्य बैठक में उपस्थित होकर मत देने के लिए पात्र बैंक के शेयरधारक उनके बदले में उपस्थित होकर मत देने के लिए प्रॉक्सी के रूप में अन्य व्यक्ति (शेयरधारक हो या न हो) नियुक्त करने के लिए पात्र होगा और ऐसे नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बात करने का अधिकार नहीं होगा।

69. विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान:

i) केंद्र सरकार या कंपनी के रूप में एक शेयरधारक, जैसी भी स्थिति हो, संकल्प द्वारा शेयरधारकों की किसी सामान्य बैठक में अपने प्रतिनिधि के रूप में अपने किसी अधिकारी को या अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकता है और इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति (इन विनियमों में विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि कहा गया) केंद्र सरकार या जिस कंपनी का वह प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसकी तरफ से उन्हीं अधिकारों को उपयोग करने के लिए पात्र होगा, जैसे वह केनरा बैंक का व्यष्टी शेयरधारक हो। इस प्रकार दिया गया प्राधिकार विकल्प दो व्यक्तियों के पक्ष में हो सकता और ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति केंद्र सरकार या कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि की भूमिका निभा सकता है।

ii) कोई भी व्यक्ति, उसे प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में विधिवत नियुक्त करने वाले संकल्प की प्रति को, जिस बैठक में उसे पारित किया गया है उसके अध्यक्ष द्वारा उसकी सत्य प्रतिलिपि होने के आशय के प्रमाणन के बिना और उसे बैठक की नियत तारीख के चार दिन पहले केनरा बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा नहीं करता है तो वह कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में केनरा बैंक के शेयरधारकों की बैठक में उपस्थित नहीं होगा, न ही मतदान करेगा।

निदेशक मंडल के आदेशार्थ

एल वी प्रभाकर
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 18.05.2022

Explanation - for this Chapter, "Company" means any body corporate.

PLEASE NOTE THAT THE VOTING IN RESPECT OF ELECTING SHAREHOLDER DIRECTORS SHALL ONLY BE DONE BY REMOTE e-VOTING AND POLL.

iii) Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

69. Voting by Duly Authorised Representative:

i) A shareholder, being the Central Government or a company, may by a resolution, as the case may be, authorize any of its officials or any other person to act as its representative at any General Meeting of the Shareholders and the person so authorized (referred to as a 'duly authorized representative' in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or company which he represents, as if he were an individual shareholder of Canara Bank. The authorization so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as a duly authorized representative of the Central Government / Company.

ii) No person shall attend or vote at any meeting of the Shareholders of Canara Bank as the duly authorized representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Canara Bank not less than four days before the date fixed for the meeting.

By Order of the Board of Directors

L V PRABHAKAR
MANAGING DIRECTOR & CEO

Place : Bengaluru
Date : 18.05.2022

प्रगति की एक झलक / PROGRESS AT A GLANCE

(राशि ₹ करोड़ / Amt. ₹in Crore)

मापदंड / Parameters	2019-20*	2020-21	2021-22
घरेलू शाखाओं की संख्या / Number of Domestic Branches	6329	10416	9734
एटीएम की संख्या / Number of ATMs	8850	13452	12208
चुकता पूंजी / Paid-up Capital	1030	1647	1814
आरक्षित निधियां / Reserves	38263	57238	64297
सकल जमा / Aggregate Deposits	625351	1010875	1086409
अनिवासी जमा / NRE Deposits	39694	49931	51301
विदेशी कारोबार टर्नओवर / Foreign Business Turnover	293425	164437	185128
सकल अग्रिम / Gross Advances	451223	675155	741147
खुदरा अग्रिम / Retail Advances	79800	115312	126277
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम / Priority Sector Advances	203029	304803	339039
कृषि अग्रिम / Agriculture Advances	96043	156058	175955
कृषि अग्रिम (संवितरण) / Agriculture Advances (Disbursal)	84891	136978	152686
एमएसएमई अग्रिम / MSME Advances	78773	108334	119026
डीआरआई योजना के तहत अग्रिम / Advances under DRI Scheme	101	96	80
अ.जा./अ.ज.जा ग्राहकों को अग्रिम / Advances to SC/ST Clients	8284	14175	15041
निर्यात ऋण / Export Credit	7826	8819	9422
कुल आय / Total Income	56748	84205	85907
कुल व्यय / Total Expenditure	47388	64516	62818
परिचालन लाभ / Operating Profit	9360	19689	23089
निवल लाभ / निवल हानि / Net Profit / Net Loss	(2236)	2558	5678
प्रति इक्विटी शेयर लाभांश / Dividend per Equity Share	-	-	6.50
कर्मचारियों की कुल संख्या / Total Number of Staff	58632	88213	86919
बट्टे खाते में डाले गए खातों सहित संचयी नकद वसूली Cumulative Cash Recovery including written off accounts	10886	10918	12116
मुख्य कार्यनिष्पादन अनुपात (%) / Key Performance Ratios (%)			
पूंजी पर्याप्तता अनुपात / Capital Adequacy Ratio	13.65	13.18	14.90
सकल अनर्जक आस्ति अनुपात / Gross NPA Ratio	8.21	8.93	7.51
निवल अनर्जक आस्ति अनुपात / Net NPA Ratio	4.22	3.82	2.65
आस्तियों पर औसतन प्रतिलाभ / Return on Average Assets	(0.32)	0.23	0.48
इक्विटी पर प्रतिलाभ / Return on Equity	(8.05)	6.71	12.82
बही मूल्य / Book Value	281	241.78	268.41
निवल ब्याज मार्जिन / Net Interest Margin	2.29	2.76	2.82

*ये आंकड़े समामेलन-पूर्व अवधि के एकल केनरा बैंक वित्तीय परिणामों से संबंन्धित हैं, अतः 31 मार्च, 2021 तथा 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समामेलन पश्चात वित्तीय परिणामों के साथ तुलनीय नहीं हैं;

* Figures are related to standalone Canara Bank financial results for pre-amalgamation period, hence not comparable with post amalgamation financial results for the year ended March 31, 2021 and March 31, 2022

केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम
A Government of India Undertaking
सिंडिकेट Syndicate
Together We Can

निदेशकों की रिपोर्ट

2021-2022

DIRECTORS' REPORT

निदेशकों की रिपोर्ट: 2021-22

निदेशक मंडल द्वारा यथा 31 मार्च, 2022 की अवधि के लिए तुलनपत्र व यथा 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा सहित 53वीं वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत की जा रही है।

बैंक के वित्तीय निष्पादन का स्नैपशॉट नीचे दिया गया है: (₹ करोड़ में)

विवरण	मार्च-21	मार्च-22	संवृद्धि (%)
वैश्विक कारोबार	**1686030**	**1827556**	**8.39**
जिनमें से देशी जमा	1615864	1738813	7.61
विदेशी कारोबार	70166	88743	26.48
वैश्विक जमा	**1010875**	**1086409**	**7.47**
जिनमें से–घरेलू जमा	963306	1027767	6.69
विदेशी जमा	47569	58642	23.28
घरेलू जमा	**963306**	**1027767**	**6.69**
चालू खाता जमा	49131	52816	7.50
बचत बैंक जमा	281525	315916	12.22
कासा जमा	330656	368732	11.52
घरेलू कासा से घरेलू जमा (%)	**34.33**	**35.88**	**-**
वैश्विक अग्रिम	**675155**	**741147**	**9.77**
जिनमें से–घरेलू अग्रिम	652558	711046	8.96
विदेशी अग्रिम	22597	30101	33.21
कुल आस्ति	**1153675**	**1226980**	**6.35**
निवल ब्याज आय (एनआईआई)	**24103**	**26384**	**9.46**
अन्य आय	**14924**	**16497**	**10.54**
जिनमें से–शुल्क आय	5243	6113	16.59
विदेशी मुद्रा आय	1882	2813	49.47
ट्रेडिंग लाभ	2978	2593	(12.93)
अपलिखित खातों से वसूली	3032	2747	(9.40)
एनआईआई + अन्य आय	**39027**	**42881**	**9.88**
परिचालन खर्च	**19338**	**19792**	**2.35**
परिचालन लाभ	**19689**	**23089**	**17.27**
प्रावधान	**15982**	**14128**	**(11.60)**
जिनमें से–एनपीए और बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के प्रावधान	14168	9848	(30.49)
कर से पूर्व लाभ	3707	8961	141.73
कर के लिए प्रावधान	1149	3283	185.73
निवल लाभ	**2558**	**5678**	**121.97**

DIRECTORS' REPORT: 2021-22

The Board of Directors have pleasure in presenting the 53rd Annual Report together with the Balance Sheet as on 31st March, 2022 and Profit & Loss Account for the financial year ended 31st March, 2022.

A snapshot of Bank's financial performance is given below: (₹ in Crore)

Particulars	Mar-21	Mar-22	Growth (%)
Global Business	**1686030**	**1827556**	**8.39**
of which- Domestic Business	1615864	1738813	7.61
Overseas Business	70166	88743	26.48
Global Deposits	**1010875**	**1086409**	**7.47**
of which- Domestic Deposits	963306	1027767	6.69
Overseas Deposits	47569	58642	23.28
Domestic Deposits	**963306**	**1027767**	**6.69**
Current Account Deposits	49131	52816	7.50
Savings Bank Deposits	281525	315916	12.22
CASA Deposits	330656	368732	11.52
Domestic CASA to Domestic Deposits (%)	**34.33**	**35.88**	**-**
Global Advances	**675155**	**741147**	**9.77**
of which- Domestic Advances	652558	711046	8.96
Overseas Advances	22597	30101	33.21
Total Assets	**1153675**	**1226980**	**6.35**
Net Interest Income (NII)	**24103**	**26384**	**9.46**
Other Income	**14924**	**16497**	**10.54**
of which-Fee Income	5243	6113	16.59
Forex Income	1882	2813	49.47
Trading Gains	2978	2593	(12.93)
Recovery from written off accounts	3032	2747	(9.40)
NII + Other Income	**39027**	**42881**	**9.88**
Operating Expenses	**19338**	**19792**	**2.35**
Operating Profit	**19689**	**23089**	**17.27**
Provisions	**15982**	**14128**	**(11.60)**
of which-Provisions for NPAs & Bad debts written off	14168	9848	(30.49)
Profit Before Tax	3707	8961	141.73
Provision for Tax	1149	3283	185.73
Net Profit	**2558**	**5678**	**121.97**

यथा मार्च, 2022 तक बैंक का वैश्विक कारोबार वर्षानुवर्ष 8.39% बढ़कर ₹1827556 करोड़ हो गया, जिसमें से घरेलू कारोबार वर्षानुवर्ष 7.61% बढ़कर ₹1738813 करोड़ हो गया। घरेलू कासा जमा वर्षानुवर्ष 11.52% बढ़कर ₹368732 करोड़ हो गया, जिसमें बचत खाता 12.22% वर्षानुवर्ष और चालू खाता 7.50% वर्षानुवर्ष बढ़ा। इस प्रकार, घरेलू कासा अनुपात में मार्च 2022 तक 35.88% की वृद्धि हुई।

बैंक ने आस्ति गुणवत्ता की निगरानी, नियंत्रण और रखरखाव के संबंध में कई कदम उठाए हैं। बैंक के निरंतर प्रयासों से आस्ति गुणवत्ता के क्षेत्र में फलदायी परिणाम मिले हैं, जिससे सकल एनपीए में 142 बीपीएस की गिरावट के साथ 7.51% और निवल एनपीए में 117 बीपीएस की गिरावट के साथ से 2.65% की सराहनीय गिरावट आई। इसके अलावा प्रावधान कवरेज अनुपात पिछले वर्ष के 79.68% से बढ़कर 84.17% हो गया है। 14.90% का स्वस्थ सीआरएआर में 172 बीपीएस तक की वृद्धि यह संकेत देती है कि बैंक आने वाली तिमाहियों में आर्गेनिक विकास के लिए अच्छी तरह से तैयार है। वित्त वर्ष 2021-22 में, बैंक का परिचालन लाभ ₹23089 करोड़ और निवल लाभ ₹5678 करोड़ रहा।

लाभांश

बैंक के निदेशक मंडल ने वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन, वर्ष 2021-22 के लिए शेयरधारकों को प्रत्येक ₹10/- अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर पर ₹6.50 (यानी 65%) के लाभांश की सिफारिश की है।

प्रबंधन विचार-विमर्श व विश्लेषण

वैश्विक अर्थव्यवस्था

वैश्विक अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में बड़ी आबादी के व्यापक टीकाकरण, नए संक्रमणों को रोकने और सहायक नीतिगत माहौल में आर्थिक सुधार की गति पकड़ी। हालांकि, दुनिया के कई हिस्सों में वायरस के पुनरुत्थान के चलते वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में रिकवरी गति को विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जिसके चलते आपूर्ति में रुकावट और अड़चनें, लगातार मुद्रास्फीति का दबाव और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के नीति सामान्यीकरण पर प्रभाव पड़ा। फरवरी 2022 से रूस-यूक्रेन के बीच भू-राजनीतिक तनाव में वृद्धि ने वैश्विक कमोडिटी कीमतों-विशेष रूप से वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि को और बढ़ा दिया, जिससे दुनिया भर में मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ गया।

बिगड़ते भू-राजनीतिक तनावों से संबंधित विकसित परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने वैश्विक विकास दर को 2022 में 3.6 फीसदी और 2023 में पूर्वानुमानित 6.1% से नीचे संशोधित किया है।

आगे बढ़ते हुए, वैश्विक आर्थिक विकास का दृष्टिकोण रूस-यूक्रेन संघर्ष, कोविड-19 के नए रूपों के पुनरुत्थान, वैश्विक वित्तीय बाजारों

The global business of the Bank increased to ₹1827556 crore, up by 8.39% y-o-y, out of which domestic business grew by 7.61% y-o-y to ₹1738813 crore as at March 2022. Domestic CASA deposits surged by 11.52% y-o-y to ₹368732 crore with Savings Account growing at 12.22% y-o-y and Current Account at 7.50% y-o-y. Thus, domestic CASA Ratio improved to 35.88% as at March 2022.

Bank took various steps in respect of monitoring, control and maintaining asset quality. The sustained efforts of the Bank has yielded results on the asset quality front which showed a commendable fall in Gross NPA by 142 bps to 7.51% and Net NPA to 2.65%, down by 117 bps. Further the provision coverage ratio has improved to 84.17% from 79.68% in the previous year. The healthy CRAR of 14.90%, up by 172 bps, highlights that the bank is well cushioned for an organic growth in the coming quarters. In FY 2021-22, operating profit of the Bank stood at ₹23089 crore and net profit at ₹5678 crore.

Dividend

The Board of Directors of the Bank has recommended a dividend of ₹6.50 per equity share (i.e. 65%) of face value of ₹10/- each to the Shareholders for the year 2021-22, subject to the approval of the Shareholders at the AGM.

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

GLOBAL ECONOMY

The global economy picked up pace of economic recovery in first half of FY 2021-22 on widespread vaccination of larger populations, ebbing new infections and supportive policy environment. However, recovery momentum faced headwinds in the second half of the financial year in terms of resurgence of the virus in several parts of the world, continued supply disruptions and bottlenecks, persistent inflationary pressures and spill over effects of policy normalisation of major economies. The escalation in geo-political tensions between Russia-Ukraine since February 2022, further fuelled the spike in global commodity prices-particularly global crude oil prices, leading to inflationary pressures across the globe.

Taking into consideration the evolving scenarios related to the worsening geo-political tensions, International Monetary Fund (IMF) has revised downwards the global growth to 3.6% in 2022 and 2023 from earlier estimate of 6.1%.

Going forward, the global economic growth outlook hinges on global headwinds from the Russia-Ukraine

में अस्थिरता और मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र जैसी वैश्विक बाधाओं पर टिका है।

भारतीय अर्थव्यवस्था

महामारी की दूसरी लहर में कमी, टीकाकरण प्रक्रिया में तेजी, महामारी संबंधी प्रतिबंधों में ढील और आर्थिक गतिविधियों के क्रमिक सामान्यीकरण के साथ जुलाई, 2021 से घरेलू व्यापक आर्थिक स्थितियों में सुधार के संकेत मिले। महामारी के फिर से उभरने पर वित्त वर्ष 22 की तीसरी तिमाही के बाद के हिस्से में विकास की गति धीमी हो गई थी। हालांकि, नए संक्रमणों को कम करने, सार्वभौमिक टीकाकरण, आर्थिक गतिविधियों के सामान्यीकरण और उपभोक्ता और व्यावसायिक विश्वास में सुधार के साथ घरेलू मैक्रोइकॉनॉमिक स्थितियों में जल्द ही वित्तवर्ष 22 की चौथी तिमाही में सुधार होना शुरू हो गया। निर्यात और आयात, बैंक ऋण वृद्धि और विनिर्माण गतिविधियों में सुधार देखा जा रहा है।

2022 में एक सामान्य मानसून के पूर्वानुमान के साथ ग्रामीण मांग के लिए सकारात्मक संभावनाएं हैं और शहरी मांग को संपर्क–गहन सेवाओं में पिक–अप और निजी निवेश गतिविधि की अपेक्षित मजबूती के साथ बनाए रखने की उम्मीद है, जिसका घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक प्रभाव है। हालांकि, फरवरी, 2022 से तीव्र भू–राजनीतिक तनाव, कमोडिटी की कीमतों में वृद्धि, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि, बाहरी मांग को धीमा करने और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण के कारण वैश्विक वित्तीय स्थितियों को सख्त करने से विकास की गति में गिरावट का जोखिम बढ़ गया है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022–23 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि के अपने अनुमान को पहले के 7.8% के अनुमान से नीचे संशोधित कर 7.2% कर दिया है।

आगे बढ़ते हुए, बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में उच्च सरकारी खर्च और कुल मांग में अपेक्षित पुनरुद्धार के साथ सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की गति में तेजी आने की उम्मीद है। चल रहे भू–राजनीतिक मुद्दों के कारण निकट अवधि में कुछ नरमी की उम्मीद के साथ मध्यम से लंबी अवधि में बैंक ऋण का दृष्टिकोण सकारात्मक है।

2022-23 के लिए दृष्टिकोण

लंबे समय तक भू–राजनीतिक तनावों, उच्च कमोडिटी कीमतों, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण की गति और कुछ प्रमुख देशों में कोविड संक्रमणों के पुनरुत्थान से प्रेरित अस्थिरता के मद्देनजर वैश्विक मंदी को देखते हुए, निकट अवधि के लिए विकास का दृष्टिकोण मंद है। प्रभाव के प्रमुख चैनल उच्च मुद्रास्फीति, कमजोर उपभोक्ता मांग और सख्त वित्तीय स्थिति होने की संभावना होगी।

conflict, resurgence of new variants of COVID-19, volatility in global financial markets and inflation trajectory.

INDIAN ECONOMY

The domestic macroeconomic conditions showed signs of improvement since July 2021 with ebbing of the second wave of the pandemic, acceleration in vaccination process, easing of pandemic related restrictions and gradual normalisation of economic activities. The growth momentum was slowed down in later part of Q3FY22 on resurgence of the pandemic. However, the domestic macroeconomic conditions soon started improving in Q4FY22 with subsiding new infections, universal vaccination, normalization of economic activities and improvement in consumer & business confidence. Improvement is being observed in exports and imports, bank credit growth and manufacturing activities.

There is positive prospects for rural demand in 2022 with the forecast of a normal monsoon and urban demand is expected to be sustained with pick-up in contact-intensive services and expected strengthening of private investment activity, which has positive implication for the domestic economy. However, downside risks to the growth momentum has increased since February 2022 with intensifying geo-political tensions, elevated commodity prices, spike in crude oil prices, slowing external demand and tightening global financial conditions on the back of monetary policy normalization in advanced economies. Considering all these factors, RBI has revised downwards its projection for real GDP growth for FY 2022-23 to 7.2% from earlier projection of 7.8%.

Going forward, GDP growth momentum is expected to gain traction with higher Government spending in infrastructure sector and expected revival in aggregate demand. The outlook of bank credit is positive in the medium to long term with some moderation expected in the near term due to the ongoing geo political issues.

OUTLOOK FOR 2022-23

Given the global slowdown in the wake of volatility induced by prolonged geo-political tensions, higher commodity prices, pace of monetary policy normalisation in advanced economies and resurfacing of COVID infections in some major countries, the growth outlook is subdued for the near term. The key channels of impact will likely be higher inflation, weak consumer demand and tighter financial conditions.

देश की आर्थिक विकास गति काफी हद तक चल रही वैश्विक घटनाओं पर निर्भर है जो विकास के लिए नकारात्मक जोखिम पैदा करती है। उच्च कीमतों के स्तर से निजी खपत और निवेश पर भार पड़ने की उम्मीद है जो महत्वपूर्ण विकास लीवर हैं। हालांकि, आने वाले वर्ष में राजकोषीय और मौद्रिक नीति समर्थन विकास सहायक बना रहेगा। आर्थिक सुधार के साथ–साथ ऋण वृद्धि में तेजी आने की उम्मीद है।

बैंक लाभप्रदता के साथ–साथ कारोबार में अधिक वृद्धि प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा। जमा के मोर्चे पर, बैंक थोक जमाओं पर निर्भरता को जानबूझकर कम करते हुए कासा को बढ़ाने पर जोर दे रहा है। अग्रिम के मोर्चे पर, बैंक खुदरा, कृषि, एमएसएमई और कॉर्पोरेट ऋण के उचित मिश्रण के साथ संतुलित अग्रिम पोर्टफोलियो पर ध्यान केंद्रित करता है। जरूरत है सर्वश्रेष्ठ ग्राहक सेवा पर ध्यान केंद्रित करने की, चाहे वह खुदरा क्षेत्र में हो या कॉर्पोरेट बैंकिंग में। प्रणाली और प्रक्रियाओं के अनुपालन और उचित कार्यान्वयन पर ध्यान देने के साथ जोखिम प्रबंधन ढांचे को मजबूत करने पर भी रणनीतिक ध्यान दिया जाएगा।

बैंक सक्रिय ऋण निगरानी के साथ एनपीए प्रबंधन, नए स्लिपेज को रोकने और वसूली के प्रयासों को मजबूत करने के लिए पर्याप्त प्रयास करता है। ग्राहकों और उद्योग की बदलती आवश्यकताओं को देखते हुए बैंक प्रक्रिया और उत्पाद सुधार के लिए प्रयास करना जारी रखेगा। आने वाले वर्षों में, बैंक 'ग्राहक–केंद्रित' बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने और समावेशी विकास के माध्यम से सभी हितधारकों के लिए मूल्य बनाने के लिए तत्पर है।

केनरा बैंक 2021-22 में

केनरा बैंक का कारोबार विकास वित्त वर्ष 2021–22 में रिकॉर्ड 122% वर्षानुवर्ष वृद्धि के साथ निवल लाभ में ₹5678 करोड़ के साथ मजबूत रहा है, जिसमें संतुलित विकास, इष्टतम संसाधन जुटाने, मजबूत शुल्क आय, कृषि, आवास और अन्य खुदरा खंड सहित खुदरा संपत्ति का विस्तार और संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार पर प्रमुख जोर दिया गया।

कारोबार निष्पादन

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, बैंक का वैश्विक कारोबार ₹1686030 करोड़ से 8.39% वर्षानुवर्ष की वृद्धि के साथ ₹1827556 करोड़ रहा, जिसमें वैश्विक जमा वर्षानुवर्ष की वृद्धि 7.47% की वृद्धि के साथ ₹1086409 करोड़ और वैश्विक अग्रिम 9.77% की वृद्धि दर के साथ ₹741147 करोड़ रहा।

The economic growth momentum of the country is largely dependent on ongoing global events that pose downside risk to growth. Higher price levels are expected to weigh on private consumption and investment that are important growth levers. However, the fiscal and monetary policy support will remain growth supportive in the coming year. The credit growth is expected to pick up in tandem with economic recovery.

The Bank will continue to focus on achieving greater growth in business along with profitability. On the deposits front, the Bank is giving thrust on shoring up of CASA, while consciously reducing the reliance on bulk deposits. On the advances front, Bank focuses on a balanced advances portfolio with proper mix of retail, agriculture, MSME and corporate credit. Need is to focus on best-in-class customer service, be it in retail segment or in Corporate Banking. Strategic focus will also be on strengthening risk management framework with focus on compliance & proper implementation of systems and procedures.

The Bank takes adequate efforts for NPA management with ardent credit monitoring, contain fresh slippages and strengthen recovery efforts. The Bank will continue to strive for process and product improvements in view of changing customers' and industry requirements. In the coming years, Bank looks forward to provide 'customer-centric' Banking services, leveraging technology and creating value for all stakeholders through inclusive growth.

CANARA BANK IN 2021-22

Canara Bank's business growth has remained robust in FY 2021-22 with record 122% y-o-y growth in net profit to ₹5678 crore, with major thrust on balanced growth, optimal resource mobilization, robust fee income, expanding retail assets, including Agriculture, Housing and other retail segments and improving asset quality.

BUSINESS PERFORMANCE

During FY 2021-22, the global business of the Bank stood at ₹1827556 crore with a growth of 8.39% y-o-y from ₹1686030 crore, with global deposits at ₹1086409 crore with a growth of 7.47% y-o-y and global advances at ₹741147 crore with a growth rate of 9.77%.

वत्तीय वर्ष 2021-22 में कारोबार वृद्धि परिदृश्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	मार्च-21	मार्च-22	संवृद्धि (%) वर्षानुवर्ष
वैश्विक जमा	**1010875**	**1086409**	**7.47**
इनमें से घरेलू जमा	963306	1027767	6.69
विदेशी जमा	47569	58642	23.28
घरेलू जमा	**963306**	**1027767**	**6.69**
चालू खाता जमा	49131	52816	7.50
बचत खाता जमा	281525	315916	12.22
कासा जमा	330656	368732	11.52
घरेलू कासा के लिए घरेलू जमा (%)	**34.33**	**35.88**	**-**
वैश्विक अग्रिम	675155	741147	9.77
इनमें - देशी अग्रिम	652558	711046	8.96
विदेशी अग्रिम	22597	30101	33.21
कुल आस्तियां	**1153675**	**1226980**	**6.35**

जमा

मार्च 2021 में कुल जमाराशियों में वर्षानुवर्ष 7.47% की वृद्धि हुई, जो मार्च 2021 के ₹1010875 करोड़ से बढ़कर मार्च 2022 तक ₹1086409 करोड़ हो गया। बैंक की घरेलू कासा जमाराशि मार्च 2022 तक वर्षानुवर्ष 11.52% की दर से बढ़कर ₹368732 करोड़ हो गई, जिसमें बचत जमा राशि 12.22% वर्षानुवर्ष की वृद्धि दर के साथ ₹315916 करोड़ रही और चालू जमा राशि 7.50% वर्षानुवर्ष की वृद्धि के साथ ₹52816 करोड़ रही। घरेलू जमा में बैंक की घरेलू कासा जमा का हिस्सा 35.88% था।

कासा के तहत औसत शेष में सुधार करने के लिए एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) खातों / केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) खातों, केनरा गैलेक्सी, केनरा प्रिवलेज, केनरा पेरोल, एसबी पावर प्लस और एनआरआई खातों जैसे प्रमुख कासा उत्पादों पर ध्यान दिया गया। 31 मार्च 2022 तक बैंक के कुल जमा ग्राहक 10.51 करोड़ थे।

अग्रिम

बैंक ने कृषि और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) जैसे क्षेत्रों के साथ-साथ आवास, शिक्षा और वाहन ऋण सहित खुदरा संपत्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विविध तरीकों से अपने परिसंपत्ति आधार का विस्तार किया।

मार्च 2022 तक बैंक का अग्रिम (सकल) ₹741147 करोड़ तक पहुंच गया। मार्च 2022 तक उधार लेने वाले ग्राहकों की संख्या 1.08 करोड़

A snapshot of business growth in FY 2021-22

(₹ in Crore)

Particulars	Mar-21	Mar-22	Growth (%) y-o-y
Global Deposits	**1010875**	**1086409**	**7.47**
of which- Domestic Deposits	963306	1027767	6.69
Overseas Deposits	47569	58642	23.28
Domestic Deposits	**963306**	**1027767**	**6.69**
Current Account Deposits	49131	52816	7.50
Savings Bank Deposits	281525	315916	12.22
CASA Deposits	330656	368732	11.52
Domestic CASA to Domestic Deposits (%)	**34.33**	**35.88**	**-**
Global Advances	675155	741147	9.77
of which- Domestic Advances	652558	711046	8.96
Overseas Advances	22597	30101	33.21
Total Assets	**1153675**	**1226980**	**6.35**

Deposits

Total Deposits grew by 7.47% y-o-y from ₹1010875 crore as on March 2021 to ₹1086409 crore as on March 2022. Domestic CASA deposits of the Bank grew by 11.52% y-o-y to ₹368732 crore as on March 2022 with Savings deposits at ₹315916 crore, a growth rate of 12.22% y-o-y and Current deposits at ₹52816 crore with a growth of 7.50% y-o-y. The Bank's domestic CASA deposits share to domestic deposits stood at 35.88%.

The focus on premier CASA products, like Single Nodal Agency (SNA) Accounts / Central Nodal Agency (CNA) Accounts, Canara Galaxy, Canara Privilege, Canara Payroll, SB Power Plus and NRI accounts were given to improve the average balances under CASA. Total deposit clientele of the Bank stood at 10.51 crore as at 31st March 2022.

Advances

The Bank expanded its asset base in a well-diversified manner encompassing sectors such as Agriculture and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) as well as keeping a focus on retail assets, including Housing, Education, and Vehicle loans.

Advances (Gross) of the Bank reached ₹741147 crore as at March 2022. The number of borrowal clientele stood at 1.08 crore as at March 2022. Total business of

थी। मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक का कुल कारोबार बढ़कर ₹1827556 करोड़ हो गया।

वित्तीय निष्पादन

वित्त वर्ष 2021–22 के लिए बैंक का परिचालन लाभ ₹23089 करोड़ रहा। वित्त वर्ष 2021–22 के लिए बैंक ने ₹5678 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया। बैंक की निवल ब्याज आय ₹26384 करोड़ रही। एनआईएम 2.82% और अग्रिमों पर यील्ड 7.22% पर रहा।

प्रमुख वित्तीय अनुपात (%)	मार्च-21	मार्च-22
निधियों पर लागत	4.09	3.60
निधियों पर प्रतिफल	6.26	5.82
जमा पर लागत	4.52	3.95
अग्रिम पर प्रतिफल	7.73	7.22
निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम)	2.76	2.82
आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए)	0.23	0.48
ईक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई)	6.71	12.82
आय अनुपात पर लागत	49.55	46.16

आय और व्यय विश्लेषण

वर्ष के दौरान, कुल आय ₹85907 करोड़ है, जिसमें अग्रिम से ₹49862 करोड़ ब्याज, निवेश से ₹16972 करोड़ ब्याज, गैर–ब्याज आय से ₹16497 करोड़ और अन्य ब्याज आय से ₹2576 करोड़ शामिल हैं।

बैंक का परिचालनात्मक निष्पादन (₹ करोड़ में)

विवरण	मार्च-21	मार्च-22
अर्जित ब्याज	69280	69410
व्यय किया ब्याज	45177	43026
कुल ब्याज आय (एनआईआई)	24103	26384
अन्य आय	14924	16497
जिसमें - शुल्क आय	5243	6113
विदेशी मुद्रा आय	1882	2813
ट्रेडिंग लाभ	2978	2593
अपलिखित खातों से वसूली	3032	2747
परिचालन आय (एनआईआई + अन्य आय)	39027	42881
परिचालन आय	19338	19792
कर्मचारी व्यय	12756	12704

the Bank increased to ₹1827556 crore for the year ended March 2022.

FINANCIAL PERFORMANCE

Operating profit of the Bank stood at ₹23089 crore for FY 2021-22. Bank reported a net Profit of ₹5678 crore for FY 2021-22. Net Interest income of the Bank stood at ₹26384 crore. NIM stood at 2.82% and Yield on Advances at 7.22%.

Key Financial Ratios (%)	Mar-21	Mar-22
Cost of Funds	4.09	3.60
Yield on Funds	6.26	5.82
Cost of Deposits	4.52	3.95
Yield on Advances	7.73	7.22
Net Interest Margin (NIM)	2.76	2.82
Return on Assets (RoA)	0.23	0.48
Return on Equity (RoE)	6.71	12.82
Cost to Income Ratio	49.55	46.16

Income and Expenditure Analysis

During the year, total income is at ₹85907 crore, comprising ₹49862 crore interest from advances, ₹16972 crore interest from investments, ₹16497 crore from non-interest income and ₹2576 crore from other interest income.

Operating performance of the Bank (₹ in Crore)

Particulars	Mar-21	Mar-22
Interest Earned	69280	69410
Interest Expended	45177	43026
Net Interest Income (NII)	24103	26384
Other Income	14924	16497
of which- Fee Income	5243	6113
Forex Income	1882	2813
Trading Gains	2978	2593
Recovery from Written Off Account	3032	2747
Operating Income (NII + Other Income)	39027	42881
Operating Expenses	19338	19792
Employee Expenses	12756	12704

विवरण	मार्च-21	मार्च-22
अन्य परिचालन व्यय	6582	7088
परिचालन लाभ	19689	23089
प्रावधान	15982	14128
जिसमें - एनपीए के प्रावधान व बट्टे खाते डाले गये अशोध्य ऋण	14168	9848
मानक अग्रिमों के लिए प्रावधान	1	(233)
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	107	979
अन्य प्रावधान	1705	2180
कर देने से पूर्व लाभ	3707	8961
कर के लिए प्रावधान	1149	3283
शुद्ध लाभ	2558	5678

बैंक के लिए जोर दिये जाने वाले क्षेत्रों के अनुरूप, गैर–ब्याज आय (व्यापारिक लाभ को छोड़कर) ₹13904 करोड़ है। ट्रेडिंग लाभ के अलावा, गैर–ब्याज आय के अन्य प्रमुख स्रोत जैसे सेवा शुल्क (₹3125 करोड़), कमीशन और विनिमय (₹1230 करोड़), बट्टे खाते में डाले गए खातों से वसूली (₹2747 करोड़) और विनिमय लेनदेन से लाभ (₹2813 करोड़) ने बैंक की गैर–ब्याज आय में योगदान दिया। कुल आय में गैर–ब्याज आय का हिस्सा 19.20% था।

वित्त वर्ष 2021–22 में बैंक का कुल व्यय ₹62818 करोड़ था। बैंक का ब्याज व्यय ₹43026 करोड़ है। परिचालन व्यय ₹19792 करोड़ है, जिसमें स्टाफ लागत ₹12704 करोड़ और अन्य परिचालन व्यय ₹7088 करोड़ शामिल हैं।

ब्याज दरों में कमी के कारण, बैंक की जमा की लागत घटकर 3.95% हो गई है। निवल ब्याज आय, भुगतान किए गए ब्याज और बैंक द्वारा अर्जित ब्याज के बीच का अंतर ₹26384 करोड़ है।

पूंजी और आरक्षित निधि

मार्च 2022 तक बैंक की कुल संपत्ति ₹48692.46 करोड़ थी। जबकि बैंक की कुल प्रदत्त पूंजी ₹1814.13 करोड़ थी, आरक्षित निधि और अधिशेष ₹64297.18 करोड़ था।

Particulars	Mar-21	Mar-22
Other Operating Expenses	6582	7088
Operating Profit	19689	23089
Provisions	15982	14128
of which- Provisions for NPAs & Bad debts written off	14168	9848
Provision for Standard Advances	1	(233)
Provision for Depreciation on Investment	107	979
Other Provisions	1705	2180
Profit Before Tax	3707	8961
Provision for Tax	1149	3283
Net Profit	2558	5678

In line with the thrust areas for the Bank, non-interest income (Excl. Trading profit) is at ₹13904 crore. Apart from trading profit, other major sources of non-interest income, like, service charges (₹3125 crore), commission and exchange (₹1230 crore), recovery from written off accounts (₹2747 crore) and Profit from exchange transaction (₹2813 crore) contributed to the non-interest income of the Bank. The share of non-interest income to total income stood at 19.20%.

Total expenditure of the Bank stood at ₹62818 crore in FY 2021-22. Interest expenses of the Bank is at ₹43026 crore. Operating expenses is at ₹19792 crore, comprising staff cost of ₹12704 crore and other operating expenses of ₹7088 crore.

Due to the decrease in interest rates, the Bank's cost of deposits is reduced to 3.95%. The net interest income, the difference between interest paid and interest earned by the Bank, is at ₹26384 crore.

Capital and Reserves

Net worth of the Bank, as at March 2022 stood at ₹48692.46 crore. While the total paid-up capital of the Bank stood at ₹1814.13 crore, the reserves and surplus at ₹64297.18 crore.

पूंजी की संरचना (₹ करोड़ में)	मार्च 2021 बेसल III	मार्च 2022 बेसल III
जोखिम भारित अस्तियां	530012	538283
सीईटी I	45624	55247
सीईटी I (%)	8.61%	10.26%
एटी I	7813	8886
एटी I (%)	1.47%	1.65%
टियर I पूंजी	53437	64133
सीआरएआर (%) (टियर I)	10.08%	11.91%
टियर II पूंजी	16407	16083
सीआरएआर (%) (टियर II)	3.10%	2.99%
कुल पूंजी	69844	80216
सीआरएआर (%)	13.18%	14.90%

बेसल III के तहत पूंजी पर्याप्तता अनुपात मार्च 2022 तक 14.90% था, जबकि 2.50% के पूंजी संरक्षण बफर सहित 11.5% की नियामक आवश्यकता थी। पूंजी पर्याप्तता अनुपात के भीतर, सीईटी I अनुपात 10.26% और टियर I पूंजी अनुपात 11.91% था।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, बैंक ने बेसल III के अनुरूप अतिरिक्त टियर 1 बॉन्ड के माध्यम से ₹4000 करोड़, टियर 2 बॉन्ड से ₹2500 करोड़ और क्यूआईपी के माध्यम से इक्विटी से ₹2500 करोड़ की पूंजी जुटाई है और इस तरह 31.03.2022 को बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता 62.93% है।

खुदरा उधार परिचालन

वित्त वर्ष 2021–22 के लिए, बैंक के प्रमुख क्षेत्रों में से एक के रूप में खुदरा ऋण ने वित्त वर्ष 2020–21 की तुलना में 9.51% की उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई है। 31 मार्च, 2022 तक बैंक का कोर रिटेल पोर्टफोलियो बढ़कर ₹126277 करोड़ हो गया, जिसमें आवास ऋण ₹73828 करोड़ और वाहन ऋण के तहत ₹14105 करोड़ था। घरेलू अग्रिमों (₹711046 करोड़) में 31 मार्च, 2022 तक खुदरा ऋणों का हिस्सा 17.75% था। रिटेल पोर्टफोलियो की परेशानी मुक्त क्रेडिट डिलीवरी में की गई पहल के परिणामस्वरूप पिछले वर्ष की तुलना में 9.51% की वृद्धि हुई।

Composition of Capital (₹ in Crore)	March 2021 Basel III	March 2022 Basel III
Risk Weighted Asset	530012	538283
CET I	45624	55247
CET I (%)	8.61%	10.26%
AT I	7813	8886
AT I (%)	1.47%	1.65%
Tier I Capital	53437	64133
CRAR (%) (Tier I)	10.08%	11.91%
Tier II Capital	16407	16083
CRAR (%) (Tier II)	3.10%	2.99%
Total Capital	69844	80216
CRAR (%)	13.18%	14.90%

Capital Adequacy Ratio, under Basel III was 14.90% as at March 2022 against the regulatory requirement of 11.5%, including capital conservation buffer of 2.50%. Within the capital adequacy ratio, CET I ratio was at 10.26% and Tier I capital ratio was at 11.91%.

During the Financial Year 2021-22, Bank has raised capital via Basel III compliant additional Tier 1 Bond amounting to ₹4000 crore, Tier 2 Bonds amounting to ₹2500 crore and equity through QIP of ₹2500 crore and thereby Government of India shareholding in the Bank is 62.93% as on 31.03.2022.

RETAIL LENDING OPERATIONS

For the FY 2021-22, Retail Lending as one of the thrust areas of the Bank had shown a considerable growth of 9.51% compared to FY 2020-21. The Core Retail Portfolio of the Bank increased to ₹126277 crore as on March 31, 2022 with Housing Loans at ₹73828 crore and ₹14105 crore under Vehicle Loans. The share of Retail Loans stood at 17.75% as of March 31, 2022 of Domestic Advances (₹711046 crore). The initiatives taken in the hassle-free credit delivery of Retail Portfolio resulted in the growth of 9.51% over the previous year.

(₹ करोड़ में)

खुदरा खंड	यथा मार्च	
	2021	2022
1.आवास	64326	73828
2. वाहन	13713	14105
3.अन्य व्यक्तिगत ऋण	24834	25369
4. शिक्षा	12439	12975
मूल खुदरा ऋण (1+2+3+4)	**115312**	**126277**

शिक्षा ऋण

इन वर्षों में, बैंक ने भारत और विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में होनहार छात्रों की सहायता की है। मार्च 2022 तक बैंक का शिक्षा ऋण पोर्टफोलियो बढ़कर ₹12975 करोड़ हो गया। बैंक ने मार्च 2022 तक लगभग 3.58 लाख छात्रों को वित्तपोषित किया है। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, बैंक ने ₹2269.68 करोड़ की राशि के शिक्षा ऋण संवितरित किए हैं और ₹3661 करोड़ की राशि के 36293 खातों को ऑनलाइन विद्या लक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से मंजूरी दी है।

सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में हमारा बैंक शिक्षा ऋण देने में सबसे आगे है। इसके अलावा, हाल के वर्षों में कौशल विकास पर भारी जोर देते हुए, वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) की कौशल विकास पहल का समर्थन करने के लिए "आईबीए कौशल ऋण योजना" लागू की गई है।

बैंक के पास मेधावी छात्रों के लिए, जो आईआईटी, आईआईएम, आईएसबी आदि जैसे प्रमुख संस्थानों में प्रवेश लेते हैं, ₹50 लाख तक की सीमा तक रियायती ब्याज दरो पर संपार्श्विक मुक्त शिक्षा ऋण प्रदान करने की "विद्या तुरंत" नामक एक विशेष शिक्षा ऋण योजना है, ब्रिज लोन योजना नामतः "विद्या सहाय" जरूरतमंद और मेधावी छात्रों की सहायता के लिए, जिन्हें चयन/परामर्श के समय सीईटी / परामर्श अधिकारियों को डाउन पेमेंट की आवश्यकता है, और पीडब्ल्यूडी श्रेणी के छात्रों के लिए "विद्या शक्ति" शिक्षा ऋण योजना है, जिसमें रियायती ब्याज दर के साथ दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए उपकरणों के खर्च शामिल हैं।

हमारे बैंक ने हाल ही में केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना (सीएसआईएस), एसीएसआईएसईबीसीओबीसी*, शिक्षा ऋण केंद्रीय क्षेत्र सब्सिडी योजना के तहत पढ़ो परदेश के तहत क्रेडिट सब्सिडी से जुड़े शिक्षा ऋण आवेदनों को प्राप्त करने के लिए डीएफएस की पहल

(₹ in Crore)

Retail Segments	As at March	
	2021	2022
1. Housing	64326	73828
2. Vehicle	13713	14105
3. Other Personal	24834	25369
4. Education	12439	12975
Core Retail Loans (1+2+3+4)	**115312**	**126277**

EDUCATION LOAN

Over the years, the Bank has assisted a substantial number of promising students to pursue higher education in India and abroad. The Bank's education loan portfolio increased to ₹12975 crores as at March 2022. The Bank has financed around 3.58 lakh students as at March 2022. During FY 2021-22, the Bank has disbursed education loans worth ₹2269.68 crores and sanctioned 36293 number of accounts amounting to ₹3661 crores through online Vidya Lakshmi portal.

Among all Nationalized Banks, our Bank is in the forefront in extending education loans. Further, considering the huge thrust on skill development in recent years, "IBA Skill Loan Scheme" has been implemented to support skill development initiatives of Department of Financial Services (DFS).

The Bank has a special education loan scheme namely "Vidya Turant", Collateral-free Education loans for the meritorious students who are admitted to premier institutes such as IITs, IIMs, ISB etc. up to a limit of ₹50 lakh with concessional rate of Interest; Bridge Loan Scheme namely "Vidya Sahay" to assist the needy and meritorious students who are in need of the down payment to be made to the CET / Counselling Authorities at the time of selection / counselling and "Vidya Shakthi" Education loan scheme for the PwD category of students including expenses for specially designed equipment's for differently abled persons with concessional interest rate.

Our bank has recently integrated Jan Samarth (National) portal with our loan origination system as a part of DFS initiative for sourcing the credit subsidy linked Education

के एक भाग के रूप में हमारी ऋण उत्पत्ति प्रणाली के साथ जन समर्थ (राष्ट्रीय) पोर्टल को एकीकृत किया है।

*अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) के लिए शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी के संबंध में डॉ. अम्बेडकर केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना

प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम

बैंक कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, शिक्षा, आवास, सामाजिक बुनियादी ढांचे, नवीकरणीय ऊर्जा, सूक्ष्म ऋण, कमजोर वर्गों और निर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सहित राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के तहत विभिन्न लक्ष्यों को महत्व देता आ रहा है।

मार्च 2022 तक बैंक का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम ₹339039 करोड़ तक पहुंच गया और समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) में 40% अनिवार्य मानदंड के मुकाबले 49.68% प्राप्त किया।

प्राथमिकता क्षेत्र (₹ करोड़ में)

प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम	यथा मार्च	
	2021	2022
कुल प्राथमिकता क्षेत्र	304803	339039
कृषि (प्राथमिकता क्षेत्र)	155990	175238

- ➢ **कृषि** को ऋण वितरण पर ध्यान देने के साथ, कृषि पोर्टफोलियो के तहत बैंक का अग्रिम 12.34% बढ़कर ₹175238 करोड़ हो गया, जिसमें 1.07 करोड़ से अधिक किसान शामिल हैं।
- ➢ कृषि ऋण के तहत, बैंक ने एएनबीसी के 18% अनिवार्य मानदंड के मुकाबले 22.47% प्राप्त किया।
- ➢ वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, बैंक का कृषि ऋण वितरण ₹152686 करोड़ है।
- ➢ मार्च 2022 तक छोटे और सीमांत किसानों को अग्रिम में 9% (पीएसएलसी–एसएफ / एमएफ बिक्री का निवल) के अनिवार्य लक्ष्य के मुकाबले ने एएनबीसी का 16.26% हासिल किया।
- ➢ वर्ष के दौरान, बैंक ने ₹35169 करोड़ की राशि के 20.14 लाख किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी किए।
- ➢ केसीसी के तहत बकाया ऋण मार्च 2022 तक ₹44491 करोड़ तक पहुंच गया।

loan applications under Central Sector Interest Subsidy Scheme (CSIS), ACSISEBCOBC*, Padho Pardesh under Education loan Central Sector subsidy schemes.

*Dr. Ambedkar Central Sector Scheme of Interest Subsidy on Educational Loans for Other Backward Classes (OBCs) & Economically Backward Classes (EBCs)

PRIORITY SECTOR ADVANCES

The Bank continues to accord importance to varied goals under national priorities, including agriculture, micro, small and medium enterprises, education, housing, social infrastructure, renewable energy, microcredit, credit to weaker sections and specified minority communities.

Priority Sector Advances of the Bank as at March 2022 reached ₹339039 crore and achieved 49.68% to Adjusted Net Bank Credit (ANBC) against 40% mandated norm.

Priority Sector (₹ in Crore)

Priority Sector Advances	As at March	
	2021	2022
Total Priority Sector	304803	339039
Agriculture (Priority)	155990	175238

- ➢ With a focus on credit delivery to **Agriculture,** the Bank's advances under agriculture portfolio increased by 12.34% to ₹175238 crore, covering over 1.07 crore farmers.
- ➢ Under agriculture lending, the Bank achieved 22.47% to ANBC against 18% mandated norm.
- ➢ During FY 2021-22, the Bank's agriculture credit disbursal is at ₹152686 crore.
- ➢ Advances to Small & Marginal Farmers achieved 16.26% to ANBC as against the mandatory Target of 9% (Net of PSLC-SF / MF sale) as at March 2022.
- ➢ During the year, the Bank issued 20.14 lakh Kisan Credit Cards (KCCs), amounting to ₹35169 crore.
- ➢ The credit outstanding under KCCs reached ₹44491 crore as at March 2022.

- 80.47% की उपलब्धि के साथ 20.28 लाख पात्र खातों की तुलना में 16.32 लाख किसान रुपे कार्ड जारी किए गए।

- सूक्ष्म उद्यमों को अग्रिम (प्राथमिकता) 7.5% के अनिवार्य लक्ष्य की तुलना में एएनबीसी का 10.16% प्राप्त करते हुए ₹61171 करोड़ रहा।

- बैंक ने विभिन्न **सरकार प्रायोजित योजनाओं** जैसे प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम), ब्याज की विभेदक दर (डीआरआई) योजना, स्टैंड अप इंडिया, प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) में सक्रिय रूप से भाग लिया।

- मार्च 2022 तक, निम्नलिखित सरकारी योजनाओं के तहत बकाया अग्रिम, कुल मिलाकर ₹33137 करोड़ था, जिसमें लगभग 21.29 लाख लाभार्थी शामिल थे।

सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत निष्पादन:

(खातों की वास्तविक स्तिथि और राशि ₹ करोड़ में)

योजना	मार्च-22	
	खाते	राशि
प्रधान मंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)	48423	2284
दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डे-एनआरएलएम)	135743	3504
दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डे-एनयूएलएम)	16329	195
विभेदक ब्याज दर	102323	80
स्टैंड अप इंडिया	6802	1194
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)	1819166	25880
कुल	**2128786**	**33137**

- डीआरआई को अग्रिम ₹80 करोड़ रहा, जिसमें 1.02 लाख लाभार्थी शामिल थे, जिनमें से ग्रामीण और अर्ध–शहरी शाखाओं द्वारा अग्रिम राशि ₹60 करोड़ थी।

- 16.32 lakh Kisan RuPay Cards were issued against eligible accounts of 20.28 lakh, with an achievement of 80.47%.

- Advances to Micro Enterprises (Priority) stood at ₹61171 crore achieving 10.16% to ANBC as against the mandatory target of 7.5%.

- The Bank actively participated in various **Government Sponsored Schemes**, such as, Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP), National Rural Livelihood Mission (NRLM), National Urban Livelihood Mission (NULM), Differential Rate of Interest (DRI) Scheme, Stand Up India, Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY).

- As at March 2022, the outstanding advances under the following Government Schemes, aggregated to ₹33137 crores, involving around 21.29 lakh beneficiaries.

Performance under various Government Sponsored Schemes:

(Accounts in actuals & Amount in ₹ crore)

Scheme	Mar-22	
	Accounts	Amount
Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP)	48423	2284
Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM)	135743	3504
Deendayal Antyodaya Yojana-National Urban Livelihoods Mission (DAY-NULM)	16329	195
Differential Rate of Interest	102323	80
Stand Up India	6802	1194
Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY)	1819166	25880
Total	**2128786**	**33137**

- Advances to DRI stood at ₹80 crore, consisting of 1.02 lakh beneficiaries, of which, advances by rural and semi-urban branches amounted to ₹60 crore.

➢ समाज के वंचित वर्गों के समर्थन में, बैंक की **अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को अग्रिम** राशि मार्च 2022 तक ₹15041 करोड़ थी, जिसमें 8.38 लाख उधारकर्ता शामिल थे।

➢ अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अग्रिमों में कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों का 4.44% शामिल था।

➢ **कमजोर वर्गों के लिए अग्रिम** ₹174880 करोड़ तक पहुंच गया, जिसमें एएनबीसी के 11% के अनिवार्य मानदंड की तुलना में 22.41% प्राप्त किया गया।

यथा मार्च 2022 तक कमजोर वर्गों को अग्रिम के विभिन्न घटक:

(खातों की वास्तविक स्तिथि और राशि ₹ करोड़ में)

क्षेत्र	बकाया	
	खाते	राशि
छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूर, किरायेदार किसान और बंटाईदार	9841423	137903
एस सी / एस टी लाभार्थी	838104	15041
डीआरआई ऋण	102323	80
स्वयं सहायता समूह	347098	11142
संयुक्त देयता समूह	56940	1249

➢ मार्च 2022 तक, **निर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों** को कुल अग्रिम ₹56520 करोड़ रहा, जो निर्धारित 15% मानदंड के मुकाबले वास्तविक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों का 16.71% है।

सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

मार्च 2022 तक एमएसएमई के लिए अग्रिम बढ़कर ₹119026 करोड़ हो गया, जिसमें वर्षानुवर्ष 9.87% की वृद्धि हुई। एम एंड एसई सेगमेंट को क्रेडिट 7.27% वर्षानुवर्ष वृद्धि के साथ बढ़कर ₹101716 करोड़ हो गया। सूक्ष्म उद्यमों को अग्रिमों में 13.72% की वृद्धि दर्ज की गई। इस खंड में ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए और चल रही कोविड-19 महामारी को देखते हुए, बैंक ने विशिष्ट क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न आवश्यकता आधारित योजनाएं और उत्पाद शुरू किए हैं जैसे:

➢ In support of the underprivileged sections of the society, the Bank's **advances to SCs / STs** beneficiaries amounted to ₹15041 crore as at March 2022, covering 8.38 lakh borrowers.

➢ The advances to SCs / STs comprised 4.44% of total priority sector advances.

➢ **Advances to weaker** sections reached ₹174880 crore, constituting 22.41% to ANBC against mandated norm of 11%.

Various components of advances to Weaker Sections as at March 2022:

(Accounts in actuals & Amount in ₹ Crore)

Sector	Outstanding	
	Accounts	Amount
Small & Marginal Farmers, Landless Labourers, Tenant Farmers and Share Croppers	9841423	137903
SC / ST Beneficiaries	838104	15041
DRI Loan	102323	80
Self Help Group	347098	11142
Joint Liability Group	56940	1249

➢ As at March 2022, advances to **specified minority communities** aggregated to ₹56520 crore, accounting for 16.71% of the actual priority sector advances against the stipulated 15% norm.

MICRO SMALL & MEDIUM ENTERPRISES (MSMEs)

Advances to MSMEs increased to ₹119026 crores as at March 2022, with a y-o-y growth of 9.87%. Credit to M&SE segments rose to ₹101716 crores, with a 7.27% y-o-y growth. Advances to Micro Enterprises recorded a growth of 13.72 %. In order to increase credit flow to this segment and in view of the ongoing Covid-19 pandemic, the Bank has launched various need based schemes and products catering to the needs of the specific segments such as:

- **जीईसीएल योजनाएं (जीईसीएल 1.0, जीईसीएल 2.0, जीईसीएल 3.0, जीईसीएल 4.0, जीईसीएल एक्सटेंशन) -** मौजूदा व्यावसायिक उद्यमों / एमएसएमई / पीएमएमवाई ग्राहकों को मौजूदा परिसंपत्तियों का निर्माण करने और परिचालन देनदारियों को पूरा करने और मेसर्स एनसीजीटीसी लिमिटेड के द्वारा समय-समय पर जारी संसूचनाओं के अनुसार कारोबार दोबारा शुरू करने के लिए।

जीईसीएल योजना - 31.03.2022 तक संचयी निष्पादन

योजना	स्वीकृत		संवितरित	
	खाते	राशि (करोड़ में)	खाते	राशि (करोड़ में)
जीईसीएल 1.0	475420	9973	451613	9650
जीईसीएल 2.0	138	1220	138	1220
जीईसीएल 3.0	2135	175	2082	170
जीईसीएल 4.0 (अतिरिक्त 10% सहित)	1503	187	1470	184
जीईसीएल (ईसीएलजीएस) एक्सटेंशन	141953	7302.69	130154	6747.24
कुल	**621149**	**18857.69**	**585457**	**17971.24**

- **सीजीएसएसडी** - सीजीएसएसडी (अधीनस्थ ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना) एमएसएमई के पुनर्गठन के संबंध में अधीनस्थ-ऋण सहायता प्रदान करने के लिए अधीनस्थ ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के लिए गारंटी कवरेज प्रदान करने के लिए 31.07.2020 को शुरू किया गया है। यह योजना 31.03.2023 तक वैध है। बैंक ने 31.03.2022 तक इस योजना के तहत ₹15.76 करोड़ के 147 खाते खोले हैं।

- **पीएम स्वनिधि** - यह योजना जुलाई 2020 के दौरान शहरी क्षेत्रों में 24.03.2020 को या उससे पहले से वेंडिंग में लगे सभी स्ट्रीट वेंडरों के लिए एमओएचयूए के योजना दिशानिर्देशों में निर्धारित पहचान मानदंडों के अनुसार शुरू की गई है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) एमओएचयूए का कार्यान्वयन भागीदार है। **पीएम स्वनिधि** के तहत, बैंक ने 31.03.2022 तक योजना की शुरुआत के बाद से ₹231.91 करोड़ की राशि के 217642 खातों को मंजूरी दी।

- आरबीआई अधिसूचना **डीओआर.एसटीआर.आरईसी.11/ 21.04.048/2020-21** दिनांक 05-05-2021 के आधार पर, विभाग ने 31.03.2021 तक मानक परिसंपत्ति श्रेणी के तहत ₹50 करोड़ तक के एक्सपोजर के साथ एमएसएमई ऋणों के लिए रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 (आरएफ 2.0) योजना का विस्तार किया है, जहां पुनर्रचना 30.09.2021 तक इन्वोक की जाती है और

- **GECL Schemes (GECL 1.0, GECL 2.0, GECL 3.0, GECL 4.0, GECL Extension) -** To existing Business Enterprises/ MSMEs / PMMY Customers to build up current assets and to meet operational liabilities and restart the business as per communication received from M/s NCGTC Ltd from time to time.

GECL SCHEME - CUMULATIVE PERFORMANCE TILL 31.03.2022

Scheme	Sanction		Disbursement	
	Accounts	Amount (Cr)	Accounts	Amount (Cr)
GECL 1.0	475420	9973	451613	9650
GECL 2.0	138	1220	138	1220
GECL 3.0	2135	175	2082	170
GECL 4.0 (Incl. Addl. 10%)	1503	187	1470	184
GECL (ECLGS) Extension	141953	7302.69	130154	6747.24
Total	**621149**	**18857.69**	**585457**	**17971.24**

- **CGSSD** - CGSSD (Credit Guarantee Scheme for Subordinate Debt) has been launched on 31.07.2020 to provide guarantee coverage for the Credit Guarantee Scheme for Subordinate Debt to provide Sub-Debt support in respect of restructuring of MSMEs. The scheme is valid till 31.03.2023. Bank has opened 147 accounts to the tune of ₹15.76 crore under the scheme till 31.03.2022.

- **PM SVANidhi** - This scheme has been introduced during July 2020 for all street vendors engaged in vending in urban areas as on or before 24.03.2020 as per identification criteria stipulated in scheme guidelines of MoHUA. Small Industries Development Bank of India (SIDBI) is the implementation partner of the MoHUA. Under **PM SVANidhi,** the Bank sanctioned 217642 accounts amounting to ₹231.91 crore, since inception till 31.03.2022.

- Based on RBI Notification **DOR.STR.REC.11 / 21.04.048 / 2020-21** dated 05-05-2021, Wing has extended Resolution Framework 2.0 (R.F. 2.0) Scheme to MSME loans under standard asset category as at 31.03.2021 with exposure up to ₹50 crores, where restructuring is invoked by

इन्वोक करने की तारीख से 90 दिनों के भीतर कार्यान्वित की जाती है। रिजॉल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 योजना के तहत (आरबीआई परिपत्र दिनांक 05.05.2021 के तहत पुनर्गठित खाते) 236484 खातों को 31.12.2021 (यानी योजना के कार्यान्वयन की अंतिम तिथि) तक ₹9587.14 करोड़ की राशि के साथ पुनर्गठित किया गया है।

✓ सरकारी दिशानिर्देशों के अनुरूप, बैंक ने महामारी की स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे और पर्यटन क्षेत्र को समर्थन देने के लिए विभिन्न योजनाएं तैयार की हैं, जैसे:

क) **केनरा जीवनरेखा,** जिसमें ₹2 करोड़ अस्पतालों/ नर्सिंग होमों में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने और तरल ऑक्सीजन और संबद्ध चिकित्सा उपकरणों के निर्माण और आपूर्ति में लगी इकाइयों को रियायती आरओआई पर प्रसंस्करण शुल्क के बिना प्रदान किया जाता है और सीजीटीएमएसई गारंटी शुल्क बैंक द्वारा वहन किया जाता है। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, बैंक ने केनरा जीवन रेखा योजना के तहत ₹46.99 करोड़ के 324 खातों को मंजूरी दी है।

ख) **केनरा चिकित्सा,** कोविड से संबंधित स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे और सेवाओं को बढ़ाने के लिए रियायती आरओआई पर ₹10 लाख से ₹50 करोड़ तक की तत्काल तरलता वाली ऋण सुविधा प्रदान की जाती है। बैंक ने वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान केनरा चिकित्सा योजना के तहत ₹774.51 करोड़ की राशि के 1633 खातों को मंजूरी दी है।

ग) **एललीएससीएएस** (कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना), जिसमें मेसर्स एनसीजीटीसी के आंशिक क्रेडिट गारंटी कवरेज के तहत, गैर–महानगरीय क्षेत्रों में कोविड से संबंधित स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे और सेवाओं की स्थापना / आधुनिकीकरण / विस्तार के लिए ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए रियायती ब्याज दरों पर ₹100 करोड़ तक का ऋण दिया जाता है।

घ) **एलजीएससीएटीएसएस** (कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी योजना) को बैंक द्वारा पंजीकृत पात्र पर्यटक गाइडों और यात्रा और पर्यटन हितधारकों को मेसर्स एनसीजीटीसी के 100% क्रेडिट गारंटी कवरेज के तहत रियायती आरओआई पर और बिना किसी प्रसंस्करण शुल्क के, मान्यता प्राप्त / अनुमोदित यात्रा और पर्यटन

30.09.2021 and is implemented within 90 days from the date of invocation. Under Resolution Framework 2.0 Scheme (Accounts restructured under RBI Circular dated 05.05.2021) 236484 accounts have been restructured amounting to ₹9587.14 crore till 31.12.2021 (i.e. Last date for implementation of the scheme).

✓ In line with the Government guidelines, Bank has formulated various schemes for supporting healthcare infrastructure and tourism sector to tide over the pandemic situation, such as:

a) **Canara Jeevanrekha,** wherein loans up to ₹2 crore are extended to set up oxygen plants in hospitals / nursing homes & units engaged in manufacturing & supply of liquid oxygen & associated medical devices at concessional ROI, without processing charges and CGTMSE guarantee fee is borne by the Bank. During FY 2021-22, Bank has sanctioned 324 accounts to the tune of ₹46.99 crore under Canara Jeevan Rekha scheme.

b) **Canara Chikitsa,** credit facilities for ₹10 lakhs to ₹ 50 crore are extended at concessional ROI to facilitate immediate liquidity for ramping up COVID related healthcare infrastructure and services. Bank has sanctioned 1633 accounts to the tune of ₹774.51 crore under Canara Chikitsa scheme during FY 2021-22.

c) **LGSCAS** (Loan Guarantee scheme for Covid affected sectors), wherein loans up to ₹100 crore is extended for financing Brownfield and Greenfield projects for setting up of / modernization / expansion of COVID related healthcare infrastructure and services in the non-metropolitan areas, at concessional ROI, under partial credit guarantee coverage of M/s. NCGTC.

d) **LGSCATSS** (Loan Guarantee scheme for Covid affected Tourism Service Sector) has been implemented by the Bank, to finance registered eligible tourist guides and Travel & Tourism stakeholders in terms of credit facilities at concessional ROI and no processing

हितधारकों के मामले में अधिकतम ₹10 लाख और पंजीकृत पर्यटक गाइडों के लिए ₹1.00 लाख तक तक की क्रेडिट सुविधा देनदारियों का निर्वहन करने और कोविड–19 महामारी के कारण प्रभावित अपने व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए शुरू किया गया है।

✓ बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान एलजीएससीएएस योजना के तहत ₹66.99 करोड़ के 43 खातों को मंजूरी दी है और एलजीएससीएटीएसएस योजना के तहत ₹2.14 करोड़ के 284 खातों को मंजूरी दी है।

✓ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत, बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान ₹12500 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले ₹13521.49 करोड़ की राशि मंजूर की है। मुद्रा योजना की विभिन्न श्रेणियों के तहत स्वीकृतियां और संवितरण निम्नानुसार हैं:

श्रेणी	वित्त वर्ष 2021-22 (₹ करोड़ में)			
	खातों की संख्या	स्वीकृत राशि	संवितरित राशि	यथा 31.03.2022 को संचयी बकाया राशि
शिशु (<50,000)	624206	796.20	793.37	1899.82
किशोर (50,000 से अधिक- 5 लाख)	242700	5817.31	5761.27	12891.56
तरुण (5 लाख से अधिक 10 लाख तक)	81531	6907.98	6864.04	11088.49
कुल	**948437**	**13521.49**	**13418.68**	**25879.88**

प्रमुख झलकियां

➢ **स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत,** बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 4196 खातों और ₹929 करोड़ की राशि की मंजूरी की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान ₹984.43 करोड़ की राशि के साथ 4314 खातों को मंजूरी दी है।

➢ बैंक ने आरआरबी सहित समग्र रूप से बैंक के लिए **पीएमएमवाई के तहत अनिवार्य लक्ष्य** ₹21500 करोड़ के मुकाबले ₹22064 करोड़ (102%) का लक्ष्य हासिल किया है।

➢ वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, **पीएमईजीपी** के तहत बैंक ने ₹1098.89 करोड़ की राशि के 11191 प्रस्तावों को मंजूरी दी

charges, restricted to maximum of ₹10 lakh each in case of recognized / approved Travel & Tourism Stakeholders and up to ₹1 lakh each for registered Tourist Guides, under 100% Credit Guarantee coverage of M/s. NCGTC, for discharging liabilities and restarting their businesses affected due to Covid -19 pandemic.

✓ Bank has sanctioned 43 accounts to the tune of ₹66.99 crore under LGSCAS scheme and sanctioned 284 accounts to the tune of ₹2.14 crore under LGSCATSS scheme during FY 2021-22.

✓ Under Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY), the Bank sanctioned an amount of ₹13521.49 crore against the target of ₹12500 crore during FY 2021-22. Sanctions and disbursals under different categories of Mudra Yojana are as under:

Category	FY 2021-22 (₹ in Crore)			
	No. of Accou-nts	San ctioned Amount	Disbur-sement Amount	Cumulative Outstanding Amount as on 31.03.2022
Shishu (<50,000)	624206	796.20	793.37	1899.82
Kishore (Above 50,000- 5 Lakhs)	242700	5817.31	5761.27	12891.56
Tarun (Above 5 Lakh to 10 Lakhs)	81531	6907.98	6864.04	11088.49
Total	**948437**	**13521.49**	**13418.68**	**25879.88**

Major Highlights

➢ **Under Stand Up India scheme,** the Bank Sanctioned 4314 accounts to the tune of ₹984.43 crore during FY 2021-22 as against sanction of 4196 accounts and sanction amount of ₹929 crore during FY 2020-21.

➢ Bank has achieved the mandatory **target under PMMY** for Bank as a whole including RRBs against the target of ₹21500 crore Bank has achieved ₹22064 crore (102%).

➢ During FY 2021-22, under **PMEGP** the Bank sanctioned 11191 proposals amounting to

है, जिसमें दावा की गई कुल मार्जिन मनी ₹345.44 करोड़ थी, वहीं वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 7985 खातों की मंजूरी, ₹750 करोड़ की मंजूरी राशि और दावा की गई मार्जिन मनी ₹281 करोड़ थी।

- **59 मिनट में पीएसबी ऋण** के संबंध में, बैंक दिनांक 31.03.2022 को 37056 सैद्धांतिक मंज़ूरी के साथ इस पोर्टल पर शीर्ष निष्पादनकर्ताओं में से एक है।
- **टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म** के तहत, हमारे बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान ₹1286.83 करोड़ की राशि के 4499 बिलों में छूट दी है।
- बैंक ने **मेसर्स इंडियाबुल्स कमर्शियल क्रेडिट लिमिटेड** और **मेसर्स लेंडिंगकार्ट फाइनेंस लिमिटेड** के साथ सह-ऋण व्यवस्था की शुरुआत की है। में और पूर्व में ही एमएसएमई को ₹206 करोड़ के ऋण की मंज़ूरी दी है।
- बैंक ने सरकार द्वारा प्रायोजित 4 एमएसएमई योजनाओं (पीएमएमवाई, स्टैंड अप इंडिया, वीवर्स मुद्रा और एनयूएलएम) को एकीकृत पोर्टल राष्ट्रीय पोर्टल (जिसे **जनसमर्थ पोर्टल** भी कहा जाता है) - डीएफएस, वित्त मंत्रालय की एक पहल, के तहत लागू किया है।

डिजिटल बैंकिंग और वैकल्पिक वितरण चैनल

यथा मार्च 2022 तक बैंक के 12,208 एटीएम हैं। एटीएम और कैश रिसाइकलर्स का औसत अपटाइम 102 एटीएम हिट्स के साथ 95.37% था। यथा मार्च 2022 तक बैंक का डेबिट कार्ड आधार 4.65 करोड़ और क्रेडिट कार्ड आधार 9.27 लाख तक पहुंच गया है। यथा मार्च 2022 तक मोबाइल बैंकिंग के तहत पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 121.05 लाख और नेट बैंकिंग उपयोगकर्ताओं की संख्या 212.39 लाख है। पीओएस में मर्चेंट ऑन–बोर्डिंग की संख्या 50,032 टर्मिनल है। भीम क्यूआर के तहत कुल निर्गम 12.64 लाख तक पहुंच गया है। बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए एमईआईटीवाई डिजिटल लेनदेन का लक्ष्य हासिल कर लिया है।

डेबिट और क्रेडिट कार्ड में शुरू की गई नई कार्यप्रणाली

- आईवीआर के माध्यम से कार्ड के लिए पिन जनरेशन।
- क्रेडिट कार्ड के लिए गलत पिन, अमान्य सीवीवी, अपर्याप्त निधि आदि के कारण अस्वीकृत लेनदेन के लिए ग्राहक को प्रासंगिक एसएमएस।
- कार्ड प्रबंधन प्रणाली उन्नयन जिसमें कार्ड जारी करना, जनरेशन, प्रसंस्करण, अनुमोदन और रखरखाव शामिल है।

₹1098.89 crore, with Total Margin Money claimed stood at ₹345.44 crore, as against sanction of 7985 accounts, sanction amount of ₹750 crore and Margin Money claim of ₹281 crore during FY 2020-21.

- With respect to **PSB Loans in 59 minutes,** the Bank is one of the top performers on this portal with 37056 in-principle sanctions since the inception till 31.03.2022.
- Under **TReDS Platform,** our Bank has discounted 4499 Bills amounting to ₹1286.83 crore during FY 2021-22.
- Bank has entered into co-lending arrangement with **M/s Indiabulls Commercial Credit Limited and M/s Lendingkart Finance Limited** and has already sanctioned loans to the tune of ₹206 crore to MSMEs.
- Bank has implemented 4 Government Sponsored MSME Schemes (PMMY, Stand Up India, Weavers Mudra and NULM) under unified portal called National Portal (also known as **Jan Samarth Portal**)- an initiative by DFS, Ministry of Finance.

DIGITAL BANKING & ALTERNATE DELIVERY CHANNELS

The Bank has 12,208 number of ATMs. The Average Uptime of ATMs & Cash Recyclers stood at 95.37% with ATM HITs of 102 as on March 2022. The Bank's Debit Card base reached to 4.65 crore and Credit Card base to 9.27 lakhs as on March 2022. The number of registered users under Mobile Banking is at 121.05 lakhs and Net Banking users is at 212.39 lakhs as at March 2022. The number of merchant on-boarding in POS stands at 50,032 terminals. The total issuance under BHIM QR reached 12.64 Lakhs. Bank has achieved MeitY digital transaction target for FY 2021-22.

New functionalities introduced in Debit & Credit Cards

- PIN generation through IVR for cards.
- Relevant SMS to customer for decline of transactions such as incorrect PIN, invalid CVV, insufficient fund etc. for Credit Card.
- Card Management System upgradation which includes issuance, generation, processing, authorization and maintenance of cards.

- ऋण आवेदन प्रसंस्करण प्रणाली (एलएपीएस) के माध्यम से क्रेडिट कार्ड आवेदन प्रसंस्करण, स्वीकृति और समीक्षा का कार्यान्वयन।
- बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए शाखाओं / अंचलों / क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए कार्ड प्रबंधन प्रणाली पैकेज को सक्षम करना।

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान कार्ड के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों का अनुपालन

- आवर्ती कार्ड लेनदेन के लिए ई–अधिदेश का कार्यान्वयन।
- जहां भी मर्चेंट सक्षम हैं, ई–कॉम मर्चेंट पर कार्ड लेनदेन को सुरक्षित करने के लिए कार्ड नेटवर्क स्तर पर कार्ड ऑन फाइल टोकनाइज़ेशन को सक्षम करना।
- कार्ड के लिए आस्ति वर्गीकरण का स्वचालन।

ग्राहकों को डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर छूट प्रदान करने के लिए ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं के साथ गठजोड़

बैंक ने ई–कॉमर्स लेनदेन के लिए ग्राहकों को डेबिट/क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर छूट प्रदान करने के लिए वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान फ्लिपकार्ट, स्विगी के साथ गठजोड़ किया था और भविष्य में और अधिक गठजोड़ की प्रक्रिया में है। यह ग्राहकों की सुविधा और खरीदारी को बढ़ाने में मदद करता है, प्रति कार्ड खर्च में वृद्धि करता है, इन ऑफर्स के साथ अधिक संख्या में कार्डों को सक्रिय करना सुनिश्चित करता है। इन आफर्स एवं अधिक खरीदारी के साथ, विनिमय अर्जन में भी वृद्धि होगी।

ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए कार्ड लेनदेन सुरक्षा के लिए किए गए सुरक्षा उपाय

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के लिए कार्ड लेनदेन की सुरक्षा बढ़ाना, ऑनलाइन और अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए कार्ड को सक्षम और अक्षम करना इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम और शाखा चैनल जैसे सभी चैनलों में सक्षम किया गया है।

एटीएम धोखाधड़ी को रोकने और आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए सुरक्षा सुविधाएं

- आरबीआई द्वारा अनिवार्य सुरक्षा उपायों (यानी टर्मिनल सुरक्षा समाधान, एंटी-स्किमिंग डिवाइस, ईएमवी अनुपालन) को समय-सीमा के भीतर हमारे सभी परिचालित एटीएम में सफलतापूर्वक लागू किया गया है।
- एटीएम पारिस्थितिकी तंत्र में मैन इन द मिडिल अटैक से उत्पन्न होने वाले जोखिम को कम करने के लिए एटीएम और कैश रिसाइक्लर्स में **टर्मिनल लेयर सिक्योरिटी (टीएलएस)** का कार्य पूरा हो गया है।

- Implementation of credit card application processing, sanction and review through Loan Application Processing System (LAPS).
- Enabling of Card Management System package for Branches / Circles / Regional office to provide better customer service.

Compliance of RBI guidelines for Cards during FY 2021-22

- Implementation of E-mandate for recurring card transactions.
- Enabling the Card on File tokenization at card network level for securing the card transaction on e-com merchant wherever merchants are enabled.
- Automation of asset classification for cards.

Tie-up with Online Retailers for providing discounts to customers on using of Debit Card & Credit Card

Bank had tied-up with Flipkart, Swiggy during FY 2021-22 for providing discounts to customers on use of Debit/Credit card for e-commerce transaction and is in the process of more tie-ups in future. It helps to increase the customer delight & spends, enhance the per card spend, ensure activation of more number of cards. With these offers and with higher spends, Interchange earned will also increase.

Security measures taken for Card transaction security for avoiding online frauds

As per RBI guideline, Enhancing Security of Card transactions for Debit Card & Credit Card, enabling and disabling card for online and international transactions is enabled in all channels like Internet Banking, Mobile Banking, ATM and branch channel.

Security features to arrest ATM frauds & Compliance of RBI guidelines

- Safety measures mandated by RBI (i.e. Terminal Security Solution, Anti-skimming Devices, EMV compliance) have been successfully implemented in all our operational ATMs within the timelines.
- Implementation of **Terminal Layer Security (TLS)** to mitigate risk arising from Man in The Middle attack in ATM ecosystem is completed in ATMs & Cash Recyclers.

- एटीएम और नकद रिसाइक्लर्स में नकद पुनःपूर्ति के लिए **कैसेट स्वैप** लागू किया गया है।
- एटीएम में सुरक्षा नियंत्रण को मजबूत करने के एक हिस्से के रूप में, आरबीआई ने बैंकों को एटीएम में **ई-निगरानी** लागू करने का निर्देश दिया है और उसका कार्य प्रगति पर है।
- सभी एटीएम केंद्रीकृत समाधान के लिए माइग्रेट किए गए हैं।
- ₹10,000/- से अधिक की नकद निकासी के लिए कार्ड-रहित नकद निकासी और ओटीपी लागू किया गया है।
- **बैंक ने एटीएम में नकदी की उपलब्धता की निगरानी** और जुर्माने से बचने के लिए हर समय नकदी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई के निर्देशों का पालन करने के लिए कई उपाय किए हैं।

वित्त वर्ष 2021-22 में इंटरनेट बैंकिंग में जोड़ी गई नई सुविधाएँ:

- कृषि ऋण सेवाएं: केसीसी के लिए आवेदन / नवीनीकरण, स्वर्ण ऋण के लिए आवेदन करना, स्वर्ण ऋण / केसीसी का पुनर्भुगतान, कृषि ऋण खाता विवरण आदि।
- आधार कार्ड के माध्यम से ट्रांजेक्शन पासवर्ड का वैकल्पिक जनरेशन।
- इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से फॉर्म 16 डाउनलोड करना।

वित्त वर्ष 2021-22 में मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन (केनडि) में जोड़ी गईं नई सुविधाएँ:

- **अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई:** बैंक हमारे ग्राहकों को यूपीआई के माध्यम से सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय मर्चेंट क्यूआर को स्कैन करने और भुगतान करने में सक्षम बनाने पर काम कर रहा है।
- **यूपीआई में आवर्ती अधिदेश (मैंडेट):** यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) में ई-अधिदेश की प्रोसेसिंग आवर्ती लेनदेन / एसआई अधिदेश (मैंडेट) के लिए लागू की गई है। वर्तमान में यूपीआई में वन-टाइम ऑथेनटिकेशन के माध्यम से अधिदेश जनरेट करने या आवर्ती भुगतानों को अधिकृत करने की कार्यप्रणाली नहीं है। अब यूपीआई उपयोगकर्ता भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता पक्ष से नीचे दी गई कार्यात्मकताओं के साथ समान आसानी और सुविधा के साथ आवर्ती भुगतान लेनदेन करने में सक्षमहोंगे: (ए). अधिदेशसक्रिय / जोड़ना (बी). अधिदेशरोकना (सी). अधिदेश निरस्त करना और (डी). अधिदेश संशोधित करना।
- **यूपीआई प्रीपेड वाउचर जारीकर्ता और अधिग्रहणकर्ता:** यूपीआई प्रीपेड वाउचर केवल आरबीआई द्वारा प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स

- **Cassette swap** for Cash replenishment is under implementation in ATMs & Cash Recyclers.
- As a part of strengthening security control in ATMs, RBI has directed banks to implement **e-surveillance** in ATMs and same is under progress.
- All ATMs are migrated for centralized reconciliation.
- Implemented Card-less Cash Withdrawal and OTP for cash withdrawal above ₹10,000/-.
- Bank has taken several measures to comply with the directives of RBI on **Monitoring of Availability of Cash in ATMs** and ensuring availability of cash at all times to avoid penalty.

New Features Added in Internet Banking in FY 2021-22:

- Agricultural Loan services: Apply / Renewal for KCC, Apply for Gold Loan, Repayment of GOLD LOAN / KCC, Agri loan Account statements etc.
- Alternative Generation of Transaction Password through Aadhaar Card.
- Form 16 Download through Internet Banking.

New features Added in Mobile Banking application (CANDI) in FY 2021-22:

- **UPI International:** Bank is working upon enabling our Customers to Scan and Pay to International Merchant QRs in Singapore through UPI.
- **Recurring Mandate in UPI:** Processing of e-mandate in Unified Payments Interface (UPI) is implemented for recurring transactions / SI Mandate. UPI currently does not have the functionality of generating mandate or authorizing recurring payments through one-time authentication. Now UPI users will be able to perform recurring payment transactions with the same ease and convenience with the below functionalities from payer and payee side: (a) Create / Add Mandate (b) Pause Mandate (c) Revoke Mandate and (d) Modify Mandate.
- **UPI Prepaid Voucher Issuer & Acquirer:** UPI Prepaid Voucher can be issued only by banks

(पीपीआई) जारी करने के लिए अधिकृत बैंकों और जो यूपीआई पारिस्थितिकी तंत्र में पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स (पीएसपी) के रूप में भाग ले रहे हैं (जिन्हें यहां "जारीकर्ता" कहा गया है) द्वारा जारी किया जा सकता है। केनरा बैंक एनपीसीआई के साथ समन्वय में भुगतान प्रणाली में इस क्रांतिकारी परिवर्तन का हिस्सा बनने वाले बैंकों में से एक है।

- **डिजिटल चैनल में कार्यक्षमता को ब्लॉक / अनब्लॉक करना:** आईबी, एमबी, यूपीआई और कार्ड जैसे व्यक्तिगत चैनल को आईबी, एमबी, यूपीआई, एसएमएस और आईवीआरएस के माध्यम से ब्लॉक / अनब्लॉक करने जैसी सुविधाएँ प्रदान करना। ग्राहक के खाते को डेबिट के लिए अवरोधित नहीं किया जाएगा। केवल ग्राहक द्वारा चुना गया चैनल ब्लॉक किया जाएगा।
- **हमारे मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन में सुरक्षा बढ़ाने के लिए:** बैंक ने किसी भी मैलवेयर/हानिकारक एप्लिकेशन की पहचान करने, जेलब्रेक किए गए डिवाइसों (आईओएस के लिए) और रूट किए गए डिवाइसों (एंड्रॉइड के लिए) आदि में मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन के उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए एमएएसएस के साथ एकीकृत किया है।

चालू परियोजनाएं:

- **मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन (केनडि) में सुधार:** नई पीढ़ी के बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने और प्रतिस्पर्धा में समकक्षों से आगे रहने के लिए, ग्राहकों को आकर्षित करने और उन्हें बेहतर सेवा और अनुभव प्रदान करने के लिए नवीन समाधानों को लागू करना बैंक के लिए आवश्यक है। उसी के लिए, हम अपने वर्तमान मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन को एक नए संस्करण में अद्यतन करने की प्रक्रिया में हैं। अद्यतित मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन में **10 स्थानीय भाषाओं में 250+नई सुविधाएं** शामिल हैं।
- **इंटरनेट बैंकिंग एप्लिकेशन का एफसीडीबी से ओबीडीएक्स में उन्नयन:** इंटरनेट बैंकिंग एप्लिकेशन का वर्तमान संस्करण एफसीडीबी है। ओबीडीएक्स के नवीनतम संस्करण में अद्यतित करने का प्रस्ताव है जो मोबाइल के अनुकूल होगा और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाएगा। ओबीडीएक्स बहुत सारे एपीआई का लाभ उठाएगा जिनका उपयोग अन्य वैकल्पिक चैनलों द्वारा सीधे एकीकृत करने के लिए किया जा सकता है।
- **व्हाट्सएप बैंकिंग समाधान:** बैंक व्हाट्सएप बैंकिंग चैनल को लागू करने की प्रक्रिया में है। यह हमारे ग्राहकों को व्हाट्सएप पर गैर–वित्तीय लेनदेन करने की सुविधा प्रदान करेगा।

authorized by RBI to issue Prepaid Payment Instruments (PPI) and who are participating as Payment Service Providers (PSP) in the UPI ecosystem (referred hereunder as the “Issuer”). Canara Bank is one of the Banks to be part of this revolutionary transition in the payment system in co-ordination with NPCI.

- **Block / Unblock functionality in Digital Channel:** Providing features like blocking / unblocking individual channels like IB, MB, UPI & Card through IB, MB, UPI, SMS & IVRS. The Customer’s account will not be debit frozen. Only the channel opted by the Customer will be blocked.
- **To enhance security in our Mobile Banking application:** Bank has integrated with MASS to identify any malware / harmful application, restrict use of Mobile Banking application in jailbroken devices (for iOS) and rooted devices (for Android), etc.

ONGOING PROJECTS:

- **Revamping of Mobile Banking Application (CANDI):** To compete with new generation Banks and remain ahead of peers in competition, it is essential for the Bank to implement innovative solutions to attract customers and provide them better service and experience. For the same, we are in the process of upgrading our present Mobile Banking application to a new version. The upgraded Mobile Banking application contains **250+ new features in 10 vernacular languages.**
- **Upgradation of Internet Banking Application from FCDB to OBDX:** Current version of Internet Banking application is FCDB. It is proposed to upgrade to the latest version of OBDX which will be mobile compatible and will be having enhanced Customer experience. OBDX will leverage lots of APIs which can be directly utilized by other alternate channels to integrate.
- **WhatsApp Banking Solution:** Bank is in the process of implementing WhatsApp Banking Channel. It will facilitate our customers for doing non-financial transactions over WhatsApp.

- **<u>ओडीआर - कार्यान्वयन:</u>** उपयोगकर्ताओं के लिए सभी डिजिटल लेनदेन के लिए निर्बाध रूप से ऑनलाइन विवाद समाधान को सक्षम करना। ग्राहकों को इस्तेमाल किए गए चैनल से शिकायतों को उठाने के साथ-साथ शिकायत की स्थिति को ट्रैक करने का विकल्प प्रदान किया जाएगा। यह कार्यान्वयन बड़ी संख्या में ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करेगा।

- **<u>आईसीसीडब्ल्यू (इंटरऑपरेबल कार्ड–रहित नकद निकासी):</u>** यूपीआई का उपयोग करके किसी भी एनएसएस एटीएम से इंटरऑपरेबल कार्ड–रहित नकद निकासी की सुविधा प्रदान करना। इस सुविधा का उद्देश्य ग्राहकों की सुविधा को बढ़ाना और केनरा बैंक की ऑनलाइन सेवाओं को बढ़ावा देना है। आईसीसीडब्ल्यू सुविधा का उपयोग करने के लाभ निम्न हैं: एटीएम निकासी के लिए कार्ड ले जाने की आवश्यकता नहीं है, क्यूआर कोड आधारित लेनदेन में वृद्धि, घर्षण रहित लेनदेन अनुभव, एसएमएस अधिसूचना, एटीएम निकासी के लिए ग्राहक के मोबाइल पर पिन दर्ज करने के रूप में अधिक सुरक्षा, तत्काल धन निकासी आदि।

- सुरक्षा बढ़ाने के लिए जोखिम कम करने के उपायों का कार्यान्वयन, यानी एटीएम और कैश रिसाइक्लर्स में **वन टाइम कॉम्बिनेशन लॉक और विंडोज ओएस** का उन्नयन प्रारंभिक चरण में है।

- **<u>साउंड बॉक्स सुविधा के साथ भीम क्यूआर प्रदान करना:</u>** साउंड बॉक्स सुविधा भीम क्यूआर व्यापारियों (केनरा बैंक के) और ग्राहकों / प्रेषक (सभी बैंकों के) को हमारे बैंक द्वारा प्रदान किए गए क्यूआर कोड के माध्यम से किए गए सफल क्यूआर लेनदेन के लिए ध्वनि अधिसूचना प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। साउंड बॉक्स सुविधा व्यापारी और प्रेषक दोनों के लिए लेनदेन की पुष्टि आसानी से प्राप्त करना सुविधाजनक बनाती है। सुविधा में सफल क्यूआर कोड लेनदेन की पुष्टि के लिए वॉयस अधिसूचना शामिल है। केनरा बैंक अपने व्यापारियों को साउंड बॉक्स सुविधा प्रदान करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है।

- **<u>डिजिटल लेंडिंग एंड–टू–एंड:</u>** बैंक एंड-टू-एंड डिजिटल लेंडिंग सिस्टम शुरू करने की प्रक्रिया है। यह पूरी तरह से ऑनलाइन या डिजिटल प्लेटफॉर्म यात्रा के माध्यम से वित्तीय सेवाओं द्वारा उधारकर्ताओं के लिए आवेदन करने और उन्हें ऋण या क्रेडिट देने का नया युग है। इसके लाभ हैं: सरलीकृत ऋण प्रक्रिया, त्वरित निर्णय लेना, कम टर्नअराउंड समय, विश्लेषिकी की स्थिरता शक्ति, बेहतर लीड रूपांतरण,

- **<u>ODR - Implementation:</u>** Enabling Online Dispute Resolution for all the digital transaction seamlessly for the users. Customers will be provided with an option to raise the complaints from the channel used as well as track the status of complaint. This implementation will address major customer grievances.

- **<u>ICCW (Interoperable Card-less Cash Withdrawal):</u>** To provide an Interoperable Card-less Cash Withdrawal facility from any NFS ATM using UPI. The aim of this facility is to increase customer convenience and boost online services of Canara Bank. Benefits of using ICCW facility are: No need to carry card for ATM withdrawals, Increase in QR Code based transactions, Frictionless transaction experience, SMS notification, more secure as PIN entered on customer's mobile for ATM withdrawals, instant money withdrawal etc.

- Implementation of Risk Mitigation measures to enhance the security i.e. **One Time Combinations Locks & upgradation of Windows OS** in ATMs and Cash Recyclers are in the initial phase.

- **<u>Providing BHIM QR with Sound Box Facility:</u>** Sound Box facility enables the BHIM QR Merchants (of Canara Bank) and customers/ Remitter (of all Banks) to receive voice notification for the successful QR Transactions done via our Bank provided QR Code. Sound Box facility makes it convenient for both the merchant and remitter to get the Transaction confirmation with ease. The advantages include the Voice Notification for confirmation of the successful QR Code transactions. Canara Bank is the first public sector Bank to provide Sound Box facility to its Merchants.

- **<u>DIGITAL LENDING END-TO-END:</u>** Bank is in the process of launching end-to-end Digital lending system. It is the new-age practice of applying for and giving out loan or credit to borrowers by financial services through the completely online or digital platform journey. The advantages are: Simplified Loan Process, Quicker Decision Making, Reduced Turnaround Time, Consistency Power of Analytics, Improved Lead Conversion,

लागत में कमी, अतिरिक्त राजस्व, अनुकूलित ऋण, स्विफ्ट पेबैक, बेहतर व्यावसायिक क्षमता, अनुकूलित ऋण जीवन चक्र आदि।

दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली

बढ़ते डिजिटलीकरण के कारण व्यापार डेटा और सामग्री में तेजी से वृद्धि हुई है। दैनिक आधार पर, बैंक व्यावसायिक दस्तावेजों, अनुबंधों, ऋण प्रस्तावों, नियमावलियों आदि का बड़े पैमाने पर निर्माण और प्रबंधन करता है और पारंपरिक तरीके से इसमें काफी समय व संसाधन के साथ लागत की भी खपत होती है।

हमारे बैंक ने परिचालन क्षमता में सुधार और पेपर लाइट बैंकिंग को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न बैंकिंग परिचालनों को डिजिटल बनाने के लिए दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) परियोजना शुरू की है।

दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) के प्रमुख लाभ

- दस्तावेजों का केंद्रीकरण और प्रबंधन
- बढ़ी हुई परिचालन क्षमता
- भौतिक भंडारण स्थान का कम उपयोग
- बढ़ी हुई सुरक्षा
- हरित पहल और कागज का कम उपयोग

डीएमएस में कार्य-प्रवाह स्वचालन, केंद्रीकृत भंडारण, भौतिक भंडारण प्रबंधन का समाधान, वस्तु प्रबंधन प्रणाली और दस्तावेजों की सुरक्षित पहुंच आदि सहित दस्तावेजों का डिजिटलीकरण शामिल है। बैंक ने विभिन्न कार्यप्रवाहों का डिजिटलीकरण किया है और इस प्रणाली के तहत लाए जा सकने वाले अधिक कार्यप्रवाहों की पहचान करना जारी रखा है।

वित्तीय समावेशन

वित्तीय समावेशन अभियान के तहत बैंक, वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से बहिष्कृत और वंचित वर्गों को उपलब्ध कराता है। भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार बैंक, वित्तीय समावेशन के प्रयासों में प्रमुख हस्तक्षेपों के साथ सक्रिय रहा है, जिसमें बैंकिंग संरचना का विस्तार करना, समुचित वित्तीय उत्पादों की पेशकश करना, प्रौद्योगिकी का व्यापक और गहन उपयोग और वित्तीय साक्षरता की परामर्श करना आदि शामिल है।

➢ बैंक में शाखा मॉडल के तहत 1123 वित्तीय समावेशन (एफआई) शाखाएं हैं और कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल के तहत 8906 कारोबार प्रतिनिधि एजेंट (बीसीए) भी कार्यरत हैं। बैंक ने 5267 एसएसए, 153 एसएलबीसी और 3486 गैर-एसएसए स्थानों को कवर किया है।

Cost Reduction, Additional Revenue, Customized Loans, Swift Payback, Improved Business Efficiency, Optimized Loan Life Cycle etc.

DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM

Rapid digitalization has led to an exponential growth in business data and content. On a daily basis, Banks create and manage massive amount of business documents, Contracts, Loan proposals, Manuals etc. and with the traditional approach it consumes a lot of time, resource utilization and cost too.

Our Bank has embarked upon the Document Management System (DMS) project to digitalize the various Banking operations to improve operational efficiency and to encourage paper light banking.

Key Benefits of Document Management System (DMS)

- Centralization and Management of Documents
- Increased Operational Efficiency
- Reduced physical Storage Space
- Enhanced Security
- Go Green initiative and reduced paper usage

DMS includes digitalization of documents including work-flow automation, centralized storage, solution to physical storage management, Content Management System and secure accessing of documents, etc. Bank has digitalized various workflows and continues to identify more workflows to be brought under this system.

FINANCIAL INCLUSION

As a part of financial inclusion drive, the Bank makes its products and services available to financially excluded and marginalized sections of the society. As per the Government of India and the Reserve Bank of India directions, the Bank has been proactive in financial inclusion efforts, with key interventions, viz., expanding banking infrastructure, offering appropriate financial products, making extensive & intensive use of technology and advocacy of financial literacy.

➢ The Bank has 1123 Financial Inclusion (FI) Branches under branch model and also engaged 8906 Business Correspondent Agents (BCAs) under Business Correspondents (BC) model. Bank has covered 5267 SSA, 153 SLBC and 3486 NON SSA locations.

➢ बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) द्वारा एफएलसी का प्रचार करने के साथ-साथ बैंक के वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) के मामलों का ध्यान रखने के लिए बैंक ने 'केनरा वित्तीय परामर्श न्यास' का गठन किया है। बैंक के देशभर में विभिन्न जिलों और ब्लॉकों में 152 एफएलसी हैं जिनका प्रबंधन परामर्शदाताओं (सेवानिवृत्त बैंकर) द्वारा किया जाता है।

➢ बैंक ने पीएमजेडीवाई के तहत बैंक ने 138.47 लाख खाते खोले हैं।

यथा मार्च 2022 तक नवीकरण के साथ योजना में नामांकन

(₹ लाख में)

नवीकरण के साथ योजना में नामांकन	यथा मार्च 2022 तक
प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)	57.06
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)	151.97
अटल पेंशन योजना (एपीवाई)	31.25

सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 31 मार्च 2022 तक बकाया खातों की संख्या 138997 है।

आधार नामांकन अद्यतन केंद्र

बैंक, आधार नामांकन के लिए एक रजिस्ट्रार और नामांकन एजेंसी है। यूआईडीएआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक को बैंक शाखा परिसर के 10% पर एएसके स्थापित करने होंगे। तदनुसार, बैंक ने 1494 एएसके की स्थापना की है, जिसमें बैंक के लिए 1201 केंद्र और 4 प्रायोजित आरआरबी (केएजीबी 116, केजीबी 62, केवीजीबी 62 और एपीजीबी 53) के लिए 293 केंद्र शामिल हैं।

महिला सशक्तीकरण

देश भर में प्रधान कार्यालय में महिला सशक्तीकरण अनुभाग और 24 अंचल कार्यालयों और 176 क्षेत्रीय कार्यालयों में महिला उद्यमिता विकास केंद्र (सीईडीडब्ल्यू), महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में अथक रूप से काम कर रहे हैं। ये महिला उद्यमिता विकास केंद्र संभावित उद्यमियों तक पहुंचकर, परामर्श प्रदान करते हैं, उनकी प्रशिक्षण आवश्यकताओं का समर्थन करते हैं, वित्त प्रदान करते हैं और उनके लिए विपणन की व्यवस्था करते हैं। महिला उद्यमिता विकास केंद्रों द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 529 कार्यक्रम आयोजित किए गए।

➢ Bank formed 'Canara Financial Advisory Trust' to take care of the affairs of the Financial Literacy Centres (FLCs) of the Bank as well as the FLCs promoted by the Regional Rural Banks (RRBs) sponsored by the Bank. The Bank has 152 FLCs in districts & blocks level across the country, managed by the Counsellors (retired bankers).

➢ Bank opened 138.47 lakh accounts under PMJDY.

Scheme Enrolments including Renewals as at March 2022

(₹ In Lakhs)

Scheme Enrolments including Renewal	As at March 2022
Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY)	57.06
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY)	151.97
Atal Pension Yojana (APY)	31.25

Under Sukanya Samriddhi Yojana, the outstanding number of accounts as on 31st March 2022 is 138997 accounts.

AADHAAR Enrolments Updation Centres

The Bank is a Registrar and Enrolment Agency for Aadhaar Enrolment. As per UIDAI guidelines, the Bank has to establish ASKs at 10% of the Bank branch premises. Accordingly, Bank has established 1494 ASKs, comprising of 1201 centres for the Bank and 293 centres for the 4 sponsored RRBs (KAGB 116, KGB 62, KVGB 62 & APGB 53).

Empowering Women

Women Empowerment Section at Head office and Centre for Entrepreneurship Development for Women (CEDW) at 24 Circle Offices and 176 Regional offices across the country are working relentlessly towards economic empowerment of women. These CEDWs have reached potential entrepreneurs, undertaken counselling, supported their training needs, provided finance and arranged marketing facilities. A total of 529 Programmes were organized by the CEDWs during FY 2021-22.

अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी:

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार, हमारे बैंक को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:

- दो राज्यों अर्थात कर्नाटक और केरल में राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) की संयोजकता और लक्षद्वीप में केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय बैंकर समिति (यूटीएलबीसी) की संयोजकता।
- बैंक के पास 8 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 60 जिलों में अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी है, जो आंध्र प्रदेश (5), बिहार (1), दिल्ली (3), हरियाणा (3), लक्षद्वीप (1), कर्नाटक (15), केरल (7), तमिलनाडु (7), तेलंगाना (4) और उत्तर प्रदेश (14) बैंक के 14 अंचलों के अंतर्गत आते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय परिचालन और कारोबार

लंदन (यू.के.), न्यूयॉर्क (यू.एस.ए.) और दुबई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र - डीआईएफ़सी (यूएई)। में बैंक की 3 विदेशी शाखाएं हैं, उपरोक्त 3 शाखाओं के अलावा, बैंक का शारजाह (यूएई) में एक प्रतिनिधि कार्यालय, एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी; दार एस सलाम (तंज़ानिया) में केनरा बैंक (तंज़ानिया) लिमिटेड और भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक संयुक्त उद्यम; मॉस्को (रूस) में वाणिज्यिक इंडो बैंक एलएलसी है।

मार्च 2022 तक विदेशी शाखाओं का कुल कारोबार ₹88743 करोड़ है, जिसमें ₹58642 करोड़ की जमा राशि और ₹30101 करोड़ की अग्रिम राशि शामिल है। विदेशी व्यापार, बैंक के कुल कारोबार का 4.86% है। विदेशी शाखाओं के लिए युक्तिकरण योजना के अनुसार, बैंक ने वित्तीय वर्ष के दौरान हांगकांग शाखा को बंद कर दिया है। इसके अलावा, हम वाणिज्यिक इंडो बैंक एलएलसी में अपनी पूरी हिस्सेदारी भारतीय स्टेट बैंक को बेचने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ रूस से अंतिम मंज़ूरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वर्ष के दौरान, बैंक ने केनरा बैंक (तंजानिया) लिमिटेड के विनिवेश का भी निर्णय लिया है, जो प्रगति पर है।

आस्ति गुणवत्ता

मार्च 2022 तक बैंक का सकल एनपीए 7.51% (₹55652 करोड़) और निवल एनपीए 2.65% (₹18668 करोड़) है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान बट्टे खाते में डाले गए खातों में वसूली सहित संचयी नकद वसूली ₹12116 करोड़ थी। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए उन्नयन ₹3177 करोड़ था। मार्च 2022 तक प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) 84.17% है। वित्त वर्ष 2021–22 के लिए बट्टे खाते में डाले गए खातों

Lead Bank Responsibility:

As on 31.03.2022, our Bank has been assigned with:

- State Level Banker's Committee (SLBC) Convenorship in two states i.e. Karnataka and Kerala and Union Territory Level Banker's Committee (UTLBC) Convenorship in Lakshadweep.
- Lead Bank responsibility in 60 districts across 8 states and 2 Union Territories viz. Andhra Pradesh (5), Bihar (1), Delhi (3), Haryana (3), Lakshadweep (1), Karnataka (15), Kerala (7), Tamil Nadu (7), Telangana (4) & Uttar Pradesh (14) comes under 14 Circles of the Bank.

INTERNATIONAL OPERATIONS AND BUSINESS

The Bank has 3 overseas branches, viz., London (UK), New York (USA) and Dubai International Financial Centre - DIFC (UAE). Besides the above 3 branches, the Bank has a Representative Office at Sharjah (UAE), a wholly-owned subsidiary; Canara Bank (Tanzania) Limited at Dar Es Salaam (Tanzania) and a joint venture with State Bank of India; Commercial Indo Bank LLC at Moscow (Russia).

Total Business of the overseas branches aggregates to ₹88743 crore comprising of deposits to the tune of ₹58642 crore and advances to the tune of ₹30101 crore as at March 2022. Overseas business constituted 4.86% of the Bank's global business. As per the rationalization plan for overseas branches, Bank has closed Hong Kong branch during Financial Year. Further, we are awaiting for final approval from Central Bank of Russia for sale of our entire stake in Commercial Indo Bank LLC to State Bank of India. During the year, Bank has also decided for divestment of Canara Bank (Tanzania) Limited, which is in progress.

ASSET QUALITY

Gross NPA of the Bank is at 7.51% (₹55652 crore) and Net NPA is at 2.65% (₹18668 crore) as at March 2022. The cumulative Cash Recovery including Recovery in written off accounts during FY 2021-22 was at ₹12116 crore. Upgradation for FY 2021-22 was at ₹3177 crore. Provision Coverage Ratio (PCR) is at 84.17% as at March 2022. Recovery in written off accounts for FY 2021-22

में वसूली ₹2747 करोड़ थी। वर्ष के दौरान स्लिपेज को ₹12707 करोड़ तक सीमित किया गया है।

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, 1709 संपत्तियों को बेचकर ₹1197.31 करोड़ की राशि जुटाई गई। और कुल ₹2296.67 करोड़ की राशि के 4293 खातों का निपटान / बंद / उन्नयन करके सरफ़ेसी अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू की गई थी। बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 4649 वसूली बैठक का आयोजन किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹4183.71 करोड़ की वसूली हुई। वित्त वर्ष 2021-22 में 8417.93 करोड़ की देयता को कवर करते हुए 482940 मामलों का निपटारा किया गया। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, 113025 मामले लोक अदालत को भेजे गये, जिनमें से 22038 मामलों का निपटान किया गया, जिसकी कुल राशि ₹251.32 करोड़ रुपये रही। बैंक ने खातों को एनपीए में परिवर्तन से रोकने के लिए और अतिदेय ऋण खातों से वसूली में बढ़ोत्तरी लाने के लिए कई पहल की। इनमें, एकबारगी निपटान (ओटीएस) के लिए शाखा स्तर पर केन अदालतों का संचालन, क्षेत्रीय स्तर पर क्लस्टर अदालत और अंचल स्तर पर मेगा अदालत, जिला स्तर पर लोक अदालतें, कॉल सेंटर के माध्यम से ऋण खातों में अतिदेय का नियमित अनुवर्तन, जब्त संपत्ति की बिक्री के लिए ई-नीलामी और इरादतन चूककर्ताओं के खिलाफ सख्त वसूली उपाय करना, आदि शामिल हैं। यथा मार्च 2022 तक ₹14207.18 करोड़ की बकाया राशि के साथ 1073 इरादतन चूककर्ता रहे हैं।

बैंक ने 31.03.2022 की स्थिति में एनसीएलटी में हमारे दावों को दर्ज करके 382 मामलों के संबंध में समाधान प्रक्रिया शुरू की है और वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान समाधान के माध्यम से पर्याप्त वसूली की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2021-22 में एनसीएलटी में दर्ज खातों में से ₹2431 करोड़ की वसूली की गई। बैंक ने कृषि एनपीए, शिक्षा ऋण, ट्रैक्टर ऋण तथा अन्य फार्म प्रणाली में लघु मूल्य वाले एनपीए के निपटान के लिए विशेष ओटीएस योजनाओं को रुपायित किया है।

मार्च 2022 की स्थिति में, बकाया दबावग्रस्त आस्ति संविभाग (पुनर्रचित मानक खाते सहित) ₹59512 करोड़ रहा जो सकल अग्रिमों का 8.03% है।

जोखिम प्रबंधन

बैंक का जोखिम प्रबंधन सभी प्रासंगिक जोखिमों की पहचान, माप, निगरानी और शमन सुनिश्चित करता है और व्यापक समाधान के लिए अपने कार्य को संरेखित करता है। यह जोखिम प्रभाव रैंकिंग और जोखिम लेने की क्षमता के आधार पर प्रभावी संसाधन आबंटन

was ₹2747 crore. Slippage has been contained during the year to ₹12707 crore.

During FY 2021-22, 1709 properties were sold amounting ₹1197.31 crore and 4293 accounts were settled / closed / upgraded amounting ₹2296.67 crore were made on account of initiating actions under the SARFAESI ACT. The Bank conducted 4649 Recovery Meets during FY 2021-22 that has resulted in recovery of ₹4183.71 Crore. In FY 2021-22, 482940 cases were settled, covering a liability of ₹8417.93 Crore. In FY 2021-22, 113025 cases were referred to LOK ADALAT, out of which, 22038 cases were settled, covering an amount of ₹251.32 crore. Besides, the Bank took several initiatives to contain slippages and speed up recovery from overdue loan accounts. These include, conduct of Can Adalats at Branch level, cluster adalats at Regional level and Mega Adalats at Circle level for one time settlements (OTS), Lok Adalats at district level, regular follow-up of overdue in loan accounts through Call Centre, conduct of e-auctions for sale of seized assets and initiation of stringent recovery measures against willful Defaulters. As on March 2022, there were 1073 willful defaulters with an outstanding amount of ₹14207.18 crore.

The Bank has initiated resolution process in respect of 382 cases by referring to NCLT / Filing our claim as at 31.03.2022 and is expecting substantial recovery through resolution during FY 2022-23. In FY 2021-22 recoveries amounting to ₹2431 crore were done in NCLT referred accounts. The Bank has also formulated various special OTS Schemes for settlement of small value NPAs in Agriculture NPA, Education Loans, Tractor loans and other Farm mechanization.

As on March 2022, the outstanding Stressed Assets Portfolio (including restructured Standard Accounts) stood at ₹59512 crore, accounting for 8.03% of Gross Advances.

RISK MANAGEMENT

Bank's Risk Management ensures identification, measurement, monitoring and mitigation of all pertinent risks and aligns its function for comprehensive solutions. It acts as decision-enabler for effective

के लिए निर्णय लेने वाले के रूप में कार्य करता है। जोखिम और अवसरों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद रणनीतिक निर्णय लिए जाते हैं।

बैंक में जोखिम प्रबंधन के मार्गदर्शक सिद्धांत नियामक और कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन और जोखिम और व्यावसायिक कार्यों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हुए, जोखिम और वापसी के बीच संतुलन हासिल करना है।

जोखिम प्रबंधन नीतियों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता है, जिसमें सभी प्रासंगिक और उभरते जोखिमों का विश्लेषण करने में कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए व्यावसायिक रणनीतियों, पूंजी की ताकत, जोखिम लेने की क्षमता, कानून और विनियमन विधिवत शामिल लिए जाते हैं।

निदेशक मंडल सर्वोच्च शासी निकाय है और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति और विभिन्न कार्यपालक स्तरीय जोखिम प्रबंधन समितियों– एएलसीओ, सीआरएमसी, ओआरएमसी, एमआरएमसी, जीआरएमसी आदि द्वारा विधिवत सहायता की जाती है। पूरे बैंक में जोखिम अभिशासन और संस्कृति को अधिक व्यापक बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, क्षेत्रीय अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी के साथ पूरे देश में प्रशासनिक इकाइयों में स्थानीय जोखिम प्रबंधन समितियां भी बनाई जाती हैं।

जबकि बैंक अपने जोखिमों को मापने के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण का पालन करता है, यह बासेल III ढांचे के पिलर I के तहत अपने सभी भौतिक जोखिमों (क्रेडिट, बाजार और परिचालन जोखिम) को पहचानने और मापने के लिए उन्नत दृष्टिकोण की ओर सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहा है।

बैंक ने साख नीति और साख जोखिम प्रबंधन नीति बनाई है जो साख जोखिम की पहचान, माप, निगरानी और नियंत्रित / कम करने और सक्रिय रूप से प्रबंधित करने के लिए बैंक के दृष्टिकोण को स्पष्ट करती है। बैंक के पास उधारकर्ताओं की आंतरिक रेटिंग (आंतरिक रूप से विकसित मॉडल), ऋण / क्रेडिट प्रस्तावों का मूल्यांकन, ऋण अनुमोदन प्रक्रिया और ऋण निगरानी के लिए एक मजबूत प्रणाली है। ऋण समीक्षा और निगरानी की पूरी प्रक्रिया को साख प्रशासन व निगरानी विभाग द्वारा विधिवत प्रशासित किया जाता है।

बाजार जोखिम को एक स्पष्ट रूप से परिभाषित बोर्ड द्वारा अनुमोदित बाजार जोखिम प्रबंधन नीति और एकीकृत कोष नीति के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है जो सीमा / ट्रिगर के माध्यम से जोखिम को पकड़ती है। जोखिम प्रबंधन विभाग का मिड ऑफिस दैनिक आधार पर सीमाओं की निगरानी करता है। बाजार जोखिम सीमाओं और ट्रिगर्स की प्रभावी और समय पर निगरानी के लिए एक रिपोर्टिंग ढांचा तैयार किया गया है।

resource allocation based on the risk impact ranking and risk appetite. Strategic decisions are taken after careful consideration of risks and opportunities.

The guiding principles to manage risk in the Bank is compliance of regulatory and legal requirements and achieving balance between risk and return, while ensuring independence of risk and business functions.

Risk Management Policies are approved by the Board duly encompassing business strategies, capital strength, risk appetite, laws & regulation in order to function efficiently and effectively in analysing all pertinent and emerging risks.

Board of Directors is the highest governing body and is duly assisted by the Risk Management Committee of the Board and various executive level risk management committees- ALCO, CRMC, ORMC, MRMC, GRMC etc. To meet the goal of making risk governance and culture more pervasive all across the Bank, local risk management committees are also formed at administrative units throughout the country with active involvement of field functionaries.

While the Bank follows standardised approach to measure its risks, it is actively pursuing in moving towards advanced approach to identify and measure all its material risks (credit, market and operational risk) under Pillar I of Basel III framework.

Bank has put in place Credit Policy and Credit Risk Management Policy which articulates Bank's approach to identify, measure, monitor & control / mitigate and actively manage Credit risk. Bank also has in place a robust system for internal rating (internally developed models) of the borrowers, appraisal of loan / credit proposals, credit approval process and credit monitoring. The entire process of the Loan review and monitoring is duly administered by the Credit Administration & Monitoring Wing.

Market risk is managed through a well-defined Board-approved Market Risk Management Policy and Integrated Treasury Policy that captures risk through limits / triggers. Mid Office of Risk Management Wing monitors the limits on a daily basis. A reporting framework has been put in place for effective and timely monitoring of market risk limits and triggers.

बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन ढांचा नैतिकता, संगठन संस्कृति और मजबूत परिचालन प्रक्रियाओं पर आधारित है, जिसमें कॉर्पोरेट मूल्य, आंतरिक नियंत्रण संस्कृति, प्रभावी आंतरिक रिपोर्टिंग और आकस्मिक योजना शामिल है। बैंक ने परिचालन जोखिम के प्रबंधन के लिए नीति अपनाई है, जिसमें परिचालन जोखिमों को मापने और प्रबंधित करने के लिए परिचालन जोखिम प्रबंधन ढांचा, आउटसोर्सिंग गतिविधियां और व्यापार निरंतरता योजना, प्रमुख जोखिम संकेतक (केआरआई), जोखिम नियंत्रण और स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए) कार्यशालाओं जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है।

बैंक, बासेल III ढांचे के पिलर II के तहत अपनी आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आईसीएएपी) के हिस्से के रूप में अन्य आसन्न जोखिमों जैसे, तरलता और ब्याज दर जोखिम, एकाग्रता, प्रतिष्ठित, रणनीतिक, अनुपालन, समूह जोखिम और अन्य प्रमुख जोखिमों का गुणात्मक और / या मात्रात्मक रूप से विश्लेषण करता है।

बैंक ने समेकित समूह स्तर पर जोखिमों का आकलन, पहचान और निगरानी करने के लिए समूह जोखिम प्रबंधन पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति बनाई है। बैंक के समूह मुख्य जोखिम अधिकारी (जीसीआरओ) समूह संस्थाओं की जोखिम प्रबंधन गतिविधियों की निगरानी करते हैं।

बैंक के कामकाज में सार्थक अंतर्दृष्टि के लिए अपने हितधारकों को सभी प्रासंगिक जोखिमों और शमन योजना का खुलासा करते समय बैंक जिम्मेदार और पारदर्शी दृष्टिकोण का पालन करता है।

मजबूत और नैतिक अभिशासन प्रथाओं के साथ पर्यावरण और समाज की सुरक्षा और देखभाल ईएसजी ढांचे के तहत भविष्य की स्थिरता के लिए मार्गदर्शक विषय है। व्यापार संरचना को आकार देने में ईएसजी जोखिम के भविष्य के महत्व को ध्यान में रखते हुए, बैंक ईएसजी जोखिमों के प्रबंधन के लिए एकजुट दृष्टिकोण लाने के लिए तंत्र विकसित कर रहा है।

इस तथ्य के लिए पूरी तरह से प्रशंसनीय है कि अग्रिम जोखिम प्रबंधन प्रथाएं निर्बाध डेटा प्रवाह और इसकी अखंडता के बारे में हैं, प्रभावी और समय पर प्रबंधन कार्रवाई के लिए प्रौद्योगिकी द्वारा लीवरेज - बैंक ने अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणाली और प्रक्रियाओं के स्वचालन को शुरू किया है।

Operational Risk Management framework in the Bank is based on ethics, organization culture and strong operating procedures, involving corporate values, internal control culture, effective internal reporting and contingency planning. The Bank has adopted policy for management of Operational Risk, which covers aspects, such as, Operational Risk Management framework, Outsourcing Activities and Business Continuity Plan, Key Risk Indicators (KRI), Risk Control & Self-Assessment (RCSA) workshops to measure and manage Operational Risks.

Bank also analyses other imminent risks like liquidity & interest rate risk, concentration, reputational, strategic, compliance, group risk and other key risks both qualitatively and / or quantitatively as part of its Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) under Pillar II of Basel III framework.

The Bank has put in place a Board approved Policy on Group Risk Management to assess, identify and monitor risks at consolidated group level. The Group Chief Risk Officer (GCRO) of the Bank is supervising the risk management activities of the Group Entities.

Bank follows responsible and transparent approach while disclosing all relevant risks and mitigation plan to its stakeholders for meaningful insight into the functioning of the Bank.

Protection and care of environment and society with strong and ethical governance practices are the guiding theme for future sustainability under ESG framework. Considering the future importance of ESG risk in shaping business architecture, Bank is evolving mechanism to bring in cohesive approach to manage the ESG risks.

Fully appreciable of the facts that the advance risk management practices are all about seamless data flow and its integrity, leveraged by technology for effective and timely management action - the Bank has embarked upon automation of its risk management system and processes.

अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन

बैंक को डेटा सेंटर, नियर डेटा सेंटर, आपदा वसूली केंद्र और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग/प्रौद्योगिकी परिचालन विभाग के लिए आईएसओ: 27001:2013 से प्रमाणित किया गया है और प्रमाणीकरण 11/04/2020 से 10/04/2023 तक 3 वर्षों की अवधि के लिए वैध है। यह प्रमाणित किया जाता है कि संगठन की सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली का मूल्यांकन किया गया है और आईएसओ 27001:2013 मानक की आवश्यकताओं के अनुसार पाया गया है।

एकीकृत कोष

मार्च 2022 तक बैंक का कुल निवेश घरेलू (निवल) ₹2,79,515.81 करोड़ था। मार्च 2022 तक निवेश पोर्टफोलियो की संशोधित अवधि 4.71 थी, मार्च 2022 तक बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) पोर्टफोलियो की संशोधित अवधि 2.33 पर है। 31 मार्च 2022 को निवेश पर प्रतिफल 6.28% हो गया। ओएमओ में सक्रिय भागीदारी के साथ-साथ निवेश पोर्टफोलियो के सक्रिय मंथन के कारण वर्ष के दौरान घरेलू कोष संचालन के तहत व्यापारिक लाभ ₹2366.01 करोड़ रहा।

बैंक, सरकारी प्रतिभूति बाजार में प्राथमिक डीलर के रूप में एक सक्रिय खिलाड़ी बना हुआ है। हामीदारी के लिए जमा की गई बोलियों की कुल राशि ₹1,04,968.00 करोड़ थी, जिसमें से, आरबीआई द्वारा स्वीकार की गई हामीदारी प्रतिबद्धता ₹55,154.00 करोड़ थी। पीडी व्यवसाय के तहत ट्रेजरी बिलों के संबंध में, प्रत्येक छमाही में प्राप्त किए जाने वाले 40% के न्यूनतम सफलता अनुपात के मुकाबले, वित्त वर्ष 2021-22 की पहली छमाही के दौरान बैंक ने 75.19% और दूसरी छमाही के लिए 47.06% हासिल किया है।

मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक का विदेशी कारोबार पण्यावर्त, कुल ₹1,85,128 करोड़ रहा, जिसमें निर्यात के तहत ₹90,783 करोड़, आयात के तहत ₹37,191 करोड़ और प्रेषण के तहत ₹57,154 करोड़ शामिल हैं।

अन्य सेवाएं

मर्चेंट बैंकिंग

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक के मर्चेंट बैंकिंग प्रभाग:

COMPLIANCE TO INTERNATIONAL STANDARDS

Bank has been certified with ISO: 27001:2013 for Data Centre, Near Data Centre, Disaster Recovery centre and Department of Information Technology Wing / Technology Operations Wings and the certification is valid for a period of 3 years from 11/04/2020 till 10/04/2023. It is certified that the Information Security management system of the organization has been assessed and found to be in accordance with the requirements of the ISO 27001: 2013 standard.

INTEGRATED TREASURY

Aggregate investments Domestic (net) of the Bank stood at ₹2,79,515.81 crore as at March 2022. While modified duration of the investments portfolio stood at 4.71 as at March 2022, the modified duration of the Available for Sale (AFS) portfolio is at 2.33 as at March 2022. The yield on investments stood at 6.28% as at 31st March 2022. The trading profit under domestic treasury operations during the year is ₹2366.01 crore on account of active churning of the investment portfolio along with active participation in OMOs.

The Bank continues to be an active player in Government securities market as a Primary Dealer. The total amount of bids submitted for underwriting was ₹1,04,968.00 crore out of which, the underwriting commitment accepted by RBI was ₹55,154.00 crore. With regard to treasury bills under PD business as against minimum success ratio of 40% to be achieved in each half year, the Bank has achieved 75.19% during the first half and 47.06% for second half of Financial Year 2021-22.

Foreign Business Turnover of the Bank aggregated to ₹1,85,128 crore, comprising of ₹90,783 crore under exports, ₹37,191 crore under imports and ₹57,154 crore under remittances during the year ended March 2022.

OTHER SERVICES

Merchant Banking

During the Financial year 2021-22 Merchant Banking Division of the Bank:

- 180 इक्विटी इश्यू और 30 डेट इश्यू को संभाला और बैंक को एएसबीए के माध्यम से 4-7 दिनों के लिए फ्लोट फंड बेनिफिट मिला। वित्त वर्ष के दौरान बैंक ने ₹78.32 लाख का कमीशन एकत्रित किया।
- 54 ईसी कैपिटल गेन बॉन्ड के तहत, बैंक को एक दिन के लिए जुटाई गई और फ्लोटिंग फंड की राशि पर 0.12% कमीशन + लागू जीएसटी मिल रहा है।
- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड (आईआरएफसी) और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) ने बैंक को प्राइवेट प्लेसमेंट कैपिटल गेन बॉन्ड इश्यू के लिए "अरेंजर्स एंड कलेक्टिंग बैंकर्स" के रूप में कार्य करना जारी रखने का कार्य सौंपा है।
- वर्ष के दौरान, हमारे बैंक द्वारा जुटाई गई / एकत्रित की गई धनराशि ₹761.20 करोड़ एकत्रित करने वाले बैंकर के रूप में और ₹68.74 करोड़ अरेंजर के रूप में है। हमें ₹27.09 लाख की अरेंजर फीस प्राप्त हुई है।
- वर्ष के दौरान, अनुभाग ने कंपनियों की 2 मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की और ₹7.13 लाख का कमीशन अर्जित किया।
- हमने एटी1 बॉन्ड, टियर II बॉन्ड और एनसीडी के लिए अरेंजर्स के रूप में भी काम शुरू किया है। वर्ष के दौरान हमने अरेंजर्स फीस के रूप में ₹319.30 लाख अर्जित किया है।
- बैंक ने ग्राहकों के लिए आईपीओ / अधिकार / ऋण के लिए आवेदन करने के लिए नया एएसबीए पैकेज पेश किया है जो ग्राहकों के साथ-साथ कर्मचारियों के लिए भी अधिक यूजर फ्रेंडली है।

बैंकएश्योरेंस और म्युचुअल फंड

बैंक ने अपनी 'बैंकएश्योरेंस' ईकाई के तहत जीवन और गैर–जीवन बीमा खंडों के साथ करार किया है। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, बैंक ने अपने संयुक्त उद्यम, मेसर्स केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से ₹249.27 करोड़ की कमीशन आय अर्जित की है। म्यूचुअल फंड व्यवसाय के तहत, बैंक ने अपने संयुक्त उद्यम, मेसर्स केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड से ₹34.47 करोड़ का कमीशन अर्जित किया है। सभी तीन सामान्य बीमा प्रतिभागी मेसर्स बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मेसर्स टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अपने स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के विपणन के लिए मेसर्स द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एकल स्वास्थ्य बीमा भागीदार मेसर्स एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (पूर्ववर्ती एएमएचआई) के साथ गठजोड़ व्यवस्था से गैर-जीवन (सामान्य बीमा और स्वास्थ्य बीमा)

- Handled 180 Equity Issues and 30 Debt Issues and Bank got float fund benefit for 4-7 days through ASBA. The Bank collected commission of ₹78.32 Lakhs during the financial year.
- Under 54EC Capital Gain Bonds, Bank is getting 0.12% Commission + applicable GST on the amount so mobilized and floating fund for one day.

  Rural Electrification Corporation Ltd (REC), National Highways Authority of India (NHAI), Indian Railway Finance Corporation Ltd (IRFC) and Power Finance Corporation (PFC) have entrusted the Bank to continue to act as "Arrangers and Collecting Bankers" for the Private Placement Capital Gain Bond Issues.

  During the year, funds mobilized / Collected by our Bank are ₹761.20 crore as collecting banker and ₹68.74 crore as arranger. We have received an Arranger fee of ₹27.09 Lakhs.
- During the year, Section has prepared 2 valuation reports of the companies and earned commission ₹7.13 Lakhs.
- We also initiated the work as arranger for AT1 Bonds, Tier II Bonds and NCDs. During the year, we have earned ₹319.30 Lakhs on account of arranger fees.
- Bank has introduced new ASBA package for customers to apply for IPO / Rights / Debt which is more user-friendly for customers as well as staff.

BANCASSURANCE AND MUTUAL FUNDS

The Bank has tied-up arrangements with life and non-life insurance segments under its 'Bancassurance' arm. During the year FY 2021-22, Bank earned a commission income of ₹249.27 crore from its joint venture, M/s Canara HSBC OBC Life Insurance Company Ltd. Under the Mutual Fund business, the Bank earned a commission of ₹34.47 crore from its joint venture, M/s Canara Robeco Asset Management Company Ltd. A commission income of ₹72.34 crore was earned under Non-Life (General Insurance & Health Insurance) business from its tie-up arrangements with all the three GI Partners M/s Bajaj Allianz General Insurance Co Ltd, M/s TATA AIG General Insurance Co. Ltd and M/s The New India Assurance Co. Ltd & Standalone Health insurance partner M/s HDFC

व्यवसाय के तहत ₹72.34 करोड़ की कमीशन आय अर्जित की गई है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (एसएसएस) में, बैंक ने पीएमजेजेबीवाई के तहत ₹14.02 करोड़ और पीएमएसबीवाई के तहत ₹2.36 करोड़ का कमीशन अर्जित किया है। बैंक ने ई-सिंडिकेट इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड प्रतिभागी से ₹4.21 करोड़ का नवीनीकरण / ट्रेल कमीशन भी अर्जित किया है।

सरकारी कारोबार

बैंक, सरकारी कारोबार करता है, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रह, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पेंशन का भुगतान, डाक लेनदेन और राज्य सरकार के ट्रेजरी लेनदेन का संचालन, सार्वजनिक भविष्य निधि योजना और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सॉवरेन गोल्ड बांड जारी करना और सुकन्या समृद्धि योजना शामिल हैं। इन उत्पादों ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान ₹210.85 करोड़ की शुल्क आय के संग्रह में योगदान दिया है और बैंक की सुनाम को भी बढ़ाया है।

बैंक को मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी), संस्कृति मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, शिपिंग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय लक्षद्वीप प्रशासन और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई), नई दिल्ली के लिए मान्यता प्राप्त बैंकर के रूप में अधिकृत किया गया है। बैंक, वित्त वर्ष 2012-13 से स्वावलंबन योजना के तहत असंगठित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू कर रहा है। भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र को परिभाषित पेंशन प्रदान करने की दृष्टि से स्वावलंबन के स्थान पर अटल पेंशन योजना (एपीवाई) शुरू की थी। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक, एपीवाई के तहत 662654 खाते जुटा पाया है।

संगठन और सहायक सेवाएं

शाखा नेटवर्क-अखिल भारतीय उपस्थिति विस्तार करना

सुगमता बढ़ाने के प्रयास में, बैंक ने वर्ष के दौरान 201 घरेलू शाखाएं जोड़ीं। मार्च 2022 तक, विशिष्ट शाखाओं सहित बैंक की 9734 घरेलू शाखाएँ थी।

Ergo General Insurance Co. Ltd (Erstwhile AMHI) for marketing their Health insurance products. In Social Security Schemes (SSS), Bank has earned commission of ₹14.02 crore under PMJJBY & ₹2.36 crore under PMSBY. Bank has also earned renewal / trail commission from E-Syndicate Insurance and Mutual Fund partners of ₹4.21 crore.

GOVERNMENT BUSINESS

The Bank undertakes Government Business, comprising Direct and Indirect Tax collections, payment of Central Government and State Government Pensions, Handling of Postal Transactions and State Government Treasury Transactions, Public Provident Fund Scheme and Senior Citizens' Saving Scheme, issuing Sovereign Gold Bonds and Sukanya Samriddhi Scheme. These products have contributed towards collection of fee income of ₹210.85 crore during FY 2021-22 and also enhancing Bank' goodwill.

The Bank has been authorized as the accredited banker for Ministry of Human Resources Development (MHRD), Ministry of Culture, Ministry of Youth Affairs & Sports, Archaeological Survey of India, Ministry of Shipping, Ministry of Road Transport and Highways, Lakshadweep Administration and Unique Identification Authority of India (UIDAI), New Delhi. The Bank was implementing the National Pension System for Unorganised Sectors under Swavalamban Scheme since FY 2012-13. The Government of India has launched Atal Pension Yojana (APY) in place of Swavalamban with a view to provide defined pension to unorganised sector. The Bank could mobilise 662654 accounts under APY during the FY 2021-22.

ORGANISATION AND SUPPORT SERVICES

Branch Network - Expanding Pan India Presence

In a bid to expand the reach, the Bank added 201 domestic branches during the year. As at March 2022, the Bank had 9734 domestic branches, including Specialized Branches.

शाखा नेटवर्क संरचना

वर्ग	शाखाओं की संख्या		वर्ष के दौरान खोला गया
	31.03.2021	31.03.2022	
महानगर	2113	1957	71
शहरी	2094	1978	96
अर्ध शहरी	3140	2757	26
ग्रामीण	3069	3042	8
विदेशी	4	3	
कुल घरेलू शाखाएं	**10416**	**9734**	**201**

नोट: वर्ष के दौरान 883 घरेलू शाखाओं का विलय कर दिया गया।

वर्ष के दौरान 1 विदेशी शाखा का विलय / बंद कर दिया गया।

यथा मार्च 2022 तक बैंक की कुल 777 विशिष्ट शाखाएँ हैं।

जनशक्ति प्रोफ़ाइल

यथा मार्च 2022 तक, बैंक में कर्मचारियों की संख्या 86919 थी। जनशक्ति का संवर्ग-वार विवरण इस प्रकार है:

संवर्ग	मार्च 2021	मार्च 2022
अधिकारी	48912	50929
लिपिक	26427	23686
अधीनस्थ**	12874	12304
कुल	**88213**	**86919**

*अंशकालिक कर्मचारी (पीटीई) शामिल हैं।

बैंक के कर्मचारियों की कुल संख्या में 58.59% अधिकारी, 27.25% लिपिक और 14.16% अधिनस्थ कर्मचारी शामिल है। बैंक की महिला कर्मचारियों की संख्या 27,356 है, जो कर्मचारियों का 31.47% है। मार्च 2022 तक भूतपूर्व सैनिकों की कुल संख्या 5,299 है। बैंक में 2,436 दिव्यांगजन हैं।

आरक्षण नीति

बैंक, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजनों, ईडब्ल्यूएस के संबंध में आरक्षण नीति का सख्ती से पालन कर रहा है।

मार्च 2022 तक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / ईडब्ल्यूएस / डीएपी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार था:

Composition of Branch Network

Category	No. of Branches		Opened during the year
	31.03.2021	31.03.2022	
Metropolitan	2113	1957	71
Urban	2094	1978	96
Semi-urban	3140	2757	26
Rural	3069	3042	8
Overseas	4	3	
Total domestic Branches	**10416**	**9734**	**201**

Note: 883 domestic branches were merged during the year. 1 Overseas branch was merged / closed during the year.

The total Specialized Branches of the Bank stood at 777 as at March 2022.

MANPOWER PROFILE

As at March 2022, the Bank had 86919 employees on its roll. The cadre-wise break-up of manpower is as follows:

Cadre	March 2021	March 2022
Officer	48912	50929
Clerk	26427	23686
Sub Staff*	12874	12304
Total	**88213**	**86919**

*includes Part-time Employees (PTEs)

Total staff strength of the Bank comprised of 58.59% Officers, 27.25% Clerks and 14.16% Sub Staff. The Women staff strength of the Bank was 27,356, constituting 31.47% of the employees. The total number of ex-servicemen staff as at March 2022 stood at 5,299. There were 2,436 Differently abled persons on the rolls of the Bank.

RESERVATION POLICY

The Bank has been strictly adhering to the Reservation Policy in respect of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Differently Abled Persons, EWS as per the Government of India guidelines.

The representation of SCs / STs / OBCs / EWS / DAPs employees as at March 2022 was as under:

श्रेणी	अ.जा	अ.ज.जा	ओबीसी	आ.पि.व	दिव्यांग
अधिकारी	9006	4089	15488	284	1287
लिपिक	4460	1509	7244	99	810
अधीनस्थ*	4610	869	3488	-	339
कुल	**18076**	**6467**	**26220**	**383**	**2436**

*अंशकालिक कर्मचारी (पीटीई) शामिल हैं

आरक्षण प्रकोष्ठ अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / डीएपी / भूतपूर्व सैनिकों और ईडब्ल्यूएस कर्मचारियों से संबंधित आरक्षण और अन्य प्रावधानों को लागू करने और निगरानी करने के लिए बैंक में कार्य कर रहा है। इसके अलावा बैंक ने अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / भूतपूर्व सैनिक / डीएपी और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कर्मचारियों के लिए भी मुख्य संपर्क अधिकारी के रूप में महा प्रबंधक के पद पर कार्यपालकों को नामित किया है, जो आरक्षण से संबंधित विभिन्न सरकारी दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं।

भर्ती

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, बैंक ने विभिन्न संवर्गों में 2840 व्यक्तियों की भर्ती की, जिनमें से 436 अनुसूचित जाति (एससी) और 232 अनुसूचित जनजाति (एसटी), 1018 अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), 305 ईडब्ल्यूएस श्रेणी, 98 भूतपूर्व सैनिक और विभिन्न संवर्गों में 96 डीएपी और 1059 महिला कर्मचारी शामिल हैं।

मानव संसाधन पहल

क) वित्त वर्ष 2021-22 के लिए निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) संवितरित कर दिया गया है।

ख) सभी कर्मचारियों के लिए टर्म बीमा कवर (उनके सकल वेतन का 20 महीने, जो अधिकारी कर्मचारियों को न्यूनतम ₹20 लाख, लिपिक कर्मचारियों को ₹15 लाख और अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए ₹10 लाख)

ग) कर्मचारी कल्याण उपाय योजना के तहत कर्मचारियों के लिए ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी लागू है और मृत्यु और अस्थायी / आंशिक / पूर्ण विकलांगता के लिए बीमा कवर उपलब्ध है।

घ) हमारे भूतपूर्व कर्मचारी पेंशनभोगियों के लिए वीडियो आधारित जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा शुरू की गई है।

ड.) पेंशन और कम्यूटेशन (अधिवर्षिता / वीआरएस पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों) के लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत की गई है।

Grade	SCs	STs	OBCs	EWS	DAPs
Officer	9006	4089	15488	284	1287
Clerk	4460	1509	7244	99	810
Sub Staff*	4610	869	3488	-	339
Total	**18076**	**6467**	**26220**	**383**	**2436**

*includes Part Time Employees (PTEs)

Reservation Cell is functioning in the Bank to Implement and monitor the Reservations and other provisions related to SC/ST/OBC/DAPs/Ex-Servicemen & EWS employees. Further Bank has nominated Executives in the rank of GMs as Chief Liaison Officer for SC/ST/ Ex-Servicemen / DAPs and also for EWS, OBC employees respectively, who ensure compliance of various Govt. Guidelines pertaining to Reservations.

RECRUITMENT

During the FY 2021-22, the Bank recruited 2840 persons in various cadres, out of which 436 belonged to Scheduled Castes (SCs) and 232 to Scheduled Tribes (STs), 1018 belonged to Other Back Ward Class (OBC), 305 EWS category, 98 ex-servicemen and 96 DAPs in various cadres and 1059 were women employees.

HR INITIATIVES

a) Performance Linked Incentive (PLI) for the FY 2021-22 has been disbursed.

b) Term Insurance Cover for all employees (20 Months of their Gross Salary subject to a minimum of ₹20 lakhs to Officer employees, ₹15 lakhs to Clerical employees and ₹10 lakhs for Sub-ordinate employees)

c) The Group Personal Accident Insurance Policy for employees under Staff Welfare Measures Scheme is in place and Insurance cover is available for Death & Temporary / Partial / Total disability.

d) Introduced Video-based life certificate submission facility for our ex-employee pensioners.

e) Introduced online application for Pension and Commutation (for the Employees retiring on Superannuation / VRS).

च) पेंशनभोगियों को नियमित पेंशन की प्रक्रिया/स्वीकृति के बाद तुरंत उनके ईमेल पते पर डिजिटल पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) प्राप्त होता है।

<u>कौशल विकास एवं प्रतिभा प्रबंधन</u>

कर्मचारी सबसे मूल्यवान संपत्ति हैं और सफलता उनके विकास, प्रतिधारण में और उन्हें रणनीतिक व्यापार भागीदारों के रूप में उनके परिवर्तन करने में निहित है। लोगों को संसाधन मानना, उन्हें समान रूप से पुरस्कृत करना और उपयुक्त मानव संसाधन नीतियों के माध्यम से उनके लक्ष्यों को संगठन के लक्ष्यों के साथ एकीकृत करना "संगठनात्मक उत्कृष्टता" के वर्तमान मंत्र हैं। तदनुसार, बैंक के मानव संसाधन क्रियाकलापों में इस दिशा में कार्य हो रहे हैं और यह इस नई परिवर्तनकारी भूमिका को निभाने के लिए अग्रसर है।

बैंक ने नव नियुक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी और एसडब्ल्यूओ के लिए क्रमशः सीवीसी द्वारा अनुशंसित नए 52/26 - सप्ताह के प्रवेश प्रशिक्षण मॉड्यूल अपनाया है।

इसके अलावा, नव नियुक्त परिवीक्षाधीन के लाभार्थ मेंटरिंग संकल्पना का भी अनुपालन किया जा रहा है ताकि उन्हें बैंक की संस्कृति, परंपरा और लोकाचार के साथ तालमेल बिठाने में मदद मिल सके। सामान्य बैंकिंग में कर्मचारी कौशल को मजबूत करने के अलावा, प्रतिभा विकसित करने के उद्देश्य से प्रमुख कार्यक्षेत्रों की पहचान भी की गई है।

बैंक, कर्मचारियों की दक्षता के निर्माण और उन्नयन हेतु विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में प्रशिक्षण दे रहा है। 24 क्षेत्रीय अध्ययन एवं विकास केंद्रों द्वारा समर्थित 02 उत्कृष्टता केंद्र (सीआईबीएम मणिपाल और सीओई गुरुग्राम) के माध्यम से, अंचल कार्यालयों के परामर्श से प्रशिक्षण कैलेंडर बनाकर विभिन्न संवर्गों में स्टाफ सदस्यों को कार्यात्मक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 2021-22 को समाप्त वर्ष के दौरान, 2437 आंतरिक प्रशिक्षण, 293 बाहरी प्रशिक्षण आयोजित किए गए, जहां 60534 कर्मचारियों को कोविड महामारी से उत्पन्न भयावह वातावरण में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण को ऑनलाइन की दिशा में परिवर्तित किया गया।

कार्यपालक विकास कार्यक्रम (ईडीपी), प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) और नेतृत्व विकास कार्यक्रम (एलडीपी) का संचालन कार्यपालक के रूप पदोन्नत अधिकारियों को उनकी नई भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के अनुकूल बनाने के लिए आईआईएम, एएससीआई हैदराबाद, एमडीआई गुड़गांव जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में किया गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 490 कार्यपालकों ने ईडीपी और एमडीपी में भाग लिया। 57 कार्यपालकों ने आईडीआरबीटी में आईटी और साइबर सुरक्षा में आरबीआई द्वारा अधिदेशित प्रमाणपत्र कार्यक्रम में भाग लिया है।

f) Pensioners receive Digital Pension Payment Order (PPO) instantly to their e-mail address post processing / sanction of Regular pension.

<u>SKILL DEVELOPMENT & TALENT MANAGEMENT</u>

Employees are the most valued assets and success lies in developing, retaining and transforming them to act as strategic business partners. Treating people as resources, rewarding them equitably and integrating their goals with that of the organization through suitable HR policies are the present mantras to “Organizational Excellence”. Accordingly, the HR functions of the Bank are getting tuned in this direction and are moving ahead to do this new transformational role.

Bank has adopted the new 52/26-week induction training module as recommended by the CVC for the newly recruited POs & SWOs respectively.

In addition to this, mentoring concept is in place for the benefit of the newly recruited POs to help them to get acclimatized with Bank’s culture, tradition and ethos. Apart from strengthening the employee skill sets in general banking, the key verticals have been identified for the purpose of developing talent.

Bank is imparting training in various functional areas to build and upgrade competencies. Through the 02 Centre of Excellence (CIBM Manipal & COE Gurugram) supported by 24 Regional L&D Centres, functional trainings are imparted to staff members in various cadres by drawing training calendars in consultation with Circle offices. For the year ended 2021-22, 2437 internal trainings, 293 external trainings were conducted where 60534 employees were imparted training in spite of Covid pandemic. A shift to online trainings was made.

Executive Development Programs (EDPs), Management Development Programs (MDPs) and Leadership Development Programs (LDPs) are provided to Executives upon their promotion at institutes of repute like IIMs, ASCI Hyderabad, MDI Gurgaon, in order to acclimatize them with their new roles and responsibilities. During FY 2021-22 around 490 executives have attended EDP & MDP. 57 Executives have undergone the RBI mandated Certificate program in IT & Cyber Security at IDRBT.

इसके अलावा, बैंक अपने शीर्ष नेतृत्व की क्षमता को बैंक बोर्ड ब्यूरो के फ्लैगशिप लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से बढञाने का कार्य कर रहा है।

भविष्य लीडरों को तैयार करने की दृष्टि से वेतनमान V/VI में 470 अधिकारियों के लिए योग्यता मूल्यांकन एवं व्यक्तिगत विकास योजनाएं बनाई गई हैं।

बैंक ने सीवीसी की सिफ़ारिशों के अनुरूप एक मध्य–कैरियर प्रशिक्षण नीति भी तैयार की है ताकि उन स्केल IV/V कार्यपालकों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया जा सके जिन्होंने 14–21 वर्ष की सेवा पूरी की है।

बैंक के पास एक ई–लर्निंग पोर्टल - "कैंडल" (केनरा डिजिटल लर्निंग एक्सपीरियंस) है जो हमारे कर्मचारियों को उनके ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए प्रभावी ऑनलाइन लर्निंग की सुविधा प्रदान करता है।

ग्राहक उन्मुखीकरण

शीघ्र सेवा, विविध उत्पदों एवं सेवाओं की, न्युनतम समय में ग्राहकों के प्रश्नों का जवाब देने और निर्धारित समय सीमा के भीतर ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के माध्यम से ग्राहक पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कई पहल की गईं।

- ✓ आईबीए और आरबीआई के निर्देशों के अनुसार, बैंक ने जुलाई 2015 से आरबीआई की सलाह के अनुसार ग्राहक अधिकार नीति अपनाई है, जो ग्राहकों के अधिकारों और बैंकर की जिम्मेदारियों को भी बताती है।
- ✓ शाखाओं द्वारा प्रदान की गई ग्राहक सेवा की गुणवत्ता का आकलन करने और प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए 15.09.2021 से 27.09.2021 तक 14 पूर्वनिर्धारित प्रश्नावली के साथ एक ऑनलाइन "ग्राहक संतुष्टि का वार्षिक सर्वेक्षण" आयोजित किया गया था। सर्वेक्षण में कुल 7,917 ग्राहकों ने भाग लिया।
- ✓ समामेलन के बाद की सेवाओं की बैंक की समग्र रेटिंग को 96% ग्राहकों द्वारा औसत और उससे अधिक के रूप में रेट किया गया था और 4% ग्राहकों ने समग्र सेवाओं को औसत से कम के रूप में रेट किया था।
- ✓ डिजिटल उत्पादों के तहत 84% ग्राहकों ने औसत और उससे अधिक का दर्जा दिया है और 16% ग्राहकों ने औसत से नीचे के रूप में मूल्यांकन किया है।
- ✓ दामोदरन समिति की अनुशंसा के अनुसार बैंक ने एक मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी (सीसीएसओ) की नियुक्ति की है, जो बैंक के आंतरिक लोकपाल के रूप में कार्य करता है।

In addition to this, the Bank is grooming its top leadership through the Banks Board Bureau's Flagship Leadership Development program.

Competency assessment & Individual development plans have been created for 470 Executives in Scale V/VI with a view to grooming future leaders.

Bank has also formulated a mid-career training policy in line with CVC recommendations to give refresher training to executives in Scale IV/V who have put in 14 - 21 years of service.

Bank has a e-Learning portal - "CanDLE" (Canara Digital Learning Experience) facilitating effective online learning for our employees for enhancing their knowledge and skills.

CUSTOMER ORIENTATION

Several initiatives were taken to remain customer focused through provision of fast service, offering diversified products & services, responding to customers' queries in shortest possible time and redressal of customer complaints within the timelines stipulated.

- ✓ As per the instructions of IBA and RBI, the Bank has adopted Customer Rights Policy as advised by the RBI since July 2015, which spells out the Rights of the Customers and also responsibilities of the Banker.
- ✓ To assess the quality of customer service rendered by the branches and to get the feedback an online "Annual Survey of Customer Satisfaction" was conducted from 15.09.2021 to 27.09.2021 with 14 pre-defined questionnaires. A total of 7,917 customers participated in the survey.
- ✓ Bank's overall rating of services post-amalgamation was rated as Average & above by 96% of customers and 4% customers rated overall services as Below Average.
- ✓ Under Digital products, 84% of customers rated as Average & Above and 16% customers have rated as Below Average.
- ✓ As per the Damodaran Committee recommendations, the Bank has appointed a Chief Customer Service Officer (CCSO), who acts as an Internal Ombudsman of the Bank.

- ✓ ग्राहक सुविधा को बढ़ाने के लिए, बैंक ने विभिन्न सेवाओं जैसे शेष पूछताछ, मिनी स्टेटमेंट (पिछले 5 लेनदेन), कार्ड की हॉट लिस्टिंग आदि के लिए आईवीआरएस (मिस्ड कॉल सुविधा) पर 24/7 स्वयं सेवा कार्यों को लोकप्रिय बनाया है।
- ✓ भारत में संपर्क करने के लिए ग्राहकों के लिए निम्नलिखित टोल फ्री नंबर उपलब्ध हैं - 1800 425 0018, 1800 103 0018, 1800 208 3333 और 1800 3011 3333.
- ✓ विदेश से (भारत के बाहर) कॉल करने वाले ग्राहकों के लिए नॉन टोल फ्री नंबर +91 80 22 06 4232 है।
- ✓ कॉल सेंटर शिकायतों के निवारण के लिए हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 9 क्षेत्रीय भाषाओं अर्थात कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, उड़िया, तेलुगु, गुजराती, बंगाली और पंजाबी में ग्राहकों की सेवा कर रहा है।
- ✓ बैंक ने केनरा लोक शिकायत निवारण प्रणाली (सीपीजीआरएस) पोर्टल के तहत ग्राहकों को अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन शिकायत निवारण सुविधा वेबसाइट www.canarabank.com पर लागू की है। बैंक की शाखाओं और कॉल सेंटरों में प्राप्त शिकायतों को भी सीपीजीआरएस पैकेज के साथ एकीकृत किया गया है।
- ✓ शाखा स्तर पर शिकायत के समाधान के लिए पूर्वनिर्धारित परिवर्तन काल (टीएटी) 6 दिन है और 7 वें दिन शिकायतों को अगले उच्च प्राधिकारी के पास स्वतः अग्रेषित कर दिया जाता है।
- ✓ शिकायत बंद होने पर वेब लिंक के साथ एक एसएमएस ग्राहकों को समाधान के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए प्रेषित किया जाता है।
- ✓ बैंक ने पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए 'वीसीआईपी – वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया' शुरू की है। ग्राहकों की सुविधा के लिए नेट बैंकिंग के माध्यम से फॉर्म 15जी / 15एच दाखिल करने की सुविधा सक्षम है।
- ✓ कासा (चालू खाता और बचत बैंक खाता) खाता खोलने के उद्देश्य से भुवनेश्वर, एर्नाकुलम मणिपाल, पटना, रांची और विजयवाड़ा में 6 केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किए गए हैं।
- ✓ हमारा बैंक पीएसबी एलायंस में भी भागीदार है जिसने डोर स्टेप बैंकिंग (डीएसबी) शुरू की है। वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों सहित सभी ग्राहकों के लाभ के लिए पूरे भारत में 100 चिन्हित केंद्रों में डोर स्टेप बैंकिंग को लोकप्रिय बनाया

- ✓ In order to enhance customer convenience, Bank has popularized 24/7 Self Service Functions on IVRS (Missed Call facility) for various services like Balance enquiry, Mini Statement (last 5 transactions), Hot Listing of Cards etc.
- ✓ The following Toll Free numbers are available for customers to contact within India - 1800 425 0018, 1800 103 0018, 1800 208 3333 & 1800 3011 3333.
- ✓ The Non Toll free number for customers calling from abroad (Outside India) is +91 80 2206 4232.
- ✓ Call Centre is catering to customers in 9 regional languages, viz., Kannada, Malayalam, Marathi, Tamil, Odiya, Telugu, Gujarati, Bengali and Punjabi besides Hindi and English for redressal of grievances.
- ✓ The Bank has implemented online grievance redressal facility for customers to lodge their grievances at Bank's website www.canarabank.com under the portal: Canara Public Grievance Redressal System (CPGRS). The complaints received at the Branches & Call Centres of the Bank are also integrated with the CPGRS package.
- ✓ The pre-defined Turnaround Time (TAT) for resolution of complaint at Branch Level is 6 days and on 7th day, the grievances are auto escalated to next higher authority.
- ✓ On closure of grievance an SMS with web link is pushed to the customers to submit his / her feedback regarding resolution.
- ✓ Bank has introduced 'VCIP - Video Based Customer Identification Process' for submission of Life Certificate by pensioners. Facility for filing Form 15G / 15H through Net banking is enabled for the convenience of customers.
- ✓ 6 Central Processing Centres are established at Bhubaneswar, Ernakulam, Manipal, Patna, Ranchi & Vijayawada for CASA (Current Account & Savings Bank Account) account opening purposes.
- ✓ Our Bank is a partner in the PSB Alliance which has floated Door Step Banking Services (DSB). Door Step Banking is popularized in 100 identified centres panIndia for the benefit of all the individual customers including Senior Citizens &

गया है। मोबाइल ऐप डाउनलोड करके, वेबसाइट और कॉल सेंटर के माध्यम से ग्राहक प्रमुख बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले सकते हैं।

- ✓ बैंक ने आरबीआई द्वारा शुरू की गई नई एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 का अनुपालन किया है। नई योजना की एक प्रति, मुख्य विशेषताएं और मुख्य नोडल अधिकारी का संपर्क विवरण हमारी कॉर्पोरेट वेबसाइट www.canarabank.com में ग्राहक सेवा शीर्ष के तहत प्रदर्शित किए गए हैं।

आंतरिक लोकपाल

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने आंतरिक लोकपाल (आई ओ) को उन शिकायतों की समीक्षा करने के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया है जो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से बैंक द्वारा अस्वीकार कर दिए गए हैं। आंतरिक लोकपाल, शिकायतों के मूल कारणों के समाधान हेतु कार्रवाई करने के लिए, शिकायतों के पैटर्न का विश्लेषण करने वाली बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति को अपनी गतिविधियों की सावधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। आंतरिक लोकपाल की सिफारिशों के आधार पर जहाँ परिवर्तन आवश्यक हैं, प्रक्रियाओं / दिशानिर्देशों में परिवर्तन किए गए हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने 12.11.2021 से नई एकीकृत लोकपाल योजना 2021 शुरू की है।

सुश्री मनोरमा के.एन. ने पिछले आईओ की अवधि समाप्त होने पर 25.02.2022 से आंतरिक लोकपाल के रूप में कार्यभार संभाला है।

आंतरिक नियंत्रण और लेखा परीक्षा

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए ऑनसाइट आरबीआईए कार्यक्रम के अनुसार, 7368 जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए), शाखाओं / सेवा इकाइयों में सूचना सुरक्षा ऑडिट (आईएस ऑडिट) के साथ आयोजित की गई थी। शाखाओं / सेवा इकाइयों में मासिक समवर्ती / निरंतर लेखा परीक्षा आयोजित की गई, जिनमें से 252 शाखाओं / सेवा इकाइयों को आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा समवर्ती / निरंतर लेखापरीक्षा के अधीन थीं और 1237 शाखाओं / सेवा इकाइयां बाहरी लेखा परीक्षकों द्वारा समवर्ती लेखा परीक्षा के अधीन थीं, जिसमें 70% अग्रिम और बैंक के कुल कारोबार की कुल जमा राशि शामिल थीं। तिमाही आधार पर 2824 शाखाओं की आय / राजस्व लेखापरीक्षा की गई।

- ✓ बैंक, लगातार बैंक में नवीनतम विकास और प्रवृत्तियों को शामिल करते हुए चेकलिस्ट को विधिवत संशोधित करते हुए लेखापरीक्षा पैकेजों का उन्नयन कर रहा है। इसके अलावा, समवर्ती लेखापरीक्षा

Differently-abled persons. Customers can book the major banking services by downloading the Mobile App, Website or Call Centres.

- ✓ Bank has complied the New Integrated Ombudsman Scheme, 2021 introduced by RBI. A copy of the new scheme, salient features and the contact details of the Principal Nodal Officer are displayed in our corporate website www.canarabank.com under the head Customer Service.

INTERNAL OMBUDSMAN

In terms of the Reserve Bank of India guidelines, the Bank has appointed an Internal Ombudsman (IO) as an independent authority to review complaints that are partly or wholly rejected by the Bank. The IO submits periodical reports on his activities to the Customer Service Committee of the Board analyzing the pattern of complaints, for taking action to address the root cause of complaints. Changes where necessitated on the procedures / guidelines have also been carried out based on the IO's recommendations.

Reserve Bank of India has introduced new Integrated Ombudsman Scheme 2021 with effect from 12.11.2021.

Ms. Manorama K.N. has taken over as Internal Ombudsman with effect from 25.02.2022 on expiry of the term of the earlier IO.

INTERNAL CONTROL AND AUDIT

Risk based Internal Audits (RBIA) numbering 7368 were conducted along with Information System audit (IS Audit) across branches / service units as per the program for onsite RBIA for the FY 2021-22.Monthly Concurrent / continuous audits were conducted in branches / service units, of which 252 branches / service units were subjected to concurrent / continuous audit by Internal Auditors and 1237 branches / service units were subjected to concurrent audit by External Auditors, covering 70% of Advances and corresponding deposits of the total business of the Bank. 2824 branches were subjected to income / revenue audit on Quarterly basis.

- ✓ The Bank has been continuously going for upgradation of audit packages, duly revising the checklists to include latest developments and trends

प्रणाली संस्करण उन्नयन को भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुरूप चेकलिस्ट को विधिवत संशोधित करते हुए प्रभावी किया गया था।

- ✓ वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान दर्पण-V, 5.0 का नया संस्करण शुरू किया गया है और आरएएच, एआरएम, एमएसएमई, सीपीएच के समवर्ती ऑडिट को ऑडिट पैकेज में शामिल किया गया है।
- ✓ बैंक ने धोखाधड़ी पर शून्य सहिष्णुता दिखाई है और उस प्रक्रिया में बैंक की निरीक्षण / लेखा परीक्षा नीति को संशोधित किया है और तदनुसार जिन शाखाओं में धोखाधड़ी का पता चला है या गंभीर अनियमितताएं देखी गई हैं, उन्हें ऐसी शाखाओं / इकाइयों पर अधिक नियंत्रण रखने के लिए "उच्च जोखिम" के रूप में पुन: वर्गीकरण किया गया है। और जोखिम रेटिंग के उन्नयन तक समवर्ती लेखा परीक्षा आयोजित की जाएगी।
- ✓ 2021-2022 के दौरान 9734 शाखाओं में 34 मापदंडों के तहत किए गए लेनदेन की परोक्ष निगरानी की समीक्षा की गई, जिसमें जमा, ऋण, जीएल लेनदेनों, स्टाफ लेनदेनों, नए खोले गए खाते, जमा को समय से पहले बंद करना, निष्क्रिय खातों को फिर से सक्रिय करना और किसी भी संदिग्ध या अनिश्चित लेनदेन का पता लगाने के लिए एलसी और गारंटी शामिल हैं। लेन-देन की समीक्षा के दौरान, चूक जो एएमएल कोण से विश्लेषण को देखते हैं, उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए बैंक के एएमएल कक्ष को संदर्भित किया गया है।
- ✓ वित्त वर्ष 2021-2022 की अवधि के दौरान ओटीएम अनुभाग ने तिमाही के अंत के दौरान व्यापार भिन्नता, खाते स्थानांतरित और पुन: स्थानांतरित, खाते खोले और कम अवधि में बंद हुए जैसे मुद्दां की समीक्षा की है।
- ✓ अब लेन-देनों के सत्यापन और उत्तर प्रस्तुत करने के लिए लेनदेन शाखाओं के बजाय क्षेत्रीय कार्यालयों को सौंपे जा रहें हैं। ऐसे उत्तरों की संबंधित अंचल कार्यालयों में समीक्षा की जाती है और उनका समापन किया जा रहा है।
- ✓ निरीक्षण विभाग, एमडी और सीईओ, ईडी, सीवीसी, सांविधिक निकायों और ₹10 लाख और उससे अधिक के एनपीए खातों से प्राप्त शिकायतों पर स्वतंत्र रूप से जांच कर रहा है जहां अनियमितताएं / चूक देखी गई हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान, निरीक्षण विभाग ने 253 जांच पूरी कर ली हैं और तार्किक निष्कर्ष के लिए संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट सौंप दी हैं।

in the Bank. Further, the Concurrent Audit System version upgradation was effected duly revising the checklist in line with the RBI directions.

- ✓ New version of Darpan-V, 5.0 has been introduced during the FY 2021-22 and Concurrent Audit of RAH, ARM, MSME, CPH were incorporated in Audit Package.
- ✓ Bank has shown NIL tolerance on frauds and in that process, the Inspection / Audit policy of the Bank has been revised and accordingly the branches where fraud has been detected or serious irregularities were observed, the gradation was reassigned as “High Risk” to have more control on such branches / units and concurrent audit will be conducted until upgradation of Risk Rating.
- ✓ Off Site Monitoring of the transactions carried out in 9734 branches were reviewed under 34 parameters during 2021-2022 covering Deposits, Loans, GL transactions, Staff Transactions, newly opened accounts, premature closure of Deposits, reactivation of dormant accounts and LCs and Guarantees etc. for ascertaining any suspicious or dubious transactions. During the review of transactions, deviations which attract analysis from AML angle found were referred to the AML Cell of the Bank for further action.
- ✓ During the period FY 2021-2022 OTM section also reviewed issues like Business variations during quarter ends, Accounts transferred and re-transferred, Accounts opened and closed in short duration.
- ✓ Now the alerts are being assigned to Regional Offices instead of branches for verification of the transactions and for submission of replies. Such replies are reviewed at Circle Offices concerned and are being closed.
- ✓ Inspection Wing is conducting Investigations independently on complaints emanated from MD & CEO, ED, CVC, Statutory Bodies and NPA accounts of ₹10 lakhs & above where irregularities / lapses are observed. During the year 2021-22, Inspection Wing has completed 253 Investigations and submitted the reports to the concerned authorities for logical conclusion.

जोखिम आधारित पर्यवेक्षण

वित्तीय वर्ष 2013-14 से वार्षिक वित्तीय निरीक्षण (एएफआई) के बदले में बैंक को आरबीआई द्वारा जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) व्यवस्था के तहत लाया गया था। वर्तमान में, बैंक ने जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) का 8वां चक्र पूरा कर लिया है। जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) ढांचे को जोखिम और पूंजी के आकलन के लिए पर्यवेक्षी कार्यक्रम (एसपीएआरसी) के रूप में नामित किया गया है। एसपीएआरसी के तहत, आरबीआई द्वारा बैंक के जोखिमों का विस्तृत गुणात्मक और मात्रात्मक मूल्यांकन, पर्यवेक्षी मूल्यांकन (आईएसई) के लिए ऑन-साइट निरीक्षण के निष्कर्षों के साथ–साथ बैंक द्वारा प्रस्तुत डेटा और जानकारी के ऑफसाइट विश्लेषण के संयोजन के माध्यम से चल रहे आधार पर किया जाता है ।

RISK BASED SUPERVISION

The Bank was brought under Risk Based Supervision (RBS) regime by RBI, in lieu of Annual Financial Inspection (AFI) from FY 2013-14. Presently, the Bank has completed the 8th cycle of RBS. RBS framework is named as Supervisory Programme for Assessment of Risk and Capital (SPARC). Under SPARC, a detailed qualitative and quantitative assessment of the Bank's risks is made by RBI on an on-going basis through a combination of offsite analysis of the data and information furnished by the Bank as well as the findings of the on-site Inspection for Supervisory Evaluation (ISE).

अपने ग्राहकों को जानें (केवाईसी) / एएमएल / सीएफटी

बैंक, केवाईसी / एएमएल / सीएफटी मानदंडों को पूर्णरूपेन लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और गैर-अनुपालन के प्रति शून्य सहनशीलता रखता है। इसे सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने मजबूत प्रणालियां और प्रक्रियाएं स्थापित की हैं। नामित व्यक्तियों / संस्थाओं के संबंध में नियामकों द्वारा जारी की गई सलाह का ईमानदारी से पालन किया जाता है। केवाईसी / एएमएल / सीएफटी से संबंधित मामलों में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्टाफ सदस्यों को नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

KNOW YOUR CUSTOMERS (KYC) / AML / CFT

The Bank is committed to implement the KYC / AML / CFT norms in its completeness and has zero tolerance towards non-compliance. To ensure this, the Bank has put robust systems and processes in place. Advisories issued by the regulators with respect to designated individuals / entities are scrupulously followed. Regular training is provided to staff members to increase their awareness on matters regarding KYC / AML / CFT.

राजभाषा कार्यान्वयन

हमारा बैंक, राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976, संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों, रा.भा. विभाग, गृह मंत्रालय के वार्षिक कार्यक्रम और वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार राजभाषा कार्यान्वयन का अनुपालन सुनिश्चित कर रहा है। बैंक, हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान न रखनेवाले कर्मचारीयों को हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली द्वारा आयोजित प्रबोध, प्रवीण और बैंकिंग प्रज्ञा परीक्षाओं में प्रतिनियुक्त कर प्रवीणता दिलाने के लिए प्रशिक्षण आयोजित करता है। बैंक ने हिंदी में प्रवीणता प्राप्त करने के इच्छुक कर्मचारियों को पारंगत परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु प्रोत्साहन योजना जारी की है। बैंक, परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति के साथ-साथ हिंदी भाषा में स्नातक, स्नातकोत्तर, एम.फिल और पीएचडी की उपाधि हासिल करने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान करता है और प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा मान्यता प्राप्त कर्मचारियों के रचनात्मक लेख के लिए प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है।

IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE

Our Bank is ensuring compliance of OL Implementation as per OL Act 1963, OL Rules 1976, recommendations of Parliamentary Committee on Official Language, Annual programme of OL Department, Min. of HA and also as per the guidelines issued by DFS, MoF, GoI. OL Implementation concerns teaching & training of Employees to learn and understand Hindi and use it in day-to-day banking activities. Bank deputes employees who have no working knowledge in Hindi for Prabodh, Praveen and Banking Pragya examinations conducted by HTS, New Delhi and also incentivize them on passing it. Incentives also provided to employees for passing Parangath examination for employees who aspire to obtain proficiency in Hindi. Bank provides incentives to motivate employees for obtaining Hindi Degrees like Graduation, PG, M.Phil. and Ph.D in Hindi Language along with reimbursement of exam fees and also for creative writing in Hindi for employees whose literary work is recognized by institutes of repute.

बैंक ने ग्राहकों के उपयोग के लिए शाखा काउंटरों पर 'क' क्षेत्र में द्विभाषी तथा 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में त्रिभाषी में फॉर्म उपलब्ध कराया है। प्रधान कार्यालय के राजभाषा अनुभाग द्वारा विभागों / अन्य प्रशासनिक इकाइयों की आवश्यकताओं के अनुसार हिंदी से अंग्रेज़ी एवं अंग्रेज़ी से हिंदी अनुवाद प्रदान किया जाता है। अंचल और क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थापित राजभाषा कक्षों द्वारा हिन्दी से अंग्रेज़ी एवं अंग्रेज़ी से हिंदी में अपेक्षित अनुवाद प्रदान किया जाता हैं।

राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन सभी स्तरों पर किया गया है, इन सभी स्तरों पर त्रैमासिक बैठकें समय पर आयोजित की जा रही हैं और राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा भी की जाती है। सीबीएस में हिंदी इंटर ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर लगवाया गया है जिसके माध्यम से जमा रसीदें, डीडी सहित पासबुक / पास शीट हिंदी में मुद्रित की जा सकती है। सीबीएस स्क्रीनों में हिंदी में रिपोर्ट जेनरेट करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कर्मचारी वेतन पर्ची अब हिंदी में जनरेट किया जा सकता है और कर्मचारियों द्वारा एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग पोर्टल–एचआरएमएस पैकेज के ज़रिए इसका अवलोकन करने का प्रावधान किया गया है। एटीएम स्क्रीन में 8 क्षेत्रीय भाषाओं में लेनदेनों का अवलोकन करने का प्रावधान है। ग्राहकों को मानक बधाई संदेश और अन्य संदेश एसएमएस के माध्यम से हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में भी भेजे जा रहे हैं। ग्राहकों को उनके द्वारा चुनी हुई भाषा में एसएमएस प्राप्त करने का विकल्प चुनने के लिए सीबीएस में प्रावधान बनाया गया है। सभी शाखाओं और प्रशासनिक कार्यालयों द्वारा एसएएस पोर्टल में हिंदी के प्रगामी प्रयोग पर त्रैमासिक रिपोर्ट यानी, एसटीआर 18 रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन पैकेज को लाइव किया गया है। बैंक में कर्मचारियों के लिए "हिंदी कार्यशालाओं"और "यूनिकोड" प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। बैंक, राजभाषा अधिकारियों को प्रेरित व मार्गदर्शित करने के उद्देश्य से उनके लिए वार्षिक रूप से हिंदी कार्यशाला और सम्मेलन का आयोजन करता आ रहा है।

बेंगलूरु में हमारे बैंक का प्रधान कार्यालय, नराकास (बैंक), बेंगलूरु की बैठकों का संयोजक है। साथ ही, हमारा बैंक विभिन्न शहरों में 22 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का संयोजक है। बैंक ने राजभाषा के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न नराकास समितियों द्वारा प्रदान किए गए शील्ड और प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए हमारे बैंक की हिन्दी गृह पत्रिका "केनराज्योति" को "राजभाषा कीर्ति पुरस्कार" के तहत "प्रथम पुरस्कार" प्राप्त हुआ है। राजभाषा कार्यान्वयन को गति देने के उद्देश्य से बैंक में कार्यालयों / शाखाओं के लिए "राजभाषा अक्षय योजना" के तहत शील्ड प्रदान किया जाता है। कर्मचारियों को प्रभावी राजभाषा कार्यान्वयन के प्रति प्रेरित करने हेतु "राजभाषा पुरस्कार योजना" की भी परिकल्पना की गई है और

Bank has made available forms in Bilingual in Region 'A' and Trilingual in 'B' & 'C' regions at branch counters for the use of customers. OL Section HR wing provides translation for Hindi & English and vice-versa to meet the requirements of all Wings in HO. OL cells established at COs & ROs are also providing the requisite translations in Hindi & English and vice versa.

OLIC are constituted at all levels, where quarterly meetings are being conducted promptly and review of status of OL implementation is effectuated. A Hindi inter-translator system has been introduced in CBS through which pass book / pass sheets could be generated in Hindi, including generation of Deposit receipts and DDs. CBS Screens (in Hindi) have been created and a facility to generate reports in Hindi is now made available. Salary slips of employees could now be generated in Hindi with a provision for them to view the same via our Enterprise resource Planning portal-HRMS package. Provision has been made in ATM Screen to view the transactions in 8 Regional Languages. Standard greetings and messages to customers are being sent through SMS in Hindi & Regional Languages also. Customers can also now opt to receive SMS in their opted language. An online package has been made live (in SAS portal) for submission of QPR i.e., STR 18 by all branches and administrative offices. Hindi Workshops and Unicode training are organized for staff. Hindi workshop and conference for Official Language Officers are conducted annually to ensure effective implementation of Hindi.

Our Bank's Head Office is the convenor of TOLIC (Banks) meetings at Bengaluru. Our Bank is also the convener of 22 TOLICs at various cities / towns. Bank has secured numerous Shields and Certificates, pan-India, awarded by various TOLIC committees for the best implementation of OL.

Our Bank has secured 1st Prize for our Hindi magazine "Canara Jyothi" under Rajbhasha Keerthi Puraskar for Hindi magazine in Region "C" awarded by OLD, Min. of HA, Govt of India for the year 2020-2021. In order to accelerate OL implementation, Shields are awarded to Offices and Branches under 'Rajbhasha Akshay Yojana'. 'Rajbhasha Puraskar Yojana' has also been conceptualized and put in place to motivate the employees towards

इसे लागू किया गया है। "आज के समाचार" शीर्षक के तहत हिंदी में बैंकिग से संबंधित समाचार "टुडेस टाइडिंगस", दैनिक समाचार पत्रिका में शामिल किए जाते हैं। 'एचआरडी(ई) लाइट', 'एनआरआई बुलेटिन' और 'स्टाफ मीटिंग लिटरेचर' हिंदी में भी मासिक आधार पर प्रकाशित किए जा रहे हैं।

बैंक के 'ख' और 'ग' क्षेत्र में स्थित अंचल कार्यालयों में क्षेत्रीय भाषा कक्ष जैसे–कन्नड़ कक्ष, तमिल कक्ष, तेलुगु कक्ष, मराठी कक्ष आदि का गठन किया गया है। क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग के संबंध में समन्वय के लिए राजभाषा अनुभाग, मानव संसाधन विभाग के तहत एक नोडल कक्ष के रूप में क्षेत्रीय भाषा कक्ष का भी गठन किया गया है। बैंक ने 01 सितंबर 2021 को हिंदी माह 2021 के उद्घाटन समारोह के दौरान "आज़ादी का मनाएं अमृत महोत्सव, राजभाषा का मनाएं नित्योत्सव" का नारा जारी किया है। बैंकिंग को हिंदी में लोकप्रिय बनाने की दिशा में एक अभिनव उपाय के रूप में, समकालीन बैंकिंग विषयों पर "हिंदी में परिचर्चा" (हिंदी में परिचर्चा कार्यक्रम) नामक कार्यक्रम सभी प्रशासनिक कार्यालयों में सभी तिमाहियों में आयोजित किए जाते हैं।

कर्मचारियों को हिंदी में किताबें पढ़ने की दिशा में प्रेरित करने के उद्देश्य से बैंक ने प्रधान कार्यालय, अंचल और क्षेत्रीय कार्यालयों के स्तर पर हिंदी पुस्तकालय की स्थापना की है। डिजिटल लाइब्रेरी पोर्टल भी शुरू किया गया है जिसमें हिंदी की किताबें भी उपलब्ध कराई गई हैं। बेहतर राजभाषा कार्यान्वयन के लिए बैंक प्रतिबद्ध है।

सतर्कता व्यवस्था

प्रधान कार्यालय स्तर पर गठित सतर्कता व्यवस्था में मुख्य सतर्कता अधिकारी होते हैं, जिन्हें प्रधान कार्यालय में सतर्कता विभाग के कार्यपालकों और कर्मचारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। मुख्य सतर्कता अधिकारी को सतर्कता संबंधी प्रशासन कार्य में, अंचलों / प्रका / आरआरबी / बैंक की अन्य अनुषंगी कंपनियों के सतर्कता अधिकारियों द्वारा भी सहायता प्रदान की जाती है। सीवीओ के पर्यवेक्षण/ मार्गदर्शन में बैंक में सतर्कता प्रबंधन द्वारा सतर्कता संबंधी निवारक उपाय, सहभागी, सक्रिय और दंडात्मक पहलुओं संबंधी विभिन्न कार्यों का संचालन किया जाता है, जिसमें धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और कदाचार के अवसर प्रदान करने वाले कारकों को खत्म करना / कम करना और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए एक निवारक उपाय के रूप में दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए भी निवारक सतर्कता उपायों पर अधिक जोर दिया जाता है।

हमारे बैंक में 26 अक्टूबर 2021 से 1 नवंबर 2021 तक 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' मनाया गया, जिसका विषय "स्वतंत्र भारत @ 75: सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता" था और समाज में भ्रष्टाचार के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता लाने के लिए, सभी शाखाओं / कार्यालयों ने विभिन्न गतिविधियों जैसे, सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा, संगोष्ठी, कार्यशालाएं,

effective OL implementation. Banking related news in Hindi under the title "Aaj Ke Samachar" are included in Today's Tidings, a daily news brief. 'HRD (e)light's, 'NRI Bulletin' & 'Staff Meeting Literature' are being brought out in Hindi as well on a Monthly basis.

Regional Language Cells like Kannada cell, Tamil cell, Telugu cell, Marathi cell etc., are formed in Circle offices located in Region 'B' & 'C'. Regional Language Cell under OL Section, HR Wing has been formed as a Nodal Cell for coordinating the usage of Regional Languages. Bank has released a slogan "आज़ादी का मनाएं अमृत महोत्सव, राजभाषा का मनाएं नित्योत्सव" On 01.09.2021, during inaugural function of Hindi Month 2021. "Hindi Mein Paricharcha", an innovative Discussion programme in Hindi on contemporary banking subjects, was also conducted in all quarters at all Administrative Offices.

Bank has established a Hindi library at HO, COs & ROs for motivating employees to read books in Hindi. A Digital Library portal has also been initiated which constitutes books in Hindi and made available to all employees. Bank is committed for better OL implementation.

VIGILANCE SETUP

Vigilance set up at Head Office level comprises of Chief Vigilance Officer, who is assisted by the Executives and staff of Vigilance Department at HO. The Chief Vigilance Officer is also assisted by Vigilance Officers at Circles/ HO / RRBs / other subsidiaries of the Bank in Vigilance administration. The Vigilance Management in the Bank under the supervision / guidance of CVO administers various functions on preventive, participative, proactive and punitive aspects of vigilance with more emphasis on preventive vigilance measures to eliminate / minimise factors which provide opportunities for frauds, corruption and malpractices in the organization and also to take punitive action as a deterrent measure to check recurrence of such instances.

Vigilance Awareness Week was observed in our Bank from 26th October 2021 to 1st November 2021 with the theme "Independent India @ 75: Self-Reliance with Integrity" - "स्वतंत्र भारत @ 75: सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता". All the Branches / Offices have actively participated in

ग्राहक शिकायत निवारण बैठकें, ग्राम पंचायतों में जागरूकता सभाओं का आयोजन, पैनल चर्चाओं, स्कूलों / कॉलेजों में प्रतियोगिताएं (जैसे, निबंध लेखन, वाद-विवाद और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं) आदि के संचालन में सक्रिय रूप से भाग लिया है। बैंक के कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन क्विज, निबंध लेखन व कार्टून ड्राइंग प्रतियोगिताओं आयोजन किया गया।

जहां पर धोखाधड़ी जैसी घटना पाई जाती है, वहाँ पर धोखाधड़ी के तौर-तरीकों संबंधी महत्वपूर्ण केस स्टडी को कर्मचारियों की सुविधा के लिए, केननेट में अपलोड की जाती है ताकि वे दिन-प्रतिदिन के कार्यों में अधिक सतर्क रह सके।

आईएसी के संबंध में सतर्कता दृष्टिकोण का निर्धारण करते समय पाई गई कमियों के आधार पर समय–समय पर प्रणालीगत सुधारों के संबंध में सुझाव दिया जाता है।

परिचालन स्तर पर ज्ञान के अंतर को पाटने के लिए "निवारक सतर्कता मार्गदर्शिका" को सभी केनरा साथियों के लाभ के लिए केननेट में उपलब्ध कराया गया है।

भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, हमारा बैंक भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) को लागू करने की प्रक्रिया में है। सुगम अभिसरण के लिए निरंतर आधार पर आवश्यक कदम उठाने के लिए कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में एक परियोजना संचालन समिति का गठन किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पत्र संदर्भ संख्या: डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.29/21.07.001/2018-19 दिनांक 22 मार्च, 2019 के माध्यम से सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक के लिए स्थगित किया है। बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप छमाही आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक को नियमानुरूप वित्तीय विवरण प्रस्तुत कर रहा है।

वित्तीय सुपरमार्केट

केनरा बैंक ने 'वन स्टॉप बैंकिंग' के उद्देश्य के साथ ग्राहकों को सुविधा प्रदान करते हुए 1980 के दशक के अंत में अनुषंगियों को खोलकर विविध कारोबारी गतिविधियों की शुरुआत की है। वर्तमान में, बैंक विविध क्षेत्रों के अंतर्गत आठ घरेलू अनुषंगी, एक विदेशी सहायक, पांच सहयोगी और एक संयुक्त उद्यम के साथ एक 'वित्तीय सुपरमार्केट' के रूप में कार्य करता है। वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक की सभी घरेलू

conducting various activities such as administering Integrity Pledge, Seminars, Workshops, Customer Grievance Redressal Meetings, Awareness Sabhas in Gram Panchayats, Panel Discussions, Competitions in Schools / Colleges (viz. Essay Writing, Debate & Quiz Competitions) etc to bring awareness in society about the ill effects of Corruption. Online quiz and Essay Writing & Cartoon Drawing competitions were conducted for employees of the Bank.

Important case studies with the modus-operandi of the fraud, in cases where frauds are observed, is uploaded in CANNET for the benefit of employees to enable them to be more vigilant in day-to-day functions.

Systemic improvements are periodically suggested based on the lapses observed while determining vigilance angle in respect of IACs.

To bridge the knowledge gap at the operational level a "Compendium on Preventive Vigilance" is available in CANNET for the benefit of all Canarites.

Implementation of Indian Accounting Standards

As per RBI guidelines, the Bank is in the process of implementing the Indian Accounting Standards (Ind AS). A Project Steering Committee headed by Executive Director has been formed to take the required steps on a continuous basis for smooth convergence. RBI, vide its communication ref : DBR. BP.BC.No.29 / 21.07.001 / 2018-19 dated 22nd March, 2019 has deferred implementation of Ind AS for all Scheduled Commercial Banks till further notice. Bank is submitting Pro-Forma Financial Statements to RBI on Half-yearly basis as per the guidelines of RBI.

FINANCIAL SUPERMARKET

Canara Bank, with an objective of offering 'One Stop Banking' facilities for the customers, forayed into diversified business activities by opening subsidiaries during late 1980s. Today, the Bank functions as a 'Financial Supermarket', with eight Domestic Subsidiaries, one overseas subsidiary, five associates and one joint venture. All the Domestic

अनुषंगियाँ / सहायक / संयुक्त उद्यम ने संतोषजनक निष्पादन किया है। आरबीआई ने केनरा समूह को बैंक के नेतृत्व वाले वित्तीय समूह के रूप में और केनरा बैंक को समूह के लिए नामित इकाई के रूप में पहचाना है।

केनफिन होम्स लिमिटेड (सीएफएचएल)

मेसर्स कैनफिन होम्स लिमिटेड, केनरा बैंक की एक प्रायोजित संस्था है और देश की श्रेष्ठ आवास वित्त संस्थाओं में से एक है। कंपनी में बैंक की 29.99% हिस्सेदारी है। मार्च 2022 तक कंपनी का बकाया ऋण ₹26711 करोड़ था। कंपनी ने पिछले वर्ष के ₹456.06 करोड़ की तुलना में ₹471.11 करोड़ का कर पश्चात लाभ अर्जित किया, जिसमें वर्षानुवर्ष 3.30% की वृद्धि हुई। 31.03.2022 को कंपनी का सकल एनपीए ₹170.59 करोड़ (0.64%) और शुद्ध एनपीए ₹80.71 करोड़ (0.30%) था। कंपनी ने 75% का अंतरिम लाभांश प्रदान किया है और वर्ष 2021-22 के लिए 75% अंतिम लाभांश भी प्रस्तावित किया है।

केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

मेसर्स केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (चॉइस) वर्ष 2007 में एचएसबीसी इंश्योरेंस (एशिया पैसिफिक) होल्डिंग लिमिटेड और पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से, बैंक द्वारा शुरू किया गया एक जीवन बीमा संयुक्त उद्यम है। जेवी ने अपना कारोबार संचालन दिनांक 16.06.2008 से प्रारम्भ किया, जिसमें केनरा बैंक की अधिकतम शेयरधारिता 51% है और इसके बाद एचएसबीसी (26%) और पंजाब नेशनल बैंक (23%) की हिस्सेदारी है। कंपनी ने वर्ष के दौरान ₹5824.10 करोड़ का सकल प्रीमियम दर्ज किया है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ₹10.20 करोड़ का लाभ हासिल किया है। कंपनी ने वर्ष 2021-22 के लिए 3% अंतिम लाभांश का प्रस्ताव भी रखा है।

केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (सीआरएएमसी)

मेसर्स केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, मेसर्स ओरिक्स कॉर्पोरेशन, जापान के साथ एक संयुक्त उद्यम (जेवी) है जिसमें बैंक की 51% हिस्सेदारी है। इस संयुक्त उद्यम का गठन 2007 में मेसर्स केन बैंक म्यूचुअल फंड में मेसर्स रोबेको ग्रुप एनवी (अब ऑरिक्स कार्पोरेशन, जापान) के पक्ष में बैंक द्वारा धारित 49% हिस्सेदारी को बेचकर किया गया था। वर्तमान में, कंपनी इक्विटी, संतुलित और ऋण योजनाओं को मिलाकर 21 म्यूचुअल फंड योजनाओं का प्रबंधन कर रही है। कंपनी ने ₹59.53 करोड़ का निवल लाभ हासिल किया है और 20% का अंतरिम लाभांश भी प्रदान किया है और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 20% का अंतिम लाभांश भी प्रस्तावित किया है।

Subsidiaries / Associate / Joint Venture of the Bank recorded satisfactory performance during the financial year 2021-22. RBI has identified Canara Group as a Bank led Financial Conglomerate and Canara Bank as the designated entity for the group.

CANFIN HOMES LIMITED (CFHL)

M/s Canfin Homes Limited, a sponsored entity of Canara Bank is one of the premier housing finance entities in the country. The bank holds 29.99% stake with the company. The loans outstanding of the Company as at March 2022 were ₹26711 crore. The Company earned a profit after tax of ₹471.11 crore as against ₹456.06 crore in the previous year, with y-o-y growth of 3.30%. Gross NPAs of the Company was ₹170.59 crore (0.64%) and Net NPA was ₹80.71 crore (0.30%) as on 31.03.2022. The Company has provided interim dividend of 75% and also proposed 75% final dividend for the year 2021-22.

CANARA HSBC ORIENTAL BANK OF COMMERCE LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

M/s Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd (CHOICE) is a Life Insurance Joint Venture floated by the Bank in association with HSBC Insurance (Asia Pacific) Holding Limited and Punjab National Bank in the year 2007. The JV commenced its business operations with effect from 16.06.2008, with majority shareholding of 51% by Canara Bank, followed by HSBC (26%) and Punjab National Bank (23%). The Company recorded gross premium of ₹5824.10 crore during the year. The Company registered Profit after tax of ₹10.20 crore for FY 2021-22. The company also proposed 3% final dividend for the year 2021-22.

CANARA ROBECO ASSET MANAGEMENT CO LIMITED (CRAMC)

M/s Canara Robeco Asset Management Company Limited is a joint venture (JV) with M/s Orix Corporation, Japan with the Bank's holding of 51% Stake. This JV was formed in 2007 divesting 49% Stake held by the Bank in M/s Can Bank Mutual Fund in favour of M/s Robeco Group N V (now Orix Corporation, Japan). The Company is currently managing 21 Mutual Fund Schemes with a mix of equity, balanced and debt schemes. The Company has registered a net profit of ₹59.53 crore and has also provided interim dividend of 20% and also proposed final dividend of 20% for FY 2021-22.

केनरा बैंक सिक्योरिटीज लिमिटेड (सीबीएसएल)

मेसर्स केनरा बैंक सिक्योरिटीज लिमिटेड बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है। सीबीएसएल ने केनरा बैंक से निक्षेपागार सहभागी (डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट) सेवाओं को दिनांक 01.04.2017 से अधिग्रहण कर लिया है। मेसर्स केनरा बैंक सिक्योरिटीज लिमिटेड डीमैट सर्विसेज (डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट), ऑनलाइन ट्रेडिंग, ई-बीमा और वित्तीय उत्पादों की सुविधा प्रदान कर रहा है। कंपनी संस्थागत और खुदरा दोनों प्रकार के ग्राहकों को स्टॉक ब्रोकिंग सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी ने वर्ष 2021-22 के लिए कर पश्चात ₹18.03 करोड़ का लाभ हासिल किया है और 22.22% (रुपये 8.88 करोड़) का अंतरिम लाभांश प्रदान किया है।

केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड (सीएफएल)

बैंक की 70% हिस्सेदारी के साथ, मेसर्स केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड, बैंक की एक फैक्टरिंग अनुषंगी कंपनी है। वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी का कुल कारोबार ₹2512.82 करोड़ था, जिसने पिछले वर्ष की तुलना में 70.94% की वृद्धि दर्ज की है। एनपीए खातों के लिए किए गए प्रावधानों के कारण कंपनी को वर्ष के दौरान ₹7.06 करोड़ का नुकसान हुआ है।

केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (सीवीसीएफ़एल)

मेसर्स केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड, बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है और केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड ट्रस्ट का न्यासी और प्रबन्धक है। कंपनी ने अब तक 5 निधियों (फंडों) का प्रबंधन किया है, जिसमें प्रबंधन के तहत कुल आस्ति ₹383.56 करोड़ है। सीवीसीएफ़एल को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विकास निधि (ईडीएफ़) के प्रबंधन के लिए ₹2206 करोड़ के कोष के साथ स्थापित किया गया है।

₹150 करोड़ के ग्रीन शू विकल्प के साथ, "एम्पॉवर इंडिया फंड" नाम का एक और नया फंड ₹500 करोड़ के लक्ष्य कोष के साथ स्थापित किया गया है। प्रारंभिक समापन किया जा रहा है और यह निवेश के लिए उपलब्ध है। कंपनी ने वर्ष 2021-2022 के दौरान कर पश्चात ₹1.11 करोड़ का लाभ दर्ज किया और 2000% का अंतरिम लाभांश प्रदान किया है।

केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड (सीसीएसएल)

मेसर्स केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा प्रवर्तित एकमात्र सॉफ्टवेयर कंपनी है, जिसमें बैंक की

CANARA BANK SECURITIES LIMITED (CBSL)

M/s Canara Bank Securities Limited is a wholly owned subsidiary of the Bank. CBSL has taken over the Depository participant services from Canara Bank w.e.f. 01.04.2017. M/s Canara Bank Securities Ltd. is extending Demat Services (Depository Participant), Online Trading, e-Insurance and distribution of Financial products. The Company offers stock broking services to both institutional and retail clients. The Company has registered a profit after tax of ₹18.03 crore and has provided interim dividend of 22.22% (₹ 8.88 crore) for the year 2021-22.

CANBANK FACTORS LIMITED (CFL)

M/s Canbank Factors Limited is a factoring Subsidiary of the Bank with 70% stake held by the Bank. During 2021-22, the Company had a total business turnover of ₹2512.82 crore registering a growth of 70.94% as compared to Previous Year. The company has suffered a loss of ₹ 7.06 crore during the year due to provisions made towards NPA accounts.

CANBANK VENTURE CAPITAL FUND LIMITED (CVCFL)

M/s Canbank Venture Capital Fund Limited is a wholly-owned Subsidiary of the Bank and the Trustee and Manager of Canbank Venture Capital Fund Trust. The company has managed 5 funds so far with total Asset under Management of ₹383.56 crore. CVCFL has been appointed by the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) to manage the Electronic Development Fund (EDF) with a corpus of ₹2206 crore.

Another new fund named as “Empower India Fund” is set up with a target corpus of ₹500 crore with green shoe option of ₹150 crore. The initial closing is done and available for investment. The Company recorded a profit after tax of ₹1.11 crore during the year 2021-2022 and has provided interim dividend of 2000%.

CANBANK COMPUTER SERVICES LIMITED (CCSL)

M/s Canbank Computer Services Limited is the only Software Company promoted by a Public Sector

69.14% हिस्सेदारी है। सीसीएसएल मुख्य रूप से आईटी और सॉफ्टवेयर विकास सेवाओं, बीपीओ सेवाओं, एटीएम / किसी भी समय भुगतान सेवाओं, प्रशिक्षण, परामर्श और आर एंड टी एजेंट जैसे कार्यों में लगी हुई है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कर पश्चात ₹4.96 करोड़ का लाभ अर्जित किया है। कंपनी ने 75% का अंतरिम लाभांश भी प्रदान किया है।

केनबैंक वित्तीय सेवा लिमिटेड (केनफिना)

मेसर्स केनबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने अपनी गतिविधियों को प्रतिभूतियों में पिछले लेनदेनों और डिक्री खातों के तहत बकाया राशि की वसूली से उत्पन्न कानूनी मामलों तक सीमित रखा है। कंपनी ने लाभांश की प्राप्ति के रूप में और लंबित मुकदमों से संबंधित राशि के माध्यम से वर्ष 2021-22 के लिए ₹17.55 करोड़ का लाभ अर्जित किया है।

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड (एसबीएसएल)

मेसर्स सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, ई–सिंडिकेट बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है, जिसे 25.01.2006 को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत शामिल किया गया था। कंपनी ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ₹0.44 करोड़ का लाभ कमाया है और वित्त वर्ष के दौरान ₹11 करोड़ (4400%) का अंतरिम लाभांश प्रदान किया है। चूंकि कंपनी द्वारा किसी प्रकार की गतिविधि नहीं की जा रही है, कंपनी स्वैच्छिक परिसमापन की प्रक्रिया में है जैसा कि बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित है।

उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी [एचईएफए]

उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (एचईएफए), एक गैर-लाभकारी संगठन है, जिसे बैंक द्वारा शिक्षा मंत्रालय (एमओई), भारत सरकार के साथ एक संयुक्त उद्यम शेयरधारक समझौते के तहत स्थापित किया गया है।

एचईएफए की स्थापना आरएंडडी इंफ्रास्ट्रक्चर सहित शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए की गई है, जिससे कि संस्थान वैश्विक स्तर पर शीर्ष रैंकिंग तक पहुंच सकें। दिनांक 31.03.2022 तक, क्रमश; एमओई ने ₹4812.50 करोड़ की पूंजी डाली है और केनरा बैंक ने क्रमशः ₹481.25 करोड़ का योगदान दिया है। दिनांक 31.03.2022 तक स्वीकृत कुल ऋण ₹33486.37 करोड़ है और संवितरित की गई राशि ₹13935.37 करोड़ है। एचईएफ़ए ने वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान विभिन्न संस्थानों को ₹2627 करोड़ का ऋण संवितरित किया है और बैंक को प्रबंधन शुल्क ₹26.27 करोड़ प्राप्त हुआ है।

Bank in the country, with a 69.14% shareholding by the Bank. CCSL is mainly engaged in IT and Software development services, BPO services, ATM / Any Time Payment services, Training, Consultancy and R&T agent. The Company has posted a profit after tax of ₹4.96 crore for FY 2021-22. The company has also provided interim dividend of 75%.

CANBANK FINANCIAL SERVICES LIMITED (CANFINA)

M/s Canbank Financial Services Limited is confining its activities to legal matter arising out of past transactions in securities and recovery of dues under decreed accounts. Company has posted a profit of ₹17.55 crore for the year 2021-22 by way of receipt of dividends and amount pertaining to pending litigations.

SYNDBANK SERVICES LIMITED (SBSL)

M/s SyndBank Services Limited is a wholly-owned Subsidiary of e-Syndicate Bank, was incorporated under Companies Act 1956 on 25.01.2006. Company has posted a profit of ₹0.44 crore for FY 2021-22 and has provided interim dividend of ₹11 crore (4400%) during the financial year. As the Company is not undertaking any activity, company is under the process of voluntary liquidation, as approved by the Board of the Bank.

HIGHER EDUCATION FINANCING AGENCY (HEFA)

Higher Education Financing Agency (HEFA), is a not-for profit organization, set up by the Bank under a joint venture shareholder agreement with the Ministry of Education (MoE), Government of India.

HEFA has been set up for developing the educational infrastructure, including R&D infrastructure thereby enabling the institutions to reach top rankings globally. As on 31.03.2022, MoE has infused Capital of ₹4812.50 crore and Canara Bank has contributed ₹481.25 crore respectively. The total loans sanctioned as on 31.03.2022 is ₹33486.37 crore and disbursed is ₹13935.37 crore. HEFA has disbursed ₹2627 crore of loans to different institutions during FY 2021-22 and Bank has received ₹26.27 crore of Management Fee.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

मार्च 2022 तक, बैंक के चार प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक थे, जैसे केरल में केरल ग्रामीण बैंक (केईजीबी), कर्नाटक में कर्नाटक ग्रामीण बैंक (केएजीबी) और कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक (केवीजीबी) और आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक (एपीजीबी) है।

आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक (एपीजीबी) आंध्र प्रदेश के 5 जिलों में 552 शाखाओं और 109 एटीएम के साथ परिचालित है। मार्च 2022 तक बैंक का कुल कारोबार ₹39,257 करोड़ है (जमा: ₹19,128 करोड़, अग्रिम: ₹20,129 करोड़) ।

केरल ग्रामीण बैंक (केईजीबी) केरल के सभी 14 जिलों में 634 शाखाओं और 269 एटीएम के साथ परिचालित है। मार्च 2022 तक बैंक का कुल कारोबार ₹41,113 करोड़ है। (जमा: ₹21,834 करोड़, अग्रिम: ₹19,279 करोड़) ।

कर्नाटक ग्रामीण बैंक (केएजीबी) कर्नाटक के 22 जिलों में 1119 शाखाओं और 159 एटीएम के साथ परिचालित है। मार्च 2022 तक बैंक का कुल कारोबार ₹57,210 करोड़ है। (जमा: ₹31,788 करोड़, अग्रिम: ₹25,422 करोड़) ।

कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक (केवीजीबी) कर्नाटक के 9 जिलों में 629 शाखाओं और 76 एटीएम के साथ परिचालित है। मार्च 2022 तक बैंक का कुल कारोबार ₹30,748 करोड़ है। (जमा: ₹17,647 करोड़, अग्रिम: ₹13,101 करोड़) ।

मार्च 2022 तक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) का कुल कारोबार बढ़कर ₹1,68,328 करोड़ हो गया है। जिसमें ₹90,397 करोड़ की जमा राशि और ₹77,931 करोड़ के अग्रिम शामिल हैं। बैंक के बुनियादी ढांचे के सहयोग के माध्यम से, आरआरबी एटीएम सह डेबिट कार्ड सेवाओं जैसी सुविधाओं को प्रदान कर रहीं हैं। प्रायोजित आरआरबी 100% सीबीएस का अनुपालन कर रही हैं और अपने ग्राहकों के लिए एनईएफटी / आरटीजीएस के माध्यम से आईटी आधारित उत्पादों, जैसे इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, रुपे डेबिट कार्ड सेवाओं और आधार सक्षम सेवाओं और विप्रेषण सुविधाओं को प्रदान करके प्रौद्योगिकी के मामले में अपने प्रतिद्वंदी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) से आगे हैं। आरआरबी ने चेक ट्रंकेशन सिस्टम और ई-केवाईसी तकनीक लागू की है।

REGIONAL RURAL BANKS (RRBs)

As at March 2022, the Bank had four sponsored RRBs, viz., Kerala Gramin Bank (KeGB) in Kerala, Karnataka Gramin Bank (KaGB) and Karnataka Vikas Grameena Bank (KVGB) in Karnataka and Andhra Pragathi Grameena Bank (APGB) in Andhra Pradesh.

Andhra Pragathi Grameena Bank (APGB) operates in 5 districts of Andhra Pradesh with 552 branches and 109 ATMs. Total business of the Bank as at March 2022 is ₹39,257 crore (Deposits: ₹19,128 crore, Advances: ₹20,129 crore).

Kerala Gramin Bank (KeGB) operates in all 14 districts of Kerala with 634 branches & 269 ATMs. The total business of the Bank as at March 2022 is ₹41,113 crore (Deposits: ₹21,834 crore, Advances: ₹19,279 crore).

Karnataka Gramin Bank (KaGB) operates in 22 districts of Karnataka with 1119 branches & 159 ATMs. The total business of the Bank as at March 2022 is ₹57,210 crore (Deposits: ₹31,788 crore, Advances: ₹25,422 crore).

Karnataka Vikas Grameena Bank (KVGB) operates in 9 districts of Karnataka with 629 branches & 76 ATMs. The total business of the Bank as at March 2022 is ₹30,748 crore (Deposits: ₹17,647 crore, Advances: ₹13,101 crore).

Aggregate business of the RRBs increased to ₹1,68,328 crore as at March 2022 comprising of Deposits of ₹90,397 crore and Advances ₹77,931 crore. Through the Bank's infrastructure support, the RRBs are extending facilities, like, ATM cum Debit Card services. The sponsored RRBs are 100% CBS compliant and are ahead of their peer RRBs under technology front by extending IT based products, like Internet Banking, Mobile Banking, RuPay Debit Card services and also Aadhaar enabled services and remittance facilities through NEFT / RTGS to their customers. The RRBs have put in place ChequeTruncation System and e-KYC technology.

कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी

संस्थापक सिद्धांतों और सदियों पुरानी परंपरा का पालन करते हुए, बैंक विभिन्न कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों में शामिल रहा है। बैंक ने अनेक सीएसआर पहल की हैं, जिसमें बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण, मेधावी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को छात्रवृत्ति, स्कूलों की मरम्मत और जरूरतमंद शैक्षणिक संस्थानों को अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, पेयजल, सामुदायिक विकास, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ भारत और अन्य सामाजिक पहल जैसी गतिविधियां शामिल हैं। कुछ सामाजिक पहलों की रूपरेखा निम्न प्रकार से प्रस्तुत की गई है।

- ✓ बैंक ने समेकित रूप से, 74 शिक्षण संस्थानों को प्रायोजित/ सह प्रायोजित किया है, जिसमें अब तक 11.34 लाख बेरोजगार युवाओं / युवतियों को प्रशिक्षित किया गया है और उनमें से 74% को रोजगार प्राप्त हुए हैं।
- ✓ बैंक ने महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों और कारीगरों को उनके उत्पादों के विपणन में सहायता करने के लिए 4 हाईटेक, कस्टम बिल्ट, सौर ऊर्जा से संचालित 'रिटेल मोबाइल मार्केटिंग वैन' दान किया है।
- ✓ मेधावी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्राओं के लिए केनरा विद्या ज्योति छात्रवृत्ति योजना प्रारम्भ की गई है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल ₹3.09 करोड़ की राशि उपयोग की गई जिससे कुल 8200 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं।
- ✓ बेहतर जीवन जीने में सहायता के लिए विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी), बेघर और बाढ़ और महामारी कोविड-19 से प्रभावित लोगों को गरीबी और कुपोषण से निपटने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- ✓ कोविड-19 जैसी स्थिति की कठिनाइयों के दौरान, बैंक ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि आम जनता के सामने आने वाली कठिनाइयों को मास्क, सैनिटाइज़र और अन्य स्वच्छता सामग्री के वितरण द्वारा यथासंभव निवारण किया जाए।
- ✓ भोजन के पैकेट, किराने का सामान, मेडिकल किट, कंबल का वितरण, एम्बुलेंस वैन उपलब्ध कराना उन कुछ गतिविधियों में शामिल हैं जिसे बैंक द्वारा संचालित किया जा रहा था।
- ✓ सीएसआर के तहत अंचलों द्वारा भी ऊपर बताए गए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया है।

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Following the founding principles and century old tradition, the Bank is engaged in varied Corporate Social Responsibility (CSR) activities. CSR initiatives of the Bank are multifarious, covering activities like training unemployed rural youth, scholarship to meritorious SC / ST Girl students, renovation of schools and providing of other infrastructural facilities to needy educational institutes, providing primary health care, drinking water, community development, empowerment of women, environment protection, Swachh Bharat and other social initiatives. A few social initiatives are outlined below:

- ✓ Cumulatively, the Bank has sponsored / co-sponsored 74 training institutes, which have trained more than 11.34 lakh unemployed youth so far, with a settlement rate of 74%.
- ✓ The Bank has donated 4 hi-tech, custom- built, solar powered 'Retail Mobile Marketing Van' to assist women entrepreneurs, SHGs and artisans to market their products.
- ✓ Canara Vidya Jyothi Scholarship scheme to meritorious SC / ST Girl Students. During FY 2021-22, 8200 students have been benefitted, utilizing a total amount of ₹3.09 crore.
- ✓ Financial assistance for combating poverty & malnutrition to persons with disability (PwD), homeless and people effected by floods & Pandemic COVID-19 for supporting to lead a better life.
- ✓ During the difficulties of COVID-19 situation, the Bank has taken efforts to ensure that the difficulties faced by the general public are redressed to the maximum extent possible by distribution of Masks, sanitizers and other sanitation material.
- ✓ Providing of food packets, groceries, medical kits, distribution of blankets ambulance van, hearse Van are among the few activities that were being organized.
- ✓ Under CSR, the Circles have also organized various activities as mentioned above.

- ✓ बैंक ने विकलांग व्यक्तियों को व्हील चेयर, स्टैंडिंग फ्रेम, कॉर्नर चेयर आदि प्रदान करके और अलग-अलग विकलांग एथलीटों को भी सहायता प्रदान किया है।
- ✓ कोविड-19 पीड़ितों के परिवारों की पहचान की गई और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
- ✓ पर्यावरण संरक्षण के हिस्से के रूप में बैंक ने पेड़ पौधे लगाने, वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक तालाबों के नवीनीकरण आदि के लिए विभिन्न संगठनों का सहयोग किया है।
- ✓ वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, बैंक के सतत और विकास कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (एसडी व सीएसआर) पहल के तहत बैंक ने कौशल विकास, वित्तीय समावेशन, महिला सशक्तिकरण गतिविधियों, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य, गरीबी और पोषण, विकलांग व्यक्ति, ग्रामीण विकास, स्वच्छ भारत, खेल व अन्य क्षेत्रों के अंतर्गत कुल ₹50.96 करोड़ खर्च किए हैं।

स्थायी समिति द्वारा दौरा

वर्ष 2021-22 के दौरान, आरक्षण संबंधी स्थायी समिति, सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अध्ययन दौरे किए और हमारे बैंक के निष्पादन की समीक्षा की है।

पुरस्कार / सम्मान और उपलब्धियां

- ✓ केनरा बैंक को पीएफआरडीए से एपीवाई वार्षिक पुरस्कार 2021-22 प्राप्त हुआ है।
- ✓ केवीआईसी, एमएसएमई मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के कार्यान्वयन के तहत केनरा बैंक को दूसरा स्थान प्रदान किया गया है।
- ✓ केनरा बैंक को "सर्वश्रेष्ठ भुगतान पहल" श्रेणी के तहत आईबीए के 17वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन और पुरस्कार 2020-21 "नेक्स्ट जेन बैंकिंग" में उपविजेता पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
- ✓ केनरा बैंक को एसोचैम द्वारा 8वें एमएसएमई उत्कृष्टता पुरस्कार में "वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई बैंक (पीएसयू) - रनर अप" से सम्मानित किया गया है।

- ✓ Bank has assisted differently-abled persons by providing wheel chairs, standing frames, corner chairs and also supported differently-abled athletes.
- ✓ Families of COVID-19 victims were identified and they were provided with financial assistance.
- ✓ As part of Environmental protection, Bank has supported various organizations for planting of tree saplings, renovation of public ponds for protection of flora and fauna etc.
- ✓ During the FY 2021-22, under the Sustainable & Development Corporate Social Responsibility (SD&CSR) initiatives of the Bank, the Bank has spent to the tune of ₹50.96 crore to various sectors like Skill development, Financial Inclusion, Women Empowerment activities, Education, Environment protection, Health, Poverty & Nutrition, Person with Disability, Rural Development, Swachh Bharat, Sports & other Sectors.

Visits by Standing Committee

During the year 2021-22, Standing Committee on Reservations, Committee on Social Justice and Empowerment and National Commission for Scheduled Castes conducted Study Visits and reviewed our Bank's performance.

AWARDS / ACCOLADES & ACHIEVEMENTS

- ✓ Canara Bank has received APY annual award 2021-22 from PFRDA.
- ✓ Canara Bank has been awarded 2nd position under implementation of Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP) for FY 2020-21 by KVIC, Ministry of MSME.
- ✓ Canara Bank has received Runner-up award in IBA's 17th Annual Banking Technology Conference and Awards 2020-21 "Next Gen Banking" under the category "The Best Payment Initiatives".
- ✓ Canara Bank has been awarded " BEST MSME BANK OF THE YEAR (PSU) - RUNNER UP" at 8th MSME EXCELLENCE AWARDS BY ASSOCHAM.

- ✓ केनरा बैंक को बैंकिंग क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा प्रथाओं में विजेता के रूप में डीएससीआई उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है।
- ✓ केनरा बैंक को वर्ष के सुरक्षा नेता (बीएफएसआई) में विजेता के रूप में डीएससीआई उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है।
- ✓ केनरा बैंक को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा संचालन केंद्र में फाइनलिस्ट के रूप में डीएससीआई उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है।
- ✓ केनरा बैंक ने गृह पत्रिका "श्रेयस" के लिए मीडिया पार्टनर के रूप में इकोनॉमिक टाइम्स के साथ फेदर बिजनेस सॉल्यूशंस द्वारा गृह पत्रिका श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त किया है।
- ✓ केनरा बैंक को सितंबर 2021 में गृह पत्रिका "केनरा ज्योति" के लिए "राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2020-21" प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

प्रबंध निदेशक / पूर्णकालिक निदेशक सहित निदेशक में परिवर्तन

क्र. सं.	नाम	पद	नियुक्ति तिथि	कार्यकाल समाप्ति तिथि
1	श्री बृज मोहन शर्मा	कार्यपालक निदेशक	19.05.2021	30.06.2023
2.	श्री नलिनी पद्मनाभन	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	21.12.2021	20.12.2024
3.	श्री दिबाकर प्रसाद हरिचन्दन	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	21.03.2022	20.03.2025
4.	श्री करुणाकर शेट्टी	शेयरधारक निदेशक	30.11.2021	29.11.2024

- ✓ Canara Bank has been awarded DSCI Excellence Awards 2021 as Winner in Best Security practices in Banking Sector.
- ✓ Canara Bank has been awarded DSCI Excellence Awards 2021 as Winner in Security Leader of the year (BFSI).
- ✓ Canara Bank has been awarded DSCI Excellence Awards 2021 as Finalist in Best Security Operations Centre of the year.
- ✓ Canara Bank won Best In-house Magazine by Feather Business Solutions with Economic Times as media Partner for in-house Magazine “Shreyas”.
- ✓ Canara Bank received first prize for “Rajbhasha Kirti Award 2020-21” in September 2021 for in-house Magazine “Canara Jyothi”.

CHANGE IN DIRECTOR, INCLUDING MANAGING DIRECTOR / WHOLE-TIME DIRECTOR

Sl No.	Name	Designation	Date of Appointment	Date of Cessation
1	Shri Brij Mohan Sharma	Executive Director	19.05.2021	30.06.2023
2.	Ms Nalini Padmanabhan	Part-time Non-Official Director	21.12.2021	20.12.2024
3.	Shri Dibakar Prasad Harichandan	Part-time Non-Official Director	21.03.2022	20.03.2025
4.	Shri Karunakara Shetty	Shareholder Director	30.11.2021	29.11.2024

निदेशक मंडल

(वर्ष 2021–22 के दौरान निदेशकों की नियुक्ति / समाप्ति)

नियुक्तियाँ

श्री बृज मोहन शर्मा को केंद्र सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (ए) के तहत दिनांक 19.05.2021 से उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि (अर्थात 30.06.2023) तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

सुश्री नलिनी पद्मनाभन को बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (एच) और उप-धारा (3ए) के तहत दिनांक 21.12.2021 से अधिसूचना की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्री दिबाकर प्रसाद हरिचंदन को बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम,1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (एच) और उप-धारा (3ए) के तहत दिनांक 21.03.2022 से अधिसूचना की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्री करुणाकर शेट्टी को बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उप धारा (3) के खंड (i)के साथ पढ़े गए राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन विविध प्रावधान) योजना 1970 / 1980 के खंड 3 के उप-खंड (1), केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000 के खंड 3 के तहत दिनांक 30.11.2021 से तीन वर्ष की अवधि के लिए शेयरधारक निदेशक के रूप में चुना गया है।

निदेशकों के दायित्व वक्तव्य

दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करते समय, निदेशकगण निम्नलिखित की पुष्टि करते हैं:

- कि वार्षिक लेखा को तैयार करने में, वास्तविक तथ्यों के संबंध में उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है।
- कि उन्होंने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया और उन्हें सतत रूप से लागू किया एवं निर्णय और अनुमान लगाए, जो उचित और विवेकपूर्ण हों, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक की सही और निष्पक्ष स्थिति और उक्त अवधि के लिए बैंक का लाभ या हानि की सही स्थिति बताई जा सके।

Board of Directors

(Appointment / Cessation of Directors during the year 2021-22)

Appointments

Shri Brij Mohan Sharma was appointed as Executive Director w.e.f 19.05.2021, by the Central Government u/s 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 upto the date of his attaining the age of superannuation (i.e.30.06.2023), or until further orders, whichever is earlier.

Ms Nalini Padmanabhan was appointed as Part-time Non-Official Director w.e.f 21.12.2021, Clause (h) of Sub-Section (3) and Sub section (3A) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a period of three years from the date of notification, or until further orders, whichever is earlier.

Shri Dibakar Prasad Harichandan was appointed as Part-time Non-Official Director w.e.f 21.03.2022, Clause (h) of Sub-Section (3) and Sub section (3A) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a period of three years from the date of notification, or until further orders, whichever is earlier.

Shri Karunakara Shetty was elected as Shareholder Director w.e.f 30.11.2021, under clause (i) of Sub Section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, read with Sub clause (1) of Clause 3 of the Nationalised Banks (Management Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 / 1980, Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 for a period of three years.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors, in preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2022, confirm the following:

- That in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures.
- That they had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgements and estimates that are reasonable and prudent, so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit or loss of the Bank for the period.

- कि उन्होंने बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए भारत में बैंकों को शासित करने वाले लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेख (रिकॉर्ड) के रखरखाव के लिए उचित रूप से और पर्याप्त देखभाल की थी।
- यह कि उन्होंने वार्षिक लेखाओं को चालू प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार किया था।
- बैंक द्वारा अपनाए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संबंधी दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और यह प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं।
- निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की और इस प्रकार की प्रणालियां पर्याप्त थी और यह प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और सेबी परिपत्र सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी1/27/2019 दिनांक 08 फरवरी 2019 के विनियमन 24ए की आवश्यकताओं के अनुसार, बैंक द्वारा 2020-21 के लिए श्री एस. विश्वनाथन, पेशेवर कंपनी सचिव (सीपी नं. 5284) को सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है और बैंक के सदस्यों को संबोधित करने वाली उनकी रिपोर्ट, जो इस वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में है, उसे इस बोर्ड रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में संलग्न किया गया है।

स्वीकृति

बोर्ड, ग्राहकों को उनके संरक्षण के लिए, शेयरधारकों को उनके समर्थन के लिए, सरकारी अधिकारियों और भारतीय रिजर्व बैंक को उनके मूल्यवान मार्गदर्शन और समर्थन के लिए, निदेशकों, जिन्होंने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान अपना कार्यकाल पूर्ण किया है, भारत और विदेशों में बैंक प्रतिनिधियों को उनके सहयोग और प्रतिबद्धता के लिए और सभी स्टाफ सदस्यों को संगठनात्मक विकास और उत्कृष्टता की खोज में उनके पूर्ण समर्थन के लिए ईमानदारीपूर्वक सराहना करता है।

एल वी प्रभाकर
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

- That they had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing Banks in India for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
- That they had prepared the annual accounts on a going concern basis.
- Internal financial controls followed by the Bank are in accordance with guidelines and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively.
- The directors had devised proper systems to ensure compliance with the provision of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

SECRETARIAL AUDIT FOR FINANCIAL YEAR 2021-22

Pursuant to the requirements of Regulation 24A of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 & SEBI Circular CIR/CFD/CMD1/27/2019 dated February 08, 2019, the Bank has appointed Mr. S. VISWANATHAN, Practicing Company Secretary (CP No. 5284) as the Secretarial Auditor for 2021-22 and their report addressed to the members of the Bank which forms part of this Annual Report is attached as an annexure to the Board's report.

ACKNOWLEDGEMENT

The Board wishes to place on record its sincere appreciation to the customers for their patronage, to the shareholders for their support, to the Government authorities and the Reserve Bank of India for their valuable guidance and support, to the Directors who completed their tenure during the financial year under review, to the Bank's Correspondents in India and abroad for their co-operation and goodwill and to all the Staff Members for their full support in the pursuit of organizational growth and excellence.

L V PRABHAKAR
MANAGING DIRECTOR & CEO

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष की सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

[सेबी के 24ए (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं), विनियम, 2015 के 24ए विनियम और सेबी परिपत्र: *CIR/CFD/CMD1/27/2019* दिनांक: 8 फरवरी, 2019 से संबंधित।]

सेवा में,
सदस्य,
केनरा बैंक
112, जे सी रोड, टाउन हॉल
बेंगलूरु - 560 002
कर्नाटक

मैंने लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और केनरा बैंक द्वारा उत्तम कॉर्पोरेट अभिशासन प्रथाओं के पालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस तरीके से आयोजित किया गया जिसने मुझे कॉर्पोरेट आचरण / वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और इसके बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया।

मैंने 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए मुझे उपलब्ध कराए गए बैंक द्वारा रखे गए बहियों, कार्यवृत्त पुस्तकों, दर्ज फॉर्म और रिटर्न और अन्य अभिलेखों की जांच की है।

केनरा बैंक एक राष्ट्रीयकृत बैंक है जिसे निम्नलिखित विधानों के तहत शासित किया जाता है, और समय-समय पर संशोधित किया जाता है:

1. बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949
2. बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970
3. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970
4. केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमन, 2000
5. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934

केनरा बैंक के शेयरों / प्रतिभूतियों को स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्ध किया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 1(4)(सी) के अनुसार, अधिनियम के प्रावधान बैंकिंग कंपनियों पर लागू होंगे, सिवाय इसके कि जब तक उक्त प्रावधान बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) के साथ असंगत हैं।

SECRETARIAL AUDIT REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31st MARCH, 2022

[Pursuant to Regulation 24A of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI *Circular: CIR/CFD/CMD1/27/2019 Dated: February, 08 2019]*

To,

The Members,
CANARA BANK
112, J C Road, Town Hall,
Bengaluru - 560 002
Karnataka

I have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate governance practices by CANARA BANK. Secretarial Audit was conducted in a manner that provided me a reasonable basis for evaluating the corporate conducts / statutory compliances and expressing my opinion thereon.

I have examined the books, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank for the financial year ended, 31st March, 2022 and made available to me.

Canara Bank is a Nationalized Bank, governed under the following legislations, and as amended from time to time:

1. Banking Regulations Act, 1949
2. Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.
3. The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970
4. Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000.
5. Reserve Bank of India Act, 1934

The shares / securities of Canara Bank are listed with Stock Exchanges.

As per Section 1(4)(c) of the Companies Act,2013, the provisions of the Act shall apply to Banking companies, except in so far as the said provisions are inconsistent with the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949)

केनरा बैंक द्वारा रखे गए कार्यवृत्त बहियों, दाखिल फॉर्म और रिटर्न और अन्य अभिलेखों तथा मेरे अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, सचिवीय लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान, मैं एतद्द्वारा रिपोर्ट करता हूं कि, मेरी राय में, बैंक ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष को कवर करते हुए लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, यहां उल्लिखित वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी है कि निम्नलिखित रिपोर्टिंग के अधीन व प्रणाली में, बैंक के पास एक हद तक उचित बोर्ड–प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र उपलब्ध हैं :

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और तदनुसार राष्ट्रीयकृत बैंक के लिए लागू सीमा तक बनाए गए नियम।

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और तदनुसार बनाए गए नियम।

(iii) डिपॉजिटरी एक्ट, 1996 और तदनुसार बनाए गए विनियम और उपनियम।

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इस आधार पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधारों की सीमा तक बनाए गए नियम व विनियम।

(v) उपरोक्त पैरा 3 में वर्णित बैंकिंग विधान

(vi) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी) के तहत निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश निर्धारित और इसे समय-समय पर संशोधित किया गया है।

क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार का निषेध) विनियमन, 2015

ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम व प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2018

ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियमन, 2008

घ) कंपनी अधिनियम और ग्राहक संव्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम और शेयर हस्तांतरण एजेंटों के लिए रजिस्ट्रार) विनियमन, 1993

ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण देयताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015

च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंकर्स) विनियमन, 1992

Based on my verification of the Minute books, forms and returns filed and other records maintained by Canara Bank and also the information provided by its officers, agents and authorized representatives during the conduct of Secretarial Audit, I hereby report that, in my opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended 31st March, 2022, complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

(i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the Rules made thereunder to the extent applicable to a Nationalized Bank.

(ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the Rules made thereunder

(iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder.

(iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Rules and Regulations made thereunder to the extent of Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings, if any.

(v) Banking Legislations as mentioned above in Para 3

(vi) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (SEBI) and as amended from time to time.

a) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015

b) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018

c) The Securities and Exchange Board of India (Issue and listing of debt Securities) Regulations, 2008

d) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client

e) The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

f) The Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992

छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (बैंकर टू इश्यू) विनियमन, 1994

ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और टेकओवर) विनियमन, 2011

मैंने केनरा बैंक के लिए एक हद तक लागू अन्य अधिनियमों, कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों के तहत अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए केनरा बैंक द्वारा स्थापित प्रणालियों और तंत्रों की भी समीक्षा की है जिसे निम्नलिखित प्रमुख शीर्षों / समूहों के तहत वर्गीकृत किया गया है:

1. भारतीय संविदा अधिनियम, 1872
2. ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970
3. मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936
4. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
5. उपदान संदाय अधिनियम, 1972
6. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
7. औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश), 1946
8. नियोक्ता भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952
9. बोनस संदाय अधिनियम, 1965
10. परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881
11. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013
12. प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
13. दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953
14. व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926
15 सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005

"अन्य कानूनों" के बारे में, अन्य कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन के लिए उचित प्रणाली और तंत्र उपलब्ध हैं।

मैंने, बोर्ड बैठकों और आम बैठकों से संबंधित भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानकों की लागू शर्तों के साथ अनुपालन का भी परीक्षण किया है - बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970, केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमन, 2000 और बोर्ड बैठक एवं सामान्य बैठक से संबंधित, समय समय पर यथा संशोधित अन्य लागू नियमों, विनियमों, परिपत्रों, आरबीआई / भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के प्रावधानों का अनुपालन कर रहा है।

मैं सूचित करता हूं कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक ने ऊपरोक्त लागू अन्य अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

g) The Securities and Exchange Board of India (Banker to Issue) Regulations, 1994

h) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011

I have also reviewed the systems and mechanisms established by the Canara Bank for ensuring compliances under other applicable Acts, Laws, Rules, Regulations, Guidelines to the extent applicable to Canara Bank and categorized under the following major heads / groups:

1. Indian Contract Act, 1872
2. Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970
3. Payment of Wages Act, 1936.
4. The Minimum Wages Act, 1948
5. Payment of Gratuity Act, 1972
6. Industrial Disputes Act, 1947
7. Industrial Employment (Standing Orders), 1946
8. Employers Provident Fund and Misc. Provisions Act, 1952
9. The Payment of Bonus Act, 1965
10. The Negotiable Instrument Act, 1881
11. Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013
12. Maternity Benefits Act, 1961
13. Shops and Establishment Act, 1953
14. Trade Union Act, 1926
15. Right to Information (RTI) Act, 2005

Regarding “Other laws”, there are proper systems and mechanisms in place for Compliance with the Provisions of Other laws.

I have also examined compliance with the applicable clauses of the Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI) relating to Board Meetings and General Meetings - The Bank is complying with the provisions of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 and other applicable rules, regulations, circulars, notification issued by RBI / GOI relating to Board Meeting and General Meetings, as amended from time to time.

I report that during the period under review, the Bank has complied with the provisions of the applicable Other Acts, Rules, Regulations, Guidelines, etc. mentioned above.

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, निम्नलिखित विनियमों के प्रावधानों के साथ अनुपालन के संबंध में कोई लेनदेन नहीं पाया गया:

ए) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का असूचीयन) विनियमन, 2009

बी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद) विनियम, 1998

मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि

बैंक के निदेशक मंडल का विधिवत रूप से गठन बैंकिंग कंपनी {उपक्रमों का अर्जन और अंतरण} अधिनियम, 1970 (यथा संशोधित) और, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 (यथा संशोधित) की धारा 9(3) के तहत कार्यपालक निदेशकों, गैर- कार्यपालक निदेशकों और स्वतंत्र / शेयरधारक निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन, संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुपालन के साथ किए गए थे।

बैंक के मामलों का प्रबंधन / संचालन, बोर्ड और उसकी समितियों के माध्यम से किया जाता है।

1) लेखापरीक्षा समिति

2) सीएसआर समिति

3) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

4) प्रबंधन समिति

5) जोखिम प्रबंधन समिति

6) आस्ति देयता प्रबंधन समिति

7) हितधारक संबंध समिति

बोर्ड बैठकों के आयोजन के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया जाता है और कार्यसूची व कार्यसूची पर विस्तृत नोट्स अग्रिम रूप से भेज दिया जाता है, बैठक में सार्थक भागीदारी हेतु कार्यसूची मद पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

सदस्यों के विचारों को दर्ज करते हुए अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं और उसे कार्यवृत्त के हिस्से के रूप में अभिलेखित करके दर्ज किया जाता है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण विशिष्ट घटनाओं या कार्यों का पालन हुआ जो उपरोक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों, आदि के अनुसरण में बैंक पर असर डाल सकते हैं।

During the period under review, no transactions were observed relating to compliance with the provisions of the following Regulations:

a) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009

b) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998

I further report that

The Board of Directors of the Bank is duly constituted under Section 9(3) of the Banking Companies {Acquisition & Transfer of Undertaking} Act, 1970 (as amended) and, Nationalized Bank (Management & Miscellaneous Provision) Scheme 1970 (as amended) with proper balance of executive Directors, Non-Executive Directors and Independent/ Shareholder Directors. The changes in the composition of Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the relevant acts.

The affairs of the Bank are managed / governed through the Board and its Committees of the Board.

1) Audit Committee

2) CSR Committee

3) Nomination & Remuneration Committee

4) Management Committee

5) Risk Management Committee

6) Asset Liability Management Committee

7) Stakeholders Relationship Committee

Adequate notice is given to all Directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda are sent in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority Decisions are carried through while dissenting members views are captured and recorded as part of the minutes.

We further report that, during the year under the review, Bank had following major specific events or actions which might have bearing on the Bank in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards, etc.

1. बैंक ने 24.08.2021 को प्रत्येक ₹10/- के अंकित मूल्य के 16,73,92,032 (सोलह करोड़ तिहत्तर लाख निन्यानबे हजार बत्तीस मात्र) इक्विटी शेयर ₹149.35 (₹139.35 के प्रीमियम सहित) के निर्गम मूल्य पर पात्र योग्य संस्थागत खरीदारों को लागू प्रावधानों के अनुसार आवंटित किए, जिससे कुल मिलाकर ₹2500 करोड़ जमा हुए।

3. समीक्षा की अवधि के दौरान बैंक ने निम्नानुसार ऋण लिखतों (टियर I/II बांड) को जारी और आवंटित किए हैं:

(i) 25.10.2021 को ₹1500 करोड़ की राशि के 8.40% गैर-परिवर्तनीय, स्थायी, कर योग्य, अधीनस्थ, पूरी तरह से भुगतान किया गया, गैर-जमानती, बासेल III अनुपालित अतिरिक्त टियर I बांड - श्रृंखला I 2021-22 बांड जारी और आवंटित किए गए;

(ii) 02.12.2021 को ₹1500 करोड़ की राशि के 8.05% गैर-परिवर्तनीय, स्थायी, कर योग्य, अधीनस्थ, पूरी तरह से भुगतान किया गया, गैर-जमानती, बासेल III अनुपालित अतिरिक्त टियर I बांड - श्रृंखला II 2021-22 बांड जारी और आवंटित किए गए;

(iii) 24.12.2021 को ₹2500 करोड़ की राशि के 7.09% गैर–जमानती, अधीनस्थ, गैर–परिवर्तनीय, रिडीमेबल, पूरी तरह से भुगतान किया गया, कर योग्य, बासेल III अनुपालित टियर II बांड - श्रृंखला I 2021-22 बांड जारी और आवंटित किए गए;

(iv) 04.03.2022 को रु. 1000 करोड़ की राशि के 8.07% गैर-परिवर्तनीय, स्थायी, कर योग्य, अधीनस्थ, पूरी तरह से भुगतान किया गया, गैर-जमानती, बासेल III अनुपालित अतिरिक्त टियर I बांड - श्रृंखला III 2021–22 बांड जारी और आवंटित किए गए।

एस विश्वनाथन
पेशेवर कंपनी सचिव
एसीएस सं : 5284
सीपी सं : 5284
यूडीआईएन: A005284D000280570

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 06.05.2022

1. The Bank has, on 24.08.2021, allotted 16,73,92,032 (Sixteen Crore Seventy Three Lakhs Ninety Two Thousand Thirty Two only) equity shares of face value of ₹10/- each at an Issue Price of ₹149.35 (including premium of ₹139.35) per share aggregating up to ₹ 2500 crores to eligible qualified institutional buyers, in accordance with the applicable provisions.

2. The Bank has issued and allotted Debt instruments (Tier I/II Bonds) during the period of review as under:

(i) on 25.10.2021, issued and allotted 8.40% Non-Convertible, Perpetual, Taxable, Subordinated, Fully Paid Up, Unsecured, Basel III Compliant Additional Tier I Bonds - Series I 2021-22 Bonds amounting to ₹1500 crores;

(ii) on 02.12.2021, issued and allotted 8.05% Non-Convertible, Perpetual, Taxable, Subordinated, Fully Paid Up, Unsecured, Basel III Compliant Additional Tier I Bonds - Series II 2021-22 Bonds amounting to ₹1500 crores;

(iii) on 24.12.2021, issued and allotted 7.09% Unsecured, Subordinated, Non-convertible, Redeemable, Fully Paid Up, Taxable, Basel III Compliant Tier II Bonds - Series I 2021-22 Bonds amounting to ₹2500 crores; and

(iv) on 04.03.2022, issued and allotted 8.07% Non-Convertible, Perpetual, Taxable, Subordinated, Fully Paid Up, Unsecured, Basel III Compliant Additional Tier I Bonds - Series III 2021-22 Bonds amounting to ₹1000 crores.

S Viswanathan
Practicing Company Secretary
ACS No: 5284
CP No: 5284
UDIN: A005284D000280570

Place : Bengaluru
Date : 06.05.2022

अनुबंध क

सेवा में,
सदस्य,
केनरा बैंक

सम तिथि की मेरी रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1) सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड पर राय व्यक्त करना है।

2) मैंने सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रिया का पालन किया है। सत्यापन, परीक्षण के आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सही तथ्य सचिवीय रिकॉर्ड में परिलक्षित होते हैं। मेरा मानना है कि मेरे द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और प्रथा से मेरी राय के लिए एक उचित आधार प्राप्त होता है।

3) मैंने बैंक के खातों के वित्तीय रिकॉर्ड और पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।

4) जहाँ भी आवश्यक हो, मैंने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के होने आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

5) कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी जांच, परीक्षण के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक सीमित थी।

6) सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट, न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के लिए है, जिसके लिए प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है।

एस विश्वनाथन
पेशेवर कंपनी सचिव
एसीएस सं : 5284
सीपी सं : 5284
यूडीआईएन : A005284D000280570

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 06.05.2022

Annexure A

To,
The Members
CANARA BANK

My report of even date is to be read along with this letter.

1) Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the Bank. My responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on my audit.

2) I have followed the audit practices and process to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. I believe that the process and practices, I followed provide a reasonable basis for my opinion.

3) I have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Bank.

4) Wherever required, I have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events, etc.

5) The compliance of the Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. My examination was limited to the verification of procedure on test basis.

6) The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

S Viswanathan
Practicing Company Secretary
ACS No: 5284
CP No: 5284
UDIN: A005284D000280570

Place : Bengaluru
Date : 06.05.2022

कारोबार दायित्व रिपोर्ट-2021-22
(सूचीबद्धता करार के अनुच्छेद 55 के अंतर्गत)

भाग ए : बैंक के बारे में सामान्य जानकारी

1. **कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन):**
2. **कंपनी का नाम:** केनरा बैंक
3. **पंजीकृत पता:** केनरा बैंक, प्रधान कार्यालय, 112, जे सी रोड, बेंगलूरु - 560 002
4. **वेबसाइट:** www.canarabank.com
5. **ई-मेल आईडी:** edscrt2@canarabank.com
6. **रिपोर्टेड वित्त वर्ष:** 2021-22
7. **क्षेत्र (ओं) जिसमें कंपनी (औद्योगिक गतिविधि कोड-वार) लगी हुई है:** वित्तीय सेवाएँ, मुख्य रूप से बैंकिंग।
8. **तीन प्रमुख उत्पादों / सेवाओं की सूची, जिन्हें कंपनी बनाती है / प्रदान करती है (तुलन पत्र के अनुसार):** 1. थोक बैंकिंग 2. खुदरा बैंकिंग 3. ग्रामीण और कृषि-बैंकिंग ।
9. **उन केन्द्रों की संख्या जहां कंपनी द्वारा व्यावसायिक गतिविधि की जाती है**
   i. **अंतर्राष्ट्रीय केन्द्रों की संख्या (केन्द्रों का विवरण प्रदान करें)**
   लंदन (यूनाइटेड किंगडम)
   न्यूयॉर्क (यूएसए)
   दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर (डीआईएफसी), दुबई
   ii. **राष्ट्रीय केन्द्रों की संख्या: 9734**
10. **कंपनी द्वारा सेवा प्रदत्त बाजार - अंतर्राष्ट्रीय**
   उपरोक्त बिंदु संख्या 9 (i) के तहत उल्लिखित केन्द्रों के अलावा, बैंक का शारजाह, संयुक्त अरब अमीरात में एक प्रतिनिधि कार्यालय, मॉस्को, रूस में एसबीआई के साथ एक संयुक्त उद्यम बैंक, अर्थात्, कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया, एलएलसी और एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी डार-एस-सलाम, तंजानिया, अर्थात् केनरा बैंक तंजानिया लिमिटेड (सीबीटीएल) है।

भाग बी: कंपनी का वित्तीय विवरण

1. **प्रदत्त पूंजी (आईएनआर): ₹1814.13 करोड़**
2. **कुल टर्नओवर / कुल कारोबार (आईएनआर):** ₹17,90,011.07 **करोड़-कुल जमा:** ₹ 10,86,409.25 **करोड़ + निवल अग्रिम:** ₹7,03,601.82 **करोड़।**
3. **कर अदायगी के बाद कुल लाभ:** ₹5678.42 करोड़ कुल
4. **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर व्यय:** स्वीकृत परियोजनाएं: ₹25.48 करोड़, उपयोग किया गया: ₹25.48 करोड़।

BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT-2021-22
(Under Clause 55 of Listing Agreement)

Section A: General Information about the Bank

1. **Corporate Identity Number (CIN) of the Company:**
2. **Name of the Company:** Canara Bank
3. **Registered Address:** Canara Bank, Head Office, 112, J C Road, Bengaluru - 560 002
4. **Website:** www.canarabank.com
5. **E-mail Id:** edscrt2@canarabank.com
6. **Financial Year Reported:** 2021-22
7. **Sector(s) that the Company is engaged in (industrial activity code-wise):** Financial Services, mainly banking.
8. **List three key products / services that the Company manufactures / provides (as in balance sheet):** 1. Wholesale Banking 2. Retail Banking 3. Rural and Agri-Banking.
9. **Total number of locations where business activity is undertaken by the Company**
   i. **Number of International Locations (Provide details of locations)**
   London (United Kingdom)
   New York (USA)
   Dubai International Financial Centre (DIFC), Dubai
   ii. **Number of National Locations: 9734**
10. **Markets served by the Company - International**
   Besides locations mentioned under Point No.9 (i) above, the Bank has a Representative Office at Sharjah, UAE, a Joint Venture Bank with SBI in Moscow, Russia, viz., Commercial Bank of India, LLC and a wholly-owned subsidiary at Dar-es-salaam, Tanzania, viz. Canara Bank Tanzania Ltd (CBTL).

Section B: Financial Details of the Company

1. **Paid up Capital (INR): ₹1814.13 Crores**
2. **Total Turnover / Total Business (INR):** ₹17,90,011.07 Crores-Total Deposits: ₹10,86,409.25 Crores + Net Advances: ₹7,03,601.82 crores
3. **Total Profit after taxes :**₹5678.42 Crores Standalone
4. **Spending on Corporate Social Responsibility (CSR):** Sanctioned projects: ₹25.48 crores, Utilized : ₹25.48 crores.

5. 2021-22 के दौरान सीएसआर के तहत स्वीकृत गतिविधियों की सूची वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सीएसआर के तहत निधियों की क्षेत्रवार मंजूरी / उपयोग : समेकन

(₹ लाख में)

क्र. सं.	गतिविधि	मंजूर राशि	प्रयुक्त राशि
क	शिक्षा	543.83	543.83
ख	स्वास्थ्य	1359.25	1359.25
ग	गरीबी और पोषण	157.22	157.22
घ	कौशल विकास	2677.00	1896.31
ङ	स्वच्छ भारत	11.10	11.10
च	ग्रामीण विकास	98.45	98.45
छ	महिला सशक्तिकरण	66.32	66.32
ज	वित्तीय साक्षरता	584.83	584.83
झ	खेल, दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) एवं अन्य गतिविधियां	378.43	378.43
	कुल	**5876.42**	**5095.74**

स्वीकृत सीएसआर परियोजनाओं का क्षेत्रवार वर्गीकरण : वित्त वर्ष 2021-22

(क) शिक्षा क्षेत्र (₹ लाख में)

क्र. सं.	दानग्राही / आयोजक का नाम	उद्देश्य	मंजूर की गई राशि	प्रयुक्त राशि
1	केनरा बैंक की ग्रामीण, अर्द्धशहरी, शहरी शाखाएं	सरकारी विद्यालयों की मेरिट में आने वाली एससी एसटी छात्राओं के लिए केनरा विद्याज्योति छात्रवृत्ति	309.62	309.62
2	मेसर्स अक्षय पात्र फाउंडेशन (त्रिपुरा)	ग्रेट इंडियन स्कूल त्रिपुरा में नई कक्षाओं, फर्नीचर और फिक्स्चर के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता	51.00	51.00

5. List of activities sanctioned under CSR during 2021-22: Sector-wise sanction / utilization of funds under CSR during the financial year 2021-22: Consolidation

(₹ in lakhs)

Sl. No.	Activity	Amount sanctioned	Amount utilized
a	Education	543.83	543.83
b	Health	1359.25	1359.25
c	Poverty & Nutrition	157.22	157.22
d	Skill Development	2677.00	1896.31
e	Swachh Bharat	11.10	11.10
f	Rural Development	98.45	98.45
g	Women Empowerment	66.32	66.32
h	Financial Literacy	584.83	584.83
i	Sports, Persons with Disability (PWD) & others activities	378.43	378.43
	Total	**5876.42**	**5095.74**

Sector-wise classification of CSR projects sanctioned: FY 2021-22

(a) Education Sector (₹ in lakhs)

Sl. No.	Name of Donee / Organised By	Purpose	Amount Sanctioned	Amount Utilized
1	**Rural, Semi Urban & Urban Branches Of Canara Bank**	Canara Vidya Jyothi scholarship to meritorious SC-ST girl students - Govt. Schools and Govt. Aided Schools	309.62	309.62
2	**M/s.Akshaya Patra Foundation (Tripura)**	Financial assistance to construct new classrooms, furniture and fixtures at Great Indian School Tripura	51.00	51.00

3	मेसर्स विद्या इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फॉर यूथ एंड अडल्टस [विद्या] दिल्ली	100 गरीब बच्चों की शिक्षा प्रायोजित करने के लिए	30.00	30.00
4	दिवंगत कर्मचारी स्वर्गीय श्रीमती के.एस.स्वप्ना के बच्चे	दिवंगत कर्मचारी श्रीमती के.एस. स्वप्ना के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता।	20.00	20.00
5	मेसर्स धर्मचक्र ट्रस्ट	एक पानी के टैंकर की खरीद के लिए वित्तीय सहायता।	16.00	16.00
6	जिला कलेक्टर तिरुनेलवेली	ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब बच्चों को पुस्तकों के वितरण के लिए।	10.00	10.00
7	केनरा बैंक जुबली एजुकेशन फंड [सीबीजेईएफ]	कर्नाटक राज्य के सरकारी पीयू कॉलेजों में बुक बैंक की स्थापना के लिए वित्तीय समर्थन	9.67	9.67
8	पुलिस पब्लिक स्कूल बेंगलूरु	पुलिस पब्लिक स्कूल को फर्नीचर के प्रायोजन की वित्तीय सहायता	7.91	7.91
9	"एकल विद्यालय" कोलकाता	"एकल विद्यालय" - फ्रेंड्स ट्राइबल सोसाइटी	5.5	5.5
10	केनरा बैंक राहत व कल्याण समाज, बेंगलूरु	इनके ब्रेल संसाधन केंद्र के लिए वित्तीय सहायता।	5.00	5.00

3	**M/s.Vidya Integrated Development for Youth and Adults [VIDYA] Delhi**	For sponsoring Education of 100 poor children	30.00	30.00
4	**Children of Late Smt. K.S. Swapna**	Financial support to the children of deceased Late Smt. K.S. Swapna for pursuing education.	20.00	20.00
5	**M/s Dharmachakra Trust**	Financial Assistance for Purchase of One Water Tanker	16.00	16.00
6	**District Collector Tirunelveli**	Financial support for distribution of books to poor children in rural areas	10.00	10.00
7	**Canara Bank, Jubilee Education Fund [CBJEF]**	Financial support for setting up of Book Bank at Government PU Colleges, Karnataka State	9.67	9.67
8	**Police Public School Bengaluru**	Financial assistance for Sponsoring of Furniture to Police Public School	7.91	7.91
9	**"Ekal Vidyalay" Kolkata**	"Ekal Vidyalay" - Friends Tribal Society	5.5	5.5
10	**Canara Bank Relief & Welfare Society, Bengaluru**	Financial support for its Braille Resource Centre	5.00	5.00

11	**केनरा बैंक राहत व कल्याण समाज, बेंगलूरु**	इनके ब्रेल संसाधन केंद्र के लिए एम्बॉसर, ट्रांसलेटर और टैक्टाइल व्यू सॉफ्टवेयर की खरीद	4.83	4.83
12	**केनरा बैंक जुबली एजुकेशन फंड (सीबीजेईएफ) बेंगलूरु**	केनरा बैंक जुबली एजुकेशन फंड को बुक बैंक के लिए भुगतान।	4.48	4.48
13	**श्रीमती सरोजिनी नायडू जिला परिषद गर्ल्स हाई स्कूल अकिवेडु**	स्कूल में साइकिल शेड के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता।	4.24	4.24
14	**मेसर्स ठाकर बापा विद्यालय समिति चेन्नई**	सोसायटी के गरीब तबके के 80 प्रशिक्षार्थियों को इलेक्ट्रीशियन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की खरीद के लिए।	3.95	3.95
15	**हिमाचल प्रदेश सरकार**	गरीब छात्रों के लिए 50 मोबाइल फोन दान करने के लिए शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता।	2.51	2.51

11	**Canara Bank Relief & Welfare Society, Bengaluru**	Financial support for purchase of Embosser, Translator and Tactile view software for its Braille Resource Centre	4.83	4.83
12	**Canara Bank Jubilee Education Fund (CBJEF) Bengaluru**	Financial support for Canara Bank Jubilee Education Fund for Book Bank	4.48	4.48
13	**Smt.Sarojini Naidu Zilla Parishad Girls High School Akivedu**	Financial support for construction of Cycle Shed at school	4.24	4.24
14	**M/s. Thakar Bapa Vidyalaya Samithi Chennai**	Financial support for purchase of Electric and Electronic items for providing electrician training to 80 trainees from the poor sections of the Society	3.95	3.95
15	**Government of Himachal Pradesh**	Financial assistance to Department of Education, Government of Himachal Pradesh for donation of 50 mobile phones for poor students	2.51	2.51

16	मेसर्स हिमालयन इंस्टीव्यूट ऑफ आल्टरनेटिव्स, लद्दाख	पाठ्यचर्या के भाग के रूप में छात्रों द्वारा इंसुलेटिंग ब्रिक मेकिंग मशीन बनाने के लिए वित्तीय सहायता।	2.5	2.5
17	श्रीवाणी हाई स्कूल, उडुपी	6 कम्प्यूटरों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता।	2.1	2.1
18	शिक्षा के तहत केनरा बैंक की विभिन्न शाखाओं / क्षेका / अंका में सीएसआर गतिविधियां	किताबें / स्कूल बैग / फर्नीचर /वर्दी के संवितरण के लिए वित्तीय सहायता	54.52	54.52
	कुल		**543.83**	**543.83**

16	**M/s.Himalayan Institute of Alternatives, Ladakh**	Financial support for making of Insulating Brick making machine by the students as part of curriculum	2.5	2.5
17	**Srivani High School, Udupi**	Financial support for purchase of 6 Computers	2.1	2.1
18	**CSR Activities at various Branches / ROs / COs of Canara Bank under Education**	Financial support for distribution of Books / School bags / Furniture / Uniform	54.52	54.52
	TOTAL		**543.83**	**543.83**

(ख) स्वास्थ्य क्षेत्र (₹ लाख में)

क्र. सं.	दानग्राही / आयोजक का नाम	उद्देश्य	मंजूर की गई राशि	प्रयुक्त राशि
1	सरकारी अस्पताल जयनगर बेंगलूरु	आपाती आईसीयू इकाई के नवीकरण और चिकित्सा उपकरण की खरीद के लिए वित्तीय सहायता	394.93	394.93
2	एसएलबीसी केरल एवं कर्नाटक बेंगलूरु	कोविड सहायता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।	200.00	200.00
3	जयदेव इंस्टीव्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस बेंगलूरु	हार्ट लंग मशीन के प्रायोजन के लिए वित्तीय सहायता	66.96	66.96
4	मेसर्स श्री श्री जगद्गुरु शंकराचार्य महासंस्थानम दक्षिणाम्नय श्री शारदा पीठम, मंगलूरु	श्रृंगेरी में मौजूदा अस्पताल की मरम्मत / नवीनीकरण और पुनर्सज्जा	59.54	59.54

(b) Health Sector (₹ in lakhs)

Sl. No.	Name of Donee / Organised by	Purpose	Amount sanctioned	Amount utilized
1	**Government Hospital Jayanagar Bengaluru**	Financial support for renovation for emergency ICU and purchase of medical equipment	394.93	394.93
2	**SLBC Kerala & Karnataka Bengaluru**	Providing financial assistance for Covid Support	200.00	200.00
3	**Jayadeva Institute of Medical Sciences Bengaluru**	Financial assistance for sponsorship of Heart Lung machine	66.96	66.96
4	**M/s Sri Sri Jagadguru Shankaracharya Mahasams-thanam Dakshinamnaya Sri Sharada Peetam, Mangalore**	Repair / Renovation and Refurbishing of the existing hospital at Sringeri	59.54	59.54

5	**मेसर्स श्री शंकर कृपा एजुकेशनल एंड मेडिकल ट्रस्ट चेन्नई**	थंडालम गांव में पॉलीक्लिनिक के लिए सिविल कार्यों के लिए वित्तीय सहायता	37.00	37.00
6	**कामिनेनी हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, विजयवाडा**	एम्बुलेंस की खरीद के लिए वित्तीय सहायता	30.00	30.00
7	**एआईआईएमएस [मंगलगिरी]**	एम्बुलेंस की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।	26.84	26.84
8	**कर्नाटक सरकार**	ऑक्सीजन कांसेन्ट्रेटर प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता	26.25	26.25
9	**आदिचुंचनगिरी शिक्षण ट्रस्ट बेंगलूरु**	परिवहन वेंटिलेटर के साथ मेडिकल एम्बुलेंस की खरीद के लिए प्रायोजन	25.38	25.38
10	**पश्चिम बंगाल राज्य आपदा प्रबंधन, कोलकाता**	पश्चिम बंगाल राज्य आपदा प्रबंधन, कोलकाता को वित्तीय सहायता	25.00	25.00
11	**मेसर्स पीपल फॉर एनिमल्स दिल्ली**	संजय गांधी पशु कल्याण अस्पताल, नई दिल्ली में पशु शेड के नवीनीकरण के वित्तीय सहायता	25.00	25.00
12	**त्रिवेंद्रम मेडिकल कॉलेज अस्पताल त्रिवेद्रंम**	ऑक्सीजन कंसेन्ट्रेटर प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता	24.00	24.00

5	**M/s Sri Sankara Kripa Educational and Medical Trust Chennai**	Financial support for Civil Works for Polyclinic at Thandalam village	37.00	37.00
6	**KAMINENI Health Care Pvt Ltd Vijayawada**	Financial assistance for purchase of Ambulance	30.00	30.00
7	**AIIMS [Mangalagiri]**	Providing of financial assistance for purchase for an Ambulance	26.84	26.84
8	**Government of Karnataka**	Financial support for providing Oxygen Concentrators	26.25	26.25
9	**Adichunchangiri Shikshana Trust Bengaluru**	Sponsorship towards purchase of medical ambulance with transport Ventilator	25.38	25.38
10	**West Bengal State Disaster Management, Kolkata**	Financial support to West Bengal State Disaster Management, Kolkata	25.00	25.00
11	**M/s People for Animals Delhi**	Financial support for renovation of animal shed in Sanjay Gandhi Animal Welfare Hospital, New Delhi	25.00	25.00
12	**Trivandrum Medical College Hospital Trivandrum**	Financial assistance for providing Oxygen Concentrator	24.00	24.00

13	डॉ. पिन्नामनेनी सिद्धार्थ इंस्टीव्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन (विजयवाड़ा)	एम्बुलेंस वैन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।	23.04	23.04
14	मंगलूरु नगर निगम	ऑक्सीजन कंसेन्ट्रेटर प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता	21.83	21.83
15	कर्नाटक राज्य रिजर्व पुलिस (बेंगलूरु)	पुलिस कर्मियों को फेस मास्क लगभग 40000 फेस मास्क के संवितरण के लिए वित्तीय सहायता	18.47	18.47
16	मेसर्स सरकारी अस्पताल वानापर्थी	उन्नत एम्बुलेंस की खरीद के लिए वित्तीय सहायता	18.31	18.31
17	कोविड वारियर	कोविड वारियर को भोजन एवं पीएचसी केंद्रों को चिकित्सा किट का वितरण	17.84	17.84
18	मेसर्स द्वारकानाथ तीर्थ चैरिटेबल ट्रस्ट (बेंगलूरु)	एम्बुलेंस वैन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।	16.55	16.55
19	नेय्यत्तिनकारा नगर पालिका (त्रिवेंद्रम)	एम्बुलेंस के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना	13.95	13.95
20	मेसर्स भारतीय प्रबंधन संस्थान, (जम्मु)	चिकित्सा एम्बुलेंस उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता	13.46	13.46
21	स्वास्थ्य सेवा निदेशालय (पोर्ट ब्लेयर)	एम्बुलेंस वैन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना	13.41	13.41

13	Dr.Pinnamaneni Siddarth Institute of Medical Science and Research Foundation (Vijayawada)	Providing of financial assistance for purchase of an Ambulance van	23.04	23.04
14	Mangalore City Corporation (Mangalore)	Financial assistance for providing Oxygen Concentrators	21.83	21.83
15	Karnataka State Reserve Police (Bengaluru)	Financial support for distribution of face masks to police personnel. About 40,000 Nos. Face masks	18.47	18.47
16	M/s Government Hospital Wanaparthy	Financial support for purchase of an Advanced Ambulance	18.31	18.31
17	Covid Warrior	Distribution of Food to Covid Warriors and Medical Kits To PHC Centres	17.84	17.84
18	M/s. Dwarakanath Tirth Charitable Trust (Bengaluru)	Providing of financial assistance for purchase for an Ambulance van	16.55	16.55
19	Neyyattinkara Municipality (Trivandrum)	Providing financial support for Ambulance	13.95	13.95
20	M/s. Indian Institute of Management, (Jammu)	Financial assistance for providing a Medical Ambulance	13.46	13.46
21	Directorate of Health Services (Port Blair)	Providing of financial assistance for purchase an Ambulance van	13.41	13.41

22	**मेसर्स सक्षम (दिल्ली)**	सहायक उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता	11.00	11.00
23	**मेसर्स विश्व कल्याण सेवा ट्रस्ट (रांची)**	डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के परिवहन के लिए टोयोटा क्रूजर यारिस की खरीद के लिए वित्तीय सहायता	10.00	10.00
24	**जिला सरकारी अस्पताल (शिवमोग्गा)**	वेंटिलेटर उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय सहायता	9.80	9.80
25	**मेसर्स महाप्रस्थाना सेवा समिति (विजयवाड़ा)**	शववाहन का दान एवं श्मशान घाट में भण्डारण कक्ष के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता	9.01	9.01
26	**जिला अस्पताल चेन्नई**	ऑक्सीजन कंसेन्ट्रेटर की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना	8.02	8.02
27	**श्री वेंकटेश्वर स्वामी वारी देवस्थानम (तिरुपति)**	मंदिर के लिए स्वचालित सफाई मशीन उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता।	6.72	6.72
28	**त्रिपुनिथुरा नगर पालिका (त्रिवेंद्रम)**	कोविड अधिवास केंद्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता	5.83	5.83

22	**M/s Saksham (Delhi)**	Financial support for purchase of Assistive devices	11.00	11.00
23	**M/s.Viswa Kalyan Seva Trust (Ranchi)**	Financial assistance for purchase of Toyota Cruiser Yaris, for transportation of Doctors and Paramedical staff	10.00	10.00
24	**District Government Hospital (Shivamogga)**	Financial assistance for providing of Ventilator	9.80	9.80
25	**M/s. Mahaprasthana Seva Samithi (Vijayawada)**	Financial support for providing a of hearse van and construction of storage room at Cremation centre	9.01	9.01
26	**District Hospital Chennai**	Providing of financial assistance for purchase of Oxygen Concentrators	8.02	8.02
27	**Sri Venkateshwara Swamy Vari Devasthanam (Tirupati)**	Financial assistance for providing Automatic Cleaning Machine for the temple	6.72	6.72
28	**Tripunithura Municipality (Trivandrum)**	Financial assistance to set up Covid Domiciliary Centre	5.83	5.83

29	मेसर्स नेत्र ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट, उडुपी	मारुति ईको 7 सीटर वैन के लिए वित्तीय सहायता।	5.68	5.68
30	स्ट्रीट वेंडर्स को मास्क	स्ट्रीट वेंडर्स को मास्क उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता	5.32	5.32
31	अहमदाबाद नगर निगम	शववाहन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता	5.29	5.29
32	कांगेयम नगर पालिका	बैटरी से चलने वाली कार उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता	4.65	4.65
33	श्री कालहस्ती देवस्थान, तिरुपति।	बैटरी चालित वाहन उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता	4.60	4.60
34	जिला कलेक्टर, कडपा	8 ऑक्सीजन कंसेन्ट्रेटर के दान के लिए वित्तीय सहायता	4.51	4.51
35	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कारकला	एम्बुलेंस वैन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना	4.50	4.50
36	डॉ. पिन्नानामेनी आयुर्विज्ञान संस्थान (विजयवाड़ा)	परिवहन वेंटिलेटर की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना	4.46	4.46

29	M/s Netra Jyothi Charitable Trust, Udupi	Financial support for Maruti Eco 7 Seater Van	5.68	5.68
30	Masks to street vendors	Financial support for providing Masks to street vendors	5.32	5.32
31	Ahmedabad Municipal Corporation	Financial assistance for purchase of Hearse Van	5.29	5.29
32	Kangeyam Municipality	Financial assistance for providing of a Battery operated car	4.65	4.65
33	Sri Kalahasthi Devasthana, Tirupati	Financial assistance for providing of Battery operated vehicle	4.60	4.60
34	District Collector, Kadapa	Financial support for donation of 8 Oxygen Concentrators	4.51	4.51
35	M/s Primary Health Centre Karkala	Providing financial assistance for purchase of an Ambulance van	4.50	4.50
36	Dr.Pinnanameni Institute of Medical Sciences (Vijayawada)	Providing financial assistance for purchase of Transport Ventilator	4.46	4.46

37	**मैसर्स सिस्टर्स ऑफ चैरिटी, सिकंदराबाद**	3 जल शोधन संयंत्र [रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट] प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता।	4.17	4.17
38	**कंटोनमेन्ट सामान्य अस्पताल देहरादून**	कंटोनमेन्ट सामान्य अस्पताल देहरादून को 2 एसी, 5 मल्टीपारा मॉनिटर, 3 कंप्यूटर जेट प्रिंटर और 1 स्कैनर की खरीद के लिए वित्तीय सहायता	3.97	3.97
39	**मेसर्स सर गंगाराम अस्पताल, नई दिल्ली**	ट्रॉली और व्हीलचेयर के प्रायोजन के लिए वित्तीय सहायता।	3.73	3.73
40	**सरकारी अस्पताल (बेंगलूरु)**	बीबीएल ईसीजी मशीन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता - 5 नं.	3.00	3.00
41	**सैन्य अस्पताल, त्रिवेंद्रम**	ऑक्सीजन कंसेन्ट्रेटर की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना	2.61	2.61
42	**स्वास्थ्य के तहत केनरा बैंक की विभिन्न शाखाओं/ क्षे का / अं का में सीएसआर गतिविधियां**	कोविड योद्धाओं को कोविड किट, भोजन, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन सांद्रक, ऑक्सीजन जेनरेटर उपलब्ध कराना	144.62	144.62
	कुल		**1359.25**	**1359.25**

37	**M/s. Sisters of Charity, Secunderabad**	Financial assistance for providing 3 water Purifying Plants [Reverse Osmosis Plants]	4.17	4.17
38	**Cantonment General Hospital Dehradun**	Financial assistance for purchase of 2 AC, 5 multipara monitor, 3 computers jet printers and 1 scanner to Cantonment General Hospital Dehradun	3.97	3.97
39	**M/s Sir Gangaram Hospital, New Delhi**	Financial assistance for Sponsoring of Trolleys and Wheel Chairs	3.73	3.73
40	**Government Hospital (Bengaluru)**	Financial support for purchase of BBL ECG Machines - 5 Nos.	3.00	3.00
41	**Military Hospital, Trivandrum**	Providing financial assistance for purchase of Oxygen Concentrators	2.61	2.61
42	**CSR Activities at various Branches / ROs / COs of Canara Bank under Health**	Providing Covid Kits, Food to Covid Warriors, Ambulance, Oxygen Concentrators, Oxygen Generators	144.62	144.62
	Total		**1359.25**	**1359.25**

(ग) गरीबी और पोषण (₹ लाख में)

क्र. सं.	दानग्राही / आयोजक का नाम	उद्देश्य	मंजूर की गई राशि	प्रयुक्त राशि
1	मेसर्स श्री संपत गणपति मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट (बेंगलूरु)	सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता	25.00	25.00
2	मेसर्स श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी देवस्थानम, यादाद्री	अन्नदानम सामग्री के परिवहन और भोजन के वितरण के लिए इलेक्ट्रिक ट्रक की खरीद के लिए वित्तीय सहायता	9.33	9.33
3	मेसर्स स्नेहसदनम अनाथालय (मुबंई)	कुर्सियों, अलमारी, वाशिंग मशीन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता	2.04	2.04
4	मेसर्स खीर भवानी मंदिर, श्रीनगर	मंदिर को हेवी ड्यूटी मैट उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता	4.51	4.51
5	मेसर्स एनेबलिंग नेशनल ग्रोथ एंड गेनिंग एम्पावरमेंट (बेंगलूरु)	लड़कों के कमरे के लिए कंप्यूटर और एक वाटर प्यूरीफायर की खरीद के लिए वित्तीय सहायता	1.00	1.00
6	ग्राम पंचायत पोशीर	गरीब लोगों के लिए खाद्यान्न के वितरण के लिए वित्तीय सहायता	6.27	6.27
7	गरीबी और पोषण क्षेत्र के तहत केनरा बैंक की विभिन्न शाखाओं / क्षे का / अं का में सीएसआर गतिविधियाँ	अल्पसुविधा प्राप्तों के लिए वाटर फिल्टर, कपड़े, रेफ्रिजरेटर आदि।	109.07	109.07
	कुल		**157.22**	**157.22**

(c) Poverty & Nutrition (₹ in lakhs)

Sl. No.	Name of Donee / Organised by	Purpose	Amount sanctioned	Amount utilised
1	**M/s Sree Sampath Ganapathy Temple Charitable Trust (Bengaluru)**	Financial support for Constuction of Community Hall	25.00	25.00
2	**M/s Sri Laxmi Narasimha Swamy Devastha-nam,Yadadri**	Financial assistance towards purchase of Electric Truck for transpor-tation of Annadhanam materials and distribution of food	9.33	9.33
3	**M/s Snehasadanam Orphanage (Mumbai)**	Financial support for purchase of Chairs, Almirahs, Washing Machine	2.04	2.04
4	**M/s Kheer Bhawani Temple, Srinagar**	Financial assistance for providing a Heavy duty mat to Temple	4.51	4.51
5	**M/s Enabling National Growth and Gaining Empowerment (Bengaluru)**	Financial assistance for purchase of Computer and one Water Purifier for Boys' Home	1.00	1.00
6	**Gram Panchayat Poshir**	Financial assistance for Distribution of food grains for poor people	6.27	6.27
7	**CSR Activities at various Branches/ ROs / COs of Canara Bank under Poverty and Nutrition**	Water filters, clothes, refrigerators etc. for under privileged	109.07	109.07
	Total		**157.22**	**157.22**

(घ) कौशल विकास (₹ लाख में)

क्र. सं.	दानग्राही / आयोजक का नाम	उद्देश्य	मंजूर की गई राशि	प्रयुक्त राशि
1	केनरा बैंक सेंटनरी रुरल डेवलपमेंट ट्रस्ट (सीबीसीआरडीटी)	पूरे भारत में 23 आरएसईटीआई, 3 कारीगर प्रशिक्षण संस्थान और 5 सीबीआईआईटी के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण और एटा, कासगंज, थेनी और डिंडीगल में आरएसईटीआई भवनों का निर्माण व्यय	1552.00	800.00
2	ग्रामीण विकास और स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (रूडसेटी)	पूरे भारत में 27 रूडसेटी के कौशल विकास प्रशिक्षण पर व्यय	1100.00	1083.60
3	देशपांडे ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (डी-आरसेटी), हलियाल	कौशल विकास प्रशिक्षण व्यय	10.00	4.69
4	बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल एंड एंटप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट (बीआईआरईडी)	कौशल विकास प्रशिक्षण व्यय	15.00	8.02
	कुल		**2677.00**	**1896.31**

(ङ) स्वच्छ भारत (₹ लाख में)

क्र. सं.	दानग्राही / आयोजक का नाम	उद्देश्य	मंजूर की गई राशि	प्रयुक्त राशि
1	मेसर्स अन्नेश्वरा ग्राम पंचायत, देवनहल्ली	बंद कार्गो वाहन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता।	2.00	2.00

(d) Skill Development (₹ in lakhs)

Sl. No.	Name of Donee/ Organised by	Purpose	Amount sanctioned	Amount utilised
1	**Canara Bank Centenary Rural Development Trust (CBCRDT)**	Skill Development training through 23 RSETIs, 3 Artisan Training Institutes and 5 CBIITs all over India and Construction expenses of RSETI Buildings at Etah, Kasganj, Theni & Dindigul	1552.00	800.00
2	**Rural Development & Self Employment Training Institute (RUDSETI)**	Skill Develop -ment training expenditure of all 27 RUDSETIs all over India	1100.00	1083.60
3	**Deshpande Rural Self Employment Training Institute (D-RSETI), Haliyal**	Skill Develop ment training expenditure	10.00	4.69
4	**Bankers Institute of Rural and Entrepre-neurship Dev (BIRED)**	Skill Develop ment training expenditure	15.00	8.02
	Total		**2677.00**	**1896.31**

(e) Swachh Bharat (₹ in lakhs)

Sl. No.	Name of Donee/ Organised by	Purpose	Amount sanctioned	Amount utilised
1	**M/s Anneshwara Gram Panchayath, Devanahalli**	Financial assistance for purchase of closed Cargo vehicle	2.00	2.00

2	जिला कलेक्टर, तंजावुर	कार्गो लोड इलेक्ट्रॉनिक कचरा सफाई वाहन के दान के लिए सहायता प्रदान की गई	1.93	1.93
3	स्वच्छ भारत के तहत केनरा बैंक की विभिन्न शाखाओं / क्षे का / अं का में सीएसआर गतिविधियाँ	विभिन्न स्वच्छ भारत परियोजनाएं	7.17	7.17
	कुल		**11.10**	**11.10**

(च) ग्रामीण विकास क्षेत्र (₹ लाख में)

क्र. सं.	दानग्राही / आयोजक का नाम	उद्देश्य	मंजूर की गई राशि	प्रयुक्त राशि
1	मेसर्स जगद्गुरु श्री शिवराथ्रेश्वर [जेएसएस] महाविद्यापीठ, मैसूर	ग्रामीण पिछड़े क्षेत्रों से आने वाले छात्रों के परिवहन के लिए 24+1 सीटर बस की खरीद के लिए वित्तीय सहायता।	24.50	24.50
2	मेसर्स केम्पेगौड़ा आयुर्विज्ञान संस्थान [केआईएमएस], बेंगलूरु	गांवों के वंचित छात्रों के लाभ के लिए बस की खरीद के लिए वित्तीय सहायता।	21.00	21.00
3	मेसर्स सरक्षत्र सारनाथ पेरुमाल कैंकरया [एसएसके] ट्रस्ट, कुंभकोणम	सार्वजनिक तालाब (पांड) के जीर्णोद्धार के लिए वित्तीय सहायता।	10.00	10.00

2	District Collector, Thanjavur	Financial support for providing a Cargo load Electronic Garbage Cleaning Vehicle	1.93	1.93
3	CSR Activities at various Branches / ROs / COs of Canara Bank under Swacch Bharat	Various Swacch Bharat Projects	7.17	7.17
	Total		**11.10**	**11.10**

(f) Rural Development Sector

(₹ in lakhs)

Sl. No.	Name of Donee/ Organised by	Purpose	Amount sanctioned	Amount utilised
1	M/s Jagadguru Shri Shivara-threswara [JSS] Mahavidya-peetha, Mysore	Financial support for purchase of 24+1 seater Bus for trans-portation of students who are hailing from rural back-ward areas	24.50	24.50
2	M/s Kempegowda Institute of Medical Sciences [KIMS], Bengaluru	Financial support for purchase of a bus for the benefit of under privileged students from villages	21.00	21.00
3	M/s Sarakshthra Saranatha Perumal Kainkarya [SSK] Trust, Kumbakonam	Financial support for renovation of Public Pond	10.00	10.00

4	मेसर्स संगमम ट्रस्ट	पसूर गांव में श्मशान के लिए आईडी ब्लोअर और 110 फीट की चिमनी की खरीद के लिए वित्तीय सहायता।	9.52	9.52
5	मेसर्स थानु पिल्ला स्मारक सरकारी; होमियो अस्पताल (त्रिवेद्रंम)	डॉक्टरों को गांवों तक पहुंचाने के लिए 5 सीटर वाहन की खरीद।	4.98	4.98
6	मेसर्स निमिशांबा मंदिर, मांड्या	रसोई के सामान की खरीद के लिए प्रायोजन	4.25	4.25
7	मेसर्स जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए) तुतुकुड़ी	जिले में विभिन्न विकास गतिविधियों को शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता।	2.50	2.50
8	ग्रामीण विकास क्षेत्र के तहत केनरा बैंक की विभिन्न शाखाओं / क्षे का / अं का में सीएसआर गतिविधियाँ	जिले में विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए आर्थिक सहायता	21.70	21.70
	कुल		**98.45**	**98.45**

(छ) महिला सशक्तिकरण - सीएसआर खंड (₹ लाख में)

क्र. सं.	दानग्राही / आयोजक का नाम	उद्देश्य	मंजूर की गई राशि	प्रयुक्त राशि
1	अंचल कार्यालय व प्रधान कार्यालय में सीईडी कक्ष द्वारा आयोजित कार्यक्रम	महिला सशक्तिकरण, कौशल प्रशिक्षण, विपणन सहायता – केन बाजार आदि से संबंधित कार्यक्रम।	66.32	66.32
	कुल		**66.32**	**66.32**

4	**M/s Sangamam Trust (Chennai)**	Financial support for purchase of ID Blower and 110 feet Chimney for crematorium at Pasur village	9.52	9.52
5	**M/s Thanu Pilla Smaraka Govt. Homeo Hospital (Trivandrum)**	Purchase of 5 seater vehicle for transportation of doctors to villages	4.98	4.98
6	**M/s Nimishamba Temple, Mandya**	Sponsorship towards purchase of Kitchen items	4.25	4.25
7	**M/s District Rural Development Agency (DRDA) Thoothukudi**	Financial support for undertaking various developmental activities in the District	2.50	2.50
8	**CSR Activities at various Branches / ROs / COs of Canara Bank under Rural development Sector**	Financial support for various rural development programmes in the District	21.70	21.70
	Total		**98.45**	**98.45**

(g) **Women Empowerment - CSR Section** (₹ in lakhs)

Sl. No.	Name of Donee/ Organised by	Purpose	Amount sanctioned	Amount utilized
1	**Programmes conducted by CED cells at CO & HO**	Amount spent for organising various programmes towards women empowerment skill training, Can Bazaars	66.32	66.32
	Total		**66.32**	**66.32**

(ज) वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम

(₹ लाख में)

क्र. सं.	दानग्राही / आयोजक का नाम	उद्देश्य	मंजूर की गई राशि	प्रयुक्त राशि
1	मेसर्स केनरा वित्तीय सलाहकार ट्रस्ट / साक्षरता केंद्र	केनरा बैंक के वित्तीय साक्षरता केंद्रों के माध्यम से विभिन्न वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम	584.83	584.83
	कुल		**584.83**	**584.83**

(झ) खेलकूद, दिव्यांग(पीडब्ल्यूडी) पर्यावरण संरक्षण और अन्य क्षेत्र

(₹ लाख में)

क्र. सं.	दानग्राही / आयोजक का नाम	उद्देश्य	मंजूर की गई राशि	प्रयुक्त राशि
1	हुबली धारवाड़ नगर निगम (हुबली)	एलपीजी श्मशान की स्थापना के लिए हुबली धारवाड़ नगर निगम को सीएसआर गतिविधि।	200.00	200.00
2	मेसर्स आईएसएचए फाउंडेशन (काल्लाची कल्लाकुरिची)	कल्लाकुरिची और पोल्लाची क्षेत्रों में प्रत्येक में 107000 पौधे लगाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली कावेरी कॉलिंग परियोजना	89.88	89.88
3	मेसर्स पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया	विकलांग एथलीटों के बीच खेलों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता।	30.00	30.00

(h) Financial Literacy Programmes

(₹ in lakhs)

Sl. No.	Name of Donee/ Organised by	Purpose	Amount sanctioned	Amount utilized
1	**M/s Canara Financial Advisory Trust / Literacy Centers**	Various financial literacy programmes through Financial Literacy Centers of Canara Bank	584.83	584.83
	Total		**584.83**	**584.83**

(i) Sports, PWD, Enviromental protection & Other Sectors

(₹ in lakhs)

Sl. No.	Name of Donee/ Organised by	Purpose	Amount sanctioned	Amount utilized
1	**Hubballi Dharwad Municipal Corporation (Hubballi)**	CSR activity to Hubballi Dharwad Municipal Corporation for setting up of LPG Crematorium	200.00	200.00
2	**M/s ISHA Foundation (Pollachi Kallakurichi)**	Finanicial support for Cauvery Calling project - providing financial support for planting of 107000 saplings each in Kallakurichi & Pollachi regions	89.88	89.88
3	**M/s Paralympic Committee Of India**	Financial support for promoting sports among the differently abled athletes	30.00	30.00

4	मेसर्स तेलंगाना राज्य वन विकास निगम (तेलंगाना)	तेलंगाना राज्य वन विकास निगम को वित्तीय सहायता	15.04	15.04
5	जिला कलेक्टर–तिरुनेलवेली	अल्पसुविधा–प्राप्त बच्चों के लिए 91 शासकीय हाई स्कूल के लिए पुस्तकों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता	10.00	10.00
6	जिला कलेक्टर–थेनी	86500 पौधे रोपना के लिए आर्थिक सहायता	6.00	6.00
7	मेसर्स मोबिलिटी इंडिया (बेंगलूरु)	दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सहायक उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता	2.00	2.00
8	दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी), पर्यावरण संरक्षण, खेलकूद और अन्य क्षेत्र के तहत केनरा बैंक की विभिन्न शाखाओं / क्षे का / अं का में सीएसआर गतिविधियां	पीडब्ल्यूडी, खेलकूद आदि के लिए सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता	25.51	25.51
	कुल		**378.43**	**378.43**

4	**M/s Telangana State Forest Development Corporation (Telangana)**	Financial assistance to Telangana State Forest Development Corporation	15.04	15.04
5	**District Collector-Tirunelveli**	Financial assistance for purchase of Books for 91 Govt High Schools for underprivileged children	10.00	10.00
6	**District Collector-Theni**	Financial support for Planting of 86500 Saplings	6.00	6.00
7	**M/s Mobility India (Bengaluru)**	Financial assistance for purchase of Assistive Devices for persons with disability	2.00	2.00
8	**CSR Activities at various Branches / ROs / COs of Canara Bank under PWD, Environmental Protection, Sports and Others**	Financial support for providing assistive devices for PWD, Sports etc.	25.51	25.51
	Total		**378.43**	**378.43**

भाग ग: अन्य विवरण

1. **क्या कंपनी की कोई अनुषंगी कंपनी / कंपनियां हैं?**

   हाँ, कंपनी की आठ घरेलू सहायक कंपनियां हैं। अंतर्राष्ट्रीय पहुँच मास्को में के संबंध में, बैंक का एसबीआई के साथ एक संयुक्त उद्यम अर्थात्, मॉस्को में कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एलएलसी और एक पूर्णत: स्वामित्व वाली अनुषंगी, केनरा बैंक तंजानिया लिमिटेड (सीबीटीएल) दार-एस-सलाम, तंजानिया में है।

Section C: Other Details

1. **Does the Company have any Subsidiary Company / Companies?**

   Yes. The Company has eight domestic subsidiaries. Regarding overseas presence, Bank has one Joint Venture with SBI viz: Commercial Bank of India LLC, in Moscow and a wholly-owned subsidiary, Canara Bank Tanzania Ltd. (CBTL) at Dar-es-Salaam, Tanzania.

क) केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लि.
ख) केनबैंक फैक्टर लि.
ग) केनरा बैंक सेक्यूरिटीज लि.
घ) केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज़ लि.
ङ) केनबैंक फाइनेंसियल सर्विसेज़ लि.
च) केनरा रोबेक्को एसेट मैंनेजमेंट कंपनी लि.
छ) केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इन्श्यूरेन्स कंपनी लि.
ज) सिंडबैंक सर्विसेज़ लिमिटेड
झ) केन फिन होम्स लि. (सहयोगी कंपनी)
ञ) एसबीआई के साथ मॉस्को में कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एलएलसी (संयुक्त उद्यम)
ट) दार-एस-सलाम, तंजानियां में पूर्णत: स्वामित्व वाली अनुषंगी, केनरा बैंक तंजानिया लि. (सीबीटीएल)

2. **क्या अनुषंगी कंपनी / कंपनियां बीआर पहल में पैतृक कंपनी के साथ भाग लेती हैं? यदि हाँ तो ऐसी अनुषंगी(यों) की संख्या दें।**

हाँ, एक अनुषंगी - केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इन्श्यूरेन्स कंपनी लि. बीआर पहल में भाग लेती है।

3. **क्या अन्य संस्था / संस्थाएं (यानी आपूर्तिकर्त्ता, वितरक आदि) जो कि कंपनी के साथ कारोबार करते हैं, बी आर पहल में भाग लेते हैं? यदि हां तो ऐसी संस्था / संस्थाओं का प्रतिशत दर्शाएं [30% से कम, 30-60%, 60% से ज्यादा]।**

नहीं

भाग घ: कारोबार उत्तरदायित्व (बी आर) सूचना

1. **बीआर के लिए उत्तरदायी निदेशक / कों का विवरण**

क) बीआर पॉलिसी / पॉलिसियों को लागू करने के लिए उत्तरदायी निदेशक / निदेशकों का विवरण:

क्रमांक	ब्यौरा	विवरण
1	डीआईएन संख्या (यदि लागू है)	08411575
2	नाम	ए मणिमेखलै
3	पदनाम	कार्यपालक निदेशक

ख) बीआर प्रमुख एफ आई का विवरण

क्र. सं.	ब्यौरा	विवरण
1.	डीआईएन संख्या (यदि लागू है)	लागू नहीं
2.	नाम	ए मुरलीकृष्ण
3.	पदनाम	महा प्रबंधक
4.	दूरभाष संख्या	080-22250161
5.	ई-मेल आई डी	hofiw@canarabank.com

a) Canbank Venture Capital Fund Ltd.
b) Canbank Factors Ltd.
c) Canara Bank Securities Ltd.
d) Canbank Computer Services Ltd.
e) Canbank Financial Services Ltd.
f) Canara Robeco Asset Management Company Ltd.
g) Canara HSBC OBC Life Insurance Company Ltd.
h) Syndbank Services Ltd.
i) Canfin Homes Ltd. (Associate Company).
j) Commercial Bank of India LLC, in Moscow in association with SBI (Joint Venture).
k) Canara Bank Tanzania Ltd. (CBTL) at Dar-es Salaam, Tanzania, a wholly-owned subsidiary.

2. **Do the Subsidiary Company / Companies participate in the BR Initiatives of the parent company? If yes, then indicate the number of such subsidiary company(s).**

Yes. One Subsidiary, viz., Canara HSBC OBC Life Insurance Company Ltd. is involved in BR initiatives.

3. **Do any other entity / entities (e.g. suppliers, distributors etc.) that the Company does business with, participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity / entities? [Less than 30%, 30-60%, More than 60%].**

Nil

Section D: BR Information

1. **Details of Director / Directors responsible for BR**

a) Details of the Director / Directors responsible for implementation of the BR policy / policies

Sl.No.	Particulars	Details
1.	**DIN Number (if applicable)**	08411575
2.	**Name**	A Manimekhalai
3.	**Designation**	Executive Director

b) Details of the BR head FI

Sl. No.	Particulars	Details
1.	DIN Number (if applicable)	Not Applicable
2.	Name	A Muralikrishna
3.	Designation	General Manager
4.	Telephone number	080-22250161
5.	e-mail id	hofiw@canarabank.com

2. सिद्धांत–वार (राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देश (एनवीजी) के अनुसार) बीआर पॉलिसी / पॉलिसियां (हां / नहीं में उत्तर)

क्र.सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1.	क्या आपके पास .... के लिए पॉलिसी / पॉलिसियां है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
2.	क्या पॉलिसी संबंधित हितधारकों के परामर्श से बनायी गयी हैं?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
3.	क्या पॉलिसी राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हां, तो बताएं (केवल 50 शब्द)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
4.	क्या पॉलिसी, बोर्ड द्वारा अनुमोदित है? यदि हां, तो क्या यह एमडी / मालिक / सीईओ / उपयुक्त बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
5.	क्या कंपनी के पास पॉलिसी के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने के लिए बोर्ड / निदेशक / अधिकारी की कोई विशिष्ट समिति है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
6.	पॉलिसी को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक बताएं?	www.canarabank.com								
7.	क्या पॉलिसी को सभी संबंधित आंतरिक तथा बाह्य हितधारकों को सूचित किया गया है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
8.	क्या कंपनी में पॉलिसी / पॉलिसियों को लागू करने के लिए आंतरिक व्यवस्था है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
9.	क्या कंपनी में पॉलिसी / पॉलिसियों से संबंधित हितधारकों की शिकायतों को दूर करने के लिए पॉलिसी / पॉलिसियों से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
10.	क्या कंपनी ने आंतरिक या बाह्य एजेंसी द्वारा इस पॉलिसी के क्रियान्वयन के लिए लेखापरीक्षा / मूल्यांकन करवाया है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां

$: www.canarabank.com

2. **Principle-wise (as per NVGs) BR Policy / policies (Reply in Y/N) ?**

S. No.	Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1.	Do you have a policy / policies for....	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2.	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3.	Does the policy conform to any National / International standards? If yes, specify? (50 words)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4.	Has the policy being approved by the Board? If yes, has it been signed by MD / Owner / CEO / Appropriate Board Director.	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
5.	Does the company have a specified committee of the Board / Director / Official to oversee the implementation of the policy?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
6.	Indicate the link for the policy to be viewed online?	www.canarabank.com								
7.	Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
8.	Does the company have in-house structure to implement the policy / policies.	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
9.	Does the Company has a grievance redressal mechanism related to the policy / policies to address stakeholders' grievances related to the policy / policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
10.	Has the company carried out independent audit / evaluation of the working of this policy by an internal or external agency?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

$: www.canarabank.com

2क) यदि क्र. सं 1 के किसी सिद्धांत का उत्तर "नहीं" है तो कृपया कारण बताएं (विकल्प 2 तक चिह्न लगाए)

क्र.सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1	कंपनी सिद्धांत को नहीं समझ पाई									
2	कंपनी अभी उस स्थिति में नहीं है कि विशिष्ट सिद्धांतों के लिए पॉलिसी बनाए व उसे लागू कर पाए।									
3	कंपनी के पास इस काम के लिए वित्तीय या मानवीय संसाधन नहीं हैं									
4	अगले 6 महीने में इसे करने की योजना है									
5	अगले 1 साल में इसे करने की योजना है									
6	अन्य कोई कारण (कृपया बताएं)									

2a. If answer to S.No.1 against any principle, is "No", please explain why: (Tick up to 2 options)

Sl.No.	Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1	The Company has not understood the Principles									
2	The company is not at a stage where it finds itself in a position to formulate and implement the policies on specified principles									
3	The company does not have financial or manpower resources available for the task									
4	It is planned to be done within next 6 months									
5	It is planned to be done within the next 1 year									
6	Any other reason (please specify)									

3. बीआर से संबंधित अभिशासन

- कंपनी के बीआर के निष्पादन का निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति या सीईओ द्वारा बैठक बुलाकर कितने अंतराल पर आकलन किया जाता है। 3 महीने में, 3-6 महीने में, सालाना, एक साल से ज्यादा

  3-6 महीने

- क्या कंपनी बीआर या स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए क्या हाईपरलिंक है? कितने अंतराल पर इसे प्रकाशित किया जाता है?

  रिपोर्ट को वार्षिक रूप से प्रकाशित किया जा रहा है और https://www.canarabank.com/User_page.aspx?othlink=107 पर हाइपर लिंक उपलब्ध कराया गया है।

भाग ड. : सिद्धांतवार निष्पादन

सिद्धांत 1 : कारोबार को नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ किया जाए तथा नियंत्रित हो।

1. क्या नैतिकता, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी पर ही प्रावरित है? नहीं

3. Governance related to BR

- Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO meet to assess the BR performance of the Company. Within 3 months, 3-6 months, Annually, More than 1 year

  3-6 months

- Does the Company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published?

  The Report published annually and made available under the hyperlink https://www.canarabank.com/User_page.aspx?othlink=107

Section E: Principle-wise Performance

Principle 1: Businesses should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability

1. Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the company? No.

क्या यह समूह / संयुक्त उद्यम / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / गैर सरकारी संगठन / अन्य पर भी लागू है?

हाँ।

बैंक की बोर्ड द्वारा अनुमोदित "कॉर्पोरेट अभिशासन नीति" है जो कि सभी शेयरधारकों यानी, जमाकर्त्ताओं, शेयरधारकों, ग्राहकों, उधारकर्त्ताओं, कर्मचारियों और समाज को कॉर्पोरेट मूल्यों, आचार संहिताओं तथा अन्य उचित व्यवहार के मानकों का अनुसारण करते हुए सतत मूल्य का अनुकूलन करने के समग्र उद्देश्य के साथ तैयार की गयी है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉलिसी अनुषंगियों पर भी लागू है।

बोर्ड की अनुमति से बैंक ने समूह जोखिम प्रबंधन (जीआरएम) पॉलिसी बनाई है। इस पॉलिसी के अंतर्गत अनुषंगियां / संयुक्त उद्यम / और बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी आते हैं।

यादृच्छिक रूप से कर्मचारियों के खातों की जांच शाखाओं के आरबीआईए (जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा) के समय की जाती है। ऑफ़लाइन लेनदेन निगरानी प्रणाली में कर्मचारियों के खातों में ₹50000 से अधिक के लेनदेन की निगरानी की जाती है।

बैंक के पास निर्दिष्ट आवधिक अंतराल पर शाखाओं / इकाइयों/ कार्यालयों में सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा सहित नियमित निरीक्षण (आरबीआईए) आयोजित करने की एक प्रणाली है। चिन्हित शाखाओं / कार्यालयों की समवर्ती लेखापरीक्षा मासिक आधार पर की जाती है।

2. **विगत वित्तीय वर्ष में कितनी हितधारक शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन में से कितने प्रतिशत को संतुष्टिपूर्वक प्रबंधन द्वारा सुलझाया गया है? <u>यदि हां तो लगभग 50 शब्दों में विवरण दें।</u>**

शेयरधारकों की शिकायतें: बैंक को 2021–22 के दौरान शेयरधारकों से 421 अभ्यावेदन / शिकायतें प्राप्त हुई और सभी शिकायतों का संतोषजनक ढंग से समाधान किया गया है।

अधिकांश अभ्यावेदन लाभांश वारंट, शेयर प्रमाण पत्र और वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण हैं। यह संबंधित शेयरधारकों द्वारा पतों को अद्यतन न करने के कारण है। शिकायतों का समाधान करते समय, बैंक उनके पते, बैंक विवरण, ईसीएस मैंडेट (आवश्यक प्रपत्र प्रदान करके) को अद्यतन करने के लिए कदम उठाता रहा है ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचा जा सके।

Does it extend to the Group / Joint Ventures / Suppliers / Contractors / NGOs / Others?

Yes.

The Bank is having a Board approved "Corporate Governance Policy", which is drawn with an overall objective to optimize sustainable value to all stake holders viz., depositors, shareholders, customers, borrowers, employees and society through adherence to corporate values, Codes of Conduct and other standards of appropriate behavior. The Corporate Governance Policy of the Bank extends to its subsidiaries also.

The Bank has put in place a Group Risk Management (GRM) Policy with the permission of the Board of the Bank. The GRM Policy of the Bank covers Subsidiaries / Joint Ventures and the Regional Rural Banks sponsored by the Bank.

Scrutiny of staff accounts at random is undertaken at the time of RBIA (Risk Based Internal Audit) of the branches. The transactions above ₹50000 in staff accounts are monitored in Offline Transaction Monitoring system.

The Bank has a system of conducting regular inspection (RBIA) including Information System Audit at the branches / units / offices at specified periodical intervals. The Concurrent Audit of identified branches / offices is conducted on monthly basis.

2. **How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management? <u>If so, provide details thereof, in about 50 words or so.</u>**

Shareholders Complaints: The Bank received 421 representations / grievances from Shareholders during 2021-22 and all the grievances have been resolved satisfactorily.

Majority of the representations is on account of Non receipt of Dividend Warrants, Share certificates and Annual Reports. This is due to non-updation of the addresses by the concerned shareholders. While resolving the grievances, the bank has been taking steps to update their addresses, bank details, ECS Mandate (by providing the necessary forms) so as to avoid recurrence of such instances.

ग्राहक शिकायतें : वर्ष 2021–22 के दौरान बैंक ने 2,08,960 शिकायतें प्राप्त कीं तथा 99.12% को संतुष्टिपूर्वक निपटाया गया। बैंक ने अपनी ग्राहक सेवा को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न उत्पाद / सेवाएं, उन्नत तकनीक, कर्मचारी प्रशिक्षण तथा ग्राहकों की पूछताछ का जवाब व ग्राहक शिकायतों को दूर करने जैसे अनेक कदम उठाए हैं।

सिद्धांत 2 : कारोबार ऐसे उत्पाद व सेवाएं उपलब्ध कराएं जो सुरक्षित हों तथा अपने जीवन चक्र में स्थिरता बनाए रखें।

1. **अपने 3 उत्पादों या सेवाओं की सूची दें जिनके डिजाइन में सामाजिक या पर्यावरण चिंताओं, जोखिम और / या अवसरों को शामिल किया गया है।**

i. **वित्तीय समावेशन कार्यक्रम :** विभिन्न ग्रामीण गतिविधियों को कवर किया जाता है जैसे, कियोस्क मॉडल बैंक बिजनेस आउटलेट / बैंकिंग टच प्वाइंट्स की स्थापना कर बैंकिंग सेवाओं में और अधिक पहुँच स्थापित करना, पीएमजेडीवाई खातों को जुटाना, पीएमजेडीवाई ओडी के तहत सहयोग प्रदान करना, आधार नामांकन करना, वित्तीय साक्षरता केंद्रों और ग्रामीण शाखाओं के माध्यम से वित्तीय साक्षरता को बढ़ाना शामिल हैं । अनुभाग, 7 एनजीओ के सहयोग से 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में 114 ब्लॉकों में वित्तीय साक्षरता केंद्रों (सीएफएल) के विस्तार पर आरबीआई परियोजना को भी लागू कर रहा है।

ii. **ग्रामीण विकास:** बैंक ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत 78 स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों को प्रायोजित / सह–प्रायोजित/ सहायता प्रदान की है जो कि ग्रामीण युवकों में उद्यमिता विकास तथा उन्हें स्व–रोजगार क्रियाकलाप करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इन संस्थानों ने अब तक 11.34 लाख से अधिक बेरोज़गार युवाओं को प्रशिक्षण दिया है जिनकी व्यवसाय प्राप्ति दर 74% है।

iii. **हरित बैंकिंग :** बैंक ने कई पर्यावरण अनुकूल कार्यों की शुरुआत की है जैसे,

i) ग्राहकों के संबंध में, कार्डों के लिए आईवीआर के माध्यम से पिन का सृजन, ग्राहकों को गलत पिन, अमान्य सीवीवी, अपर्याप्त निधि आदि जैसे अस्वीकृत लेनदेनों के लिए शिक्षाप्रद एसएमएस, क्रेडिट कार्ड के लिए

Customer Complaints: During 2021-22 the Bank received 2,08,960 complaints and 99.12% of the complaints were satisfactorily redressed. The Bank is taking several measures to improve customer service by bringing in diversified products / services, updated technology, staff training and responding to customer's queries and redressal of customer complaints.

Principle 2: Businesses should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle

1. **List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and / or opportunities.**

i. **Financial Inclusion Programme** - Covering varied rural activities, such as increasing access to banking services through establishment of Kiosk model Bank Business Outlet / Banking touch points, mobilizing PMJDY accounts, support under PMJDY OD, Aadhaar enrollment, enhancing financial literacy through Financial Literacy Centres and rural branches. Section is also implementing the RBI project on scaling up of Centres for Financial Literacy (CFL) IN 114 blocks in 8 States and 1 Union Territory in collaboration with 7 NGOs.

ii. **Rural Development** - The Bank has sponsored / co- sponsored / supported 78 self-employment training institutes in varied fields which promote entrepreneurship development among rural youth and encourage them to take up self-employment activities. These Institutes have trained more than 11.34 lakhs unemployed youth so far, with a settlement rate of 74%.

iii. **Green Banking** - The Bank has introduced several eco friendly measures, viz.,

i) With respect to customers, PIN generation through IVR for cards, Educative SMS to customers for decline transactions such as incorrect PIN, invalid CVV, insufficient fund etc. for Credit Card, Card Management

कार्ड प्रबंधन प्रणाली उन्नयन जिसमें जारी करना, सृजन, प्रसंस्करण, प्राधिकरण और कार्डों का रखरखाव, शामिल है कार्डों की संख्या, एलएपीएस पैकेज के माध्यम से क्रेडिट कार्ड आवेदन की सोर्सिंग और मंजूरी का एंड-टू-एंड ऑटोमेशन, इंटरनेट बैंकिंग के साथ डिजिलॉकर का एकीकरण, कार्डलेस नकद निकासी और हमारे बैंक के एटीएम में ₹10,000/- से अधिक नकद निकासी के लिए ओटीपी लागू किया जाना शामिल है। भीम–क्यूआर में, हमने बेंगलूरु के 1,000 व्यापारियों के लिए पायलट आधार पर सफल लेनदेन की अधिसूचना पुष्टि प्राप्त करने के लिए साउंडबॉक्स सुविधा शुरू की है।

ii) अनुपालन के संबंध में, आवर्ती कार्ड लेनदेन के लिए ई–अधिदेश (मैंडेट) का कार्यान्वयन, आवर्ती भुगतानों के लिए यूपीआई ऑटोपे का कार्यान्वयन, कार्ड नेटवर्क स्तर पर कार्ड को सक्षम करना, जहां कहीं भी व्यापारी सक्षम हों, ई–कॉम व्यापारी पर कार्ड लेनदेन को सुरक्षित करने के लिए कार्ड को सक्षम करना, कार्ड के लिए परिसंपत्ति वर्गीकरण का स्वचालन, सभी एटीएम को केंद्रीकृत समाधान के लिए माइग्रेट किया गया है।

2. **इस तरह के प्रत्येक उत्पाद के लिए, उत्पाद की प्रति यूनिट (वैकल्पिक) संसाधन उपयोग (ऊर्जा, पानी, कच्चा माल आदि) के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:**

मूल्य श्रृंखला के दौरान पिछले वर्ष से लेकर अब तक सोर्सिंग/ उत्पादन / वितरण के समय आई कमी?

i. **पिछले वर्ष से अब तक उपभोक्ता द्वारा प्रयोग (ऊर्जा, पानी) में आई कमी को प्राप्त कर लिया गया है?**

हमारे नवनिर्मित क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के भवन में वर्षा जल संचयन संयंत्र (रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट) लगाया गया है। इसके अलावा, बेंगलूरु, मांड्या और शिवमोग्गा में हमारे सभी आगामी नए निर्माणों में, वर्षा जल संचयन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।

हमारे बीकेसी बिल्डिंग मुंबई में, रिसायकल पानी का उपयोग कूलिंग टावर और फ्लशिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है। बेंगलूरु में हमारे आगामी शीर्ष कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्र में बागवानी उद्देश्य हेतु भी रिसाइकल पानी का उपयोग करने की योजना है।

इसके अलावा, ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइटें, स्टार रेटेड उपकरण हमारे सभी कार्यालय परिसरों में खरीद कर स्थापित किए गए हैं।

system upgradation which includes issuance, generation, processing, authorization and maintenance of cards, end-to-end automation of credit card application sourcing and sanctioning through LAPS package, integration of DigiLocker with Internet Banking, implemented Cardless Cash Withdrawal and OTP for cash withdrawal above ₹10,000/- in our Bank ATMs. In BHIM-QR, we have initiated the SOUNDBOX facility to receive voice notification confirmation of the successful transaction on the pilot basis for 1,000 number of Bengaluru merchants.

ii) With respect to compliance, implementation of e-mandate for recurring card transactions, implementation of UPI AutoPay for recurring payments, enabling the Card on File tokenization at card network level for securing the card transaction on e-Com merchant wherever merchants are enabled, automation of asset classification for cards, all ATMs are migrated for centralized reconciliation.

2. **For each such product, provide the following details in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per unit of product (optional):**

Reduction during sourcing / production / distribution achieved since the previous year throughout the value chain?

i. **Reduction during usage by consumers (energy, water) has been Achieved since the previous year?**

Rainwater harvesting plant is installed at our newly constructed RO building at Dehradun. Further in all our upcoming new constructions at Bengaluru, Mandya and Shivamogga, Rainwater harvesting plants will be installed.

In our BKC Building Mumbai, the recycled water is used for Cooling Tower and Flushing purpose. It is also planned to use the recycled water for gardening purpose at our upcoming APEX staff training center at Bengaluru.

Further energy efficient LED lights, star rated appliances are purchased and installed at all our office premises.

3. क्या कंपनी में स्थायी सोर्सिंग (स्रोतीकरण) के लिए कोई पद्धति है? (परिवहन सहित) यदि हां, तो निवेशित का कितना प्रतिशत स्थायी रूप से सोर्स किया गया है? 50 शब्दों में इसका विवरण प्रस्तुत करें।

नए भवनों के निर्माण के मामले में, बैंक गृह स्टार रेटिंग सुनिश्चित कर रहा है। गृह (GRIHA) मानदंडों के अनुसार, बेंगलुरु, मांड्या, शिवमोग्गा और न्यूटाउन राजारहाट, कोलकाता में बैंक के स्वामित्व वाली संपत्तियों में तीन भवन निर्माणाधीन हैं। बैंक सभी चालू और आगामी निर्माण परियोजनाओं में गृह मानदंड सुनिश्चित कर रहा है।

गृह (GRIHA) स्टार रेटिंग एक इमारत के पूरे जीवन चक्र में समग्र रूप से पर्यावरण के प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है, जिससे हरित भवन के लिए एक निश्चित मानक प्रदान किया जाता है।

4. क्या कंपनी ने स्थानीय व छोटे उत्पादकों, जिसमें आसपास के क्षेत्रों में कार्यरत समुदाय शामिल हैं, से माल व सेवाएं खरीदने के लिए कोई कदम उठाए हैं? यदि हां, तो स्थानीय व छोटे वेंडरों की क्षमता व योग्यता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जहां कहीं भी छोटी खरीदारी की जाती है, वहां स्थानीय और छोटे उत्पादों से सामान और सेवाओं की खरीद का प्रयास किया जा रहा है, जिससे स्थानीय और छोटे विक्रेताओं की क्षमता बढ़ जाती है।

बैंक के गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस (GeM) के माध्यम से बैंक खरीद को प्रोत्साहित कर रहा है। इस वित्त वर्ष के दौरान हमने पिछले वर्ष ₹1.88 करोड़ की खरीद की तुलना में पोर्टल के माध्यम से ₹12.73 करोड़ की खरीद की है।

5. क्या कंपनी के उत्पादों और अपशिष्ट को पुर्ननवीनीकृत करने का कोई तंत्र है? यदि हां तो उत्पादों तथा अपशिष्ट का कितना प्रतिशत पुनर्नवीनीकरण किया जा रहा है (5% से कम, 5–10%, 10% से अधिक, अलग-अलग बताएं) । 50 शब्दों में विवरण दें।

लागू नहीं।

सिद्धांत 3: कारोबार सभी कर्मचारियों की भलाई को बढ़ावा दे।

1. कृपया कुल कर्मचारियों की संख्या बताएं।

यथा 31.03.2022 को कुल कर्मचारियों की संख्या 86919 है।

3. **Does the Company have procedures in place for sustainable sourcing (including transportation)? If yes, what percentage of your inputs was sourced sustainably? Also, provide details thereof, in about 50 words or so.**

In case of construction of new buildings, Bank is ensuring GRIHA Star rating. Three buildings are under construction in Bank owned properties at Bengaluru, Mandya, Shivamogga and Newtown Rajarhat, Kolkata as per GRIHA norms. Bank is ensuring the GRIHA norms in all the ongoing and upcoming construction projects.

GRIHA Star rating evaluates the environmental performance of a building holistically over its entire life cycle, thereby providing a definitive standard for what constitutes a green building.

4. **Has the Company taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work? If yes, what steps have been taken to improve their capacity and capability of local and small vendors?**

Procurement of goods and services from the local & small produces are being practiced wherever small purchases are done, facilitating the capability of local and small vendors.

Bank is encouraging procurements through Bank's Government e-Market Place (GeM). During this financial year we have made procurement of ₹12.73 Cr through the portal as against the procurement of ₹1.88 Cr in the last year.

5. **Does the Company have a mechanism to recycle products and waste? If yes, what is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5-10%, >10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.**

Not applicable.

Principle 3: Businesses should promote the well-being of all employees.

1. **Please indicate the total number of employees.**

Total number of employees as at 31.03.2022 is 86919.

2. कृपया अस्थाई / संविदा / अनौपचारिक आधार पर लिए गए कर्मचारियों की संख्या इंगित करें ।

एफओसी–प्रशिक्षण	शून्य
लोकपाल	शून्य
सलाहकार	शून्य
ईआरओ–ऑडिट उद्देश्य	शून्य
कुल	शून्य

3. कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या इंगित करें।

यथा 31.03.2022 को स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या 27356 है।

4. कृपया स्थायी विकलांग कर्मचारियों की संख्या इंगित करें।

यथा 31.03.2022 को स्थायी विकलांग कर्मचारियों की कुल संख्या 2436 है।

5. क्या आपके यहां कर्मचारी संगठन है जो कि प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त है।

हमारे बैंक में केनरा बैंक कर्मचारी संघ (पंजीकृत) व केनरा बैंक अधिकारी संघ (पंजीकृत) प्रबन्धन द्वारा मान्यता–प्राप्त क्रमशः कामगारों व अधिकारियों हेतु दो प्रमुख संघ हैं ।

6. आपके कितने प्रतिशत नियमित कर्मचारी इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन के सदस्य हैं?

अधिकारी संघ	83.23%
कर्मचारी यूनियन	57.59%

7. कृपया पिछले वित्तीय वर्ष में बाल श्रम, बेगार, अस्वैच्छिक श्रम, यौन उत्पीडन से संबंधित शिकायतों की संख्या बताएं तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कितनी लंबित हैं।

क्र. सं.	श्रेणी	वित्तीय वर्ष के दौरान शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या
1	बाल श्रम / बेगार / अस्वैच्छिक श्रम	शून्य	शून्य

2. **Please indicate the total number of employees hired on temporary / contractual / casual basis.**

FOC- Training	Nil
Ombudsman	Nil
Advisors	Nil
ERO-Audit purpose	Nil
Total	Nil

3. **Please indicate the number of permanent women employees.**

The number of permanent women employees as at 31.03.2022 is 27356.

4. **Please indicate the number of permanent employees with disabilities.**

The number of permanent employees with disabilities as at 31.03.2022 is 2436.

5. **Do you have an employee association that is recognized by management.**

In our Bank, Canara Bank Employees Union (Regd.) and Canara Bank Officers' Association (Regd.) are two majorities Union / Association of workmen and officer employees respectively, which are recognized by the Management..

6. **What percentage of your permanent employees is members of this recognized employee association?**

Officers' Association	83.23%
Workmen Union	57.59%

7. **Please indicate the Number of complaints relating to child labour, forced labour, involuntary labour, sexual harassment in the last financial year and Pending, as on the end of the financial year.**

Sl. No.	Category	No. of complaints filed during the financial year	No. of complaints pending as on end of financial year
1	Child labour / forced labour/ involuntary labour	NIL	NIL

2	यौन उत्पीड़न	6	शून्य
3	भेदभावपूर्ण रोजगार	शून्य	शून्य

8. पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नांकित कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत को सुरक्षा व कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया?

स्थायी कर्मचारी	69.64%
नियमित महिला कर्मचारी	67.01%
आकस्मिक / अस्थायी / संविदा कर्मचारी	शून्य
विकलांग कर्मचारी	61.45%

सिद्धांत 4: कारोबार को सभी हितधारकों, विशेष रूप से वंचितों, कमजोर वर्गों और उपेक्षितों की हितों का आदर करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी भी होना चाहिए।

1. **क्या कंपनी ने अपने आंतरिक और बाहरी हितधारकों को प्रतिचित्रित (मैपिंग) किया है?**

   हाँ, बैंक के शेयरधारकों में सरकार, निवेशक, कर्मचारी तथा बैंक के ग्राहक शामिल हैं।

2. **उक्त में से, क्या कंपनी ने कमजोर, वंचित व उपेक्षित हितधारकों की पहचान की है?**

   हां।

3. **क्या कंपनी ने वंचित, कमजोर व उपेक्षित शेयरधारकों से जुड़ने के लिए कोई विशेष पहल की है? यदि हां, तो 50 शब्दों में विवरण दें।**

   कर्मचारी: बैंक जाति, संप्रदाय और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव और पूर्वाग्रह के बिना सभी कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार की नीति अपनाता है। बैंक, सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों को कुछ विशेष लाभ / सुविधा/सहायता प्रदान करता है । इसके अलावा, विकलांग कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों को समतुल्य पारिश्रमिक / वेतन, पदोन्नति दिया जाता है।

2	Sexual harassment	6	NIL
3	Discriminatory employment	NIL	NIL

8. What percentage of your under mentioned employees were given safety & skill up-gradation training in the last year?

Permanent Employees	69.64%
Permanent Women Employees	67.01%
Casual / Temporary / Contractual Employees	NIL
Employees with Disabilities	61.45%

Principle 4: Businesses should respect the interests of, and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized

1. **Has the company mapped its internal and external stakeholders?**

   Yes. The stakeholders of the Bank include Government, Investors, Employees and the Customers of the Bank.

2. **Out of the above, has the company identified the disadvantaged, vulnerable & marginalized stakeholders?**

   Yes.

3. **Are there any special initiatives taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.**

   Employees: The Bank practices the policy of equal treatment of all employees without any discrimination and bias on the basis of caste, creed and religion. The Bank extends certain special benefits / facilities / assistance to employees belonging to SC / ST category as per Government guidelines. Further, the wages / salaries, promotions and other benefits extended to employees with disabilities are at par with other employees.

ग्राहक : समाज के उपेक्षित वर्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक ने अन्य योजनाओं के साथ, सादा (नो फ्रील) बचत खाता योजना, केनरा नयी दिशा योजना के अंतर्गत सूक्ष्म बीमा और सूक्ष्म पेंशन योजना, शहरी गरीबों के लिए सूक्ष्म वित्त शाखाएं, किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता समूहों को ऋण, एमजीएनआरईजीए मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण, बायोमेट्रिक एटीएम, विभेदक ब्याज दर योजना के तहत ऋण, महिला उद्यमियों और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की सहायता के लिए ऋण योजनाएं शुरु की हैं।

सिद्धांत 5 : कारोबार, मानवाधिकार का सम्मान व प्रोत्साहन करे।

1. **क्या मानवाधिकारों से संबंधित कंपनी की नीति केवल कंपनी पर पर लागू होती है या यह समूह / संयुक्त उद्यम / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / गैर सरकारी संगठन / अन्य पर भी लागू होती है?**

   बैंक, भारत के संविधान में निहित मानव अधिकारों की विषयवस्तु से परिचित है तथा संघ की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी करने के अधिकार का आदर करता है।

   मानव संसाधन से संबंधित नीतियां केवल बैंक के परिचालन पर ही लागू है। इसके अलावा, बैंक की मानव संसाधन नीतियां सभी कर्मचारियों को समान और उचित व्यवहार प्रदान करती हैं तथा राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग, आयु, विकलांगता, कर्मचारियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति या कानून द्वारा निषिद्ध किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है।

यौन उत्पीड़न की रोकथाम

बैंक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का निषेध करता है। सेवा शर्तों में, कार्य स्थलों पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए विशेष रूप से खंड हैं। यौन उत्पीड़न पर नीति अधिनियम "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के संदर्भ में लागू की गई है। नीति के अनुसार, बैंक ने अधिनियम में निर्धारित अनुसार पीठासीन अधिकारी और अन्य सदस्यों को समिति में नामित करके सभी प्रशासनिक इकाइयों में आंतरिक समितियों का गठन किया है।

आंतरिक शिकायत समिति में पीठासीन अधिकारी होगा जो एक वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी होगी और कर्मचारियों में से 2 सदस्य होंगे जो अधिमानतः महिलाओं के हित के लिए प्रतिबद्ध होंगे या सामाजिक कार्य में अनुभव / कानूनी ज्ञान रखते होंगे और इसके सदस्य के रूप में एक तीसरे पक्ष के सदस्य भी होंगे (एनजीओ आदि) ।

Customers: In order to cater to No-frill Savings Accounts Scheme, Micro Insurance and Micro Pension under Canara Nayee Disha Scheme, micro-finance branches for urban poor, kisan credit cards for farmers, loans to self-help groups, electronic benefit transfer for payment of MGNREGA Wages and social security pension, biometric ATMs, loans under Differential Interest Rate Scheme, loans to women entrepreneurs and support to the needs of marginalized segments of the society, the Bank has introduced, among others micro & small enterprises.

Principle 5: Businesses should respect and promote human rights

1. **Does the policy of the company on human rights cover only the company or extend to the Group / Joint Ventures / Suppliers / Contractors / NGOs / Others?**

   The Bank is aware of the human rights content of the Constitution of India and respects the freedom of associations and the right to collective bargaining.

   The HR related policies cover the operations of the Bank only. Further, the HR policies of the Bank are well laid out with equal and fair treatment of all the employees and no discrimination is made based on nationality, religion, gender, age, disabilities, social and economic status of the employees or any other basis prohibited by the law.

Prevention of Sexual Harassment

The Bank prohibits sexual harassment at work places. In the Service Conditions, there are clauses exclusively for prevention of sexual harassment at work places. The policy on sexual harassment has been implemented in terms of Act "The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013". As per the policy, Bank has constituted Internal Committees at all administrative units by nominating Presiding Officer and other members to the Committee as stipulated in the Act.

The Internal Complaints Committee will have Presiding Officer who shall be a senior level woman employee and will have 2 members from amongst the employees preferably committed to the cause of women or has experience in social work / legal knowledge and shall also have a third party member (NGO etc) as its member.

समिति की रिपोर्टों के आधार पर कार्रवाई की जाती है। बैंक समय–समय पर सेवा शर्तों, नियमों, महिला कर्मचारियों को लाभ, महिला कर्मचारियों के अधिकार, यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए परिपत्र जारी करता है।

कर्मचारी शिकायत निवारण नीति

बैंक ने सेवा शर्त से संबंधित वास्तविक व्यक्तिगत शिकायतों को दूर करने के लिए और उसके त्वरित समाधान के लिए कर्मचारी शिकायत निवारण नीति बनाई है। इस नीति के तहत शिकायतों का निवारण निर्धारित समय के भीतर किया जाता है। अंचल स्तर निवारण समिति के निर्णय के खिलाफ अपील का भी प्रावधान है।

कर्मचारियों की शिकायत का निवारण करने के लिए कर्मचारियों की शिकायत को अधिक अनुकूल, कागज रहित और कर्मचारियों की शिकायतों का त्वरित निपटान करने के उद्देश्य से, केननेट में कैनेराइट शिकायत निवारण प्रणाली शुरू की गई है, जिसका पाथ इस प्रकार है : Quick Links > SAS Biometric Login > General > Canarite Grievance Redressal System (CGRS).

सूचना का अधिकार अधिनियम

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, की परिभाषा के अनुसार केनरा बैंक एक सार्वजनिक प्राधिकरण है, इसलिए जनता को सूचना प्रदान करना बैंक का दायित्व बनता है।

विभिन्न कार्यों के लिए ठेकेदारों की सेवा लेना:

बैंक अपने परिसर में सिविल निर्माण / विद्युत / रख–रखाव कार्यों के लिए ठेकेदारों की सेवा लेते समय श्रम कानून, विशेष तौर पर न्यूनतम मज़दूरी के भुगतान तथा अन्य संबंधित मानवाधिकारों, का पालन करता है।

2. **पिछले वित्तीय वर्ष में कितने हितधारकों की शिकायतें आईं और कितने प्रतिशत शिकायतों का निपटान प्रबंधन के द्वारा संतोषजनक रूप से किया गया?**

   हितधारक शिकायतों में निवेशक शिकायतें और ग्राहक शिकायतें शामिल हैं।

   निवेशकों की शिकायतें 421 हैं, जिनमें से शून्य लंबित है॥

सिद्धांत 6: कारोबार को चाहिए कि पर्यावरण को सम्मान, सुरक्षा और उसे पुर्नस्थापित करने का प्रयास करे।

1. **सिद्धांत 6 से संबंधित कंपनी की नीति क्या कंपनी तक सीमित है या समूह / संयुक्त उद्यम / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / गैर–सरकारी संस्थान / अन्य पर भी लागू है?**

   यह नीति केवल बैंक तक ही सीमित है।

The action is taken based on the reports of the Committee. The Bank issues Circulars from time to time reinforcing service conditions, rules, benefits to women employees, right of women employees, prevention of sexual harassment.

Employees' Grievances Redressal Policy

The Bank has framed Employees' Grievance(s) Redressal Policy with a view to lend to the genuine individual grievances relating to service condition of the employees and for speedy resolution of the same. The complaints under this policy are redressed within the stipulated time. There is also an appeal provision against the decision of the Circle Level Redressal Committee.

With a view to make Employees' Grievance(s) Redressal mechanism more employee friendly, paperless and quick disposal of grievances of the employees, 'Canarite Grievance Redressal System' is introduced in Cannet under the path Quick Links > SAS Biometric Login > General > Canarite Grievance Redressal System (CGRS).

Right to Information Act

Canara Bank is a Public Authority, as per definition of Public Authority in the Right to Information Act, 2005, and thus, is under obligation to provide the information to members of public.

Engaging Contractors for various works

While engaging the services of Contractors for the civil construction / electrical / maintenance works at its premises, the Bank ensures the contractor follows the labour laws especially payment of minimum wages and other related human rights.

2. **How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?**

   Stakeholder complaints include Investor complaints & Customer complaints.

   Investor grievances are 421 out of which nil is pending.

Principle 6: Business should respect, protect, and make efforts to restore the environment.

1. **Does the policy related to Principle 6 cover only the company or extends to the Group / Joint Ventures / Suppliers / Contractors / NGOs / others.**

   The Policy covers only the Bank.

2. क्या कंपनी के पास वैश्विक पर्यावरण के मुद्दों जैसे, पर्यावरण में बदलाव, ग्लोबल वार्मिंग आदि के लिए कोई योजना / पहल है? हाँ / नहीं , यदि हॉं तो, कृपया वेबपेज का हाइपरलिंक दें।

हाँ।

ऋण जोखिम प्रबंधन नीति के संदर्भ में, बैंक ओजोन क्षयकारी पदार्थों (ओडीएस) का उपयोग / उत्पादन करने वाली नई इकाइयों की स्थापना के लिए वित्त प्रदान नहीं कर रहा है।

सीएफ़सी का उपयोग करके एयरोसोल इकाइयों के निर्माण में लगी छोटी / मध्यम स्तर की इकाइयों को बैंक द्वारा कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है।

3. क्या कंपनी संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान और आकलन करती है? हाँ / नहीं

हाँ।

4. क्या कंपनी के पास स्वच्छ विकास तंत्र से संबंधित कोई परियोजना है? यदि ऐसा है तो 50 शब्दों में विवरण दें। और, यदि हां तो क्या कोई पर्यावरण अनुपालना रिपोर्ट दायर की गयी है?

हाँ।

बैंक द्वारा किए गए विभिन्न हरित बैंकिंग पहलों में कोर बैंकिंग समाधान, एनीवेयर बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, टेलीबैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, ग्रामीण जनता के लिए बायोमेट्रिक एटीएम और माइक्रो–एटीएम, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के उपयोग के लिए कागज रहित ग्रीन पिन सुविधा, पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर एसएमएस के माध्यम से नेटबैंकिंग पासवर्ड, हमारे एटीएम में सफल नकद निकासी और बैलेंस जांच के लिए रसीद की छपाई, कागज रहित बैंकिंग के लिए अत्याधुनिक कैंडी शाखाएं, अपने कर्मचारियों और प्रशासनिक क्षेत्रों में पेपरलेस बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए शाखाओं में ई–लाउंज और ई–गवर्नेंस आदि शामिल है।

5. क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि पर कोई अन्य पहल शुरू की हैं? हाँ / नहीं, यदि हाँ, तो वेबपेज का हाइपरलिंक दें।

बैंक ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी तथा ऊर्जा दक्षता के कई पहल की शुरूआत की है। बैंक पर्यावरण के अनुकूल ऐसी हरित परियोजनाओं को प्राथमिकता व महत्व देता है जो कार्बन कम करते हैं जैसे, सौर ऊर्जा परियोजनाएं आदि । बैंक में हरित व स्वच्छ तकनीकी परियोजनाओं को अधिमान्य ऋण देने की योजनाएं हैं।

2. Does the company have strategies / initiatives to address global Environmental issues such as climate change, global warming, etc ? Y/N. If yes, please give hyperlink for webpage etc.

Yes.

In terms of Credit Risk Management Policy, the Bank is not extending finance for setting up of new units consuming / producing Ozone Depleting Substances (ODS).

No financial assistance is extended by Bank to small / medium scale units engaged in the manufacture of the Aerosol Units using CFC.

3. Does the company identify and assess potential environmental risks? Y / N

Yes.

4. Does the company have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50 words or so. Also, if Yes, whether any environmental compliance report is filed?

Yes.

Various green banking initiatives undertaken by the Bank include Core Banking Solution, Anywhere Banking, Internet Banking, Tele Banking, Mobile Banking, ATMs, Biometric ATMs & Micro-ATMs for the use of rural folk, paperless Green PIN facility, for debit & credit cards, Net banking password through SMS on Registered mobile numbers, dispensed with printing of 'Receipt' for successful Cash withdrawal & balance enquiry in our ATMs, opened Hi-tech CANDI branches for paperless banking, E-lounges in branches and e-governance for its staff and Administrative areas to promote paperless banking.

5. Has the company undertaken any other initiatives on - clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc., Y / N If yes, please give hyperlink for web page etc.

Bank has undertaken a number of initiatives to promote clean technology and energy efficiency. Bank gives due weightage and preference to environment-friendly green projects which earn the carbon credits, such as, Solar Power projects. Bank has schemes of extending preferential credits to the Green and clean technology projects.

बैंक उच्च ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित करने वाले अपने सभी परिसरों में सीएफएल / फ्लोरोसेंट लाइट्स की जगह नई एलईडी लगा रहा है ।

बैंक ने 262 केडब्ल्यूपी क्षमता की रूफ टॉप सोलर सिस्टम इंस्टॉल की है। विवरण निम्नानुसार है;

बैंक के स्वामित्व वाले भवन का विवरण जहां रूफ टॉप सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया गया है (262 केडब्ल्यूपी)	
स्थान	**इंस्टालेशन की क्षमता**
प्रधान कार्यालय, जे सी रोड	52केडब्ल्यूपी
भोपाल, अचंल कार्यालय का बिल्डिंग	25केडब्ल्यूपी
चेन्नई, अचंल कार्यालय का बिल्डिंग	35केडब्ल्यूपी
देहरादून, क्षेत्रीय कार्यालय	40केडब्ल्यूपी
हैदराबाद, अचंल कार्यालय का बिल्डिंग	40केडब्ल्यूपी
मुंबई, अचंल कार्यालय का बिल्डिंग	10केडब्ल्यूपी
तिरुवनंतपुरम, अचंल कार्यालय का बिल्डिंग	35केडब्ल्यूपी
बेंगलूरु अचंल कार्यालय – 5 शाखाएं (नेरलूर, थियामागोंडलू, पटनायकनहल्ली, पेरेसंद्रा, रायलपद)	25केडब्ल्यूपी
उपलब्ध इस्टांलेशन की कुल क्षमता (बी)	**262केडब्ल्यूपी**

इसके अलावा बैंक ने 2122 केडब्ल्यूपी की क्षमता के साथ 67 स्वयं की संपत्तियों पर रूफ टॉप सोलर पावर सिस्टम की स्थापना (इंस्टालेशन) शुरू की है।

6. **क्या कंपनी द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन / अपशेष वित्तीय वर्ष के लिए सीपीसीबी / एसपीसीबी द्वारा दी गई अनुमत सीमा के भीतर रिपोर्ट किया जा रहा है?**

   बैंक वित्तीय सेवाएं प्रदान करने से जुड़ा है और इसलिए लागू नहीं है।

7. **वित्तीय वर्ष के अंत तक सीपीसीबी / एसपीसीबी से प्राप्त कारण बताओ / कानूनी नोटिसों की संख्या जो लंबित हैं (अर्थात, जिसका समाधान संतोषजनक रूप से नहीं किया गया हो)**

   शून्य

सिद्धांत 7: कारोबार, जब आम जनता और विनियामक नीतियों को प्रभावित करता है तो ऐसा जिम्मेदारीपूर्वक ढंग से किया जाए।

1. **क्या आपकी कंपनी किसी व्यापार और चेंबर या संघ की सदस्य है? यदि हां तो केवल उन प्रमुख कंपनियों के नाम बताएं जिनसे आपका व्यवसाय संबंधित है?**

   हाँ।

Bank is replacing of CFL / Fluorescent lighting fixtures with new LED fixtures in all its premises ensuring higher energy efficiency.

Bank has installed capacity of Roof Top Solar System to a tune of 262KWp.The details are as under;

DETAILS OF BANK OWNED BUILDING WHERE ROOF TOP SOLAR SYSTEM ALREADY INSTALLED (262KWp)	
Location	**Capacity of Installations**
Head Office, J C Road	52KWp
Bhopal CO Building	25KWp
Chennai CO Building	35KWp
Dehradun RO	40KWp
Hyderabad CO Building	40KWp
Mumbai CO Building	10KWp
Trivandrum CO Building	35KWp
Bengaluru CO - 5 Branches (Neralur,Thyamagondlu, Pattanayakanahalli,Peresandra, Rayalpad)	25KWp
Total capacity of installations already available (B)	**262KWp**

Further Bank has Initiated the installation of Roof Top Solar Power System at 67 own properties with a capacity of 2122KWp.

6. **Are the Emissions / Waste generated by the company within the permissible limits given by CPCB / SPCB for the financial year being reported?**

   The Bank is engaged in providing financial services and hence not applicable.

7. **Number of show cause / legal notices received from CPCB / SPCB which are pending (i.e. not resolved to satisfaction) as on end of Financial Year.**

   Nil

Principle 7: Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner

1. **Is your company a member of any trade and chamber or association? If Yes, Name only those major ones that your business deals with:**

   Yes.

क) भारतीय बैंक संघ (आईबीए)

ख) भारतीय बैंकिंग व वित्त संस्थान (आईआईबीएफ)

ग) बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस)

घ) राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएम)

ड.) भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई)

च) भारतीय समाशोधन निगम (सीसीआई)

2. **क्या आपने जनहित की उन्नति या सुधार के लिए उपरोक्त संघों के माध्यम से वकालत / पैरवी की है? हाँ / नहीं, यदि हाँ तो उन व्यापक क्षेत्रों के बारे में बताएं (गवर्नेंस और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा, सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, सतत व्यावसायिक सिद्धांत, अन्य)**

हाँ,

सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक होने के कारण बैंक को देश के सभी क्षेत्रों व सभी वर्गों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने का सामाजिक उत्तरदायित्व है। इसके अलावा, बैंक मोटे तौर पर देश के स्थायी विकास में योगदान देते हुए आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र में सुधार, समावेशी विकास और समान विकास, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्रों को शामिल करते हुए समय-समय पर भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए सभी नीतिगत निर्देशों / नियामक दिशा निर्देशों का पालन कर रहा है।

सिद्धांत 8: कारोबार को चाहिए कि समावेशी संवृद्धि और साम्यिक विकास का समर्थन करें।

1. **क्या कंपनी में सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के अनुसरण के लिए विशिष्ट कार्यक्रम / पहल / परियोजनाएं है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।**

बैंक ने सभी आबंटित गाँवों में 1123 ब्रिक व मोर्टार शाखाएं खोलने और 5267 बीसी एजेंटों के जरिए बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई हैं । आबंटित गांवों के अलावा, बैंक ने 3486 एजेन्टों को रखा और यह दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार बैंक के पास 8906 एजेंट हैं । जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए वहनीय खर्चे पर बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराना ही इसका उद्देश्य है । इसका कार्यावयन दो मॉडल यानी ब्रिक व मॉर्टर मॉडल और कारोबार प्रतिनिधि मॉडल के तहत किया गया।

a) Indian Banks' Association (IBA)

b) Indian Institute of Banking and Finance (IIBF)

c) Institute of Banking Personnel Selection (IBPS)

d) National Institute of Bank Management (NIBM)

e) National Payments Corporation of India (NPCI)

f) The Clearing Corporation of India (CCI)

2. **Have you advocated / lobbied through above associations for the Advancement or improvement of public good? Yes / No; if yes specify the broad areas (drop box: Governance and Administration, Economic Reforms, Inclusive Development Policies, Energy, security, Water, Food Security, Sustainable Business Principles, Others)**

Yes,

The Bank, being one of the public sector banks of India, is driven by the social objective of extending the benefits of the banking services to all regions of the country and to all classes of people. Further, the Bank is adhering to all the policy directions/ regulatory guidelines issued by Government of India and the Reserve Bank of India from time to time broadly covering the areas of economic and financial sector reforms, inclusive growth and equitable development, national priorities and food security contributing to sustainable development of the country.

Principle 8: Businesses should support inclusive growth and equitable development

1. **Does the company have specified programmes / initiatives / projects in pursuit of the policy related to Principle 8? If yes details thereof.**

Bank has provided Banking facilities in all the allotted villages by opening 1123 brick & mortar branches and engaging 5267 BC agents. Apart from the allotted villages, bank has engaged 3486 agents total comprising of 8906 agents as on 31.03.2022. The objectives are to provide the banking services at affordable cost in order to improve their standard of living. The implementation was done under two models, viz., Brick and Mortar model and Business Correspondent model.

बैंक ने मौजूदा मोबाइल बीसी मॉडल के बदले दिसंबर 2018 के दौरान नई हाइब्रिड कियोस्क मॉडल बीसी सेवाएं शुरू की हैं। नए हाइब्रिड मॉडल के तहत, बीसी एजेंट 4 घंटे के लिए निर्धारित स्थानों (बैंक बिजनेस आउटलेट्स) में काम करेंगे और उसके बाद वे आबंटित गाँव / क्षेत्र के ग्रामीण लोगों विशेष कर वृद्ध लोगों और वरिष्ठ नागरिकों को उनके घर पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करेंगे।

नया हाइब्रिड मॉडल बैंकिंग उद्योग में अद्वितीय और अपनी तरह का पहला मॉडल है। नए मॉडल के तहत, सामान्य हैंड हेल्ड मशीन (एचएचएम) के बजाय टैब का उपयोग किया जा रहा है।

बीसी सभी वित्तीय और गैर-वित्तीय सेवाएं प्रदान करेंगे जैसे खाता खोलना, एईपीएस लेनदेन, नकद रसीदें, नकद भुगतान और रूपे कार्ड तथा निधि अंतरण आदि के माध्यम से लेन-देन। एईपीएस और रूपे कार्ड सेवाएँ न केवल अपने बैंक के ग्राहकों के लिए है, बल्कि अन्य बैंक ग्राहकों के लिए भी प्रदान की गई है।

बीसीए, ऋण आवेदन भी प्राप्त करेंगे, छोटे मूल्य की जमाराशियों का प्रचार (कैनवास), सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की स्रोतीकरण (सोर्सिंग) और छोटे मूल्य के ऋणों की वसूली आदि करेंगे।

जिला/ब्लॉक स्तर पर 115 एफएलसी कार्य कर रहे हैं, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 20,545 कैंप आयोजित किए गए, जिसके माध्यम से 13.32 लाख लोगों को शिक्षित किया गया और 64,738 लोगों को परामर्श दिया गया।

2 **क्या कार्यक्रम / परियोजना इन-हाउस टीम के माध्यम से / स्व-संस्थान / बाह्य गैर सरकारी संस्था / सरकारी संस्था / या कोई अन्य संस्था के माध्यम से किए जाते हैं?**

वित्तीय समावेशन परियोजना इन-हाउस टीम की सहायता से लागू की गयी । बैंक में वित्तीय समावेशन विभाग के तहत एक अलग वित्तीय समावेशन अनुभाग है जिसके प्रमुख एक महा प्रबंधक है । बैंक केनरा वित्तीय सलाहकार ट्रस्ट के माध्यम से वित्तीय साक्षरता का प्रचार कर रहा है।

ट्रस्ट / सोसाइटियां निम्नसूचित हैं, जिनके माध्यम से बैंक उन परियोजनाओं के कार्यान्वयन कर रहा है और जो प्रभावी रूप से लोगों और समाज के लिए लाभदायक हैं:

1. केनरा बैंक शताब्दी (सेंटेनरी) ग्रामीण विकास न्यास
2. केनरा बैंक वित्तीय सलाहकारी न्यास
3. केनरा बैंक जुबली एजुकेशन फंड
4. केनरा राहत व कल्याण सोसाइटी

बैंक अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के तहत इन्हीं न्यासों की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेता है तथा निधि भी प्रदान करता है ।

Bank has introduced new Hybrid Kiosk Model BC services during December 2018 in lieu of the existing Mobile BC model. Under the new Hybrid model, the BC Agents will work for 4 hours in fixed locations (Bank Business Outlets) and thereafter they will be covering villages / areas allotted to them for servicing the rural folk especially old aged people and Senior Citizens, at their door steps.

The new Hybrid model is unique and first of its kind in Banking Industry. Under the new model, the TAB is being used instead of normal Hand Held Machines (HHMs).

The BCs will provide all financial and non-financial services such as opening of accounts, AEPS transactions, cash receipts, cash payments, and transactions through RuPay card, Funds Transfer etc. The AEPS and RuPay card services are extended not only to bank's own customers, but to other bank customers also.

BCAs will also source loan applications, canvass small value deposits, sourcing of social security schemes and recovery of small value loans etc.

115 FLCs are functioning at District / Block level and conducted 20,545 camps through which 13.32 lakh people were educated & 64,738 people were counselled during the financial year 2021-22.

2. **Are the programmes / projects undertaken through in-house team / own foundation / external NGO / Government structures / any other organization?**

The financial inclusion projects have been undertaken with the help of an in-house team. The Bank has a separate Financial Inclusion Section under Financial Inclusion Wing, headed by a General Manager. Bank is propagating financial literacy through Canara Financial Advisory Trust.

Following are the Trusts / Societies wherein Bank is involved for taking up of the projects which have created an impact in serving the people and the society:

1. Canara Bank Centenary Rural Development Trust
2. Canara Financial Advisory Trust
3. Canara Bank Jubilee Education Fund
4. Canara Relief & Welfare Society

Bank continues to actively fund and also involve in the activities of these Trusts under its CSR.

3. **क्या आपने अपनी पहल के प्रभाव का कोई आकलन किया है?**

हाँ ।

बैंक की पहल का प्रमुख प्रभाव अपने ग्राहकों को उत्पादों का वितरण करना है। मुख्य वितरण योग्य उत्पाद हैं:

31.03.2022 तक, केनरा बैंक द्वारा ₹7,052.51 करोड़ के कासा बकाया के साथ 149.16 लाख पीएमजेडीवाई खाते खोले गए।

सभी 8906 कारोबर प्रतिनिधि एजेंटों (बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट एजेंटों) ने वर्ष 2021–22 के दौरान ₹18,905 करोड़ की राशि के 4.47 करोड़ लेनदेन किए हैं।

बैंकिंग सेवा रहित ग्रामीणों को मूलभूत बचत जमा खाता, पीएमजेडीवाई ओवरड्राफ्ट सुविधाएं, ऋण सुविधा जैसे सामन्य क्रेडिट कार्ड योजना, विभिन्न ब्याज पर योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ऋण अदला-बदली (स्वेपिंग) योजना, स्वयं सहायता समूह और कई साख उत्पाद उपलब्ध कराए गए।

बैंक ने वर्ष 2020–21 के दौरान सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेवाई) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) दोनों के तहत क्रमशः 73,903 और 1,71,790 नामांकन किए गए हैं। अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत 6,91,541 खाते जुटाए गए।

4. **सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है - राशि रूपयों में तथा परियोजनओं का विवरण प्रस्तुत करें।**

बैंक ने विभिन्न सामुदायिक विकास और सामाजिक-आर्थिक कल्याण गतिविधियों में लगे संगठनों को ₹50.96 करोड़ की राशि मंजूर की । (कृपया बिंदु 5 का भाग बी का संदर्भ लें)

5. **क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि समुदाय द्वारा इस सामुदायिक विकास पहल को सफलतापूर्वक अपनाया जाए? कृपया 50 शब्दों में बताएं।**

बैंक द्वारा सीएसआर प्रस्तावों को मंजूरी देने से पहले संगठन के बारे में समुचित सावधानी रिपोर्ट प्राप्त की जाती है और बैंक द्वारा स्वीकृत सीएसआर निधियों के अंतिम उपयोग पर प्राप्तकर्ता संगठन / संस्थान से पुष्टि प्राप्त की जाती है।

3. **Have you done any impact assessment of your initiative?**

Yes.

Major impact of the Bank initiatives is the delivery of the products to its customers. The major deliverables are:

As at 31.03.2022, 149.16 Lakh PMJDY accounts opened by Canara Bank with CASA outstanding of ₹7,052.51 Cr.

All the 8906 Business Correspondent Agents have carried out 4.47 Crores transactions amounting to ₹18,905 Crores during the year 2021-22.

The unbanked rural people are provided with Basic Savings Deposit Accounts, PMJDY Overdraft Facilities and credit facilities under products like Differential Rate of Interest Scheme, Kisan Credit Card Scheme, Debt Swapping Scheme, SHG and various other credit products.

The Bank has implemented social security schemes successfully during the Financial year 2021-22 with 73,903 and 1,71,790 enrollments in PMJDY accounts under Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) & Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY). Under Atal Pension Yojana (APY) 6,91,541 accounts were mobilized.

4. **What is your company's direct contribution to community development projects - Amount in INR and the details of the projects undertaken.**

The Bank has sanctioned a sum of ₹50.96 Crores under CSR for various community development and socio-economic welfare activities (Pl. refer to Section B Point No.5).

5. **Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community? Please explain in 50 words, or so.**

The Bank obtains due diligence report about the donee organization prior to sanctioning of CSR proposals and confirmation from the donee organization / Institute on the end use of the CSR funds sanctioned by the Bank is obtained.

परियोजनाओं के लिए उपदान विभिन्न चरणों पर विकास कार्यों के प्रगति के आधार पर तथा साइट पर पूर्व–विकासात्मक व विकासोपरांत दौरा के पश्चात संवितरित किया जाता है। परियोजनाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने वाले समुदाय के सदस्यों को शामिल करते हुए सार्वजनिक समारोह आयोजित करके उपदान प्रदान की जाती है।

बैंक के पास यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र है जिससे समुदाय विकास प्रक्रिया को अपना रहा है।

सिद्धांत 9: कारोबार को एक जिम्मेदार तरीके से अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं के साथ जोड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए।

1. **वित्त वर्ष की समाप्ति पर कितने प्रतिशत ग्राहक शिकायतें / उपभोक्ता मामले लंबित हैं?**

   वित्त वर्ष की समाप्ति पर 2,08,960 ग्राहक शिकायतों में से 1837 (0.88%) लंबित थी।

2. **क्या कंपनी स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य रूप से उत्पाद की जानकारी को उत्पाद लेबल पर प्रदर्शित करती है? हां / नहीं / लागू नहीं/टिप्पणी (अतिरिक्त जानकारी) :**

   हाँ।

   बैंक के उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी पैम्फलेट्स और ब्रोशर के माध्यम से शाखाओं में उपलब्ध करायी जाती है और इसे बैंक की वेबसाइट में भी उपलब्ध करायी गयी है।

3. **क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुचित कारोबार व्यवहार, गैर जिम्मेदार विज्ञापन और / या प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के किसी भी मामले के बारे में कंपनी के खिलाफ किसी भी शेयरधारक द्वारा मामला दायर किया गया है और जो वित्त वर्ष की समाप्ति तक लंबित है? यदि ऐसा है तो 50 शब्दों में विवरण दें।**

   शून्य।

4. **क्या आपकी कंपनी ने किसी भी उपभोक्ता सर्वेक्षण / उपभोक्ता संतुष्टि रुझान का पता लगाया है?**

   हाँ।

   ग्राहकों की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए बैंक के पास एक तंत्र है। यह एसएमएस आधारित ग्राहक सेवा प्रतिक्रिया तंत्र शाखाओं में ग्राहकों की संतुष्टि के स्तर को माप सकता है।

The assistance for the projects is disbursed in stages depending upon the progress of the developmental work and after conducting pre-developmental and post-developmental site visits. The assistance is handed over by organizing public function involving the community members ensuring their participation in the projects.

The Bank has a mechanism to ensure that the community adapts to the developmental process.

Principle 9: Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner.

1 **What percentage of customer complaints / consumer cases are pending as on the end of financial year?**

1837 (0.88%) of the 2,08,960 customer complaints received were pending as at the end of the financial year .

2. **Does the company display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes / No / N.A. / Remarks(additional information) :**

   Yes.

   The information about the products and services offered by the Bank are made available in the branches through pamphlets and brochures and is also made available in the Bank's website.

3. **Is there any case filed by any stakeholder against the company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and / or anti-competitive behavior during the last five years and pending as on end of financial year? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.**

   Nil.

4. **Did your company carry out any consumer survey / consumer satisfaction trends?**

   Yes.

   Bank has in place a mechanism to capture the Customer Feedback. This SMS based Customer Service Feedback mechanism can measure customer satisfaction levels at branches.

तंत्र के तहत, शाखाओं में काउंटरों पर चुनिंदा लेनदेन के पूरा होने के बाद एक एसएमएस चालू हो जाता है। ग्राहक को लेनदेन के 'मेकर' और 'चेकर' के विवरण के साथ लेनदेन की प्रकृति का विवरण प्रदान किया जाता है। ग्राहक तब उसमें दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और शाखा में अपने अनुभव का मूल्यांकन कर सकते हैं।

प्रस्तुत ग्राहक रेटिंग के आधार पर विशेष ग्राहक सेवा प्रदान करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए, ग्राहक सेवा के लिए रेट किए गए शीर्ष 4 कर्मचारियों को ग्राहक सेवा चैंपियन के रूप में मान्यता दी जाती है और प्रत्येक तिमाही प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में पुरस्कृत किया जाता है।

पर्यावरण, समाज और शासन आचरण संबंधी पहल

पर्यावरण

- पर्यावरण हितैषी क्षेत्रों में लगी कंपनियों को ₹30400 करोड़ का ऋण प्रवाह
- प्रधान कार्यालय और बैंक के स्वामित्व वाली सभी संपत्तियों में वर्षा जल संचयन के माध्यम से जल संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित किया जाता है।
- बैंक ने क्रेडिट जोखिम प्रबंधन के लिए मास्टर नीति में ईएसजी से संबंधित जोखिम को एक रणनीतिक प्राथमिकता के रूप में शामिल करने का भी प्रस्ताव किया है।
- बैंक ने पेंशनभोगियों के लिए दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली, ई–पासबुक, ई–अवशिष्ट का निपटान, घर से व्यापक समाधान, वीडियो केवाईसी और जीवन प्रमाण जैसी हरित पहल की है।

सामाजिक

- बैंक ने ट्रस्ट और संस्थान स्थापित किए हैं - केनरा सेंटेनरी रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट, केनरा फाइनेंशियल एडवाइजरी ट्रस्ट, केनरा गोल्डन जुबली एजुकेशन फंड, केनरा रिलीफ एंड वेलफेयर सोसाइटी, जिसने बड़े पैमाने पर लोगों और समाज को प्रभावित किया है।
- देश भर के ग्रामीण केंद्रों और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों में बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए बैंक के 39 आरएसईटीआई और 27 आरयूडीएसईटीआई खोले हैं।
- सीएसआर के तहत सरकारी स्कूलों को बुनियादी ढांचा और कुछ अन्य आवश्यक सुविधाएं, सरकारी अस्पतालों में एम्बुलेंस

Under the mechanism, an SMS is triggered after completion of select transactions over the counters at branches. The customer is provided details of the nature of transaction along with details of Maker and Checker of the transaction. The customer can then click on a link provided therein and rate his experience at the branch.

In order to encourage staff delivering exceptional customer service based on the customer ratings submitted, the Top 4 employees rated for customer service are recognized as Customer Service Champions and rewarded at each Regional Office every quarter.

Initiatives in Environmental, Social and Governance (ESG) Practices

Environmental

- Credit flow to the companies engaged in Environment Friendly Sectors to the tune of ₹30400 crore.
- Efficient utilization of water resources is ensured at HO and all Bank owned properties through Rain water harvesting.
- Bank has also proposed to incorporate ESG related risk as a strategic priority in the Master Policy for Credit Risk Management.
- Bank has taken Green initiatives such as Document Management System, E-passbook, Disposal of e-waste, comprehensive work from home solution, video KYC and Jeevan Pramaan for pensioners.

Social

- Bank has set up Trusts and Institutions - Canara Centenary Rural Development Trust, Canara Financial Advisory Trust, Canara Golden Jubilee Education Fund, Canara Relief and Welfare Society which have impacted the people and Society at large.
- Bank has 39 RSETIs and 27 RUDSETIs in Rural Centers and Institutes for Information Technology across the country for imparting training to unemployed youth.
- Under CSR many programmes are planned to reduce the burden of the Governments by

वैन और चिकित्सा उपकरण, गांवों / स्कूलों में शौचालयों का निर्माण आदि की सुविधा प्रदान करके सरकार के बोझ को कम करने के लिए कई कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है।

शासन

- बैंक ने सभी हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए अपने पदानुक्रम में एक निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह कॉर्पोरेट प्रशासन संरचना स्थापित की है।
- कार्यकारी प्रबंधन की निगरानी और बैंक के महत्वपूर्ण कार्यों की निगरानी के लिए मजबूत नीतियों द्वारा समर्थित एक प्रभावी तंत्र है।
- ग्राहकों के लिए उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र है।
- बैंक ने ग्राहकों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक प्रणाली आधारित केनरा लोक शिकायत निवारण प्रणाली (सीपीजीआरएस) विकसित की है।

providing infrastructure and some other necessary facilities to Govt Schools, Ambulance Van & Medical Equipments to Govt Hospitals, construction of toilets at villages / schools etc.

Governance

- The Bank has in place a fair, transparent & accountable Corporate Governance structure across its hierarchy to safeguard the interests of all stakeholders.
- There is an effective mechanism, supported by strong policies to supervise the Executive Management and oversee the critical functions of the Bank.
- There is an effective grievance redressal mechanism for customer to address their concerns.
- Bank has developed a system based Canara Public Grievance Redressal System (CPGRS) for the Customers to address the concerns.

केनरा बैंक
भारत सरकार का उपक्रम
Canara Bank
A Government of India Undertaking
सिंडिकेट Syndicate
Together We Can

कॉरपोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट

2021-2022

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

कॉरपोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट

1) **कॉरपोरेट अभिशासन पर बैंक का सिद्धांत**

"कॉर्पोरेट अभिशासन सारे शेयरधारकों के सुस्थिर विकास हेतु संपदा के प्रभावी प्रबंधन और वितरण तथा सामाजिक दायित्व निभाने के लिए सर्वोत्तम प्रबंधन आचरणों का अनुप्रयोग, सही मायने में कानून का अनुपालन एवं नैतिक मानकों का अनुसरण होता है।"

केनरा बैंक की संकल्पना आस्ति संविभाग, ग्राहकोन्मुखता, उत्पाद नवोन्मेषण, लाभप्रदता के क्षेत्रों में सर्वोत्तम आचरण तथा शेयरधारकों को संवर्धित मूल्य प्रदान करने के साथ-साथ विश्व स्तरीय बैंक के रूप में उभरना है। इस संकल्पित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अपने प्रयासों में बैंक, कॉर्पोरेट गवर्नेन्स की प्रभावी प्रणाली पर अधिकतम जोर दे रहा है। निदेशक मंडल, वरिष्ठ प्रबंधन तंत्र और कार्यपालकों के बीच में अंतर्वार्तालाप इस प्रकार से परिभाषित है कि उसकी एक बेहतरीन और अलग भूमिका हो ताकि खास तौर पर अपने शेयरधारकों को और आम तौर पर जनता को संवर्धित मूल्य प्राप्त हो सके।

समग्र उद्देश्य कंपनी मूल्यों, आचार संहिताओं तथा समुचित व्यवहार के अन्य मानकों के पालन के ज़रिए समस्त हितधारक-जमाकर्ताओं, शेयरधारकों, ग्राहकों, उधारकर्ताओं, कर्मचारियों और समाज को इष्टतम सुस्थिर मूल्य उपलब्ध कराना है।

2) **निदेशक मंडल**

बैंक के निदेशक मंडल का गठन, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण तथा अंतरण) अधिनियम 1970 (यथा संशोधित) की धारा 9(3) एवं राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (यथा संशोधित) के अनुसार किया गया है।

बैंक के बोर्ड में गणमान्य व्यक्ति हैं, जिन्होंने बैंकिंग और तत्संबंधी अन्य क्षेत्रों में अपने बहुविध एवं दीर्घकालिक अनुभवों से बैंक की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान प्रदान किया है।

ए) बोर्ड के सदस्यों की संरचना एवं बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण परिशिष्ट "क" और "ख" में दिये गये हैं।

बी) निदेशक मंडल के कौशल / विशेषज्ञता / क्षमताएं:

Report on Corporate Governance

1) **Bank's philosophy on Corporate Governance**

"Corporate Governance is the application of best management practices, compliance of law in true letter and spirit and adherence to ethical standards for effective management and distribution of wealth and discharge of social responsibility for sustainable development of all stakeholders."

The vision of Canara Bank is to emerge as a World-class Bank with best practices in the realms of Asset Portfolio, Customer Orientation, Product Innovation, Profitability and enhanced value for stakeholders. In its endeavour to attain the goal visualized, the bank is laying maximum emphasis on the effective system of Corporate Governance. The interaction between the Board, Senior Management and the Executives is so configured as to have a distinctly demarcated role so as to derive enhanced value to its stakeholders in particular and society in general.

The overall objective is to optimize sustainable value to all stakeholders-depositors, shareholders, customers, borrowers, employees and society through adherence to Corporate values, Codes of conduct and other standards of appropriate behavior.

2) **Board of Directors**

The Board of the Bank has been constituted under Section 9(3) of the Banking Companies {Acquisition & Transfer of undertaking} Act 1970 (as amended) and Nationalized Bank (Management & Miscellaneous Provision) Scheme 1970 (as amended).

The Board of the Bank consists of eminent personalities, who through their rich and varied experiences in Banking and other related fields have made significant contribution towards the progress of the bank.

a) The composition of members of the Board and the details of attendance at the meetings are given in appendix A & B.

b) Skills / Expertise / Competencies of the Board of Directors:

बैंक के कारोबार के संदर्भ में अपेक्षित मुख्य कौशल/ विशेषज्ञता / क्षमताओं की सूची निम्नलिखित हैं। बोर्ड के सदस्यों के पास उक्त कौशल हैं:

i. बैंक के कारोबार (विशेष रूप से ऋण और अग्रिम और जमा),नीतियों और संस्कृति (मिशन, दृष्टिकोण और मूल्यों सहित) बड़े जोखिम / खतरे और संभावित अवसरों और उद्योग, जिसमें बैंक संचालित होता है, के बारे में ज्ञान।

ii. व्यापार रणनीति, साख और जोखिम प्रबंधन सूचना प्रौद्योगिकी / डिजिटलीकरण, पूंजी उपयोग की दक्षता, व्यवसाय की वृद्धि, एनपीए प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, बाहरी क्रेडिट रेटिंग में सुधार, संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार की पहल, पूंजी संरक्षण और मानव संसाधन पहल के लिए कौशल विकास और प्रतिभा प्रबंधन करना।

iii. व्यावहारिक कौशल - बैंक के विकास में प्रभावी रूप से योगदान करने के लिए अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करने की विशेषताएं और दक्षताएं

iv. वित्तीय और प्रबंधन कौशल

v. बैंकिंग के व्यवसाय के संबंध में तकनीकी / व्यावसायिक कौशल और विशेष ज्ञान

सी) यथा दिनांक 31.03.2022 को बैंक के किसी भी निदेशक का आपस में कोई संबंध नहीं है।

डी) निदेशक मंडल की राय है कि स्वतंत्र निदेशक इन विनियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और वे प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

ई) वित्त वर्ष 2021–2022 के दौरान निदेशकों को दिए गए परिचितीकरण (फेमिलियराइजेशन) कार्यक्रमों का विवरण बैंक की वेबसाइट के निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: www.canarabank.com/User_page.aspx?othlink=405

बोर्ड / निदेशक मूल्यांकन

कंपनी अधिनियम और सेबी लिस्टिंग नियमों के प्रावधानों के लिए अपेक्षित है कि बोर्ड, समितियों और निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन वार्षिक आधार पर किया जाए। केनरा बैंक के निदेशक मंडल का संयोजन और शर्तें "बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970" इस अधिनियम के माध्यम से अभिशासित की जाती हैं, अर्थात् इस संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 / 2013 के प्रावधान लागू नहीं है।

The following are the list of core skills / expertise / competencies identified as required in the context of the Bank's business. The said skills are available with the Board Members:

i. Knowledge on Bank's businesses (especially loans, advances and deposits), policies and culture (including the Mission, Vision and Values) major risks / threats and potential opportunities and knowledge of the industry in which the Bank operates.

ii. Business Strategy, Credit & Risk Management, Information Technology / Digitization, Efficiency of Capital use, Growth of Business, NPA Management, Financial Inclusion, Improvement in external Credit Rating, Initiative to improve Asset Quality, to Conserve Capital and HR initiatives for Skill Development and Talent Management.

iii. Behavioral skills - attributes and competencies to use their knowledge and skills to contribute effectively to the growth of the Bank

iv. Financial and Management skills

v. Technical / Professional skills and specialized knowledge in relation to Banking business

c) None of the Directors of the Bank have any relationships inter-se as on 31.03.2022.

d) In the opinion of the Board, independent directors fulfill the conditions specified in these regulations and are independent of the management.

e) The details of familiarization programmes imparted to directors during FY 2021-2022 are available on Bank's website at the following link: www.canarabank.com/User_page.aspx?othlink=405.

Board / Director Evaluation

The provisions of the Companies Act and the SEBI Listing Regulations require that the performance evaluation of the Board, the committees and directors to be carried out on an annual basis. The Composition & terms of reference of Board of Directors of Canara Bank is governed through "Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970", i.e., the Act, meaning thereby the provision of the Companies Act, 1956 / 2013 in this

अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अनुसरण में केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों के बीच से चुने गए 3 निदेशकों को छोड़कर सभी निदेशकों को अधिनियम की धारा 9(3) के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार द्वारा नियुक्त / नामित किया जाता है। बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक / भारत सरकार के दिशानिर्देशों द्वारा विनियमित किया जाता है। तीन शेयरधारक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) और बैंकिंग कंपनी अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) के खंड (जी) और (एच) (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) / अधिनियम 1980 (स्वतंत्र निदेशक) के तहत नामित स्वतंत्र निदेशक, आरबीआई / भारत सरकार के दिशानिर्देशों की अवश्यक शर्तों का पूरा करते हैं और प्रबंधन से भी स्वतंत्र होते है।

बोर्ड वित्तीय सेवाएं विभाग,वित्त मंत्रालय,भारत सरकार (मंत्रालय) के पत्र क्रमांक सं.12/1/2014-बीओए दिनांक 18.08.2015 के अनुसार, मात्रात्मक और गुणात्मक मापदंडों के मूल्यांकन के लिए प्रमुख निष्पादन संकेतक (केपीआई) के अनुसार मूल्यांकन मैट्रिक्स का उपयोग कर संवर्धित अभिगम और सेवा उत्कृष्टता (ईएएसई) के अनुरूप पीएसबी सुधार एजेंडा के कार्यान्वयन के लिए भारांक के साथ निदेशक मंडल पूर्णकालिक निदेशकों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करता है। केपीआई सूचकांक व्यापक रूप से पूंजी के उपयोग की दक्षता, व्यवसाय की वृद्धि, एनपीए प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, बाहरी ऋण मानदंड में सुधार, संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार की पहल, कौशल विकास और प्रतिभा प्रबंधन के लिए पूंजी संरक्षण और मानव संसाधन पहलों को व्यापक रूप से प्रावरित करते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कंपनी अभिशासन में सुधार के लिए भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) के अभिशासन में सुधार संबंधी अधिसूचना संख्या एफ.नं.6/20/2019-बीओ.आई दिनांक 30.08.2019 के माध्यम से अधिसूचित किया है। सरकार ने गैर-सरकारी निदेशकों को, बैंकिंग कंपनी की धारा 9(3) के खंड (जी) और (एच) के तहत नामित गैर-सरकारी निदेशकों को उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 / 1980 (अधिनियम), के तहत नामित करने के साथ ही गैर-कार्यकारी अध्यक्ष को राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना के खंड 5(1), 1970 / 1980 के तहत नियुक्त करने के लिए निर्दिष्ट किया जो कि कंपनी अधिनियम के तहत परिभाषित "स्वतंत्र निदेशकों" के समान है, और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कॉर्पोरेट प्रशासन में सुधार के लिए निष्पादन मूल्यांकन उपायों को स्थापित किया है।

शेयरधारकों निदेशकों / स्वतंत्र निदेशकों का मूल्यांकन वार्षिक आधार पर किया जा रहा है।

बोर्ड की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाती है।

regard are Not Applicable. All the Directors, except 3 directors elected amongst the Shareholders other than Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act, are appointed / Nominated by Government of India pursuant to the provisions under Section 9(3) of the Act. The Bank is regulated by Reserve Bank of India / GOI guidelines. The three Shareholder Directors (Independent Directors) & non-official directors nominated under clauses (g) and (h) of section 9(3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 (Act) (Independent Directors), fulfill the necessary conditions as per the RBI / GOI guidelines and are also independent of the Management.

The Board evaluates the performance of whole-time directors using an evaluation matrix as per the key performance indicators (KPIs) for the assessment of Quantitative & Qualitative parameters as advised by Department of Financial Services, Ministry of Finance, GOI ("Ministry") vide their letter No.F.No.12/1/2014-BOA dated 18.08.2015 along with the weightage of marks for implementation of the PSB Reforms Agenda under Enhanced Access & Service Excellence (EASE). The KPI indicators broadly cover efficiency of capital use, growth of business, NPA management, financial inclusion, improvement in external credit rating, initiative to improve asset quality, to conserve capital and HR initiatives for skill development and talent management.

Government of India with a view to improve corporate governance in PSBs notified PSB Governance Reforms vide notification F.No.6/20/2019-BO.I dated 30.08.2019. The Government referred the non-official directors nominated under clauses (g) and (h) of section 9(3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 / 1980 (Act), including non - executive chairman appointed under clause 5(1) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980 to be similar in nature to "Independent Directors" defined under Companies Act and instituted the performance evaluation measures to improve the corporate governance in PSBs.

The evaluation of shareholders directors / independent directors is being done on annual basis.

Transparency and independence in functioning of the Board is ensured.

3) लेखापरीक्षा समिति

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) का गठन, बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक / भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।

एसीबी समिति बैंक के समग्र लेखापरीक्षा कार्य के पर्यवेक्षण के साथ-साथ निदेश भी प्रदान करती है।

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के मुख्य कार्य निम्नवत् हैं:

क.	बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करना एवं सही, पर्याप्त एवं विश्वसनीय प्रकटन सुनिश्चित करना।
ख.	लेखांकन नीतियों और व्यवहारों पर विशेष बल देते हुए वित्तीय विवरणों से संबंधित लेखांकन मानदंडों और कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रबंधन तंत्र के साथ वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना, तथा
ग.	बाह्य एवं आंतरिक लेखापरीक्षा, आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता, गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता की समीक्षा करना, वार्षिक लेखा और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने के पहले बाह्य लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा करना
घ.	बैंक की वित्त एवं जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करना।

एसीबी लेखापरीक्षा समिति द्वारा दीर्घ प्रारूप लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर) में उठाये गये मामलों की स्थिति की समीक्षा करती है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों / मामलों का अनुवर्तन एवं अनुपालन कक्ष, अंतर–शाखा लेखा समाधान अनुभाग (आईबीएआर) आदि से प्राप्त रिपोर्टों की समीक्षा भी करती है ।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पत्र आरबीआई/2010–11/269–डीबीएस.एआरएस.बीसीसंख्या: 4/08.91.20/ 2010–11, दिनांक 10.11.2010 द्वारा कैलेंडर आधारित समीक्षा के बारे में सूचित किया है जिसे बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति को अमल करना है । इन मदों को आवधिक समीक्षा के लिए बैंक की कार्पोरेट अभिशासन नीति में शामिल किया गया है और इन्हें विधिवत् रूप से कैलेंडर आधारित समीक्षा के मुताबिक लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखा जाता है।

3) Audit Committee

The Audit Committee of the Board (ACB) is constituted by the bank as per guidelines of Reserve Bank of India / Government of India.

ACB provides directions and also oversees the operation of the total audit function of the Bank.

The major functions of the committee are as under:

a.	To oversee the bank's financial reporting process and ensuring correct, adequate and credible disclosure of financial information.
b.	To review with the management, the financial statements with special emphasis on accounting policies and practices, compliance with accounting standards and other legal requirements, concerning financial statements and
c.	To review the adequacy, quality and effectiveness of external and internal audit, internal control system, interaction with external auditors before finalization of Annual accounts and reports.
d.	To review Bank's finance and risk management policies.

ACB also reviews the position with regard to issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR), follow-up on the issues / concerns raised in the Inspection Report of RBI, and also makes a review of reports received from Compliance Cell, Inter-Branch Account Reconciliation (IBAR) section, etc.

The Reserve Bank of India, vide their letter RBI / 2010-11 / 269-DBS.ARS.BC.NO.4 / 08.91.20 / 2010-11, dated 10.11.2010, conveyed the Calendar of Reviews to be followed by the Audit Committee of the Board. These items have been incorporated in the Corporate Governance Policy of the Bank for periodical review and are duly placed before the Audit Committee as per Calendar of Reviews.

लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों के गठन एवं बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण परिशिष्ट 'क' एवं 'ख' में दिये गये हैं ।

4) **नामांकन और पारिश्रमिक समिति**

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के संप्रेषण संदर्भ संख्या एफ.सं.16/19/2019–बीओ.I दिनांक 30.08.2019 के आधार पर दिनांक 30.09.2019 को जारी किए गए निदेशक मंडल के आदेशों के अनुसार।

समिति के प्रमुख कार्य

ए) नीचे उल्लिखित व्यापक मानदंडों के आधार पर मौजूदा निर्वाचित निदेशकों / प्रस्तावित उम्मीदवारों की "उपयुक्त और उचित" स्थिति का निर्धारण करें:

- शैक्षिक योग्यता
- अनुभव और विशेषज्ञता का क्षेत्र
- ट्रैक रिकॉर्ड और ईमानदारी

(उपरोक्त सूची केवल उदाहरणस्वरूप है और यह संपूर्ण नहीं है)

बी) समिति को यह देखना चाहिए कि क्या उपरोक्त किसी भी मानदंड का पालन न करने से मौजूदा निर्वाचित निदेशक/ प्रस्तावित उम्मीदवार को बैंक बोर्ड में निदेशक के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने में बाधा उत्पन्न होगी।

सी) इसके अलावा, किसी भी प्राधिकरण / नियामक एजेंसी से प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त करने वाले या किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से किसी भी ऋण की दिवालिया या चूक करने वाले उम्मीदवार, बैंक के बोर्ड में निदेशक बनने के लिए अपात्र और अनुचित करार दिए जाएंगे।

डी) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों को कार्य निष्पादन आधारित प्रोत्साहन

नामांकन और पारिश्रमिक समिति के सदस्यों का गठन और बैठकों में उपस्थिति का विवरण परिशिष्ट 'ए' और 'बी' में दिया गया है।

5) **निदेशकों को पारिश्रमिक**

क) भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार निदेशकों को पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है।

The composition of members of Audit Committee and the details of attendance at the meetings are given in Appendix A & B.

4) **Nomination and Remuneration Committee**

In terms of orders of the Board of Directors on 30.09.2019 based on DFS, MoF, GoI communication Ref.No F.No.16/19/2019-BO.I dated 30.08.2019

Major function of the committee

a) Determine the "Fit and Proper" status of the existing elected directors / proposed candidates based on the broad criteria as mentioned hereunder:

- Educational Qualification
- Experience and Field of Expertise
- Track Record and Integrity

(The above list is only illustrative and not exhaustive)

b) The committee should see whether the non-adherence to any of the above criteria would hamper the existing elected director / proposed candidate from discharging the duties as a director on the board of the Bank.

c) Further, the candidate coming to the adverse notice of any authority / regulatory agency or insolvency or default of any loan from any bank or financial institution would make the candidate unfit and improper to be a director on the board of the Bank.

d) Performance Linked Incentives to Whole-time Directors of Public Sector Banks

The composition of members of Nomination and Remuneration Committee and the details of attendance at the meetings are given in appendix A & B.

5) **Remuneration to Directors**

a) Remuneration to Directors is paid as per Government of India guidelines. The details of salary paid to the

वर्ष 2021–22 के दौरान बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को दिए गए वेतन का विवरण निम्नानुसार है:

नाम	पदनाम	अवधि	राशि (₹)
श्री एल वी प्रभाकर	प्र.नि.व.मु. का.अ.	01.04.2021 - 31.03.2022	36,89,417.00
श्री देवाशीष मुखर्जी	का. निदेशक	01.04.2021 - 31.03.2022	33,46,777.00
सुश्री ए मणिमेखलै	का. निदेशक	01.04.2021 - 31.03.2022	32,50,311.00
श्री के सत्यनारायण राजू	का. निदेशक	01.04.2021 - 31.03.2022	29,97,945.63
श्री बृज मोहन शर्मा	का. निदेशक	19.05.2021- 31.03.2022	27,17,759.37
श्री मटम वेंकट राव	भूतपूर्व का. निदेशक	कार्यपालक निदेशक (28.02.2021 तक)	1,03,422.87
श्री कृष्णन एस	भूतपूर्व का. निदेशक	कार्यपालक निदेशक (01.04.2020 से 03.09.2020 तक)	48,305.29
कुल			**1,61,53,938.16**

क) गैर कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित बैठक शुल्क के अलावा किसी भी प्रकार के पारिश्रमिक राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। गैर-कार्यपालक निदेशकों को बैठक शुल्क का भुगतान, राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 के प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड और बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। वर्ष 2021-22 के दौरान निदेशकों को भुगतान किए गए बैठक शुल्क का विवरण परिशिष्ट 'ग' में दिया गया है। (पूर्णकालिक निदेशकों और भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधि निदेशकों के लिए कोई बैठक शुल्क देय नहीं है।)

6) हितधारक संबंध समिति

इस समिति द्वारा शेयरों का अंतरण, तुलन पत्र प्राप्त न होना, घोषित लाभांश वारंट प्राप्त न होना आदि से संबंधित शिकायतों सहित बैंक के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों के निवारण की निगरानी की जाती है।

whole-time directors of the Bank, during the year 2021-22 are as under:

NAME	DESIG-NATION	PERIOD	TOTAL (₹)
Shri L V Prabhakar	MD & CEO	01.04.2021 - 31.03.2022	36,89,417.00
Shri Debashish Mukherjee	ED	01.04.2021 - 31.03.2022	33,46,777.00
Ms A Manimekhalai	ED	01.04.2021 - 31.03.2022	32,50,311.00
Shri K Satyanarayana Raju	ED	01.04.2021 - 31.03.2022	29,97,945.63
Shri Brij Mohan Sharma	ED	19.05.2021- 31.03.2022	27,17,759.37
Shri Matam Venkata Rao	Ex-ED	Executive Director (Till 28.02.2021)	1,03,422.87
Shri Krishnan S	Ex-ED	Executive Diretor (from 01.04.2020 to 03.09.2020)	48,305.29
TOTAL			**1,61,53,938.16**

b) Non- Executive Directors are not being paid any other remuneration except sitting fees as fixed by Government of India. The sitting fee is paid as per the provisions of Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, read with Government guidelines for attending Board and Board Committee meetings. Details of sitting fee paid to directors during the Year 2021-22 is given in the Appendix C. (No sitting fee is payable to Whole-time Directors and Directors representing Government of India & RBI)

6) Stakeholders Relationship Committee

The committee monitors the redressal of the grievances of the security holders of the Bank including complaints related on transfer of shares, non- receipt of balance sheet, non-receipt of declared dividend warrants.

शेयरधारकों की शिकायत सांख्यिकी	
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों / अभ्यावेदनों की संख्या	421
ऐसी शिकायतें जिनके समाधान से शेयरधारक संतुष्ट नहीं हुए	शून्य
लंबित शिकायतें	शून्य

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 6(1) के अनुसार श्री विनय मोहता, कंपनी सचिव दिनांक 31.03.2022 तक बैंक के अनुपालन अधिकारी थे।

हितधारक संबंध समिति के सदस्यों की संरचना और बैठक में उपस्थिति का विवरण परिशिष्ट 'क' और 'ख' में दिया गया है।

अन्य महत्वपूर्ण समितियाँ / उप समितियाँ

क) प्रबंधन समिति:

बोर्ड की प्रबंधन समिति राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना 1970 (यथा संशोधित) की शर्त 13 के अनुसार गठित की गई है। प्रबंधन समिति द्वारा साख प्रस्तावों की मंजूरी, ऋणों, बट्टे खाते लिखने के प्रस्ताव का समझौता/ निपटान, पूंजी और राजस्व व्ययों का अनुमोदन, परिसरों का अधिग्रहण और किराये पर लेना, वादों / अपीलों को दायर करना, निवेश, दान और बोर्ड की समिति को संदर्भित या प्रत्यायोजित किन्हीं अन्य मामलों के संबंध में बोर्ड द्वारा प्रदत्त सभी अधिकारों का प्रयोग किया जाता है।

प्रबंधन समिति के सदस्यों की संरचना और बैठक में उपस्थिति का विवरण परिशिष्ट 'क' और 'ख' में दिया गया है।

ख) जोखिम प्रबंधन समिति

बैंक के आकार, जटिलता का स्तर, जोखिम प्रोफाइल और बैंक के परिचालन क्षेत्र के अनुरूप बैंक ने उचित जोखिम प्रबंधन नीतियाँ बनाई हैं।

बैंक के लिए एकीकृत जोखिम प्रबंधन पद्धति हेतु नीति एवं रणनीति तैयार करने के लिए बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है ।

चूँकि, जोखिम प्रबंधन पद्धति को समिति दृष्टिकोण के माध्यम से कार्यान्वित करना है, इसलिए चार उच्च स्तरीय समितियां

Shareholders' Grievances Statistics	
Complaints / Representations Received during the year	421
Complaints not solved to the satisfaction of shareholders	Nil
Pending complaints	Nil

In terms of Regulation 6(1) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Shri Vinay Mohta, Company Secretary is the Compliance Officer of the bank as on 31.03.2022.

The composition of members of Stakeholders Relationship Committee and details of attendance at the meeting are given in appendix A & B.

Other Important Committees / Sub committees

a) Management Committee:

The Management Committee of the Board is constituted as per the Clause 13 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended). The Management Committee exercises all the powers vested with the committee in respect of sanctioning of credit proposals, compromise / settlement of loans, write-off proposals, approval of capital and revenue expenditure, acquisition and hiring of premises, filing of suits / appeals, investment, donations and any other matter referred to or delegated to the committee by the Board.

The composition of members of Management Committee and the details of attendance at the meetings are given in appendix A & B.

b) Risk Management Committee

The Bank has evolved suitable risk management policies consistent with the size of the Bank, level of complexity, risk profile and scope of operations of the Bank.

A Board level Risk Management Committee has been formed, with the responsibility of devising policy and strategy for integrated risk management system for the Bank.

As the risk management system is required to be implemented through a committee approach, four

अर्थात् साख जोखिम प्रबंधन समिति, बाज़ार जोखिम प्रबंधन समिति, परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति एवं समूह जोखिम प्रबंधन समिति स्थापित की गई हैं, जो जोखिम प्रबंधन से संबंधित सभी सामान्य जोखिमों से प्रावरित मामलों को संभालती हैं। इन चारों समितियों के अध्यक्ष बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कार्यपालक निदेशक हैं और वरिष्ठ कार्यपालकों द्वारा इस मामले में उनकी सहायता की जाती है ।

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति के सदस्यों की संरचना और बैठक में उपस्थिति का विवरण परिशिष्ट 'क' और 'ख' में दिया गया है।

ग) आस्ति देयता प्रबंधन समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के आधार पर बैंक ने आंतरिक आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कार्यपालक निदेशक द्वारा की जाती है। समिति के अन्य सदस्यों में बैंक के वरिष्ठ कार्यपालक शामिल होते हैं।

आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) के कार्य क्षेत्र निम्नांकित है:

i) तरलता जोखिम प्रबंधन
ii) बाज़ार जोखिम प्रबंधन
iii) व्यापारिक जोखिम प्रबंधन
iv) निधीयन एवं पूंजी आयोजना
v) लाभ आयोजना एवं विकास आयोजना

आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) निवल ब्याज आय पर आस्ति व देयता दोनों की ब्याज दरों में परिवर्तन से होनेवाले प्रभाव एवं तरलता स्थिति के बारे में विस्तृत रूप से विचार–विमर्श करती है।

घ) सूचना प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी के लिए बोर्ड की उप समिति

बोर्ड ने दिनांक 18.09.2017 के आदेश के माध्यम से डिजिटल लेनदेन संबंधी प्रगति की निगरानी उपलब्धि के लिए आईबीए और इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार मंत्रालय (एमईआईटीवाई) की सिफारिशों के आधार पर बैंक को आबंटित डिजिटल संव्यवहार (एससी-डीटी) की उपलब्धि की प्रगति की निगरानी के लिए उप-समिति के गठन की अनुमति दी है।

इसी प्रकार, बोर्ड द्वारा दिनांक 07.06.2003 को दिए गए आदेश के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी (एससी-आईटी) के कार्यान्वयन में प्रगति की निगरानी के लिए बोर्ड की उप-समिति के गठन की अनुमति दी गई, ताकि बैंक में सूचना प्रौद्योगिकी को लागू करने के लिए मार्गदर्शन और सुझाव प्रदान किया जा सके।

high level committees viz. Credit Risk Management Committee, Market Risk Management Committee, Operational Risk Management Committee and Group Risk Management Committee are in place to deal with the issues relating to Risk Management covering all generic risks. The MD&CEO or ED of the Bank is the Chairman for all the four committees, assisted by the Senior Level Executives of the Bank.

The composition of members of Risk Management Committee of the Board and the details of attendance at the meetings are given in appendix A & B.

c) Asset Liability Management Committee

Based on RBI directives, the Bank has set up an internal Asset Liability Management Committee (ALCO) headed by MD&CEO or ED of the Bank. The other members of the Committee include the Senior Executives of the Bank.

The scope of ALCO functions is as follows:

i) Liquidity risk management
ii) Management of market risk
iii) Trading risk management
iv) Funding and capital planning
v) Profit planning & growth planning

The ALCO deliberates in detail over the liquidity position and the impact of changes in the interest rates of both assets and liabilities on the Net- Interest Income)

d) Sub-committee of the Board for monitoring the progress in Implementation of Information Technology

The Board, vide orders dated 18.09.2017 permitted the formation of sub-committee for monitoring the progress of achievement in digital transactions (SC-DT) based on the recommendations of IBA and Ministry of Electronics and Telecommunications (MeitY) to monitor the progress of achievement in digital transactions allotted to the Bank.

Similarly, the Board, vide orders dated 07.06.2003 permitted the formation of sub-committee of the Board for monitoring the progress in implementation of information technology (SCIT) to monitor the progress, provide guidance and suggestions to implement information technology in the Bank.

चूंकि उपरोक्त समितियों के कार्य समान हैं, बैंक ने 25.09.2019 को दोनों उप-समितियों का विलय कर दिया है।

समिति के कार्य सलाहकार प्रकृति के होंगे और जब कभी समिति द्वारा नए नीतिगत दिशानिर्देशों या प्रणालियों और प्रक्रियाओं में परिवर्तन का सुझाव / अनुशंसा की जाती है, तो उसे कार्यान्वयन से पहले अनुमोदन के लिए उपयुक्त प्राधिकारी के पास रखा जाएगा।

ड.) पूंजी नियोजन प्रक्रिया के लिए बोर्ड की उप समिति

मूलेतर आस्तियों के मुद्रीकरण के लिए बोर्ड की उप समिति के कार्य, अधिकार निर्गम के लिए बोर्ड की उप समिति (एससी-आरआई), अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थानन (एससी-क्यूआईपी) के तौर-तरीकों पर निर्णय लेने के लिए बोर्ड की उप समिति और अन्य संस्थानों (एससी-एसएच) में शेयर धारक निदेशकों के लिए मतदान के लिए बोर्ड की उप समिति है। ये सभी समितियां पूंजी जुटाने की गतिविधियों से संबंधित हैं। इसलिए निदेशक मंडल ने उक्त सभी समितियों को पूंजी आयोजना प्रक्रिया (कैपिटल प्लानिंग प्रोसेस) (एससी-सीपी) के लिए बोर्ड की उप समिति के साथ विलय करने की अनुमति प्रदान की है।

7) सामान्य बैठकें

पिछली तीन वार्षिक सामान्य बैठकों के विवरण नीचे दिए गए हैं:

एजीएम (आईपीओ के बाद)	दिनांक	समय	स्थान
17वां एजीएम	25.07.2019	10.30 पूर्वाह्न	ज्ञानज्योति ऑडिटोरियम, सेंट्रल कॉलेज, पैलेस रोड, बेंगलूरु - 560 001
18वां एजीएम	10.08.2020	11.00 पूर्वाह्न	वीडियो कान्फ्रेंस / ऑडियो विजुअल के माध्यम से आयोजित
19वां एजीएम	03.08.2021	11.00 पूर्वाह्न	वीडियो कान्फ्रेंस / ऑडियो विजुअल के माध्यम से आयोजित

19वीं वार्षिक सामान्य बैठक में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण परिशिष्ट 'ख' में दिया गया है।

पिछले तीन वार्षिक सामान्य बैठकों (अर्थात् बैंक की 17वीं वार्षिक सामान्य बैठक, 18वीं वार्षिक सामान्य बैठक और 19वीं वार्षिक सामान्य बैठक) में से प्रत्येक के माध्यम से लागू दिशानिर्देशों के अनुसार इक्विटी शेयरों और / या अधिमानी शेयरों के सृजन / प्रस्ताव / जारी करने आबंटन के लिए विशेष संकल्प रखा गया।

As the functions of above committees are similar, the Bank has merged both the sub-committees on 25.09.2019.

The functions of the Commitee will be of an advisory nature and wherever new policy guidelines or change in systems and procedures are suggested / recommended by the Commitee, the same be placed to the appropriate authority for approval, before implementation.

e) Sub-committee of the Board for Capital Planning Process:

Functions of Sub-committee of the Board for Monetization of Non-core Assets, Sub-committee of the Board for Rights Issue (SC-RI), Sub-committee of the Board to decide on Modalities of Qualified Institutional Placement (SC-QIP) and Sub-committee of the Board for Voting for Share Holder Directors in other Institutions (SC-SH) are related to the Capital Raising activities. Hence Board of Directors has permitted to merge said Committees with Sub-committee of the Board for Capital Planning Process (SC-CP).)

7. General Body Meeting

The details of last three Annual General Meetings held are furnished here below:

AGM (After IPO)	Date	Time	Venue
17th AGM	25.07.2019	10.30 AM	Jnanajyothi Auditorium, Central College, Palace Road, Bangalore - 560 001
18th AGM	10.08.2020	11.00 AM	Held through Video Conferencing / Audio Visual means
19th AGM	03.08.2021	11.00 AM	Held through Video Conferencing / Audio Visual means

Details of attendance of Directors at the 19th Annual General Meeting are given in Appendix B.

One special resolution each was put through in last three Annual General Meetings (ie.,17th AGM, 18th AGM & 19th AGM of the bank) to create / offer / issue and allot equity shares and / or Preference Shares in accordance with the applicable guidelines.

पिछली तीन वार्षिक सामान्य बैठक / डाक मतपत्र में पारित विशेष प्रस्तावों का विवरण इस प्रकार है:

बैठक की प्रकृति	दिन एवं दिनांक	उद्देश्य / विशेष संकल्प
17वीं वार्षिक सामान्य बैठक	गुरूवार 25 जुलाई 2019	सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, निजी स्थानन / अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थानन, ईएसपीएस या भारत सरकार / आरबीआई द्वारा अनुमोदित कोई अन्य माध्यम का अनुसरण करते हुए एक या एक से अधिक किश्तों में कुल राशि ₹6000 करोड़ (प्रीमियम सहित) के लिए इक्विटी / अधिमानी शेयरों के सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और उसे आबंटित करने हेतु।
डाक मतपत्र	शनिवार 23 नवंबर 2019	अधिमानी निर्गम के तहत भारत सरकार को ₹6,571 करोड़ तक के ₹237.23 (शेयर प्रीमियम ₹227.23 सहित) के निर्गम मूल्य पर प्रति शेयर ₹10/- (रुपये 10 मात्र) की दर पर 27,69,88,576 इक्विटी शेयरों के सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और उसे आबंटित करने हेतु। बैंक ने डाक मतपत्र प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए सुश्री मालती कुमार (सीओपी संख्या 10980) कंपनी सचिव, मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कंपनी, ठाणे को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया था। डाक मतपत्र (पोस्टल बैलेट) का आयोजन कंपनी (प्रबंधन व प्रशासन) नियम, 2014 (किसी भी वैधानिक संशोधन या तत्समय लागू होने वाले पुन:अधिनियम सहित) के नियम 22 के तहत समय - समय पर यथा संशोधित सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमावली, 2015 के विनियम 44 के अनुसार किया गया था।

Details of Special Resolutions passed in the previous three annual general meeting / Postal Ballot:

Nature of Meeting	Day & Date	Purpose / Special Resolution
17th Annual General Meeting	Thursday 25th July 2019	To create, offer, issue and allot such number of equity / preference shares for aggregate amount not exceeding ₹6000 crore (inclusive of premium) in one or more tranches by way of follow on public issue, rights issue, private placement / qualified institutional placement, ESPS or any other mode approved by GOI / RBI
Postal Ballot	Saturday 23rd November 2019	To create, offer, issue and allot 27,69,88,576 equity shares of ₹10/- each (Rupees Ten only) at Issue Price of ₹237.23 (Inclusive of Share Premium of ₹227.23) aggregating upto ₹6,571 crore to the Government of India (GOI) under Preferential Issue. The Bank had appointed Ms. Malati Kumar (COP No. 10980) of M/s. S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Company Secretaries, Thane as Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process in a fair and transparent manner. Postal Ballot was conducted as per Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force).

18 वीं वार्षिक सामान्य बैठक	सोमवार 10 अगस्त 2020	सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, निजी स्थानन / अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थानन, ईएसपीएस या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य माध्यम का अनुसरण करते हुए एक या एक से अधिक किश्तों में कुल राशि ₹5000 करोड़ (प्रीमियम सहित) के लिए इक्विटी / अधिमानी शेयरों के सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और उसे आबंटित करने हेतु।
19 वीं वार्षिक सामान्य बैठक	मंगलवार 3 अगस्त 2021	सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, निजी स्थानन / अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थानन, ईएसपीएस या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य माध्यम का अनुसरण करते हुए एक या एक से अधिक किश्तों में कुल राशि 2500 करोड़ (प्रीमियम सहित) के लिए इक्विटी / अधिमानी शेयरों के सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और उसे आबंटित करने हेतु।
असाधारण सामान्य बैठक (ईजीएम)	10 दिसंबर 2021 को प्रस्तावित और रद्द कर दिया गया	एक शेयरधारक निदेशक के चुनाव के लिए ईजीएम बुलाई गई थी हालांकि बैंक द्वारा प्राप्त केवल एक वैध नामांकन के कारण ईजीएम रद्द कर दिया गया था और श्री करुणाकर शेट्टी को दिनांक 30.11.2021 से शेयरधारक निदेशक के रूप में चुना गया था।
वर्तमान में, बैंक की डाक मतपत्र के माध्यम से विशेष प्रस्ताव पारित करने की कोई योजना नहीं है। शेयरधारकों को इसकी योजना बनाते समय सूचित किया जाएगा।		

8) संप्रेषण का माध्यम

केनरा बैंक, बैंक से संबंधित जानकारी को मुख्यतया अपनी वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तुत करता है, जिसमें कार्पोरेट अभिशासन पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षित खाते, नकद प्रवाह विवरण, आदि शामिल हैं। शेयरधारकों को समाचार पत्रों में प्रकाशन, स्टॉक एक्सचेंजों को सूचना, प्रेस विज्ञप्ति, विश्लेषकों के समक्ष प्रस्तुतीकरण और वेबसाइट www.canarabank.com. के माध्यम से बैंक के निष्पादन से भी अवगत कराया जाता है। बैंक अपनी वेबसाइट में आधिकारिक समाचार विज्ञप्ति,

18th Annual General Meeting	Monday 10th August 2020	To create, offer, issue and allot such number of equity / preference shares for aggregate amount not exceeding ₹5000 crore (inclusive of premium) in one or more tranches by way of follow on public issue, rights issue, private placement / qualified institutional placement, ESPS or any other mode approved by GOI / RBI
19th Annual General Meeting	Tuesday 3rd August 2021	To create, offer, issue and allot such number of equity / preference shares for aggregate amount not exceeding ₹2500 crore (inclusive of premium) in one or more tranches by way of follow on public issue, rights issue, private placement / qualified institutional placement, ESPS or any other mode approved by GOI / RBI.
Extra Ordinary General Meeting (EGM)	Proposed 10th December 2021 and was cancelled	EGM was called for election of one shareholder director, however EGM was cancelled on account of only one valid nomination received by the bank and Shri. Karunakara Shetty was elected as shareholder director w.e.f 30.11.2021
At present, the bank has no plans to pass special resolution through Postal Ballot. The shareholders will be intimated as and when it will be planned.		

8) Means of Communication

Canara Bank provides information relating to Bank through its Annual Report which contains Report of the Board of Directors on Corporate Governance, the Directors report, audited accounts, cash flow statements, etc. The shareholders are also intimated of its performances through publication in newspapers, intimation to stock exchanges, press releases, presentations to Analysts and through website at www.canarabank.com. The Bank also

संस्थागत निवेशकों और विश्लेषकों के लिए प्रस्तुतीकरण को भी प्रदर्शित करता है।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के अनुसार वित्तीय परिणाम और मूल्य में संवेदनशीलता संबंधी अन्य सूचनाएं स्टॉक एक्सचेंजों को दी जाती हैं।

परिणामों का प्रकाशन

समाप्त तिमाही	प्रकाशन की तारीख	समाचार पत्र	
		स्थानीय भाषाएं	राष्ट्रीय
31.03.2021 (एकल एवं लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम)	19.05.2021	उदयवाणी (कन्नड़) आंध्रा ज्योति (तेलुगु)	इकोनॉमिक टाइम्स, (अंग्रेज़ी) हिंदुस्तान टाइम्स (अंग्रेज़ी) बिज़नेस स्टैंडर्ड (अंग्रेज़ी) फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेज़ी) हिंदुस्तान (हिंदी) नव भारत टाइम्स (हिंदी) राजस्थान पत्रिका (हिंदी)
30.06.2021 (अलेखापरीक्षित समीक्षित वित्तीय परिणाम)	28.07.2021	कन्नड प्रभा (कन्नड) आंध्रा ज्योति (तेलुगु)	फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेज़ी) राजस्थान पत्रिका (हिंदी) जनसत्ता (हिंदी) हिंदुस्तान टाइम्स (अंग्रेज़ी) हिंदुस्तान (हिंदी)
30.09.2021 (अलेखापरीक्षित समीक्षित वित्तीय परिणाम)	27.10.2021	विजयवाणी (कन्नड़) कन्नड प्रभा (कन्नड) आंध्रा ज्योति (तेलुगु)	फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेज़ी) बिजनेस लाइन (अंग्रेज़ी) बिजनेस स्टैंडर्ड (अंग्रेज़ी) राजस्थान पत्रिका (हिंदी)
31.12.2021 (अलेखापरीक्षित समीक्षित वित्तीय परिणाम)	28.01.2022	प्रजावाणी (कन्नड) आंधा ज्योति (तेलुगु)	फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेज़ी) राजस्थान पत्रिका (हिंदी)
31.03.2022 (एकल व समेकित लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम)	07.05.2022	विजयवानी (कन्नड़) कन्नड प्रभा (कन्नड) आंधा ज्योति (तेलुगु)	फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेज़ी) बिजनेस स्टैंडर्ड (अंग्रेज़ी) द इकोनॉमिक टाइम्स (अंग्रेज़ी) द टाइम्स ऑफ इंडिया (अंग्रेज़ी) बिजनेस लाइन (अंग्रेज़ी) राजस्थान पत्रिका (हिंदी)

displays official News releases, presentations made to institutional investors, analysts in its website.

In terms of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Financial Results and other price sensitive information are furnished to Stock Exchanges.

Publication of Results

Quarter Ended	Date of Publication	Newspaper	
		Vernacular	National
31.03.2021 (Standalone & Consolidated Audited Financial Results)	19.05.2021	Udayavani (Kannada) Andhra Jyoti (Telugu)	Economic Times, (English) Hindustan Times (English) Business Standard (English) Financial Express (English) Hindustan (Hindi) Nav Bharat Times (Hindi) Rajasthan Patrika (Hindi)
30.06.2021 (Unaudited Reviewed Financial Results)	28.07.2021	Kannada Prabha (Kannada) Andhra Jyoti (Telugu)	Financial Express (English) Rajasthan Patrika (Hindi) Jan Satta (Hindi) Hindustan Times (English) Hindustan (Hindi)
30.09.2021 (Unaudited Reviewed Financial Results)	27.10.2021	Vijayavani (Kannada) Kannada Prabha (Kannada) Andhra Jyoti (Telugu)	Financial Express (English) Business Line (English) Business Standard (English) Rajasthan Patrika (Hindi)
31.12.2021 (Unaudited Reviewed Financial Results)	28.01.2022	Prajavani (Kannada) Andhra Jyoti (Telugu)	Financial Express (English) Rajasthan Patrika (Hindi)
31.03.2022 (Standalone & Consolidated Audited Financial Results)	07.05.2022	Vijayavani (Kannada) Kannada Prabha (Kannada) Andhra Jyoti (Telugu)	Financial Express (English) Business Standard (English) The Economic Times (English) The Times of India (English) Business Line (English) Rajasthan Patrika (Hindi)

9) **शेयरधारकों को सामान्य सूचना**

- **वित्तीय कैलेण्डर**

वित्तीय वर्ष	2021-2022
बही बंदी की तिथि (दोनों दिन सहित)	17.06.2022 से 23.06.2022
प्राधिकृत प्रतिनिधि प्राप्त करने की अंतिम तिथि	18.06.2022
ई-मतदान की निर्दिष्ट तिथि(याँ)	20.05.2022 दो शेयरधारक निदेशकों के चुनाव के लिए 16.06.2022 एजीएम में भाग लेने और लाभांश के भुगतान के लिए
लाभांश के भुगतान की रिकॉर्ड तिथि	16.06.2022
वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि	23.06.2022
वार्षिक सामान्य बैठक का समय	11.00 बजे पूर्वाह्न
वार्षिक सामान्य बैठक का स्थान	वीसी / ओएवीएम

- **स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्धता**

निम्नांकित स्टाक एक्सचेंजों में केनरा बैंक के शेयरों का सूचीकरण किया गया है। संबंधित स्टाक एक्सचेंज का स्टॉक कूट उनके नाम के आगे दिया गया है ।

1	बीएसई लिमिटेड	532483
2	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड	CANBK

वर्ष 2021-22 के लिए स्टॉक एक्सचेंज के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान निर्धारित देय तिथि के अंदर किया गया है।

- **अननुपालन**

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के अनुलग्नक-V के उप-खंड (2) से (10) की कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट की किसी भी आवश्यकता का अनुपालन न करना: **शून्य**

9) **General Shareholders' Information**

- **Financial Calendar**

Financial Year	2021-2022
Book Closure Date (both days inclusive)	17.06.2022 to 23.06.2022
Last Date for receipt of Authorised representative	18.06.2022
e-Voting Cut-Off Date(s)	20.05.2022 for Election of two Shareholder Directors 16.06.2022 for Attending AGM and Payment of Dividend
Record date for - payment of dividend	16.06.2022
Date of Annual General Meeting	23.06.2022
Time of Annual General Meeting	11.00 AM
Venue of Annual General Meeting	VC / OAVM

- **Listing on Stock Exchanges**

Canara Bank shares are listed at the following Stock Exchanges. Stock Codes of respective stock exchanges are furnished against their names.

1	BSE Limited	532483
2	National Stock Exchange of India Limited	CANBK

Annual Listing fee to stock exchanges for the year 2021-22 has been paid within the prescribed due date.

- **Non-compliance**

Non-compliance of any requirement of corporate governance report of sub-paras (2) to (10) of Annexure-V of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 : **NIL**

- बाजार मूल्य आंकड़े

माह	वर्ष	बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) लिमिटेड			नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.		
		अधिकतम (₹)	न्यूनतम (₹)	शेयरों की मात्रा	अधिकतम (₹)	न्यूनतम (₹)	शेयरों की मात्रा
अप्रैल	2021	157.25	124.35	18207861	157.4	124.3	352279243
मई	2021	163.65	135.8	29081196	163.65	135.9	567578760
जून	2021	165.65	141.5	18923030	165.75	141.45	302239629
जुलाई	2021	157	142.1	10972589	157	142.1	205641383
अगस्त	2021	162.45	148.65	19255986	162.5	148.2	333676097
सितंबर	2021	177.4	152	22062238	177.5	152.05	399773187
अक्तूबर	2021	218.6	170	35530506	218.65	168	607119068
नवंबर	2021	247.6	195.15	19763416	247.6	194.75	338338965
दिसंबर	2021	223.95	186.75	13919634	224	186.4	205279588
जनवरी	2022	254.4	198.6	15627294	254.4	198.6	255269355
फरवरी	2022	272.8	207.25	17158238	272.8	206.25	294861732
मार्च	2022	232.2	196.5	12457722	232.25	196.4	229349796

- Market Price Data

Month	Year	BSE Ltd.			National Stock Exchange of India Ltd.		
		High (₹)	Low (₹)	Volume No.	High (₹)	Low (₹)	Volume No.
April	2021	157.25	124.35	18207861	157.4	124.3	352279243
May	2021	163.65	135.8	29081196	163.65	135.9	567578760
June	2021	165.65	141.5	18923030	165.75	141.45	302239629
July	2021	157	142.1	10972589	157	142.1	205641383
August	2021	162.45	148.65	19255986	162.5	148.2	333676097
September	2021	177.4	152	22062238	177.5	152.05	399773187
October	2021	218.6	170	35530506	218.65	168	607119068
November	2021	247.6	195.15	19763416	247.6	194.75	338338965
December	2021	223.95	186.75	13919634	224	186.4	205279588
January	2022	254.4	198.6	15627294	254.4	198.6	255269355
February	2022	272.8	207.25	17158238	272.8	206.25	294861732
March	2022	232.2	196.5	12457722	232.25	196.4	229349796

लाभांश का भुगतान / रिकॉर्ड तारीख:

बैंक के निदेशक मंडल ने वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन, वर्ष 2021-22 के लिए शेयरधारकों को ₹10/- प्रति शेयर के अंकित मूल्य पर ₹6.50 (यानी 65%) प्रति इक्विटी शेयर लाभांश की सिफारिश की है। उन शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है, जिनके नाम एनएसडीएल / सीडीएसएल द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुसार यथा गुरुवार, 16 जून, 2022 (इसके बाद रिकॉर्ड तारीख के रूप में संदर्भित) को शेयरधारकों / लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज हैं। वार्षिक सामान्य बैठक (23 जून 2022) को लाभांश की घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान किया जाएगा।

अदावी लाभांश, यदि कोई हो तो:

जिन शेयरधारकों ने लाभांश अधिपत्र / पिछले वर्षों अर्थात् 2014–15 और 2016–17 से अपने लाभांश वारंट नकदीकारण नहीं किए हैं / प्राप्त नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे प्रतिलिपि (डुप्लीकेट) लाभांश वारंट के पुनर्वैधीकरण / निर्गम के लिए बैंक के शेयर हस्तांतरण अभिकर्ता से संपर्क करें। बैंक ने अपनी साइट अर्थात् www.canarabank.com पर गैर दावाकृत / अदत्त लाभांश वारंट (अधिपत्र) का ब्योरा डाला है ताकि शेयर हस्तांतरण अभिकर्ता / या बैंक से hosecretarial@canarabank.com पर संपर्क करके शेयरधारकों को दावा करने में सक्षम बनाया जा सके।

बैंककारी कंपनी की धारा 10बी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, के अनुसार, सात वर्षों की अवधि तक अदत्त या गैर दावाकृत (अदावी) लाभांश की शेष राशि को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के तहत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में हस्तांतरित किया जाना आवश्यक है। बैंक निम्नांकित दिनांक को वर्ष 2014–15 के लिए अदावी / अदत्त लाभांश राशि को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया में है:

- ई-सिंडिकेट बैंक (अब केनरा बैंक) के लिए : 01.08.2022
- केनरा बैंक के लिए : 14.08.2022

PAYMENT OF DIVIDEND / RECORD DATE:

The Board of Directors of the Bank has recommended a dividend of ₹6.50 per equity share (i.e. 65%) of face value of ₹10/- each to the Shareholders for the year 2021-22, subject to the approval of the Shareholders at the AGM. It has been decided to pay the dividend to the Shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Beneficial owners as furnished by NSDL / CDSL as on Thursday, 16th June 2022 (hereinafter referred to as Record Date). The dividend will be paid to the shareholders within 30 days from the date of declaration at the Annual General Meeting (23rd June 2022).

UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY:

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received dividend of previous periods i.e., for the years from 2014-15 & 2016-17, are requested to contact the Share Transfer Agent of the Bank for revalidation / issue of duplicate dividend warrants. The Bank has posted the details of the unclaimed / unpaid dividend warrants on its site i.e., www.canarabank.com to enable the shareholders to claim by contacting the Share Transfer Agent / or the Bank at hosecretarial@canarabank.com.

As per Section 10B of the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under section 125 of the Companies Act, 2013. The Bank is in the process of transferring the Unclaimed / Unpaid Dividend amount for the year 2014-15 to the said fund on following dates :

- For E-Syndicate Bank (Now Canara Bank) : 01.08.2022
- For Canara Bank : 14.08.2022

- **अन्य प्रकटन**

बैंक ने 2002–03 के दौरान आईपीओ जारी करके निवेशकों को ₹10/– अंकित मूल्य के 41 करोड़ इक्विटी शेयर भौतिक और डीमैट दोनों रूपों में जारी किया था ।

सेबी (एलओडीआर) विनियमन की अनुसूची 5 की मद एफ के अनुसार, भौतिक शेयरों के मामले में बैंक केअदावी शेयरों को जारीकर्ता द्वारा निक्षेपागार सहभागी के साथ खोले गए डीमैट उचंत खाते में जमा किया जाना है । तदनुसार तत्संबंधी जानकारी निम्नानुसार है:

खाते का नाम	डीपीआईडी / ग्राहक पहचान संख्या	यथा 31.03.2022 को शेष राशि
केनरा बैंक - अदावी उचंत खाता शेयर	301356 / 20552606	10351

ई–सिंडिकेट बैंक के अदावी शेयर

खाते का नाम	डीपीआईडी / ग्राहक पहचान संख्या	यथा 31.03.2022 को शेष राशि
सिंडिकेट बैंक - अदावी उचंत खाता - भौतिक शेयर	1305060000006721	14523
सिंडिकेट बैंक - अदावी उचंत खाता - डीमैट शेयर	1305060000006734	3207

- **Other Disclosures**

The Bank went for IPO in 2002-03 and issued 41 Crore Equity Shares of face value of ₹10/- to the investors both under Physical mode and Demat mode.

In terms of Item F of Schedule V of SEBI (LODR) Regulations, 2015 the Unclaimed shares of the Bank in respect of Physical shares shall be credited to a demat suspense account opened by the issuer with one of the depository participants. The details are as under:

Name of the account	DPID / Client ID	Balance as on 31.03.2022
Canara Bank - Unclaimed Suspense A/c Shares	301356 / 20552606	10351

Unclaimed Shares of e-Syndicate Bank

Name of the account	DPID / Client ID	Balance as on 31.03.2022
SyndicateBank - Unclaimed Suspense Account - Physical Shares	1305060000006721	14523
SyndicateBank - Unclaimed Suspense Account - Demat Shares	1305060000006734	3207

व्यापक आधार वाले सूचकांकों की तुलना में निष्पादन Performance in Comparison to Broad Based Indices

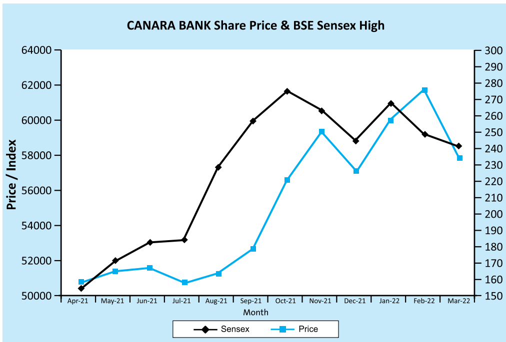

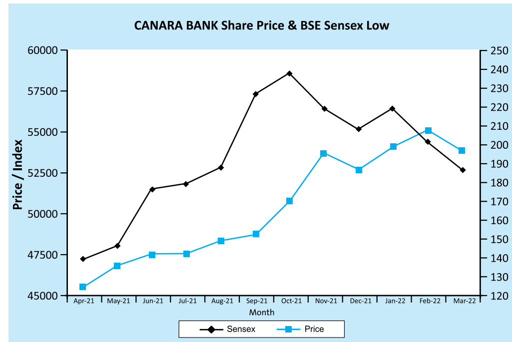

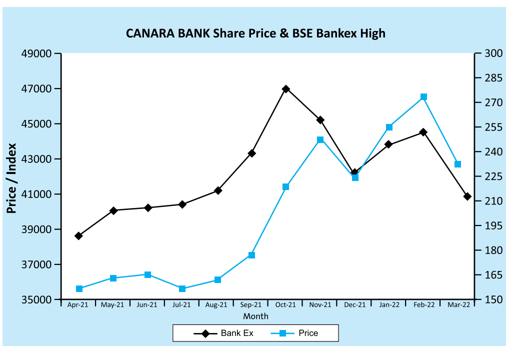

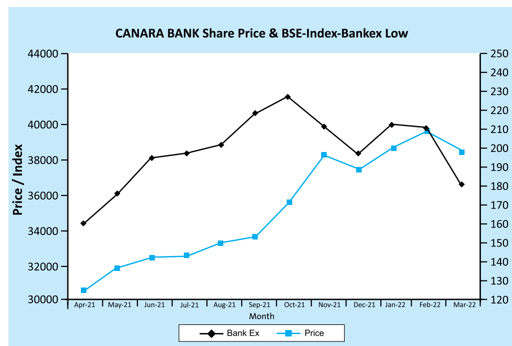

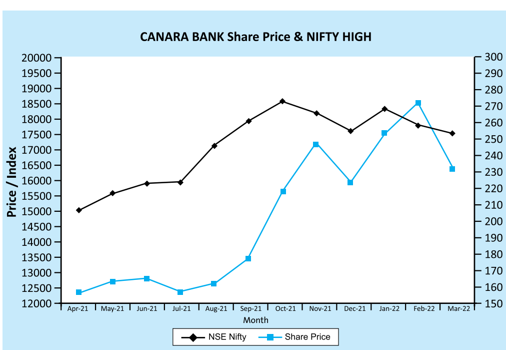

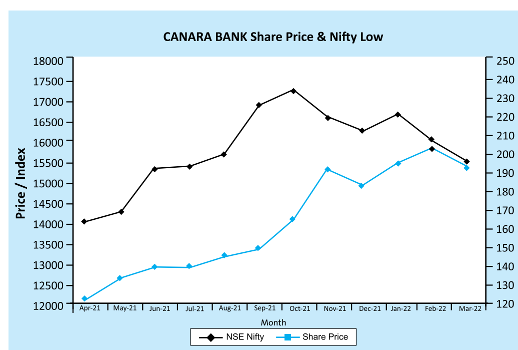

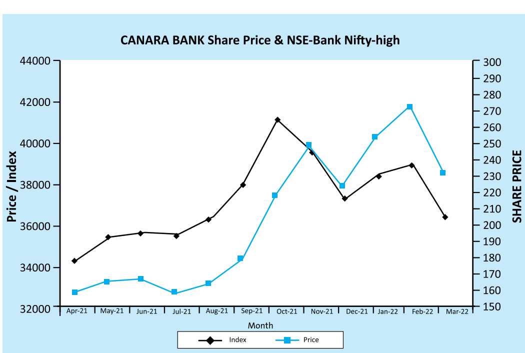

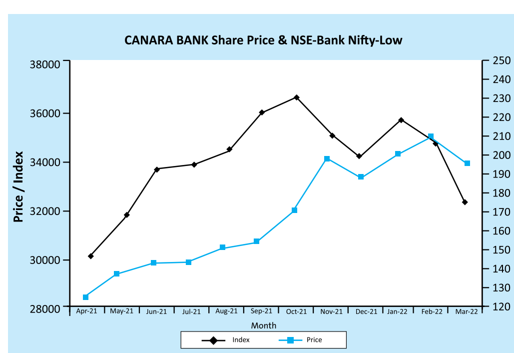

- **रजिस्ट्रार व अंतरण एजेन्ट**

  केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
  इकाई: केनरा बैंक
  सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31-32
  गचीबौली, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा,
  हैदराबाद - 500 032

- **शेयर अंतरण प्रणाली**

क) भौतिक शेयर

सेबी के अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी–एनआरओ/जीएन/2018/24 दिनांक 8 जून 2018 के संशोधित विनियम 40 (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) 2015 के अनुसार 5 दिसंबर, 2018 से प्रतिभूतियों को केवल अभौतिक रूप में हस्तांतरण किया जाना अनिवार्य है। हालांकि, सेबी ने अपने "प्रेस विज्ञप्ति" पीआर संख्या 49/2018 दिनांक 3 दिसंबर, 2018 के माध्यम से केवल डीमैट फॉर्म में प्रतिभूतियों के हस्तांतरण की आवश्यकता का अनुपालन करते हुए केवल डीमैट फॉर्म में प्रतिभूतियों के हस्तांतरण संबंधी अनुपालन की तारीख के विस्तार के लिए शेयरधारकों से प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर, समय सीमा को 1 अप्रैल 2019 तक बढ़ा दी है। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सभी निवेशकों को जल्द से जल्द एक डीमैट खाता खोलने पर विचार करना चाहिए और शेयरों की तरलता की रक्षा के लिए अपने शेयरों के अभौतिकीकरण के लिए अनुरोध प्रस्तुत करना चाहिए।

प्रतिभूतियों के केवल भौतिक रूप में पारेषण और अंतरण के लिए अनुरोधों को स्वीकार किया जाएगा। मूल शेयर प्रमाणपत्रों के साथ–साथ शेयरों के पारेषण / अंतरण संबंधी अनुरोध को बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट केफिन टेक्नोलॉजीस लिमिटेड, हैदराबाद, को भेजा जाना चाहिए।

ख) अभौतिकीकृत रूप में शेयर

अभौतिकीकृत रूप में शेयर हों तो, उनको अंतरित करने के लिए संबंधित निक्षेपागार सहभागी (डीपी) को सुपुर्दगी अनुदेश दिया जाना है।

- **Registrar and Transfer Agent**

  KFin Technologies Ltd.
  Unit: Canara Bank
  Selenium Tower B, Plot No. 31-32
  Gachibowli, Financial District, Nanakramguda
  Hyderabad - 500 032

- **Share Transfer System**

a) Physical Shares

SEBI vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/24 dated June 8, 2018, amended Regulation 40 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 2015, mandating transfer of securities to be carried out only in dematerialised form with effect from December 5, 2018. However, on the basis of representations received from shareholders for extension of the date of compliance for transfer of securities only in Demat Form, SEBI vide its "Press Release" PR. No. 49/2018 dated December 3, 2018, extended the deadline till April 1, 2019 to comply with the requirement of transfer of securities only in Demat Form. All the investors who are holding shares in physical form, should consider opening a Demat account at the earliest and submit request for dematerialization of their shares in order to protect the liquidity of the shares.

Only the requests for transmission and transposition of securities in physical form, will be accepted. The Original Share Certificates along with Transmission/transposition request should be forwarded to KFin Technologies Ltd, Hyderabad, the Registrar and Share Transfer Agents of the Bank for transmission / transposition of shares.

b) Shares in Demat form

In case the shares are in demat form, Delivery Instructions are to be given to the concerned Depository Participant (DP) for transfer of shares.

- **शेयरधारिता का वितरण (31.03.2022)**

यथा 31-03-2022 तक समेकित शेयरधारिता पैटर्न		
श्रेणी	कुल शेयर	इक्विटी के प्रति%
भारत के राष्ट्रपति	1,14,17,09,678	62.934273
निवासी भारतीय	17,63,74,755	9.722276
बीमा कंपनियां	16,40,26,300	9.041594
विदेशी संविभाग – निगम	15,38,39,797	8.480086
म्यूचुअल फंड	5,84,07,547	3.219589
कॉर्पोरेट निकाय	3,14,45,800	1.733382
अनिवासी भारतीय	2,05,88,369	1.134889
अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेता	1,96,28,868	1.081999
वैकल्पिक निवेश निधि	1,94,94,437	1.074589
कर्मचारी	1,63,66,236	0.902153
बैंक	49,94,351	0.275303
एचयूएफ़	33,35,771	0.183877
क्लियरिंग सदस्य	18,11,494	0.099855
अनिवासी भारतीय – अप्रत्यावर्तनीय	11,41,116	0.062902
न्यास	5,41,362	0.029841
एनबीएफ़सी	4,24,371	0.023393
कुल	**1,81,41,30,252**	**100.00**

प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य ₹10/- है।

- **Distribution of Shareholding (31.03.2022)**

Consolidated Shareholding Pattern As on 31-03-2022		
Category	Total Shares	% To Equity
President of India	1,14,17,09,678	62.934273
Resident Individuals	17,63,74,755	9.722276
Insurance Companies	16,40,26,300	9.041594
Foreign Portfolio - Corp	15,38,39,797	8.480086
Mutual Funds	5,84,07,547	3.219589
Bodies Corporates	3,14,45,800	1.733382
Non-Resident Indians	2,05,88,369	1.134889
Qualified Institutional Buyer	1,96,28,868	1.081999
Alternative Investment Fund	1,94,94,437	1.074589
Employees	1,63,66,236	0.902153
Banks	49,94,351	0.275303
H U F	33,35,771	0.183877
Clearing Members	18,11,494	0.099855
Non-Resident Indian Non Repatriable	11,41,116	0.062902
Trusts	5,41,362	0.029841
NBFC	4,24,371	0.023393
Total	**1,81,41,30,252**	**100.00**

Nominal value of each share is ₹10/-

मूल्य वार:

(31.03.2022)

शेयर धारण का अंकित मूल्य (₹)	शेयरधारकों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%
5000 तक	6,02,189	92.315817	4,72,16,407	2.602702
5001 से 10000	28,917	4.432988	2,19,67,049	1.210886
10001 से 20000	11,922	1.827647	1,71,71,460	0.946540
20001 से 30000	4,560	0.699050	1,17,97,898	0.650334
30001 से 40000	1,327	0.203430	45,87,570	0.252880
40001 से 50000	877	0.134444	41,38,689	0.228136
50001 से 100000	1,259	0.193005	92,20,134	0.508240
100001 व उससे अधिक	1,263	0.193618	1,69,80,31,045	93.600283
कुल	**6,52,314**	**100.00**	**181,41,30,252**	**100.00**

Value wise:

(31.03.2022)

Shareholding Nominal Value (₹)	No. of Shareholders	%	No. of Shares	%
Up to 5000	6,02,189	92.315817	4,72,16,407	2.602702
5001 to 10000	28,917	4.432988	2,19,67,049	1.210886
10001 to 20000	11,922	1.827647	1,71,71,460	0.946540
20001 to 30000	4,560	0.699050	1,17,97,898	0.650334
30001 to 40000	1,327	0.203430	45,87,570	0.252880
40001 to 50000	877	0.134444	41,38,689	0.228136
50001 to 100000	1,259	0.193005	92,20,134	0.508240
100001 and above	1,263	0.193618	1,69,80,31,045	93.600283
TOTAL	**6,52,314**	**100.00**	**181,41,30,252**	**100.00**

- **शेयरों का अमूर्तीकरण और तरलता**

बैंक के शेयरों का लेन–देन अनिवार्यतया अमूर्तीकृत रूप में ही किया जाता है। अपने शेयर के अमूर्तीकरण के लिए बैंक ने नेशनल सेक्यूरिटीज़ डिपॉसिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉसिटरीस सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ करार किया है। बैंक शेयर के लिए आबंटित आईएसआईएन, आईएनई476ए01014 है। शेयरों का अमूर्तीकरण उनकी आसान तरलता सुनिश्चित करता है।

बैंक के शेयरों के अमूर्तीकृत रूप में ही लेन–देन होने के कारण भौतिक रूप में शेयरों का धारण करनेवाले शेयरधारकों को किसी निक्षेपागार सहभागी (डीपी) के पास अमूर्तीकरण खाता खोलकर शेयरों के अमूर्तिकृत रूप में बदलने के लिए संबंधित निक्षेपागार सहभागी को भेजना है जो उन्हें आगे केफिन टेक्नॉलॉजीस लिमिटेड, हैदराबाद को भेजेंगे, जो बैंक का पंजीयक व अंतरण अभिकर्ता है।

अमूर्तीकृत / भौतिक धारिता (31.03.2022)

यथा 31–03–2022 को शेयरधारिता का सारांश			
श्रेणी	धारकों की संख्या	कुल शेयर	इक्विटी के प्रति%
भौतिक	1,13,157	70,40,994	0.388120
एनएसडीएल	2,60,979	59,09,99,036	32.577542
सीडीएसएल	2,78,178	1,21,60,90,222	67.034339
कुल	**6,52,314**	**1,81,41,30,252**	**100.00**

- जीडीआर / एडीआर / वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखतें बकाया नहीं हैं।
- **पत्राचार का पता**

केनरा बैंक
सचिवीय विभाग
अनुपालन व आरबीएस विभाग
प्रधान कार्यालय, 112, जे सी रोड
बेंगलूरु - 560 002
ई-मेल आईडी: hosecretarial@canarabank.com

- **Dematerialisation of shares and liquidity**

The Bank's shares are traded in dematerialized form only. The Bank has entered into agreement with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depositories Services (India) Limited (CDSL) for Dematerialisation of the Bank's shares. The ISIN allotted to the Bank's shares is INE476A01014. Dematerialisation of the shares ensures easy liquidity.

Since the shares of the Bank are traded in demat mode, the shareholders holding shares in physical form, have to open Demat Accounts with any of the Depository Participant (DP) and surrender their original share certificates to the concerned Depository Participant (DP) for onward transmission to KFin Technologies Limited, Hyderabad, the R & T Agents of the Bank, for conversion of shares in demat form.

Demat / Physical Holding (31.03.2022)

Summary of Shareholding As on 31-03-2022			
Category	No. of Holders	Total Shares	% to Equity
Physical	1,13,157	70,40,994	0.388120
NSDL	2,60,979	59,09,99,036	32.577542
CDSL	2,78,178	1,21,60,90,222	67.034339
Total	**6,52,314**	**1,81,41,30,252**	**100.00**

- There are no outstanding GDRs / ADRs / Warrants or any convertible instruments.
- **Address for Correspondence**

CANARA BANK
SECRETARIAL DEPARTMENT
COMPLIANCE & RBS WING
HEAD OFFICE, 112, J C ROAD
BENGALURU - 560 002
E-MAIL ID: hosecretarial@canarabank.com

- **साख श्रेणी निर्धारण**

क्र. सं.	आईएसआईएन	डिबेन्चर श्रेणी	राशि करोड़ में	प्रतिदान की तिथि	क्रिसिल रेटिंग दिनांक 24.01.2022	आईसीआरए रेटिंग दिनांक 03.11.2021	इंडिया रेटिंग दिनांक 27.01.2022	केयर रेटिंग दिनांक 15.12.2021
1	आईएनई476ए09249	बासेल III टियर II श्रेणी I	1,500.00	03–जनवरी–24	क्रिसिल एए/स्थिर	आईसीआरए (एए) स्थिर		
2	आईएनई476ए08043	बासेल III टियर II श्रेणी II – 2015–16	900.00	07–जनवरी–26	क्रिसिल एए/स्थिर	आईसीआरए (एए) स्थिर	आईएनडी एए/ स्थिर	
3	आईएनई476ए08118	बासेल III एटी I एस–IV वित्त 2020–21	120.00	स्थायी	क्रिसिल एए+/स्थिर		आईएनडी एए/ स्थिर	
4	आईएनई476ए08159	बासेल III एटी I 2021–22 एसआर III	1,000.00	स्थायी	क्रिसिल एए+/स्थिर		आईएनडी एए+/ स्थिर	
5	आईएनई476ए08035	बासेल III एटी I 2014–15	1,500.00	स्थायी		आईसीआरए (एए+) / स्थिर	आईएनडी एए+/ स्थिर	
6	आईएनई476ए08076	बासेल III टियर II श्रेणी I 2019–20	3,000.00	11–मार्च–30			आईएनडी एए/ स्थिर	केयर एए/स्थिर
7	आईएनई667ए08021	बासेल III टियर II	400.00	23–मार्च–25	क्रिसिल एए/स्थिर			केयर एए/स्थिर
8	आईएनई476ए09256	बासेल III टियर II श्रेणी II	1,000.00	27–मार्च–24	क्रिसिल एए/स्थिर	आईसीआरए (एए) स्थिर		
9	आईएनई476ए08050	बासेल III टियर II 2016–17	3,000.00	27–अप्रैल–26	क्रिसिल एए/स्थिर	आईसीआरए (एए) स्थिर	आईएनडी एए/ स्थिर	
10	आईएनई667ए08096	बासेल III टियर II	500.00	03–मई–2027	क्रिसिल एए/स्थिर		आईएनडी एए/ स्थिर	केयर एए/स्थिर
11	आईएनई667ए08104	बासेल III एटी I एसआर.V	450.00	स्थायी	क्रिसिल एए+/स्थिर		आईएनडी एए+/ स्थिर	केयर एए+/स्थिर
12	आईएनई476ए08084	बासेल III एटी I बॉन्ड एस–1 2020–21	1,012.00	स्थायी	क्रिसिल एए+/स्थिर		आईएनडी एए+/ स्थिर	
13	आईएनई667ए08039	बासेल III टियर II	1,000.00	28–सितंबर–25	क्रिसिल एए/स्थिर			केयर एए/स्थिर
14	आईएनई476ए08092	बासेल III एटी I बॉन्ड एस–2 2020–21	169.10	स्थायी	क्रिसिल एए+/स्थिर		आईएनडी एए+/ स्थिर	
15	आईएनई476ए08126	बासेल III एटी I 2021 एस1	1,500.00	स्थायी	क्रिसिल एए+/स्थिर		आईएनडी एए+/ स्थिर	
16	आईएनई667ए08013	बासेल III टियर II	750.00	02–दिसंबर–24	क्रिसिल एए/स्थिर			केयर एए/स्थिर
17	आईएनई476ए08134	बासेल III एटी I 2021–22 एसआर II	1,500.00	स्थायी	क्रिसिल एए+/स्थिर		आईएनडी एए+/ स्थिर	
18	आईएनई667ए08047	बासेल III टियर II	750.00	18–दिसंबर–25	क्रिसिल एए/स्थिर			केयर एए/स्थिर
19	आईएनई476ए08142	बासेल III टियर II एस 1	2,500.00	24–दिसंबर–36			आईएनडी एए/ स्थिर	केयर एए/स्थिर
20	आईएनई667ए09177	निचला टियर II एस–12	1,000.00	31–दिसंबर–22	क्रिसिल एए/स्थिर			केयर एए/स्थिर
21	आईएनई476ए09264	बासेल III टियर II श्रेणी I – 2015–16	1,500.00	31–दिसंबर–25	क्रिसिल एए/स्थिर	आईसीआरए (एए) स्थिर	आईएनडी एए/ स्थिर	
22	आईएनई476ए08100	बासेल III एटी I बॉन्ड एस–3 2020–21	1,635.00	स्थायी	क्रिसिल एए+/स्थिर		आईएनडी एए+/ स्थिर	
कुल			**26,686.10**					
जमा प्रमाण पत्र			**30,000.00**		क्रिसिल ए1+			

बैंक द्वारा जारी बांडों के लिए न्यासी का विवरण निम्नानुसार है :

न्यासी बॉन्ड का नाम	पता	आईएसआईएन संख्या
एसबीआईसीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	मिस्त्री भवन, चौथी मंजिल, 122, दिनशाव वाछा रोड, चर्चगेट, मुंबई – 400 020	INE667A09177 और INE476A08142 को छोड़कर सभी आईएसआईएन
एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेस लिमिटेड	रूबी, दूसरी मंजिल, एसडब्ल्यू, 29, सेनापति बापट मार्ग, दादर पश्चिम, मुंबई – 400 028	INE667A09177 और INE476A08142

- **Credit Ratings**

Sl. No.	ISIN	DEBENTURE SERIES	AMOUNT IN CRORES	REDEMPTION DATE	CRISIL RATING DATED 24.01.2022	ICRA RATING DATED 03.11.2021	INDIA RATING DATED 27.01.2022	CARE RATING DATED 15.12.2021
1	INE476A09249	BASEL III TIER II SER I	1,500.00	03-Jan-24	CRISIL AAA/ Stable	ICRA (AAA) Stable		
2	INE476A08043	BASEL III TIER II SERIES II - 2015-16	900.00	07-Jan-26	CRISIL AAA/ Stable	ICRA (AAA) Stable	IND AAA/ Stable	
3	INE476A08118	BASEL III AT I S-IV FY 2020-21	120.00	Perpetual	CRISIL AA+/ Stable		IND AA+/ Stable	
4	INE476A08159	BASEL III AT I 2021-22 SR III	1,000.00	Perpetual	CRISIL AA+/ Stable		IND AA+/ Stable	
5	INE476A08035	BASEL III AT I 2014-15	1,500.00	Perpetual		ICRA (AA+) / Stable	IND AA+/ Stable	
6	INE476A08076	BASEL III TIER II Series I 2019-20	3,000.00	11-Mar-30			IND AAA/ Stable	CARE AAA/ Stable
7	INE667A08021	BASEL III TIER II	400.00	23-Mar-25	CRISIL AAA/ Stable			CARE AAA/ Stable
8	INE476A09256	BASEL III TIER II SER II	1,000.00	27-Mar-24	CRISIL AAA/ Stable	ICRA (AAA) Stable		
9	INE476A08050	BASEL III TIER II 2016-17	3,000.00	27-Apr-26	CRISIL AAA/ Stable	ICRA (AAA) Stable	IND AAA/ Stable	
10	INE667A08096	BASEL III TIER II	500.00	03-May-2027	CRISIL AAA/ Stable		IND AAA/ Stable	CARE AAA/ Stable
11	INE667A08104	BASEL III AT I SR.V	450.00	Perpetual	CRISIL AA+/ Stable		IND AA+/ Stable	CARE AA+/ Stable
12	INE476A08084	BASEL III AT I Bonds S-1 2020-21	1,012.00	Perpetual	CRISIL AA+/ Stable		IND AA+/ Stable	
13	INE667A08039	BASEL III TIER II	1,000.00	28-Sep-25	CRISIL AAA/ Stable			CARE AAA/ Stable
14	INE476A08092	BASEL III AT I Bonds S-2 2020-21	169.10	Perpetual	CRISIL AA+/ Stable		IND AA+/ Stable	
15	INE476A08126	BASEL III AT I 2021 S1	1,500.00	Perpetual	CRISIL AA+/ Stable		IND AA+/ Stable	
16	INE667A08013	BASEL III TIER II	750.00	02-Dec-24	CRISIL AAA/ Stable			CARE AAA/ Stable
17	INE476A08134	BASEL III AT I 2021-22 SR II	1,500.00	Perpetual	CRISIL AA+/ Stable		IND AA+/ Stable	
18	INE667A08047	BASEL III TIER II	750.00	18-Dec-25	CRISIL AAA/ Stable			CARE AAA/ Stable
19	INE476A08142	BASEL III TIER II S 1	2,500.00	24-Dec-36			IND AAA/ Stable	CARE AAA/ Stable
20	INE667A09177	LOWER TIER II S-12	1,000.00	31-Dec-22	CRISIL AAA/ Stable			CARE AAA/ Stable
21	INE476A09264	BASEL III TIER II SERIES I - 2015-16	1,500.00	31-Dec-25	CRISIL AAA/ Stable	ICRA (AAA) Stable	IND AAA/ Stable	
22	INE476A08100	BASEL III AT I Bonds S-3 2020-21	1,635.00	Perpetual	CRISIL AA+/ Stable		IND AA+/ Stable	
Total			26,686.10					
Certificate of Deposit			30,000.00		CRISIL A1+			

The Details of the Trustee for Bonds issued by Bank are as under :

Name of The Bond Trustee	Address	ISIN Number
SBICAP Trustee Company Ltd.	Mistry Bhavan, 4th Floor, 122, Dinshaw Vachha Road, Churchgate, Mumbai - 400 020	All the ISIN except INE667A09177 & INE476A08142
Axis Trustee Services Limited	The Ruby, 2nd Floor, SW, 29, Senapati Bapat Marg, Dadar West, Mumbai - 400 028	INE667A09177 & INE476A08142

10) प्रकटीकरण

क) बैंक के संबंधित पक्ष संव्यवहार को यथा दिनांक 31.03.2022 को तुलन पत्र के लेखांकन संबंधी अनुसूची 18 में प्रकट की गई है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कोई महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष संव्यवहार नहीं हुआ है।

ख) शेयरों की सूची के बाद से बैंक ने पूंजी बाजार से संबंधित सभी मामलों का अनुपालन किया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले में स्टॉक एक्सचेंजों या सेबी या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा बैंक पर कोई दंड या सख्ती नहीं लगाई गई है।

ग) बैंक ने भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार एक पर्दाफास नीति (व्हिसल ब्लोअर नीति) तैयार की है और पर्दाफास करने वाले को सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके अलावा, किसी भी कर्मचारी को बैंक की लेखापरीक्षा समिति तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है।

घ) बैंक ने नियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक/सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए जुर्माने के ब्यौरे को खातों की टिप्पणियों में प्रकट किए गए हैं।

ङ) कॉरपोरेट अभिशासन (कॉर्पोरेट अभिशासन नीति और संबंधित पार्टी संव्यवहार संबंधी नीति और 'महत्वपूर्ण' अनुषंगी कंपनियों के निर्धारण के लिए) के प्रावधानों से संबंधित नीतियों को बैंक की साइट पर अपलोड किया गया है और इसे निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है: www.canarabank.com → Investor relations → Acts / Statutory policies / Schemes यथा दिनांक 31.03.2022 को बैंक की कोई महत्वपूर्ण अनुषंगियाँ नहीं है।

च) पण्य (कमोडिटी) मूल्य जोखिम और पण्य बचाव (कमोडिटी हेजिंग) गतिविधियों का प्रकटीकरण: लागू नहीं

छ) अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्वालिफाइड इंस्टीव्यूशनल प्लेसमेंट) के माध्यम से जुटाए गए निधि के उपयोग का विवरण: बैंक ने दिनांक 24.08.2021 को लागू प्रावधानों के अनुसार अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) के माध्यम से ₹2500 करोड़ जुटाए हैं।

10) Disclosures

a) The Related Party Transactions of the Bank are disclosed in the notes on accounts schedule 18 of the Balance Sheet as on 31.03.2022. Further, there are no materially significant related party transactions during the financial year 2021-22.

b) The Bank has complied with all matters related to capital market since its listing of shares. There are no penalties or strictures imposed on the Bank by the stock exchanges or SEBI or any other statutory authorities on any matter related to capital Markets, during the last three years.

c) The Bank has drawn a Whistle Blower Policy as per the GOI guidelines and the protection has been extended to the Whistle Blower(s). Further, no personnel have been denied access to the Audit Committee of the Bank.

d) The Bank has complied with all the mandatory requirements prescribed by Regulatory Authorities. The details of penalties levied by RBI/Statutory authorities have been disclosed in the notes to accounts.

e) The policies related to the provisions of Corporate Governance (Corporate Governance Policy and Policy for Related Party Transactions and for determining 'Material' Subsidiaries), have been uploaded on the site of the Bank and the same can be viewed at the following link : www.canarabank.com → Investor relations → Acts / Statutory policies / Schemes. There are no material subsidiaries of the bank as on 31.03.2022.

f) Disclosure of Commodity price risks and commodity hedging activities : Not Applicable

g) Details of utilization of funds raised through Qualified Institutional Placement: The Bank has, on 24.08.2021, raised ₹2,500 crore through Qualified Institutional Placement (QIP) in accordance with the applicable provisions.

जुटाई गई धनराशि का उपयोग विकास योजनाओं का समर्थन करने और बैंक कारोबार और सामान्य कॉर्पोरेट आवश्यकताओं को बढ़ाने के लिए बैंक की पूंजी को बढ़ाने में किया गया था।

ज) एसीएस एस विश्वनाथन, पेशेवर कंपनी सचिव ने प्रमाणित किया है, कि यथा दिनांक 31.03.2022 तक बोर्ड (सेबी) या ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा बैंक के किसी भी निदेशकों में से किसी को भी केनरा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है - इस रिपोर्ट में उक्त प्रमाणपत्र परिशिष्ट 'ग' के बाद उक्त प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है।

झ) वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, ऐसे कोई उदाहरण प्रतीत नहीं हुए, जहां अनिवार्य रूप से आवश्यक मामलों को बोर्ड द्वारा बोर्ड समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया हो। अनिवार्य रूप से आवश्यक वैसे सभी सिफारिशों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।

ञ) सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान किए गए कुल शुल्क (समेकित) का विवरण

ए. वित्त वर्ष 2020–21 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान किया गया कुल पेशेवर शुल्क और अन्य व्यय - ₹86.58 करोड़।

बी. वित्त वर्ष 2021–22 के लिए किया गया कुल पेशेवर शुल्क और अन्य संबंधित खर्चों का भुगतान और प्रावधान - ₹68.83 करोड़।

ट) कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण:

ए. वित्त वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या - 6

बी. वित्त वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या - 6

सी. वित्त वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या - 0

The funds raised were utilized to augment the Bank's capital to support growth plans and to enhance the business of the Bank and general corporate requirements.

h) ACS S Viswanathan, Practicing Company Secretary has certified that none of the Directors on the Board of the Bank have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as the Directors of Canara Bank, by the Board (SEBI) or any such statutory authority as on 31.03.2022 - The said Certificate is provided after the APPENDIX C to the report.

i) During the FY 2021-22, there were no such instances, where the board did not accept recommendations of the Committee of the Board which is mandatorily required. All the recommendations that are mandatorily required were approved by the Board.

j) Details of total fees (consolidated) paid to Statutory Auditors

a. Total Professional Fee and other expenses paid to statutory Auditors for the Financial Year 2020-21 - ₹86.58 Crore.

b. Total professional fee and other related expenses paid and made provision for financial year 2021-22 - ₹68.83 Crore.

k) Disclosures in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013:

a. Number of complaints filed during the financial year - 6

b. Number of complaints disposed of during the financial year - 6

c. Number of complaints pending at the end of the financial year - 0

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 27(1) की विवेकाधीन आवश्यकताओं के कार्यान्वयन की सीमा निम्नानुसार है:

क्रमांक	विवेकाधीन अपेक्षा	कार्यान्वयन की स्थिति
क	**बोर्ड** गैर कार्यकारी अध्यक्ष सूचीबद्ध इकाई के व्यय पर अध्यक्ष का कार्यालय संभालने हेतु अर्ह हैं और साथ ही अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति उन्हें अनुमत है।	नहीं
ख	**शेयरधारक अधिकार**	बैंक ने वर्ष के दौरान किए गए उल्लेखनीय विकास से संबंधित सार संक्षेप सहित वार्षिक वित्तीय परिणाम सारे शेयरधारकों को भेजा है । वित्तीय परिणाम बैंक की वेबसाइट पर भी अद्यतन किए जाते हैं।
ग	**लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित राय**	वर्ष 2021–22 के लिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट असंशोधित राय के साथ प्रस्तुत की गई है। बैंक के लेखापरीक्षक रिपोर्ट में विशेष कुछ नहीं है।
घ	**अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अलग–अलग पद**	भारत सरकार ने अध्यक्ष और एमडी एवं सीईओ के पद पर अलग–अलग व्यक्ति को नामित / नियुक्त किया है। गैर–कार्यकारी अध्यक्ष, श्री टी एन मनोहरन ने 13.08.2020 को अपना कार्यकाल पूरा किया।
ङ	**आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टिंग**	महा प्रबंधक, निरीक्षण विभाग (आंतरिक लेखापरीक्षा) तथा उनके द्वारा नामांकित अधिकारियों को सभी अभिलेखों, आस्तियों, कार्यकलापों तथा कार्मिकों और बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति व वरिष्ठ प्रबंधन तंत्र में पूर्ण व अप्रतिबंधित अभिगम है।

The extent of implementation of Discretionary Requirements of Regulation 27(1) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 is as under:

Sl. No.	Discretionary Requirements	Status of Implementation
A	**The Board** A non-executive Chairman may be entitled to maintain a Chairman's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.	NO
B	**Shareholder Rights**	The Bank has sent Annual Financial Results along with the summary of significant developments during the year, to all the shareholders. The financial results are also updated on the website of the bank.
C	**Modified Opinion(s) in Audit Report**	The Audit Report for the year 2021-22 is submitted with UNMODIFIED OPINION. There is no qualification in Auditors report of the Bank.
D	**Separate Posts of Chairman and CEO**	The Government of India has nominated / appointed separate person to the post of Chairperson and MD & CEO. The non-executive Chairman, Mr T N Manoharan completed his tenure on 13.08.2020
E	**Reporting of Internal Auditor**	The General Manager, Inspection Wing (Internal Audit) and the officials nominated by him have unrestricted access to all records, assets, functions and personnel & have full and free access to the Audit Committee of the Board and Senior Management

- निदेशक मंडल, लेखापरीक्षा समिति/ अन्य समितियों का गठन, निदेशकों का पारिश्रमिक, बोर्ड प्रक्रिया/ संबंधित पक्ष संव्यवहार / पर्दाफास व्हिसल ब्लोअर / प्रबंधन और हमारे बैंक के संबंध में अनुपालन, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, बैंकिंग

- The Constitution of Board of Directors, Audit Committee / other Committees, Remuneration of Directors, Board procedures / Related Party Transactions / Whistle Blower / Management and compliance in respect of our Bank are governed

विनियमन अधिनियम, 1949, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेश / भारत सरकार के दिशानिर्देश /आईसीएआई - लेखा मानक के प्रावधानों के तहत अभिशासित होते हैं। बैंक, विनियमन के 17 से 27 में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट अभिशासन संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन करता है और विनियमन 46 के उप–विनियमन (2) के खंड (बी) से (आई) तक उल्लिखित दिशानिर्देशों / विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है।

- **सीईओ और सीएफओ प्रमाणन**

  बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) ने निदेशक मंडल को सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 17 (8) के तहत यथा आवश्यक वित्त वर्ष 2021-22 हेतु बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग और आंतरिक नियंत्रण पर प्रमाण पत्र प्रदान किया है।

- **आचार संहिता**

  बैंक ने 'आचार संहिता' को अपनाया है जो बैंक और उसके कर्मचारियों पर लागू होता है, जिसमें प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशक और गैर–कार्यकारी / स्वतंत्र / शेयरधारक / सरकार द्वारा नामित / आरबीआई द्वारा नामित निदेशक भी शामिल हैं। आचार संहिता कंपनी की वेबसाइट www.canarabank.com पर भी उपलब्ध है।

- **लाभांश वितरण नीति**

  बैंक के पास भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन 2015 के विनियम 43ए के तहत एक लाभांश वितरण नीति है, जो अपने शेयरधारकों को लाभांश के वितरण का निर्धारण करने में बोर्ड द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले मापदंडों और परिस्थितियों को निर्धारित करता है। नीति को इस वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है और यह बैंक की वेबसाइट www.canarabank.com में, निम्नलिखित लिंक - Investor Relations → Acts / Statutory policies / Schemes में भी उपलब्ध है।

- **वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा**

  सेबी(एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 24ए और सेबी परिपत्र सीआईआर/सीएफडी/सीएमडीआई/27/2019 दिनांक 08 फरवरी, 2019 की आवश्यकताओं के अनुरूप, बैंक ने वित्त वर्ष 2021–22 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में श्री एस. विश्वनाथन, पेशेवर कंपनी सचिव (सीओपी 5284) की नियुक्ति की है। बैंक के सदस्यों को संबोधित उनकी रिपोर्ट, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है, को बोर्ड रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में संलग्न किया गया है।

under the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Banking Regulation Act, 1949, Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 and RBI Directives / GOI Guidelines / ICAI-Accounting Standards in this regard. The Bank complies with corporate governance requirements specified in regulation 17 to 27 and clause (b) to (i) of sub-regulation (2) of regulation 46 to the extent it does not violate the provisions of aforesaid guidelines / regulations.

- **CEO and CFO Certification**

  The MD & CEO and the Chief Financial Officer (CFO) of the Bank have given certification on financial reporting and internal controls of Bank for the financial year 2021-22 to the Board of Directors as required under regulation 17(8) of SEBI (LODR), Regulations, 2015.

- **Code of Conduct**

  The Bank has adopted the 'Code of Conduct' which is applicable to the Bank and its employees, including the Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Directors and also the non-executive / independent / shareholder director/ Govt. Nominee / RBI Nominee. The Code of conduct is posted on the Company's website at www.canarabank.com.

- **Dividend Distribution Policy**

  As required under Regulation 43A of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Bank has a dividend distribution policy in place which sets out the parameters and circumstances that will be taken into account by Board in determining distribution of dividend to its shareholders. The policy is given in this Annual Report and is also available at Bank's website www.canarabank.com at the link: Investor relations → Acts / Statutory policies / Schemes.

- **Secretarial Audit for Financial Year 2021-22**

  Pursuant to the requirements of Regulation 24A of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 & SEBI Circular CIR/CFD/CMD1/27/2019 dated February 08, 2019, the Bank has appointed Mr. S. VISWANATHAN, Practising Company Secretary (COP 5284) as the Secretarial Auditor for FY 2021-22. The report addressed to the members of the Bank which forms part of this Annual Report is attached as an annexure to the Board's report.

परिशिष्ट क

i. निदेशक मंडल की संरचना (31.03.2022)

क्र सं	नाम	शैक्षिक योग्यता	कार्यकाल	अध्यक्ष की संख्या / सूचीबद्ध इकाइयों की एसीबी / एसआरसी में सदस्यता (बैंक सहित)	अन्य बोर्ड समितियों की अध्यक्षता / निदेशकत्व / सदस्यता
1.	**श्री एल वी प्रभाकर** प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	एम.एससी (कृषि), सीएआईआईबी	01.02.2020-31.12.2022	-	1. केन फिन होम्स लिमिटेड 2. केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड 3. केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 4. इंडियन इंस्टीव्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस
2.	**श्री देवाशीष मुखर्जी** कार्यपालक निदेशक	बी.एससी, बी.ए, एमबीए, सीएआईआईबी	19.02.2018-18.02.2023	3	1. केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, गैर–कार्यपालक निदेशक के रूप में 2. केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, गैर–कार्यपालक निदेशक के रूप में 3. केनरा बैंक सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, अध्यक्ष के रूप में 4. केन फिन होम्स लिमिटेड, गैर–कार्यपालक निदेशक के रूप में 5. हॉयर एजुकेशन फाइनेंशिंग एजेंसी, गैर–कार्यपालक निदेशक के रूप में 6. केनरा वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड, अध्यक्ष के रूप में 7. केनरा बैंक तंजानिया लिमिटेड
3.	**सुश्री ए मणिमेखलै** कार्यपालक निदेशक	बी.ए, एमबीए (विपणन), सीएआईआईबी	11.02.2019-10.02.2024	6	1. केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नॉमिनी निदेशक के रूप में 2. केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड – नॉमिनी निदेशक और अध्यक्ष के रूप में 3. केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड, नॉमिनी निदेशक और अध्यक्ष के रूप में 4. जनरल इंश्योरेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्वतंत्र निदेशक के रूप में 5. इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, नॉमिनी निदेशक के रूप में

Appendix A

i. COMPOSITION OF BOARD OF DIRECTORS (31.03.2022)

Sl NO.	NAME	EDUCATIONAL QUALIFICATION	TERM OF OFFICE	NO. OF CHAIRMAN/ MEMBERSHIP IN ACB / SRC OF LISTED ENTITIES (INCLUDING BANK)	CHAIRMANSHIP / DIRECTORSHIPS / MEMBERSHIP OF OTHER BOARD COMMITTEES
1.	**Shri L V Prabhakar** Managing Director & CEO	M.Sc (Agri), CAIIB	01.02.2020-31.12.2022	-	1. Can Fin Homes Limited 2. Canara Robeco Asset Management Company Limited 3. Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited 4. Indian Institute of Banking and Finance
2.	**Shri Debashish Mukherjee** Executive Director	B.Sc, B.A MBA, CAIIB	19.02.2018-18.02.2023	3	1. Canara Robeco Asset Management Company Limited, as Non - Executive Director 2. Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited, as Non - Executive Director 3. Canara Bank Securities Limited, as Chairman 4. Can Fin Homes Limited, as Non - Executive Director 5. Higher Education Financing Agency, as Non - Executive Director 6. Canara Venture Capital Fund Limited, as Chairman 7. Canara Bank Tanzania Limited
3.	**Ms A Manimekhalai** Executive Director	B.A, MBA (Mktg), CAIIB	11.02.2019-10.02.2024	6	1. Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited, as Nominee Director 2. CanBank Factors Limited, as - Nominee Director & Chairperson 3. CanBank Computer Services Limited, as Nominee Director & Chairperson 4. General Insurance Corporation of India, as Independent Director 5. India Infrastructure Finance Company Limited, as Nominee Director

परिशिष्ट क

i. निदेशक मंडल की संरचना (31.03.2022)

क्र सं	नाम	शैक्षिक योग्यता	कार्यकाल	अध्यक्ष की संख्या / सूचीबद्ध इकाई की एसीबी / एसआरसी में सदस्यता (बैंक सहित)	बोर्ड समितियों की अध्यक्षता / निदेशकत्व / सदस्यता
4.	**श्री के सत्यनारायण राजू** कार्यपालक निदेशक	बीएससी एमबीए (बैंकिंग व फाइनांस), सीएआईआईबी	10.03.2021- 09.03.2024	1	शून्य
5.	**श्री बृज मोहन शर्मा** कार्यपालक निदेशक	बी. कॉम गोल्ड मेडलिस्ट एम. कॉम, सीएआईआईबी	19.05.2021- 30.06.2023	1	शून्य
6.	**श्री सुचीन्द्र मिश्रा,** भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक	बी.एससी, पीजीडीएम	14.06.2016 से अगले आदेश तक	1	शून्य
7.	**श्री आर केशवन,** भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक	एम. ए. एम.सीजे, सीएआईआईबी	26.04.2019 से अगले आदेश तक	1	शून्य
8.	**सुश्री नलिनी पद्मनाभन** अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक (एनईडी)	बी.कॉम, एफसीए, डीआईएसए, सीआईएसए	21.12.2021– 20.12.2024	1	1. प्रेरणा एजुकेशनल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड 2. इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट एंड सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड 3. इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड
9.	**श्री दिबाकर प्रसाद हरिचंदन** अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक (एनईडी)	एम.कॉम, एफसीए, एलएलबी	21.03.2022 20.03.2025	-	शून्य
10.	**श्री वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर** शेयरधारक निदेशक	बीएससी (ऑनर्स), सीएआईआईबी	27.07.2016– 26.07.2022 (27.07.2019 को पुनः निर्वाचित)	2	ऊषा मार्टिन लि. (गैर–कार्यकारी निदेशक / स्वतंत्र निदेशक)

Appendix A

i. COMPOSITION OF BOARD OF DIRECTORS (31.03.2022)

SI NO.	NAME	EDUCATIONAL QUALIFICATION	TERM OF OFFICE	NO. OF CHAIRMAN/ MEMBERSHIP IN ACB / SRC OF LISTED ENTITIES (INCLUDING BANK)	CHAIRMANSHIP / DIRECTORSHIPS / MEMBERSHIP OF OTHER BOARD COMMITTEES
4.	**Shri K Satyanarayana Raju** Executive Director	BSc., MBA (Bkg & Fin), CAIIB	10.03.2021- 09.03.2024	1	NIL
5.	**Shri Brij Mohan Sharma** Executive Director	B.Com Gold Medalist, M.Com, CAIIB	19.05.2021- 30.06.2023	1	NIL
6.	**Shri Suchindra Misra** Government of India Nominee Director	B.Sc, PGDM	14.06.2016 Till further orders	1	NIL
7.	**Shri R Kesavan** RBI Nominee Director	M.A , M.Cj, CAIIB	26.04.2019 Till further orders	1	NIL
8.	**Ms Nalini Padmanabhan** Part-time, Non-official Director (NED)	B.Com, FCA, DISA, CISA	21.12.2021 20.12.2024	1	1. Prerana Educational Media Private Limited 2. Information Systems Audit and Solutions Private Limited 3. Indradhanush Gas Grid Limited
9.	**Shri Dibakar Prasad Harichandan** Part-time, Non-official Director (NED)	M.COM, FCA, LLB	21.03.2022 20.03.2025	-	NIL
10.	**Shri Venkatachalam Ramakrishna Iyer,** Shareholder Director	B.Sc (Hons), CAIIB	27.07.2016- 26.07.2022 (Re elected on 27.07.2019)	2	Usha Martin Limited (Non-Executive Director / Independent Director)

परिशिष्ट क

i. निदेशक मंडल की संरचना (31.03.2022)

क्र सं	नाम	शैक्षिक योग्यता	कार्यकाल	अध्यक्ष की संख्या / सूचीबद्ध इकाई की एसीबी / एसआरसी में सदस्यता (बैंक सहित)	बोर्ड समितियों की अध्यक्षता / निदेशकत्व / सदस्यता
11.	**श्री बिमल प्रसाद शर्मा** शेयरधारक निदेशक	बीएससी (ऑनर्स), एम.ए, एलएलबी	27.07.2019–26.07.2022	2	शून्य
12.	**श्री करुणाकर शेट्टी** शेयरधारक निदेशक	एम.कॉम., एफसीए	30.11.2021–29.11.2024	2	शून्य

Appendix A

i. COMPOSITION OF BOARD OF DIRECTORS (31.03.2022)

Sl NO.	NAME	EDUCATIONAL QUALIFICATION	TERM OF OFFICE	NO. OF CHAIRMAN/ MEMBERSHIP IN ACB / SRC OF LISTED ENTITIES (INCLUDING BANK)	CHAIRMANSHIP / DIRECTORSHIPS / MEMBERSHIP OF OTHER BOARD COMMITTEES
11.	**Shri Bimal Prasad Sharma,** Shareholder Director	B.Sc (Hons), M.A, LLB	27.07.2019-26.07.2022	2	NIL
12.	**Shri Karunakara Shetty** Shareholder Director	M.COM, FCA	30.11-2021-29.11.2024	2	NIL

ii. 2021–22 के दौरान कार्यकाल समाप्त निदेशकों का विवरण: शून्य

ii. PARTICULARS OF DIRECTORS WHOSE TERM HAS ENDED DURING 2021-22 : NIL

संकेत / KEY

प्र नि एवं मु का अ / MD & CEO	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी / Managing Director & Chief Executive Officer
का नि / ED	कार्यपालक निदेशक / Executive Director
भा स / GOI	भारत सरकार / Government of India
भा रि बैं / RBI	भारतीय रिज़र्व बैंक / Reserve Bank of India
अ नि / OD	अधिकारी निदेशक / Officer Director
गैर का नि/ NED	गैर–कार्यकारी निदेशक / Non-Executive Director
शे नि / SD	शेयरधारक निदेशक / Shareholder Director
काम. नि / WD	कामगार निदेशक / Workmen Director
ला न / NA	लागू नहीं / Not Applicable

iii. बोर्ड की समितियों की संरचना (यथा 31.03.2022)

COMPOSITION OF COMMITTEES OF THE BOARD (As on 31.03.2022)

समिति / COMMITTEE	अध्यक्ष / CHAIRMAN	सदस्य / MEMBERS
प्रबंधन समिति Management Committee	श्री एल वी प्रभाकर Shri L V Prabhakar	श्री देवाशीष मुखर्जी / Shri Debashish Mukherjee सुश्री ए मणिमेखलै / Ms A Manimekhalai श्री के सत्यनारायण राजू / Shri K Satyanarayana Raju श्री बृज मोहन शर्मा / Shri Brij Mohan Sharma श्री आर केशवन / Shri R Kesavan श्री वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर / Shri Venkatachalam Ramakrishna Iyer
जोखिम प्रबंधन समिति Risk Management Committee	श्री बिमल प्रसाद शर्मा Shri Bimal Prasad Sharma	श्री एल वी प्रभाकर / Shri L V Prabhakar श्री बृज मोहन शर्मा / Shri Brij Mohan Sharma श्री वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर / Shri Venkatachalam Ramakrishna Iyer श्री करुणाकर शेट्टी / Shri Karunakara Shetty
लेखापरीक्षा समिति Audit Committee	सुश्री नलिनी पद्मनाभन Ms Nalini Padmanabhan	श्री सुचीन्द्र मिश्रा / Shri Suchindra Misra श्री आर केशवन / Shri R Kesavan श्री बिमल प्रसाद शर्मा / Shri Bimal Prasad Sharma श्री करुणाकर शेट्टी / Shri Karunakara Shetty
हितधारक संबंध समिति Stakeholders Relationship Committee	श्री वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर Shri Venkatachalam Ramakrishna Iyer	श्री देवाशीष मुखर्जी / Shri Debashish Mukherjee सुश्री ए मणिमेखलै / Ms A Manimekhalai श्री के सत्यनारायण राजू / Shri K Satyanarayana Raju श्री बृज मोहन शर्मा / Shri Brij Mohan Sharma श्री बिमल प्रसाद शर्मा / Shri Bimal Prasad Sharma श्री करुणाकर शेट्टी / Shri Karunakara Shetty
नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति Nomination and Remuneration Committee	श्री करुणाकर शेट्टी Shri Karunakara Shetty	सुश्री नलिनी पद्मनाभन / Ms Nalini Padmanabhan श्री वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर / Shri Venkatachalam Ramakrishna Iyer

निदेशकों की उपस्थिति का विवरण

क्र सं	नाम	बोर्ड बैठक	प्रबंधन समिति बैठक	लेखा परीक्षा समिति बैठक	एस.आर. सी.बैठक	जोखिम प्रबंधन समिति बैठक	एन.आर.सी. बैठक	पिछली वार्षिक सामान्य बैठक	धारित शेयरों की संख्या
		उपस्थिति / आयोजित	उपस्थिति / आयोजित	उपस्थिति / आयोजित	उपस्थिति / आयोजित	उपस्थिति / आयोजित	उपस्थिति / आयोजित	उपस्थिति / आयोजित	
1.	श्री एल वी प्रभाकर	10/10	14/14	-	-	06/06	-	1/1	-
2.	श्री देवाशीष मुखर्जी	08/10	14/14	-	02/02	02/03	-	1/1	500
3.	सुश्री ए मणिमेखलै	10/10	14/14	-	02/02	03/03	-	1/1	-
4.	श्री के सत्यनारायण राजु	09/10	11/14	05/05	02/02	03/03	-	1/1	-
5.	श्री बृज मोहन शर्मा	08/09	13/13	-	02/02	05/05	-	1/1	
6.	श्री सुचीन्द्र मिश्रा	09/10	-	06/08	-	-	-	-	-
7.	श्री आर केशवन	10/10	14/14	08/08	-	-		1/1	131
8.	सुश्री नलिनी पद्मनाभन	04/04	-	03/03	-	-	-	-	-
9.	श्री दिबाकर प्रसाद हरिचंदन	01/01	-	-	-	-	-	-	-
10.	श्री वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर	10/10	05/05	05/05	02/02	06/06	-	1/1	125
11.	श्री बिमल प्रसाद शर्मा	10/10	09/09	03/03	02/02	06/06	-	1/1	108
12	श्री करुणाकर शेट्टी	04/04	-	03/03	01/01	03/03	-	-	200

DETAILS OF ATTENDANCE OF DIRECTORS

SL. NO.	NAME	BOARD MEETING	MANAGE-MENT COMMITTEE MEETING	AUDIT COMMITTEE MEETING	SRC MEETING	RISK MAN-AGEMENT COMMITTEE MEETING	NRC MEETING	LAST ANNUAL GENERAL MEETING	NO. OF SHARES HELD
		Attended/ Held	Attended/ Held	Attended/ Held	Attended/ Held	Attended/ Held	Attended/ Held	Attended/ Held	
1.	SHRI L V PRABHAKAR	10/10	14/14	-	-	06/06	-	1/1	-
2.	SHRI DEBASHISH MUKHERJEE	08/10	14/14	-	02/02	02/03	-	1/1	500
3.	Ms A MANIMEKHALAI	10/10	14/14	-	02/02	03/03	-	1/1	-
4.	SHRI K SATYANARAYANA RAJU	09/10	11/14	05/05	02/02	03/03	-	1/1	-
5.	SHRI BRIJ MOHAN SHARMA	08/09	13/13	-	02/02	05/05	-	1/1	
6.	SHRI SUCHINDRA MISRA	09/10	-	06/08	-	-	-	-	-
7.	SHRI R KESAVAN	10/10	14/14	08/08	-	-		1/1	131
8.	Ms NALINI PADMANABHAN	04/04	-	03/03	-	-	-	-	-
9.	SHRI DIBAKAR PRASAD HARICHANDAN	01/01	-	-	-	-	-	-	-
10.	SHRI VENKATACHALAM RAMAKRISHNA IYER	10/10	05/05	05/05	02/02	06/06	-	1/1	125
11.	SHRI BIMAL PRASAD SHARMA	10/10	09/09	03/03	02/02	06/06	-	1/1	108
12	SHRI KARUNAKARA SHETTY	04/04	-	03/03	01/01	03/03	-	-	200

परिशिष्ट - ख

निदेशकों की उपस्थिति का विवरण जिनका कार्यकाल वर्ष 2021–22 के दौरान समाप्त हो गया है: शून्य

नोट: यथा 31.03.2022 को कोई भी निदेशक द्वारा कोई संपरिवर्तनीय लिखत नहीं रखा गया।

विभिन्न बैठकों की तारीख							
बोर्ड बैठक	प्रबंधन समिति बैठक	लेखा–परीक्षा समिति बैठक	एस.आर.सी* बैठक	जोखिम प्रबंधन समिति बैठक	एनआरसी बैठक	पिछली वार्षिक सामान्य बैठक	ईजीएम
18.05.2021	21.04.2021	18.05.2021	17.08.2021	05.05.2021		03.08.2021	
28.05.2021	25.05.2021	28.06.2021	09.03.2022	25.06.2021			
27.07.2021	11.06.2021	27.07.2021		31.08.2021			
31.08.2021	25.06.2021	07.09.2021		30.12.2021			
26.10.2021	16.07.2021	26.10.2021		28.02.2022			
29.11.2021	13.08.2021	19.01.2022		28.03.2022			
27.01.2022	13.09.2021	27.01.2022					
15.02.2022	28.09.2021	10.03.2022					
10.03.2022	09.11.2021						
28.03.2022	17.12.2021						
	19.01.2022						
	15.02.2022						
	09.03.2022						
	28.03.2022						

कुंजी :
एस आर सी : शेयरधारक संबंध समिति की बैठक
एन आर सी : नामांकन व पारिश्रमिक समिति
ला न : लागू नहीं

Appendix - B

DETAILS OF ATTENDANCE OF DIRECTORS WHOSE TERM HAS ENDED DURING 2021-2022 : NIL

NOTE : None of the Directors hold any convertible instruments as on 31.03.2022

DATES OF VARIOUS MEETINGS							
BOARD MEETING	MANAGEMENT COMMITTEE MEETING	AUDIT COMMITTEE MEETING	SRC* MEETING	RISK MANAGEMENT COMMITTEE MEETING	NRC MEETING	LAST ANNUAL GENERAL MEETING	EGM
18.05.2021	21.04.2021	18.05.2021	17.08.2021	05.05.2021		03.08.2021	
28.05.2021	25.05.2021	28.06.2021	09.03.2022	25.06.2021			
27.07.2021	11.06.2021	27.07.2021		31.08.2021			
31.08.2021	25.06.2021	07.09.2021		30.12.2021			
26.10.2021	16.07.2021	26.10.2021		28.02.2022			
29.11.2021	13.08.2021	19.01.2022		28.03.2022			
27.01.2022	13.09.2021	27.01.2022					
15.02.2022	28.09.2021	10.03.2022					
10.03.2022	09.11.2021						
28.03.2022	17.12.2021						
	19.01.2022						
	15.02.2022						
	09.03.2022						
	28.03.2022						

KEY:
SRC : Stakeholders Relationship Committee Meeting
NRC : Nomination & Remuneration Committee
NA : Not Applicable

परिशिष्ट - ग

वर्ष 2021-22 के लिए निदेशकों को प्रदत्त बैठक शुल्क

क्रमांक	निदेशक का नाम	प्रदत्त बैठक शुल्क (₹)
1	सुश्री नलिनी पद्मनाभन	6,60,000
2	श्री दिबाकर प्रसाद हरिचंदन	70,000
3	श्री वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर	25,00,000
4	श्री बिमल प्रसाद शर्मा	25,00,000
4	श्री करुणाकर शेट्टी	7,00,000
	कुल	**64,30,000**

APPENDIX - C

SITTING FEES PAID TO DIRECTORS FOR THE YEAR 2021-22

Sl. No.	Name of the Director	Sitting Fees paid (₹)
1	Ms Nalini Padmanabhan	6,60,000
2	Shri Dibakar Prasad Harichandan	70,000
3	Shri Venkatachalam Ramakrishna Iyer	25,00,000
4	Shri Bimal Prasad Sharma	25,00,000
5	Shri Karunakara Shetty	7,00,000
	Total	**64,30,000**

सेबी [(सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) (संशोधन) विनियमन, 2018 – अनुसूची V (सी)(10)(i)] के अनुसार निदेशकों की अपात्रता का प्रकटन संबंधी प्रमाण पत्र

केनरा बैंक (इसके बाद 'बैंक' नाम से संदर्भित किया जाएगा) के निदेशकों से प्राप्त संबंधित रजिस्टर, रिकॉर्ड, फॉर्म, विवरणियाँ और प्रकटन को, जिसमें **सीआईएन (लागू नहीं)** है और जिसका पंजीकृत कार्यालय/ प्रधान कार्यालय 112, जे सी रोड, टाउन हॉल, बेंगलूरु- 560 002, कर्नाटक में है, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियम 34 (3) और अनुसूची V पैरा–सी उप खंड 10(i) के अनुसार, इस प्रमाण–पत्र को जारी करने के उद्देश्य हेतु बैंक द्वारा मेरे समक्ष प्रस्तुत किए गए, जिसकी मैंने जांच की है।

मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और कंपनी/ बैंक और उसके अधिकारियों द्वारा मुझे प्रस्तुत स्पष्टीकरणों और यथा निर्धारित आवश्यक [निदेशकों की पहचान संख्या (डीआईएन) सहित] सत्यापन के अनुसार, मैं एततद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए बैंक के निम्नलिखित निदेशक मंडल में से किसी भी निदेशक को, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, या ऐसे किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या जारी रखने से विवर्जित या अपात्र घोषित नहीं किया गया है।

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	डीआईएन	नियुक्ति की तारीख
1	श्री लिंगम वेंकट प्रभाकर	प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ.	08110715	01.02.2020
2	श्री देवाशीष मुखर्जी	कार्यपालक निदेशक	08193978	19.02.2018
3	सुश्री ए मणिमेखलै	कार्यपालक निदेशक	08411575	11.02.2019
4	श्री के सत्यनारायण राजू	कार्यपालक निदेशक	08607009	10.03.2021
5	श्री बृज मोहन शर्मा	कार्यपालक निदेशक	लागू नहीं	19.05.2021
6	श्री सुचीन्द्र मिश्रा	भारत सरकार नामित निदेशक	01873568	14.06.2016
7	श्री आर केसवन	भा.रि. बैंक नामित निदेशक	लागू नहीं	26.04.2019
8	सुश्री नलिनी पद्मनाभन	अंशकालिक, गैर-सरकारी निदेशक	01565909	21.12.2021
9	श्री दिबाकर प्रसाद हरिचन्दन	अंशकालिक, गैर-सरकारी निदेशक स्वतंत्र निदेशक	02533662	21.03.2022
10	श्री वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर	शेयरधारक निदेशक - स्वतंत्र निदेशक	02194830	27.07.2019
11	श्री बिमल प्रसाद शर्मा	शेयरधारक निदेशक - स्वतंत्र निदेशक	06370282	27.07.2019
12	श्री करुणाकर शेट्टी	शेयरधारक निदेशक - स्वतंत्र निदेशक	08994933	30.11.2021

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति / निरंतरता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना बैंक के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इन पर राय व्यक्त करें। यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी के भविष्य की व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावशीलता, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

एस विश्वनाथन
पेशेवर कंपनी सचिव
एसीएस सं.: 5284
सीपी सं.: 5284
यूडीआईएन : ए005284डी000281901

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 06.05.2022

CERTIFICATE REGARDING DISCLOSURES
PERTAINING TO DISQUALIFICATION OF DIRECTORS PURSUANT TO SEBI
[(Listing Obligations and Disclosure Requirements)
(Amendment) Regulations, 2018 - Schedule V(C)(10)(i)]

I have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of **CANARA BANK** having **CIN (Not Applicable)** and having Registered Office / Head Office at 112, J C Road, Town Hall, Bengaluru - 560 002, Karnataka (hereinafter referred to as 'the Bank'), produced before me by the Bank for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para-C Sub clause 10(i) of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In my opinion and to the best of my information and according to the verifications [including Directors Identification Number (DIN)] as considered necessary and explanations furnished to me by the Bank & its officers, I hereby certify that none of the Directors on the Board of the Bank as stated below for the Financial Year ending on 31st March, 2022 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of Bank by the Securities and Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs, or any such other Statutory Authority.

Sl. No.	Name of Director	Designation	DIN	Date of Appointment
1	Shri Lingam Venkata Prabhakar	MD & CEO	08110715	01.02.2020
2	Shri Debashish Mukherjee	Executive Director	08193978	19.02.2018
3	Ms. A Manimekhalai	Executive Director	08411575	11.02.2019
4	Shri K Satyanarayana Raju	Executive Director	08607009	10.03.2021
5	Shri Brij Mohan Sharma	Executive Director	NA	19.05.2021
6	Shri Suchindra Misra	GOI - Nominee Director	01873568	14.06.2016
7	Shri R Kesavan	RBI - Nominee Director	NA	26.04.2019
8	Ms. Nalini Padmanabhan	Part-time, Non-official Director Independent Director	01565909	21.12.2021
9	Shri Dibakar Prasad Harichandan	Part-time, Non-official Director Independent Director	02533662	21.03.2022
10	Shri Venkatachalam Ramakrishna Iyer	Shareholder Director - Independent Director	02194830	27.07.2019
11	Shri Bimal Prasad Sharma	Shareholder Director - Independent Director	06370282	27.07.2019
12	Shri Karunakara Shetty	Shareholder Director - Independent Director	08994933	30.11.2021

Ensuring the eligibility for the appointment / continuity of every Director on the Board is the responsibility of the Management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

S Viswanathan
Practicing Company Secretary
ACS No: 5284
CP No: 5284
UDIN: A005284D000281901

Place : Bengaluru
Date : 06.05.2022

अनुबंध II – निदेशकों द्वारा घोषणा

सेवा में,
निदेशक मंडल
केनरा बैंक
प्र का बेंगलूरु

विषय: पुष्टि प्रमाण पत्र - आचार संहिता

इसके द्वारा दिनांक 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के निदेशकों पर लागू आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की जाती है।

एल वी प्रभाकर
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 06.05.2022

ANNEXURE II - DECLARATION BY THE DIRECTORS

To
The Board of Directors
Canara Bank
HO Bangalore

Sub: CERTIFICATE OF AFFIRMATION - CODE OF CONDUCT

This is to affirm compliance with the Code of Conduct as applicable to Directors of the Bank for the year ended 31.03.2022

Place : Bengaluru
Date : 06.05.2022

L.V. Prabhakar
Managing Director & CEO

कॉरपोरेट अभिशासन संबंधी लेखापरीक्षकों का प्रमाण पत्र

सेवा में,

केनरा बैंक के सदस्य

हमने केनरा बैंक द्वारा **31 मार्च 2022** को समाप्त वर्ष के लिए कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन का परीक्षण किया है, जैसा कि सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के तहत प्रासंगिक विनियमनों में निर्धारित है।

कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा परीक्षण कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनायी गयी क्रियाविधियों व उनके कार्यान्वयन तक सीमित था। यह न तो बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा है और न ही उस पर अभिमत की अभिव्यक्ति है।

बैंक द्वारा अनुरक्षित रिकार्डों व प्रलेखों तथा हमें प्रदान की गई सूचना व स्पष्टीकरणों के आधार पर, हमारी राय में सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के तहत प्रासंगिक विनियमनों में निर्धारित कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का बैंक ने अनुपालन किया है तथा संबंधित बैंकिंग सांविधिक / भारतीय रिज़र्व बैंक / भारत सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं किया है।

हम घोषित करते हैं कि हितधारक संबंध समिति द्वारा रखे गए अभिलेखों के अनुसार बैंक के खिलाफ एक महीने से अधिक अवधि के लिए कोई भी निवेशक शिकायत लंबित नहीं है।

हम आगे यह भी घोषित करते हैं कि ऐसा अनुपालन बैंक की भावी व्यवहार्यता के संबंध में न कोई आश्वासन है और न ही वह बैंक की कार्य कुशलता या प्रभावशालिता के बारे में आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक का कारोबार चलाया है।

कृते एन के भार्गव एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 000429N

एन के भार्गव
साझेदार

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 06.05.2022
सदस्यता संख्या: 080624
यूडीआईएन: 22080624A1MMET2857

AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To,

The Members of **Canara Bank**

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by CANARA BANK for the year ended **31st March 2022** as stipulated in the relevant Regulations under SEBI (LODR) Regulations, 2015.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

On the basis of the records and documents maintained by the Bank and the information and explanations given to us, in our opinion, the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the relevant regulations under SEBI (LODR) Regulations, 2015 to the extent these do not violate Relevant Banking Statues / RBI / GOI guidelines.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the Bank as per the records maintained by the Stakeholders Relationship Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

For N K BHARGAVA & CO.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 000429N

N K BHARGAVA
PARTNER

Place : Bengaluru
Date : 06.05.2022

Membership No.: 080624
UDI N: 22080624A1MMET2857

31.03.2022 को प्रमुख पदों, कार्यात्मक प्रमुखों और मुख्य महा प्रबंधक / महा प्रबंधक की सूची

क्रम सं.	नाम	पदनाम	अर्हता
1	बी उमाशंकर	मुख्य सतर्कता अधिकारी	एम एससी (कृषि), सीएआईआईबी, पीजीडीआईएम, सीओबीओएल में प्रमाण पत्र
क्रम सं.	नाम	पदनाम	अर्हता
1	ए वी राम राव	समूह मुख्य जोखिम अधिकारी (सीजीएम)	बीएससी, एमबीए, डिप ट्र रिस, सीएआईआईबी
2	एस के मजूमदार	मुख्य वित्त अधिकारी (जीएम)	बीकॉम (ऑनर्स), सीए, आईसीडब्ल्यूए
3	पुष्कर सिन्हा	मुख्य सूचना अधिकारी (जीएम)	बीए (ऑनर्स), सीएआईआईबी
4	ए नारायणन	मुख्य तकनीकी अधिकारी (जीएम)	एमए, एमसीए, सीएआईआईबी
5	आलोक कुमार अग्रवाल	बोर्ड सचिव (जीएम)	एमकॉम, सी एफ ए, एमबीए, सीएआईआईबी
6	पी रामसुब्रमणियन	प्रमुख आंतरिक लेखापरीक्षा (जीएम)	बीकॉम, सीएआईआईबी
7	अजित जोस	समूह मुख्य अनुपालन अधिकारी	बीए (अर्थशास्त्र), एमबीए, सीएएमएस, सीएफई
8	दीपक शुक्ला	मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (डीजीएम)	एमएससी (भौतिकी), एमबीए (बैंकिंग/फ़िनान्स), एमसीए, सीएआईआईबी
9	विनय मोहता	कंपनी सचिव (एजीएम)	एमकॉम, एसीएस, एफसीए, डीआईएसए, सीएआईआईबी
क्रम सं.	नाम	पदनाम	अर्हता
1	एल वी आर प्रसाद	मुख्य महा प्रबंधक	बीएससी, एमबीए (बैंकिंग/फ़िनान्स), सीएआईआईबी, सीसीपी
2	पी पलनिसामी	मुख्य महा प्रबंधक	एमएससी, सीएआईआईबी
3	वी रामचन्द्र	मुख्य महा प्रबंधक	बीएससी, आईसीडबल्यूए, सीएआईआईबी
4	पी संतोष	मुख्य महा प्रबंधक	एमएससी (कृषि), सीएआईआईबी
5	एस जे गवारे	मुख्य महा प्रबंधक	बीएससी, सीएआईआईबी
6	रामसुब्रमणियन एस	मुख्य महा प्रबंधक	बीएससी, सीएआईआईबी
7	भवेंद्र कुमार	मुख्य महा प्रबंधक	बीए (ऑनर्स) सीएआईआईबी
8	देबानंद साहू	मुख्य महा प्रबंधक	एमएससी (कृषि), एमबीए , सीएआईआईबी
9	नायर अजित कृष्णन	मुख्य महा प्रबंधक	बीकॉम, एलएलबी, एमबीए, सीएआईआईबी
10	एम परमसिवम	मुख्य महा प्रबंधक	बीएससी (कृषि), सीएआईआईबी - भाग I
11	के एच पटनायक	मुख्य महा प्रबंधक	बीएससी, बीजीएल, एमए, एमबीए, सीएआईआईबी
12	शंकर एस	मुख्य महा प्रबंधक	एमकॉम, आईसीडब्ल्यूए, सीएआईआईबी
13	अतुल कुमार	महा प्रबंधक	बीएससी, पीजीडीआईपी कॉम्प, प्रोफ सर्टिफिकेट सीसा, प्रोफ सर्टिफिकेट सीएसक्यूपी
14	उदय शंकर मजूमदार	महा प्रबंधक	एमकॉम, एमबीए, आईसीडब्ल्यूए, जेएआईआईबी
15	एस जयकुमार	महा प्रबंधक	एमबीए, सीएआईआईबी
16	सुधाकर आर अय्यर	महा प्रबंधक	बीएससी रसायन, एमबीए (बैंकिंग/फ़िनान्स), एलएलबी, सीएआईआईबी
17	श्रीकांत महापात्र	महा प्रबंधक	बी एससी (कृषि), एमबीए, एलएलबी, सीएआईआईबी
18	अशोक कुमार दास	महा प्रबंधक	एमएससी (कृषि), सीएआईआईबी

List of Key Positions, Functional Heads & Chief General Manager / General Manager as on 31.03.2022

S. No	NAME	DESIGNATION	QUALIFICATION
1	B UMA SANKAR	Chief Vigilance Officer	MSc (Agri), CAIIB, PGDIM, Certificate Course in COBOL
S. No	**NAME**	**DESIGNATION**	**QUALIFICATION**
1	A V RAMA RAO	Group Chief Risk Officer (CGM)	BSc, MBA, Dip Tr Ris, CAIIB
2	S K MAJUMDAR	Chief Financial Officer (GM)	BCom (Hons), CA, ICWA
3	PUSHKAR SINHA	Chief Information Officer (GM)	BA (Hons), CAIIB
4	A NARAYANAN	Chief Technology Officer (GM)	MA, MCA, CAIIB
5	ALOK KUMAR AGARWAL	Board Secretary (GM)	MCom, CFA, MBA, CAIIB
6	P RAMASUBRAMANIAN	Head Internal Audit (GM)	BCom, CAIIB
7	AJITH JOSE	Group Chief Compliance Officer	BA (Economics), MBA, CAMS, CFE
8	DEEPAK SHUKLA	Chief Information Security Officer (DGM)	MSc (Phy), MBA (BK/FI), MCA, CAIIB
9	VINAY MOHTA	Company Secretary (AGM)	MCom, ACS, FCA, DISA, CAIIB
S. No	**NAME**	**DESIGNATION**	**QUALIFICATION**
1	L V R PRASAD	Chief General Manager	BSc, MBA (BK/FI), CAIIB, CCP
2	P PALANISAMY	Chief General Manager	MSc, CAIIB
3	V RAMACHANDRA	Chief General Manager	BSc, ICWA, CAIIB
4	P SANTOSH	Chief General Manager	MSc (Agri), CAIIB
5	S J GAWARE	Chief General Manager	BSc, CAIIB
6	RAMASUBRAMANIAN S	Chief General Manager	BSc, CAIIB
7	BHAVENDRA KUMAR	Chief General Manager	BA (Hons), CAIIB
8	DEBANANDA SAHOO	Chief General Manager	MSc (Agri), MBA, CAIIB
9	NAIR AJIT KRISHNAN	Chief General Manager	BCom, LLB, MBA, CAIIB
10	M PARAMASIVAM	Chief General Manager	BSc (Agri), CAIIB - Part I
11	K H PATNAIK	Chief General Manager	BSc, BGL, MA, MBA, CAIIB
12	SHANKAR S	Chief General Manager	MCom, ICWA, CAIIB
13	ATUL KUMAR	General Manager	BSc, PGDip Comp, PROF Cert. CISA, PROF Cert. CSQP
14	UDAY SANKAR MAJUMDER	General Manager	MCom, MBA, ICWA, JAIIB
15	S JAYAKUMAR	General Manager	MBA, CAIIB
16	SUDHAKAR R IYER	General Manager	BSc Chemi, MBA (BK/FI), LLB, CAIIB
17	SHREEKANTA MOHAPATRA	General Manager	BSc (Agri), MBA, LLB, CAIIB
18	ASHOK KUMAR DASH	General Manager	MSc (Agri), CAIIB

19	रामा नायक	महा प्रबंधक	एमकॉम, जेएआईआईबी
20	राजेश कुमार सिंह	महा प्रबंधक	बीएससी (ऑनर्स), एमए, सीएआईआईबी
21	डॉ ए के पाण्डेय	महा प्रबंधक	एमए, एमबीए, सीएआईआईबी ,पीएच डी (अर्थशास्त्र)
22	अभय कुमार	महा प्रबंधक	बीए, एमबीए, सीएआईआईबी
23	योगेश बी आचार्य	महा प्रबंधक	बीकॉम, एलएलबी, सीएआईआईबी
24	के जे श्रीकांत	महा प्रबंधक	एमकॉम, सीएआईआईबी
25	राहुल भावे	महा प्रबंधक	एमएससी, सीएआईआईबी
26	टी वीरभद्र रेड्डी	महा प्रबंधक	एमकॉम, एमबीए, सीएआईआईबी
27	बी पी जाटव	महा प्रबंधक	बीएससी (कृषि), सीएआईआईबी
28	सुबोध कुमार	महा प्रबंधक	एमएससी (रसायन), एमबीए, सीएआईआईबी
29	राकेश कश्यप	महा प्रबंधक	एमएससी (कृषि), सीएआईआईबी
30	जयप्रकाश सी	महा प्रबंधक	बीएससी (मत्स्य पालन), सीएआईआईबी
31	जनार्दन राव पी वी	महा प्रबंधक	बीएससी, बीजीएल, सीएआईआईबी
32	आर अनुराधा	महा प्रबंधक	एमए, सीएआईआईबी
33	एस वेंकटरमणा	महा प्रबंधक	एमएससी (कृषि), जेएआईआईबी
34	पी गोपीकृष्ण	महा प्रबंधक	बीए, एमबीए (बैंकिंग/फ़िनान्स), सीएआईआईबी
35	बाबुलाल मीना	महा प्रबंधक	एमकॉम, एलएलबी, सीएआईआईबी
36	मेजुरी जॉन एमानुएल	महा प्रबंधक	एमकॉम, सीएआईआईबी
37	विजयलक्ष्मी सी एस	महा प्रबंधक	बीएससी, बीएड, एमए (हिंदी), एमफिल, सीएआईआईबी - भाग I
38	संजय कुमार सेनापति	महा प्रबंधक	एमए, एमबीए (बैंकिंग/फ़िनान्स), सीएआईआईबी
39	एम जी पंडित	महा प्रबंधक	एमकॉम, सीएआईआईबी
40	शेख़ नज़ीर अहमद	महा प्रबंधक	एमएससी (कृषि), जेएआईआईबी
41	आर कण्णन	महा प्रबंधक	एमकॉम, सीएआईआईबी
42	आर पी जायसवाल	महा प्रबंधक	बीकॉम, एमए (हिंदी)
43	के कल्याणी	महा प्रबंधक	एमकॉम, सीएआईआईबी
44	के वेंकट नरसिंह मूर्ति	महा प्रबंधक	बीएससी, एमए, जेएआईआईबी
45	प्रणय रंजन देव	महा प्रबंधक	एमए (हिन्दी), एमबीए, एलएलबी, सीएआईआईबी
46	बी चंद्रशेखर राव	महा प्रबंधक	एमएससी, सीएआईआईबी
47	एस वासुदेव शर्मा	महा प्रबंधक	बीएससी, एमबीए (बैंकिंग/फ़िनान्स), सीएआईआईबी
48	उमेश कुमार भल्ला	महा प्रबंधक	एमए, सीएआईआईबी
49	एच शेषगिरीदास	महा प्रबंधक	बीएससी, सीएआईआईबी
50	डी सुरेंद्रन	महा प्रबंधक	बीएससी (कृषि), एमएससी, सीएआईआईबी
51	लखबीर सिंह	महा प्रबंधक	एमए, एलएलबी, सीएआईआईबी

19	RAMA NAIK	General Manager	MCom, JAIIB
20	RAJESH KUMAR SINGH	General Manager	BSc (Hons), MA, CAIIB
21	DR. A K PANDEY	General Manager	MA, MBA, CAIIB, PhD (Eco)
22	ABHAY KUMAR	General Manager	BA, MBA, CAIIB
23	YOGISH B ACHARYA	General Manager	BCom, LLB, CAIIB
24	K J SRIKANTH	General Manager	MCom, CAIIB
25	RAHUL BHAVE	General Manager	MSc, CAIIB
26	T VEERABHADRA REDDY	General Manager	MCom, MBA, CAIIB
27	B P JATAV	General Manager	BSc (Agri), CAIIB
28	SUBODH KUMAR	General Manager	MSc (Chem), MBA, CAIIB
29	RAKESH KASHYAP	General Manager	MSc (Agri), CAIIB
30	JAYAPRAKASH C	General Manager	BSc (Fisheries), CAIIB
31	JANARDHANA RAO P V	General Manager	BSc, BGL, CAIIB
32	R ANURADHA	General Manager	MA, CAIIB
33	S VENKATRAMANA	General Manager	MSc (Agri), JAIIB
34	P GOPIKRISHNA	General Manager	BA, MBA (BK/FI), CAIIB
35	BABULAL MEENA	General Manager	MCom, LLB, CAIIB
36	MEAJURI JOHN EMMANUEL	General Manager	MCom, CAIIB
37	VIJAYALAKSHMI C S	General Manager	BSc, B.Ed, MA (Hindi), Mphil, CAIIB - Part I
38	SANJAY KUMAR SENAPATI	General Manager	MA, MBA (BK/FI), CAIIB
39	M G PANDIT	General Manager	MCom, CAIIB
40	SHAIK NAZEER AHMED	General Manager	MSc (Agri), JAIIB
41	R KANNAN	General Manager	MCom, CAIIB
42	R P JAISWAL	General Manager	BCom, MA (Hindi)
43	K KALYANI	General Manager	MCom, CAIIB
44	K VENKATA NARASIMHA MURTHY	General Manager	BSc, MA, JAIIB
45	PRANAY RANJAN DEO	General Manager	MA (Hindi), MBA, LLB, CAIIB
46	B CHANDRASEKHARA RAO	General Manager	MSc, CAIIB
47	S VASUDEVA SARMA	General Manager	BSc, MBA (BK/FI), CAIIB
48	UMESH KUMAR BHALLA	General Manager	MA, CAIIB
49	H SESHAGIRIDAS	General Manager	BSc, CAIIB
50	D SURENDRAN	General Manager	BSc (Agri), MSc, CAIIB
51	LAKHBIR SINGH	General Manager	MA, LLB, CAIIB

52	श्रीकांत एम भंडिवाड	महा प्रबंधक	एमएससी (कृषि), सीएआईआईबी
53	पकिरिसामी एस	महा प्रबंधक	बीकॉम
54	श्रीनाथ एच जोशी	महा प्रबंधक	बीएससी (कृषि), एमबीए, सीएआईआईबी
55	हितेश चंद्र गोयल	महा प्रबंधक	एमकॉम, सीएआईआईबी
56	टी के वेणुगोपाल	महा प्रबंधक	बीकॉम, प्रो. आईसीडब्ल्यूए, सीएआईआईबी
57	जी एस रविसुधाकर	महा प्रबंधक	बीकॉम, सीएआईआईबी
58	महेश एम पै	महा प्रबंधक	बीएससी, सीएआईआईबी
59	पुरषोत्तम चंद	महा प्रबंधक	बीएससी, सीएआईआईबी
60	बी चन्द्र शेखर	महा प्रबंधक	एमएससी (कृषि), सीएआईआईबी
61	शंभू लाल	महा प्रबंधक	एम कॉम, सीएआईआईबी
62	बी सुधाकर कोठारी	महा प्रबंधक	एमए, सीएआईआईबी
63	एस प्रेम कुमार	महा प्रबंधक	एमएससी (कृषि), सीएआईआईबी
64	जोगींद्र सिंह गंघास	महा प्रबंधक	एमए, जेएआईआईबी
65	के ए सिंधु	महा प्रबंधक	बीएससी (कृषि), सीएआईआईबी
66	ए मुरली कृष्ण	महा प्रबंधक	बीए, एमबीए (बैंकिंग/फ़िनान्स), सीएआईआईबी
67	सलीना गोयल	महा प्रबंधक	बीए, सीएआईआईबी

52	SHREEKANT M BHANDIWAD	General Manager	MSc (Agri), CAIIB
53	PACKIRISAMI S	General Manager	BCom
54	SHREENATH H JOSHI	General Manager	BSc (Agri), MBA, CAIIB
55	HITESH CHANDER GOEL	General Manager	MCom, CAIIB
56	T K VENU GOPAL	General Manager	BCom, ICWA, CAIIB
57	G S RAVISUDHAKAR	General Manager	BCom, CAIIB
58	MAHESH M PAI	General Manager	BSc, CAIIB
59	PURSHOTTAM CHAND	General Manager	BSc, CAIIB
60	B CHANDRA SEKHARA	General Manager	MSc (Agri), CAIIB
61	SHAMBHU LAL	General Manager	MCom, CAIIB
62	B SUDHAKAR KOTARY	General Manager	MA, CAIIB
63	S PREM KUMAR	General Manager	MSc (Agri), CAIIB
64	JOGINDER SINGH GHANGAS	General Manager	MA, JAIIB
65	K A SINDHU	General Manager	BSc (Agri), CAIIB
66	A MURALI KRISHNA	General Manager	BA, MBA (BK/FI), CAIIB
67	SALINA GOYAL	General Manager	BA, CAIIB

केनरा बैंक भारत सरकार का उपक्रम

Canara Bank A Government of India Undertaking

सिंडिकेट Syndicate

Together We Can

केनरा बैंक का तुलन पत्र, लाभ व हानि लेखा तथा नकद प्रवाह विवरणी

2021-2022

केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम
A Government of India Undertaking
सिंडिकेट Syndicate
Together We Can

BALANCE SHEET, PROFIT & LOSS ACCOUNT AND CASH FLOW STATEMENT OF CANARA BANK

2021-2022

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

केनरा बैंक के सदस्य

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

विचार

1. हमने केनरा बैंक ('बैंक') के एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2022 की स्थिति में तुलन-पत्र, लाभ और हानि लेखा और तब समाप्त हुए वर्ष के लिए नकद प्रवाह का विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी ('एकल वित्तीय विवरण') के सारांश सहित एकल वित्तीय विवरणों के नोट्स शामिल हैं जिसमें उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए 20 शाखाओं और एकीकृत कोष विभाग के हमारे द्वारा लेखा परीक्षित और 3532 शाखाओं (3 विदेशी शाखाओं सहित) के सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों और संबंधित स्थानीय लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित रिटर्न शामिल हैं। हमारे द्वारा लेखा परीक्षित और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। इसके अलावा, तुलन पत्र में, लाभ और हानि लेखा और कैश फ्लो का विवरण, 6185 घरेलू शाखाओं से रिटर्न, जो ऑडिट के अधीन नहीं हैं, शामिल हैं। इन अलेखा परीक्षित शाखाओं में अग्रिमों का 19.97%, जमा का 39.71%, ब्याज आय का 23.15% और ब्याज व्यय का 41.70% हिस्सा है।

2. हमारे मत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दी गई व्याख्या के अनुसार, उपरोक्त एकल वित्तीय विवरण, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा अपेक्षित जानकारी बैंक के लिए आवश्यक ढ़ंग से और आम तौर पर भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं और सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं:

   क. तुलन पत्र, उसमें लिखे नोट में उद्धृत अनुसार एक पूर्ण और निष्पक्ष तुलन पत्र है जिसमें सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं, सुव्यवस्थित ढंग से तैयार किया गया है ताकि बैंक के मामलों की स्थिति 31 मार्च 2022 तक एक सच्चे और निष्पक्ष दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया जा सके;

Independent Auditors' Report

To

The Members of Canara Bank

Report on Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying standalone financial statements of Canara Bank ('the Bank'), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2022, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flow for the year then ended, and notes to standalone financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information ('Standalone Financial Statement') in which are included the returns for the year ended on that date of 20 branches and Integrated Treasury Wing audited by us and 3532 branches (including 3 foreign branches) audited by statutory branch auditors and respective local auditor. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and Statement of Cash Flow, the returns from 6185 domestic branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 19.97% of advances, 39.71% of deposits, 23.15% of interest income and 41.70% of interest expenses.

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 in the manner so required for bank and are in conformity with the accounting principles generally accepted in India and :

   a. the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March 2022;

ख. लाभ और हानि लेखा, उस पर नोट्स के साथ पठित, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ का सही संतुलन दर्शाता है; और

ग. नकदी प्रवाह विवरण उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है।

विचार के लिए आधार

3. हमने भारतीय चार्टर्ड अकाउंट्स संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी लेखापरीक्षा (एसए) मानकों के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा आयोजित की है। हमारी रिपोर्ट के एकल वित्तीय विवरण खंड की लेखापरीक्षा के मानकों के तहत हमारा उत्तरदायित्व आगे वर्णित किया गया है। हम भारत में एकल वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा से संबंधित नैतिक दायित्वों के साथ भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए आचार संहिता के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं, और हमने अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों को इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार पूरा किया है। हमें विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

विषय का महत्व

4. हम निम्न पर ध्यान आकृष्ट करते हैं:

क. एकल वित्तीय विवरण का नोट नं. 16, जो सरफेसी / डीआरटी से आय के माध्यम से वापस लिए गए वाद दायर खातों और खातों में वसूली के विनियोग की लेखा नीति में परिवर्तन और 1 अप्रैल 2021 से खातों में सामान्य वसूली का वर्णन करता है जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ब्याज आय में ₹533.15 करोड़ की वृद्धि हुई और सकल एनपीए में ₹470.89 करोड़ और एनपीए प्रावधान में ₹247.28 करोड़ का परिणामी प्रभाव हुआ।

ख. एकल वित्तीय विवरण का नोट नं 19, जो 31.03.2022 (तिमाही2 में) को समाप्त वर्ष के दौरान संचित हानियों और शेयर प्रीमियम खाते का वर्णन करता है, बैंक ने शेयरधारकों के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त करने

b. the Profit and Loss Account, read with notes thereon shows a true balance of Profit for the year ended as on that date; and

c. the statement of Cash Flow gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SA's) issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI"). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the standalone financial statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the code of ethics issued by the ICAI together with ethical requirements that are relevant to our audit of the standalone financial statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter

4. We draw attention to:

a. Note 16 to the accompanying standalone financial statement, which describes the change in accounting policy of appropriation of recovery in suit filed accounts and accounts recalled by way of proceeds through SARFAESI / DRT and normal recovery in the accounts w.e.f. 1st April 2021 resulting in increase in Interest Income by ₹533.15 Crores and consequential effect in Gross NPA by ₹ 470.89 crores and NPA provision by ₹247.28 crores for the year ended on 31st March, 2022.

b. Note 19 to the accompanying standalone financial statement, which describes accumulated losses and share premium account during the year ended on 31.03.2022 (in Q2), Bank has set off its accumulated losses of ₹18495.30 crores as at 31.03.2021 against the

के बाद शेयर प्रीमियम खाते में उपलब्ध शेष राशि के एवज में यथा 31.03.2021 को ₹18495.30 करोड़ के अपनी संचित हानि का समंजन कर दिया है।

ग. एकल वित्तीय विवरण का नोट संख्या 20, जो कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण व्यावसायिक अनिश्चितताओं और बैंक के कारोबार संचालन पर इसके प्रभाव पर प्रबंधन के मूल्यांकन का वर्णन करता है।

इस मामले में हमारी रिपोर्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

5. लेखा परीक्षा में मुख्य मामले वे हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण हों। इन मामलों को समग्र रूप से एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में लिया गया था, और इन मामलों पर हम इससे अलग विचार नहीं रखते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के लिए नीचे वर्णित मामलों का निर्धारण किया है।

available balance in the share premium account after obtaining approval from shareholders as well as the Reserve Bank of India.

c. Note 20 to the accompanying standalone financial statement, which describes the business uncertainties due to outbreak of COVID-19 pandemic and the management's evaluation of its impact on the business operations of the Bank.

Our report is not modified in respect of this matter.

Key Audit Matters

5. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the standalone financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report:

क्र सं.	लेखा परीक्षा प्रमुख मामले	प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों पर प्रतिक्रिया
1	***आय निर्धारण, संपत्ति का वर्गीकरण, उस पर प्रावधानों की पर्याप्तता और निवेश।*** अग्रिम और निवेश बैंक की संपत्ति के सबसे बड़े वर्ग में आते हैं। वर्गीकरण, आय निर्धारण और उस पर प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों और विभिन्न मानदंडों के अनुरूप हैं। बैंक का प्रबंधन सीबीएस (कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस) के साथ-साथ अन्य संबद्ध आईटी प्रणालियों के साथ-साथ विभिन्न अनुमानों, उधारकर्ताओं के प्रदर्शन से संबंधित विवेकपूर्ण निर्णय, प्रतिभूति मूल्य का निर्धारण, मैनुअल हस्तक्षेप सहित परिसंपत्ति वर्गीकरण के लिए विशेषज्ञों और पेशेवरों की सेवाओं, आय निर्धारण और उस पर प्रावधान पर निर्भर करता है।	**प्रधान लेखा परीक्षा प्रक्रिया:** हमारी लेखापरीक्षा आय निर्धारण, परिसंपत्ति वर्गीकरण और शेष राशि की भौतिकता पर विचार करते हुए अग्रिमों से संबंधित प्रावधान पर केंद्रित थी। हमने गैर-निष्पादित आस्तियों निर्धारण करने और उनका प्रावधन करने के लिए बैंक की प्रणाली का आकलन किया। हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में निम्नलिखित के संबंध में आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण शामिल था: • अनुमोदन, प्रलेखन, संवितरण, अग्रिमों की निगरानी के संबंध में नियंत्रणों का आकलन करना। • भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुपालन के लिए सीबीएस और अन्य संबंधित और संबद्ध प्रणालियों की समीक्षा। • अनर्जक आस्तियों की पहचान और प्रावधान करने से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन का मूल्यांकन। • भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसे एनपीए की पहचान करने और प्रावधान करने में प्रयुक्त प्रासंगिक सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों की समीक्षा। • एनपीए की पहचान और आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान की पर्याप्तता के उद्देश्य से प्रबंधन अनुमानों और निर्णयों का मूल्यांकन और परीक्षण किया गया। • नमूना जांच के आधार पर जहां कहीं यह हमारे संज्ञान में आया, मैनुअल हस्तक्षेपों की विश्वसनीयता, प्रभावशीलता और सटीकता की समीक्षा की।

Sl. No.	Key Audit Matter	Response to Key Audit Matter
1	*Income Recognition, Asset Classification, Adequacy of provisions thereon & Investments.* Advances and investments constitute the largest class of assets of the bank. Classification, income recognition and provisioning thereon have been in conformity with the guidelines and various norms prescribed by Reserve Bank of India. The management of the bank relies on the CBS (Core Banking Solutions) along with other allied IT systems accompanied by various estimates, prudent judgement relating to performance of borrowers, determination of security value, manual interventions including services of experts & professionals for asset classification, Income recognition and provisioning thereon.	**Principal Audit Procedures:** Our audit was focused on income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances considering the materiality of the balances. We assessed the Bank's system in place to identify and provide for non-performing assets. Our audit approach consisted of testing of the design and operating effectiveness of the internal controls with respect to the followings: • Assessing the Controls with respect to approval, documentation, disbursement, monitoring of advances. • Review of the CBS and other related & allied systems for compliance with the prudential norms issued by Reserve Bank of India. • Evaluation of the design of internal controls relating to identification and making provision for non-performing assets. • Review of the relevant information technology systems used in identification and making provision for such NPA as per the RBI Guidelines. • Evaluated and tested the management estimates and judgements for the purpose of identification of NPA and adequacy of provision required as per RBI's Prudential norms. • Reviewed the reliability, effectiveness and accuracy of the manual interventions, wherever it has come to our knowledge on test check basis

		• गैर-निष्पादित आस्तियों की पहचान और प्रावधान के लिए और एसए-600 के अनुरूप समग्र अनुपालन के लिए हमारे द्वारा गैर लेखापरीक्षित शाखाओं के मामले में सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों (एसबीए) की रिपोर्ट / रिटर्न / निर्णय पर निर्भर रहे। • समय-समय पर जारी आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों की पहचान और प्रावधान और दबावग्रस्त खातों की पहचान के लिए तंत्र की भी जांच की गई। • विभिन्न विशेषज्ञों की राय और रिपोर्ट पर भरोसा किया, जिसमें स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता, वकील, कानूनी विशेषज्ञ और ऐसे अन्य पेशेवर शामिल हैं, जिन्होंने एसए-620 के अनुरूप विभिन्न क्षमताओं में बैंक को सेवाएं प्रदान की हैं। • उपलब्धता के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षा/ निरीक्षण रिपोर्ट / समवर्ती लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा की गई। • वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली पर अंकगणितीय सटीकता, डेटा सटीकता और नियंत्रण सहित पर्याप्त परीक्षण करके मूल्यांकन, वर्गीकरण, प्रावधान और निवेश के आय निर्धारण का सत्यापन।

		• Relied on the reports / returns / judgements of the Statutory Branch Auditors (SBA) in case of branches not audited by us for identification and provisioning for non-performing assets and for overall compliance in conformity with SA-600 • Test checked the identification and provisioning of non-performing assets in accordance with RBI Guidelines issued from time to time and also the mechanism for identification of stressed accounts • Relied on the opinions and reports of various experts, which includes independent valuers, lawyers, legal experts and such other professionals, who have rendered services to the bank in various capacities in conformity with SA-620. • Reviewed the internal audit / inspection reports / Concurrent audit reports, wherever available. • Verification of valuation, classification, provisioning and income recognition of investments by carrying out substantive tests including arithmetical accuracy, data accuracy and control over the financial reporting system.

2	*वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले माइग्रेशन (फ्लेक्स क्यूब - ओरेकल आधारित) सहित प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सिस्टम।* बैंक की परिचालन और वित्तीय प्रक्रियाएं बड़ी मात्रा में लेनदेन के कारण आईटी सिस्टम पर निर्भर हैं जो दैनिक आधार पर संसाधित की जाती हैं और इसलिए, एक प्रमुख ऑडिट मामले के रूप में माना जाता है, जिसकी शुद्धता और प्रभावशीलता मुख्य रूप से कोर बेकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) और अन्य संबद्ध प्रणालियों पर निर्भर होती है। हम आय निर्धारण, परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप अग्रिमों का प्रावधान, ऐसे अन्य खातों के साथ-साथ विभिन्न सस्पेंस और विविध खातों का समाधान और एजिंग, निवेश लेनदेन की रिकॉर्डिंग के संबंध में सीबीएस और अन्य संबद्ध प्रणालियों के सुसंगत और सटीक कामकाज पर निर्भर रहे हैं।	**प्रधान लेखा परीक्षा प्रक्रिया:** हमने मूल्यांकन किया और प्रमुख आईटी अनुप्रयोगों, डेटाबेस और ऑपरेटिंग सिस्टम की पहचान की जो हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं और मुख्य रूप से वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए प्रासंगिक सीबीएस, बीएसपीएल रिपोर्टिंग पैकेज और ट्रेजरी सिस्टम की पहचान की है। हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण निम्नानुसार था: • लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक के आईटी नियंत्रण वातावरण और आईटी नीतियों की समझ प्राप्त की। • बैंक के बुनियादी आईटी नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता की समीक्षा की, जिसमें आवेदन, अभिगम नियंत्रण शामिल हैं जो नमूना जांच के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण हैं। • आईएस लेखापरीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा की और प्रमुख आईएस नियंत्रणों के अनुपालन पर आईएस विभाग के साथ चर्चा की। • नमूना जांच के आधार पर लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक सिस्टम जेनरेटेड रिपोर्ट के लिए स्वचालित कुंजी और कारोबार चक्र नियंत्रण और लॉजिक का परीक्षण किया।

2	*Key Information Technology (IT) systems including migration (Flex Cube - Oracle based) used in financial reporting process.* The Bank's operational and financial processes are dependent on IT systems due to large volume of transactions that are processed on daily basis and hence, considered as a key audit matter, correctness & effectiveness of which are mainly dependent on the Core Banking Solution (CBS) and other allied systems. We have relied upon the consistent and accurate functioning of CBS & other allied systems with respect to Income Recognition, Classification of Assets and provisioning of advances in conformity with the RBI guidelines, reconciliation & ageing of various suspense and sundry accounts along with such other accounts, recording investment transactions.	**Principal Audit Procedures:** We conducted an assessment and identified key IT applications, databases and operating systems that are relevant to our audit and have identified CBS, BSPL Reporting Package and Treasury System primarily as relevant for financial reporting. Our audit approach consisted testing of the design and operating effectiveness of the internal controls as follows: • Obtained an understanding of the Bank's IT control environment and IT policies during the audit period. • Reviewed the design, implementation and operating effectiveness of the Bank's basic IT controls including application, access controls that are critical to financial reporting on test check basis. • Reviewed the IS Audit Reports and discussed with IS Wing on compliance to key IS Controls. • Tested key automated and business cycle controls and logic for system generated reports relevant to the audit on test check basis.

3	*आस्थगित कर परिसंपत्ति* यथा 31 मार्च 2022 तक बैंक ने ₹8953.50 करोड़ की निवल आस्थगित कर संपत्ति की पहचान की है। आस्थगित कर संपत्ति का अनुमान, पहचान और माप आईसीएआई द्वारा जारी एएस-22 के अनुरूप भविष्य में मुनाफे की उपलब्धता के बारे में निर्णय और कई अनुमानों पर आधारित हैं। इसे केवल, इस सीमा तक आगे बढ़ाया गया है कि एक उचित निश्चितता है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके प्रति ऐसी आस्थगित कर संपत्ति की वसूली की जा सकती है।	**प्रधान लेखा परीक्षा प्रक्रिया:** हमने अपने नियंत्रण परीक्षण के भाग के रूप में निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन किया है: • एएस-22-आय पर करों के लिए लेखांकन के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों की पहचान और माप के लिए उपयोग की जाने वाली नीतियों की समीक्षा। • लाभ की उपलब्धता और दृश्यता की संभावना का आकलन किया जिसके प्रति बैंक भविष्य में आस्थगित कर परिसंपत्ति का उपयोग करने में सक्षम होगा।
4	*विभिन्न मुकदमे और आकस्मिक देयता* बैंक पर अन्य पक्षों द्वारा दायर किए गए करों और विभिन्न अन्य दावों से संबंधित कुछ मुकदमों के संबंध में आकस्मिक देनदारियों के आकलन को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। बैंक का मूल्यांकन मामले के तथ्यों, उनके अपने निर्णय, पिछले अनुभव और स्वतंत्र विशेषज्ञों की सलाह, जहां आवश्यक हो, द्वारा समर्थित है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए लाभ और बैलेंस शीट को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं।	**प्रधान लेखा परीक्षा प्रक्रिया:** लेखापरीक्षा के प्रति हमारा दृष्टिकोण निम्नलिखित पर आधारित है: • कर मुकदमों और अन्य आकस्मिक देनदारियों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा। • विभिन्न प्राधिकारियों से प्राप्त पत्रों की जांच और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई। • पृष्ठभूमि के संदर्भ में विचाराधीन विषय के गुण-दोष का मूल्यांकन और उस पर विशेषज्ञ की राय पर भरोसा।

3	**Deferred Tax Asset** The bank has recognized a net deferred tax asset of ₹8953.50 Crores as on 31st Mar, 2022. Objective estimation, recognition and measurement of Deferred Tax Asset are based on the judgement and numerous estimates regarding the availability of profits in future in conformity with AS-22 issued by the ICAI. It has been carried forward only to the extent that there is a reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realized.	**Principal Audit Procedures:** We have performed the following procedures as part of our control testing: • Review of the policies used for recognition and measurement of deferred tax assets in accordance with AS-22-Accounting for Taxes on Income. • Assessed the probability of the availability and visibility of profits against which the bank will be able to use the Deferred Tax Asset in future.
4	**Various Litigations & Contingent Liability** Assessment of Contingent liabilities in respect of certain litigations with respect to taxes and various other claims filed by other parties upon bank, not acknowledged as debts. The bank's assessment is supported by facts of matter, their own judgement, past experience and advises from independent experts, wherever necessary. Accordingly, unexpected adverse outcomes may significantly impact the bank's reported profit and the balance sheet.	**Principal Audit Procedures:** Our approach to audit is based on the following: • Review of the current status of the tax litigations and other contingent liabilities. • Examination of the communications received from various authorities and follow up actions thereon. • Evaluation of merits of the subject matter under consideration with reference to the background and reliance on the expert opinion thereon.

एकल वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

6. अन्य सूचनाओं के लिए बैंक का निदेशक मंडल उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में नई पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बासेल III प्रकटीकरण) के तहत स्तंभ III के प्रकटीकरण शामिल हैं (लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है), जो हमने इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख से पहले प्राप्त की थी, और कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट, निदेशक रिपोर्ट, जो हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को प्रावरित नहीं करती है और हम इस बारे में किसी भी रूप में निष्कर्ष का आश्वासन व्यक्त नहीं करते।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी उपरोक्त पहचान की गई अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करने पर विचार करना है कि क्या लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त हमारे संज्ञान में आए एकल वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी भौतिक रूप से असंगत है, या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

यदि, लेखा परीक्षक की इस रिपोर्ट की तारीख से पहले हमें प्राप्त अन्य जानकारी के आधार पर जो कार्य किया है, उसके आधार पर, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का विवरण गलत है, हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमारे पास इस संबंध में सूचित करने के लिए कुछ भी नहीं है।

जब हम अन्य सूचनाओं को पढ़ते हैं, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई भौतिक गलत विवरण है, तो हमें अभिशासन प्रभारी को मामले को संप्रेषित करने की आवश्यकता होगी।

एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और अभिशासन प्रभारी का उत्तरदायित्व

7. आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक, और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान और भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबै) द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों सहित आम तौर पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देने वाले इन एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने में बैंक के निदेशक मंडल उत्तरदायी हैं। इस उत्तरदायित्व में बैंक की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने

Information other than the Standalone Financial Statements and Auditors' Report thereon:

6. The Bank's Board of Directors is responsible for the preparation of other information. The other information comprises the Pillar III Disclosures under the New Capital Adequacy Framework (BASEL III Disclosures) (but does not include the financial statements and our auditors' report thereon), Corporate Governance Report, which we obtained prior to issuance of this Auditors' Report, and the Directors Report, which is expected to be made available to us after the date of our auditors' report.

Our opinion on the standalone financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the standalone financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the standalone financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be material misstated.

If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of this auditors' report, we conclude there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

When we read the other information, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

7. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the

के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेना और अनुमान लगाना; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो कि लेखांकन के रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित हैं जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और सामग्री के दुरुपयोग, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, से मुक्त होते हैं।

वित्तीय विवरणों की तैयारी में, बैंक की क्षमता का आकलन करने, संस्था को जारी रखने, प्रकटन के लिए, जो भी लागू होता है, संस्था से संबंधित मामले और लेखांकन के आधार पर संस्था का उपयोग करना जब तक प्रबंधन या तो बैंक को बंद करने का इरादा या परिचालन रोकने, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है, के लिए प्रबंधन उत्तरदायी है।

निदेशक मंडल बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी ज़िम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व

8. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरण भौतिक मिथ्याकथन, धोखाधड़ी या त्रुटि से मुक्त है, और एक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन, आश्वासन का एक उच्च स्तर है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखा परीक्षा हमेशा किसी भौतिक मिथ्याकथन का पता लगाएगी जब यह हो। मिथ्याकथन धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो सकता है और, यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर भौतिकता पर विचार किया जाए, तो इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।

   एसए के अनुसार किसी लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षा में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

क. वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और निष्पादित करें, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त

provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors are also responsible for overseeing the bank's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

   As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

a. Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those

करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप एक से अधिक है, चूंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की अधिभावी शामिल हो सकती है।

ख. लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं ताकि उन परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार की जा सकें।

ग. प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।

घ. लेखांकन के आधार पर संस्था के प्रयुक्त पर प्रबंधन की उपयुक्तता के आधार पर निष्कर्ष निकालना, और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर, क्या कोई ऐसी घटना या परिस्थितियों से संबंधित सामग्री अनिश्चितता मौजूद है जो एक संस्था के रूप में जारी रहने की, बैंक की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह कायम कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सामग्री संबंधी अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर, या यदि इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं, तो हमारी राय को संशोधित करने के लिए ध्यान आकर्षित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से बैंक के एक संस्था के रूप में जारी रहने पर रोक लग सकती है।

च. प्रकटन सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना, और कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित संव्यवहार और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

वित्तीय विवरणों में भौतिकता गलत वक्तव्य का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव करता है कि वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) हमारे लेखा परीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों के मूल्यांकन में; और (ii) वित्तीय विवरणों में पहचान की गई गलतियों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए, मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं ।

risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

b. Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.

c. Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

d. Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.

e. Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

हम आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों सहित अन्य मामलों में, लेखापरीक्षा के समय और सुनियोजित क्षेत्र के बारे में और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के साथ जिसे हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं, को शासन प्रभारित करने वालों को संसूचित करते हैं।

हम शासन द्वारा प्रभारित विवरण प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों को संसूचित करने के लिए हमारी स्वतंत्रता के लिए उचित माना जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय किए जाएं।

शासन से प्रभारित संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते हैं और इसलिए वे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन अत्यंत असामान्य परिस्थितियों में मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटन पर रोक नहीं लगाते हैं, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले को संसूचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणामों से इस तरह की संसूचना से सार्वजनिक हित छूट जाएंगे।

अन्य मामले

9. हमने बैंक के एकल वित्तीय विवरणों में शामिल 6185 शाखाओं के वित्तीय विवरणों / सूचनाओं का ऑडिट नहीं किया है, जिनके वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2022 तक ₹1,60,817.45 करोड़ की कुल संपत्ति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ₹17,234.93 करोड़ के कुल राजस्व को दर्शाते हैं, जैसा कि एकल वित्तीय विवरणों में माना गया है। इन शाखाओं और प्रसंस्करण केंद्रों में 19.97% अग्रिम, 39.71% जमा, 10.52% अनर्जक आस्तियां और 28.67% राजस्व शामिल हैं।

   इस मामले के संबंध में हमारी राय परिवर्तित नहीं है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

10. तुलन पत्र और लाभ और हानि लेखा, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किया गया है;

11. उपर्युक्त पैराग्राफ में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों के अर्जन और अतंरण) अधिनियम, 1970/1980 के यथा अपेक्षानुसार, और उसमें आवश्यक प्रकटीकरण की सीमा के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matter

9. We did not audit the financial statements / information of 6185 branches included in the standalone financial statements of the Bank whose financial statements / financial information reflect total assets of ₹1,60,817.45 crores as at 31st March 2022 and total revenue of ₹17,234.93 crores for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. These branches and processing centres cover 19.97 % of advances, 39.71% of deposits, 10.52% of non-performing assets and 28.67% of revenue.

   Our opinion is not modified in respect of this matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

10. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

11. Subject to the limitations of the audit indicated in above paragraphs and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

क) हमने जो जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, वे हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हैं, वे हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया है;

ख) बैंक का संव्यवहार, जो हमारे संज्ञान में आया है, बैंक की शक्तियाँ के अंतर्गत हैं; तथा

ग) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियां हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त पाई गई है।

12. जैसा कि पत्र क्रमांक डीओएस.एआरजी.संख्या 6270/08.91.001/2019-20, दिनांक 17 मार्च 2020 द्वारा अपेक्षित है "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति पर - वित्त वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए रिपोर्टिंग दायित्वों" को आरबीआई द्वारा जारी किए गए दिनांक 19 मई, 2020 के बाद की संसूचना के अनुसार पढ़ें, हम उपरोक्त पत्र के अनुच्छेद 2 में निर्दिष्ट मामलों पर आगे की रिपोर्ट निम्नानुसार करते हैं:

क) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं, इस सीमा तक कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

ख) वित्तीय लेनदेन या ऐसे मामलों, जिनका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, पर कोई पर्यवेक्षण या टिप्पणी नहीं है।

ग) यथा 31 मार्च 2022 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) के अनुसार 31 मार्च, 2022 तक किसी भी निदेशक को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अनर्ह नहीं ठहराया गया है।

घ) खातों के रखरखाव और अन्य मामलों से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

ङ) वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट 17 मार्च, 2020 के आरबीआई के पत्र ओएस.एआरजी.सं.6270/08.91.001/2019-20 (संशोधित) की अपेक्षा के अनुरूप है जिसे इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक ए** में प्रदान किया गया है। हमारी रिपोर्ट यथा 31 मार्च, 2022 को वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त करती है।

a) We have sought and obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

12. As required by RBI Letter No DOS.ARG. No. 6270/08.91.001 / 2019-20 dated March 17, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks - Reporting obligations for SCA's from FY 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:

a) In our opinion, the aforesaid Standalone Financial Statements comply with the Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.

b) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the bank.

c) On the basis of the written representations received from the directors as on 31st March, 2022, none of the directors is disqualified as on 31st March, 2022 from being appointed as a director in terms of Section 164 (2) of the Companies Act, 2013.

d) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to maintenance of accounts and other matters connected therewith.

e) Our audit report on the adequacy and operating effectiveness of the Bank's Internal Financial Controls over Financial Reporting as required by the RBI Letter OS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) is given in **Annexure A** to this report. Our report expresses an unmodified opinion on the Bank's Internal Financial Controls over Financial Reporting as at 31st March, 2022.

13. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमारी राय में, कानूनन आवश्यक उचित खाता-बहियां बैंक द्वारा रखे गए हैं, यह उन बहियों की हमारी जांच से प्रकट होती है और हमारे द्वारा दौरा नहीं की शाखाओं से हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त विवरणियां प्राप्त की गई हैं;

ख) तुलन पत्र, लाभ और हानि लेखा और इस रिपोर्ट द्वारा व्यवहृत नकद प्रवाह का विवरण, खाता बहियों के करार में अंतर्निहित हैं और हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं से प्राप्त विवरणियों के साथ हैं;

ग) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के तहत बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा उचित रूप से व्यवहृत किया गया है; तथा

घ) हमारी राय में, बैलेंस शीट, लाभ और हानि लेखा और कैश फ्लो का विवरण लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करता है, इस सीमा तक कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

कृते एन. के. भार्गव & कं. **सनदी लेखाकार** **एफआरएन:** 000429N **(एन. के. भार्गव)** **भागीदार** **सदस्यता सं.** 080624	**कृते राव & एम्मार** **सनदी लेखाकार** **एफआरएन :** 003084S **(आर सुब्रमणियन)** **भागीदार** **सदस्यता सं.** 015617
कृते पी ए & असोसिएट्स **सनदी लेखाकार** **एफआरएन:** 313085E **(प्रशांत पांडा)** **भागीदार** **सदस्यता सं.** 051092	**कृते अरुण के अग्रवाल & असोसिएट्स** **सनदी लेखाकार** **एफआरएन :** 003917N **(अरुण कुमार अग्रवाल)** **भागीदार** **सदस्यता सं.** 082899
कृते सरथ & असोसिएट्स **सनदी लेखाकार** **एफआरएन:** 005120S **(पी सरथ कुमार)** **भागीदार** **सदस्यता सं.** 021755	

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 06.05.2022

13. We further report that:

a) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;

b) the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the books of accounts and with the returns received from the branches not visited by us;

c) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and

d) In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

For N. K. Bhargava & Co. Chartered Accountants FRN: 000429N **(N. K. Bhargava)** Partner Membership Number 080624	**For Rao & Emmar** Chartered Accountants FRN: 003084S **(R Subramanian)** Partner Membership Number 015617
For P A & Associates Chartered Accountants FRN: 313085E **(Prashant Panda)** Partner Membership Number 051092	**For Arun K Agarwal & Associates** Chartered Accountants FRN: 003917N **(Arun Kumar Agarwal)** Partner Membership Number 082899
For SARATH & ASSOCIATES Chartered Accountants FRN: 005120S **(P Sarath Kumar)** Partner Membership Number 021755	

Place : Bengaluru
Date : 06.05.2022

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक "ए"

(सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के खंड 'अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के तहत पैराग्राफ 13 (ई) के संदर्भ में)

भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") के पत्र डीओएस.एआरजी. सं.6270/08.91.001/2019–20 दिनांक 17 मार्च, 2020 (यथा संशोधित) ("आरबीआई संचार") द्वारा यथा अपेक्षित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संबंधी रिपोर्ट।

हमने यथा 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के स्टैंडअलोन (एकल) वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ केनरा बैंक ("बैंक") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा (ऑडिट) की है, जिसमें बैंक शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन के उत्तरदायित्व

बैंक का प्रबंधन, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश संबंधी नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार है। इन ज़िम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो बैंक की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की पहचान और रोकथाम, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जैसा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक है।

लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारी

हमारी ज़िम्मेदारी हमारी लेखा–परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करना है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शन नोट") पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की

ANNEXURE "A" TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

(Referred to in paragraph 13(e) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date)

Report on the Internal Financial Controls Over Financial Reporting as required by the Reserve Bank of India (the "RBI") Letter DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) (the "RBI communication")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of Canara Bank ("the Bank") as of 31st March, 2022 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Bank for the year ended on that date which includes internal financial controls over financial reporting of the Bank's branches.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Bank's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls

लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट और आईसीएआई द्वारा जारी किए गए ऑडिटिंग (एसएएस) पर मानकों के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक अपना ऑडिट किया है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित कर उसे बनाए रखा गया था और यदि ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि एक भौतिक कमजोरी मौजूद है और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं, लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण।

हम मानते हैं कि नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित उनकी रिपोर्ट के संदर्भ में हमने जो लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं और शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा प्राप्त किए गए लेखा-परीक्षा साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी अनर्ह ऑडिट राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) बैंक की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाने वाले उचित विवरण संबंधी अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि

Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI") and the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting were established and maintained, and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal financial controls based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the branch auditors, in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our unqualified audit opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A Bank's internal financial controls over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank's internal financial controls over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and

लेनदेन को आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक के रूप में दर्ज किया गया है, और बैंक की प्राप्तियां और व्यय केवल प्रबंधन प्राधिकारी और बैंक के निदेशकों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) जो बैंक की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करती हैं, जिसका वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

मिलीभगत की संभावना या नियंत्रणों का अनुचित प्रबंधन के साथ ही वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण भौतिक रूप से गलत विवरण हो सकते हैं और उनका पता भी नहीं लग सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान, जोखिम के अधीन हैं क्योंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में बदलाव के कारण या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन में चूक के चलते अपर्याप्त हो सकते हैं।

राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए विवरणों के अनुसार और नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदंडों के आधार पर बैंक के पास सभी भौतिक मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण यथा 31 मार्च, 2022 को प्रभावी ढंग से संचालित हो रहे थे।

fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the Bank; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial controls over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the branch auditors referred to in the Other Matters paragraph below, the Bank has, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31st March, 2022, based on the criteria for internal control over financial reporting established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

अन्य मामले

हमारी पूर्वोक्त रिपोर्ट, जहां तक यह 3532 शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता से संबंधित है, यह उन शाखाओं के संबंधित शाखा लेखा-परीक्षकों की तदनुरूपी रिपोर्टों पर आधारित है।

इस मामले में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

कृते एन. के. भार्गव & कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 000429N

(एन. के. भार्गव)
भागीदार
सदस्यता सं. 080624

कृते राव & एम्मार
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 003084S

(आर सुब्रमणियन)
भागीदार
सदस्यता सं. 015617

कृते पी ए & असोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 313085E

(प्रशांत पांडा)
भागीदार
सदस्यता सं. 051092

कृते अरुण के अग्रवाल & असोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 003917N

(अरुण कुमार अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 082899

कृते सरथ & असोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 005120S

(पी सरथ कुमार)
भागीदार
सदस्यता सं. 021755

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 06.05.2022

Other Matters

Our aforesaid report in so far as it relates to the operating effectiveness of internal financial controls over financial reporting of 3532 branches is based on the corresponding reports of the respective branch auditors of those branches.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

For N. K. Bhargava & Co.
Chartered Accountants
FRN: 000429N

(N. K. Bhargava)
Partner
Membership Number 080624

For Rao & Emmar
Chartered Accountants
FRN: 003084S

(R Subramanian)
Partner
Membership Number 015617

For P A & Associates
Chartered Accountants
FRN: 313085E

(Prashant Panda)
Partner
Membership Number 051092

For Arun K Agarwal & Associates
Chartered Accountants
FRN: 003917N

(Arun Kumar Agarwal)
Partner
Membership Number 082899

For SARATH & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN: 005120S

(P Sarath Kumar)
Partner
Membership Number 021755

Place : Bengaluru
Date : 06.05.2022

केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम
A Government of India Undertaking
सिंडिकेट Syndicate
Together We Can

असंशोधित विचार के साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट की घोषणा

हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए बैंक के एकल वार्षिक वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में असंशोधित विचार शामिल हैं ।

एस के मजूमदार
महा प्रबंधक एवं
मुख्य वित्त अधिकारी

एल वी प्रभाकर
प्रबंध निदेशक व
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

कृते एन. के. भार्गव & कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 000429N

(एन. के. भार्गव)
भागीदार
सदस्यता सं. 080624

कृते राव & एम्मार
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 003084S

(आर सुब्रमणियन)
भागीदार
सदस्यता सं. 015617

कृते पी ए & असोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 313085E

(प्रशांत पांडा)
भागीदार
सदस्यता सं. 051092

कृते अरुण के अग्रवाल & असोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 003917N

(अरुण कुमार अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 082899

कृते सरथ & असोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 005120S

(पी सरथ कुमार)
भागीदार
सदस्यता सं. 021755

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 06.05.2022

DECLARATION OF AUDIT REPORT WITH UNMODIFIED OPINION

We hereby declare that Auditors Report on Standalone Annual Financial Statements of the Bank for the Financial Year ended 31st March, 2022 contains unmodified opinion.

S K MAJUMDAR
GENERAL MANAGER
& CFO

L V PRABHAKAR
MANAGING DIRECTOR
& CEO

For N. K. Bhargava & Co.
Chartered Accountants
FRN: 000429N

(N. K. Bhargava)
Partner
Membership Number 080624

For Rao & Emmar
Chartered Accountants
FRN: 003084S

(R Subramanian)
Partner
Membership Number 015617

For P A & Associates
Chartered Accountants
FRN: 313085E

(Prashant Panda)
Partner
Membership Number 051092

For Arun K Agarwal & Associates
Chartered Accountants
FRN: 003917N

(Arun Kumar Agarwal)
Partner
Membership Number 082899

For Sarath & Associates
Chartered Accountants
FRN: 005120S

(P Sarath Kumar)
Partner
Membership Number 021755

Place : Bengaluru
Date : 06.05.2022

सेवा में,

निदेशक मंडल
केनरा बैंक
प्रका : बेंगलूरु

विषय : सीईओ / सीएफओ प्रमाणन – सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ (एलओडीआर) विनियमन, 2015 का विनियम 17(8)

बोर्ड को यह प्रमाणित किया जाता है कि;

क) हमने 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणियों और नकद प्रवाह विवरणियों की समीक्षा की है और हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार:

(i) इन विवरणियों में कोई तात्विक रूप से असत्य विवरण शामिल नहीं है या किसी भी तात्विक तथ्य को छोड़ा नहीं गया है या ऐसे कथन शामिल नहीं हैं जो भ्रामक हो सकते हैं;

(ii) ये विवरणियां बैंक के मामलों का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं और मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन करती हैं।

ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, बैंक द्वारा वर्ष के दौरान ऐसा कोई भी लेन-देन नहीं किया गया है जो बैंक की आचार संहिता के अनुसार कपटपूर्ण, गैरकानूनी या उसका उल्लंघन है।

ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने का उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रणों की बनावट या परिचालन में कमियों, यदि कोई हो, का प्रकटन किया है, जो हमें ज्ञात हो और इन कमियों, को दूर करने के लिए हमने जो कदम उठाए हैं या ऐसा करने का प्रस्ताव है।

घ) हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को सूचित किया है

(i) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन।

(ii) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और जिनका प्रकटन वित्तीय विवरणियों के नोट में किया गया है; तथा

To,

The Board of Directors
Canara Bank
HO : Bengaluru

Sub : CEO / CFO CERTIFICATION – REGULATION 17(8) OF SEBI (LODR) REGULATIONS, 2015

This is to certify to the Board that;

a) We have reviewed Standalone financial statements and the cash flow statement for the year ended 31st March, 2022 and that to the best of our knowledge and belief:

(i) These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

(ii) These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.

c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

d) We have indicated to the auditors and the Audit Committee

(i) Significant changes in internal control over financial reporting during the year.

(ii) Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

(iii) वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंधन या कर्मचारी की धोखाधड़ी के महत्वपूर्ण उदाहरण, यदि कोई हो, जिनके बारे में हम जागरूक हो गए हैं, इसमें शामिल है।

(iii) Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

एस के मजूमदार
महा प्रबंधक एवं
मुख्य वित्त अधिकारी

एल वी प्रभाकर
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

S K MAJUMDAR
GENERAL MANAGER
& CFO

L V PRABHAKAR
MANAGING DIRECTOR
& CEO

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 06.05.2022

Place : Bengaluru
Date : 06.05.2022

यथा दिनांक 31 मार्च 2022 को तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2022

	अनुसूची Schedule	यथा 31.03.2022 को (₹ '000) As at 31.03.2022 (₹ '000)	यथा 31.03.2021 को (₹ '000) As at 31.03.2021 (₹ '000)
पूँजी और देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES			
पूँजी / CAPITAL	1	1814 13 03	1646 73 82
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष / RESERVES AND SURPLUS	2	64297 18 13	57238 19 39
जमा / DEPOSITS	3	1086409 25 41	1010874 58 27
उधार / BORROWINGS	4	46284 95 76	49983 56 06
अन्य देयताएं तथा प्रावधान / OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS	5	28174 14 85	33931 95 95
कुल / TOTAL		**1226979 67 18**	**1153675 03 49**
आस्तियाँ / ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA	6	51602 91 25	43111 62 29
बैंकों में शेष और माँग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	7	130451 39 30	135296 41 38
निवेश / INVESTMENTS	8	282012 89 98	261690 39 40
अग्रिम / ADVANCES	9	703601 82 39	639048 98 61
अचल आस्तियाँ / FIXED ASSETS	10	11356 30 18	11206 53 24
अन्य आस्तियाँ / OTHER ASSETS	11	47954 34 08	63321 08 57
कुल / TOTAL		**1226979 67 18**	**1153675 03 49**
आकस्मिक देयताएं / CONTINGENT LIABILITIES	12	375138 02 07	507071 81 36
वसूली के लिए बिल / BILLS FOR COLLECTION		34806 18 05	53385 99 26

आर महेन्द्रन
मंडल प्रबंधक

के शिवरामकृष्णन
मंडल प्रबंधक

गणेश आर
सहायक महा प्रबंधक

दीपक सक्सेना
सहायक महा प्रबंधक

एस के मजूमदार
महा प्रबंधक एवं सीएफ़ओ

वी रामचन्द्र
मुख्य महा प्रबन्धक

बृज मोहन शर्मा
कार्यपालक निदेशक

के सत्यनारायण राजू
कार्यपालक निदेशक

ए मणिमेखलै
कार्यपालक निदेशक

देवाशीष मुखर्जी
कार्यपालक निदेशक

एल.वी. प्रभाकर
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

सुचीन्द्र मिश्रा
निदेशक

आर केशवन
निदेशक

नलिनी पद्मनाभन
निदेशक

दिबाकर प्रसाद हरिचन्दन
निदेशक

वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर
निदेशक

बिमल प्रसाद शर्मा
निदेशक

करुणाकर शेट्टी
निदेशक

समसंख्यक दिनांक को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते **एन के भार्गव एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 000429N
(एन.के. भार्गव)
साझेदार
सदस्य सं. 080624

कृते **राव एंड एम्मार**
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 003084S
(आर सुब्रमणियन)
साझेदार
सदस्य सं. 015617

कृते **पी ए एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 313085E
(प्रशांत पांडा)
साझेदार
सदस्य सं. 051092

कृते **अरुण के अग्रवाल एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 003917N
(अरुण कुमार अग्रवाल)
साझेदार
सदस्य सं. 082899

कृते **सरथ एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 005120S
(पी सरथ कुमार)
साझेदार
सदस्य सं. 021755

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 06.05.2022

यथा दिनांक 31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए लाभ व हानि लेखा
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2022

	अनुसूची Schedule	31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए (₹ '000) For the period ended 31.03.2022 (₹ '000)	31.03.2021 को समाप्त अवधि के लिए (₹ '000) For the period ended 31.03.2021 (₹ '000)
I. आय / INCOME			
अर्जित ब्याज / INTEREST EARNED	13	69410 23 93	69280 46 22
अन्य आय / OTHER INCOME	14	16496 90 42	14924 31 07
कुल / Total		**85907 14 35**	**84204 77 29**
II. व्यय / EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज / INTEREST EXPENDED	15	43026 26 26	45177 62 37
परिचालन व्यय / OPERATING EXPENSES	16	19791 90 55	19338 18 42
प्रावधान और आकस्मिक व्यय PROVISIONS AND CONTINGENCIES		17410 56 45	17131 38 82
कुल / Total		**80228 73 26**	**81647 19 61**
III. अवधि के लिए निवल लाभ / (हानि) **NET PROFIT / (LOSS) FOR THE PERIOD**		**5678 41 09**	**2557 57 68**
लाभ/हानि (–)अग्रानीत **PROFIT/LOSS (-)BROUGHT FORWARD**			
IV. विनियोजन / APPROPRIATIONS			
निम्नलिखित को अंतरण / TRANSFERS TO			
सांविधिक आरक्षित निधि / STATUTORY RESERVES		1419 60 27	639 39 42
पूंजी आरक्षित निधि / CAPITAL RESERVES		540 96 28	1162 70 39
निवेश आरक्षित लेखा / INVESTMENT RESERVE ACCOUNT		118 78 51	755 47 87
प्रस्तावित लाभांश / PROPOSED DIVIDEND		1179 18 47	-
लाभ शेष / BALANCE CARRIED OVER		2419 87 56	
कुल / Total		**5678 41 09**	**2557 57 68**
प्रति शेयर अर्जन / EARNINGS PER SHARE		32.49	16.91

R MAHENDRAN
DIVISIONAL MANAGER

K SIVARAMAKRISHNAN
DIVISIONAL MANAGER

GANESH R
ASST. GENERAL MANAGER

DEEPAK SAXENA
ASST. GENERAL MANAGER

S K MAJUMDAR
GENERAL MANAGER & CFO

V RAMACHANDRA
CHIEF GENERAL MANAGER

BRIJ MOHAN SHARMA
EXECUTIVE DIRECTOR

K. SATYANARAYANA RAJU
EXECUTIVE DIRECTOR

A. MANIMEKHALAI
EXECUTIVE DIRECTOR

DEBASHISH MUKHERJEE
EXECUTIVE DIRECTOR

L.V. PRABHAKAR
MANAGING DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER

SUCHINDRA MISRA
DIRECTOR

R KESAVAN
DIRECTOR

NALINI PADMANABHAN
DIRECTOR

DIBAKAR PRASAD HARICHANDAN
DIRECTOR

VENKATACHALAM RAMAKRISHNA IYER
DIRECTOR

BIMAL PRASAD SHARMA
DIRECTOR

KARUNAKARA SHETTY
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For **N. K. BHARGAVA & CO**
Chartered Accountants
FRN : 000429N
(N.K.BHARGAVA)
PARTNER
MEMBERSHIP NO.080624

For **RAO & EMMAR**
Chartered Accountants
FRN : 003084S
(R SUBRAMANIAN)
PARTNER
MEMBERSHIP NO.015617

For **P A & ASSOCIATES**
Chartered Accountants
FRN : 313085E
(PRASHANT PANDA)
PARTNER
MEMBERSHIP NO.051092

For **ARUN K AGARWAL & ASSOCIATES**
Chartered Accountants
FRN : 003917N
(ARUN KUMAR AGARWAL)
PARTNER
MEMBERSHIP NO.082899

For **SARATH & ASSOCIATES**
Chartered Accountants
FRN : 005120S
(P SARATH KUMAR)
PARTNER
MEMBERSHIP NO.021755

Place : Bengaluru
Date : 06.05.2022

यथा दिनांक 31.03.2022 को तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2022

	यथा 31.03.2022 को (₹ '000) As at 31.03.2022 (₹ '000)	यथा 31.03.2021 को (₹ '000) As at 31.03.2021 (₹ '000)
अनुसूची 1 - पूँजी / SCHEDULE 1 - CAPITAL		
I. प्राधिकृत पूँजी / Authorised Capital (₹10/- प्रति शेयर के 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर) / (300,00,00,000 Equity Shares of ₹10/- each)	3000 00 00	3000 00 00
II. निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त: / Issued, Subscribed and Paid up:		
i) केंद्र सरकार द्वारा धारित ₹10/- प्रति शेयर के 1,14,17,09,678 ईक्विटी शेयर गत वर्ष ₹10/- प्रति शेयर के 114,17,09,678 ईक्विटी शेयर i) 1,14,17,09,678 Equity Shares of ₹10/- each / Previous year 114,17,09,678 Equity share of ₹10/- each held by Central Government	1141 70 97	1141 70 97
ii) ₹10/- प्रति शेयर के 67,24,20,574 ईक्विटी शेयर पिछले वर्ष अन्य द्वारा धारित ₹10/- प्रति शेयर के 50,50,28,542 इक्विटी शेयर ii) 67,24,20,574 Equity Shares of ₹10/- each Previous year 50,50,28,542 Equity Shares of ₹10/- each held by others.	672 42 06	505 02 85
	1814 13 03	**1646 73 82**
अनुसूची 2 - आरक्षित निधियाँ तथा अधिशेष / SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS		
I. सांविधिक आरक्षित निधि / STATUTORY RESERVE		
(बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 17 के अनुसार आरक्षित निधि) (Reserve Fund in terms of Section 17 of the Banking Regulation Act, 1949)		
प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	11721 57 76	8350 76 00
अवधि के दौरान परिवर्धन / Additions during the period	1419 60 27	3370 81 76
कुल / Total	**13141 18 03**	**11721 57 76**
II. पूँजी आरक्षित निधि / CAPITAL RESERVE		
क./a. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि / REVALUATION RESERVE		
प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	8284 23 70	6332 79 04
जोड़ें : अवधि के दौरान परिवर्धन / Add : Addition during the period	406 14 76	2108 95 83
	8690 38 46	8441 74 87
घटाएं : आरक्षित निधियों में अंतरित Less : Transferred to Revenue Reserves	184 15 22	157 51 17
कुल / Total	**8506 23 24**	**8284 23 70**
ख./b. विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि FOREIGN CURRENCY TRANSLATION RESERVE		
प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	127 95 04	190 81 43
जोड़ें : अवधि के दौरान परिवर्धन / Add : Additions during the period		26 48 71
घटाएं : अवधि के दौरान कटौती / Less: Deductions during the period	168 81 46	89 35 10
कुल / Total	**(40 86 42)**	**127 95 04**
ग./c. समामेलित आरक्षित निधि / AMALGAMATED RESERVE		
प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	2240 69 47	-
जोड़ें : अवधि के दौरान परिवर्धन / Add : Additions during the period	-	2240 69 47
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती / Less: Deductions during the year	-	-
कुल / Total	**2240 69 47**	**2240 69 47**
घ./d. अन्य / OTHERS		
प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	4184 49 58	2488 67 07
जोड़ें : अवधि के दौरान परिवर्धन / Add : Additions during the period	540 96 28	1695 82 51
कुल / Total	**4725 45 86**	**4184 49 58**

यथा दिनांक 31.03.2022 को तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2022

	यथा 31.03.2022 को (₹ '000) As at 31.03.2022 (₹ '000)	यथा 31.03.2021 को (₹ '000) As at 31.03.2021 (₹ '000)
III शेयर प्रीमियम / SHARE PREMIUM		
प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	30091 52 49	18302 55 81
जोड़ें : अवधि के दौरान परिवर्धन / Add : Additions during the period	2322 78 21	11788 96 68
घटाएं : अवधि के दौरान कटौती / Less: Deductions during the period	18495 29 88	
कुल / Total	**13919 00 82**	**30091 52 49**
IV राजस्व और अन्य आरक्षित निधि / REVENUE AND OTHER RESERVES		
क/a. राजस्व आरक्षित निधि / REVENUE RESERVE		
प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	11616 84 53	8766 80 39
जोड़ें : अवधि के दौरान परिवर्धन / Add: Additions during the period	187 06 92	2857 64 32
	11803 91 45	11624 44 71
घटाएं : अवधि के दौरान कटौती / Less: Deductions during the period	3 27 09	7 60 18
कुल / Total	**11800 64 36**	**11616 84 53**
ख/b. विशेष आरक्षित निधि / SPECIAL RESERVE {आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अनुसार} {In terms of Section 36 (1)(viii) of the Income Tax Act, 1961}		
प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	5536 46 92	4000 00 00
जोड़ें : अवधि के दौरान परिवर्धन / Add: Additions during the period	-	1536 46 92
कुल / Total	**5536 46 92**	**5536 46 92**
ग/c. निवेश आरक्षित निधि खाता / INVESTMENT RESERVE ACCOUNT		
प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	409 51 75	565 80 00
जोड़ें : अवधि के दौरान परिवर्धन / Add : Additions during the period	118 78 51	-
	528 30 26	565 80 00
घटाएं : अवधि के दौरान कटौती / Less: Deductions during the period	-	156 28 25
कुल / Total	**528 30 26**	**409 51 75**
घ/d. अन्य आरक्षित निधि खाता / OTHER RESERVE ACCOUNT		
प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	-	(1491 94 52)
जोड़ें : अवधि के दौरान परिवर्धन * / Add : Additions during the period	-	1491 94 52
	-	
घटाएं : अवधि के दौरान कटौती / Less: Deductions during the period	-	-
कुल / Total	**-**	**-**
ङ./e. निवेश उतार–चढ़ाव आरक्षित निधि / INVESTMENT FLUCTUATION RESERVE		
प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	939 01 63	27 25 51
जोड़ें : अवधि के दौरान परिवर्धन / Add : Additions during the period	-	911 76 12
	939 01 63	**939 01 63**
घटाएं : अवधि के दौरान कटौती / Less: Deductions during the period	-	-
कुल / Total	**939 01 63**	**939 01 63**
च./f. सामान्य आरक्षित निधि / GENERAL RESERVE		
प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	581 16 40	581 16 40
जोड़ें : अवधि के दौरान परिवर्धन / Add : Additions during the period	-	
घटाएं : अवधि के दौरान कटौती / Less: Deductions during the period	-	-
कुल / Total	**581 16 40**	**581 16 40**
च./g. लाभ एवं हानि लेखा में शेष / BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT		
प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	(18495 29 88)	(9270 77 61)
जोड़ें : अवधि के दौरान परिवर्धन / Add : Additions during the period	2419 87 56	(9224 52 27)
घटाएं : अवधि के दौरान कटौती / Less: Deduction during the period	(18495 29 88)	-
कुल / Total	**2419 87 56**	**(18495 29 88)**
कुल / TOTAL	**64297 18 13**	**57238 19 39**

नोट: वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान अतिरिक्त राशियों में पूर्ववर्ती सिंडिकेट बैंक से अग्रसारित शेष राशि शामिल है।
Note: Additions during the FY 2020-21 includes balances carried forward from erstwhile Syndicate Bank.

यथा दिनांक 31.03.2022 को तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2022

	यथा 31.03.2022 को (₹ '000) As at 31.03.2022 (₹ '000)	यथा 31.03.2021 को (₹ '000) As at 31.03.2021 (₹ '000)
अनुसूची 3 - जमा / SCHEDULE 3 - DEPOSITS		
क./A.I. माँग जमा / DEMAND DEPOSITS		
i. बैंक से / FROM BANKS	424 75 74	533 78 65
ii. अन्य से / FROM OTHERS	52493 77 21	48839 57 45
कुल / Total	**52918 52 95**	**49373 36 10**
II. बचत बैंक जमा / SAVINGS BANK DEPOSITS	315916 47 01	281528 37 46
कुल / Total	**315916 47 01**	**281528 37 46**
III. मीयादी जमा / TERM DEPOSITS		
i. बैंक से / FROM BANKS	58771 81 16	49529 85 08
ii. अन्य से / FROM OTHERS	658802 44 29	630442 99 63
कुल / Total	**717574 25 45**	**679972 84 71**
कुल / TOTAL	**1086409 25 41**	**1010874 58 27**
ख./B. शाखाओं की जमा / DEPOSITS OF BRANCHES		
i. भारत में / IN INDIA	1027766 90 70	963305 52 02
ii. भारत के बाहर / OUTSIDE INDIA	58642 34 71	47569 06 25
कुल / Total	**1086409 25 41**	**1010874 58 27**
अनुसूची 4 - उधार / SCHEDULE 4 - BORROWINGS		
I. भारत में उधार / BORROWINGS IN INDIA		
i. भारतीय रिज़र्व बैंक / i. RESERVE BANK OF INDIA	850 00 00	2408 00 00
ii. अन्य बैंक / ii. OTHER BANKS	-	84 83 74
iii. अन्य संस्थाएं तथा एजेंसियाँ / iii. OTHER INSTITUTIONS AND AGENCIES	9729 08 34	16369 10 10
iv. प्रतिभूति – रहित प्रतिदेय बॉण्ड / iv. UNSECURED REDEEMABLE BONDS (आईपीडीआई और गौण ऋण) / (IPDI AND SUB-ORDINATED DEBT)	26686 10 00	23116 10 00
कुल / Total	**37265 18 34**	**41978 03 84**
II. भारत के बाहर उधारी / BORROWINGS OUTSIDE INDIA		
i. अन्य बैंक / i. OTHER BANKS	9019 77 42	8005 52 22
ii. प्रतिभूति–रहित प्रतिदेय बॉण्ड / ii. UNSECURED REDEEMABLE BONDS (गौण ऋण) / (SUB-ORDINATED DEBT)	-	
कुल / Total	**9019 77 42**	**8005 52 22**
कुल / TOTAL	**46284 95 76**	**49983 56 06**

यथा दिनांक 31.03.2022 को तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2022

	यथा 31.03.2022 को (₹ '000) As at 31.03.2022 (₹ '000)	यथा 31.03.2021 को (₹ '000) As at 31.03.2021 (₹ '000)
अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान / SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES & PROVISIONS		
I. देय बिल / BILLS PAYABLE	2366 28 86	2067 24 18
II. अतंर कार्यालय समायोजन (निवल) / INTER OFFICE ADJUSTMENT (NET)	(1125 20 89)	(2407 56 39)
III. उपचित ब्याज / INTEREST ACCRUED	2772 20 09	2614 18 94
IV. अन्य (प्रावधान सहित) / OTHERS (INCLUDING PROVISIONS)	24160 86 79	31658 09 22
कुल / Total	**28174 14 85**	**33931 95 95**
अनुसूची 6 - भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद और शेष SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I. रोकड़ शेष / CASH IN HAND (विदेशी मुद्रा नोट सहित) / (Including Foreign Currency Notes)	4071 02 11	4400 38 35
II भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष / BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
चालू खाते में / IN CURRENT ACCOUNT	47531 89 14	38711 23 94
अन्य खाते में / IN OTHER ACCOUNTS	-	-
कुल / Total	**47531 89 14**	**38711 23 94**
कुल / TOTAL	**51602 91 25**	**43111 62 29**
अनुसूची 7 - बैंकों में शेष तथा माँग और अल्पसूचना पर प्रतिदेय राशि SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
I. **भारत में / IN INDIA**		
i. बैंक में शेष / BALANCE WITH BANKS		
क. चालू खातों में / a. IN CURRENT ACCOUNTS	419 07 78	60 87 34
ख. अन्य जमा खातों में / b. IN OTHER DEPOSIT ACCOUNTS	-	-
कुल / TOTAL	**419 07 78**	**60 87 34**
ii. माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
क. बैंकों में / a. WITH BANKS	25644 43 61	9801 71 26
ख. अन्य संस्थाओं में / b. WITH OTHER INSTITUTIONS	26532 30 21	53580 78 30
कुल / Total	**52176 73 82**	**63382 49 56**
कुल / TOTAL	**52595 81 60**	**63443 36 90**
II. **भारत से बाहर / OUTSIDE INDIA**		
i. चालू खातों में / IN CURRENT ACCOUNTS	25804 03 61	12168 78 22
ii. अन्य जमा खातों में / IN OTHER DEPOSIT ACCOUNTS	31845 26 04	40368 60 06
iii. माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	20206 28 05	19315 66 20
कुल / Total	**77855 57 70**	**71853 04 48**
कुल / TOTAL	**130451 39 30**	**135296 41 38**

यथा दिनांक 31.03.2022 को तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2022

	यथा 31.03.2022 को (₹ '000) As at 31.03.2022 (₹ '000)		यथा 31.03.2021 को (₹ '000) As at 31.03.2021 (₹ '000)	
अनुसूची 8 - निवेश / SCHEDULE 8 - INVESTMENTS				
I. भारत में निवेश : सकल INVESTMENTS IN INDIA: GROSS		283749 26 03		262969 26 19
घटाएं: मूल्यह्रास व एनपीआई के लिए प्रावधान LESS: PROVISION FOR DEPRECIATION & NPI		4400 08 69		4437 46 29
भारत में निवल निवेश / NET INVESTMENT IN INDIA		279349 17 34		258531 79 90
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ GOVERNMENT SECURITIES		263300 46 66		240809 05 26
ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ OTHER APPROVED SECURITIES		2 40 37		2 40 37
iii शेयर SHARES		2563 60 23		2436 36 41
iv. डिबेंचर और बॉण्ड DEBENTURES AND BONDS		10948 69 09		12261 12 12
v. अनुषंगियां और / या संयुक्त उद्यम SUBSIDIARIES AND / OR JOINT VENTURES		956 58 94		788 56 66
vi. अन्य – म्युचुअल फंड, सी पी, सी डी इत्यादि OTHERS - MUTUAL FUNDS, C P, CD ETC.		1577 42 05		2234 29 08
कुल / Total		**279349 17 34**		**258531 79 90**
परिपक्वता के लिए धारित / HELD TO MATURITY	238379 92 89		206806 24 00	
बिक्री के लिए उपलब्ध / AVAILABLE FOR SALE	40845 40 79		51527 07 84	
व्यापार के लिए धारित / HELD FOR TRADING	123 83 66		198 48 06	
कुल / Total	**279349 17 34**		**258531 79 90**	
II. भारत के बाहर निवेश – सकल INVESTMENTS OUTSIDE INDIA - GROSS		2687 46 53		3165 54 05
घटाएं: मूल्यह्रास के लिए प्रावधान LESS : PROVISION FOR DEPRECIATION		23 73 89		6 94 55
भारत के बाहर निवल निवेश NET INVESTMENTS OUTSIDE INDIA		2663 72 64		3158 59 50
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ / GOVERNMENT SECURITIES (स्थानीय प्राधिकरण सहित) / (INCLUDING LOCAL AUTHORITIES)		68 76 10		269 59 50
ii. अनुषंगियां और / या संयुक्त उद्यम SUBSIDIARIES AND/OR JOINT VENTURES		166 30 73		166 30 73
iii. अन्य निवेश / OTHER INVESTMENTS		2428 65 81		2722 69 27
कुल / Total		**2663 72 64**		**3158 59 50**
परिपक्वता के लिए धारित / HELD TO MATURITY	235 06 83		232 69 97	
बिक्री के लिए उपलब्ध / AVAILABLE FOR SALE	2428 65 81		2925 89 53	
व्यापार के लिए धारित / HELD FOR TRADING	-			
कुल / Total	**2663 72 64**		**3158 59 50**	
कुल / TOTAL		**282012 89 98**		**261690 39 40**

यथा दिनांक 31.03.2022 को तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2022

	यथा 31.03.2022 को (₹ '000) As at 31.03.2022 (₹ '000)	यथा 31.03.2021 को (₹ '000) As at 31.03.2021 (₹ '000)
अनुसूची 9 - अग्रिम / SCHEDULE 9 - ADVANCES		
क./A. i. खरीदे गये तथा भुनाए गये बिल BILLS PURCHASED & DISCOUNTED	5913 42 37	5230 29 73
ii. रोकड़ उधार, ओवर ड्राफ्ट और माँग पर चुकौती योग्य ऋण CASH CREDITS, OVERDRAFTS AND LOANS REPAYABLE ON DEMAND	274361 48 45	255421 14 19
iii. मीयादी ऋण / TERM LOANS	423326 91 57	378397 54 69
कुल / Total	**703601 82 39**	**639048 98 61**
ख./B. i. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत / SECURED BY TANGIBLE ASSETS (₹204843.94 करोड़, बही ऋण के प्रति अग्रिम शामिल हैं, पिछला वर्ष ₹197983.96 करोड़) / (INCLUDES ADVANCES AGAINST STOCK AND BOOK DEBT: ₹204843.94 CR, PREVIOUS YEAR: ₹197983.96 CR)	503935 54 81	511310 56 72
ii. बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा प्रावरित COVERED BY BANK / GOVT.GUARANTEES	26621 64 04	7890 38 79
iii. प्रतिभूति रहित / UNSECURED	173044 63 54	119848 03 10
कुल / Total	**703601 82 39**	**639048 98 61**
ग./C. I. भारत में अग्रिम / ADVANCES IN INDIA		
i. प्राथमिकता क्षेत्र / PRIORITY SECTOR	337783 43 69	300354 15 77
ii. सार्वजनिक क्षेत्र / PUBLIC SECTOR	62043 78 38	50281 08 02
iii. बैंक / BANKS	11493 75 35	72
iv. अन्य / OTHERS	264741 54 87	268920 63 74
कुल / Total	**676062 52 29**	**619555 88 25**
II. भारत से बाहर अग्रिम / ADVANCES OUTSIDE INDIA (बैंकों के अलावा देय) **(DUE FROM OTHER THAN BANKS)**		
i. खरीदे गये तथा भुनाए गये बिल BILLS PURCHASED AND DISCOUNTED	-	164 14 59
ii. मीयादी और समूहन ऋण TERM / SYNDICATED LOANS	25595 42 49	16846 51 60
iii. अन्य / OTHERS	1943 87 61	2482 44 17
कुल / Total	**27539 30 10**	**19493 10 36**
कुल / TOTAL	**703601 82 39**	**639048 98 61**

यथा दिनांक 31.03.2022 को तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2022

	यथा 31.03.2022 को (₹ '000) As at 31.03.2022 (₹ '000)		यथा 31.03.2021 को (₹ '000) As at 31.03.2021 (₹ '000)	
अनुसूची 10 - अचल आस्तियाँ / SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS				
I. परिसर / PREMISES				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर AT COST / VALUATION AS PER LAST BALANCE SHEET	10665 72 95		8240 50 23	
वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	21 17 23		1984 56 22	
	10686 90 18		10225 06 45	
वर्ष के दौरान किए गए पुनर्मूल्यांकन REVALUATIONS MADE DURING THE YEAR	354 66 23		484 74 22	
	11041 56 41		10709 80 67	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	13 88 91		44 07 72	
	11027 67 50		10665 72 95	
अद्यतन मूल्यह्रास / DEPRECIATION TO DATE	1516 66 96		1304 07 41	
		9511 00 54		9361 65 54
II. अन्य अचल आस्तियाँ / OTHER FIXED ASSETS (फर्नीचर और जुड़नार सहित) (INCLUDING FURNITURE & FIXTURES)				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार लागत पर AT COST AS PER LAST BALANCE SHEET	6964 92 48		4191 73 99	
वर्ष के दौरान परिवर्धन ADDITIONS DURING THE YEAR	617 72 82		2899 81 94	
	7582 65 30		7091 55 93	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ DEDUCTIONS DURING THE YEAR	310 20 71		126 63 45	
	7272 44 59		6964 92 48	
अद्यतन मूल्यह्रास / DEPRECIATION TO DATE	5431 68 18		5124 58 01	
		1840 76 41		1840 34 47
III. पट्टे पर दी गई आस्तियां / LEASED ASSETS				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार लागत पर AT COST AS PER LAST BALANCE SHEET	71 77 29		71 77 29	
वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	-		-	
	71 77 29		71 77 29	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	-		-	
	71 77 29		71 77 29	
अद्यतन मूल्यह्रास / DEPRECIATION TO DATE	70 15 78		69 89 95	
	1 61 51		1 87 34	
घटाएं: पट्टेदारी अंतिम समायोजन लेखा LESS: LEASE TERMINAL ADJUSTMENT ACCOUNT	(57 49)		(31 66)	
		2 19 00		2 19 00
IV. प्रगति पर पूंजीगत कार्य : / CAPITAL WORK IN PROGRESS:				
प्रगति पर पूंजीगत कार्य : प्रारंभिक शेष / CAPITAL WORK IN PROGRESS- OP BAL	2 34 23			
वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR			6 62 65	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	-		4 28 42	
		2 34 23		2 34 23
कुल / **Total**		**11356 30 18**		**11206 53 24**

नोट: वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान किए गए जोड़ / घटाव और उक्त दिनांक तक किए गए मूल्यह्रास में पूर्ववर्ती सिंडिकेट बैंक से अग्रसारित शेष राशि शामिल है।
Note: Additions / Deductions during FY 2020-21 & Depreciation to date includes balances carried forward from erstwhile Syndicate Bank.

यथा दिनांक 31.03.2022 को तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2022

	यथा 31.03.2022 को (₹ '000) As at 31.03.2022 (₹ '000)		यथा 31.03.2021 को (₹ '000) As at 31.03.2021 (₹ '000)	
अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ / SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS				
I. उपचित ब्याज / INTEREST ACCRUED		6228 03 65		8449 97 27
II. अग्रिम रूप में प्रदत्त कर / स्रोत पर कर कटौती (निवल) TAX PAID IN ADVANCE / TAX DEDUCTED AT SOURCE (NET)		16060 38 07		13670 13 45
III. लेखन सामग्री व स्टैम्प / STATIONERY AND STAMPS		3 76 50		3 56 72
IV. दावों के निपटान में प्राप्त की गई गैर-बैंकिंग आस्तियाँ NON BANKING ASSETS ACQUIRED IN SATISFACTION OF CLAIMS		99 69 36		108 16 76
V. अन्य / OTHERS		16608 96 14		30430 76 37
VI. आस्थगित कर आस्तियाँ (निवल) / DEFERRED TAX ASSETS (NET)		8953 50 36		10658 48 00
कुल / **Total**		**47954 34 08**		**63321 08 57**
अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES				
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है / CLAIMS AGAINST THE BANK NOT ACKNOWLEDGED AS DEBTS		32225 29 92		16571 38 52
II. अंशतः प्रदत्त निवेश हेतु देयताएं LIABILITY FOR PARTLY PAID INVESTMENTS		44 00		44 00
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं LIABILITY ON ACCOUNT OF OUTSTANDING FORWARD EXCHANGE CONTRACTS		269478 03 32		416862 86 83
IV. ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियाँ GUARANTEES GIVEN ON BEHALF OF CONSTITUENTS				
क./a. भारत में / IN INDIA	43718 07 37		45535 77 19	
ख./b. भारत से बाहर / OUTSIDE INDIA	143 87 54		142 63 96	
		43861 94 91		45678 41 15
V. स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं ACCEPTANCES, ENDORSEMENTS AND OTHER OBLIGATIONS		24842 43 63		23631 39 94
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है / OTHER ITEMS FOR WHICH THE BANK IS CONTINGENTLY LIABLE				
क. पुनः भुनाए गये विनिमय बिल a. BILLS OF EXCHANGE REDISCOUNTED	-		-	
ख. / b. अन्य / OTHERS	4729 86 29		4327 30 92	
		4729 86 29		4327 30 92
कुल / **Total**		**375138 02 07**		**507071 81 36**

यथा 31.03.2022 को समाप्त अवधि हेतु लाभ व हानि लेखा का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2022

	31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए (₹ '000) For the period ended 31.03.2022 (₹'000)	31.03.2021 को समाप्त अवधि के लिए (₹ '000) For the period ended 31.03.2021 (₹'000)
अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज / SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED		
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / भुनाना INTEREST / DISCOUNT ON ADVANCES / BILLS	49862 10 87	50404 99 95
II. निवेशों से आय / INCOME ON INVESTMENTS	16972 26 55	16899 88 05
III. भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य अंतर बैंक निधियों में शेषराशि पर ब्याज INTEREST ON BALANCES WITH RBI AND OTHER INTER BANK FUNDS	2155 11 82	1851 52 53
IV. अन्य / OTHERS	420 74 69	124 05 69
कुल / **Total**	**69410 23 93**	**69280 46 22**
अनुसूची 14 - अन्य आय / SCHEDULE 14 - OTHER INCOME		
I. कमीशन, विनिमय और दलाली COMMISSION, EXCHANGE AND BROKERAGE	1415 97 26	2040 17 37
II. निवेशों के विक्रय से लाभ PROFIT ON SALE OF INVESTMENTS	2366 00 84	3317 66 46
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ / (हानि) PROFIT / (LOSS) ON REVALUATION OF INVESTMENTS	226 62 36	-321 98 72
IV. भूमि / भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय से लाभ PROFIT ON SALE OF LAND / BUILDINGS AND OTHER ASSETS	14 42 05	28 70 25
V. विनिमय लेन-देन पर लाभ - निवल PROFIT ON EXCHANGE TRANSACTIONS - NET	2812 73 47	1881 83 41
VI. भारत में / विदेश की अनुषंगियों / कम्पनियों और / या संयुक्त उद्यम से लाभांश आदि के माध्यम से अर्जित आय INCOME EARNED BY WAY OF DIVIDEND ETC. FROM SUBSIDIARIES / COMPANIES AND / OR JOINT VENTURES ABROAD / IN INDIA	55 88 30	30 85 76
VII. विविध आय / MISCELLANEOUS INCOME	9605 26 14	7947 06 54
कुल / **Total**	**16496 90 42**	**14924 31 07**

यथा 31.03.2022 को समाप्त अवधि हेतु लाभ व हानि लेखा का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2022

		31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए (₹ '000) For the period ended 31.03.2022 (₹'000)	31.03.2021 को समाप्त अवधि के लिए (₹ '000) For the period ended 31.03.2021 (₹'000)
अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED			
I.	जमा पर ब्याज / INTEREST ON DEPOSITS	39742 69 88	42096 95 99
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज INTEREST ON RESERVE BANK OF INDIA / INTERBANK BORROWINGS	1258 83 65	1057 89 33
III.	अन्य (टियर I व टियर II बॉण्ड पर ब्याज सहित) OTHERS (INCLUDING TIER I & TIER II BOND INTEREST)	2024 72 73	2022 77 05
	कुल / Total	**43026 26 26**	**45177 62 37**
अनुसूची 16 - परिचालन व्यय SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES			
I.	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान PAYMENTS TO AND PROVISIONS FOR EMPLOYEES	12703 64 08	12689 95 94
II.	किराया, कर, बिजली / RENT, TAXES, LIGHTING	1126 62 63	1120 14 79
III.	मुद्रण व लेखन सामग्री / PRINTING AND STATIONERY	77 69 19	133 62 09
IV.	विज्ञापन व प्रचार / ADVERTISEMENT AND PUBLICITY	81 03 69	42 13 58
V.	बैंक की संपत्ति में मूल्यह्रास DEPRECIATION ON BANK'S PROPERTY	815 58 32	820 16 90
VI.	निदेशकों का शुल्क, भत्ता और व्यय DIRECTORS' FEES, ALLOWANCES AND EXPENSES	68 37	82 32
VII.	लेखापरीक्षकों का शुल्क और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों सहित) AUDITORS' FEES AND EXPENSES (INCLUDES FOR BRANCH AUDITORS)	67 35 34	116 23 39
VIII.	विधि प्रभार / LAW CHARGES	115 67 46	83 83 52
IX.	डाक, तार, टेलिफोन आदि POSTAGE, TELEGRAMS, TELEPHONES ETC	85 86 86	109 87 25
X.	मरम्मत और अनुरक्षण / REPAIRS AND MAINTENANCE	662 62 38	542 26 14
XI.	बीमा / INSURANCE	1152 52 51	1069 44 63
XII.	अन्य व्यय / OTHER EXPENDITURE	2902 59 72	2609 67 87
	कुल / Total	**19791 90 55**	**19338 18 42**

अनुसूची – 17

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणियों पर महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

[1] (क) तैयार करने का आधार

ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों को तैयार किया गया है तथा ये अन्यथा सूचित को छोड़कर कार्यशील संस्थागत आधार पर लेखांकन के उपचय के आधार पर हैं। वे भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांत (जीएएपी) के अनुरूप हैं, जिसमें सांविधिक प्रावधानों व भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), बैंकिंग विनियमन अधिनियम - 1949 द्वारा निर्धारित वैधानिक प्रावधान, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक / मार्गदर्शन नोट नियामक मानदंड / दिशानिर्देश और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएं शामिल हैं। विदेशी कार्यालयों के संबंध में, संबंधित देशों में प्रचलित प्रावधानों और प्रथाओं का अनुपालन किया गया है।

(ख) अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरणियों की तैयारी के लिए प्रबंधन तंत्र को आस्तियों, देयताओं, व्यय, आय तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटन को प्रभावित करने वाली राशि के संबंध में यथा वित्तीय विवरणियों की तारीख को अनुमान तथा धारणाओं को बनाने की आवश्यकता है । प्रबंधन का मानना है कि ये अनुमान व धारणाएं उचित व विवेकपूर्ण हैं । तथापि, वास्तविक परिणाम अनुमान से अलग हो सकते हैं । अन्यथा सूचित को छोडक़र लेखांकन अनुमान में किसी संशोधन को वर्तमान तथा भविष्य की अवधियों में मान्यता दी जाएगी।

[2] विदेशी मुद्रा अंतरण / विदेशी मुद्रा संपरिवर्तन

2.1 प्रारंभिक तौर पर विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को काल्पनिक दर पर अभिलेखित किया गया है । विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को विदेशी विनिमय विक्रेता संघ (फेडाई) द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में प्रकाशित दर पर पुन: वर्णित किया गया है । पुन: वर्णन से उत्पन्न होने वाली विनिमय अंतरों को त्रैमासिक दर पर लाभ–हानि लेखा में मान्यता देकर अभिलेखित किया गया है ।

SCHEDULE - 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES ON THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022

[1] (a) Basis of Preparation

The financial statements have been prepared under the historical cost convention, on the accrual basis of accounting on going concern basis, unless otherwise stated. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprises statutory provisions, regulatory norms / guidelines prescribed by Reserve Bank of India (RBI), Banking Regulation Act - 1949, Accounting Standards / guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with.

(b) Use of Estimates

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date of the financial statements. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in the current and future periods unless otherwise stated.

[2] Foreign Currency Translation / Conversion of Foreign Currencies

2.1 Foreign currency monetary items are initially recorded at a notional rate. Foreign currency monetary items are restated at the rate published by 'Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) at the end of each quarter. Exchange difference arising on restatement of such items at the quarterly rates is recognised in Profit and Loss Account.

2.2 विदेशी शाखाओं के संबंध में लेनदेन एवं शेष को अभिन्न विदेशी परिचालन के रूप में वर्गीकृत किया गया है । ऐसे लेन–देन तथा शेष राशि को बैंक द्वारा तिमाही आधार पर समेकित किया गया है ।

भारतीय विदेशी विनिमय विक्रेता संघ ('फेडाई') द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में आस्तियों एवं देयताओं (दोनों मौद्रिक व गैर–मौद्रिक तथा आकस्मिक देयताएं) का अंतरण उपलब्ध विदेशी विनिमय दर पर घोषित किया जाता है । विदेशी शाखाओं के आय एवं व्यय मदों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखांकन मानक आईसीएआई (एएस) 11 - "विदेशी विनिमय दरों पर परिवर्तन के प्रभाव" के अनुरूप एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, उक्त मानकों के अनुपालन के संदर्भ में 'फेडाई' द्वारा प्रकाशित तिमाही औसत दर पर अंतरित किया जाता है।

परिणामस्वरूप होनेवाले विनिमय लाभ / हानि को, विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित निधि में जमा / नामे किया जाएगा।

2.3 वायदा विनिमय संविदाएं

सभी वायदा विनिमय संविदाओं के प्रारंभ में उत्पन्न होनेवाले प्रीमियम या भुनन को संविदा पर होनेवाले व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया गया है। वायदा विनिमय संविदाओं के अपरिशोधित प्रीमियम या भुनन सहित रद्द किए जाने पर होनेवाले लाभ / हानि यदि हैं तो ,उसको समाप्ति तारीख पर मान्यता दी गई । वायदा संविदाओं पर विनिमय अंतरों को रिपोर्टिंग अवधि, जहाँ विनिमय दर परिवर्तित हुए हैं, लाभ व हानि लेखा में मान्यता दी जाती है।

2.4 बकाया वायदा विनिमय संविदाओं, गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों तथा अन्य बाध्यताओं के संबंध में आकस्मिक देयताओं का परिकलन फेडाई द्वारा प्रकाशित अंतिम दरों के अनुसार तुलन पत्र में किया गया है।

[3] निवेश

3.1 निवेशों का संवर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। बैंक का संपूर्ण निवेश संविभाग तीन संवर्गों में विभाजित किया गया है, अर्थात् 'परिपक्वता के लिए धारित' (एचटीएम), 'बिक्री के लिए धारित' (एएफएस) और 'व्यापार के लिए धारित' (एचएफटी)। इस प्रकार का वर्गीकरण प्रतिभूतियों के अभिग्रहण के समय निर्धारित किया जाता है।

निवेशों को तुलन पत्र में छः संवर्गों में प्रकट किया जाता है अर्थात् (क) सरकारी प्रतिभूतियाँ (ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (ग) शेयर (घ) डिबेंचर और बॉण्ड (ङ) अनुषंगियाँ और संयुक्त उद्यम व सहयोगी संस्था तथा (च) अन्य ।

2.2 Transactions and balances of foreign branches are classified as non-integral foreign operations. Such transactions and balances are consolidated by the bank on a quarterly basis.

Assets and Liabilities (both monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing spot rate of exchange announced by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) as at the end of each quarter. Income and Expenditure items of the foreign branches are translated at the quarterly average rate published by FEDAI in accordance with Accounting Standard (AS) 11 - "The effect of Changes in Foreign Exchange rates" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and as per the guidelines of Reserve Bank of India (RBI) regarding the compliance of the said standard.

The resultant exchange gain / loss is credited / debited to Foreign Currency Translation Reserve.

2.3 Forward Exchange Contracts

Premium or discount arising at the inception of all forward exchange contracts are amortized as expense or income over the life of the contract. Profit / Losses arising on cancellation of forward exchange contracts, together with unamortized premium or discount, if any, is recognized on the date of termination. Exchange differences on such contracts are recognized in the Profit & Loss account in the reporting period in which the exchange rates change.

2.4 Contingent liability in respect of outstanding forward exchange contracts, guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are stated in the balance sheet at the closing rates published by FEDAI.

[3] Investments

3.1 Classification of investments is made as per the guidelines of the RBI. The entire investment portfolio of the bank is classified under three categories viz. 'Held to Maturity' (HTM), 'Available for Sale' (AFS) and 'Held for Trading' (HFT). Such classification is decided at the time of acquisition of securities.

Investments are disclosed in the Balance Sheet under six classifications viz: (a) Government securities (b) Other approved securities (c) Shares (d) Debentures & Bonds (e) Subsidiaries and Joint Ventures & Associates and (f) Others.

3.2 निवेश की अधिग्रहण लागत निर्धारित करने के लिए:-

(क) प्रतिभूतियों की खरीद के समय उनसे संबंधित दलाली, कमीशन आदि जैसी लागतों को लाभ व हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है।

(ख) अधिग्रहण / निपटान तारीख तक ऋण लिखतों पर खंडित अवधि ब्याज को राजस्व के रूप में माना जाता है।

3.3 निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है जो निम्नवत् है:

क) परिपक्वता के लिए धारित

परिपक्वता के लिए धारित संवर्ग के अंतर्गत निवेश पर अभिग्रहण लागत, निवल प्रतिशोधन, अगर कोई है तो उसके आधार पर किया जाना है। अंकित मूल्य से यदि कोई अधिक अभिग्रहण लागत हो तो उसे परिपक्वता की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

अनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगी संस्थाओं में निवेश को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। मूल्य में कोई भी स्थायी ह्रास हो तो उसका पूर्णतः प्रावधान किया जाता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अन्य न्यासी शेयरों में निवेशों का लागत पर मूल्य निर्धारण किया जाता है।

दिनांक 23.08.2006 के बाद वेंचर पूँजी निधियों (वीसीएफ) में किए गए निवेश को तीन वर्षों की आरंभिक अवधि के लिए परिपक्वता के लिए धारित (एचटीएम) श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जाता है तथा लागत पर मूल्य निर्धारण किया जाता है। संवितरण की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के बाद इसे भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशानुसार एएफएस व बाज़ार के लिए अंकित में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

ख) बिक्री के लिए उपलब्ध

इस संवर्ग के तहत वर्गीकृत निवेश त्रैमासिक आधार पर बाजार के लिए अंकित है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार प्रत्येक तिमाही की अंतिम तिथि (तुलन पत्र तिथि) को उपलब्ध बाज़ार दरों पर जो स्टॉक एक्सचेंजों पर व्यापार / कोट, भारतीय व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव) संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित मूल्य / आय के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है। कोट नहीं की गई प्रतिभूति भी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार मूल्यांकित की जाती है।

प्रत्येक श्रेणी / वर्गीकरण के तहत निवल मूल्यह्रास का पूरा प्रावधान किया जाता है जबकि निवल मूल्यवृद्धि, यदि कोई है, को नकारा जाता है। प्रत्येक प्रतिभूतियों का मूल्यांकन दैनिक बाज़ार मूल्य आधार पर अंकित किए जाने के बाद बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

3.2. In determining the acquisition cost of investment:-

(a) Cost such as brokerage, commission etc., relating to securities at the time of purchase are charged to Profit & Loss Account.

(b) Broken period interest on debt instruments up to the date of acquisition / disposal is treated as revenue.

3.3 The valuation of Investments is done in accordance with the guidelines issued by the RBI as under:

a) HELD TO MATURITY

Investments under Held to Maturity category are carried at acquisition cost, net of amortisation, if any. The excess of acquisition cost, if any, over the face value is amortized over the remaining period of maturity.

Investments in Subsidiaries and Joint Ventures & Associates are valued at carrying cost. Any diminution in the value other than temporary in nature is fully provided for.

Investment in sponsored Regional Rural Banks (RRB) and other Trustee Shares are valued at carrying cost.

Investment in units of Venture Capital Funds (VCFs) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of three years and valued at cost. After period of three years from date of disbursement, it will be shifted to AFS and marked-to-market as per RBI guidelines

b) AVAILABLE FOR SALE

Investments classified under this category are mark to market on quarterly basis and valued as per Reserve Bank of India guidelines at the market rates available on the last day of each quarter (Balance Sheet date) from trades / quotes on the stock exchanges, prices / yields declared by the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA). Unquoted securities are also valued as per the Reserve Bank of India guidelines.

The net depreciation under each category/ classification is fully provided for whereas the net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after these are valued at mark to market basis.

तीन वर्षों की अवधि के पश्चात् (पैरा 3.3(ए) का (संदर्भ लें) वेंचर पूँजी निधियों (वीसीएफ) में अंतरित एचटीएम श्रेणी की इकाइयों को वेंचर पूँजी निधियों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार निवल आस्ति मूल्य एनएवी पर मूल्यांकित किया जाता है। यदि मूल्यांकन की तारीख पर लगातार 18 महीनों के लिए ऐसे लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण उपलब्ध नहीं है तो, इकाइयों को ₹1 प्रति वेंचर पूँजी निधि के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।

ग) **व्यापार हेतु धारित**

इस संवर्ग के तहत वर्गीकृत निवेशों को बाज़ार कोट, भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार एवं व्युत्पन्नी संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित मूल्य / आय के अनुसार साप्ताहिक आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।

प्रत्येक धारित प्रतिभूति के तहत निवल मूल्यह्रास के प्रति पूरा प्रावधान किया गया है जबकि निवल मूल्यवृध्दि यदि कोई है तो, नकारा गया है। बाज़ार के लिए अंकित किए जाने के बाद प्रत्येक प्रतिभूतियों के बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

3.4 **एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में शेयरों का अंतरण निम्नलिखित आधार पर किया जाता है:**

(क) परिपक्वता के लिए धारित (एचटीएम) श्रेणी से बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) / व्यापार के लिए धारित (एचएफटी) श्रेणी में अंतरण अधिग्रहण मूल्य / बही मूल्य पर किया जाता है। यदि एचटीएम श्रेणी के तहत निवेश, को मूल रूप से प्रीमियम पर रखा जाता है तो परिशोधन लागत पर अंतरित किया जाता है और अंतरण और परिणामी मूल्यह्रास के परिणामस्वरूप प्रतिभूति यदि कोई हो तो, उसका तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा; उसका प्रावधान प्रदान किया जाएगा।

(ख) एएफएस / एचएफटी श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में अंतरण बही मूल्य या बाज़ार मूल्य में से निम्नतर मूल्य पर किया जाता है।

(ग) एएफएस से एचएफटी श्रेणी या इसके विपरीत को रखाव मूल्य पर अंतरित किया जाता है। उपचित मूल्यह्रास, यदि कोई है तो, एचएफटी प्रतिभूतियों के प्रति मूल्यह्रास के लिए प्रावधान में अंतरित किया जाता है।

3.5 प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी (प्र.कं / पु.कं) को बैंक द्वारा बेची गयी अनर्जक निवेश प्रतिभूति रसीद के मामले में प्र.कं / पु.कं द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों को उनके प्रतिदेय मूल्य और वित्तीय आस्तियों के निवल बही मूल्य में से निम्न स्तर पर मूल्यांकित किया जाता है। बहियों में इनका निवेश उपर्युक्तानुसार निर्धारित मूल्य पर इनके विक्रय या वसूली होने तक किया जाता है और ऐसे विक्रय / वसूली पर हानि या लाभ का निर्वाह निम्नानुसार किया जाता है:

Units of Venture Capital Funds (VCF) transferred from HTM category after a period of three years (Refer paragraph 3.3(a) are valued at NAV as per the audited financial statements of Venture Capital Funds. In case such audited financial statements are not available continuously for 18 months as on the date of valuation, units are valued at ₹1 per VCF.

c) **HELD FOR TRADING**

Investments classified under this category are valued at rates based on market quotations, price / yields declared by FIMMDA on a weekly basis.

The net depreciation under each security held is fully provided for whereas the net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after marked to market.

3.4. **Transfer of scrips from one category to another is carried on the following basis:**

(a) HTM to AFS / HFT category at acquisition price / book value. In case the investments under HTM category, originally placed at premium than the transfer is made at amortised cost and security shall be immediately revalued consequent to the transfer and resultant depreciation; if any, shall be provided.

(b) AFS / HFT to HTM category at lower of the book value or market value.

(c) AFS to HFT category or vice versa, at the carrying value. The accumulated depreciation, if any, to be transferred to the provision for depreciation against HFT securities and vice versa.

3.5 Non-performing Investments Security Receipts issued by Securitisation / Reconstruction Company (SC / RC) in respect of financial assets sold by the Bank to the SC / RC are valued at the lower of the redemption value of the Security Receipt and the Net Book Value of the financial asset. The Investment is carried in the books at the price determined as above until its sale or realisation and on such sale or realisation, loss or gain is dealt with as below:

(क) यदि विक्रय निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम मूल्य पर है तो, तत्संबंधी कमी का निर्वाह भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार किया जाता है।

(ख) यदि विक्रय निवल बही मूल्य (एनबीवी) से उच्च मूल्य पर है तो, अतिरिक्त प्रावधान को वापस नहीं किया जाता है बल्कि प्र.कं / पु.कं को अन्य वित्तीय आस्तियों के विक्रय से होनेवाली कमी / हानि की पूर्ति के लिए किया जाता है।

3.6 तीनों में से किसी भी श्रेणी में शामिल की गई प्रतिभूतियों के मामले में जहाँ ब्याज / मूल राशि एक निर्धारित अवधि के लिए बकाया है, अनर्जक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसी प्रतिभूतियों पर ब्याज आय की गणना नहीं की जाती है तथा निवेशों के मूल्य पर आवश्यक ह्रास / प्रावधान किया जाता है। ऐसे अनर्जक निवेशों के प्रति मूल्यह्रास को अन्य अर्जक प्रतिभूतियों के प्रति मूल्यवृद्धि से समंजन नहीं किया जाता है।

3.7 निवेश की बिक्री पर लाभ

"बिक्री के लिए उपलब्ध" तथा "व्यापार के लिए धारित" श्रेणियों के तहत निवेश की बिक्री पर लाभ को लाभ व हानि लेखा में मान्यता दी जाती है।

"परिपक्वता के लिए धारित" श्रेणी के संबंध में निवेशों की बिक्री पर उपलब्ध लाभ को प्राथमिक तौर पर लाभ व हानि लेखा में लिया जाता है तथा लाभ की समतुल्य राशि को पूँजी आरक्षित निधि (कर व सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित की जानेवाली राशि का निवल) में विनियोजित किया जाता है।

सभी तीनों श्रेणियों में निवेशों की बिक्री पर हानि को लाभ व हानि लेखा में मान्यता दी जाती है।

3.8 रेपो / प्रतिवर्ती रेपो का लेखांकन व चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ)

आरबीआई के साथ एलएएफ सहित रेपो / प्रतिवर्ती रेपो के तहत सहमत शर्तों पर पुनर्खरीद / पुनर्बिक्री हेतु करार के साथ खरीदी / बेची गई प्रतिभूतियों को उधार लेने / उधार देने के रूप में मान्यता दी जाती है।

रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियों को निवेश के तहत दिखाया जाता है और प्रतिवर्ती रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियों को निवेश में शामिल नहीं किया जाता है। लागत और राजस्व की गणना ब्याज व्यय / आय, जैसा मामला है, के रूप में की जाती है।

[4] व्युत्पन्नी संविदाएं

बैंक ब्याज दर अदला-बदली और मुद्रा व्युत्पन्नियों का कारोबार करता है। बैंक द्वारा कारोबार की जा रही ब्याज दर व्युत्पन्नी क्रमश: रुपया ब्याज दर अदला-बदली, पारस्परिक मुद्रा ब्याज दर अदला-बदली और वायदा दर करार हैं। बैंक द्वारा कारोबार

(a) If sale is at a price below Net Book Value (NBV), the shortfall is recognised as per Reserve Bank of India guidelines.

(b) If the sale is for a value higher than NBV, the excess provision is not reversed but utilized to meet shortfall / loss on account of sale of other financial assets to SC / RC.

3.6 Securities included in any of three categories where interest / principal is in arrears for a specified period, are classified as Non-performing Investment. Interest Income on such securities is not reckoned and appropriate depreciation/ provision in value of Investments is made. Deprecation in respect of such Non-performing Investments is not set off against appreciation in other performing securities.

3.7 Profit on sale of Investments

Profit on sale of Investments in respect of "Available for Sale" and "Held for Trading" categories is recognized in Profit & Loss Account.

Profit on sale of Investments in respect of "Held to Maturity" category is first taken to the Profit & Loss Account and an equivalent amount of Profit is appropriated to the Capital Reserve (net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserve).

Loss on sale of Investments in all the three categories is recognized in Profit & Loss Account.

3.8 Accounting for Repo / Reverse Repo and Liquidity Adjustment Facility (LAF)

Securities sold / purchased with an agreement to repurchase / resale on the agreed terms under Repo / Reverse Repo including LAF with RBI are recognized as Borrowing / Lending.

Securities sold under Repo are continued to be shown under investments and Securities purchased under Reverse Repo are not included in investments. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

[4] Derivative contracts

The Bank deals in Interest Rate Swaps and Currency Derivatives. The Interest Rate Derivatives dealt by the Bank are Rupee Interest

की जा रही मुद्रा व्युत्पन्नियां क्रमशः विकल्प और मुद्रा की अदला-बदली है।

ऐसी व्युत्पन्नी संविदाओं को निम्नानुसार मूल्यांकित किया जाता है:

(क) व्यापार के लिए प्रयोग की जानेवाली व्युत्पन्नियों को बाज़ार के लिए अंकित आधार पर मान्यता दी जाती है और निवल मूल्यहास की पहचान की जाती है जबकि निवल मूल्यवृद्धि को नकारा जाता है।

(ख) बचाव–व्यवस्था के लिए उपयोग में लायी जा रही व्युत्पन्नी संविदाएं निम्नानुसार हैं:

i. व्युत्पन्नी संविदाओं को बचाव–व्यवस्था के रूप में बाजार के लिए अंकित नहीं किया जाता है, जब तक कि आधारभूत आस्तियां बाजार के लिए अंकित नहीं की गयी हैं।

ii. बचाव-व्यवस्था अदला-बदली के लिए आय / व्यय को उपचित आधार पर मान्यता दी जाती है।

[5] अग्रिम

5.1 अग्रिम को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंड के अनुसार अर्जक और अनर्जक आस्तियों के रूप में संवर्गीकृत किया जाता है।

5.2 अग्रिम को उधारकर्ता, वार मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्ति के रूप में संवर्गीकृत किया जाता है।

5.3 अर्जक / अनर्जक अग्रिम के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार घरेलू अग्रिम हेतु प्रावधान किया जाता है।

5.4 विदेशी शाखाओं के अर्जक / अनर्जक अग्रिम के लिए प्रावधान मेजबान देश के विनियम या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंड, इनमें से जो भी अधिक कड़े हैं, उसके अनुसार किया जाता है।

5.5 तुलन पत्र में वर्णित अग्रिम अनर्जक आस्तियाँ, क्रेडिट गारंटी संस्थाओं से प्राप्त दावे और पुनर्भुनाई के लिए किए गए प्रावधानों के निवल हैं।

5.6 अनर्जक अग्रिम में आंशिक वसूलियों को पहले प्रभारों और ब्याज के रूप में समायोजित किया जाता है, उसके बाद मूलधन के प्रति समायोजित किया जाता है। एनपीए खातों में वसूली, जो एनसीएलटी संकल्प के माध्यम से ओटीएस के तहत निपटाए गए हैं और जिन्हें विवेकपूर्ण / तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाल दिया गया है, जिसमें सरकारी गारंटी / सब्सिडी द्वारा कवर किए गए खाते भी शामिल हैं जहां वसूली मूलधन, शुल्क और ब्याज के क्रम में समायोजित की जाती है।

Rate Swaps, Cross Currency Interest Rate Swaps and Forward Rate Agreements. Currency Derivatives dealt by the Bank are Options and Currency Swaps.

Such derivative contracts are valued as under:

(a) Derivative contracts dealt for trading are valued on mark to market basis, net depreciation is recognized while net appreciation is ignored.

(b) Derivative contracts undertaken for hedging are:

i. Derivative contracts designated as hedges are not marked to market unless their underlying asset is marked to market.

ii. Income / Expenditure is recognized on accrual basis for Hedging swaps.

[5] ADVANCES

5.1 Advances are classified as performing and non-performing assets in accordance with the prudential norms issued by RBI.

5.2 Advances are classified into Standard, Sub Standard, Doubtful and Loss assets borrower wise.

5.3 Provisions for domestic advances are made for performing / non -performing advances in accordance with the RBI Guidelines.

5.4 Provisions for performing / non-performing advances with foreign branches are made as per regulations of host country or according to the norms prescribed by RBI, whichever is more stringent.

5.5 Advances stated in the Balance Sheet are net of provisions made for Non-performing Assets, claims received from Credit Guarantee Institutions and rediscount.

5.6 Recoveries in Non-performing Advances are apportioned first towards charges and interest, thereafter towards principal. Recovery in NPA accounts which are settled under OTS, through NCLT Resolution and which are Prudentially / Technically Written off including Accounts covered by Government Guarantees / Subsidy where the recoveries are adjusted in the order of Principal, Charges and Interest.

5.7 प्रतिभूतिकरण कंपनी / पुनर्निमाण कंपनी को बेची गयी वित्तीय आस्तियों के मामले में, मूल्यांकन, आय निर्धारण इत्यादि भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार किया जाता है।

5.8 एनपीए पर निर्दिष्ट प्रावधान के अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मौजूदा दिशानिर्देशानुसार मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं।

[6] अचल आस्तियां

6.1 बैंक के परिसर में मुक्त भूमि और पट्टेवाली भू-संपत्ति दोनों शामिल हैं। सभी अचल आस्तियों का पूँजीकरण, इस्तेमाल हेतु शुरू की गई तिथि के आधार पर होता है।

6.2 भूमि और परिसर को पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर और अन्य अचल परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक लागत पर उल्लिखित किया जाता है। पुर्नमूल्यांकन पर मूल्य वृद्धि, यदि कोई हो तो, उसे 'पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि' खाते में जमा की जाती है। संवर्धित मूल्य के कारण होनेवाले मूल्यह्रास / परिशोधन को लाभ व हानि लेखा में नामे किया गया है। समतुल्य राशि पुनर्मूल्यांकित आरक्षित निधि से राजस्व आरक्षित निधि में अंतरित की गई है।

[7] मूल्यह्रास

7.1 आस्तियों के जीवन काल के आधार पर सभी आस्तियों के लिए, आस्तियों का मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्धति के तहत किया जाता है।

7.2 आस्तियों का जीवनकाल कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग सी अनुसूची II के अनुसार सॉफ्टवेयर / अमूर्त, सर्वर, विद्युत उपकरण और मोटर वाहनों के अलावा परिभाषित किया गया है।

7.3 विभिन्न वर्ग की आस्तियों के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई आस्तियों का अनुमानित जीवनकाल निम्नानुसार है।

क्रम संख्या	आस्ति का प्रकार	अनुमानित जीवन काल
i	पूर्ण स्वामित्व वाला भवन	60 वर्ष
ii	ए) पट्टाधारित भूमि	पट्टा अवधि
	बी)पट्टाधारित भवन	पट्टा अवधि से कम या 60 वर्ष
iii	फर्नीचर एवं जुड़नार	10 वर्ष

5.7 In case of financial assets sold to SC / RC, the valuation, income recognition etc., are done as per RBI guidelines.

5.8 In addition to the specific provision on NPAs, general provisions are also made for standard assets as per extant RBI guidelines.

[6] Fixed Assets

6.1 The premises of the Bank include freehold and leasehold properties. All the Fixed Assets are capitalized based on the date of put to use.

6.2 Land and Premises are stated at revalued cost and other fixed assets are stated at historical cost. The appreciation on revaluation, if any, is credited to the 'Revaluation Reserve' Account. Depreciation / Amortization attributable to the enhanced value have been debited to the Profit & Loss account. Equivalent amount has been transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve.

[7] Depreciation

7.1 Depreciation method is on Straight Line Method, for all Assets based on life span of the assets.

7.2 The life span of the assets is defined as per Part C Schedule II of the Companies Act, 2013 other than Software / Intangibles, Servers, Electrical Equipments and Motor Vehicles.

7.3 Estimated life span of the assets adopted by the bank for different class of assets is as under:

SL No.	Type of asset	Estimated life span
i	Free hold Buildings	60 Years
ii	A) Lease hold Land	Lease period
	B) Lease hold Building	Lower of lease period or 60 Years
iii	Furniture & Fixtures	10 Years

iv	**ए) इलेक्ट्रोनिक उपकरण:** टेलीविजन, प्रोजेक्टर, रेफ्रिजरेटर आदि और सुरक्षा गैजेट जैसे सीसीटीवी एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम, नोट काउंटिंग, नोट सॉर्टिंग मशीन, एटीएम आदि।	5 वर्ष
	ए) इलेक्ट्रिकल उपकरण: वाटर कूलर, ग्राइंडर, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरीफायर, स्टेबीलाइजर्स, पंखे आदि।	8 वर्ष
	ए) इलेक्ट्रिकल फिक्स्चर: जैसे एलईडी / ट्यूब लाइट फिक्स्चर इत्यादि।	10 वर्ष
v	कम्प्यूटर एवं सर्वर	3 वर्ष
vi	मोटर गाड़ी	5 वर्ष

दिनांक 01–04–2020 से मूल्यह्रास की दरों में परिवर्तन (जीवन काल के आधार पर) प्रभावी है।

7.4 सॉफ्टवेयर/अमूर्त आस्ति 5 वर्षों में परिशोधित की जाती है।

7.5 यदि अधिग्रहण वर्ष में आस्ति का उपयोग 180 दिन और उससे अधिक के लिए किया जाता है, तो संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए 100% मूल्यह्रास प्रभारित किया जाएगा। यदि अधिग्रहण वर्ष में आस्ति का उपयोग 180 दिनों से कम समय के लिए किया जाता है, तो संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए 50% मूल्यह्रास प्रभारित किया जाएगा।

7.6 8 वर्ष और उससे अधिक उपयोगी जीवन अवधि वाली आस्ति के मामले में मूल लागत मूल्य का 5% अवशिष्ट मूल्य होगा। अन्य आस्तियों के लिए अवशिष्ट मूल्य मूल लागत मूल्य का ₹5/– होगा।

7.7 पट्टाधारित संपत्तियों पर प्रदत्त प्रीमियम को पट्टा अवधि या प्रासंगिक आस्ति के जीवन काल, इनमें से जो भी पहले हो, पर प्रभारित किया जाता है। पट्टाधारित भूमि की लागत और

iv	**A) Electronic Equipment:** Televisions, Projectors, Refrigerators, etc and Security Gadgets like CCTV Access Control System, Fire Alarm System, Note Counting, Note Sorting Machines, ATMs etc.	5 Years
iv	**B) Electrical Equipment:** Water Cooler, Grinder, Mixer Grinder, Water Purifiers, Stabilizers, Fans etc.	8 Years
	C) Electrical Fixtures: Like LED / Tube light Fixtures, etc.	10 Years
v	Computers and Servers	3 Years
vi	Motor Vehicles	5 Years

The change in rates (based on life span) of depreciation is applied effective from 01-04-2020.

7.4 Software / Intangible Assets are amortized over 5 years.

7.5 If the item is put to use for 180 days and above in the year of acquisition, 100% depreciation will be charged for the concerned financial year. If the asset is put to use for less than 180 days in the year of acquisition, 50% depreciation is be charged for the concerned financial year.

7.6 5% of the Original cost price will be residual value in case of the assets having useful life 8 years and above. ₹5/- of the Original cost price is residual value for other assets.

7.7 Premium paid on leasehold properties is charged off over the lease period or life span of relevant asset whichever is earlier. Cost of leasehold land and leasehold improvements are amortised over

पट्टाधारित सुधारों को पट्टे की अवधि या प्रासंगिक परिसंपत्तियों के जीवन काल, इनमें से जो भी कम हो, के लिए परिशोधित किया जाता है।

7.8 विदेशी कार्यालयों में धारित अचल आस्तियों के संबंध में, संबंधित देशों के विनियमों /मानदंडों के अनुसार मूल्यहास प्रदान किया जाता है।

7.9 आईसीएआई द्वारा जारी एएस 19 (पट्टे) के अनुसार परिचालन हेतु पट्टे पर ली गई आस्तियों के लिए लागत वृद्धि सहित पट्टा भुगतान पट्टा अवधि से अधिक को लाभ और हानि लेखा में मान्यता दी जाती है।

[8] आस्तियों का अपक्षयन

किसी आस्ति की अपक्षयन का संकेत है या नहीं, उसका मूल्यांकन प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को किया जाता है । यदि इस प्रकार का कोई संकेत विद्यमान है तो वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है तथा यदि कोई अपक्षयन है तो, प्रावधान किया जाता है और इसे लाभ और हानि लेखा में प्रभारित दी जाती हैं।

[9] राजस्व का परिकलन

9.1 निम्नलिखित को छोड़कर, आय एवं व्यय का लेखांकन सामान्यतया उपचित आधार पर की जाती है:

(क) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार अनर्जक अग्रिम तथा अनर्जक निवेश पर ब्याज को मान्यता दिया जाता है।

(ख) अतिदेय बिल, कमीशन (सरकारी व्यवसाय और एलसी बीजी के लिए कमीशन के अलावा), विनिमय, दलाली तथा लॉकर किराया पर ब्याज की गणना वसूली पर किया जाता है।

(ग) लाभांश आय की गणना तब की जाती है जब उसको प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

(घ) मुकदमा दायर किए गए खाते के मामले में संबंधित विधिक तथा अन्य व्ययों को लाभ व हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है तथा वसूली पर उसकी गणना आय के रूप में की जाती है।

[10] कर्मचारी हित

10.1 परिभाषित अंशदान योजनाएं

परिभाषित अंशदान योजनाएं जैसे भविष्य निधि / पेंशन निधि को व्यय के रूप में मान्यता दी जाता है तथा लाभ व हानि लेखा में प्रभारित किया जाती है।

बैंक 01-04-2010 को या उसके बाद बैंक में शामिल होने वाले सभी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना (एनपीएस) संचालित करता है, जो कि एक परिभाषित

the period of lease or life span of relevant assets whichever is lower.

7.8 In respect of fixed assets held at foreign offices, depreciation is provided as per the regulations / norms of the respective countries

7.9 Lease payments including cost escalation for assets taken on operating lease are recognised in the Profit and Loss Account over the lease term in accordance with the AS 19 (Leases) issued by ICAI.

[8] Impairment of Assets

An assessment is made at each balance sheet date whether there is any indication that an asset is impaired. If any such indication exists, an estimate of the recoverable amount is made and impairment loss, if any, is provided for and charged off to Profit and Loss Account.

[9] Revenue Recognition

9.1 Income and expenditure are generally accounted on accrual basis, except the following:

(a) Interest on Non-performing advances and non-performing investments is recognized on receipt basis as per norms laid down by Reserve Bank of India.

(b) Interest on Overdue Bills, Commission (other than Government business & Commission for LC BG), Exchange, Brokerage and rent on lockers is accounted on realization.

(c) Dividend Income is recognized when the right to receive the same is established.

(d) In case of suit filed accounts, related legal and other expenses incurred are charged to Profit & Loss Account and on recovery the same are accounted as Income.

[10] Employee Benefits

10.1 Defined Contribution Plans

Defined Contribution to Plans such as Provident / Pension fund are recognized as an expense and charged to Profit & Loss account.

The Bank operates a New Pension Scheme (NPS) for all officers / employees joining the Bank on or after 01-04-2010, which is a defined contribution Pension Scheme, such new joinees not being entitled to become members of the existing

अंशदान पेंशन योजना है, ऐसे नए शामिल होने वाले सदस्य मौजूदा पेंशन योजना के सदस्य बनने के हकदार नहीं है। योजना के अनुसार, प्रावरित कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10% के साथ–साथ बैंक से मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 14% के बराबर योगदान करते हैं। बैंक इस तरह के वार्षिक अंशदान को तत्संबंधी वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है।

10.2 परिभाषित हितलाभ योजनाएं

(क) उपदान : कर्मचारी उपदान निधि योजना का निधीयन बैंक द्वारा किया जाता है जिसका प्रबंधन एक अलग न्यास द्वारा किया जाता है जो दिशानिर्देशों के अनुसार उनकी निधि का प्रबंधन करता है। उपदान के तहत बैंक की बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य को यथा वर्षांत को बीमांकिक आधार पर तथा योजना संपत्ति के उचित मूल्य को निवल आधार पर बाध्यताओं को मान्यता देने के लिए सकल बाध्यताओं से कम किया जाता है।

(ख) पेंशन : कर्मचारी पेंशन निधि योजना का निधीयन बैंक द्वारा किया जाता है और प्रबंधन एक अलग न्यास द्वारा किया जाता है। पेंशन के तहत बैंक की बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य को यथा वर्षांत आधार पर तथा योजना संपत्ति के उचित मूल्य को निवल आधार पर बाध्यताओं को मान्यता देने के लिए सकल बाध्यताओं से कम किया जाता है।

10.3 अर्जित छुट्टी को दीर्घावधि लाभ माना जाता है तथा स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर परिकलन किया जाता है।

10.4 परिभाषित लाभ योजनाओं के तहत दीर्घकालिक लाभ प्रदान करने की लागत प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख में किए जाने वाले बीमांकिक मूल्यांकन के साथ अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग करके निर्धारित की जाती है। बीमांकिक लाभ / हानि को आस्थगित न करते हुए तुरंत लाभ और हानि लेखा में मान्यता दी जाती है।

[11] कराधान के लिए प्रावधान

(क) आयकर व्यय बैंक द्वारा किए गए वर्तमान कर और आस्थगित कर व्यय की कुल राशि है। वर्तमान कर व्यय और आस्थगित कर व्यय आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों और लेखांकन मानक 22 - "आय पर कर के लिए लेखांकन" के अनुसार विदेशी कार्यालयों द्वारा संबंधित अधिकार क्षेत्रों के कर कानूनों पर आधारित भुगतान किए गए कर की गणना करने के बाद किया जाता है।

Pension Scheme. As per the scheme, the covered employees contribute 10% of their basic pay plus dearness allowance to the scheme together with a contribution from the Bank equivalent to 14% of the basic pay plus dearness allowance. The Bank recognizes such annual contributions as an expense in the year to which they relate.

10.2 Defined Benefit Plans

(a) Gratuity: The employee Gratuity Fund Scheme is funded by the Bank and managed by a separate trust who in turn manages their funds as per guidelines. The present value of the Bank's obligation under Gratuity is recognized on actuarial basis as at the year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligation to recognize the obligation on a net basis.

(b) Pension: The employee Pension Fund Scheme is funded by the Bank and managed by a separate trust. The present value of the Bank's obligations under Pension is recognized on the basis of actuary's report as at the year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligation to recognize the obligation on a net basis.

10.3 The privilege leave is considered as a long-term benefit and is recognized based on independent actuarial valuation.

10.4 The cost of providing long-term benefits under defined benefit Plans is determined using the projected unit credit method with actuarial valuations being carried out at each Balance Sheet date. Actuarial gains / losses are immediately recognised in the Profit and Loss Account and are not deferred.

[11] Provision for Taxation

(a) Income tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax expense incurred by the Bank. The current tax expense and deferred tax expense are determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 - "Accounting for Taxes on Income" respectively after taking into account taxes paid at the foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdictions.

(ख) आस्थगित कर समायोजन में वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्तियों या देनदारियों में परिवर्तन शामिल हैं। समय–अवधि में अंतर के कारण उत्पन्न होनेवाली विभेदक कर आस्तियों और देयताओं जो कि बाद की अवधियों के दौरान प्रतिवर्तन योग्य हैं को अधिनियमित कर की दरों व नियमों अथवा यथा तुलन–पत्र की तिथि पर अधिनियमित कर की दरों व नियमों का प्रयोग करते हुए मान्यता दी गयी है। आस्थगित कर आस्तियों और देनदारियों में परिवर्तन के प्रभाव को लाभ और हानि लेखा में रखा जाता है।

(ग) आस्थगित कर आस्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यथास्थिति अनुसार प्रबंधन के निर्णय के आधार पर परिकलन किया जाता है और पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, व उनकी प्राप्तियों को यथोचित रूप से निश्चित या आभासी जैसा भी मामला हो, माना जाता है।

(घ) आस्थगित कर संपत्तियों को अनावशोषित मूल्यह्रास और कर के नुकसान से आगे ले जाने पर तभी रखा जाता है, अगर इस बात के पुख्ता सबूतों का समर्थन करते हुए आभासी निश्चितता है कि ऐसी आस्थगित कर संपत्तियों को भविष्य में मुनाफे के प्रति प्राप्त किया जा सकता है। उपर्युक्त के अलावा अन्य मदों पर आस्थगित कर आस्तियों को उचित निश्चितता के आधार पर मान्यता दी जाती है।

[12] निवल लाभ

12.1 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ

I. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 29 “प्रावधान, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों” के अनुसार बैंक द्वारा प्रावधानों को तभी मान्यता दी जाती है, जब:

(क) पूर्ववर्ती घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान में कोई बाध्यता हो

(ख) उस बाध्यता के निपटान के लिए आर्थिक लाभ युक्त संसाधनों का बाह्य प्रवाह हो, और

(ग) बाध्यता राशि का उचित परिकलन किया जा सकता हो।

कोई प्रावधान नहीं किया गया

(क) पूर्व की घटनाओं से उत्पन्न होनेवाली किसी संभावित बाध्यता और जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या उससे अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं, जोकि पूर्ण रूप से बैंक के नियंत्रण में नहीं हो, के घटने या न घटने पर ही की जाएगी।

(b) Deferred Tax adjustments comprises of changes in the deferred tax assets or liabilities during the year. Deferred Tax assets and liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and laws that have been enacted or substantively enacted as of the balance sheet date. The impact of changes in deferred tax assets and liabilities is recognized in the profit and loss account.

(c) Deferred tax assets are recognised and re-assessed at each reporting date, based upon management's judgement as to whether their realisation is considered as reasonably certain or Virtual certain as the case may be.

(d) Deferred Tax Assets are recognised on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realised against future profits. Deferred tax assets on the items other than above are recognized on the basis of reasonable certainty.

[12] Net Profit

12.1 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

I. In conformity with AS 29, “Provisions, Contingent Liabilities & Contingent Assets” issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the bank recognizes provision only when:

(a) It has a present obligation as a result of past event.

(b) It is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and

(c) A reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

No provision is recognized

(a) For any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the bank.

(ख) जहां यह प्रत्याशित नहीं है कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बाह्य प्रवाह बाध्यता के निपटान के लिए आवश्यक होगा या

(ग) जब बाध्यता राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

ऐसी बाध्यताओं को आकस्मिक देयताओं के रूप में अभिलेखित किया गया है। इसका मूल्यांकन नियमित अतंराल पर किया जाता है तथा अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियाँ जहां कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है को छोड़कर बाध्यता के उस हिस्से को जिसके लिए आर्थिक लाभ युक्त स्रोतों का बाह्य प्रवाह संभव है, के लिए प्रावधान किया गया है।

II. आकस्मिक देयताओं को वित्तीय विवरणियों में मान्यता नहीं दी गई है।

12.2 निवल लाभ

लाभ व हानि लेखा में निवल लाभ निम्नलिखित के पश्चात् है:

(क) निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान

(ख) कराधान के लिए प्रावधान

(ग) अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान

(घ) मानक आस्तियों के लिए प्रावधान

(ङ) अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान

(च) अन्य सामान्य व आवश्यक मदों के लिए प्रावधान

[13] प्रति शेयर अर्जन

बैंक, आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक 20 "प्रति शेयर अर्जन" के अनुसार प्रति शेयर का मूल व तनुकृत अर्जन को रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर आय की गणना, वर्ष के लिए बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से इक्विटी शेयरधारकों के लिए कर के बाद निवल लाभ को विभजित करके की जाती है।

[14] नकद प्रवाह विवरण

अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके नकद प्रवाह विवरण की सूचना दी जाती है।

[15] खंड रिपोर्टिंग

बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार और आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस)-17 के अनुपालन में व्यवसाय खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक खंड को द्वितीयक रिपोर्टिंग खंड के रूप में मान्यता देता है।

(b) Where it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation or

(c) When a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are recorded as Contingent Liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which the outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

II. Contingent Assets are not recognized in the financial Statements.

12.2 Net Profit

The Net Profit in the Profit & Loss Account is after:

(a) Provision for depreciation on Investments

(b) Provision for Taxation

(c) Provision on Non-performing Advances

(d) Provision on Standard Assets

(e) Provision for Non-performing Investments

(f) Provision for other usual & necessary Items

[13] Earning Per Share

The Bank reports basic and diluted Earnings Per Share in accordance with AS - 20 “Earnings Per Share”, issued by ICAI. Basic Earnings Per Share is computed by dividing the net profit after tax attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding for the Year.

[14] Cash Flow Statement

Cash flow Statement is reported by using indirect method.

[15] Segment Reporting

The Bank recognises the business segment as the primary reporting segment and geographical segment as the secondary reporting segment in accordance with the RBI guidelines & in compliance with AS-17 issued by ICAI.

अनुसूची 18

अनुसूची 18 - लेखा संबंधी टिप्पणियां

1. **विनियामक पूंजी**

ए) **विनियामक पूंजी की संरचना**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2022	31.03.2021
i)	सीईटी 1 पूंजी (सीईटी 1 (कटौतियां, यदि हों, घटाकर)	55246.47	45624.21
ii)	अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी	8886.10	7812.66
iii)	टीयर 1 पूंजी (i + ii)	64132.57	53436.87
iv)	टीयर 2 पूंजी	16083.10	16406.64
v)	कुल पूंजी (टीयर 1+टीयर 2)	80215.67	69843.51
vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियां (आरडब्ल्युए)	538282.86	530011.95
vii)	सीईटी1 अनुपात (सीईटी1, आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में	10.26%	8.61%
viii)	टीयर 1 अनुपात (टीयर 1 पूंजी, आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में)	11.91%	10.08%
ix)	टीयर 2 अनुपात (टीयर 2 पूंजी, आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में)	2.99%	3.10%
x)	जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात (सीआरएआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी)	14.90%	13.18%
xi)	लीवरेज अनुपात	4.98	4.37
xii)	निम्न की शेयरधारिता का प्रतिशत भारत सरकार	62.93%	69.33%
xiii)	वर्ष के दौरान जुटाई गई चुकता इक्विटी पूंजी की राशि (शेयर प्रीमियम सहित)	2500	2000
xiv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर-इक्विटी टियर 1 पूंजी की राशि, जिसमें से: (बेसल III अनुपालित)	4000	2936.10
	बेमीयादी गैर-संचयी अधिमानी शेयर(पीएनसीपीएस)	शून्य	शून्य
	बेमीयादी कर्ज लिखत (पीडीआई)	4000	शून्य
xv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई टियर 2 पूंजी की राशि, जिसमें से: (बेसल III अनुपालित)	2500	शून्य
	कर्ज पूंजी लिखत	2500	शून्य

बी) **आरक्षित निधियों से आहरण**

प्रावधान के प्रति अन्य आरक्षित निधियों में कोई राशि नामे नहीं डाली गई है।

SCHEDULE 18

SCHEDULE 18 - NOTES ON ACCOUNTS

1. **Regulatory Capital:**

a) **Composition of Regulatory Capital**

(₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	31.03.2022	31.03.2021
i)	Common Equity Tier 1 capital (CET 1 net of deductions, if any)	55246.47	45624.21
ii)	Additional Tier 1 capital	8886.10	7812.66
iii)	Tier 1 capital (i + ii)	64132.57	53436.87
iv)	Tier 2 capital	16083.10	16406.64
v)	Total capital (Tier 1+Tier 2)	80215.67	69843.51
vi)	Total Risk Weighted Assets (RWAs)	538282.86	530011.95
vii)	CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs)	10.26%	8.61%
viii)	Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	11.91%	10.08%
ix)	Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)	2.99%	3.10%
x)	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	14.90%	13.18%
xi)	Leverage Ratio	4.98	4.37
xii)	Percentage of the shareholding of Government of India	62.93%	69.33%
xiii)	Amount of paid-up equity capital raised during the year (including share premium)	2500	2000
xiv)	Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year, of which: (Basel III Compliant)	4000	2936.10
	Perpetual Non-Cumulative Preference Share (PNCPS)	NIL	Nil
	Perpetual debt Instrument (PDI)	4000	Nil
xv)	Amount of Tier 2 capital raised during the year, of which: (Basel III Compliant)	2500	Nil
	Debt Capital Instrument	2500	Nil

b) **Draw down from Reserves**

No amount has been debited to Other Reserves towards provision.

2. आस्ति देयता प्रबंधन

ए) आस्तियों और देनदारियों की कुछ वस्तुओं का परिपक्वता पैटर्न

(₹ करोड़ में)

विवरण	जमा	अग्रिम	निवेश	उधार	विदेशी मुद्रा आस्तियां	विदेशी मुद्रा देनदारियां
1 दिन	20279.21 (9808.41)	10546.16 (20992.98)	0.00 (889.15)	0.00 (158.88)	27913.28 (8350.57)	3228.23 (5282.66)
2 से 7 दिन	33388.23 (34542.58)	7466.94 (5115.76)	26.45 0.00	0.00 (84.84)	5346.33 (12227.80)	19969.81 (16657.70)
8 से 14 दिन	15289.47 (18361.24)	6370.09 (7095.27)	30.25 (15.00)	254.71 (140.32)	4380.51 (1387.00)	4264.04 (908.96)
15 से 30 दिन	19880.16 (88189.34)	11640.69 (87038.72)	654.13 (958.14)	0.00 (0.00)	5633.32 (6149.06)	5513.86 (2196.68)
31 दिनों से 2 महीने	33829.70 (27287.79)	14461.41 (8997.71)	511.02 (298.56)	765.24 (3299.20)	8619.39 (5773.24)	5137.13 (5386.25)
2 महीने से अधिक 3 महीने तक	46506.53 (32485.68)	18825.51 (19748.70)	4630.93 (1122.34)	444.65 (764.91)	9723.96 (7875.48)	5306.40 (4533.72)
3 महीने से अधिक 6 महीने तक	98406.44 (78071.31)	68196.93 (33046.86)	14600.76 (3903.43)	6336.42 (2561.43)	19423.44 (10137.65)	5448.32 (4325.53)
6 महीने से अधिक 1 वर्ष तक	159116.15 (169792.87)	123658.81 (48942.27)	7648.22 (23935.25)	3634.40 (4994.48)	8099.09 (13134.11)	3173.67 (4882.89)
1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक	388198.33 (370112.23)	183188.09 (168573.30)	19539.36 (21713.89)	17999.70 (21720.03)	11702.08 (9629.40)	947.71 (403.11)
3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक	88150.51 (62549.76)	78587.47 (98398.70)	43608.23 (25831.35)	14324.94 (9759.47)	6606.26 (3354.43)	6082.84 (3136.02)
5 वर्ष से अधिक	183364.52 (119673.37)	180659.75 (141098.72)	190763.55 (183023.28)	2524.89 (6500.00)	2954.10 (5270.34)	(889.67) (251.12)
कुल	**1086409.25** **(1010874.58)**	**703601.82** **(639048.99)**	**282012.90** **(261690.39)**	**46284.95** **(49983.56)**	**110401.76** **(83289.08)**	**58182.34** **(47964.64)**

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं) *विदेशी मुद्रा आस्तियों और देनदारियों में निवेश और उधार शामिल नहीं हैं।

2 Asset Liability Management:

a) Maturity pattern of certain items of assets and liabilities

(₹ in Crore)

Particulars	Deposits	Advances	Investments	Borrowings	Foreign Currency Assets*	Foreign Currency Liabilities*
1 day	20279.21 (9808.41)	10546.16 (20992.98)	0.00 (889.15)	0.00 (158.88)	27913.28 (8350.57)	3228.23 (5282.66)
2 to 7 days	33388.23 (34542.58)	7466.94 (5115.76)	26.45 0.00	0.00 (84.84)	5346.33 (12227.80)	19969.81 (16657.70)
8 to 14 days	15289.47 (18361.24)	6370.09 (7095.27)	30.25 (15.00)	254.71 (140.32)	4380.51 (1387.00)	4264.04 (908.96)
15 to 30 days	19880.16 (88189.34)	11640.69 (87038.72)	654.13 (958.14)	0.00 (0.00)	5633.32 (6149.06)	5513.86 (2196.68)
31 days to 2 months	33829.70 (27287.79)	14461.41 (8997.71)	511.02 (298.56)	765.24 (3299.20)	8619.39 (5773.24)	5137.13 (5386.25)
Over 2 months to 3 months	46506.53 (32485.68)	18825.51 (19748.70)	4630.93 (1122.34)	444.65 (764.91)	9723.96 (7875.48)	5306.40 (4533.72)
Over 3 months to 6 months	98406.44 (78071.31)	68196.93 (33046.86)	14600.76 (3903.43)	6336.42 (2561.43)	19423.44 (10137.65)	5448.32 (4325.53)
Over 6 months to 1 year	159116.15 (169792.87)	123658.81 (48942.27)	7648.22 (23935.25)	3634.40 (4994.48)	8099.09 (13134.11)	3173.67 (4882.89)
Over 1 year to 3 years	388198.33 (370112.23)	183188.09 (168573.30)	19539.36 (21713.89)	17999.70 (21720.03)	11702.08 (9629.40)	947.71 (403.11)
Over 3 years to 5 years	88150.51 (62549.76)	78587.47 (98398.70)	43608.23 (25831.35)	14324.94 (9759.47)	6606.26 (3354.43)	6082.84 (3136.02)
Over 5 years	183364.52 (119673.37)	180659.75 (141098.72)	190763.55 (183023.28)	2524.89 (6500.00)	2954.10 (5270.34)	(889.67) (251.12)
Total	**1086409.25** **(1010874.58)**	**703601.82** **(639048.99)**	**282012.90** **(261690.39)**	**46284.95** **(49983.56)**	**110401.76** **(83289.08)**	**58182.34** **(47964.64)**

(Figures in brackets relate to previous year) *Foreign currency assets and liabilities is excluding investments and borrowings.

बी) चलनिधि कवरेज़ अनुपात (एलसीआर)

बैंक का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों से जमा स्वीकार करना और ग्राहकों को ऋण प्रदान करना है। इस प्रक्रिया में बैंक बहिर्वाहों को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त चलनिधि सुनिश्चित करेगा। निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) और चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) बेसल III सुधारों के महत्वपूर्ण घटक हैं।

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (बीसीबीएस) ने यह सुनिश्चित करने के लिए चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) की शुरुआत की थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक के पास 30 की अवधि तक चलने वाले एक महत्वपूर्ण चलनिधि तनाव से बचने के लिए बिना भार वाली उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियों (एचक्यूएलए) का पर्याप्त स्टॉक है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र, दिनांक 09 जून 2014 के द्वारा चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) पर दिशानिर्देश जारी किए हैं।

बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित एएलएम नीति में उल्लिखितानुसार बैंक के पास व्यापक चलनिधि जोखिम प्रबंधन संरचना है। आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) चलनिधि, ब्याज दर जोखिम के कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करती है और आरबीआई / बोर्ड द्वारा निर्धारित जोखिम सहनशीलता / सीमाओं के पालन पर निगरानी रखती है। एएलसीओ परिचालन की आवश्यकताओं को विधिवत रूप से लेते हुए बैंक की निधीयन रणनीति तैयार करने के साथ-साथ उसकी निगरानी करता है। पर्याप्त आकस्मिक निधि योजना भी मौजूद है, जिसकी आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है ताकि किसी भी दबावग्रस्त चलनिधि घटना के लिए निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। तरलता की निगरानी जोखिम प्रबंधन विभाग, प्रधान कार्यालय में केंद्रीकृत है और एकीकृत कोष विभाग, प्रधान कार्यालय में केंद्रीय रूप से प्रबंधित की जाती है।

एनएसएफआर के लिए दिशानिर्देश 1 अक्तूबर, 2021 से प्रभावी थे। एनएसएफआर को अपेक्षित स्थिर निधीयन (फंडिंग) की राशि के सापेक्ष उपलब्ध स्थिर निधीयन (फंडिंग) की राशि के रूप में परिभाषित किया गया है। "उपलब्ध स्थिर निधीयन" (एएसएफ) को पूंजी और देनदारियों के हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है जो एनएसएफआर द्वारा विचार किए गए समय परिधि पर विश्वसनीय होने की उम्मीद है, जो एक वर्ष तक विस्तरित होती है। किसी विशिष्ट संस्थान के लिए आवश्यक स्थिर निधिकरण ("आवश्यक स्थिर निधीयन") (आरएसएफ) की राशि उस संस्था द्वारा धारित विभिन्न परिसंपत्तियों की चलनिधि विशेषताओं और अवशिष्ट परिपक्वता अवधियों के साथ-साथ इसके तुलन-पत्रेतर (ओबीएस) एक्सपोजर का एक कार्य है।

b) Liquidity Coverage Ratio (LCR)

The core objective of bank remains to accept deposit from customers and provide loans to customers. In this process bank shall ensure adequate liquidity to honour the outflows. The Net Stable Funding Ratio (NSFR) and Liquidity Coverage Ratio (LCR) are significant components of the Basel III reforms.

The Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) had introduced the Liquidity Coverage Ratio (LCR) in order to ensure that a bank has an adequate stock of unencumbered High Quality Liquid Assets (HQLA) to survive a significant liquidity stress lasting for a period of 30 days. Reserve Bank of India, vide its circular dated June 09, 2014, issued guidelines on Liquidity Coverage Ratio (LCR).

The Bank has comprehensive liquidity risk management structure as cited in the Board approved ALM Policy of the Bank. The Asset Liability Management Committee (ALCO) ensures efficient management of liquidity, interest rate risk and keeps a check on adherence to the risk tolerance/limits set by the RBI/Board. ALCO formulates and monitors the funding strategy of the bank duly taking the requirements of operations. Adequate Contingency Funding Plan is also in place, which is reviewed on periodic basis to ensure the availability of funds to meet any stressed liquidity event. Monitoring of liquidity is centralized at Risk Management Wing, Head Office and managed centrally at Integrated Treasury Wing, Head Office.

The guidelines for NSFR were effective from October 1, 2021. The NSFR is defined as the amount of available stable funding relative to the amount of required stable funding. "Available Stable Funding" (ASF) is defined as the portion of capital and liabilities expected to be reliable over the time horizon considered by the NSFR, which extends to one year. The amount of stable funding required ("Required stable funding") (RSF) of a specific institution is a function of the liquidity characteristics and residual maturities of the various assets held by that institution as well as those of its off-balance sheet (OBS) exposures.

एलसीआर यह सुनिश्चित करने के बाद बैंकों के संभावित चलनिधि व्यवधानों के लिए अल्पकालिक लचीलापन को बढ़ावा देता है कि उनके पास 30 दिनों तक चलने वाले तीव्र तनाव परिदृश्य से बचने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (एचक्यूएलए) है। एलसीआर मानक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक बैंक बिना भार वाले एचक्यूएलए का पर्याप्त स्तर बनाए रखता है जिसे आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट एक गंभीर चलनिधि तनाव परिदृश्य के तहत 30 कैलेंडर दिन की समय परिधि के लिए अपनी चलनिधि की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है। जबकि, एनएसएफआर लंबी अवधि की समय परिधि पर लचीलापन को बढ़ावा देता है, जिससे बैंक को अपनी गतिविधियों को निरंतर आधार पर निधीयन के अधिक स्थिर स्रोतों के साथ निधि देने की आवश्यकता होती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार, बैंकों को 1 जनवरी 2019 से न्यूनतम एलसीआर 100% बनाए रखना आवश्यक है। यथा 31 मार्च, 2022 को एलसीआर अपेक्षा 100% थी।

एचक्यूएलए में लेवल 1 आस्ति (0% हेयर-कट), लेवल 2ए आस्ति (15% हेयर-कट) और लेवल 2बी आस्ति (50% हेयर-कट) शामिल हैं। सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) [बैंक के एनडीटीएल का 2% है] और चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि प्राप्त करने की सुविधा (एफएएलएलसीआर) [बैंक एनडीटीएल का 15%] के तहत आरबीआई द्वारा अनुमत सीमा तक नकदी, अतिरिक्त सीआरआर, अतिरिक्त एसएलआर प्रतिभूतियों, सरकारी प्रतिभूतियों को स्तर 1 की संपत्ति में सम्मिलित किया गया है ।

स्तर 2ए आस्ति में सॉवरेन गारंटीकृत विपणन-योग्य प्रतिभूति, वित्तीय संस्थान के अलावा अन्य द्वारा जारी एए- व अधिक की रेटिंग वाले कॉर्पोरेट बॉड या वाणिज्यिक पेपर शामिल हैं । स्तर 2बी आस्ति में एनएसई सीएनएक्स निफ्टी और / या एस व पी बीएसई सेंसेक्स सूचकांक में शामिल सामान्य इक्विटी शेयर में निवेश शामिल है ।

दबाव के तहत अनुमानित निवल नकद बहिर्वाह अगले 30 दिनों में बहिर्वाह की भारित राशि से अंतर्प्रवाह को घटाने पर प्रगणित होगा । खुदरा व छोटे कारोबार ग्राहकों से निधीयन में थोक निधीयन की तुलना में निम्न रन-ऑफ घटक शामिल है ।

एलसीआर के प्रमुख चालक अनिवार्य आवश्यकताओं के अलावा अधिशेष एसएलआर निवेश का स्तर है। खुदरा जमा कुल निधीयन स्रोतों का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो अच्छी तरह से विशाखीकृत हैं।

The LCR promotes short-term resilience of banks to potential liquidity disruptions by ensuring that they have sufficient high quality liquid assets (HQLAs) to survive an acute stress scenario lasting for 30 days. The LCR standard aims to ensure that a bank maintains an adequate level of unencumbered HQLAs that can be converted into cash to meet its liquidity needs for 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario specified by RBI. Whereas, the NSFR promotes resilience over a longer-term time horizon by requiring bank to fund their activities with more stable sources of funding on an ongoing basis.

As per the RBI guidelines, Banks are required to maintain a minimum LCR of 100% from 1st January, 2019. The LCR requirement, as on 31st March, 2022 was 100%.

HQLA comprises of Level 1 assets (0% hair-cut), Level 2A assets (15% hair-cut) and Level 2B assets (50% hair-cut). Level 1 assets comprising of cash, excess CRR, excess SLR securities, government securities to the extent allowed by RBI under Marginal Standing Facility (MSF) [2% of the Bank's Net Demand & Time Liabilities (NDTL)] and Facility to Avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio (FALLCR) [15% of the Bank's NDTL].

Level 2A assets comprises of sovereign guaranteed marketable securities, corporate bonds or commercial papers which are rated AA- and more are issued other than by financial institutions. Level 2B assets include investments in common equity shares included in NSE CNX Nifty and/or S&P BSE Sensex indices.

Expected net cash outflows under stress are the weighted sum of outflows minus inflows in the next 30 days. Funding from retail and small business customers carries lower run-off factor as compared to wholesale funding.

The prime drivers of the LCR are the level of surplus SLR investments over and above the mandatory requirements. Retail deposits constitute major portion of total funding sources which are well diversified.

एचक्यूएलए की संरचना: वित्त वर्ष 2021-22 चौथी तिमाही के लिए बैंक की भारित स्तर 1 संपत्ति कुल एचक्यूएलए का लगभग 98.07% है, और शेष 1.93% में स्तर 2ए और स्तर 2बी संपत्ति शामिल हैं। अतिरिक्त एसएलआर प्रतिभूतियां (स्तर 1 संपत्ति का हिस्सा) कुल एचक्यूएलए का लगभग 23% है।

बैंक प्रबंधन / आरबीआई को दैनिक / मासिक आधार पर एलसीआर स्थिति की रिपोर्ट करता है। इसके अलावा, बैंक विभिन्न नियामक विविरणों के माध्यम से चलनिधि की स्थिति की निगरानी करता है, जैसे संरचनात्मक चलनिधि विवरण और स्टॉक अनुपात।

बैंक ने निरंतर आधार पर एलसीआर स्तरों को न्यूनतम नियामक स्तरों से काफी ऊपर बनाए रखा है। निम्न तालिका वित्त वर्ष 2021-22 की चार तिमाहियों के लिए एलसीआर घटकों के गैर-भारित और भारित मूल्य के औसत को सारांशित करती है। साधारण औसत की गणना तिमाही के तीन महीनों के दैनिक मूल्यों के आधार पर की गई है।

जमा के माध्यम से निधीयन के एक बड़े हिस्से के साथ बैंक ने लगातार एक स्वस्थ निधीयन प्रोफ़ाइल बनाए रखा है। यथा 31 मार्च 2022 तक शीर्ष 20 जमाकर्ताओं में कुल घरेलू जमा का 9.54% शामिल था जो एक स्वस्थ और स्थिर जमा प्रोफ़ाइल का संकेत देता है।

31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही के लिए केनरा बैंक (समेकित) का औसत एलसीआर 119.46% था।

31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही के लिए एनएसएफआर 140.09% था।

Composition of HQLA: For the Q4 FY 2021-22, the Weighted Level 1 assets of the Bank constitute around 98.07% of the total HQLA, and the remaining 1.93% comprises Level 2A and Level 2B assets. Excess SLR securities (part of level 1 assets) forms around 23% of the total HQLA.

Bank reports LCR position on daily / monthly basis to Management / RBI. In addition, bank monitors the liquidity position through various regulatory statements viz. Structural Liquidity Statement and Stock Ratios.

Bank has maintained LCR levels well above the minimum regulatory levels on an ongoing basis. The following table summarizes the average of unweighted and weighted value of the LCR components for the four quarters of FY 2021-22. The simple average has been computed based on daily values for the three months of quarter.

The Bank has consistently maintained a healthy funding profile with a major portion of funding through deposits. As on 31st March, 2022 the top 20 depositors comprised of 9.54% of total domestic deposits indicating a healthy and stable deposit profile.

The average LCR of Canara Bank (Consolidated) for the quarter ended 31st March, 2022 was 119.46%.

The NSFR for the quarter ended 31st March, 2022 was 140.09%

चलनिधि कवरेज़ अनुपात

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.		वित्त वर्ष 2021-22 ति. 4		वित्त वर्ष 2021-22 ति. 3		वित्त वर्ष 2021-22 ति. 2		वित्त वर्ष 2021-22 ति. 1	
		कुल गैर-भारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल गैर-भारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल गैर-भारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल गैर-भारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
उच्च गुणवता वाली तरल परिसंपत्ति									
1	उच्च गुणवता वाली तरल परिसंपत्ति (एचक्यूएलए)		**252,086.97**		**2,60,599.02**		**2,89,880.82**		**2,76,897.41**
नकद बहिर्गमन									
2	छोटे व्यवसाय के ग्राहकों से खुदरा जमा और जमा, जिनमें से:	**586,342.28**	**54,628.97**	**5,87,408.98**	**45,487.17**	**5,92,854.67**	**44,441.35**	**5,78,032.35**	**43,330.33**
(i)	स्थायी जमा	80,105.17	4,005.26	2,65,074.58	13,253.73	2,96,882.32	14,844.12	2,89,458.10	14,472.91
(ii)	घटाएं - स्थायी जमा	506,237.11	50,623.71	3,22,334.40	32,233.44	2,95,972.35	29,597.23	2,88,574.25	28,857.42
3	अप्रतिभूत थोक निधीयन जिसमें से:	**327,784.47**	**168,553.19**	**3,20,747.12**	**1,88,207.46**	**3,22,142.29**	**1,92,009.91**	**3,13,025.38**	**1,86,077.04**
(i)	परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षकार)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	गैर-परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षकार)	327,784.47	168,553.19	3,20,747.12	1,88,207.46	3,22,142.29	1,92,009.91	3,13,025.38	1,86,077.04
(iii)	अप्रतिभूत ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	अप्रतिभूत थोक निधीयन		0.00		0.00		0.00		0.00
5	अतिरिक्त अपेक्षाएं जिनमें से	**87,188.83**	**18,029.69**	**83,529.69**	**17,405.94**	**73,489.27**	**14,193.59**	**76,806.66**	**15,485.11**
(i)	डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्गमन	1,393.61	1,393.61	2,601.08	2,601.08	2,386.20	2,386.20	3,114.61	3,114.61
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधीयन की हानि से संबंधित बहिर्गमन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	ऋण और चलनिधि सुविधाएं	85,795.22	16,636.08	80,928.61	14,804.86	71,103.07	11,807.39	73,692.05	12,370.50
6	अन्य संविदात्मक निधीयन दायित्व	**4,706.17**	**4,706.17**	**7,260.41**	**7,260.41**	**1,807.86**	**1,807.86**	**3,122.96**	**3,122.96**
7	अन्य आकस्मिक निधीयन दायित्व	68,617.39	2,069.70	**67,155.02**	**2,026.18**	**68,796.16**	**2,075.69**	**70,985.29**	**2,165.15**
8	**कुल नकद बहिर्गमन**		247,987.72		**2,60,387.16**		**2,54,528.40**		**2,50,180.59**
नकद अंतर्वाह									
9	जमानती उधार (उदाहरण-प्रतिवर्ती रेपो)	21,405.83	0.00	32,543.19	0.00	52,106.08	0.00	40,056.56	0.00
10	पूरी तरह से अर्जक एक्सपोजर से अंतर्वाह	47,560.37	35,028.46	55,292.45	41,648.75	56,783.70	42,735.20	52,493.45	38,670.00
11	अन्य नकद अंतर्वाह	4,751.76	1,857.35	2,634.14	2,634.14	3,067.63	3,059.77	3,993.56	3,870.13
12	**कुल नकद अंतर्वाह**	**73,717.96**	**36,885.81**	**90,469.78**	**44,282.89**	**1,11,957.41**	**45,794.97**	**96,543.57**	42,540.13
	कुल समायोजित मूल्य								
13	**कुल एचक्यूएलए**		2,52,086.97		2,60,599.02		2,89,880.82		2,76,897.41
14	**कुल निवल नकद बहिर्गमन**		2,11,101.91		2,16,104.27		2,08,733.43		2,07,640.46
15	**चलनिधि कवरेज अनुपात (%)**		**119.41%**		**120.59%**		**138.88%**		**133.35%**

Liquidity Coverage Ratio :

(₹ in Crore)

Sl. No		FY 2021-22 Q 4		FY 2021-22 Q 3		FY 2021-22 Q 2		FY 2021-22 Q 1	
		Total Un-weighted Value (average)	Total Weighted Value (average)	Total Un-weighted Value (average)	Total Weighted Value (average)	Total Un-weighted Value (average)	Total Weighted Value (average)	Total Un-weighted Value (average)	Total Weighted Value (average)
High Quality Liquid Assets									
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		**252,086.97**		**2,60,599.02**		**2,89,880.82**		**2,76,897.41**
Cash Outflows									
2	Retail deposits and deposits from small business customers of which:	**586,342.28**	**54,628.97**	**5,87,408.98**	**45,487.17**	**5,92,854.67**	**44,441.35**	**5,78,032.35**	**43,330.33**
(i)	Stable deposits	80,105.17	4,005.26	2,65,074.58	13,253.73	2,96,882.32	14,844.12	2,89,458.10	14,472.91
(ii)	Less stable deposits	506,237.11	50,623.71	3,22,334.40	32,233.44	2,95,972.35	29,597.23	2,88,574.25	28,857.42
3	Unsecured wholesale funding of which:	**327,784.47**	**168,553.19**	**3,20,747.12**	**1,88,207.46**	**3,22,142.29**	**1,92,009.91**	**3,13,025.38**	**1,86,077.04**
(i)	Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	327,784.47	168,553.19	3,20,747.12	1,88,207.46	3,22,142.29	1,92,009.91	3,13,025.38	1,86,077.04
(iii)	Unsecured debt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Secured wholesale funding		0.00		0.00		0.00		0.00
5	Additional requirements of which:	**87,188.83**	**18,029.69**	**83,529.69**	**17,405.94**	**73,489.27**	**14,193.59**	**76,806.66**	**15,485.11**
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	1,393.61	1,393.61	2,601.08	2,601.08	2,386.20	2,386.20	3,114.61	3,114.61
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	Credit and liquidity facilities	85,795.22	16,636.08	80,928.61	14,804.86	71,103.07	11,807.39	73,692.05	12,370.50
6	Other contractual funding obligations	**4,706.17**	**4,706.17**	**7,260.41**	**7,260.41**	**1,807.86**	**1,807.86**	**3,122.96**	**3,122.96**
7	Other contingent funding obligations	68,617.39	2,069.70	**67,155.02**	**2,026.18**	**68,796.16**	**2,075.69**	**70,985.29**	**2,165.15**
8	**Total Cash Outflows**		247,987.72		**2,60,387.16**		**2,54,528.40**		**2,50,180.59**
Cash Inflows									
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	21,405.83	0.00	32,543.19	0.00	52,106.08	0.00	40,056.56	0.00
10	Inflows from fully performing exposures	47,560.37	35,028.46	55,292.45	41,648.75	56,783.70	42,735.20	52,493.45	38,670.00
11	Other cash inflows	4,751.76	1,857.35	2,634.14	2,634.14	3,067.63	3,059.77	3,993.56	3,870.13
12	**Total Cash Inflows**	**73,717.96**	**36,885.81**	**90,469.78**	**44,282.89**	**1,11,957.41**	**45,794.97**	**96,543.57**	42,540.13
	Total Adjusted Value								
13	**TOTAL HQLA**		2,52,086.97		2,60,599.02		2,89,880.82		2,76,897.41
14	**Total Net Cash Outflows**		2,11,101.91		2,16,104.27		2,08,733.43		2,07,640.46
15	**Liquidity Coverage Ratio (%)**		**119.41%**		**120.59%**		**138.88%**		**133.35%**

चलनिधि कवरेज़ अनुपात

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.		वित्त वर्ष 2021-22 ति. 4		वित्त वर्ष 2021-22 ति. 3		वित्त वर्ष 2021-22 ति. 2		वित्त वर्ष 2021-22 ति. 1	
		कुल गैर-भारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल गैर-भारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल गैर-भारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल गैर-भारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
उच्च गुणवता वाली तरल परिसंपत्ति									
1	उच्च गुणवता वाली तरल परिसंपत्ति (एचक्यूएलए)		**2,55,935.97**		**2,69,707.61**		**2,43,132.25**		**2,47,222.82**
नकद बहिर्गमन									
2	छोटे व्यवसाय के ग्राहकों से खुदरा जमा और जमा, जिनमें से:	**5,58,463.07**	**41,864.31**	**5,55,695.82**	**41,652.76**	**5,44,611.69**	**40,728.44**	**5,35,145.59**	**39,942.54**
(i)	स्थायी जमा	2,79,640.04	13,982.00	2,78,336.40	13,916.82	2,74,654.56	13,732.73	2,71,440.41	13,572.02
(ii)	घटाएं - स्थायी जमा	2,78,823.03	27,882.31	2,77,359.42	27,735.94	2,69,957.13	26,995.71	2,63,705.18	26,370.52
3	अप्रतिभूत थोक निधीयन जिसमें से:	**3,05,229.23**	**1,82,353.15**	**2,95,012.59**	**1,72,155.95**	**2,81,314.98**	1,65,184.21	**2,76,006.58**	**1,58,513.50**
(i)	परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षकार)	318.25	69.72	482.51	105.08	467.38	100.86	530.74	115.93
(ii)	गैर-परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षकार)	3,04,910.98	1,82,283.43	2,94,530.08	1,72,050.87	2,80,847.60	1,65,083.35	2,75,180.01	1,56,692.36
(iii)	अप्रतिभूत ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.83	1,705.21
4	अप्रतिभूत थोक निधीयन		**0.00**		**0.00**		0.00		**0.00**
5	अतिरिक्त अपेक्षाएं जिनमें से	**60,138.66**	**13,001.09**	**54,074.44**	**9,385.40**	**69,181.37**	**12,264.60**	**77,807.08**	**14,039.69**
(i)	डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्गमन	4,089.32	4,089.32	2,869.16	2,869.16	3,567.52	3,567.52	5,337.13	5,337.13
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधीयन की हानि से संबंधित बहिर्गमन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	ऋण और चलनिधि सुविधाएं	56,049.34	8,911.77	51,205.28	6,516.24	65,613.85	8,697.08	72,469.95	8,702.56
6	अन्य संविदात्मक निधीयन दायित्व	**2,511.93**	**2,511.93**	**4,929.08**	**4,929.08**	**3,031.27**	**3,031.27**	**7,213.86**	**7,213.86**
7	अन्य आकस्मिक निधीयन दायित्व	**96,972.99**	**3,528.11**	**1,18,621.00**	**4,485.33**	**1,10,247.21**	**3,984.91**	**1,08,559.07**	**3,927.79**
8	**कुल नकद बहिर्गमन**		**2,43,258.59**		**2,32,608.52**		**2,25,193.43**		**2,23,637.38**
नकद अंतर्वाह									
9	जमानती उधार (उदाहरण-प्रतिवर्ती रेपो)	15,298.61	0.00	21,678.40	0.00	12,608.37	0.00	28,659.03	0.00
10	पूरी तरह से अर्जक एक्सपोजर से अंतर्वाह	53,432.53	39,745.41	47,871.40	34,402.98	36,276.47	26,167.85	30,162.96	22,055.05
11	अन्य नकद अंतर्वाह	5,560.90	5,392.63	4,083.44	4,011.75	5,185.06	4,972.03	6,366.62	6,156.49
12	**कुल नकद अंतर्वाह**	**74,292.04**	**45,138.04**	**73,633.24**	**38,414.73**	**54,069.90**	**31,139.88**	**65,188.61**	**28,211.54**
	कुल समायोजित मूल्य								
13	**कुल एचक्यूएलए**		**2,55,935.97**		**2,69,707.61**		**2,43,132.25**		**2,47,222.82**
14	**कुल निवल नकद बहिर्गमन**		**1,98,120.55**		**1,94,193.79**		**1,94,053.55**		**1,95,425.84**
15	**चलनिधि कवरेज अनुपात (%)**		**129.18%**		**138.89%**		**125.29%**		**126.50%**

Liquidity Coverage Ratio :

(₹ in Crore)

Sl. No		FY 2020-21 Q 4 Total Un-weighted Value (average)	FY 2020-21 Q 4 Total Weighted Value (average)	FY 2020-21 Q 3 Total Un-weighted Value (average)	FY 2020-21 Q 3 Total Weighted Value (average)	FY 2020-21 Q 2 Total Un-weighted Value (average)	FY 2020-21 Q 2 Total Weighted Value (average)	FY 2020-21 Q 1 Total Un-weighted Value (average)	FY 2020-21 Q 1 Total Weighted Value (average)
High Quality Liquid Assets									
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		**2,55,935.97**		**2,69,707.61**		**2,43,132.25**		**2,47,222.82**
Cash Outflows									
2	Retail deposits and deposits from small business customers of which:	**5,58,463.07**	**41,864.31**	**5,55,695.82**	**41,652.76**	**5,44,611.69**	**40,728.44**	**5,35,145.59**	**39,942.54**
(i)	Stable deposits	2,79,640.04	13,982.00	2,78,336.40	13,916.82	2,74,654.56	13,732.73	2,71,440.41	13,572.02
(ii)	Less stable deposits	2,78,823.03	27,882.31	2,77,359.42	27,735.94	2,69,957.13	26,995.71	2,63,705.18	26,370.52
3	Unsecured wholesale funding, of which:	**3,05,229.23**	**1,82,353.15**	**2,95,012.59**	**1,72,155.95**	**2,81,314.98**	1,65,184.21	**2,76,006.58**	**1,58,513.50**
(i)	Operational deposits (all counterparties)	318.25	69.72	482.51	105.08	467.38	100.86	530.74	115.93
(ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	3,04,910.98	1,82,283.43	2,94,530.08	1,72,050.87	2,80,847.60	1,65,083.35	2,75,180.01	1,56,692.36
(iii)	Unsecured debt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.83	1,705.21
4	Secured wholesale funding		**0.00**		**0.00**		0.00		**0.00**
5	Additional requirements, of which:	**60,138.66**	**13,001.09**	**54,074.44**	**9,385.40**	**69,181.37**	**12,264.60**	**77,807.08**	**14,039.69**
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	4,089.32	4,089.32	2,869.16	2,869.16	3,567.52	3,567.52	5,337.13	5,337.13
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	Credit and liquidity facilities	56,049.34	8,911.77	51,205.28	6,516.24	65,613.85	8,697.08	72,469.95	8,702.56
6	Other contractual funding obligations	**2,511.93**	**2,511.93**	**4,929.08**	**4,929.08**	**3,031.27**	**3,031.27**	**7,213.86**	**7,213.86**
7	Other contingent funding obligations	**96,972.99**	**3,528.11**	**1,18,621.00**	**4,485.33**	**1,10,247.21**	**3,984.91**	**1,08,559.07**	**3,927.79**
8	**Total Cash Outflows**		**2,43,258.59**		**2,32,608.52**		**2,25,193.43**		**2,23,637.38**
Cash Inflows									
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	15,298.61	0.00	21,678.40	0.00	12,608.37	0.00	28,659.03	0.00
10	Inflows from fully performing exposures	53,432.53	39,745.41	47,871.40	34,402.98	36,276.47	26,167.85	30,162.96	22,055.05
11	Other cash inflows	5,560.90	5,392.63	4,083.44	4,011.75	5,185.06	4,972.03	6,366.62	6,156.49
12	**Total Cash Inflows**	**74,292.04**	**45,138.04**	**73,633.24**	**38,414.73**	**54,069.90**	**31,139.88**	**65,188.61**	**28,211.54**
	Total Adjusted Value								
13	**TOTAL HQLA**		**2,55,935.97**		**2,69,707.61**		**2,43,132.25**		**2,47,222.82**
14	**Total Net Cash Outflows**		**1,98,120.55**		**1,94,193.79**		**1,94,053.55**		**1,95,425.84**
15	**Liquidity Coverage Ratio (%)**		**129.18%**		**138.89%**		**125.29%**		**126.50%**

क) निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर)

(₹ करोड़ में)

		वर्तमान वर्ष ति.4					वर्तमान वर्ष ति.3				
		अवशिष्ट परिपक्वता अवधि द्वारा गैर–भारित मूल्य					अवशिष्ट परिपक्वता अवधि द्वारा गैर–भारित मूल्य				
		परिपक्वता बिना	< 6 महीने	6 महीने से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	भारित मूल्य	परिपक्वता बिना	< 6 महीने	6 महीने से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	भारित मूल्य
एएसएफ मद											
1	पूंजी: (2+3)	79716.61	0.00	0.00	5165.54	84882.15	65315.62	0.00	0.00	16300.00	81615.62
2	विनियामक पूंजी	79716.61	0.00	0.00	215.54	79932.15	65315.62	0.00	0.00	16300.00	81615.62
3	अन्य पूंजी लिखतें	0.00	0.00	0.00	4950.00	4950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	छोटे व्यवसाय के ग्राहकों से खुदरा जमा और जमाएं: (5+6)	317011.94	134615.07	169023.30	19.67	564797.17	270378.12	122953.57	107826.67	0.00	454637.69
5	स्थायी जमा	50212.46	16157.10	57500.46	13.51	117689.35	43792.27	15047.44	13063.70	0.00	68308.24
6	घटाएं – स्थायी जमा	266799.48	118457.97	111522.84	6.16	447107.82	226585.85	107906.13	94762.97	0.00	386329.45
7	थोक निधीयन : (8+9)	82182.35	142378.63	115234.69	151.59	169973.63	59307.13	133020.24	107879.25	858.83	150532.72
8	परिचालन जमा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.54	0.00	3.98	5.26
9	अन्य थोक निधीयन	82182.35	142378.63	115234.69	151.59	169973.63	59307.13	133013.70	107879.25	854.85	150527.46
10	अन्य देयताएं: (11+12)	2980.60	62572.61	2470.83	114061.59	156521.05	3579.55	55669.55	4460.10	249183.49	125242.00
11	एनएसएफआर व्युत्पन्न देनदारियां(देयताएं)		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
12	अन्य सभी देनदारियां और इक्विटी जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	2980.60	62572.61	2470.83	114061.59	156521.05	3579.55	55669.55	4460.10	249183.49	125242.00
13	**कुल एएसएफ (1+4+7+10)**					976174.00					812028.03
आरएसएफ मद											
14	उच्च गुणवता वाली कुल एनएसएफआर तरल परिसंपत्ति (एचक्यूएलए)					13361.56					13385.14
15	परिचालन उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में धारित जमाराशियां	828.30	115.36	0.00	0.00	471.83	1740.65	178.48	0.00	0.00	959.56
16	अर्जक ऋण व प्रतिभूतियां: (17+18+19+21+23)	1270.43	46800.44	0.00	209581.27	170198.99	1318.68	47732.15	0.00	424426.74	355356.60
17	स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थाओं को अर्जक ऋण	0.00	3.74	0.00	336.75	34.05	0	0	0	0	0
18	गैर–स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थाओं को अर्जक ऋण तथा वित्तीय संस्थाओं को अप्रतिभूत अर्जक ऋण	0.00	46796.70	0.00	0.00	7019.50	0.00	46942.19	0.00	430.10	7105.84

c) Net Stable Funding ratio (NSFR)

(₹ in Crore)

		Current Year Q 4					Current Year Q 3				
		Unweighted value by residual maturity					Unweighted value by residual maturity				
		No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	Weighted value	No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	Weighted value
ASF Item											
1	Capital: (2+3)	79716.61	0.00	0.00	5165.54	84882.15	65315.62	0.00	0.00	16300.00	81615.62
2	Regulatory capital	79716.61	0.00	0.00	215.54	79932.15	65315.62	0.00	0.00	16300.00	81615.62
3	Other capital instruments	0.00	0.00	0.00	4950.00	4950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	317011.94	134615.07	169023.30	19.67	564797.17	270378.12	122953.57	107826.67	0.00	454637.69
5	Stable deposits	50212.46	16157.10	57500.46	13.51	117689.35	43792.27	15047.44	13063.70	0.00	68308.24
6	Less stable deposits	266799.48	118457.97	111522.84	6.16	447107.82	226585.85	107906.13	94762.97	0.00	386329.45
7	Wholesale funding: (8+9)	82182.35	142378.63	115234.69	151.59	169973.63	59307.13	133020.24	107879.25	858.83	150532.72
8	Operational deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.54	0.00	3.98	5.26
9	Other wholesale funding	82182.35	142378.63	115234.69	151.59	169973.63	59307.13	133013.70	107879.25	854.85	150527.46
10	Other liabilities: (11+12)	2980.60	62572.61	2470.83	114061.59	156521.05	3579.55	55669.55	4460.10	249183.49	125242.00
11	NSFR derivative liabilities		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
12	All other liabilities and equity not included in the above categories	2980.60	62572.61	2470.83	114061.59	156521.05	3579.55	55669.55	4460.10	249183.49	125242.00
13	**Total ASF (1+4+7+10)**					976174.00					812028.03
RSF Item											
14	Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					13361.56					13385.14
15	Deposits held at other financial institutions for operational purposes	828.30	115.36	0.00	0.00	471.83	1740.65	178.48	0.00	0.00	959.56
16	Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	1270.43	46800.44	0.00	209581.27	170198.99	1318.68	47732.15	0.00	424426.74	355356.60
17	Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	0.00	3.74	0.00	336.75	34.05	0	0	0	0	0
18	Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0.00	46796.70	0.00	0.00	7019.50	0.00	46942.19	0.00	430.10	7105.84

		वर्तमान वर्ष ति.4					वर्तमान वर्ष ति.3				
		अवशिष्ट परिपक्वता अवधि द्वारा गैर-भारित मूल्य					अवशिष्ट परिपक्वता अवधि द्वारा गैर-भारित मूल्य				
		परिपक्वता बिना	< 6 महीने	6 महीने से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	भारित मूल्य	परिपक्वता बिना	< 6 महीने	6 महीने से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	भारित मूल्य
19	गैर-वित्तीय कॉरपोरेट ग्राहकों को अर्जक ऋण, खुदरा व छोटे व्यवसाय के ग्राहकों को ऋण, तथा राष्ट्रिक, केंद्रीय बैंकों, व पीएसई को ऋण जिनमें से :	0.00	0.00	0.00	170065.24	136104.32	0.00	789.96	0.00	410396.09	337675.08
20	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	0.00	0.00	0.00	170065.24	136104.32	0.00	789.96	0.00	410396.09	337675.08
21	अर्जक आवासीय बंधक, जिनमें से:	0.00	0.00	0.00	36705.66	23858.68	0.00	0.00	0.00	10528.31	6843.40
22	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	0.00	0.00	0.00	36705.66	23858.68	0.00	0.00	0.00	10528.31	6843.40
23	वे प्रतिभूतियां जो डिफ़ॉल्ट रूप से नहीं हैं और एक्सचेंज-ट्रेडेड इक्विटी सहित एचक्यूएलए के रूप में अर्ह नहीं हैं	1270.43	0.00	0.00	2473.62	3182.44	1318.68	0.00	0.00	3072.24	3732.28
24	अन्य परिसंपत्ति: (25 से 29 तक की पंक्तियों का योग)	3191.93	219567.29	107340.08	291750.40	506099.42	5473.26	77489.34	59400.89	252645.12	326663.43
25	स्वर्ण सहित भौतिक रूप से व्यापारित वस्तुएं(पण्य)	0.00				0.00	0.00				0.00
26	डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में दर्ज संपत्तियां और सीसीपी की डिफ़ॉल्ट निधियों में योगदान		245.85	0.00	4033.64	3637.57		274.26	0.00	4111.82	3728.17
27	एनएसएफआर डेरिवेटिव परिसंपत्ति		378.65	0.00	0.00	378.65		890.59	0.00	0.00	890.59
28	दर्ज किए गए विभिन्न मार्जिन की कटौती से पहले एनएसएफआर डेरिवेटिव देनदारियां		102.01	0.00	0.00	102.01		124.03	25.55	0.00	149.58
29	अन्य सभी संपत्तियां जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	3191.93	218840.78	107340.08	287716.76	501981.19	5473.26	76200.46	59375.34	248533.30	321895.09
30	तुलन पत्रेतर मदें		0.00	161702.37	0.00	6711.03		0.00	156213.04	0.00	6475.08
31	कुल आरएसएफ					696842.83					702839.81
32	निवल स्थायी निधीयन अनुपात (14+15+16+24+30)					**140.09%**					**115.54%**

		Current Year Q 4					Current Year Q 3				
		Unweighted value by residual maturity					Unweighted value by residual maturity				
		No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	Weighted value	No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	Weighted value
19	Performing loans to non-financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks, and PSEs, of which:	0.00	0.00	0.00	170065.24	136104.32	0.00	789.96	0.00	410396.09	337675.08
20	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0.00	0.00	0.00	170065.24	136104.32	0.00	789.96	0.00	410396.09	337675.08
21	Performing residential mortgages, of which:	0.00	0.00	0.00	36705.66	23858.68	0.00	0.00	0.00	10528.31	6843.40
22	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0.00	0.00	0.00	36705.66	23858.68	0.00	0.00	0.00	10528.31	6843.40
23	Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	1270.43	0.00	0.00	2473.62	3182.44	1318.68	0.00	0.00	3072.24	3732.28
24	Other assets: (sum of rows 25 to 29)	3191.93	219567.29	107340.08	291750.40	506099.42	5473.26	77489.34	59400.89	252645.12	326663.43
25	Physical traded commodities, including gold	0.00				0.00	0.00				0.00
26	Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs		245.85	0.00	4033.64	3637.57		274.26	0.00	4111.82	3728.17
27	NSFR derivative assets		378.65	0.00	0.00	378.65		890.59	0.00	0.00	890.59
28	NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted		102.01	0.00	0.00	102.01		124.03	25.55	0.00	149.58
29	All other assets not included in the above categories	3191.93	218840.78	107340.08	287716.76	501981.19	5473.26	76200.46	59375.34	248533.30	321895.09
30	Off-balance sheet items		0.00	161702.37	0.00	6711.03		0.00	156213.04	0.00	6475.08
31	Total RSF (14+15+16+24+30)					696842.83					702839.81
32	Net Stable Funding Ratio (%)					**140.09%**					**115.54%**

3) निवेश

ए) निवेश पोर्टफोलियो की संरचना

यथा 31.03.2022 तक

(₹ करोड़ में)

	भारत में निवेश							भारत से बाहर निवेश				
	सरकारी प्रतिभूतियां	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	शेयर	डिबेंचर व बॉण्ड	अनुषंगियां और / या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकारी सहित)	अनुषंगियां और / या संयुक्त उद्यम	अन्य	बारत से बाहर निवेश	कुल निवेश
परिपक्वता तक धारित												
सकल	235061.72	1.50	0.00	2132.74	956.59	230.14	238382.69	68.76	166.31	0.00	235.07	238617.76
घटाएं: अनर्जक नवेशों के लिए प्रावधान(एनपीआई)	0.00	0.00	0.00	2.76	0.00	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76
निवल	235061.72	1.50	0.00	2129.98	956.59	230.14	238379.93	68.76	166.31	0.00	235.07	238615.00
बिक्री के लिए उपलब्ध												
सकल	28577.46	0.91	4307.81	9775.47	0.00	2581.09	45242.74	1177.55	0.00	1274.85	2452.40	47695.14
घटाएं: मूल्यहास व एनपीआई के लिए प्रावधान	462.55	0.00	1744.20	956.77	0.00	1233.81	4397.33	7.94	0.00	15.80	23.74	4421.07
सकल	28114.91	0.91	2563.61	8818.70	0.00	1347.28	40845.41	1169.61	0.00	1259.05	2428.66	43274.07
ट्रेडिंग के लिए धारित												
सकल	123.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.83	0.00	0.00	0.00	0.00	123.83
घटाएं: मूल्यहास व एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल	123.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.83	0.00	0.00	0.00	0.00	123.83
कुल निवेश												
सकल	263763.01	2.41	4307.81	11908.21	956.59	2811.23	283749.26	1246.31	166.31	1274.85	2687.47	286436.74
घटाएं: मूल्यहास व एनपीआई के लिए प्रावधान	462.55	0.00	1744.20	959.53	0.00	1233.81	4400.09	7.94	0.00	15.80	23.74	4423.83
निवल	263300.46	2.41	2563.61	10948.68	956.59	1577.42	279349.17	1238.37	166.31	1259.05	2663.73	282012.90

3. Investments

a) Composition of Investment Portfolio

As at 31.03.2022 (₹ in Crore)

	Investments in India							Investments outside India				Total Investments
	Government Securities	Other Approved Securities	Shares	Debentures and Bonds	Subsidiaries and / or joint ventures	Others	Total investments in India	Government securities (including local authorities)	Subsidiaries and / or joint ventures	Others	Total Investments outside India	
Held to Maturity												
Gross	235061.72	1.50	0.00	2132.74	956.59	230.14	238382.69	68.76	166.31	0.00	235.07	238617.76
Less: Provision for non-performing investments (NPI)	0.00	0.00	0.00	2.76	0.00	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76
Net	235061.72	1.50	0.00	2129.98	956.59	230.14	238379.93	68.76	166.31	0.00	235.07	238615.00
Available for Sale												
Gross	28577.46	0.91	4307.81	9775.47	0.00	2581.09	45242.74	1177.55	0.00	1274.85	2452.40	47695.14
Less: Provision for depreciation and NPI	462.55	0.00	1744.20	956.77	0.00	1233.81	4397.33	7.94	0.00	15.80	23.74	4421.07
Net	28114.91	0.91	2563.61	8818.70	0.00	1347.28	40845.41	1169.61	0.00	1259.05	2428.66	43274.07
Held for Trading												
Gross	123.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.83	0.00	0.00	0.00	0.00	123.83
Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	123.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.83	0.00	0.00	0.00	0.00	123.83
Total Investments												
Gross	263763.01	2.41	4307.81	11908.21	956.59	2811.23	283749.26	1246.31	166.31	1274.85	2687.47	286436.74
Less: Provision for depreciation and NPI	462.55	0.00	1744.20	959.53	0.00	1233.81	4400.09	7.94	0.00	15.80	23.74	4423.83
Net	263300.46	2.41	2563.61	10948.68	956.59	1577.42	279349.17	1238.37	166.31	1259.05	2663.73	282012.90

यथा 31.03.2021 तक

(₹ करोड़ में)

	भारत में निवेश							भारत से बाहर निवेश				
	सरकारी प्रतिभूतियां	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	शेयर	डिबेंचर व बॉण्ड	अनुषंगियां और / या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकारी सहित)	अनुषंगियां और / या संयुक्त उद्यम	अन्य	बारत से बाहर निवेश	कुल निवेश
परिपक्वता तक धारित												
सकल	200683.96	1.50	0.00	5199.17	788.57	148.30	206821.50	66.39	166.31	0.00	232.70	207054.20
घटाएं: अनर्जक नवेशों के लिए प्रावधान(एनपीआई)	0.00	0.00	0.00	16.76	0.00	0.00	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	16.76
निवल	200683.96	1.50	0.00	5182.41	788.57	148.3	206804.74	66.39	166.31	0.00	232.70	207037.44
बिक्री के लिए उपलब्ध												
सकल	39926.61	0.91	4373.73	7849.1	0.00	3798.94	55949.29	1304.18	0.00	1628.65	2932.83	58882.12
घटाएं: मूल्यह्रास व एनपीआई के लिए प्रावधान			1937.36	770.39	0.00	1712.95	4420.7	6.95	0.00	0.00	6.95	4427.65
सकल	39926.61	0.91	2436.37	7078.71	0.00	2085.99	51528.59	1297.23	0.00	1628.65	2925.88	54454.47
ट्रेडिंग के लिए धारित												
सकल	198.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.48	0.00	0.00	0.00	0.00	198.48
घटाएं: मूल्यह्रास व एनपीआई के लिए प्रावधान	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल	198.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.48	0.00	0.00	0.00	0.00	198.48
कुल निवेश												
सकल	240809.05	2.41	4373.73	13048.27	788.57	3947.24	262969.27	1370.57	166.31	1628.65	3165.53	266134.80
घटाएं: मूल्यह्रास व एनपीआई के लिए प्रावधान	0	0	1937.36	787.15	0	1712.95	4437.46	6.95	0	0	6.95	4444.41
निवल	240809.05	2.41	2436.37	12261.12	788.57	2234.29	258531.81	1363.62	166.31	1628.65	3158.58	261690.39

As at 31.03.2021 (₹ in Crore)

	Investments in India							Investments outside India				
	Govern-ment Securities	Other Ap-proved Securi-ties	Shares	Deben-tures and Bonds	Subsid-iaries and/ or joint ventures	Others	Total invest-ments in India	Govern-ment securities (including local authorities)	Subsidiar-iesand/ or joint ventures	Others	Total Invest-ments outside India	Total Invest-ments
Held to Maturity												
Gross	200683.96	1.50	0.00	5199.17	788.57	148.30	206821.50	66.39	166.31	0.00	232.70	207054.20
Less: Provision for non-performing investments (NPI)	0.00	0.00	0.00	16.76	0.00	0.00	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	16.76
Net	200683.96	1.50	0.00	5182.41	788.57	148.3	206804.74	66.39	166.31	0.00	232.70	207037.44
Available for Sale												
Gross	39926.61	0.91	4373.73	7849.1	0.00	3798.94	55949.29	1304.18	0.00	1628.65	2932.83	58882.12
Less: Provision for depreciation and NPI			1937.36	770.39	0.00	1712.95	4420.7	6.95	0.00	0.00	6.95	4427.65
Net	39926.61	0.91	2436.37	7078.71	0.00	2085.99	51528.59	1297.23	0.00	1628.65	2925.88	54454.47
Held for Trading												
Gross	198.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.48	0.00	0.00	0.00	0.00	198.48
Less: Provision for depreciation and NPI	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	198.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.48	0.00	0.00	0.00	0.00	198.48
Total Investments												
Gross	240809.05	2.41	4373.73	13048.27	788.57	3947.24	262969.27	1370.57	166.31	1628.65	3165.53	266134.80
Less: Provision for depreciation and NPI	0	0	1937.36	787.15	0	1712.95	4437.46	6.95	0	0	6.95	4444.41
Net	240809.05	2.41	2436.37	12261.12	788.57	2234.29	258531.81	1363.62	166.31	1628.65	3158.58	261690.39

बी) मूल्यह्रास और निवेश उतार–चढ़ाव रिजर्व के प्रावधानों का संचलन (₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2022	31.03.2021
i.	**निवेश के मूल्यह्रास में धारित प्रावधानों का संचलन**		
	ए) प्रारंभिक शेष राशि	4444.41	2186.85
	सिंडिकेट बैंक के विलय से आसन्न परिवर्धन	0.00	732.54
	एआरसीआईएल	494.32	1399.16
	बी) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	-97.33	1527.81
	सी) घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते में डालना / प्रतिलेखन करना	417.57	1402.29
	डी) **विनिमय उतार–चढ़ाव**	0.00	0.34
	ई) अंतिम शेष राशि	4423.83	4444.41
ii.	**निवेश में उतार–चढ़ाव रिजर्व का संचलन**		
	ए) प्रारंभिक शेष राशि	939.02	27.26
	बी) जोड़ें: वर्ष के दौरान अंतरित की गई राशि	0.00	911.76
	सी) घटाएं : ड्राडाउन	0.00	0.00
	डी) अंतिम शेष राशि	939.02	939.02
iii.	एएफएस और एचएफटी / वर्तमान श्रेणी में निवेश के अंतिम शेष के प्रतिशत के रूप में आईएफआर में अंतिम शेष राशि	2.16	1.72

b) Movement of Provisions for Depreciation and Investment Fluctuation Reserve (₹ in Crore)

	Particulars	31.03.2022	31.03.2021
i.	**Movement of provisions held towards depreciation on investments**		
	a) Opening balance	4444.41	2186.85
	Addition on account of merger of e_Syndicate Bank	0.00	732.54
	ARCIL	494.32	1399.16
	b) Add: Provisions made during the year	-97.33	1527.81
	c) Less: Write off / write back of excess provisions during the year	417.57	1402.29
	d) **Exchange Fluctuation**	0.00	0.34
	e) Closing balance	4423.83	4444.41
ii.	**Movement of Investment Fluctuation Reserve**		
	a) Opening balance	939.02	27.26
	b) Add: Amount transferred during the year	0.00	911.76
	c) Less: Drawdown	0.00	0.00
	d) Closing balance	939.02	939.02
iii.	Closing balance in IFR as a percentage of closing balance of investments in AFS and HFT / Current category	2.16	1.72

सी) एचटीएम श्रेणी से / को बिक्री और अंतरण

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, बैंक ने एचटीएम श्रेणी से बेची गई प्रतिभूतियां एचटीएम श्रेणी के बुक वैल्यू के 5% से अधिक नहीं हैं। (पिछले वर्ष में, बिक्री एचटीएम श्रेणी के 5% से अधिक नहीं हुई है)।

c) Sale and transfers to / from HTM category

During the Financial Year 2021-22, the Bank sold securities from HTM category are not in excess of 5% of the book value of HTM category. (In the previous year, the sale has not exceeded 5% of HTM category).

बी) गैर–एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

i) गैर–निष्पादित गैर–एसएलआर निवेश

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2022	31.03.2021
ए)	प्रारंभिक शेष राशि	4184.93	2417.27
	सिंडिकेट बैंक के विलय से आसन्न परिवर्धन	-	1279.94
बी)	1 अप्रैल से वर्ष के दौरान परिवर्धन	1732.54	1081.67
सी)	उपरोक्त अवधि के दौरान कटौती	1330.36	595.2
	विनिमय उतार–चढ़ाव	**-0.42**	**1.25**
डी)	**अंतिम शेष राशि**	**4586.70**	**4184.93**
ई)	**कुल प्रावधान**	**4114.31**	**3067.65**

d) Non-SLR investment portfolio

i) Non-performing non-SLR investments

(₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	31.03.2022	31.03.2021
a)	Opening balance	4184.93	2417.27
	Addition on account of merger of e_Syndicate Bank	-	1279.94
b)	Additions during the year since 1st April	1732.54	1081.67
c)	Reductions during the above period	1330.36	595.2
	Exchange Fluctuation	**-0.42**	**1.25**
d)	**Closing balance**	**4586.70**	**4184.93**
e)	**Total provisions held**	**4114.31**	**3067.65**

ii) गैर–एसएलआर निवेशों की जारीकर्ता संरचना:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जारीकर्ता	राशि		निजी स्थानन (प्लेसमेंट) की सीमा		'निवेश ग्रेड से कम' प्रतिभूतियों की सीमा		'अनरेटेड' प्रतिभूतियों की सीमा		'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की सीमा	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
		31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
ए)	पीएसयू	3231.64	4218.89	1593.41	1440.66	-	-	-	-	-	-
बी)	वित्तीय संस्–थाएं	3392.60	6874.71	3249.42	6420.77	147.50	395.48	-	-	-	-
सी)	बैंक	1194.95	1036.69	693.99	290.65	465.81	625.38	-	-	-	-
डी)	निजी कॉर्पोरेट	9658.97	7081.20	4172.89	2682.48	676.96	883.10	-	-	-	-
ई)	सहायक / संयुक्त उद्यम	1122.90	954.87	1081.72	913.70	-	-	-	-	1011.71	843.69
एफ)	अन्य	4070.25	5156.94	2624.16	3771.74	-	-	-	-	-	-
जी)	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	3961.28	4444.41	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल*	**18710.03**	**20878.90**	**13415.59**	**15520.00**	**1290.27**	**1903.96**	**-**	**-**	**1011.71**	**843.69**

नोट: उपरोक्त कॉलम 4, 5, 6 और 7 के तहत रिपोर्ट की गई राशियां परस्पर अनन्य नहीं हैं।

ii) **Issuer composition of non-SLR investments:**

(₹ in Crore)

Sl. No.	Issuer	Amount		Extent of Private Placement		Extent of 'Below Investment Grade' Securities		Extent of 'Unrated' Securities		Extent of 'Unlisted' Securities	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
		31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
a)	PSUs	3231.64	4218.89	1593.41	1440.66	-	-	-	-	-	-
b)	FIs	3392.60	6874.71	3249.42	6420.77	147.50	395.48	-	-	-	-
c)	Banks	1194.95	1036.69	693.99	290.65	465.81	625.38	-	-	-	-
d)	Private Corporates	9658.97	7081.20	4172.89	2682.48	676.96	883.10	-	-	-	-
e)	Subsidiaries / Joint Ventures	1122.90	954.87	1081.72	913.70	-	-	-	-	1011.71	843.69
f)	Others	4070.25	5156.94	2624.16	3771.74	-	-	-	-	-	-
g)	Provision held towards depreciation	3961.28	4444.41	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total *	**18710.03**	**20878.90**	**13415.59**	**15520.00**	**1290.27**	**1903.96**	**-**	**-**	**1011.71**	**843.69**

Note: Amounts reported under columns 4, 5, 6 and 7 above are not mutually exclusive.

ई) रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य के अनुसार) (₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31.03.2022 तक बकाया
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	शून्य	6720.00	2619.95	शून्य
ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iii) कोई अन्य प्रतिभूति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	शून्य	500.00	4.82	शून्य
ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iii) कोई अन्य प्रतिभूति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

e) Repo Transactions (in face value terms) (₹ in Crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	Outstanding as on 31.03.2022
Securities sold under repo				
i) Government Securities	Nil	6720.00	2619.95	Nil
ii) Corporate Debt Securities	Nil	Nil	Nil	Nil
iii) Any Other Securities	Nil	Nil	Nil	Nil
Securities purchased under reverse repo				
i) Government Securities	Nil	500.00	4.82	Nil
ii) Corporate Debt Securities	Nil	Nil	Nil	Nil
iii) Any Other Securities	Nil	Nil	Nil	Nil

4) आस्ति गुणवत्ता

ए) धारित अग्रिमों और प्रावधानों का वर्गीकरण

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (₹ करोड़ में)

	मानक	गैर निष्पादित				
	कुल मानक अग्रिम	उप मानक	संदिग्ध	हानि	कुल अनर्जक अग्रिम	कुल
सकल मानक अग्रिम और एनपीए						
प्रारंभिक शेष राशि	614867	14222	36670	9396	60288	675155
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन					13890	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती*					18526	
अंतिम शेष राशि	685495	9130	34868	11654	55652	741147
*सकल एनपीए में कटौती के कारण:						
i) उन्नयन					3177	
ii) वसूली (उन्नत खातों से वसूली को छोड़कर)					6927	
iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण (प्रूडेंशियल) राइट–ऑफ्स					6494	
iv) उपर्युक्त (iii) के तहत उनके के अलावा अन्य राइट–ऑफ					1928	
प्रावधान (अस्थायी प्रावधानों को छोड़कर)						
धारित प्रावधानों का प्रारंभिक शेष	3108	2528	23433	9387	35348	38456
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान					9848	
घटाएं: अतिरिक्त प्रावधान प्रतिवर्ती / बट्टे खाते में डाले गए ऋण					8606	
धारित प्रावधानों का अंतिम शेष	2861	1566	23384	11640	36590	39451
निवल एनपीए						
प्रारंभिक शेष राशि		11693	12749	-	24442	
जोड़ें: वर्ष के दौरान नए परिवर्धन					4044	
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती					9818	
अंतिम शेष राशि		7540	11128	-	18668	
अस्थायी प्रावधान						
प्रारंभिक शेष राशि						102
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान						-
घटाएं: वर्ष के दौरान आहरित राशि						102
अस्थायी प्रावधानों का अंतिम शेष राशि						-
तकनीकी राइट – ऑफ और उस पर की गई वसूली						
तकनीकी / विवेकपूर्ण (प्रूडेंशियल) राइट–ऑफ खातों का प्रारंभिक शेष						59286
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी / विवेकपूर्ण (प्रूडेंशियल) राइट–ऑफ						6494
घटाएं: वर्ष के दौरान पूर्व तकनीकी / विवेकपूर्ण (प्रूडेंशियल) राइट–ऑफ खातों से की गई वसूली						4124
अंतिम शेष राशि						61656

4. Asset quality

a) Classification of advances and provisions held

As at 31.03.2022 (₹ in Crore)

	Standard	Non-Performing				
	Total Standard Advances	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	Total
Gross Standard Advances and NPAs						
Opening Balance	614867	14222	36670	9396	60288	675155
Add: Additions during the year					13890	
Less: Reductions during the year*					18526	
Closing balance	685495	9130	34868	11654	55652	741147
*Reductions in Gross NPAs due to:						
i) Upgradation					3177	
ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					6927	
iii) Technical/ Prudential Write-offs					6494	
iv) Write-offs other than those under (iii) above					1928	
Provisions (excluding Floating Provisions)						
Opening balance of provisions held	3108	2528	23433	9387	35348	38456
Add: Fresh provisions made during the year					9848	
Less: Excess provision reversed / Write-off loans					8606	
Closing balance of provisions held	2861	1566	23384	11640	36590	39451
Net NPAs						
Opening Balance		11693	12749	-	24442	
Add: Fresh additions during the year					4044	
Less: Reductions during the year					9818	
Closing Balance		7540	11128	-	18668	
Floating Provisions						
Opening Balance						102
Add: Additional provisions made during the year						-
Less: Amount drawn down during the year						102
Closing balance of floating provisions						-
Technical write-offs and the recoveries made thereon						
Opening balance of Technical / Prudential written-off accounts						59286
Add: Technical / Prudential write-offs during the year						6494
Less: Recoveries made from previously technical / prudential written-off accounts during the year						4124
Closing balance						61656

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (₹ करोड़ में)

	मानक	गैर निष्पादित				
	कुल मानक अग्रिम	उप मानक	संदिग्ध	हानि	कुल अनर्जक अग्रिम	कुल
सकल मानक अग्रिम और एनपीए						
प्रारंभिक शेष राशि	590090	15347	37304	8476	61127	651217
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन					17885	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती*					18724	
अंतिम शेष राशि	614867	14222	36670	9396	60288	675155
*सकल एनपीए में कमी के कारण:						
i) उन्नयन					2407	
ii) वसूली (उन्नत खातों से वसूली को छोड़कर)					7185	
iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण (प्रूडेंशियल) राइट-ऑफ्स					7679	
iv) उपर्युक्त (iii) के तहत उनके के अलावा अन्य राइट-ऑफ					1453	
प्रावधान (अस्थायी प्रावधानों को छोड़कर)						
धारित प्रावधानों का प्रारंभिक शेष	3108	2843	22478	8430	33751	36859
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान					10991	
घटाएं: अतिरिक्त प्रावधान प्रतिवर्ती / बट्टे खाते में डाले गए ऋण					9394	
धारित प्रावधानों का अंतिम शेष	3108	2528	23433	9387	35348	38456
निवल एनपीए						
प्रारंभिक शेष राशि		12490	14265	-	26755	
जोड़ें: वर्ष के दौरान नए परिवर्धन					7017	
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती					9330	
अंतिम शेष राशि		11693	12749	-	24442	
अस्थायी प्रावधान						
प्रारंभिक शेष राशि						102
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान						-
घटाएं: वर्ष के दौरान आहरित राशि						-
अस्थायी प्रावधानों का अंतिम शेष राशि						102
तकनीकी राइट - ऑफ और उस पर की गई वसूली						
तकनीकी / विवेकपूर्ण (प्रूडेंशियल) राइट-ऑफ खातों का प्रारंभिक शेष						54604
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी / विवेकपूर्ण (प्रूडेंशियल) राइट-ऑफ						8176
घटाएं: वर्ष के दौरान पूर्व तकनीकी / विवेकपूर्ण (प्रूडेंशियल) राइट-ऑफ खातों से की गई वसूली						3494
अंतिम शेष राशि						59286

अनुपात (प्रतिशत में)	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
सकल एनपीए से सकल अग्रिम	7.51	8.93
निवल एनपीए से निवल अग्रिम	2.65	3.82
प्रावधान कवरेज अनुपात	84.17	79.68

As at 31.03.2021 (₹ in Crore)

	Standard	Non-Performing				
	Total Standard Advances	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	Total
Gross Standard Advances and NPAs						
Opening Balance	590090	15347	37304	8476	61127	651217
Add: Additions during the year					17885	
Less: Reductions during the year*					18724	
Closing balance	614867	14222	36670	9396	60288	675155
*Reductions in Gross NPAs due to:						
i) Upgradation					2407	
ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					7185	
iii) Technical/ Prudential Write-offs					8176	
iv) Write-offs other than those under (iii) above					956	
Provisions (excluding Floating Provisions)						
Opening balance of provisions held	3108	2843	22478	8430	33751	36859
Add: Fresh provisions made during the year					10991	
Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					9394	
Closing balance of provisions held	3108	2528	23433	9387	35348	38456
Net NPAs						
Opening Balance		12490	14265	-	26755	
Add: Fresh additions during the year					7017	
Less: Reductions during the year					9330	
Closing Balance		11693	12749	-	24442	
Floating Provisions						
Opening Balance						102
Add: Additional provisions made during the year						-
Less: Amount drawn down during the year						-
Closing balance of floating provisions						102
Technical write-offs and the recoveries made thereon						
Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts						54604
Add: Technical/ Prudential write-offs during the year						8176
Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year						3494
Closing balance						59286

Ratios (in per cent)	Current Year	Previous Year
Gross NPA to Gross Advances	7.51	8.93
Net NPA to Net Advances	2.65	3.82
Provision coverage ratio	84.17	79.68

ए) क्षेत्रवार अग्रिम और सकल एनपीए (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र*	31.03.2022			31.03.2021		
		बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों पर सकल एनपीए का प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों पर सकल एनपीए का प्रतिशत
i)	**प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र**						
a)	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	174548.14	9879	5.66%	155184.69	9467	6.10%
b)	उद्योग क्षेत्र को पात्र अग्रिम जैसा कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उपलब्ध हो	49800.30	14253	28.62%	43932.01	14929	33.98%
c)	सेवाएं	69225.43	1383	2.00%	64402.17	2829	4.39%
d)	वैयक्तिक ऋण	44766.28	-	-	40293.74	-	-
	कुल (i)	338340.15	25515	7.54%	**303812.61**	**27225**	**8.96%**
ii)	**गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र**						
a)	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	1406.77	-	-	873.54	-	-
b)	उद्योग	173045.68	21391	12.36%	172842.79	21579	12.48%
c)	सेवाएं	146843.83	8458	5.76%	101563.89	10966	10.80%
d)	वैयक्तिक ऋण	81510.72	288	0.35%	96062.26	518	0.54%
	कुल (ii)	402807.00	30137	7.48%	**371342.48**	**33063**	**8.90%**
	कुल (i + ii)	741147.15	55652	7.51%	**675155.09**	**60288**	**8.93%**

b) Sector-wise Advances and Gross NPAs (₹ in Crore)

Sl. No.	Sector*	31.03.2022			31.03.2021		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
i)	**Priority Sector**						
a)	Agriculture and allied activities	174548.14	9879	5.66%	155184.69	9467	6.10%
b)	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	49800.30	14253	28.62%	43932.01	14929	33.98%
c)	Services	69225.43	1383	2.00%	64402.17	2829	4.39%
d)	Personal loans	44766.28	-	-	40293.74	-	-
	Sub-total (i)	338340.15	25515	7.54%	**303812.61**	**27225**	**8.96%**
ii)	**Non-priority Sector**						
a)	Agriculture and allied activities	1406.77	-	-	873.54	-	-
b)	Industry	173045.68	21391	12.36%	172842.79	21579	12.48%
c)	Services	146843.83	8458	5.76%	101563.89	10966	10.80%
d)	Personal loans	81510.72	288	0.35%	96062.26	518	0.54%
	Sub-total (ii)	402807.00	30137	7.48%	**371342.48**	**33063**	**8.90%**
	Total (i + ii)	741147.15	55652	7.51%	**675155.09**	**60288**	**8.93%**

उद्योगों का उप-क्षेत्र जहां बकाया अग्रिम क्षेत्र के कुल बकाया अग्रिमों के 10 प्रतिशत से अधिक है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उप क्षेत्र*	31.03.2022			31.03.2021		
		बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों पर सकल एनपीए का प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों पर सकल एनपीए का प्रतिशत
1	मूल धातु और धातु उत्पाद	22651.34	814	3.59%	27353.85	1498	5.48%
2	बुनियादी संरचना	94677.00	8979	9.48%	72012.89	7888	10.95%

Sub-sector of industries where the outstanding advances exceeds 10 percent of the outstanding total advances of the sector:

(₹ in Crore)

Sl No.	Sub-sector	31.03.2022			31.03.2021		
		Outstanding Total Advances	Gross NPA	% of Gross NPA to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPA	% of Gross NPA to Total Advances in that sector
1	Basic metal and metal products	22651.34	814	3.59%	27353.85	1498	5.48%
2	Infrastructure	94677.00	8979	9.48%	72012.89	7888	10.95%

सी) विदेशी आस्ति, अनर्जक आस्ति और राजस्व:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
कुल आस्ति	112898.43	86281.04
कुल एनपीए (सकल)	4857.52	5653.47
कुल राजस्व	1118.96	1292.44

c) Overseas assets, NPAs and revenue:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2022	31.03.2021
Total Assets	112898.43	86281.04
Total NPAs (Gross)	4857.52	5653.47
Total Revenue	1118.96	1292.44

डी) समाधान योजना का विवरण

दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु विवेकपूर्ण ढांचे के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र डीबीआर. सं. बीपी. बीसी. 45/21.04.048/2018–19 दिनांक 07.06.2019 के अनुसार, बैंक के पास 19 खातों में ₹1799.32 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान है, जिसका विवरण निम्नसूचित है।

(₹ करोड़ में)

आरबीआई के परिपत्र से प्रभावित ऋण राशि (ए)	एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण राशि (बी)	एनपीए के रूप में वर्गीकृत (बी) में से ऋण की राशि यथा 31.03.2022 (सी)	31.12.2021 तक धारित प्रावधान (डी)	31.03.2022 को समाप्त तिमाही के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान / (प्रतिवर्ती) (ई)	31.03.2022 तक धारित प्रावधान (एफ)
9092.39	8604.70	8604.70	1745.15	54.17	1799.32

d) Particulars of resolution plan

As per the RBI Circular DBR. No. BP. BC. 45/21.04.048/2018-19 dated 07.06.2019 on prudential framework for Resolution of Stressed Assets, Bank holds an additional provision of ₹1799.32 crore in 19 accounts as detailed below.

(₹ in Crore)

Amount of loans impacted by RBI Circular (a)	Amount of loans to be classified as NPA (b)	Amount of loans as on 31.03.2022 out of (b) classified as NPA (c)	Provision held as on 31.12.2021 (d)	Additional provision / (Reversal) made during quarter ended 31.03.2022 (e)	Provision held as on 31.03.2022 (f)
9092.39	8604.70	8604.70	1745.15	54.17	1799.32

ई) आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण में विचलन

आरबीआई के परिपत्र सं. डीओआर.एसीसी.आरईसी.सं.45/ 21.04.018/2021-22 दिनांक 30 अगस्त, 2021 के अनुसार, बैंकों को यह अपेक्षित है कि वे वित्तीय विवरणों के लिए अपने खातों में नोटों में आरबीआई की वार्षिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया के परिणामस्वरूप आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के अंतर को प्रकट करें, जहाँ भी या तो या दोनों निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं:

i) आरबीआई द्वारा मूल्यांकन किए गए एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रावधान संदर्भ अवधि के प्रावधानों और आकस्मिक व्यय से पहले रिपोर्ट किए गए लाभ के 10 प्रतिशत से अधिक है और

ii) आरबीआई द्वारा पहचाने गए अतिरिक्त सकल एनपीए संदर्भ अवधि के लिए जारी वृद्धिशील सकल एनपीए के 15 प्रतिशत से अधिक हैं।

e) Divergence in asset classification and provisioning

In terms of the RBI Circular No. DOR.ACC.REC. No.45/21.04.018/2021-22 dated Aug 30, 2021 banks are required to disclose the divergences in asset classification and provisioning consequent to RBI's annual supervisory process in their notes to accounts to the financial statements, wherever either or both of the following conditions are satisfied:

i) The additional provisioning for NPAs assessed by RBI exceeds 10 per cent of the reported profit before provisions and contingencies for the reference period and

ii) The additional Gross NPAs identified by RBI exceed 15 per cent of the published incremental Gross NPAs for the reference period.

हमारे बैंक में विचलन उपर्युक्त निर्दिष्ट सीमा के भीतर हैं, इसलिए वित्त वर्ष 2021 के लिए आरबीआई की वार्षिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया के संबंध में आस्ति वर्गीकरण और एनपीए के प्रावधान में विचलन पर कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है।

iii) ऋण एक्सपोजर के अंतरण का प्रकटीकरण

31.03.2022 को समाप्त तिमाही के दौरान अंतरित / अर्जित ऋणों का विवरण नीचे दिया गया है:

ए) अंतरित या अर्जित ऋण जो कि चूक में हैं – शून्य

बी) अंतरित या अर्जित ऋण जो दबावग्रस्त हैं (एनपीए और एसएमए) – शून्य

सी) 31.03.2022 को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को सौंपे गए वसूली (रिकवरी) रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों में बैंक द्वारा धारित एसआर का वितरण निम्नानुसार है:

31 मार्च, 2022 तक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को सौंपे गए रिकवरी रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों में उनके द्वारा धारित प्रतिभूति रसीद निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

रिकवरी रेटिंग बैंड	बही लागत
आरआर1	110.57
आरआर 2	74.39
आरआर 3	198.22
आरआर 4	83.66
आरआर 5	734.81
एनआर3	6.02
एनआर6	116.42
आहरित रेटिंग	200.93
कुल	**1525.02**

iv) धोखाधड़ी खाते

	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2020-21
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या	90	153
धोखाधड़ी में शामिल राशि (₹ करोड़ में)	3245.18	7885.25
ऐसी धोखाधड़ी के लिए किए गए प्रावधान की राशि (₹ करोड़ में)	3245.18	7885.25
वर्ष के अंत में 'अन्य भंडार' से डेबिट किए गए असंशोधित प्रावधान की राशि (₹ करोड़ में)	-	-

In our Bank, divergences are within threshold limit specified above, hence no disclosure on divergence in asset classification and provisioning for NPAs is required with respect to RBI's annual supervisory process for FY 2021.

iii) Disclosure of transfer of loan exposures

Details of loans transferred / acquired during the quarter ended 31.03.2022 are given below:

a) Loans transferred or acquired which are in default - NIL

b) Loans transferred or acquired which are stressed (NPA and SMA) - NIL

c) Distribution of the SRs held by the Bank across the various categories of Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit rating agencies as on 31.03.2022 is given as under:

The Security Receipts held by them across the various categories of Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit rating agencies as on March 31, 2022.

(₹ in Crore)

Recovery Rating band	Book Cost
RR1	110.57
RR2	74.39
RR3	198.22
RR4	83.66
RR5	734.81
NR3	6.02
NR6	116.42
Rating withdrawn	200.93
Total	**1525.02**

iv) Fraud Accounts

	FY 2021-22	FY 2020-21
Number of frauds reported	90	153
Amount involved in fraud (₹ crore)	3245.18	7885.25
Amount of provision made for such frauds (₹ crore)	3245.18	7885.25
Amount of Unamortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year (₹ crore)	-	-

v) कोविड –19 से संबंधित तनाव के लिए समाधान ढांचे के तहत प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

उधारकर्ता का प्रकार	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर– पिछले छमाही के अंत में स्थिति (ए)	(ए) का, कुल ऋण जो छमाही के दौरान एनपीए में बदल गया	(ए) से छमाही के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि	(ए) से छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर – इस छमाही के अंत में स्थिति
वैयक्तिक ऋण	11127.23	364.12	6.78	673.45	11372.56
कॉर्पोरेट व्यक्ति*	4371.61	0	0	112.89	4351.65
एमएसएमई	6466.21	483.14	0.81	458.52	6907.34
अन्य	1960.63	133.93	0.93	174.86	1814.57
कुल	**23925.68**	**981.19**	**8.52**	**1419.72**	**24446.12**

* जैसा कि दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 3(7) में परिभाषित किया गया है

v) Disclosure under Resolution Framework for COVID-19-related Stress

(₹ in Crore)

Type of borrower	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan - Position as at the end of the previous half-year (A)	Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half- year	Of (A) amount written off during the half-year	Of (A) amount paid by the borrowers during the half- year	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan - Position as at the end of this half-year
Personal Loans	11127.23	364.12	6.78	673.45	11372.56
Corporate persons*	4371.61	0	0	112.89	4351.65
MSMEs	6466.21	483.14	0.81	458.52	6907.34
Others	1960.63	133.93	0.93	174.86	1814.57
Total	**23925.68**	**981.19**	**8.52**	**1419.72**	**24446.12**

* As defined in section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

5 ऋण जोखिम

ए) स्थावर संपदा क्षेत्र में ऋण जोखिम (₹ करोड़ में)

श्रेणी		31.03.2022	31.03.2021
i)	प्रत्यक्ष ऋण जोखिम	95402.46	82112.74
a)	आवासीय बंधक – आवासीय संपति के बंधक द्वारा ऋण पूर्ण रूप से सुरक्षित है जो उधारकर्ता द्वारा अभिग्रहित किया जाएगा या किराए पर दिए गए हैं।	75925.12	65519.71
	जिनमें से व्यक्तिगत आवास ऋण जो प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों में शामिल किए जाने के लिए पात्र है। जोखिम में गैर–निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं भी शामिल होंगी।	41276.03	35874.22
b)	वाणिज्यिक स्थावर संपदा – वाणिज्यिक स्थावर संपदा पर बंधक के द्वारा सुरक्षित उधार (कार्यालय भवन, रिटेल स्पेस, बहु उद्देश्यी वाणिज्यिक परिसर, बहु परिवार निवास भवन, औद्योगिक या वेयरहाउस स्थान, होटल, भूमि अर्जन, विकास व संरचना आदि)। जोखिम में गैर–निधि आधारित (एनएफबी) सीमा भी शामिल होंगी;	19363.06	16467.74
c)	बंधक समर्थित प्रतिभूति (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूति ऋण जोखिम	114.28	125.29
	क. आवासीय	94.12	94.12
	ख. वाणिज्यिक स्थावर संपदा	20.16	31.17
ii)	अप्रत्यक्ष ऋण जोखिम	39978.37	35965.30
	राष्ट्रीय आवास बैंक तथा आवास वित्त कंपनियां संबंधी निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित ऋण जोखिम		
	स्थावर संपदा क्षेत्र को कुल ऋण जोखिम	**135380.83**	**118078.04**

5 Exposures:

a) Exposure to Real Estate Sector: (₹ in Crore)

Category		31.03.2022	31.03.2021
i)	Direct Exposure	95402.46	82112.74
a)	Residential Mortgages - Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented.	75925.12	65519.71
	- Of Which Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances. Exposure would also include non-fund based (NFB) limits	41276.03	35874.22
b)	Commercial Real Estate - Lending secured by mortgages on commercial real estate (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure would also include non-fund based (NFB) limits;.	19363.06	16467.74
c)	Investments in Mortgage-Backed Securities (MBS) and other securitized exposures -	114.28	125.29
	a. Residential	94.12	94.12
	b. Commercial Real Estate	20.16	31.17
ii)	Indirect Exposure	39978.37	35965.30
	Fund based and non-fund-based exposures on National Housing Bank and Housing Finance Companies.		
	Total Exposure to Real Estate Sector	**135380.83**	**118078.04**

बी) पूंजी बाजार में ऋण जोखिम

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2022	31.03.2021
i.	ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बंधपत्रों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी उन्मुख परस्पर निधियों में प्रत्यक्ष निवेश जिसकी आरंभिक निधि नितांत रूप से कॉर्पोरेट ऋण में निविष्ट नहीं की गई;	1929.09	1928.05
ii.	शेयरों / बांडों / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के एवज में या बेजमानती आधार पर शेयरों (आईपीओ/ ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा म्यूचुअल फंड उन्मुख ईक्विटी इकाईयों में निवेश हेतु व्यक्तियों को दिया गया अग्रिम;	0.40	1.55
iii.	किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहाँ शेयर या परिवर्तनीय बंधपत्र या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी उन्मुख परस्पर निधियों के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है;	5.00	5.00
iv.	शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय ईक्विटी उन्मुख परस्पर निधि के यूनिटों की संपाश्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत किये जाने तक किसी अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम यानि शेयर / परिवर्तनीय बॉण्ड / परिवर्तनीय डिबेंचर / ईक्विटी उन्मुख परस्पर निधियों के यूनिटों को छोडकर प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतया प्रावरित नहीं करती;	-	-
v.	स्टॉक ब्रोकरों को प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों और बाजार निर्माताओं की ओर से निर्गत गारंटियाँ;	357.49	531.73
vi.	स्त्रोतों को एकत्रित करने की प्रत्याशा में नई कंपनियों में ईक्विटी करने के लिए प्रायोजक का अशंदान पूरा करने के लिए शेयर / बॉण्ड / डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों की प्रतिभूति के एवज में या निर्बंध कार्पोरेटों को स्वीकृत अग्रिम;	-	-
vii.	प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाहों / निर्गम के एवज में कंपनियों को पूरक ऋण;	-	-
viii	शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख परस्पर निधि के यूनिटों के आरंभिक निर्गम (इस्यू) के मामले में बैंक द्वारा ली गई हामीदारी वचनबद्धतायें;	-	-
ix	मार्जिन व्यापार के लिए स्टाक ब्रोकरों को वित्त पोषण;	-	-
x	वेंचर पूंजी निधियों में सारे जोखिम (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)	858.73	891.43
	पूंजी बाजार की कुल ऋण जोखिम	**3150.71**	**3357.76**

b) **Exposure to Capital Market:**

(₹ in Crore)

Particulars		31.03.2022	31.03.2021
i.	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	1929.09	1928.05
ii.	Advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs / ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity oriented mutual funds;	0.40	1.55
iii.	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	5.00	5.00
iv.	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares / convertible bonds / convertible debentures / units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	-	-
v.	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	357.49	531.73
vi.	Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	-	-
vii.	Bridge loans to companies against expected equity flows / issues;	-	-
viii	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	-	-
ix	Financing to stockbrokers for margin trading;	-	-
x	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	858.73	891.43
	Total Exposure to Capital Market	**3150.71**	**3357.76**

सी) **जोखिम श्रेणीवार देश की ऋण जोखिम**

केवल ऐसे देशों के संदर्भ में जहाँ बैंक का निवल निधिक ऋण जोखिम उसकी कुल आस्तियों का 1% या ज्यादा है तो बैंक को देश–जोखिम का प्रावधान करने की आवश्यकता है। यथा 31.03.2022 तक, यूएसए(कम जोखिम) व यू के (कम जोखिम) का शुद्ध निधि आधारित एक्स्पोजर बैंक की कुल संपत्तियों के 1% से अधिक था (31.03.2022 तक कुल संपत्ति का 1% – ₹12269.80 करोड़)

(₹ करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	यथा 31.03.2022 को ऋण जोखिम (निवल)	यथा 31.03.2022 को धारित प्रावधान	यथा 31.03.2021 को ऋण जोखिम (निवल)	यथा 31.03.2021 को धारित प्रावधान
नगण्य ए1	19,049.06	-	11,673.66	-
कम जोखिम ए2	75,790.38	42.57	76,067.14	38.41
मध्यम जोखिम–बी1	2,253.77	-	2,475.86	-
उच्च जोखिम–बी2	-	-	-	-
अत्यधिक जोखिम–सी1	317.76	-	-	-
प्रतिबंधित–सी2	-	-	-	-
ऑफ क्रेडिट–डी	-	-	-	-
कुल	**97,410.97**	**42.57**	**90,216.66**	**38.41**

c) **Risk category-wise country exposure:**

Only in respect of the Country where a Bank's net funded exposure is 1% or more of its total assets, the Bank is required to make provision for Country Risk. As on 31.03.2022, the Net funded exposure of USA (Low Risk) and U.K. (Low Risk) has exceeded 1% of the total assets of the Bank (1% of the total assets as on 31.03.2022 - ₹ 12269.80 Crore)

(₹ in Crore)

Risk Category	Exposure (net) as at 31.03.2022	Provision held as at 31.03.2022	Exposure (net) as at 31.03.2021	Provision held as at 31.03.2021
Insignificant A1	19,049.06	-	11,673.66	-
Low Risk A2	75,790.38	42.57	76,067.14	38.41
Moderately Risk-B1	2,253.77	-	2,475.86	-
High Risk -B2	-	-	-	-
Very High Risk-C1	317.76	-	-	-
Restricted-C2	-	-	-	-
Off Credit-D	-	-	-	-
TOTAL	**97,410.97**	**42.57**	**90,216.66**	**38.41**

डी) **गैर जमानती अग्रिम**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
बैंक का कुल गैर जमानती अग्रिम	175550	121227
उपरोक्त में से, अग्रिम की राशि जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण, आदि पर प्रभार लिया गया है	267	5775
ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का संभावित मूल्य	1230	2637

ई) **फैक्टरिंग जोखिम: शून्य**

एफ़) **इंट्रा–ग्रुप जोखिम**

(₹ करोड़ में)

मद	31.03.2022	31.03.2021
इंट्रा–ग्रुप जोखिम की कुल राशि	1791.35	2684.43
शीर्ष–20 इंट्रा–ग्रुप जोखिम की कुल राशि	1791.35	2684.43
बैंक के उधारकर्ताओं / ग्राहकों पर कुल जोखिम में इंट्रा–ग्रुप जोखिम का प्रतिशत	0.17%	0.24%
इंट्रा–ग्रुप जोखिम पर सीमा के उल्लंघन और उस पर नियामक कार्रवाई, यदि कोई हो, का विवरण।	शून्य	शून्य

जी) **अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र**

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी सूचना संख्या डीबीओडी.सं. बीपी.बीसी.85/21.06.200/2013–14 दिनांक 15 जनवरी 2014 द्वारा बैंकों को निर्देश दिया है कि अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र वाले निकायों हेतु बैंक के एक्सपोजर के संदर्भ में वृद्धिशील प्रावधान व पूंजी प्रदान करें। तदनुसार, वित्त वर्ष 2021–22 के लिए, बैंक ने अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र के प्रति ₹31.32 करोड़ (पिछले वर्ष ₹31.32 करोड़) का प्रावधान किया है। आगे, यथा 31.03.2022 को बैंक के पास अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्स्पोजर पर जोखिम हेतु ₹53.89 करोड़ (पिछले वर्ष ₹114.24 करोड़) की पूंजी है।

d) **Unsecured Advances**

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2022	31.03.2021
Total unsecured advances of the bank	175550	121227
Out of the above, amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken	267	5775
Estimated value of such intangible securities	1230	2637

e) **Factoring exposures: NIL**

f) **Intra-group exposures**

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2022	31.03.2021
Total amount of intra-group exposures	1791.35	2684.43
Total amount of top-20 intra-group exposures	1791.35	2684.43
Percentage of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers / customers	0.17%	0.24%
Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any.	Nil	Nil

g) **Unhedged foreign currency exposure**

Reserve Bank of India vide its communication Number DBOD.No.BP.BC. 85 /21.06.200/2013-14 dated January 15 2014 advised the Bank to provide incremental provision and capital with regard to bank's exposure to entities with unhedged foreign currency exposures. Accordingly, for the financial year 2021-22 bank is holding a provision of ₹31.32 crore (previous year ₹31.32 crore) towards unhedged foreign currency exposure. Further Bank is also holding a capital of ₹53.89 crore (previous year ₹114.24 crore) as on 31.03.2022 towards the risk on unhedged foreign currency exposure.

अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र के संबंध में मुद्रा प्रेरित ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियां

विदेशी मुद्रा जोखिम वाले उधारकर्ता संस्थाओं के संबंध में, बैंक अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएफसीई), ब्याज और मूल्यह्रास (ईबीआईडी) से पहले वार्षिक आय; वार्षिकीकृत अस्थिरता का उपयोग करके यूएसडी – आईएनआर विनिमय दर में परिवर्तन के मामले में अपेक्षित नुकसान की गणना कर रहा है। विनिमय दर परिवर्तन के कारण अपेक्षित नुकसान को ईबीआईडी के प्रतिशत यानि अनुमानित हानि / ईबीआईडी प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है । एक विवेकपूर्ण उपाय के रूप में बैंक, वृद्धिशील पूंजी धारण कर रहा है और निर्दिष्ट दरों पर ऐसी संस्थाओं को कुल ऋण जोखिम पर वृद्धिशील प्रावधान (मौजूदा मानक संपत्ति के प्रावधान के अतिरिक्त) बना रहा है।

6. जमाराशि, अग्रिम, ऋण जोखिमों (एक्सपोजर) व अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण

ए) जमाराशियों का संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
बीस सर्वाधिक बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा राशि	103611.09	97223.95
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	9.54%	9.62%

बी) अग्रिमों का संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
बीस सर्वाधिक बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	127199.96	100042.28
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सर्वाधिक बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	11.94%	9.88%

Policies to manage currency induced credit risk with regard to Unhedged Foreign Currency Exposure

In respect of borrower entities having foreign currency exposure, Bank is computing Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE); Annual Earnings before interest and Depreciation (EBID); expected loss in case of movement in USD-INR exchange rate using annualized volatilities. Expected loss on account of exchange rate movements is expressed as a percentage of EBID i.e likely loss/EBID percentage. As a prudential measure Bank is holding incremental capital and made incremental provisioning (over and above the extant standard assets provisioning) on the total credit exposure to such entities at the specified rates.

6. Concentration of deposits, advances, exposures and NPAs

a) Concentration of Deposits

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2022	31.03.2021
Total deposits of the twenty largest depositors	103611.09	97223.95
Percentage of deposits of twenty largest depositors to total deposits of the bank	9.54%	9.62%

b) Concentration of Advances

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2022	31.03.2021
Total advances to the twenty largest borrowers	127199.96	100042.28
Percentage of advances to twenty largest borrowers to total advances of the bank	11.94%	9.88%

सी) एक्सपोज़र का संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
बीस सर्वाधिक बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों के कुल ऋण राशि एक्सपोज़र	127855.74	102662.00
बैंक के कुल एक्सपोज़र में से बीस सर्वाधिक बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों के एक्सपोज़र का प्रतिशत	11.46%	9.56%

डी) एनपीए का संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
शीर्ष बीस एनपीए खातों में कुल एक्सपोजर	16261	15973
कुल सकल एनपीए में बीस सबसे बड़े एनपीए एक्सपोजर के एक्सपोजर का प्रतिशत।	29.22%	26.49%

c) Concentration of Exposures

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2022	31.03.2021
Total exposure to the twenty largest borrowers/customers	127855.74	102662.00
Percentage of exposures to the twenty largest borrowers / customers to the total exposure of the bank on borrowers / customers	11.46%	9.56%

d) Concentration of NPAs

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2022	31.03.2021
Total Exposure to the top twenty NPA accounts	16261	15973
Percentage of exposures to the twenty largest NPA exposure to total Gross NPAs.	29.22%	26.49%

7. व्युत्पन्नी

ए) वायदा दर करार / ब्याज दर विनिमय

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2022	31.03.2021
i.	विनिमय करार का कल्पित मूलधन	8979.25	8711.00
ii.	करार के तहत बाध्यता को प्रति पक्ष द्वारा पूरा नहीं किये जाने पर होनेवाली क्षति	56.60	153.80
iii.	विनिमय में प्रवेश पर बैंक द्वारा संपार्श्विक की आवश्यकता	-	-
iv.	विनिमय से होनेवाली साख जोखिम का संकेंद्रण	-	-
v.	विनिमय बही का उचित मूल्य	56.60	153.80

7 Derivatives:

a) Forward rate agreement / Interest rate swap

(₹ in Crore)

	Particulars	31.03.2022	31.03.2021
i.	The notional principal of swap agreements	8979.25	8711.00
ii.	Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfil their obligations under the agreements	56.60	153.80
iii.	Collateral required by the bank upon entering into swaps	-	-
iv.	Concentration of credit risk arising from the swaps	-	-
v.	The fair value of the swap book	56.60	153.80

बी) विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव) (₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2022	31.03.2021
i.	वर्ष के दौरान लिये गये विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्नी के कल्पित मूलधन की राशि (लिखत–वार)	-	-
ii.	यथा 31 मार्च ... को विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्नी बकाया की कल्पित मूलधन राशि (लिखत–वार)	-	-
iii.	विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न बकाया की कल्पित मूलधन राशि तथा "ज्यादा प्रभावी" नहीं (लिखत–वार)	-	-
iv.	विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न बकाया का दैनिक बाज़ार मूल्य तथा "ज्यादा प्रभावी" नहीं (लिखत–वार)	-	-

b) Exchange traded interest rate derivatives (₹ in Crore)

	Particulars	31.03.2022	31.03.2021
i.	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument wise)	-	-
ii.	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March .....(instrument wise)	-	-
iii.	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)	-	-
iv.	Mark to market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)	-	-

सी) व्युत्पन्नी में जोखिम सीमा संबंधी प्रकटीकरण

I) गुणात्मक प्रकटीकरण

बचाव व्यवस्था / व्यापार के लिए व्युत्पन्नी लिखतों के उपयोग के संबंध में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित साख जोखिम प्रबंधन नीति स्थापित है।

क) बैंक के निवेश पोर्टफोलियो में निश्चित ब्याज दर, शून्य कूपन और फ्लोटिंग ब्याज दरों जैसी विशेषताओं के साथ संपत्ति होती है और ब्याज दर जोखिम के अधीन होती है। बैंक ने टीयर I और टीयर II बॉन्ड भी जारी किए हैं और यह पूंजीगत लागत बिना किसी निकास विकल्प के नियत दर पर है। पॉलिसी, इस देयता पर ब्याज दर जोखिम का बचाव करने की अनुमति देती है।

बैंक को वायदा दर करार (एफआरए) और ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) का उपयोग करने की अनुमति है और केवल सादा लेनदेन की अनुमति है। इन उपकरणों का उपयोग न केवल निवेश पोर्टफोलियो में ब्याज दर के जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है, बल्कि बाज़ार निर्माण के लिए भी किया जाता है।

वर्ष के दौरान बैंक ने निवेश पोर्टफोलियो के तहत आईआरएस में व्युत्पन्न ट्रेड नहीं किए हैं।

c) Disclosures on risk exposure in derivatives

I) Qualitative disclosures

The Credit Risk Management Policy, approved by the Board of Directors, on the use of derivative instruments to hedge /trade is in place.

a) The Investment Portfolio of the Bank consists of assets with characteristics such as fixed interest rate, zero coupon and floating interest rates and is subject to interest rate risk. The Bank also has issued Tier I & Tier II bonds and this capital cost is at fixed rate with no exit option. The policy permits hedging the interest rate risk on this liability as well.

The Bank is permitted to use Forward Rate Agreement (FRA) and Interest Rate Swap (IRS) and only plain vanilla transactions are permitted. These instruments are used not only for hedging the interest rate risk in the investment portfolio but also for market making.

During the year the Bank has not undertaken derivative trades in IRS under the Investment Portfolio.

वर्ष के दौरान खरीद–बिक्री स्वैप (स्वामित्व) किए गए थे। वर्ष के दौरान कोई एफआरए नहीं लिया गया।

बैंक की विदेशी मुद्रा देनदारियों को कम करने के उद्देश्य से, आईआरएस और एफआरए जैसे व्युत्पन्नी ट्रेडों का उपयोग किया गया है। बैक टू बैक आधार पर ग्राहकों की ओर से विकल्प और स्वैप भी किए जाते हैं।

ख) बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीतियां और प्रमुख नियंत्रण सीमाएं जैसे स्टॉप लॉस सीमाएं, प्रतिपक्ष जोखिम सीमाएं, पी वी 01, आदि स्थापित हैं। इन जोखिम सीमाओं की नियमित रूप से निगरानी और समीक्षा की जाती है। जोखिम प्रबंधन समिति को प्रबंध सूचना प्रणाली / रिपोर्ट आवधिक रूप से प्रस्तुत की जाती है। अंतर्निहित आस्ति / देयता के संबंध में बकाया व्युत्पन्नी सौदों की बचाव व्यवस्था की प्रभावशीलता की निगरानी पाक्षिक आधार पर की जाती है।

ग) लेखांकन नीति

बचाव की स्थिति

- ब्याज व्यय / आईआरएस पर आय के कारण उपचय को आय / व्यय के रूप में लेखांकित व मान्य किया जाएगा।
- बकाया व्युत्पन्नी कार्य की निगरानी अदला–बदली और अंतर्निहित आस्ति / देयता के उचित मूल्य के संबंध में बचाव व्यवस्था व्यवहारों के द्वारा की जाती है। अंतर्निहित आस्ति / देयता के उचित मूल्य की गणना के लिए बैंक ने प्रासंगिक आईएनबीएमके उपज+स्प्रेड का उपयोग किया है। अगर बचाव प्रभावकारी नहीं होता है तो बचाव अदला–बदली को ट्रेडिंग अदला–बदली के रूप में लिया जाता है । यदि परिपक्वता से पूर्व स्वैप को समाप्त कर दिया जाता है तो उस तारीख तक एम टी एम हानि / लाभ और उपचयों का ब्याज दर स्वैप (आई आर एस) पर भुगतान की गई / प्राप्त ब्याज के तहत लेखांकन किया जाता है।

ट्रेडिंग की स्थिति

- सामान्य अंतरालों में टेडिंग स्वैप को बाज़ार पर अंकित किया जाता है और आय विवरणों में परिवर्तनों को रिकार्ड किया जाता है।
- ब्याज व्यय का उपचय / ब्याज दर स्वैप (आई आर एस) पर आय को लेखांकित किया जाता है और व्यय / आय के रूप में और माना जाता है।
- स्वैप की समाप्ति पर लाभ या हानि को उक्त शीर्षक के तहत तत्काल आय या व्यय के रूप में रिकार्ड किया जाता है।

Buy-Sell Swaps (Proprietary) were undertaken during the year. No FRAs were under taken during the year.

The Bank has been undertaking derivatives trades like IRS and FRAs, for the purpose of hedging the Bank's Foreign Currency liabilities. Options and swaps are also undertaken on behalf of clients on back to back basis.

b) The risk management policies and major control limits like stop loss limits, counterparty exposure limits, PV01, etc. approved by the Board of Directors are in place. These risk limits are monitored and reviewed regularly. MIS/Reports are submitted periodically to Risk Management Committee. The hedge effectiveness of the outstanding derivative deals are monitored in relation to the underlying asset/liability on fortnightly basis.

c) Accounting Policy

Hedge Positions

- Accrual on account of interest expenses/ income on the IRS are accounted and recognized as income / expense.
- Hedge effectiveness of the outstanding derivative deals are monitored in relation to the fair value of the swap and underlying asset/liability. The Bank has used the relevant INBMK yield + Spread as declared by FIMMDA for arriving at the fair value of the underlying Asset / Liability. If the hedge is not effective, hedge swaps is accounted as trading swaps. If swap is terminated before maturity, the MTM loss / gain and accruals till such date are accounted as income / expense under Interest Paid / received on IRS.

Trading Positions

- Trading swaps are marked to market at frequent intervals and changes are recorded in the income statements.
- Accrual on account of interest expenses/ income on the IRS are accounted and recognized as income / expense.
- Gains or losses on termination of swaps are recorded as immediate income or expenses under the above head.

II परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2022		31.03.2021	
		मुद्रा डेरिवेटिव	ब्याज दर डेरिवेटिव	मुद्रा डेरिवेटिव	ब्याज दर डेरिवेटिव
a)	व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव) (कल्पित मूलधन राशि)				
i)	बचाव व्यवस्था के लिए	58.44	8979.25#	171.94	8711.00#
ii)	ट्रेंडिंग के लिए	7316.00	शून्य	7062.10*	शून्य
b)	बाजार स्थितियों को अंकित				
i)	आस्ति(+)	शून्य	शून्य	6.82	शून्य
ii)	देयता (–)	1.18	शून्य	शून्य	शून्य
c)	ऋण जोखिम	शून्य	75.79	शून्य	73.11
d)	**ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव [100*पीवी01]**				
i)	बचाव व्यवस्था व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव) पर	शून्य	0.57	शून्य	1.53
ii)	ट्रेडिंग व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव) पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
e)	**वर्ष के दौरान पाए गए अधिकतम व न्यूनतम 00*पीवी01**				
i)	बचाव व्यवस्था पर	शून्य	0.57	शून्य	1.53
ii)	ट्रेडिंग पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

*एनएसई, बीएसई और एमसीएक्स में बकाया मुद्रा फ्युचर्स
#केवल बचाव व्यवस्था उद्देश्य के लिए ओवरनाईट इंडेक्स स्वैप (ओआईएस) की बकाया राशि ₹1400 करोड़।

डी) ऋण डिफॉल्ट स्वैप: शून्य

II Quantitative Disclosure

(₹ in Crore)

Sl No	Particulars	31.03.2022		31.03.2021	
		Currency Derivatives	Interest rate derivatives	Currency Derivatives	Interest rate derivatives
a)	**Derivatives (Notional principal amount)**				
i)	For hedging	58.44	8979.25#	171.94	8711.00#
ii)	For trading	7316.00	NIL	7062.10*	NIL
b)	Marked to Market Positions				
i)	Asset (+)	NIL	NIL	6.82	NIL
ii)	Liability (-)	1.18	NIL	NIL	NIL
c)	Credit Exposure	NIL	75.79	NIL	73.11
d)	**Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)**				
i)	On hedging derivatives	NIL	0.57	NIL	1.53
ii)	On trading derivatives	NIL	NIL	NIL	NIL
e)	**Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year**				
i)	On hedging	NIL	0.57	NIL	1.53
ii)	On trading	NIL	NIL	NIL	NIL

*Currency Futures outstanding in NSE, BSE and MCX
#Outstanding amount of overnight index swap (OIS) ₹1400 Cr for hedging purpose only.

d) Credit default swaps : NIL

8) **प्रतिभूतीकरण से संबंधित प्रकटन** (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मद			31.03.2022	31.03.2021
1.	प्रवर्तक द्वारा उत्पन्न प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए आस्ति रखने वाले एसपीई की संख्या (केवल बकाया प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर से संबंधित एसपीवी यहां रिपोर्ट की जानी है)			शून्य	शून्य
2.	एस पी ई की बहियों के अनुसार प्रतिभूतीकृत आस्तियों की कुल राशि				
3.	यथा तुलन पत्र की तारीख को एम आर आर के अनुपालनार्थ प्रवर्तक द्वारा प्रतिधारित एक्सपोजर की कुल राशि				
	a)	तुलन पत्र में शामिल न होनेवाले एक्सपोजर			
		प्रथम हानि			
		अन्य			
	b)	तुलन पत्र में शामिल होनेवाले एक्सपोजर			
		प्रथम हानि			
		अन्य			
4.	एमआरआर के अलावा प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए एक्सपोजर की राशि				
	a)	तुलन पत्र में शामिल न होनेवाले एक्सपोजर			
		i)	निजी प्रतिभूतीकरण के प्रति एक्सपोजर		
			प्रथम हानि		
			अन्य		
		ii)	तीसरे पक्ष प्रतिभूतीकरण के प्रति एक्सपोजर		
			प्रथम हानि		
			अन्य		
	b)	तुलन पत्र में शामिल होनेवाले एक्सपोजर			
		i)	निजी प्रतिभूतीकरण के प्रति एक्सपोजर		
			प्रथम हानि		
			अन्य		
		ii)	तीसरे पक्ष प्रतिभूतीकरण के प्रति एक्सपोजर		
			प्रथम हानि		
			अन्य		
5.	प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए प्राप्त बिक्री प्रतिफल और प्रतिभूतिकरण के कारण बिक्री पर लाभ/हानि				
6.	चलनिधि समर्थन, प्रतिभूतिकरण के बाद परिसंपत्ति सर्विसिंग, आदि के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं का फॉर्म और मात्रा (बकाया मूल्य)।				
7.	प्रदान की गई सुविधा का निष्पादन। कृपया प्रत्येक सुविधा अर्थात ऋण वृद्धि, चलनिधि समर्थन, सर्विसिंग एजेंट आदि के लिए अलग से प्रदान करें। प्रदान की गई सुविधा के कुल मूल्य के अनुसार कोष्ठक में प्रतिशत का उल्लेख करें।				
	ए)	भुगतान की गई राशि			
	बी)	प्राप्त चुकौती			
	सी)	बकाया राशि			
8.	पूर्व में, पाई गई पोर्टफोलियो की औसत डिफ़ॉल्ट दर कृपया प्रत्येक परिसंपत्ति वर्ग अर्थात् आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से विवरण प्रदान करें।				
9.	समान अंतर्निहित परिसंपत्ति पर दिए गए अतिरिक्त/टॉप अप ऋण की राशि और संख्या। कृपया प्रत्येक परिसंपत्ति वर्ग अर्थात् आरएमबीएस, वाहन ऋण, आदि के लिए अलग से विवरण प्रदान करें ।				
10.	निवेशकों की शिकायतें				
	ए)	प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त और;			
	बी)	बकाया शिकायतें			

8. Disclosure relating to Securitisation: (₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	31.03.2022	31.03.2021
1.	No. of SPEs holding assets for securitization transactions originated by the originator (only the SPVs relating to outstanding securitization exposures to be reported here)	NIL	NIL
2.	Total amount of securitised assets as per books of the SPEs		
3.	Total amount of exposures retained by the originator to comply with MRR as on the date of balance sheet		
	a) Off-balance sheet exposures		
	First loss		
	Others		
	b) On-balance sheet exposures		
	First loss		
	Others		
4.	Amount of exposures to securitization transactions other than MRR		
	a) Off-balance sheet exposures		
	i) Exposure to own securitizations		
	First loss		
	Others		
	ii) Exposure to third party securitizations		
	First loss		
	Others		
	b) On-balance sheet exposures		
	i) Exposure to own securitizations		
	First loss		
	Others		
	ii) Exposure to third party securitizations		
	First loss		
	Others		
5.	Sale consideration received for the securitised assets and gain / loss on sale on account of securitization		
6.	Form and quantum (outstanding value) of services provided by way of, liquidity support, post-securitisation asset servicing, etc.		
7.	Performance of facility provided. Please provide separately for each facility viz. Credit enhancement, liquidity support, servicing agent etc. Mention percent in bracket as of total value of facility provided.		
	a) Amount paid		
	b) Repayment received		
	c) Outstanding amount		
8.	Average default rate of portfolios observed in the past. Please provide break-up separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans etc		
9.	Amount and number of additional/top up loan given on same underlying asset. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans, etc.		
10.	Investor complaints		
	a) Directly/Indirectly received and;		
	b) Complaints outstanding		

9. तुलनपत्रेतर प्रायोजित एसपीवी (जिन्हें लेखांकन मानदंडों के अनुसार समेकित किया जाना आवश्यक है)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
घरेलू	विदेशी
-	-

10. जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष (डीईए कोष) में अंतरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मद	31.03.2022	31.03.2021
i)	डीईए निधि में अंतरित राशि का प्रारंभिक शेष	3308.78	1886.53
	जोड़ें: ई–सिंडिकेट बैंक के विलय के कारण जोड़	-	991.43
ii)	जोड़ें: वर्ष के दौरान डीईए निधि में अंतरित राशियां	539.95	462.94
iii)	घटाएं: दावों के प्रति डीईए निधि द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशियां	37.99	32.12
iv)	डीईए निधि में अंतरित राशि का अंतिम शेष	3810.74	3308.78

9. Off balance sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPVs Sponsored	
Domestic	Overseas
-	-

10. Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEA Fund)

(₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	31.03.2022	31.03.2021
i)	Opening balance of amounts transferred to DEA Fund	3308.78	1886.53
	Add: Addition on account of Merger of e-Syndicate Bank	-	991.43
ii)	Add: Amounts transferred to DEA Fund during the year	539.95	462.94
iii)	Less: Amounts reimbursed by DEA Fund towards claims	37.99	32.12
iv)	Closing balance of amounts transferred to DEA Fund	3810.74	3308.78

11. शिकायतों का प्रकटीकरण

ए) बैंकों को ग्राहकों और लोकपाल(ओम्बड्समन) के कार्यालयों से प्राप्त शिकायतों पर संक्षिप्त जानकारी:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.		मद	31.03.2021	31.03.2022
	बैंकों को ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें			
1.		वर्ष के शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	3584	2475
2.		वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	102481	210100
3.		वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	103590	210725*
	3.1	जिनमें से, बैंक द्वारा अस्वीकार की गई शिकायतों की संख्या	0	0
4.		वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	2475	1850
	लोकपाल के कार्यालयों से बैंक को प्राप्त अनुरक्षणीय शिकायतें			
5.		लोकपाल के कार्यालयों से बैंक को प्राप्त अनुरक्षणीय शिकायतों की संख्या	8033	9971
	5.1	5 में से, लोकपाल के कार्यालयों से बैंक के पक्ष में हल की गई शिकायतों की संख्या	8845**	9785***
	5.2	5 में से, सुलह / मध्यस्थता / लोकपाल के कार्यालयों से जारी की गई सलाह के माध्यम से हल की गई शिकायतों की संख्या	440	427
	5.3	5 में से, बैंक के खिलाफ लोकपाल के कार्यालयों से अधिनिर्णय जारी करने के बाद हल की गई शिकायतों की संख्या	0	0
6.		निर्धारित समय के भीतर लागू नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या (अपील किए गए अधिनिर्णित मामलों के अलावा)	0	0

*वित्त वर्ष 2020–21 के अंत तक लंबित 11 शिकायतों को वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान पूरी तरह से हल/निपटान कर दिया गया है।
** इसमें 2019–20 से आगे लाई गई 1732 शिकायतें शामिल हैं।
***इसमें 2020–21 से आगे लाई गई 480 शिकायतें शामिल हैं।

11. Disclosure of complaints

a) Summary information on complaints received by the bank from customers and from the Offices of Ombudsman

(₹ in Crore)

Sr. No.		Particulars	31.03.2021	31.03.2022
	Complaints received by the banks from its customers			
1.		Number of complaints pending at beginning of the year	3584	2475
2.		Number of complaints received during the year	102481	210100
3.		Number of complaints disposed during the year	103590	210725*
	3.1	Of which, number of complaints rejected by the bank	0	0
4.		Number of complaints pending at the end of the year	2475	1850
	Maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman			
5.		Number of maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman	8033	9971
	5.1	Of 5, number of complaints resolved in favour of the bank by Office of Ombudsman	8845**	9785***
	5.2	Of 5, number of complaints resolved through conciliation/ mediation/advisories issued by Office of Ombudsman	440	427
	5.3	Of 5, number of complaints resolved after passing of Awards by Office of Ombudsman against the bank	0	0
6.		Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)	0	0

*11 Complaints pending as on FY end 2020-21 have been resolved completely during FY 2021-22.
** includes 1732 complaints brought forward from 2019-20.
***includes 480 complaints brought forward from 2020-21.

बी) ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के शीर्ष पांच आधार

शिकायतों का आधार (यानी जिनसे शिकायतें संबंधित हैं)	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में % वृद्धि/कमी	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	5 में से 30 दिनों से अधिक समय के लिए लंबित शकायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6
वित्त वर्ष 2021-22					
एटीएम डेबिट कार्ड	692	63792	68.83	514	0
खाता खोलना / खातों के परिचालन में कठिनाई	430	42203	137.47	306	0
इंटरनेट / मोबाइल / इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	275	30260	49.06	424	0
शाखा में आने वाले ग्राहकों के लिए सुविधाएं / शाखा द्वारा निर्धारित कार्य घंटों का पालन	115	10513	163.88	70	0
क्रेडिट कार्ड	29	7108	993.53	89	0
अन्य	934	56224	215.94	447	13
कुल	**2475**	**210100**	**105.01**	**1850**	**13**
वित्त वर्ष 2020-21					
एटीएम डेबिट कार्ड	757	37785	(59.23)	692	42
इंटरनेट /मोबाइल / इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	477	20300	44.81	275	31
खाता खोलना/खातों के परिचालन में कठिनाई	271	17772	140.39	430	102
ऋण व अग्रिम	283	4844	25.65	140	10
शाखा में आने वाले ग्राहकों के लिए सुविधाएं/ शाखा द्वारा निर्धारित कार्य घंटों का पालन	145	3984	30.84	115	19
अन्य	1651	17796	7.18	823	0
कुल	**3584**	**102481**	**(25.51)**	**2475**	**204**

b) Top five grounds of complaints received by the bank from customers

Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)	Number of complaints pending at the beginning of the year	Number of complaints received during the year	% increase / decrease in the number of complaints received over the previous year	Number of complaints pending at the end of the year	Of 5, number of complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
FY 2021-22					
ATM Debit Card	692	63792	68.83	514	0
Account Opening / Difficulty in operation of accounts	430	42203	137.47	306	0
Internet / Mobile / Electronic Banking	275	30260	49.06	424	0
Facilities for customers visiting the branch / adherence to prescribed working hours by the branch	115	10513	163.88	70	0
Credit Cards	29	7108	993.53	89	0
Others	934	56224	215.94	447	13
Total	**2475**	**210100**	**105.01**	**1850**	**13**
FY 2020-21					
ATM Debit Card	757	37785	(59.23)	692	42
Internet / Mobile / Electronic Banking	477	20300	44.81	275	31
Account Opening / Difficulty in operation of accounts	271	17772	140.39	430	102
Loans and Advances	283	4844	25.65	140	10
Facilities for customers visiting the branch / adherence to prescribed working hours by the branch	145	3984	30.84	115	19
Others	1651	17796	7.18	823	0
Total	**3584**	**102481**	**(25.51)**	**2475**	**204**

12. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एसजीएल बाउंसिंग के सिलसिले में प्रथम दृष्टांत के रूप में केनरा बैंक पर ₹5,00,000.00 (रुपये पांच लाख मात्र) का दंड लगाया है।

01.04.2021 से 31.03.2022 तक की अवधि के दौरान, हमारे बैंक पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) और भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है।

12. Disclosure of penalties imposed by the Reserve Bank of India

Reserve Bank of India has imposed a penalty of ₹5,00,000.00 (Rupees Five Lakhs only) on Canara Bank as a first instance of SGL bouncing.

No penalties have been imposed on our bank by RBI under section 46(4) of Banking Regulation Act, 1949 and Payment and Settlement Systems Act, 2007 during the period 01.04.2021 to 31.03.2022.

13. पारिश्रमिक पर प्रकटीकरण

(राशि ₹ में)

नाम	पदनाम	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2020-21
श्री एल वी प्रभाकर	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	36,89,417.00	32,64,338.43
श्री देवाशीष मुखर्जी	कार्यपालक निदेशक	33,46,777.00	29,72,568.02
सुश्री ए मणिमेखलै	कार्यपालक निदेशक	32,50,311.00	28,87,313.51
श्री के सत्यनारायण राजू	कार्यपालक निदेशक	29,97,945.63	1,59,348.13
श्री बृज मोहन शर्मा	कार्यपालक निदेशक (19.05.2021 से)	27,17,759.37	-
श्री मटम वेंकट राव	कार्यपालक निदेशक (28.02.2021 तक)	1,03,422.87	27,72,411.94
श्री कृष्णन एस	कार्यपालक निदेशक (01.04.2020 से 03.09.2020 तक)	48,305.29	13,08,612.34
कुल		**1,61,53,938.16**	**1,33,64,592.37**

13. Disclosures on remuneration

(Amount in ₹)

Name	Designation	FY 2021-22	FY 2020-21
Shri L V Prabhakar	Managing Director & Chief Executive Officer	36,89,417.00	32,64,338.43
Shri Debashish Mukherjee	Executive Director	33,46,777.00	29,72,568.02
Ms. A Manimekhalai	Executive Director	32,50,311.00	28,87,313.51
Shri K Satyanarayana Raju	Executive Director	29,97,945.63	1,59,348.13
Shri Brij Mohan Sharma	Executive Director (From 19.05.2021)	27,17,759.37	-
Shri Matam Venkata Rao	Executive Director (Till 28.02.2021)	1,03,422.87	27,72,411.94
Shri Krishnan S	Executive Director (From 01.04.2020 to 03.09.2020)	48,305.29	13,08,612.34
Total		**1,61,53,938.16**	**1,33,64,592.37**

14. अन्य प्रकटन

ए) व्यवसाय अनुपात

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2022	31.03.2021
i.	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय (%)	5.82	6.27
ii.	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर–ब्याज आय (%)	1.38	1.35
iii.	जमा की लागत (%)	3.95	4.52
iv.	निवल ब्याज मार्जिन (%)	2.82	2.76
v.	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ (%)	1.94	1.78
vi.	परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ (%)	0.48	0.23
vii.	प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा और अग्रिम) [₹ करोड़ में]	19.91	18.14
viii.	प्रति कर्मचारी लाभ [₹ करोड़ में]	0.07	0.03

बी) बैंकएश्योरेंस व्यवसाय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2022	31.03.2021
1	जीवन बीमा पॉलसियों के विक्रय हेतु	249.27	187.91
2	गैर–जीवन बीमा पॉलसियों के विक्रय हेतु	72.34	63.82
3	म्यूचुअल फंड उत्पादों के विक्रय हेतु	34.47	30.43
4	अन्य (स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी)	0	--
5	पीएमजेजेबीवाई	14.02	18.20
6	पीएमएसबीवाई	2.36	3.06
7	अन्य (ई–सिंडिकेट नवीकरण)	4.21	0.98
	कुल	**376.67**	**304.40**

14. Other Disclosures

a) Business ratios

(₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	31.03.2022	31.03.2021
i.	Interest income as a percentage to Working Funds (%)	5.82	6.27
ii.	Non-interest income as a percentage to Working Funds (%)	1.38	1.35
iii.	Cost of Deposits (%)	3.95	4.52
iv.	Net Interest Margin (%)	2.82	2.76
v.	Operating Profit as a percentage to Working Funds (%)	1.94	1.78
vi.	Return on Assets (%)	0.48	0.23
vii.	Business (Deposits plus Advances) per employee [in ₹ crore]	19.91	18.14
viii.	Profit per employee [in ₹ crore]	0.07	0.03

b) Bancassurance business

(₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	31.03.2022	31.03.2021
1	For selling Life Insurance Policies	249.27	187.91
2	For selling Non-Life Insurance Policies	72.34	63.82
3	For selling Mutual Funds Products	34.47	30.43
4	Other (Health Insurance Policies)	0	--
5	PMJJBY	14.02	18.20
6	PMSBY	2.36	3.06
7	Others (e-Syndicate Renewal)	4.21	0.98
	TOTAL	**376.67**	**304.40**

सी) विपणन व संवितरण

31.03.2022	31.03.2021
शून्य	शून्य

c) Marketing and distribution:

31.03.2022	31.03.2021
Nil	Nil

डी) प्राथमिकता–प्राप्त क्षेत्र संबंधी उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) के संबंध में प्रकटीकरण

i) बेचे गए पीएसएलसी

पीएसएलसी श्रेणी	तिमाही	बेचे गए यूनिट*	बेची गई राशि (₹ करोड़ में)	अर्जित कमीशन
पीएसएलसी – छोटे एवं सीमांत किसान	जून–2021	120000	30000	698.73
	सितंबर–2021	40000	10000	210.97
	दिसंबर–2021	शून्य		
	मार्च–2022	शून्य		
कुल (वित्त वर्ष 2021–22 यथा मार्च 22)		**160000**	**40000**	**909.70**

- एक यूनिट = ₹25 लाख

ii) खरीदे गए पीएसएलसी:

जून–21, सितंबर–21, दिसंबर–21 और मार्च–22 तिमाहियों के दौरान सभी श्रेणियों के लिए खरीदे गए पीएसएलसी शून्य है।

d) Disclosures regarding Priority Sector Lending Certificates (PSLCs)

i) PSLC Sold

PSLC Category	Quarter	Units* Sold	Amount Sold (₹ in Crore)	Commission Earned
PSLC-Small & Marginal Farmers	June-2021	120000	30000	698.73
	Sep-2021	40000	10000	210.97
	Dec-2021	NIL		
	Mar-2022	NIL		
Total (FY 2021-22 as at Mar'22)		**160000**	**40000**	**909.70**

- One unit = ₹25 lakhs

ii) PSLC Purchased:

The PSLC purchased during June-21, Sept-21, Dec-21 and Mar-22 quarters is NIL for all categories.

ई) **प्रावधान और आकस्मिक व्यय**

6.1 वर्ष के दौरान किए गए प्रावधानों और आकस्मिक व्यय का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
निवेश और एनपीआई पर मूल्यह्रास के प्रति प्रावधान	978.69	106.86
अनर्जक आस्ति (एनपीए) के प्रति प्रावधान	9847.97	14167.96
मानक आस्ति के प्रति प्रावधान	(233.12)	0.42
कर के प्रति प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	3283.17	1149.64
उचित मूल्य में कमी के प्रति प्रावधान	449.64	(54.18)
संपत्ती की वसूली होने में संदेह के प्रति प्रावधान	25.73	75.00
देश जोखिम एक्पोजर के प्रति प्रावधान	13.08	19.24
एफआईटीएल व अन्य आकस्मिक व्यय के प्रति प्रावधान	3045.40	1666.45
कुल	**17410.56**	**17131.39**

एफ) **आईएफआरएस अभिसरित भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन**

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) को लागू करने की प्रक्रिया में है। सुचारू अभिसरण के लिए निरंतर आधार पर आवश्यक कदम उठाने के लिए कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में एक परियोजना स्थायी समिति का गठन किया गया है। आरबीआई ने अपने पत्र संदर्भ: डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.29/21.07.001/2018-19 दिनांक 22 मार्च, 2019 के तहत सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए इंड-एएस के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक के लिए आस्थगित किया गया है। बैंक, आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार सितंबर 2021 से शुरू होने वाली प्रत्येक छमाही के लिए आरबीआई को प्रो-फॉर्मा वित्तीय विवरण प्रस्तुत कर रहा है।

e) **Provisions and contingencies**

6.1 Details of Provisions and Contingencies made during the year:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2022	31.03.2021
Provision for Depreciation on Investment and NPI	978.69	106.86
Provision towards NPA	9847.97	14167.96
Provision towards Standard Asset	(233.12)	0.42
Provision for Tax (includes Deferred Tax)	3283.17	1149.64
Provision for Diminution in Fair Value	449.64	(54.18)
Provision for Asset Doubt of Recovery	25.73	75.00
Provision for Country Risk Exposure	13.08	19.24
Provision for FITL and other contingencies	3045.40	1666.45
TOTAL	**17410.56**	**17131.39**

f) **Implementation of IFRS converged Indian Accounting Standards**

As per RBI guidelines, the Bank is in the process of implementing the Indian Accounting Standards (Ind AS). A Project Steering Committee headed by Executive Director has been formed to take the required steps on a continuous basis for smooth convergence. RBI, vide its communication ref: DBR.BP.BC.No.29/21.07.001/2018-19 dated 22nd March, 2019 has deferred implementation of Ind AS for all Scheduled Commercial Banks till further notice. Bank is submitting Pro-Forma Financial Statements to RBI for every half year starting from September 2021 as per the guidelines of RBI.

जी) डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2022	31.03.2021
i)	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान	1329.58	1221.78
ii)	डीआईसीजीसी प्रीमियम के भुगतान में बकाया	शून्य	शून्य

एच) 11वें द्विपक्षीय समझौता और संयुक्त नोट दिनांक 11.11.2020 के अंतर्गत आने वाले बैंक के कर्मचारियों को देय पारिवारिक पेंशन में संशोधन के अनुसार, बैंक ने वर्षांत 31.03.2022 (क्यू 3 में) के दौरान लाभ और हानि लेखा में कुल ₹1354.90 करोड़ की अतिरिक्त देयता का प्रावधान किया है। इसे एक असाधारण मद के रूप में प्रकट किया गया है। परिवार पेंशन योजना के तुलन पत्र में कोई परिशोधित व्यय नहीं है।

15. **लेखांकन मानदंड**

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किये गए विविध लेखांकन मानदंडों के तहत प्रकटीकरण अपेक्षाओं के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गए दिशनिर्देशों के अनुपालन में, निम्नलिखित सूचना का प्रकटीकरण किया जाता है:

ए) लेखांकन मानदंड 5 – निर्दिष्ट अवधि के लिए निवल लाभ / हानि, पूर्वावधि मद और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

इसके पहले की अवधि की कोई मदें नहीं हैं ।

बी) लेखांकन मानदंड 11 - विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव

लिबोर(लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट) में परिवर्तन के कारण, भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) संदर्भ दर निर्धारण तंत्र में कुछ परिवर्तन हुए हैं। इसके कारण संदर्भ दर 30.06.2023 तक लिबोर के अनुरूप और साथ ही वैकल्पिक संदर्भ दरों (एआरआर) के अनुरूप प्रकाशित की जाएगी।

बैंक ने लिबोर से एआरआर में परिवर्तन प्रक्रिया के प्रभाव का आकलन किया है और बैंक द्वारा गठित स्थायी समिति ने आवधिक बैठकों में इस पर विचार–विमर्श किया है। निम्नलिखित प्रभाव का आकलन किया गया:

g) **Payment of DICGC Insurance Premium**

(₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	31.03.2022	31.03.2021
i)	Payment of DICGC Insurance Premium	1329.58	1221.78
ii)	Arrears in payment of DICGC premium	Nil	Nil

h) Pursuant to the revision in family pension payable to employees of the Bank covered under 11th Bi-Partite Settlement and Joint Note dated 11.11.2020, the Bank has provided for the entire additional liability of ₹1354.90 crore in the Profit and Loss account during the year ended 31.03.2022 (in Q3).The same has been disclosed as an exceptional item. There is no unamortised expenditure in the Balance Sheet on account of Family Pension Scheme.

15. **Accounting Standards**

In compliance with the guidelines issued by the RBI regarding disclosure requirements of the various Accounting Standards issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), the following information is disclosed:

a) Accounting Standard 5 - Net Profit/Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies:

There are no material prior period items.

b) Accounting Standard 11 - The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates

On account of LIBOR transition, the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) reference rates fixation mechanism has undergone certain changes. Due to this, the reference rate will be published in tune with LIBOR till 30.06.2023 and also in tune with Alternate reference rates (ARR).

Bank has assessed impact of transition process from LIBOR to ARR and steering committee formed by Bank deliberated the same in periodical meetings. Following impact was assessed:

- बैंक का विदेशी एक्सपोजर मुख्य रूप से यूएसडी लिबोर से जुड़ा हुआ था, जिसकी मौजूदा अनुबंध के लिए परिवर्तन की अंतिम तिथि 30.06.2023 तक है।
- बैंक की अधिकांश संपत्तियां और देनदारियां 30.06.2023 तक परिपक्व होने वाली हैं। तथापि, कुछेक एक्सपोजर 30.06.2023 से आगे परिपक्व हो रहे हैं, जिसके लिए बैंक ने संबंधित लिबोर संबद्ध अनुबंधों में परिवर्तन खंड (ट्रांजिशन क्लॉज) शामिल किया है।
- लिबोर और एआरआर के मूल्य अंतर के बावजूद कोई वित्तीय प्रभाव नहीं होगा क्योंकि ऋण समायोजन स्प्रेड (सीएएस) मूल्य अंतर के ज़रिए इसपर ध्यान रखा जाता है।
- अन्य मुद्राओं में सभी एक्सपोजर को पहले ही संबंधित एआरआर में अंतरित कर दिया गया है और पहले ही संबंधित एआरआर में अंतरित कर दिया गया है और यूरो, जीबीपी, सीएचएफ़ और जेपीवाई जैसी अन्य मुद्राओं में कोई भी लिबोर संबद्ध अनुबंध बकाया नहीं है।

सी) लेखांकन मानदंड 15 - कर्मचारी हितलाभ

उपदान, पेंशन तथा विशेषाधिकार छुट्टी देयताओं के वर्तमान मूल्य और बैंक के योगदान का निर्धारण करने के लिए विभिन्न मानकों को निर्धारित कर निम्नलिखित के लिए बीमांकिक अनुमान किये गए हैं:

- मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकांउन्टेंटस् ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी किये गए लेखांकन मानदंड 15 (संशोधित) के अन्य घटकों को ध्यान में रखते हुए वेतन में बढ़ोत्तरी की जाती है ।
- विगत वर्षों और प्रत्याशित भविष्य के अनुभव के संदर्भ में ह्रास(पलायन) दर और इसमें मृत्यु को छोड़कर अन्य सभी आहरण लेकिन विकलांगता के कारण हुए आहरण शामिल हैं।
- बीमारी अवकाश के लिए लेखा-बही में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान बनाए गए हैं ।

- Bank's overseas exposure was mainly linked to USD LIBOR, which has end date for transition for existing contract till 30.06.2023.
- Most of the Bank's assets and liabilities are due to mature by 30.06.2023. However, some of the exposure is maturing beyond 30.06.2023 for which Bank has incorporated transition clause in respective LIBOR linked contracts.
- There will be no financial impact even though LIBOR and ARR has price difference as Credit Adjustment Spread (CAS) will take care of pricing difference.
- All the exposure in other currencies has already been shifted to respective ARRs and no LIBOR linked contract is outstanding in other currencies such as EUR, GBP, CHF and JPY.

c) Accounting Standard 15 - Employee Benefits

The actuarial assumptions in respect of gratuity, pension and privilege leave, for determining the present value of obligations and contributions of the bank, have been made by fixing various parameters for:

- Salary escalation by taking into account inflation, seniority, promotion and other factors mentioned in Accounting Standard 15 (Revised) issued by ICAI.
- Attrition rate by reference to past experience and expected future experience and includes all types of withdrawals other than death but including those due to disability.
- Provision towards sick leave has been made in the books of account on the basis of Actuarial valuation.

मुख्य बीमांकिक अनुमान				
	मदें	उपदान	पेंशन	विशेषाधिकार छुट्टी
	रियायती दर	7.08%	6.86%	7.08%
	पूँजी पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	7.08%	6.86%	--
	वेतन में बढ़ोत्तरी	5.50%	5.50%	5.50%
	पेंशन में बढ़ोत्तरी	--	2.00%	--
	मृत्यु दर	आईएएलएम (2006–08) युएलटी	आईएएलएम (2006–08) युएलटी	आईएएलएम (2006–08) युएलटी

Principal Actuarial Assumptions				
	Particulars	Gratuity	Pension	Privilege Leave
	Discount Rate	7.08%	6.86%	7.08%
	Expected Return on Capital	7.08%	6.86%	--
	Salary Escalation	5.50%	5.50%	5.50%
	Pension Escalation	--	2.00%	--
	Mortality	IALM (2006-08) ULT	IALM (2006-08) ULT	IALM (2006-08) ULT

31 मार्च को समाप्त वर्ष के दौरान बाध्यताएं तथा आस्तियों में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

ए	परिभाषीकृत लाभ बाध्यता में परिवर्तन (डीबीओ)	उपदान		पेंशन		विशेषाधिकार छुट्टी	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021
1	वर्ष की शुरुआत में डी बी ओ	3031.74	1893.54	24538.14	14260.48	2366.95	1264.25
	जोडें– अधिग्रहण का समायोजन	-	1107.78	-	9153.78	-	660.59
2	सेवा लागत	222.69	221.35	2250.15	2608.7	481.81	491.83
3	ब्याज लागत	201.75	176.03	1578.80	1446.21	152.39	124.06
4	विगत सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
5	बीमांकिक हानियाँ / (लाभ)	(254.17)	473.52	944.44	(194.43)	(253.22)	37.62
6	लाभ भुगतान	(364.21)	(840.48)	(3047.03)	(2736.60)	(429.17)	(211.40)
7	वर्ष के अंत में डीबीओ	2837.80	3031.74	26264.50	24538.14	2318.76	2366.95

(₹ करोड़ में)

बी.	आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन	उपदान		पेंशन		विशेषाधिकार छुट्टी	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021
1	वर्ष की शुरुआत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	3266.58	1902.67	23884.66	14043.60	--	--
	जोडें– अधिग्रहण का समायोजन	-	50.12	-	8073.40	--	--
2	योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	231.27	133.18	1638.49	1450.87	--	--
3	वास्तविक कर्मचारी अंशदान	641.08	1493.22	3452.10	3071.63	--	--
4	बीमांकिक लाभ / (हानि)	(231.27)	527.87	(118.39)	(18.24)	--	--
5	लाभ भुगतान	(364.21)	(840.48)	(3047.03)	(2736.60)	--	--
6	वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	3543.45	3266.58	25809.83	23884.66	--	--

Change in obligation and assets over the year ended 31st March

(₹ in Crore)

A	Changes in Defined Benefit Obligation (DBO)	Gratuity		Pension		Privilege Leave	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021
1	DBO at beginning of the year	3031.74	1893.54	24538.14	14260.48	2366.95	1264.25
	Add- Acquisition Adjustment	-	1107.78	-	9153.78	-	660.59
2	Service Cost	222.69	221.35	2250.15	2608.7	481.81	491.83
3	Interest Cost	201.75	176.03	1578.80	1446.21	152.39	124.06
4	Past Service Cost	-	-	-	-	-	-
5	Actuarial Gains / (Loss)	(254.17)	473.52	944.44	(194.43)	(253.22)	37.62
6	Benefit Payments	(364.21)	(840.48)	(3047.03)	(2736.60)	(429.17)	(211.40)
7	DBO at end of the year	2837.80	3031.74	26264.50	24538.14	2318.76	2366.95

(₹ in Crore)

B	Changes in Fair Value of Assets	Gratuity		Pension		Privilege Leave	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021
1	Fair Value of Plan Assets at beginning of the year	3266.58	1902.67	23884.66	14043.60	--	--
	Add- Acquisition Adjustment	-	50.12	-	8073.40	--	--
2	Expected Return on plan assets	231.27	133.18	1638.49	1450.87	--	--
3	Actual Employee contributions	641.08	1493.22	3452.10	3071.63	--	--
4	Actuarial Gain / (Loss)	(231.27)	527.87	(118.39)	(18.24)	--	--
5	Benefits payments	(364.21)	(840.48)	(3047.03)	(2736.60)	--	--
6	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	3543.45	3266.58	25809.83	23884.66	--	--

31 मार्च को तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल परिसंपत्ति / देयता (₹ करोड़ में)

		उपदान		पेंशन		विशेषाधिकार छुट्टी	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021
1	परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	2837.80	3031.74	26264.50	24538.14	--	--
2	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	3543.45	3266.58	25809.83	23884.66	--	--
3	वित्त पोषित स्थिति [अधिशेष / (घाटा)]	705.65	234.84	(454.67)	(653.48)	--	--
4	तुलन–पत्र में शामिल की गई निवल आस्ति / (देयता)	**705.65**	**234.84**	**(454.67)**	**(653.48)**	**--**	**--**

Net Asset / Liability Recognized in the Balance Sheet as at 31st March (₹ in Crore)

		Gratuity		Pension		Privilege Leave	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021
1	Present value of Defined Benefit Obligation	2837.80	3031.74	26264.50	24538.14	--	--
2	Fair Value of Plan Assets	3543.45	3266.58	25809.83	23884.66	--	--
3	Funded Status [Surplus / (Deficit)]	705.65	234.84	(454.67)	(653.48)	--	--
4	Net Asset / (Liability) recognized in the Balance Sheet	**705.65**	**234.84**	**(454.67)**	**(653.48)**	**--**	**--**

31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए नियोक्ता व्यय का प्रकटन (₹ करोड़ में)

		उपदान		पेंशन		विशेषाधिकार छुट्टी	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021
1	वर्तमान सेवा लागत (पूर्णतय: बीमित लाभों के लिए जोखिम प्रीमियम सहित)	222.69	221.35	2250.15	2608.70	481.81	491.83
2	ब्याज लागत	201.75	176.03	1578.80	1446.21	152.39	124.06
3	योजनागत आस्तियों पर संभावित रिटर्न	231.27	133.18	1638.49	1450.87	-	-
4	पिछली सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
5	बीमांकिक लाभ / (हानि)	**(22.89)**	**(54.34)**	**1062.82**	**(176.18)**	**(253.22)**	**37.62**
6	लाभ एवं हानि में शामिल कुल नियोक्ता व्यय	**170.28**	**209.9**	**3253.28**	**2427.86**	**380.98**	**653.51**

कोई अदायगी न होने के बावजूद बैंक के पास विवेकपूर्ण आधार पर बीमारी अवकाश के लिए ₹48.45 करोड़ का प्रावधान है।

Disclosure of Employer Expenses for the year ended 31st March (₹ in Crore)

		Gratuity		Pension		Privilege Leave	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021
1	Current Service Cost (including risk premiums for fully insured benefits)	222.69	221.35	2250.15	2608.70	481.81	491.83
2	Interest Cost	201.75	176.03	1578.80	1446.21	152.39	124.06
3	Expected Return on Plan Assets	231.27	133.18	1638.49	1450.87	-	-
4	Past Service Cost	-	-	-	-	-	-
5	Actuarial Gain / (Loss)	**(22.89)**	**(54.34)**	**1062.82**	**(176.18)**	**(253.22)**	**37.62**
6	Total Employer Expense recognized in P&L	**170.28**	**209.9**	**3253.28**	**2427.86**	**380.98**	**653.51**

Bank is having provision of ₹48.45 Crore towards Sick Leave on prudential basis though there is no payout.

31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र में शामिल निवल आस्तियों / देयताओं का समाधान

(₹ करोड़ में)

		उपदान		पेंशन		विशेषाधिकार छुट्टी	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021
1	निवल आस्ति / (देयता) अवधि की शुरुआत में	(234.84)	(9.13)	653.48	216.88	2366.95	1264.25
	जोड़ें– अधिग्रहण समायोजन	-	1057.66	-	1080.38	-	660.59
2	नियोक्ता व्यय	170.28	209.85	3253.28	2427.85	380.98	653.51
3	नियोक्ता योगदान	641.08	1493.22	3452.10	3071.63	-	-
4	भुगतान किया गया लाभ	-	-	-	-	**(429.17)**	**(211.4)**
5	अधिग्रहण / व्यापार संयोजन	-	-	-	-	-	-
6	अवधि के अतं में निवल आस्ति / (देयता)	**(705.64)**	**(234.84)**	**454.66**	**653.48**	**2318.76**	**2366.95**

Reconciliation of Net Assets / Liabilities recognized in Balance Sheet for the year ended 31st March

(₹ in Crore)

		Gratuity		Pension		Privilege Leave	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021
1	Net Asset / (Liability) at the beginning of the period	(234.84)	(9.13)	653.48	216.88	2366.95	1264.25
	Add- Acquisition Adjustment	-	1057.66	-	1080.38	-	660.59
2	Employer Expenses	170.28	209.85	3253.28	2427.85	380.98	653.51
3	Employer Contributions	641.08	1493.22	3452.10	3071.63	-	-
4	Benefits Paid	-	-	-	-	**(429.17)**	**(211.4)**
5	Acquisitions / Business Combinations	-	-	-	-	-	-
6	Net Asset / (Liability) at the end of the period	**(705.64)**	**(234.84)**	**454.66**	**653.48**	**2318.76**	**2366.95**

नई पेंशन योजना अंशदान

बैंक की एक परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (डीसीपीएस) है जो 1 अगस्त 2010 को या उसके बाद बैंक में शामिल होने वाले सभी श्रेणी के अधिकारियों पर लागू होती है। इस योजना का प्रबंधन पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के तहत एनपीएस न्यास द्वारा किया जाता है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को एनपीएस के लिए सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है।

11वें द्वि-पक्षीय समझौते और संयुक्त नोट दिनांक 11.11.2020 के अनुसार एनपीएस फंड में अतिरिक्त नियोक्ता अंशदान में संशोधन के अनुसार मौजूदा 10% से 14% किया गया, बैंक ने दिसंबर 2021 माह में 11.11.2020 से बकाया राशि का अंशदान एनपीएस फंड में किया

New Pension Scheme Contribution

The Bank has a Defined Contribution Pension Scheme (DCPS) applicable to all categories of officers joining the Bank on or after August 1, 2010. The Scheme is managed by NPS Trust under the Pension Fund Regulatory and Development Authority. National Securities Depository Limited has been appointed as the Central Record Keeping Agency for the NPS.

Pursuant to the revision in additional employer contribution to NPS Fund from existing 10% to 14% as per the 11th Bi-Partite Settlement and Joint Note dated 11.11.2020, the Bank has contributed the arrears from

है और वित्त वर्ष 2021–22 के लिए बकाया सहित कुल अंशदान ₹595.62 करोड़ था।

भविष्य निधि

वर्ष के लिए भविष्य निधि में व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त नियोक्ता का अंशदान निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान	1.12	2.94

11.11.2020 in the month of December 2021 to NPS Fund and the total contribution including arrears for the FY 2021-22 was ₹595.62 crore.

Provident Fund

Employer's contribution to provident fund, recognized as expense for the year is as under:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2022	31.03.2021
Employer's contribution to Provident Fund	1.12	2.94

डी) लेखांकन मानदंड 17 - खंड रिपोर्टिंग

भाग - कारोबार खंड:

(₹ करोड़ में)

कारोबार क्षेत्र	कोष		कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग		खुदरा बैंकिंग		अन्य बैंकिंग व्यवसाय		कुल	
विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
राजस्व	22110.18	21992.64	27743.36	29421.01	36053.61	32791.13	-	-	85907.15	84204.78
परिणाम	8030.96	6482.45	(5302.10)	(6530.78)	6232.73	3755.55	-	-	8961.59	3707.22
गैर–आवंटित व्यय									-	-
परिचालन लाभ									-	-
आय कर									3283.17	1149.64
असाधारण लाभ/हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निवल लाभ									5678.42	2557.58
अन्य सूचना:										
खंड आस्तियां	370831.33	351206.92	399829.75	378930.95	404781.08	363829.16	-	-	1175442.16	1093967.03
गैर–आवंटित आस्तियां									51537.51	59708.00
कुल आस्तियां									1226979.67	1153675.03
खंड देयताएं	344037.98	342345.57	399803.03	368052.47	389837.55	350460.08	-	-	1133678.56	1060858.12
गैर–आवंटित देयताएं									27189.80	33931.98
कुल देयताएं									**1160868.36**	**1094790.10**

भाग – भौगोलिक खंड:

(₹ करोड़ में)

	घरेलू		अंतरराष्ट्रीय		कुल	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
(ए) राजस्व	84788.19	82912.34	1118.96	1292.44	85907.15	84204.78
(बी) आस्तियां	1114081.24	1067393.99	112898.43	86281.04	1226979.67	1153675.03

d) **Accounting Standard-17 - Segment Reporting:**
Part A - Business Segments:

(₹ in Crore)

Business Segments	Treasury		Corporate / Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking Business		Total	
Particulars	**Current Year**	**Previous Year**	**Current Year**	**Previous Year**	**Current Year**	**Previous Year**	**Current Year**	**Previous Year**	**Current Year**	**Previous Year**
Revenue	22110.18	21992.64	27743.36	29421.01	36053.61	32791.13	-	-	85907.15	84204.78
Result	8030.96	6482.45	(5302.10)	(6530.78)	6232.73	3755.55	-	-	8961.59	3707.22
Unallocated expenses									-	-
Operating profit									-	-
Income taxes									3283.17	1149.64
Extraordinary profit / loss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net profit									5678.42	2557.58
Other information:										
Segment assets	370831.33	351206.92	399829.75	378930.95	404781.08	363829.16	-	-	1175442.16	1093967.03
Unallocated assets									51537.51	59708.00
Total assets									1226979.67	1153675.03
Segment liabilities	344037.98	342345.57	399803.03	368052.47	389837.55	350460.08	-	-	1133678.56	1060858.12
Unallocated liabilities									27189.80	33931.98
Total liabilities									**1160868.36**	**1094790.10**

Part B: Geographic segment

(₹ in Crore)

		Domestic		International		Total	
		Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
(a)	Revenue	84788.19	82912.34	1118.96	1292.44	85907.15	84204.78
(b)	Assets	1114081.24	1067393.99	112898.43	86281.04	1226979.67	1153675.03

ई) **लेखांकन मानदंड 18 - संबंधित पक्ष प्रकटीकरण:** संबंधित पक्षों के नाम और बैंक के साथ उनका संबंध-मूल बैंक - केनरा बैंक

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक -

i) श्री एल वी प्रभाकर
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ii) श्री देबाशीष मुखर्जी,
कार्यपालक निदेशक

iii) सुश्री मणिमेखलै ए, कार्यपालक निदेशक

iv) श्री के सत्यनारायण राजू, कार्यपालक निदेशक

iv) श्री बृज मोहन शर्मा, कार्यपालक निदेशक (19.05.2021 से)

मूल बैंक -

i) केनरा बैंक

सहयोगी -

i) केनबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

ii) केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड

iii) केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड

iv) केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड

v) केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड

vi) केनरा बैंक सिक्योरिटीज लिमिटेड (पूर्व में गिल्ट सिक्योरिटीज ट्रेडिंग कार्पोरेशन लिमिटेड)

vii) केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

viii) केनरा बैंक (तंजानिया) लिमिटेड

ix) सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड

संयुक्त उद्यम -

i) कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मॉस्को (पूर्व में कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एलएलसी, मॉस्को)

सहयोगी -

i) केनफिन होम्स लिमिटेड

ii) बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

ए) कर्नाटक ग्रामीण बैंक (पूर्व में प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक)

e) **Accounting Standard 18 - Related Party Disclosures:** Names of Related parties and their relationship with the Bank- Parent - Canara Bank

Key Management Personnel -

i) Shri L V Prabhakar
Managing Director & Chief Executive Officer

ii) Shri Debashish Mukherjee,
Executive Director

iii) Ms. Manimekhalai A, Executive Director

iv) Shri K Satyanarayana Raju, Executive Director

v) Shri Brij Mohan Sharma, Executive Director (since 19.05.2021)

Parent -

i) Canara Bank

Subsidiaries -

i) Canbank Financial Services Ltd.

ii) Canbank Venture Capital Fund Ltd.

iii) Canbank Factors Ltd.

iv) Canara Robeco Asset Management Company Ltd.

v) Canbank Computer Services Ltd.

vi) Canara Bank Securities Ltd.
(formerly GILT Securities Trading Corpn. Ltd.)

vii) Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd.

viii) Canara Bank (Tanzania) Ltd.

ix) SyndBank Services Ltd.

Joint Ventures -

i) Commercial Indo Bank LLC., Moscow (formerly Commercial Bank of India LLC., Moscow)

Associates -

i) Canfin Homes Ltd.

ii) Regional Rural Banks sponsored by the Bank

a) Karnataka Gramin Bank (Erstwhile Pragati Krishna Gramin Bank)

बी) केरल ग्रामीण बैंक
(पूर्व में दक्षिण मालाबार ग्रामीण बैंक)

सी) आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक

डी) कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक

उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (एचईएफए)

उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी (एचईएफए) भारत में प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के वित्तपोषण के लिए एमएचआरडी, भारत सरकार (90.91%) और केनरा बैंक (9.09%) का एक संयुक्त उद्यम है। एचईएफए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 (लाभ के लिए नहीं) के तहत एक केंद्र सरकार की कंपनी के रूप में और आरबीआई के साथ गैर–जमा लेने वाली एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी), भारत सरकार विश्व स्तर के उच्च शिक्षण संस्थानों के निर्माण और उच्च अनुसंधान सुविधाओं की स्थापना के उद्देश्य से, उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे के मानकों में सुधार के लिए एक स्पेशल पर्पज वेहिकल (एसईपी) के माध्यम से देश के आईआईएम, आईआईटी, एआईआईएमएस, आईआईएसईआर, आईआईएससी, एनआईटी आदि जैसे संस्थानों को एक मंच प्रदान करना है।

इसके आधार पर एमएचआरडी ने ₹2000 करोड़ की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी (एचईएफए) स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। एमएचआरडी ने ₹1,000 करोड़ का योगदान और केनरा बैंक ने आनुपातिक रूप से ₹100 करोड़ का योगदान दिया है।

इसके बाद, एमएचआरडी ने एचईएफए इक्विटी आधार के मौजूदा अधिदेश और वित्तपोषित किए जाने वाले संस्थानों की श्रेणी का दायरा बढ़ाया। तदनुसार, अधिकृत पूंजी को बढ़ाकर ₹10,000 करोड़ कर दिया गया है, जिसमें सरकार ₹5,000 करोड़ की अतिरिक्त इक्विटी प्रदान करेगी और केनरा बैंक ₹500 करोड़ का योगदान देगा। 31.03.2022 तक, क्रमशः एमएचआरडी ने ₹4,812.50 करोड़ की पूंजी और केनरा बैंक ने ₹481.25 करोड़ की पूंजी का योगदान दिया है। 31.03.2022 तक, कंपनी ने ₹13,935.37 करोड़ के संवितरण के साथ ₹33,486.37 करोड़ रुपये की सीमा तक मीयादी ऋण स्वीकृत किए हैं।

b) Kerala Gramin Bank
(Erstwhile South Malabar Gramin Bank)

c) Andhra Pragathi Grameena Bank

d) Karnataka Vikas Grameena Bank

HIGHER EDUCATION FINANCING AGENCY (HEFA)

Higher Education Financing Agency (HEFA) is a joint venture of MHRD, Government of India (90.91%) and Canara Bank (9.09%) for financing creation of capital assets in premier educational institutions in India. HEFA is registered under Section 8 (Not-for-profit) under the Companies Act 2013 as a Union Govt company and as Non–deposit taking NBFC with RBI.

The Ministry of Human Resources Development (MHRD), GoI with an objective to build world-class higher educational institutions and to set up research facilities, intended to provide a platform, through a special purpose vehicle, for improvement of the infrastructure standards of the higher educational institutions like IIM, IIT, AIIMS, IISER, IISc, NIT etc of the country.

Based on this the MHRD proposed to set up Higher Education Financing Agency (HEFA) - a Joint Venture Company with an initial authorized capital of ₹2000 crore. MHRD has contributed ₹1,000 crore and Canara Bank has contributed proportionately ₹100 crore.

Subsequently, MHRD extended the scope of existing mandate of HEFA equity base and range of institutions to be financed. Accordingly, the authorized capital has been increased to ₹10,000 crore wherein Govt. will provide an additional equity of ₹5,000 crore and Canara Bank will contribute ₹500 crore As on 31.03.2022, MHRD has infused Capital of ₹4,812.50 crore and Canara Bank has contributed ₹481.25 crore, respectively. As at 31.03.2022, Company has sanctioned Term Loans to the extent of ₹33,486.37 crore with a disbursement at ₹13,935.37 crore.

अनुषंगियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यम के साथ लेनदेन निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	अनुषंगियों	सहयोगी और संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)	केएमपी के संबंधी	कुल
उधार - यथा वर्षांत को बकाया वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	0.00 (0.00) 0.00 (0.00)	0.00 (0.00) 0.00 (97.56)	-	-	0.00 (0.00) 0.00 (97.56)
जमा - यथा वर्षांत को बकाया वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	147.24 (99.59) 160.00 (99.93)	319.93 (19.65) 319.93 (1177.62)	-	-	467.17 (119.24) 479.93 (1277.55)
जमाराशियों का नियोजन - यथा वर्षांत को बकाया वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	0.00 (29.35) 0.00 (29.35)	0.36 (31.00) 0.36 (31.00)	-	-	0.36 (60.35) 0.36 (60.35)
अग्रिम - यथा वर्षांत को बकाया वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	561.72 (342.48) 561.72 (342.48)	1153.43 (2270.44) 2525.00 (3592.30)	-	-	1715.15 (2612.92) 3086.72 (3934.78)
अचल संपत्तियों की खरीद - यथा वर्षांत को बकाया वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	-	-	-	-	-
चालू खाते में शेष (निवल) - यथा वर्षांत को बकाया वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	172.10 (107.17) 172.70 (107.17)	86.42 (71.23) 71.77 (481.12)	-	-	258.51 (178.40) 244.48 (588.29)
अन्य प्राप्य - यथा वर्षांत को बकाया वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	19.30 (4.65) 19.30 (4.65)	0.00 (0.00) 0.00 (0.00)	-	-	19.30 (4.65) 19.30 (4.65)
अंतरबैंक प्रतिभागिता प्रमाणपत्र - **भाग लिया -** यथा वर्षांत को बकाया वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	-	-	-	-	-

Transactions with Subsidiaries, Associates and Joint Venture are as under:

(₹ in Crore)

Particulars	Subsidiaries	Associates & Joint Ventures	Key Management Personnel (KMP)	Relatives of KMP	Total
Borrowings - Outstanding as at the year end Maximum outstanding during the year	0.00 (0.00) 0.00 (0.00)	0.00 (0.00) 0.00 (97.56)	-	-	0.00 (0.00) 0.00 (97.56)
Deposits- Outstanding as at the year end Maximum outstanding during the year	147.24 (99.59) 160.00 (99.93)	319.93 (19.65) 319.93 (1177.62)	-	-	467.17 (119.24) 479.93 (1277.55)
Placement of Deposits- Outstanding as at the year end Maximum outstanding during the year	0.00 (29.35) 0.00 (29.35)	0.36 (31.00) 0.36 (31.00)	-	-	0.36 (60.35) 0.36 (60.35)
Advances- Outstanding as at the year end Maximum outstanding during the year	561.72 (342.48) 561.72 (342.48)	1153.43 (2270.44) 2525.00 (3592.30)	-	-	1715.15 (2612.92) 3086.72 (3934.78)
Purchase of Fixed Assets - Outstanding as at the year end Maximum outstanding during the year	-	-	-	-	-
Balance in current account Outstanding as at the year end Maximum outstanding during the year	172.10 (107.17) 172.70 (107.17)	86.42 (71.23) 71.77 (481.12)	-	-	258.51 (178.40) 244.48 (588.29)
Other receivable- Outstanding as at the year end Maximum outstanding during the year	19.30 (4.65) 19.30 (4.65)	0.00 (0.00) 0.00 (0.00)	-	-	19.30 (4.65) 19.30 (4.65)
Inter Bank Participation Certificate - Participated Outstanding as at the year end Maximum outstanding during the year	-	-	-	-	-

अनुषंगियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यम के साथ लेनदेन निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	अनुषंगियों	सहयोगी और संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)	केएमपी के संबंधी	कुल
अन्य देय - यथा वर्षांत को बकाया वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	0.01 (0.00) 0.01 (0.00)	0.00 (0.01) 0.00 (0.01)	-	-	0.01 (0.01) 0.01 (0.01)
प्रदत्त ब्याज	5.25 (7.97)	2.64 (11.80)	-	-	7.89 (19.77)
प्राप्त ब्याज	18.78 (17.00)	86.12 (193.85)	-	-	104.89 (210.85)
प्राप्त लाभांश	26.99 (18.68)	13.97 (7.99)	-	-	40.96 (26.67)
प्रदत्त प्रीमियम	275.70 (461.61)	0.00 (0.00)	-	-	275.70 (461.61)
सेवा का प्रतिपादन	9.51 (222.15)	2.11 (4.22)	-	-	11.62 (226.37)
सेवाओं के लिए प्राप्त	29.94 (17.67)	1.49 (1.23)	-	-	31.43 (18.90)
प्राप्त कमीशन	249.53 (196.02)	0.00 (0.00)	-	-	249.53 (196.02)

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं)

Transactions with Subsidiaries, Associates and Joint Venture are as under:

(₹ in Crore)

Particulars	Subsidiaries	Associates & Joint Ventures	Key Management Personnel (KMP)	Relatives of KMP	Total
Other payable Outstanding as at the year end Maximum outstanding during the year	0.01 (0.00) 0.01 (0.00)	0.00 (0.01) 0.00 (0.01)	-	-	0.01 (0.01) 0.01 (0.01)
Interest paid	5.25 (7.97)	2.64 (11.80)	-	-	7.89 (19.77)
Interest received	18.78 (17.00)	86.12 (193.85)	-	-	104.89 (210.85)
Dividend received	26.99 (18.68)	13.97 (7.99)	-	-	40.96 (26.67)
Premium Paid	275.70 (461.61)	0.00 (0.00)	-	-	275.70 (461.61)
Rendering of Service	9.51 (222.15)	2.11 (4.22)	-	-	11.62 (226.37)
Receiving for Services	29.94 (17.67)	1.49 (1.23)	-	-	31.43 (18.90)
Commission Received	249.53 (196.02)	0.00 (0.00)	-	-	249.53 (196.02)

(Figures in brackets relate to previous year)

एफ) **लेखांकन मानक 24 - परिचालन बंद करना**

बोर्ड की अनुमति दिनांक 02.12.2020 के माध्यम से, हमारी हांगकांग शाखा के परिचालन के क्लोजर, की गई शुरुआत, उनके नियामक, हांगकांग मौद्रिक प्राधिकरण (एचकेएमए) की उचित सहमति प्राप्त करने के बाद 28.02.2022 को संपन्न हुई। तदनुसार, जैसा कि एचकेएमए द्वारा अधिदेशित किया गया था, 28.02.2022 को शाखा देनदारियों और परिसंपत्तियों को आकस्मिक आसित्यों और देयताओं सहित शून्य पर लाया गया था।

व्यवस्थित रूप से क्लोजर के लिए हांगकांग में सहायता राशि का कुल निवेश 110.42 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग ₹839 करोड़) था, जिसमें से शाखा ने 2177633 अमरीकी डॉलर (लगभग ₹16.50 करोड़) की राशि वापस कर दी है, जिससे 108.24 मिलियन अमरीकी डॉलर (लगभग ₹822.50 करोड़) का निवल घाटा हुआ है।

जी) **लेखांकन मानक 27 - संयुक्त उद्यमों में हितों के संबंध में वित्तीय रिपोर्टिंग**

निवेश में कॉमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी (रूस में शामिल) में ₹73.22 करोड़ (लेन-देन की तारीख की विनिमय दर पर) शामिल है, जिसमें बैंक के पास 40% इक्विटी है।

एच) **लेखांकन मानक 28 - आस्तियों की हानि**

जब भी घटना या परिस्थिति में परिवर्तन के कारण यह लगे कि आस्ति के वहन राशि की वसूली नहीं हो सकती है तब वर्ष के समापन पर क्षति हेतु आस्ति की समीक्षा की जाएगी । धारित व प्रयुक्त होने वाले आस्ति के वसूली की संगणना आस्ति की वहन राशि से आस्ति द्वारा उत्पन्न संभावित फ्यूचर निवल छूट-प्राप्त नकद प्रवाह की तुलना करने के द्वारा की जा सकती है। यदि ऐसी आस्ति को क्षति माने तो उस क्षति को संगणित व प्रगणित उस राशि द्वारा किया जाएगा जो आस्ति की वसूली-योग्य राशि से अधिक आस्ति का वहन राशि है। यद्यपि, बैंक प्रबन्धन की राय में जिस वर्ष में लेखांकन मानक 28 - "आस्ति की क्षति" लागू है उस वर्ष के दौरान किसी भी सामग्री पर कोई क्षति का संकेत नहीं है।

16. बैंक ने लेखा नीति में एकरूपता रखने के लिए उद्योग प्रथा के अनुरूप 1 अप्रैल 2021 से सरफ़ेसी / डीआरटी के माध्यम से आय और खाते में सामान्य वसूली के माध्यम से वापस बुलाए गए वाद दायर खातों और खातों में वसूली के विनियोग के तरीके को बदल दिया है। तद्नुसार, ऐसे एनपीए खातों में वसूली अब मूलधन, लागत और ब्याज के क्रम में विनियोग के पहले के तरीके की तुलना में लागत, ब्याज और मूलधन के क्रम में विनियोजित की जाती है।

f) **Accounting Standard 24 - Discontinuing Operation**

Vide permissions of the Board dated 02.12.2020, our Hong Kong branch closure of operations was initiated and concluded by 28.02.2022, after obtaining due concurrence of their regulator, Hong Kong Monetary Authority (HKMA). Accordingly, as mandated by HKMA, the branch liabilities & assets were brought to NIL including contingent assets & liabilities as on 28.02.2022.

The total infusion of support funds at Hong Kong to enable orderly closure was USD 110.42 Mn (approx. ₹839 crore) of which, branch has repatriated an amount of USD 2177633 (approx. ₹16.50 crore) thereby incurring net deficit of USD 108.24 Mn (approx. ₹822.50 crore).

g) **Accounting Standard 27 - Financial Reporting of Interests in Joint Ventures**

Investment includes ₹73.22 crore (at the exchange rate of the transaction date) in the Commercial Indo Bank LLC (incorporated in Russia) wherein the bank owns 40% of the equity.

h) **Accounting Standard 28 - Impairment of Assets**

Assets are reviewed for impairment at the end of the year whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of an asset to be held and used is measured by a comparison for the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such an asset is considered to be impaired, the impairment to be recognized and is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the recoverable amount of the asset. However, in the opinion of the Bank's Management, there is no indication of material impairment to the assets during the year to which Accounting Standard 28 - "Impairment of Assets" applies

16. The Bank has changed the method of appropriation of recovery in suit filed accounts and accounts recalled by way proceeds through SARFAESI / DRT and normal recovery in the account w.e.f. 1st April 2021 in line with industry practice to have uniformity in accounting policy.

लेखांकन नीति में उपरोक्त परिवर्तन के परिणामस्वरूप 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए ब्याज आय में ₹533.15 करोड़ की वृद्धि हुई है और सकल एनपीए में ₹470.89 करोड़ और एनपीए प्रावधान में ₹247.28 करोड़ का प्रभाव पड़ा है।

17. वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, बैंक ने ₹149.35 प्रति इक्विटी शेयर (जिसमें शेयर प्रीमियम के लिए प्रति इक्विटी शेयर ₹139.35 शामिल है) के निर्गम मूल्य पर पात्र संस्थागत खिलाड़ियों को प्रत्येक ₹10/– के अंकित मूल्य वाले 16,73,92,032 इक्विटी शेयर जारी और आवंटित किए हैं।

18. वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, बैंक ने बासेल III अनुपालित अतिरिक्त टियर I बॉण्ड जारी करके कुल ₹4000.00 करोड़ (31.03.022 को समाप्त मौजूदा तिमाही के दौरान जुटाए गए ₹1000 करोड़ सहित) और बासेल III अनुपालित अतिरिक्त टियर II बॉन्ड से कुल मिलाकर ₹2500.00 करोड़ निजी प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाए हैं।

19. 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के दौरान (तिमाही 2 में), बैंक ने शेयरधारकों के साथ–साथ भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद शेयर प्रीमियम खाते में उपलब्ध शेष राशि के बदले 31.03.2021 को अपने ₹18495.30 करोड़ के संचित नुकसान का सभंजन किया है।

20. ग्राहकों के व्यवहार में बदलाव और महामारी की आशंकाओं के साथ–साथ व्यापार और व्यक्तिगत गतिविधियों पर प्रतिबंध सहित कोविड–19 के प्रभाव से वैश्विक और भारतीय वित्तीय बाजारों में बड़ी मात्रा में अस्थिरता पैदा हुई। वर्तमान महामारी और उसके भविष्य की लहरें; यदि कोई होती हैं, के साथ–साथ अन्य संबंधित विकास बैंक के परिचालन और आस्ति की गुणवत्ता को किस हद तक प्रभावित करेंगे, यह अनिश्चित है।

चुनौतियों के बावजूद, प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय परिणामों में किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह 31.03.2022 को समाप्त चालू वर्ष के लिए इसे महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करता है और बैंक के भविष्य के वित्तीय परिणामों और वर्तमान धारणाओं पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ सकता है।

Accordingly, the recoveries in such NPA accounts are now appropriated in the order of cost, interest and principal as against the earlier method of appropriation in the order of principal, cost and interest.

The above change in accounting policy has resulted an increase in interest income by ₹533.15 crore for the year ended on 31.03.2022 and consequential effect in Gross NPA by ₹470.89 crore and NPA provision by ₹247.28 crore.

17. During the FY 2021-22, Bank has issued and allotted 16,73,92,032 equity shares having face value of ₹10/- each to qualified institutional players at an issue price of ₹149.35 per equity share (which includes ₹139.35 per equity share towards share premium).

18. During the FY 2021-22,Bank has issued Basel III Compliant Additional Tier I Bonds aggregating to ₹4000.00 crore (including ₹1000 crore raised during current quarter ended on 31.03.2022) and Basel III Compliant Additional Tier II Bonds aggregating to ₹2500.00 crore through private placement.

19. During the year ended 31.03.2022 (in Q2), Bank has set off its accumulated losses of ₹18495.30 crore as at 31.03.2021 against the available balance in the share premium account after obtaining approval from shareholders as well as the Reserve Bank of India.

20. The impact of COVID - 19 including changes in customer behaviour and pandemic fears, as well as restrictions on business and individual activities, has led to significant volatility in global and Indian financial markets. The extent to which the current pandemic and its future waves; if any including other related developments will impact the banks operation and asset quality are uncertain.

Despite the challenges, the management believes that no adjustments are required in the financial results, as it does not significantly impact the same for current year ended on 31.03.2022 and there may not be any significant impact on Bank's future financial results and the going concern assumptions.

21. जहां कहीं आवश्यक है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित / पुनर्व्यवस्थित / पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

21. Figures of the previous year have been regrouped / rearranged / reclassified wherever necessary.

आर महेन्द्रन मंडल प्रबंधक	**के शिवरामकृष्णन** मंडल प्रबंधक	**गणेश आर** सहायक महा प्रबंधक	**दीपक सक्सेना** सहायक महा प्रबंधक
एस के मजूमदार महा प्रबंधक एवं सीएफ़ओ	**वी रामचन्द्र** मुख्य महा प्रबन्धक	**बृज मोहन शर्मा** कार्यपालक निदेशक	**के सत्यनारायण राजू** कार्यपालक निदेशक
ए मणिमेखलै कार्यपालक निदेशक	**श्री देवाशीष मुखर्जी** कार्यपालक निदेशक	**एल.वी. प्रभाकर** प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
सुचीन्द्र मिश्रा निदेशक	**आर केशवन** निदेशक	**नलिनी पद्मनाभन** निदेशक	**दिबाकर प्रसाद हरिचन्दन** निदेशक
वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर निदेशक	**बिमल प्रसाद शर्मा** निदेशक	**करुणाकर शेट्टी** निदेशक	

समसंख्यक दिनांक को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते **एन के भार्गव एंड कंपनी** सनदी लेखाकार फर्म सं : 000429N	कृते **राव एंड एम्मार** सनदी लेखाकार फर्म सं : 003084S	कृते **पी ए एंड एसोसिएट्स** सनदी लेखाकार फर्म सं : 313085E	कृते **अरुण के अग्रवाल एंड एसोसिएट्स** सनदी लेखाकार फर्म सं : 003917N	कृते **सरथ एंड एसोसिएट्स** सनदी लेखाकार फर्म सं : 005120S
(एन.के. भार्गव) साझेदार सदस्य सं. 080624	**(आर सुब्रमण्यम)** साझेदार सदस्य सं. 015617	**(श्री प्रशांत पांडा)** साझेदार सदस्य सं. 051092	**(अरुण कुमार अग्रवाल)** साझेदार सदस्य सं. 082899	**(पी सरथ कुमार)** साझेदार सदस्य सं. 021755

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 06.05.2022

R MAHENDRAN DIVISIONAL MANAGER	**K SIVARAMAKRISHNAN** DIVISIONAL MANAGER	**GANESH R** ASST. GENERAL MANAGER	**DEEPAK SAXENA** ASST. GENERAL MANAGER
S K MAJUMDAR GENERAL MANAGER & CFO	**V RAMACHANDRA** CHIEF GENERAL MANAGER	**BRIJ MOHAN SHARMA** EXECUTIVE DIRECTOR	**K. SATYANARAYANA RAJU** EXECUTIVE DIRECTOR
A. MANIMEKHALAI EXECUTIVE DIRECTOR	**DEBASHISH MUKHERJEE** EXECUTIVE DIRECTOR	**L.V. PRABHAKAR** MANAGING DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER	
SUCHINDRA MISRA DIRECTOR	**R KESAVAN** DIRECTOR	**NALINI PADMANABHAN** DIRECTOR	**DIBAKAR PRASAD HARICHANDAN** DIRECTOR
VENKATACHALAM RAMAKRISHNA IYER DIRECTOR	**BIMAL PRASAD SHARMA** DIRECTOR	**KARUNAKARA SHETTY** DIRECTOR	

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For **N. K. BHARGAVA & CO** Chartered Accountants FRN : 000429N	For **RAO & EMMAR** Chartered Accountants FRN : 003084S	For **P A & ASSOCIATES** Chartered Accountants FRN : 313085E	For **ARUN K AGARWAL & ASSOCIATES** Chartered Accountants FRN : 003917N	For **SARATH & ASSOCIATES** Chartered Accountants FRN : 005120S
(N.K.BHARGAVA) PARTNER MEMBERSHIP NO.080624	**(R SUBRAMANIAN)** PARTNER MEMBERSHIP NO.015617	**(PRASHANT PANDA)** PARTNER MEMBERSHIP NO.051092	**(ARUN KUMAR AGARWAL)** PARTNER MEMBERSHIP NO.082899	**(P SARATH KUMAR)** PARTNER MEMBERSHIP NO.021755

Place : Bengaluru
Date : 06.05.2022

31.03.2022 की स्थिति में पिलर 3 प्रकटीकरण (समेकित)

31 मार्च 2022 की स्थिति में बासेल III - पिलर 3 प्रकटीकरण को बैंक की वेबसाइट में 'नियामक प्रकटीकरण खंड' के अंतर्गत उपलब्ध कराया गया है। विस्तृत विवरण के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं - https://www.canarabank.com/User_page.aspx?othlink=139

इस खंड में निम्नलिखित प्रकटीकरण शामिल हैं:

तालिका	विवरण
डीएफ - 1	एप्लिकेशन का कार्यक्षेत्र
डीएफ - 2	पूंजी पर्याप्तता
डीएफ - 3	ऋण जोखिम : सामान्य प्रकटीकरण
डीएफ - 4	ऋण जोखिम : मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो हेतु प्रकटीकरण
डीएफ - 5	ऋण जोखिम शमन - मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण
डीएफ - 6	प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण
डीएफ - 7	ट्रेडिंग बही में बाजार जोखिम
डीएफ - 8	परिचालनात्मक जोखिम
डीएफ - 9	बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)
डीएफ - 10	प्रतिपक्षी ऋण जोखिम संबंधी एक्सपोजर हेतु सामान्य प्रकटीकरण
डीएफ - 11	पूंजी संरचना
डीएफ - 12	पूंजी की संरचना – युक्तिकरण आवश्यकताएं
डीएफ - 13	विनियामक पूँजीगत लिखतों की मुख्य विशेषताएं
डीएफ - 14	विनियामक पूँजीगत लिखतों की संपूर्ण शर्तें व नियम
डीएफ - 16	इक्विटीज – बैंकिंग बही स्थिति हेतु प्रकटन
डीएफ - 17	लेखांकन आस्तियों बनाम लीवरेज अनुपात एक्सपोजर उपाय की संक्षिप्त तुलना
डीएफ - 18	लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट

Pillar 3 Disclosures (Consolidated) as at 31.03.2022

Basel III - Pillar 3 disclosures as at 31st March 2022 is made available on Bank's Website under 'Regulatory Disclosure Section'. For details, please visit our Website - https://www.canarabank.com/User_page.aspx?othlink=139

The section contains the following disclosures:

TABLES	PARTICULARS
DF - 1	SCOPE OF APPLICATION
DF - 2	CAPITAL ADEQUACY
DF - 3	CREDIT RISK: GENERAL DISCLOSURES
DF - 4	CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDIZED APPROACH
DF - 5	CREDIT RISK MITIGATION – DISCLOSURES FOR STANDARDIZED APPROACH
DF - 6	SECURITIZATION EXPOSURES: DISCLOSURE FOR STANDARDIZED APPROACH
DF - 7	MARKET RISK IN TRADING BOOK
DF - 8	OPERATIONAL RISK
DF - 9	INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)
DF - 10	GENERAL DISCLOSURE FOR EXPOSURES RELATED TO COUNTERPARTY CREDIT RISK
DF - 11	COMPOSITION OF CAPITAL
DF - 12	COMPOSITION OF CAPITAL – RECONCILIATION REQUIREMENTS
DF - 13	MAIN FEATURES OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS
DF - 14	FULL TERMS AND CONDITIONS OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS
DF - 16	EQUITIES – DISCLOSURE FOR BANKING BOOK POSITIONS
DF - 17	SUMMARY COMPARISON OF ACCOUNTING ASSETS VS LEVERAGE RATIO EXPOSURE MEASURE
DF - 18	LEVERAGE RATIO COMMON DISCLOSURE TEMPLATE

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए एकल नकद प्रवाह विवरणी
STANDALONE CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2022

(₹ करोड़ में/₹ in Crore)

विवरण / Particulars	यथा 31.03.2022 को (लेखापरीक्षित) As at 31.03.2022 (Audited)	यथा 31.03.2021 को (लेखापरीक्षित) As at 31.03.2021 (Audited)
परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह / Cash Flow from Operating activities		
कर के बाद निवल लाभ / Net Profit after Tax	5,678.41	2,557.58
जोड़ें : कर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर के लिए सहित प्रावधान Add: Provision for Tax (Incl Provision for Deferred Tax)	**3,283.17**	**1,149.64**
कर के पूर्व निवल लाभ / Net Profit Before Tax	**8961.58**	**3,707.22**
समायोजन हेतु: / Adjustments for:		
मूल्यह्रास / Depreciation	815.58	820.17
निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर हानि / Loss on revaluation of Investments	226.62	(1.68)
उचित मूल्य और एनपीए में कमी के लिए प्रावधान Provision for Diminution in Fair Value and NPAs	10,297.61	14,113.79
जोड़ें :अन्य आरक्षित निधियों में अंतरित राशि / Add: Amount Transfered to the Other Reserves	-	2,515.98
अरक्षित विदेशी मुद्रा प्रावधान सहित मानक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Standard assets including unhedged foreign currency provision	(233.12)	0.42
टियर I और टियर II बॉन्ड पर ब्याज / Interest on Tier I and Tier II bonds	2,024.73	2,019.04
आकस्मिक और अन्य व्यय के लिए प्रावधान / Provision for contingencies and others	3,084.21	1,761.13
अचल आस्तियों की बिक्री पर लाभ / हानि / (Profit) / loss on sale of Fixed Assets	(14.42)	(28.70)
अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों आदि में निवेश से आय Income from Investment in subsidiaries, JVs, etc	(55.88)	(71.54)
निवेश मूल्यह्रास/(मूल्यवृद्धि) के लिए प्रावधान Provision for investment depreciation / (appreciation)	978.69	106.39
उप कुल / Sub total	**17,124.02**	**21,235.00**
समायोजन हेतु: / Adjustments for:		
निवेश में (वृद्धि) / कमी / (Increase) / Decrease in Investments	(21,359.80)	(10,591.59)
अग्रिम में (वृद्धि) / कमी / (Increase) / Decrease in Advances	(74,850.45)	(36,588.80)
उधार में (वृद्धि) / कमी / Increase / (Decrease) in Borrowings	(7,268.60)	(13,373.07)
जमा में (वृद्धि) / कमी / Increase / (Decrease) in Deposits	75,534.67	1,05,350.73
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी / (Increase) / Decrease in other Assets	15,883.20	(12,408.91)
अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि /(कमी) / Increase/ (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	(9,788.08)	2,717.14
	(21,849.06)	**35,105.50**
घटाएं: आयकर (प्रदत्त / प्रतिदेय) / Less: Income Tax (Paid) / Refund	(3,968.44)	(1,514.49)
परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह (क) Cash Generated from Operating Activities (A)	**268.10**	**58,533.23**
निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह / Cash Flow from Investing activities		
अनुषंगियों, सहयोगियों और/या संयुक्त उद्यमों में निवेश से आय / Income from investment in subsidiaries, associates and/or JVs	55.88	71.54
संयुक्त उद्यमों, सहयोगियों अनुषंगियों, इत्यादि में निवेश / Investment in subsidiaries, associates and / or JVs	(168.02)	-
अचल संपत्तियों के क्रय / विक्रय से निवल अंतर्वाह / बहिर्वाह / Net inflow / outflow from sale / purchase of fixed assets	(545.14)	(737.38)

निवेश गतिविधियों से सृजित नकदी **Cash generated from Investing activities**	(ख) (B)	**(657.28)**	**(665.84)**
वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह / **Cash Flow from Financing activities**			
पूंजी का नया निर्गम / Fresh issue of capital		167.39	193.24
शेयर जारी करने से प्राप्त प्रीमियम / Premium Received on Issue of share		2,322.79	1,797.99
टियर I और टियर II बॉण्ड पर ब्याज का भुगतान / Payment of interest on Tier I and Tier II bonds		(2,024.73)	(2,019.04)
ई-एसबी शेयरधारकों को भुगतान की गई राशि (अंश भाग के लिए) / Amount paid to e-SB shareholders (for fraction part)		-	(4.30)
अधीनस्थ ऋणों सहित बॉन्ड्स का निर्गम Fresh issue of bonds including sub-ordinated debts		6,500	2,936
अधीनस्थ ऋण सहित बांडों का मोचन / Redemption of bonds including sub-ordinated debts		(2,930.00)	(2,620.00)
वित्तीय गतिविधियों से सृजित नकदी Cash generated from Financing activities	(ग) (C)	**4,035.45**	**283.89**
नकदी और नकद तुल्य में निवल वृद्धि / (कमी) (क+ख+ग) **Net Increase / (Decrease) in cash and cash equivalents (A+B+C)**		**3,646.27**	**58,151.28**
प्रारंभिक नकदी और नकद तुल्य / **Opening Cash and Cash equivalents**		**1,78,408.03**	**1,20,256.75**
अंतिम नकदी और नकद तुल्य / **Closing Cash and Cash Equivalents**		**1,82,054.30**	**1,78,408.03**

नोट्स: / Notes:

1. नकद प्रवाह विवरणी अप्रत्यक्ष पद्धति के तहत तैयार किया गया है और जहां कहीं आवश्यक है, आंकड़ों को फिर से समूहीकृत किया गया है।
1. The Cash Flow Statement has been prepared under the Indirect Method and figures have been re-grouped wherever considered necessary.
2. नकदी और नकद तुल्य में नकदी, आरबीआई और अन्य बैंकों में शेष और मांग और अल्पसूचना पर प्रतिदेय राशि शामिल है।
2. Cash and Cash equivalents includes Cash on hand, Balance with RBI & Other Banks and Money at Call and Short Notice.

(₹ करोड़ में/₹ in Crore)

नकदी एवं नकद तुल्य के घटक **Components of Cash & Cash Equivalents**	यथा 31.03.2022 को (लेखापरीक्षित) As at 31.03.2022 (Audited)	यथा 31.03.2021 को (लेखापरीक्षित) As at 31.03.2021 (Audited)
आरबीआई में नकदी एवं शेष / Cash & Balance with RBI	51602.91	43,111.62
बैंकों में शेष और मांग और अल्पसूचना पर प्रतिदेय राशि / Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	130451.39	1,35,296.41
कुल / **Total**	**182054.30**	**1,78,408.03**

आर महेन्द्रन
मंडल प्रबंधक

के शिवरामकृष्णन
मंडल प्रबंधक

गणेश आर
सहायक महा प्रबंधक

दीपक सक्सेना
सहायक महा प्रबंधक

एस के मजूमदार
महाप्रबंधक एवं सीएफ़ओ

वी रामचन्द्र
मुख्य महा प्रबन्धक

बृज मोहन शर्मा
कार्यपालक निदेशक

के सत्यनारायण राजू
कार्यपालक निदेशक

ए मणिमेखलै
कार्यपालक निदेशक

देवाशीष मुखर्जी
कार्यपालक निदेशक

एल.वी. प्रभाकर
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

सुचीन्द्र मिश्रा
निदेशक

आर केशवन
निदेशक

नलिनी पद्मनाभन
निदेशक

दिबाकर प्रसाद हरिचन्दन
निदेशक

वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर
निदेशक

बिमल प्रसाद शर्मा
निदेशक

करुणाकर शेट्टी
निदेशक

समसंख्यक दिनांक को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते **एन के भार्गव एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 000429N

(एन.के. भार्गव)
साझेदार
सदस्य सं. 080624

कृते **राव एंड एम्मार**
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 003084S

(आर सुब्रमण्यम)
साझेदार
सदस्य सं. 015617

कृते **पी ए एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 313085E

(प्रशांत पांडा)
साझेदार
सदस्य सं. 051092

कृते **अरुण के अग्रवाल एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 003917N

(अरुण कुमार अग्रवाल)
साझेदार
सदस्य सं. 082899

कृते **सरथ एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 005120S

(पी सरथ कुमार)
साझेदार
सदस्य सं. 021755

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 06.05.2022

R MAHENDRAN
DIVISIONAL MANAGER

K SIVARAMAKRISHNAN
DIVISIONAL MANAGER

GANESH R
ASST. GENERAL MANAGER

DEEPAK SAXENA
ASST. GENERAL MANAGER

S K MAJUMDAR
GENERAL MANAGER & CFO

V RAMACHANDRA
CHIEF GENERAL MANAGER

BRIJ MOHAN SHARMA
EXECUTIVE DIRECTOR

K. SATYANARAYANA RAJU
EXECUTIVE DIRECTOR

A. MANIMEKHALAI
EXECUTIVE DIRECTOR

DEBASHISH MUKHERJEE
EXECUTIVE DIRECTOR

L.V. PRABHAKAR
MANAGING DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER

SUCHINDRA MISRA
DIRECTOR

R KESAVAN
DIRECTOR

NALINI PADMANABHAN
DIRECTOR

DIBAKAR PRASAD HARICHANDAN
DIRECTOR

VENKATACHALAM RAMAKRISHNA IYER
DIRECTOR

BIMAL PRASAD SHARMA
DIRECTOR

KARUNAKARA SHETTY
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For **N. K. BHARGAVA & CO**
Chartered Accountants
FRN : 000429N

(N.K. BHARGAVA)
PARTNER
MEMBERSHIP NO.080624

For **RAO & EMMAR**
Chartered Accountants
FRN : 003084S

(R SUBRAMANIAN)
PARTNER
MEMBERSHIP NO.015617

For **P A & ASSOCIATES**
Chartered Accountants
FRN : 313085E

(PRASHANT PANDA)
PARTNER
MEMBERSHIP NO.051092

For **ARUN K AGARWAL & ASSOCIATES**
Chartered Accountants
FRN : 003917N

(ARUN KUMAR AGARWAL)
PARTNER
MEMBERSHIP NO.082899

For **SARATH & ASSOCIATES**
Chartered Accountants
FRN : 005120S

(P SARATH KUMAR)
PARTNER
MEMBERSHIP NO.021755

Place : Bengaluru
Date : 06.05.2022

केनरा बैंक Canara Bank

भारत सरकार का उपक्रम

A Government of India Undertaking

सिंडिकेट Syndicate

Together We Can

केनरा बैंक का समेकित तुलन पत्र, लाभ व हानि लेखा तथा नकद प्रवाह विवरणी

2021-2022

केनरा बैंक
भारत सरकार का उपक्रम

Canara Bank
A Government of India Undertaking
सिंडिकेट Syndicate

Together We Can

CONSOLIDATED
BALANCE SHEET, PROFIT & LOSS ACCOUNT AND CASH FLOW STATEMENT OF CANARA BANK
2021-2022

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
केनरा बैंक के सदस्य,

समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

विचार

1. हमने केनरा बैंक ("बैंक") के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2022 तक समेकित तुलन पत्र, तब समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते का समेकित विवरण और समेकित नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश के साथ समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (इसके बाद "समेकित वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित) प्रदान की गई है जिसमें निम्न को शामिल किया गया है:

   क) बैंक के लेखा परीक्षित एकल वित्तीय विवरण;

   ख) अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 8 सहायक कंपनियों और 1 एसोसिएट्स के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण; और

   ग) 1 सहायक, 1 संयुक्त उद्यम और 4 एसोसिएट्स के गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी।

   बैंक के साथ उपरोक्त संस्थाओं को 'समूह' के रूप में संदर्भित किया गया है।

2. हमारी राय, हमारी जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और अनुषंगियों, सहयोगियों की अलग-अलग वित्तीय विवरणियों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार के आधार पर और प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किये गए अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यम की अन्य वित्तीय जानकारी के आधार पर, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों के तहत आवश्यक उक्त सूचना प्रदान करने वाला समेकित वित्तीय विवरण, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के तहत इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए लेखा मानक, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों, दिशानिर्देशों और निर्देशों (आरबीआई दिशानिर्देश) जो समूह की समेकित स्थिति, यथा 31 मार्च, 2022 तक समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और उसके समेकित नकदी प्रवाह के मामलें में, भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To,
The Members of Canara Bank,

Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of Canara Bank ("the Bank") which comprise the Consolidated Balance Sheet as at 31st March, 2022, the Consolidated Profit and Loss Account and Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and Notes to Consolidated Financial Statements including a summary of Significant Accounting Policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "the Consolidated financial statements") which includes:

   a) Audited Standalone Financial Statements of the Bank;

   b) Audited Financial Statements of 8 Subsidiaries and 1 Associate audited by other Auditors; and

   c) Un-audited Financial Statements / Financial information of 1 Subsidiary, 1 Joint Venture and 4 Associates.

   The above entities together with the Bank are referred to as the 'Group'.

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on our consideration of the reports of other auditors on separate financial statements of subsidiaries and associates, the unaudited financial statements and the other financial information of subsidiaries, associates and joint venture as furnished by the management, the aforesaid consolidated financial statements give the information required by the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949, the Accounting Standards issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), the relevant provisions of Banking Regulation Act, 1949, the circulars, guidelines and directions issued by the Reserve Bank of India (RBI) from time to time ("RBI Guidelines") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of their consolidated state of affairs of the Group as at 31st March, 2022, of consolidated profit, and its consolidated Cash flows for the year then ended.

राय के लिए आधार

3. हमने अपनी लेखा परीक्षा इंस्टीव्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए लेखा परीक्षा मानकों (लेखा परीक्षा) के अनुसार की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा के लिए लेखाकार की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार समूह से स्वतंत्र हैं, साथ में नैतिक आवश्यकताएं जो भारत में वित्तीय विवरणों के हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामले का ज़ोर

4. **हम निम्न पर ध्यान आकर्षित करते हैं**

क) उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरणों का नोट संख्या 12, जो सरफेसी / डीआरटी से आय के माध्यम से वापस हुए वाद दायर खातों और खातों में वसूली के विनियोग की लेखा नीति में परिवर्तन और 1 अप्रैल 2021 से खातों में सामान्य वसूली का वर्णन करता है परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ब्याज आय में ₹533.15 करोड़ की वृद्धि हुई और सकल एनपीए में ₹470.89 करोड़ और एनपीए प्रावधान में ₹247.28 करोड़ का परिणामी प्रभाव हुआ।

ख) उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरणों का नोट संख्या 15, जो शेयरधारकों के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद शेयर प्रीमियम खाते में उपलब्ध शेष राशि के एवज में 31.03.2021 को ₹18495.30 करोड़ के संचित नुकसान के सभंजन बारे में बताता है।

ग) उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरणों का नोट संख्या 16, जो कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण कारोबार अनिश्चितताओं और बैंक के कारोबार संचालन पर इसके प्रभाव पर प्रबंधन के मूल्यांकन का वर्णन करता है।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

5. मुख्य लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की

Basis for Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group in accordance with the Code of Ethics issued by ICAI, together with ethical requirements that are relevant to our Audit of the Consolidated Financial Statements in India, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter

4. **We draw attention to**

a) Note No. 12 to the aforesaid Consolidated Financial Statements, which describes the change in accounting policy of appropriation of recovery in suit filed accounts and accounts recalled by way of proceeds through SARFAESI / DRT and normal recovery in the accounts w.e.f. 1st April 2021 resulting in increase in Interest Income by ₹533.15 crores and consequential effect in Gross NPA by ₹470.89 Crores and NPA provision by ₹247.28 Crores for the year ended 31st March, 2022.

b) Note No. 15 to the aforesaid Consolidated Financial Statements, which describes regarding set off its accumulated losses of ₹18495.30 crores as at 31.03.2021 against the available balance in the share premium account after obtaining approval from shareholders as well as the Reserve Bank of India.

c) Note No. 16 to the aforesaid Consolidated Financial Statements, which describes the business uncertainties due to outbreak of COVID-19 pandemic and the management's evaluation of its impact on the business operations of the Bank.

Our opinion is not modified in respect of above matters.

Key Audit Matters

5. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance

हमारी लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे । इन मामलों को समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के संदर्भ में और इस पर हमारी राय बनाने के लिए संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित करने के लिए नीचे दिए गए मुख्य लेखा परीक्षा मामलों को निर्धारित किया है:

क्र. सं.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले पर प्रतिक्रिया
1	*आय की पहचान, संपत्ति का वर्गीकरण, उस पर प्रावधानों की पर्याप्तता और निवेश।* अग्रिम और निवेश बैंक की संपत्ति के सबसे बड़े वर्ग का गठन करते हैं। वर्गीकरण, आय की पहचान और उस पर प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों और विभिन्न मानदंडों के अनुरूप नहीं है। बैंक का प्रबंधन सीबीएस (कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस) के साथ-साथ अन्य संबद्ध आईटी प्रणालियों के साथ-साथ विभिन्न अनुमानों, उधारकर्ताओं के प्रदर्शन से संबंधित विवेकपूर्ण निर्णय, सुरक्षा मूल्य का निर्धारण, मैनुअल हस्तक्षेप सहित परिसंपत्ति वर्गीकरण के लिए विशेषज्ञों और पेशेवरों की सेवाओं, आय की पहचान और उस पर प्रावधान पर निर्भर करता है।	**प्रमुख लेखा परीक्षा प्रक्रिया:** हमारी लेखापरीक्षा आय की पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और शेष राशि की भौतिकता पर विचार करते हुए अग्रिमों से संबंधित प्रावधान पर केंद्रित थी। हमने गैर-निष्पादित आस्तियों की पहचान करने और उन्हें प्रदान करने के लिए बैंक की प्रणाली का आकलन किया। हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में निम्नलिखित के संबंध में आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण शामिल था: • अनुमोदन, प्रलेखन, संवितरण, अग्रिमों की निगरानी के संबंध में नियंत्रणों का आकलन करना। • भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुपालन के लिए सीबीएस और अन्य संबंधित और संबद्ध प्रणालियों की समीक्षा।

in our audit of the Consolidated Financial Statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the Key Audit Matters to be communicated in our report:

Sl. No	Key Audit Matter	Response to Key Audit Matter
1	*Income Recognition, Asset Classification, Adequacy of provisions thereon & Investments.* Advances and investments constitute the largest class of assets of the bank. Classification, income recognition and provisioning thereon have been inconformity with the guidelines and various norms prescribed by Reserve Bank of India. The management of the bank relies on the CBS (Core Banking Solutions) along with other allied IT systems accompanied by various estimates, prudent judgement relating to performance of borrowers, determination of security value, manual interventions including services of experts & professionals for asset classification, Income recognition and provisioning thereon.	**Principal Audit Procedures:** Our audit was focused on income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances considering the materiality of the balances. We assessed the Bank's system in place to identify and provide for non-performing assets. Our audit approach consisted of testing of the design and operating effectiveness of the internal controls with respect to the followings: • Assessing the Controls with respect to approval, documentation, disbursement, monitoring of advances. • Review of the CBS and other related & allied systems for compliance with the prudential norms issued by Reserve Bank of India.

		• अनर्जक आस्तियों की पहचान और प्रावधान करने से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन का मूल्यांकन। • भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसे एनपीए की पहचान करने और प्रावधान करने में प्रयुक्त प्रासंगिक सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों की समीक्षा। • एनपीए की पहचान और आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान की पर्याप्तता के उद्देश्य से प्रबंधन अनुमानों और निर्णयों का मूल्यांकन और परीक्षण किया गया। • नमूना जांच के आधार पर जहां कहीं यह हमारे संज्ञान में आया, मैनुअल हस्तक्षेपों की विश्वसनीयता, प्रभावशीलता और सटीकता की समीक्षा की। • गैर-निष्पादित आस्तियों की पहचान और प्रावधान के लिए और एसए-600 के अनुरूप समग्र अनुपालन के लिए हमारे द्वारा गैर लेखापरीक्षित शाखाओं के मामले में सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों (एसबीए) की रिपोर्ट/रिटर्न/निर्णय पर निर्भर रहे। • समय-समय पर जारी आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों की पहचान और प्रावधान और दबावग्रस्त खातों की पहचान के लिए तंत्र की भी जांच की गई। • विभिन्न विशेषज्ञों की राय और रिपोर्ट पर भरोसा किया, जिसमें स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता, वकील, कानूनी विशेषज्ञ और ऐसे अन्य पेशेवर शामिल हैं,

		• Evaluation of the design of internal controls relating to identification and making provision for non-performing assets. • Review of the relevant information technology systems used in identification and making provision for such NPA as per the RBI Guidelines. • Evaluated and tested the management estimates and judgements for the purpose of identification of NPA and adequacy of provision required as per RBI's Prudential norms. • Reviewed the reliability, effectiveness and accuracy of the manual interventions, wherever it has come to our knowledge on test check basis. • Relied on the reports / returns / judgements of the Statutory Branch Auditors (SBA) in case of branches not audited by us for identification and provisioning for non-performing assets and for overall compliance in conformity with SA-600 • Test checked the identification and provisioning of non-performing assets in accordance with RBI Guidelines issued from time to time and also the mechanism for identification of stressed accounts • Relied on the opinions and reports of various experts, which includes independent valuers, lawyers, legal experts and such other professionals, who have rendered

		जिन्होंने एसए–620 के अनुरूप विभिन्न क्षमताओं में बैंक को सेवाएं प्रदान की हैं। • उपलब्धता के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षा/ निरीक्षण रिपोर्ट/समवर्ती लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा की गई। • वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली पर अंकगणितीय सटीकता, डेटा सटीकता और नियंत्रण सहित मूल परीक्षण करके मूल्यांकन, वर्गीकरण, प्रावधान और निवेश की आय की पहचान का सत्यापन।
2	*वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले माइग्रेशन (फ्लेक्स क्यूब – ओरेकल आधारित) सहित प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सिस्टम।* बैंक की परिचालन और वित्तीय प्रक्रियाएं बड़ी मात्रा में लेनदेन के कारण आईटी सिस्टम पर निर्भर हैं जो दैनिक आधार पर संसाधित की जाती हैं और इसलिए, एक प्रमुख ऑडिट मामले के रूप में माना जाता है, जिसकी शुद्धता और प्रभावशीलता मुख्य रूप से कोर बेकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) और अन्य संबद्ध प्रणालियों पर निर्भर होती है। हम आय की पहचान, परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप अग्रिमों का प्रावधान, ऐसे अन्य खातों के साथ–साथ विभिन्न सस्पेंस और विविध खातों का समाधान और एजिंग, निवेश लेनदेन की रिकॉर्डिंग के संबंध में सीबीएस और अन्य संबद्ध प्रणालियों के सुसंगत और सटीक कामकाज पर निर्भर रहे हैं।	**प्रधान लेखा परीक्षा प्रक्रिया :** हमने मूल्यांकन किया और प्रमुख आईटी अनुप्रयोगों, डेटाबेस और ऑपरेटिंग सिस्टम की पहचान की जो हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं और मुख्य रूप से वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए प्रासंगिक सीबीएस, बीएसपीएल रिपोर्टिंग पैकेज और ट्रेजरी सिस्टम की पहचान की है। हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण निम्नानुसार था: • लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक के आईटी नियंत्रण वातावरण और आईटी नीतियों की समझ प्राप्त की। • बैंक के बुनियादी आईटी नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता की समीक्षा की, जिसमें आवेदन, अभिगम नियंत्रण शामिल हैं जो नमूना जांच के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण हैं।

		services to the bank in various capacities in conformity with SA-620. • Reviewed the internal audit/inspection reports/ Concurrent audit reports, wherever available. • Verification of valuation, classification, provisioning and income recognition of investments by carrying out substantive tests including arithmetical accuracy, data accuracy and control over the financial reporting system.
2.	*Key Information Technology (IT) systems including migration (Flex Cube - Oracle based) used in financial reporting process.* The Bank's operational and financial processes are dependent on IT systems due to large volume of transactions that are processed on daily basis and hence, considered as a key audit matter, correctness & effectiveness of which are mainly dependent on the Core Baking Solution (CBS) and other allied systems. We have relied upon the consistent and accurate functioning of CBS & other allied systems with respect to Income Recognition, Classification of Assets and provisioning of advances in conformity with the RBI guidelines, reconciliation & ageing of various suspense and sundry accounts along with such other accounts, recording investment transactions.	**Principal Audit Procedures:** We conducted an assessment and identified key IT applications, databases and operating systems that are relevant to our audit and have identified CBS, BSPL Reporting Package and Treasury System primarily as relevant for financial reporting. Our audit approach consisted testing of the design and operating effectiveness of the internal controls as follows: • Obtained an understanding of the Bank's IT control environment and IT policies during the audit period. • Reviewed the design, implementation and operating effectiveness of the Bank's basic IT controls including application, access controls that are critical to financial reporting on test check basis.

		• आईएस लेखापरीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा की और प्रमुख आईएस नियंत्रणों के अनुपालन पर आईएस विभाग के साथ चर्चा की। • नमूना जांच के आधार पर लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक सिस्टम जेनरेटेड रिपोर्ट के लिए स्वचालित कुंजी और कारोबार चक्र नियंत्रण और लॉजिक का परीक्षण किया।
3	**आस्थगित कर परिसंपत्ति** 31 मार्च 2022 तक बैंक ने रुपये 8953.50 करोड़ की निवल आस्थगित कर संपत्ति की पहचान की है। आस्थगित कर संपत्ति का अनुमान, पहचान और माप आईसीएआई द्वारा जारी एएस–22 के अनुरूप भविष्य में मुनाफे की उपलब्धता के बारे में निर्णय और कई अनुमानों पर आधारित है। इसे केवल इस सीमा तक आगे बढ़ाया गया है कि एक उचित निश्चितता है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके खिलाफ ऐसी आस्थगित कर संपत्ति की वसूली की जा सकती है।	**लेखा परीक्षा प्रक्रिया :** हमने अपने नियंत्रण परीक्षण के भाग के रूप में निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन किया है: • एएस–22– आय पर करों के लिए लेखांकन के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों की पहचान और माप के लिए उपयोग की जाने वाली नीतियों की समीक्षा। • लाभ की उपलब्धता और दृश्यता की संभावना का आकलन किया जिसके विरुद्ध बैंक भविष्य में आस्थगित कर परिसंपत्ति का उपयोग करने में सक्षम होगा।
4	**विभिन्न मुकदमे और आकस्मिक देयता** करों और बैंक पर अन्य पक्षों द्वारा दायर किए गए विभिन्न अन्य दावों से संबंधित कुछ मुकदमों के संबंध में आकस्मिक देनदारियों के आकलन को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं लिया गया है। बैंक का मूल्यांकन मामले के तथ्यों, उनके अपने निर्णय, पिछले अनुभव और स्वतंत्र विशेषज्ञों की सलाह, जहां आवश्यक हो, द्वारा समर्थित है।	**लेखा परीक्षा प्रक्रिया :** लेखापरीक्षा के प्रति हमारा दृष्टिकोण निम्नलिखित पर आधारित है: • कर मुकदमों और अन्य आकस्मिक देनदारियों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा। • विभिन्न प्राधिकारियों से प्राप्त पत्रों की जांच और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई। • पृष्ठभूमि के संदर्भ में विचाराधीन विषय के गुण–दोष का मूल्यांकन और उस पर विशेषज्ञ की राय पर भरोसा।

		• Reviewed the IS Audit Reports and discussed with IS Wing on compliance to key IS Controls. • Tested key automated and business cycle controls and logic for system generated reports relevant to the audit on test check basis.
3	**Deferred Tax Asset** The bank has recognized a net deferred tax asset of ₹8953.50 Crores as on 31st Mar, 2022. Objective estimation, recognition and measurement of Deferred Tax Asset are based on the judgement and numerous estimates regarding the availability of profits in future in conformity with AS-22 issued by the ICAI. It has been carried forward only to the extent that there is a reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realized.	**Principal Audit Procedures:** We have performed the following procedures as part of our control testing: • Review of the policies used for recognition and measurement of deferred tax assets in accordance with AS-22- Accounting for Taxes on Income. • Assessed the probability of the availability and visibility of profits against which the bank will be able to use the Deferred Tax Asset in future.
4.	**Various Litigations & Contingent Liability** Assessment of Contingent liabilities in respect of certain litigations with respect to taxes and various other claims filed by other parties upon bank, not acknowledged as debts. The bank's assessment is supported by facts of matter, their own judgement, past experience and advises from independent experts, wherever necessary.	**Principal Audit Procedures:** Our approach to audit is based on the following: • Review of the current status of the tax litigations and other contingent liabilities. • Examination of the communications received from various authorities and follow up actions thereon. • Evaluation of merits of the subject matter under consideration with reference to the background and reliance on the expert opinion thereon.

	तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए लाभ और बैलेंस शीट को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं।	

समेकित वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी:

6. अन्य सूचनाओं के लिए बैंक के निदेशक मंडल उत्तरदायी हैं। अन्य जानकारी में नई पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल III प्रकटीकरण) के तहत स्तंभ III के प्रकटीकरण शामिल हैं (लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है), कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट, जिसे हमने इस लेखा परीक्षक की तारीख से पहले प्राप्त किया था और निदेशकों की रिपोर्ट, जो हमारी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

   समेकित वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम इसके बाद आश्वासन निष्कर्ष को किसी भी रूप में व्यक्त नहीं करते हैं।

   समेकित वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि जब यह उपलब्ध हो जाए, तो ऊपर बताई गई अन्य जानकारी को पढ़ें और ऐसा करते समय विचार करें कि वित्तीय विवरणों या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी के साथ अन्य जानकारी भौतिक रूप से असंगत तो नहीं है अन्यथा भौतिक रूप से गलत तो नहीं प्रतीत हो रही है।

   अगर, हमने इस लेखा परीक्षार की रिपोर्ट की तारीख से पहले प्राप्त की गई अन्य जानकारी के आधार पर जो काम किया है, उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी की सामग्री गलत है, तो हमें उस तथ्य को रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणियों के लिए शासन प्रभार प्राप्त व्यक्तियों और प्रबंधन का उत्तरदायित्व

7. आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक, और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान और भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबै) द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों सहित आमतौर पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देने वाले इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में बैंक के निदेशक मंडल उत्तरदायी हैं।

	Accordingly, unexpected adverse outcomes may significantly impact the bank's reported profit and the balance sheet.	

Information other than the Consolidated Financial Statements and Auditors' Report thereon:

6. The Bank's Board of Directors is responsible for the preparation of other information. The other information comprises the Pillar III Disclosures under the New Capital Adequacy Framework (BASEL III Disclosures) (but does not include the consolidated financial statements and our auditors' report thereon), Corporate Governance Report, which we obtained prior to issuance of this Auditors' Report, and the Directors Report, which is expected to be made available to us after the date of our auditors' report.

   Our opinion on the Consolidated Financial Statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

   In connection with our audit of the consolidated Financial Statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be material misstated.

   If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of this auditors' report, we conclude there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

7. The Bank's Board of Directors is responsible for the preparation and presentation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group including its Associates and Jointly controlled entities in accordance with the accounting principles generally accepted in India,

बैंक के संबंधित निदेशक मंडल, समूह और उसके सहयोगियों में शामिल कंपनियाँ और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएँ समूह की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताएं रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव, उचित लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, क्रियान्वयन और रखरखाव, जो समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए लेखांकन के प्रासंगिक रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्यान्वित थे, जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक त्रुटियों से मुक्त हैं, जिसका उपयोग बैंक के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से किया गया है, के लिए जिम्मेदार हैं; जैसा कि पूर्व में कहा गया है।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, संबंधित समूह और उसके सहयोगी कंपनियों के निदेशक मंडल शामिल हैं और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं समूह और उसके सहयोगियों की क्षमता का आकलन करने और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं को वर्तमान हितों के विषय के रूप में जारी रखने के लिए जिम्मेदार हैं, प्रकटीकरण, जैसा कि लागू हो, वर्तमान हितों से संबंधित मामले और लेखांकन के हितों के आधार का उपयोग करते हुए जब तक प्रबंधन या तो समूह को समाप्त करने या संचालन को रोकने का इरादा रखता है, या ऐसा करने के लिए कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है।

समूह और उसके सहयोगियों में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और उसके सहयोगियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं ।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

8. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरण भौतिक गलतफहमी से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और एक लेखा

including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve bank of India ("RBI") from time to time. The respective Board of Directors of the Bank, Companies included in the Group and of its associates and jointly controlled entities are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Respective Acts and Regulations for safeguarding the assets of the Group and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimates that are reasonable and prudent; and the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of preparation of the Consolidated Financial Statements by the Directors of the Bank, as aforesaid.

In preparing the Consolidated Financial Statements, the respective Board of Directors of the companies included in the Group and of its associates and jointly controlled entities are responsible for assessing the ability of the Group and of its associates and jointly controlled entities to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Board of Directors of the companies included in the Group and of its associates and jointly controlled entities are responsible for overseeing the financial reporting process of the Group and of its associates and jointly controlled entities.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements:

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material

परीक्षक की रिपोर्ट जारी करने के लिए जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखा परीक्षा हमेशा मौजूद होने पर किसी सामग्री के गलत होने का पता लगाएगी। गलतियाँ धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और माना जाता है कि सामग्री, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, उन्हें यथोचित रूप से इन समेकित वित्तीय वक्तव्यों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उम्मीद से की जा सकती है।

एसए के अनुसार एक लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। हम यह भी:

- समेकित वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और उनका आकलन कर, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित कर, और लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो । धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की ओवरराइड शामिल हो सकती है।
- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं ताकि उन परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार की जा सकें।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करते हैं ।
- लेखांकन के वर्तमान हितों के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकाला है, और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या एक घटना या शर्तों से संबंधित भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो समूह और उसके सहयोगियों की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है और संयुक्त रूप से नियंत्रित हो सकती है संस्थाओं को एक वर्तमान हितों के विषय के रूप में जारी रखने के लिए। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, या यदि इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं तो हमें हमारी राय को संशोधित करने के लिए अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण

misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the ability of the Group and its associates and jointly controlled entities to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group and its associates

समूह और उसके सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएँ एक चिंता का विषय बन सकती हैं।

- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।
- समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए समूह के भीतर ऐसी संस्थाओं या व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं की वित्तीय जानकारी की लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिनकी अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा–परीक्षा की गई है, ऐसे अन्य लेखापरीक्षक उनके द्वारा की गई लेखा–परीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूरी तरह उत्तरदायी हैं।

भौतिकता वित्तीय विवरणों में गलतफहमी का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं (i) हमारे लेखा परीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाना और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करना; और (ii) वित्तीय विवरणियों में किसी भी पहचान की गई गलत विवरणियों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए ।

हम अन्य मामलों के साथ अभिशासन प्रभार प्राप्त उन लोगों के साथ संवाद करते हैं, जो लेखा परीक्षा के योजनाबद्ध स्कोप तथा समयबद्धता और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के साथ ही आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों सहित, जिसे हम अपने लेखा परीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम उन लोगों को भी जो शासन प्रदान करते हैं एक विवरण प्रदान करते हैं कि जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए उचित माना जा सकता है, और संबंधित सुरक्षा उपाय जहां लागू हो ।

शासन प्रभारी से संसूचित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं, जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय वक्तव्यों के लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व के थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में इन मामलों का

and jointly controlled entities to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of such entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of financial information of such entities included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors. For the other entities included in the consolidated financial statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.

Materiality is the magnitude of misstatements in the consolidated financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

We communicate with those charged with governance among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these

वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले का संचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम सार्वजनिक हित के लिए उचित रूप से अपेक्षित होगा।

अन्य मामले

9. समेकित वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित के संबंध में लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और अन्य वित्तीय जानकारी शामिल है:

   क. आठ (08) सहायक कंपनियां जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2022 तक ₹28495.70 करोड़ की कुल संपत्ति, ₹9009.51 करोड़ के कुल राजस्व और कर के बाद ₹104.82 करोड़ का कुल निवल लाभ दर्शाते हैं, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है।

   ख. एक (01) सहयोगी जिसका वित्तीय विवरण समूह के हिस्से में 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कर के बाद रुपये 141.28 करोड़ रुपये का निवल लाभ दर्शाता है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है।

   उनके संबंधित स्वतंत्र लेखापरीक्षकों ने इसकी लेखा-परीक्षा की है और इन संस्थाओं के वित्तीय विवरणों पर इन स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट हमें प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय यह है कि, जहां तक यह इन संस्थाओं के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है, यह पूरी तरह से ऐसे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

समेकित वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित के संबंध में वित्तीय विवरण और अन्य वित्तीय जानकारी भी शामिल है:

क. (01) सहायक और एक (1) संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई जिसका वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए, 31 मार्च, 2022 को रुपये 909.09 करोड़ की कुल संपत्ति, ₹64.45 करोड़ का कुल राजस्व और ₹17.24 करोड़ का कर के बाद कुल निवल लाभ दर्शाता है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है।

ख. (04) चार सहयोगी, जिसमें समूह के हिस्से में 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कर के बाद ₹222.04 करोड़ का निवल लाभ शामिल है। जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है।

matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other matters

9. The consolidated financial statements include audited financial statements and other financial information, in respect of:

   a. Eight (08) subsidiaries whose financial statements reflect total assets of ₹28495.70 crores as at 31st March, 2022, total revenues of ₹9009.51 crores and total net profit after tax of ₹104.82 crores for the year ended 31st March, 2022 as considered in consolidated financial statements.

   b. One (01) associate whose financial statements reflect Group's share of Net Profit after Tax of ₹141.28 crores for the year ended 31st March, 2022, as considered in consolidated financial statements.

   Their respective independent Auditors have audited the same and these independent auditors' reports on financial statements of these entities have been furnished to us by the management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these entities, is based solely on the report of such auditors.

   The consolidated financial statements also include financial statements and other financial information, in respect of:

   a. (01) subsidiary and one (1) jointly controlled entity whose financial statements reflect total assets of ₹909.09 crores as at 31st March, 2022, total revenues of ₹64.45 crores and total net profit after tax of ₹17.24 crores for the year ended 31st March, 2022 as considered in the consolidated financial statements.

   b. (04) Four associates, which include Group's share in net profit after tax of ₹222.04 crores for the year ended 31st March, 2022, as considered in the consolidated financial statements.

ये वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं और प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किए गए हैं और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय यह है कि, जहां तक यह इन अनुषंगियो, संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाईयों और सहयोगी कंपनियों के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरण से संबंधित है और हमारी रिपोर्ट उपरोक्त अनषंगियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई और सहयोगी कंपनियों से संबंधित है, और पूरी तरह से ऐसे अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों / वित्तीय जानकारी पर आधारित है। हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और व्याख्यान के अनुसार, ये वित्तीय विवरण समूह के लिए महत्व नहीं रखते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणियों पर हमारी राय, और नीचे दी गई अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, उपरोक्त मामलों के संबंध में संशोधित नहीं की गई है, जो प्रबंधन द्वारा प्रमाणित जानकारी, काम पर हमारी निर्भरता और अन्य लेखा परीक्षकों और वित्तीय विवरणियों / वित्तीय जानकारी पर निर्भर करती है ।

10. समूह की एक अनुषंगी कंपनी केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लेखा परीक्षकों ने बताया है कि लाइफ पॉलिसी के लिए देयताओं का सक्रिय मूल्यांकन कंपनी की नियुक्त बीमांकक (नियुक्त बीमांकक) की जिम्मेदारी है। 31 मार्च 2022 तक इन देनदारियों के बीमांकिक मूल्यांकन सक्रिय पॉलिसी और ऐसी पॉलिसी जिसके संबंध में प्रीमियम बंद कर दिया गया है, लेकिन देयता मौजूद है नियुक्ति बीमांकक द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है। नियुक्त किए गए बीमांकक ने कंपनी को प्रमाणित किया है कि इस तरह के मूल्यांकन की धारणाएं भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) और इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया द्वारा आईआरडीएआई के साथ सहमति में जारी दिशा–निर्देशों और मानदंडों के अनुसार हैं। इसके अलावा, संबंधित कंपोनेंट लेखा परीक्षक ने बताया है कि उन्होंने इस संबंध में नियुक्त किए गए बीमांकक के प्रमाणन पर भरोसा किया था और अब तक बीमांकन मूल्यांकन से संबंधित उनकी राय केवल नियुक्त बीमांकक के प्रमाणन पर आधारित है और इसे इस मामले के संबंध में संशोधित नहीं किया गया है ।

11. केनबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, एक सहायक कंपनी के लेखा परीक्षकों ने सूचित किया है कि कंपनी आरबीआई द्वारा निर्धारित प्राथमिक एनबीएफसी गतिविधियों को पूरा नहीं कर रही है और कंपनी अपनी वित्तीय संपत्तियों का निपटान करने का भी प्रयास कर रही है और इन घटनाओं से संकेत मिलता है कि भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जिसने इकाई की गोइंग कंसर्न (जारी संस्था) अवधारणा पर महत्वपूर्ण संदेह

These financial statements are unaudited and have been furnished to us by the Management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiary, jointly controlled entity and associates and our report in so far as it relates to the aforesaid subsidiary, jointly controlled entity and associates, is based solely on such unaudited financial statements / financial information. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the Management, these financial statements are not material to the Group.

Our opinion on the consolidated financial statements, and our report on Other Legal and Regulatory Requirements below, is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and the financial statements / financial information certified by the Management.

10. The auditors of Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd., a subsidiary, have reported that the actuarial valuation of liabilities for life policies in force is the responsibility of the Company's Appointed Actuary (the Appointed Actuary). The actuarial valuation of these liabilities as at 31st March, 2022 for policies in force and policies in respect of which premium has been discontinued but liability exists as at that date has been duly certified by the Appointed Actuary. The Appointed Actuary has certified to the company that the assumptions for such valuations are in accordance with the guidelines and norms issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) and the Institute of Actuaries of India in concurrence with the IRDAI. Further, the concerned Component Auditor has reported that they had relied upon the Appointed Actuary's certificate in this regard and their opinion in so far as it relates to the actuarial valuation is based solely on the certificate of the Appointed Actuary and is not modified in respect of this matter.

11. The auditors of Canbank Financial Services Ltd., a subsidiary, have reported that the company is not carrying out the primary NBFC activities stipulated by RBI and the Company is also trying to dispose of its financial assets and these events indicates that material uncertainty exists that cast significant doubt on the entity's going concern concept.

डाला। इसके अलावा, संबंधित घटक लेखापरीक्षक ने सूचित किया कि इस मामले के संबंध में उनकी राय में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

12. बैंक का समेकित तुलन पत्र और समेकित लाभ–हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया गया है।

13. उपरोक्त पैराग्राफ में दर्शाई गई लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 / 1980 द्वारा आवश्यक और उसमें किए गए खुलासों की सीमाओं के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) हमने हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए, जो हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया गया;

(ख) बैंक के लेनदेन, जो हमारे ध्यान में आए हैं, बैंक की शक्तियों के भीतर हैं; और

(ग) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त रिटर्न हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त पाए गए हैं।

14. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) हमारी राय में, बैंक द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित खाताबही उपयुक्त रूप से रखा गया है, हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए, हमारे द्वारा दौरा न की गई शाखाओं से प्राप्त उन खाताबही और उचित रिटर्न की जांच से वह समुचित प्रतीत होते हैं;

(ख) इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए समेकित तुलन-पत्र, समेकित लाभ और हानि खाता और समेकित नकद प्रवाह विवरणी बहीखाते और हमारे द्वारा दौरा न की गई शाखाओं से प्राप्त रिटर्न के अनुरूप हैं;

(ङ) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के तहत बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट हमें भेज दी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा उचित रूप से प्रयोग में लाया गया है;

Further, the concerned Component Auditor has reported that their opinion is not modified in respect of this matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

12. The Consolidated Balance Sheet and the Consolidated Profit and Loss Account of the Bank have been drawn up in accordance with the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949.

13. Subject to the limitations of the Audit indicated in the above paragraphs and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 / 1980 and subject also to the limitations of disclosures therein, we report that:

(a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

(b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

(c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

14. We further report that:

(a) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;

(b) The Consolidated Balance Sheet, Consolidated Profit and Loss Account and Consolidated Cash flow statement dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from branches not visited by us;

(c) The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;

(ई) हमारी राय में, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत न होने की सीमा तक लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

कृते मेसर्स एन. के. भार्गव & कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 000429N

(एन. के. भार्गव)
भागीदार
सदस्यता सं. 080624

कृते राव & एम्मार
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 003084S

(आर सुब्रमणियन)
भागीदार
सदस्यता सं. 015617

कृते पी ए & असोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 313085E

(बृजानंद दाश)
भागीदार
सदस्यता सं. 062142

कृते अरुण के अग्रवाल & असोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 003917N

(अरुण कुमार अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 082899

कृते सरथ & असोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 005120S

(पी सरथ कुमार)
भागीदार
सदस्यता सं. 021755

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 06.05.2022

(d) In our opinion, the aforesaid consolidated financial statements comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.

For M/s. N. K. Bhargava & Co.
Chartered Accountants
FRN: 000429N

(N. K. Bhargava)
Partner
Membership Number 080624

For Rao & Emmar
Chartered Accountants
FRN: 003084S

(R Subramanian)
Partner
Membership Number 015617

For P A & Associates
Chartered Accountants
FRN: 313085E

(Brajananda Dash)
Partner
Membership Number 062142

For Arun K Agarwal & Associates
Chartered Accountants
FRN: 003917N

(Arun Kumar Agarwal)
Partner
Membership Number 082899

For SARATH & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN: 005120S

(P Sarath Kumar)
Partner
Membership Number 021755

Place : Bengaluru
Date : 06.05.2022

असंशोधित विचार के साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट की घोषणा

हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए बैंक के समेकित वार्षिक वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में असंशोधित विचार शामिल हैं ।

एस के मजूमदार
महा प्रबंधक एवं
मुख्य वित्त अधिकारी

एल वी प्रभाकर
प्रबंध निदेशक व
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

कृते एन. के. भार्गव & कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 000429N

(एन. के. भार्गव)
भागीदार
सदस्यता सं. 080624

कृते राव & एम्मार
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 003084S

(आर सुब्रमणियन)
भागीदार
सदस्यता सं. 015617

कृते पी ए & असोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 313085E

(बृजानंद दाश)
भागीदार
सदस्यता सं. 062142

कृते अरुण के अग्रवाल & असोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 003917N

(अरुण कुमार अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 082899

कृते सरथ & असोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 005120S

(पी सरथ कुमार)
भागीदार
सदस्यता सं. 021755

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 06.05.2022

DECLARATION OF AUDIT REPORT WITH UNMODIFIED OPINION

We hereby declare that Auditors Report on Consolidated Annual Financial Statements of the Bank for the Financial Year ended 31st March, 2022 contains unmodified opinion.

S K MAJUMDAR
GENERAL MANAGER
& CFO

L V PRABHAKAR
MANAGING DIRECTOR
& CEO

For N. K. Bhargava & Co.
Chartered Accountants
FRN: 000429N

(N. K. Bhargava)
Partner
Membership Number 080624

For Rao & Emmar
Chartered Accountants
FRN: 003084S

(R Subramanian)
Partner
Membership Number 015617

For P A & Associates
Chartered Accountants
FRN: 313085E

(Brajananda Dash)
Partner
Membership Number 062142

For Arun K Agarwal & Associates
Chartered Accountants
FRN: 003917N

(Arun Kumar Agarwal)
Partner
Membership Number 082899

For Sarath & Associates
Chartered Accountants
FRN: 005120S

(P Sarath Kumar)
Partner
Membership Number 021755

Place : Bengaluru
Date : 06.05.2022

सेवा में,

निदेशक मंडल
केनरा बैंक
प्रका : बेंगलूरु

विषय: सीईओ / सीएफओ प्रमाणन - सेबी सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ (एलओडीआर) विनियमन, 2015 का विनियम 17(8)

बोर्ड को यह प्रमाणित किया जाता है कि;

क) हमने 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणियों और नकद प्रवाह विवरणियों की समीक्षा की है और हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार:

(i) इन विवरणियों में कोई तात्विक रूप से असत्य विवरण शामिल नहीं है या किसी भी तात्विक तथ्य को छोड़ा नहीं गया है या ऐसे कथन शामिल नहीं हैं जो भ्रामक हो सकते हैं;

(ii) ये विवरणियां बैंक के मामलों का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं और मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन करती हैं।

ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, बैंक द्वारा वर्ष के दौरान ऐसा कोई भी लेन–देन नहीं किया गया है जो बैंक की आचार संहिता के अनुसार कपटपूर्ण, गैरकानूनी या उसका उल्लंघन है।

ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने का उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रणों की बनावट या परिचालन में कमियों, यदि कोई हो, का प्रकटन किया है, जो हमें ज्ञात हो और इन कमियों को दूर करने के लिए हमने जो कदम उठाए हैं या ऐसा करने का प्रस्ताव है।

घ) हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को सूचित किया है

(i) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन।

(ii) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और जिनका प्रकटन वित्तीय विवरणियों के नोट में किया गया है; तथा

To,

The Board of Directors
CANARA BANK
HO : Bengaluru

Sub: CEO / CFO CERTIFICATION - REGULATION 17(8) OF SEBI (LODR) REGULATIONS, 2015

This is to certify to the Board that;

a) We have reviewed Consolidated financial statements and the cash flow statement for the year ended 31st March, 2022 and that to the best of our knowledge and belief:

(i) These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

(ii) These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.

c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

d) We have indicated to the auditors and the Audit Committee

(i) Significant changes in internal control over financial reporting during the year.

(ii) Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

(iii) वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंधन या कर्मचारी की धोखाधड़ी के महत्वपूर्ण उदाहरण, यदि कोई हो, जिनके बारे में हम जागरूक हो गए हैं, इसमें शामिल है।

एस के मजूमदार
महा प्रबंधक एवं
मुख्य वित्त अधिकारी

एल वी प्रभाकर
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 06.05.2022

(iii) Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

S K MAJUMDAR
GENERAL MANAGER
& CFO

L V PRABHAKAR
MANAGING DIRECTOR
& CEO

Place : Bengaluru
Date : 06.05.2022

यथा दिनांक 31 मार्च 2022 को समेकित तुलन–पत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2022

विवरण / Particulars	अनुसूची Schedule	यथा दिनांक 31.03.2022 को (₹ '000) As at 31.03.2022 (₹ '000)	यथा दिनांक 31.03.2021 को (₹ '000) As at 31.03.2021 (₹ '000)
पूँजी और देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES			
पूँजी / CAPITAL	1	1814 13 03	1646 73 82
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष / RESERVES AND SURPLUS	2	68147 19 49	60762 84 96
अल्पांश (मिनोरिटिएस) ब्याज / MINORITY INTEREST	2ए / 2A	824 69 09	793 37 68
जमा / DEPOSITS	3	1086340 95 41	1010985 02 18
उधार / BORROWINGS	4	46284 95 75	50012 80 28
अन्य देयताएं तथा प्रावधान / OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS	5	54251 61 05	55338 81 03
कुल / Total		**1257663 53 82**	**1179539 59 95**
आस्तियाँ / ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA	6	51637 07 54	43115 94 36
बैंकों में शेष और माँग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	7	130754 34 88	135750 43 48
निवेश / INVESTMENTS	8	311347 23 59	286191 25 30
अग्रिम / ADVANCES	9	703864 05 28	639286 54 46
अचल आस्तियाँ / FIXED ASSETS	10	11449 70 28	11271 16 56
अन्य आस्तियाँ / OTHER ASSETS	11	48611 12 25	63924 25 79
कुल / Total		**1257663 53 82**	**1179539 59 95**
आकस्मिक देयताएं / CONTINGENT LIABILITIES	12	375380 11 41	507289 38 32
वसूली के लिए बिल / BILLS FOR COLLECTION		34897 24 70	53385 99 26

श्री आर महेन्द्रन
मंडल प्रबंधक

श्री के शिवरामकृष्णन
मंडल प्रबंधक

श्री गणेश आर
सहायक महा प्रबंधक

श्री दीपक सक्सेना
सहायक महा प्रबंधक

श्री एस के मजूमदार
महाप्रबंधक एवं सीएफ़ओ

श्री वी रामचन्द्र
मुख्य महा प्रबन्धक

श्री बृज मोहन शर्मा
कार्यपालक निदेशक

श्री के सत्यनारायण राजू
कार्यपालक निदेशक

सुश्री ए मणिमेखलै
कार्यपालक निदेशक

श्री देबाशीष मुखर्जी
कार्यपालक निदेशक

एल.वी. प्रभाकर
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

सुचीन्द्र मिश्रा
निदेशक

आर केशवन
निदेशक

सुश्री नलिनी पद्मनाभन
निदेशक

श्री दिबाकर प्रसाद हरिचन्द्रन
निदेशक

वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर
निदेशक

बिमल पी शर्मा
निदेशक

श्री करुणाकर शेट्टी
निदेशक

समसंख्यक दिनांक को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते **एन के भार्गव एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 000429N
(एन.के. भार्गव)
साझेदार
सदस्य सं. 080624

कृते **राव एंड एम्मार**
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 003084S
(श्री आर सुब्रमण्यम)
साझेदार
सदस्य सं. 015617

कृते **पी एंड ए एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 313085E
(ब्रजानंद दास)
साझेदार
सदस्य सं. 062142

कृते **अरुण के अग्रवाल एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 003917N
(अरुण के अग्रवाल एंड एसोसिएट्स)
साझेदार
सदस्य सं. 082899

कृते **सरथ एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 005120S
(पी सरथ कुमार)
साझेदार
सदस्य सं. 021755

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 06.05.2022

यथा दिनांक 31.03.2022 को समाप्त वर्ष का समेकित लाभ व हानि खाता
CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2022

Particulars	अनुसूची Schedule	दिनांक 31.03.2022 को समाप्त वर्ष हेतु (₹ '000) 31.03.2022 (₹ '000)	दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष हेतु (₹ '000) 31.03.2021 (₹ '000)
I. आय / I. INCOME			
अर्जित ब्याज / INTEREST EARNED	13	70613 78 56	70253 27 03
अन्य आय / OTHER INCOME	14	23643 09 89	23086 17 75
कुल / Total		**94256 88 45**	**93339 44 78**
II. व्यय / II. EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज / INTEREST EXPENDED	15	43035 46 98	45182 49 71
परिचालन व्यय / OPERATING EXPENSES	16	27923 69 91	28284 89 69
प्रावधान और आकस्मिक व्यय PROVISIONS AND CONTINGENCIES		17502 61 90	17170 06 91
कुल / Total		**88461 78 79**	**90637 46 31**
सहयोगियों में आय का हिस्सा SHARE OF EARNINGS IN ASSOCIATES	17	363 32 89	254 58 12
अल्पांश ब्याज काटने से पहल के वर्ष के लिए समेकित निवल लाभ CONSOLIDATED NET PROFIT FOR THE YEAR BEFORE DEDUCTING MINORITIES' INTEREST		6158 42 55	2956 56 59
कम: अल्पांश ब्याज (निवल हानि) LESS: MINORITY INTEREST (NET LOSS)		33 60 38	65 96 10
समूह के फलस्वरूप वर्ष के लिए समेकित लाभ CONSOLIDATED PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO THE GROUP		6124 82 17	2890 60 49
III. विनियोजन / APPROPRIATIONS			
निम्नलिखित को अंतरण / TRANSFERS TO			
सांविधिक आरक्षित निधि / STATUTORY RESERVE		1419 60 27	639 39 42
पूंजी आरक्षित निधि / CAPITAL RESERVE		540 96 28	1162 70 39
निवेश आरक्षित निधि / INVESTMENT RESERVE		118 78 51	755 47 87
निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि / INVESTMENT FLUCTUATION RESERVE			-
विशेष आरक्षित निधि / SPECIAL RESERVE			-
अंतरिम लाभांश / INTERIM DIVIDEND			-

प्रस्तावित लाभांश / PROPOSED DIVIDEND		1179 18 47	-
लाभांश कर / DIVIDEND TAX			-
राजस्व व अन्य आरक्षित निधियों को अंतरित शेष BALANCE CARRIED OVER TO REVENUE AND OTHER RESERVES		2866 28 64	333 02 81
कुल / Total		**6124 82 17**	**2890 60 49**
प्रति शेयर अर्जन (मूल व तनुकृत) / EARNINGS PER SHARE (BASIC AND DILUTED) (₹ में / in ₹)		35.04	19. 11

R MAHENDRAN
DIVISIONAL MANAGER

K SIVARAMAKRISHNAN
DIVISIONAL MANAGER

GANESH R
ASST. GENERAL MANAGER

DEEPAK SAXENA
ASST. GENERAL MANAGER

S K MAJUMDAR
GENERAL MANAGER & CFO

V RAMACHANDRA
CHIEF GENERAL MANAGER

BRIJ MOHAN SHARMA
EXECUTIVE DIRECTOR

K. SATYANARAYANA RAJU
EXECUTIVE DIRECTOR

A. MANIMEKHALAI
EXECUTIVE DIRECTOR

DEBASHISH MUKHERJEE
EXECUTIVE DIRECTOR

L.V. PRABHAKAR
MANAGING DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER

SUCHINDRA MISRA
DIRECTOR

R KESAVAN
DIRECTOR

NALINI PADMANABHAN
DIRECTOR

DIBAKAR PRASAD HARICHANDAN
DIRECTOR

VENKATACHALAM RAMAKRISHNA IYER
DIRECTOR

BIMAL PRASAD SHARMA
DIRECTOR

KARUNAKARA SHETTY
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For **N. K. BHARGAVA & CO**
Chartered Accountants
FRN : 000429N
(N.K.BHARGAVA)
PARTNER
MEMBERSHIP NO.080624

For **RAO & EMMAR**
Chartered Accountants
FRN : 003084S
(R SUBRAMANIAN)
PARTNER
MEMBERSHIP NO.015617

For **P A & ASSOCIATES**
Chartered Accountants
FRN : 313085E
(BRAJANANDA DASH)
PARTNER
MEMBERSHIP NO:062142

For **ARUN K AGARWAL & ASSOCIATES**
Chartered Accountants
FRN : 003917N
(ARUN KUMAR AGARWAL)
PARTNER
MEMBERSHIP NO.082899

For **SARATH & ASSOCIATES**
Chartered Accountants
FRN : 005120S
(P SARATH KUMAR)
PARTNER
MEMBERSHIP NO.021755

Place : Bengaluru
Date : 06.05.2022

यथा दिनांक 31 मार्च 2022 को समेकित तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2022

	यथा 31.03.2022 को (₹ '000) As at 31.03.2022 (₹ '000)	यथा 31.03.2021 को (₹ '000) As at 31.03.2021 (₹ '000)
अनुसूची 1 – पूँजी / SCHEDULE 1 - CAPITAL		
I. प्राधिकृत पूँजी / I. Authorised Capital (₹10/– प्रति शेयर के 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर) (300,00,00,000 Equity Shares of ₹10/- each)	3000 00 00	3000 00 00
II. निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त: / II. Issued, Subscribed and Paid-up:		
i) केंद्र सरकार द्वारा धारित ₹10/– प्रति शेयर के 1,14,17,09,678 ईक्विटी शेयर पिछले वर्ष ₹10/– प्रति शेयर के 1,14,17,09,678 ईक्विटी शेयर i) 1,14,17,09,678 Equity Shares of ₹10/- each Previous year 1,14,17,09,678 Equity shares of ₹ 10/- each held by Central Government	1141 70 97	1141 70 97
ii) ₹10/– प्रति शेयर के 67,24,20,600 ईक्विटी शेयर अन्य द्वारा धारित पिछले वर्ष ₹10/– प्रति शेयर के 50,50,28,542 इक्विटी शेयर ii) 67,24,20,600 Equity Shares of ₹10/- each Previous year 50,50,28,542 Equity Shares of ₹10/- each held by others.	672 42 06	505 02 85
	1814 13 03	**1646 73 82**
अनुसूची 2 - आरक्षित निधियाँ तथा अधिशेष / SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS		
I. सांविधिक आरक्षित निधि / Statutory Reserves	13186 24 99	11758 18 96
II. पूँजी आरक्षित निधि / Capital Reserves	4725 45 86	4184 49 58
III. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि / Capital Reserves on Consolidation	2 79 19	2 79 19
IV. शेयर प्रीमियम / Share Premium	13983 84 71	30156 36 38
V. विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि / Foreign Currency Translation Reserve	-101 43 35	72 07 36
VI. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि / Revaluation Reserve	8506 23 25	8284 23 70
VII. निवेश आरक्षित निधि / Investment Reserve	528 30 26	409 51 75
VIII. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अनुसार विशेष आरक्षित निधि Special Reserve in terms of Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961	5536 46 92	5536 46 92
IX. राजस्व और अन्य आरक्षित निधि / Revenue and Other Reserves	21779 27 66	358 71 12
कुल / Total	**68147 19 49**	**60762 84 96**
अनुसूची 2ए - अल्पांश ब्याज / SCHEDULE 2A - MINORITIES INTEREST		
I. मूल–अनुषंगी संबंध स्थापित होने की तिथि पर अल्पांश ब्याज Minority Interest at the date on which the Parent-Subsidiary relationship came into existence	110 15 12	110 15 12
II. अनुवर्ती वृद्धि / (कमी) / Subsequent Increase / (Decrease)	714 53 97	683 22 56
कुल / Total	**824 69 09**	**793 37 68**

यथा दिनांक 31 मार्च 2022 को समेकित तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2022

	यथा 31.03.2022 को (₹ '000) As at 31.03.2022 (₹ '000)	यथा 31.03.2021 को (₹ '000) As at 31.03.2021 (₹ '000)
अनुसूची 3 - जमा / SCHEDULE 3 - DEPOSITS		
ए. A. I. माँग जमा / DEMAND DEPOSITS		
i. बैंक से / FROM BANKS	442 59 89	539 48 32
ii. अन्यों से / FROM OTHERS	52201 81 22	48779 43 16
कुल / Total	**52644 41 11**	**49318 91 48**
II. बचत बैंक जमा / SAVINGS BANK DEPOSITS	315926 24 74	281536 45 34
कुल / Total	**315926 24 74**	**281536 45 34**
III. मीयादी जमा / TERM DEPOSITS		
i. बैंक से / FROM BANKS	58757 09 31	49641 58 35
ii. अन्यों से / FROM OTHERS	659013 20 25	630488 07 01
कुल / Total	**717770 29 56**	**680129 65 36**
कुल / TOTAL	**1086340 95 41**	**1010985 02 18**
बी. B. शाखाओं की जमा / DEPOSITS OF BRANCHES		
i. भारत में / IN INDIA	1027766 91 46	963305 52 78
ii. भारत से बाहर / OUTSIDE INDIA	58574 03 95	47679 49 40
कुल / Total	**1086340 95 41**	**1010985 02 18**
अनुसूची 4 – उधार / SCHEDULE 4 - BORROWINGS		
I. भारत में उधार / BORROWINGS IN INDIA		
i. भारतीय रिज़र्व बैंक / RESERVE BANK OF INDIA	850 00 00	2408 00 00
ii. अन्य बैंक / OTHER BANKS		84 83 56
iii. अन्य संस्थाएं तथा एजेंसियाँ / OTHER INSTITUTIONS AND AGENCIES	9729 08 33	16369 10 10
iv. प्रतिभूति – रहित प्रतिदेय बॉण्ड / UNSECURED REDEEMABLE BONDS (आईपीडीआई और गौण ऋण) / (IPDI AND SUB-ORDINATED DEBT)	26686 10 00	23116 10 00
कुल / Total	**37265 18 33**	**41978 03 66**
II. भारत के बाहर उधार / BORROWINGS OUTSIDE INDIA		
i. अन्य बैंक / OTHER BANKS	9019 77 42	8034 76 62
ii. प्रतिभूति – रहित प्रतिदेय बॉण्ड / UNSECURED REDEEMABLE BONDS (गौण ऋण / SUB-ORDINATED DEBT)		
कुल / Total	**9019 77 42**	**8034 76 62**
कुल / TOTAL	**46284 95 75**	**50012 80 28**

यथा दिनांक 31 मार्च 2022 को समेकित तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2022

	यथा 31.03.2022 को (₹ '000) As at 31.03.2022 (₹ '000)	यथा 31.03.2021 को (₹ '000) As at 31.03.2021 (₹ '000)
अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान / SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES & PROVISIONS		
I. देय बिल / BILLS PAYABLE	2366 28 86	2067 24 19
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / INTER OFFICE ADJUSTMENT (NET)	(1125 45 12)	(2408 03 46)
III. उपचित ब्याज / INTEREST ACCRUED	2798 29 54	2620 29 41
IV. आस्थगित कर देयता / DEFERRED TAX LIABILITY		
V. अन्य (प्रावधान सहित) / OTHERS (INCLUDING PROVISIONS)	50212 47 77	53059 30 89
कुल / Total	**54251 61 05**	**55338 81 03**
अनुसूची 6 - भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद और शेष		
SCHEDULE 6-CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I. रोकड़ शेष / CASH IN HAND (विदेशी मुद्रा नोट सहित) / (INCLUDING FOREIGN CURRENCY NOTES)	4105 18 41	4404 70 42
II भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष / BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
चालू खाते में / – IN CURRENT ACCOUNT	47531 89 13	38711 23 94
कुल / Total	**47531 89 13**	**38711 23 94**
कुल / TOTAL	**51637 07 54**	**43115 94 36**
अनुसूची 7 - बैंकों में शेष तथा माँग और अल्पसूचना पर राशि		
SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
I. भारत में / IN INDIA		
i. बैंक में शेष / BALANCE WITH BANKS		
ए. चालू खातों में / a. IN CURRENT ACCOUNTS	401 04 94	242 55 28
बी. अन्य जमा खातों में / b. IN OTHER DEPOSIT ACCOUNTS	161 06 30	12 24 80
कुल / Total	**562 11 24**	**254 80 08**
ii. माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
ए. बैंकों में / a. WITH BANKS	25644 43 62	9801 71 26
बी. अन्य संस्थाओं में / b. WITH OTHER INSTITUTIONS	26532 30 21	53580 78 30
कुल / Total	**52176 73 83**	**63382 49 56**
कुल / TOTAL	**52738 85 07**	**63637 29 64**
II. भारत से बाहर / OUTSIDE INDIA		
i. चालू खातों में / i. IN CURRENT ACCOUNTS	25856 51 94	12244 95 62
ii. जमा खातों में / ii. IN DEPOSIT ACCOUNTS	31847 16 43	40325 47 13
iii. माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	20311 81 44	19542 71 09
कुल / Total	**78015 49 81**	**72113 13 84**
कुल / TOTAL	**130754 34 88**	**135750 43 48**

यथा दिनांक 31 मार्च 2022 को समेकित तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2022

		यथा 31.03.2022 को (₹ '000) As at 31.03.2022 (₹ '000)	यथा 31.03.2021 को (₹ '000) As at 31.03.2021 (₹ '000)
अनुसूची 8 - निवेश / SCHEDULE 8 - INVESTMENTS			
I.	भारत में निवेश : सकल INVESTMENTS IN INDIA: GROSS	313100 69 53	287489 30 14
	घटाएं पर: मूल्यह्रास व एनपीआई के लिए प्रावधान LESS: PROVISION FOR DEPRECIATION AND NPI	4407 64 62	4445 02 22
	भारत में निवल निवेश / NET INVESTMENT IN INDIA	**308693 04 91**	**283044 27 92**
i.	सरकारी प्रतिभूतियाँ GOVERNMENT SECURITIES	270100 20 79	246087 01 07
ii.	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ OTHER APPROVED SECURITIES	3276 67 28	2125 76 34
iii.	शेयर SHARES	11856 07 34	4314 69 44
iv.	डिबेंचर और बॉण्ड DEBENTURES AND BONDS	16812 46 30	17444 14 16
v.	सहभागियों में निवेश INVESTMENTS IN ASSOCIATES	3708 07 14	3167 92 34
vi.	अन्य (म्युचुअल फंड, वीसीएफ, सीडी, सीपी आदि) OTHERS (MFs, VCF, CDs, CP ETC.)	2939 56 06	9904 74 57
	कुल / Total	**308693 04 91**	**283044 27 92**
II.	भारत के बाहर निवेश– सकल INVESTMENTS OUTSIDE INDIA - GROSS	2677 92 57	3153 91 93
	घटाएं: मूल्यह्रास के लिए प्रावधान LESS : PROVISION FOR DEPRECIATION	23 73 89	6 94 55
	भारत के बाहर निवल निवेश NET INVESTMENTS OUTSIDE INDIA	2654 18 68	3146 97 38
i.	सरकारी प्रतिभूतियाँ / GOVERNMENT SECURITIES (स्थानीय प्राधिकरण सहित) / (INCLUDING LOCAL AUTHORITIES)	225 52 86	424 28 10
ii.	अन्य OTHERS	2428 65 82	2722 69 28
	कुल / Total	**2654 18 68**	**3146 97 38**
	कुल / TOTAL	**311347 23 59**	**286191 25 30**

यथा दिनांक 31 मार्च 2022 को समेकित तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2022

	यथा 31.03.2022 को (₹ '000) As at 31.03.2022 (₹ '000)	यथा 31.03.2021 को (₹ '000) As at 31.03.2021 (₹ '000)
अनुसूची 9 - अग्रिम / SCHEDULE 9 - ADVANCES		
ए. A. i. खरीदे गये तथा भुनाए गये बिल BILLS PURCHASED & DISCOUNTED	6485 73 97	5599 18 76
ii. रोकड़ उधार, ओवर ड्राफ्ट और माँग पर ऋण की चुकौती CASH CREDITS, OVERDRAFTS AND LOANS REPAYABLE ON DEMAND	273913 33 84	255191 36 76
iii. मीयादी ऋण / iii. TERM LOANS	423464 97 47	378495 98 94
कुल / Total	**703864 05 28**	**639286 54 46**
बी. B. i. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत / SECURED BY TANGIBLE ASSETS (स्टॉक और बही ऋण के प्रति ₹204925.16 करोड़ पिछले वर्ष ₹198157.45 करोड़ के अग्रिम सहित / INCLUDING ADVANCES AGAINST STOCK AND BOOK DEBTS ₹204925.16 CRORE, PREVIOUS YEAR ₹198157.45 CRORE)	504088 52 00	511434 85 27
ii. बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा प्रावरित COVERED BY BANK / GOVT. GUARANTEES	26638 22 23	7907 70 17
iii. प्रतिभूति रहित / UNSECURED	173137 31 05	119943 99 02
कुल / Total	**703864 05 28**	**639286 54 46**
सी. C. i. भारत में अग्रिम / **ADVANCES IN INDIA**		
i. प्राथमिकता क्षेत्र / PRIORITY SECTOR	337783 43 69	300354 15 77
ii. सार्वजनिक क्षेत्र / PUBLIC SECTOR	62043 78 37	50281 08 02
iii. बैंक / BANKS	11493 75 35	72
iv. अन्य / OTHERS	264822 76 71	268997 16 38
कुल / Total	**676143 74 12**	**619632 40 89**
II. भारत से बाहर अग्रिम / ADVANCES OUTSIDE INDIA		
i. बैंकों से देय / DUE FROM BANKS		
ii. अन्य से देय / DUE FROM OTHERS		
(ए) खरीदे गये तथा भुनाए गये बिल (a) BILLS PURCHASED AND DISCOUNTED		164 14 59
(बी) मीयादी / समूहन ऋण / (b) TERM / SYNDICATED LOANS	25595 42 49	16846 51 60
(सी) अन्य / (c) OTHERS	2124 88 67	2643 47 38
कुल / Total	**27720 31 16**	**19654 13 57**
कुल / TOTAL	**703864 05 28**	**639286 54 46**

यथा दिनांक 31 मार्च 2022 को समेकित तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2022

	यथा 31.03.2022 को (₹ '000) As at 31.03.2022 (₹ '000)		यथा 31.03.2021 को (₹ '000) As at 31.03.2021 (₹ '000)	
अनुसूची 10 - अचल आस्तियाँ / SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS				
I. परिसर / PREMISES				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत / मूल्यांकन / AT COST / VALUATION AS PER LAST BALANCE SHEET	10666 03 17		8241 54 57	
वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	21 17 23		1984 56 22	
	10687 20 40		10226 10 79	
वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन REVALUATION MADE DURING THE YEAR	354 66 23		484 74 22	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	14 19 15		44 81 84	
	11027 67 48		10666 03 17	
अद्यतन मूल्यह्रास / DEPRECIATION TO DATE	1516 66 96	9511 00 52	1304 07 40	9361 95 77
II. अन्य अचल आस्तियाँ / OTHER FIXED ASSETS				
(फर्नीचर और फिक्सचर सहित) (INCLUDING FURNITURE & FIXTURES)				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार लागत पर AT COST AS PER LAST BALANCE SHEET	7189 79 91		4394 69 52	
वर्ष के दौरान परिवर्धन ADDITIONS DURING THE YEAR	675 15 21		2941 74 86	
	7864 95 12		7336 44 38	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	329 67 55		146 64 48	
	7535 27 57		7189 79 90	
अद्यतन मूल्यह्रास/ DEPRECIATION TO DATE	5611 09 10	1924 18 47	5288 61 58	1901 18 32
III. पट्टागत आस्तियाँ / LEASED ASSETS				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार लागत पर AT COST AS PER LAST BALANCE SHEET	80 36 85		81 75 72	
वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	11 31 57		54 58	
	91 68 42		82 30 30	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	1 74 18		1 93 45	
	89 94 24		80 36 85	
अद्यतन मूल्यह्रास / DEPRECIATION TO DATE	78 34 67		75 00 27	
	11 59 57		5 36 58	
घटाएं : पट्टेदारी अंतिम समायोजन लेखा LESS: LEASE TERMINAL ADJUSTMENT ACCOUNT	(57 49)	12 17 06	(31 66)	5 68 24
IV. प्रवर्तमान पूंजीगत / CAPITAL WORK IN PROGRESS		2 34 23		2 34 23
कुल / Total		**11449 70 28**		**11271 16 56**

नोट: वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान किए गए जोड़ / घटाव और उक्त दिनांक तक किए गए मूल्यह्रास में पूर्ववर्ती सिंडिकेट बैंक से अग्रसारित शेष राशि शामिल है।
Note: Additions / Deductions during FY 2020-21 & Depreciation to date includes balances carried forward from erstwhile Syndicate Bank.

यथा दिनांक 31 मार्च 2022 को समेकित तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2022

	यथा 31.03.2022 को (₹ '000) As at 31.03.2022 (₹ '000)		यथा 31.03.2021 को (₹ '000) As at 31.03.2021 (₹ '000)	
अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ / SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS				
I. उपचित ब्याज / INTEREST ACCRUED		6228 03 65		8449 97 27
II. अग्रिम रूप में प्रदत्त कर / स्रोत पर कर कटौती (निवल) TAX PAID IN ADVANCE / TAX DEDUCTED AT SOURCE (NET)		16085 50 66		13720 62 14
III. लेखन सामग्री व स्टैम्प STATIONERY AND STAMPS		3 76 50		3 56 72
IV. दावों के निपटान में प्राप्त की गई गैर बैंकिंग आस्तियाँ NON BANKING ASSETS ACQUIRED IN SATISFACTION OF CLAIMS		99 69 36		108 16 76
V. अन्य / OTHERS		17189 70 76		30933 47 99
VI. आस्थगित कर आस्तियाँ / DEFERRED TAX ASSETS		9004 41 32		10708 44 91
कुल / Total		**48611 12 25**		**63924 25 79**
अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES				
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है / CLAIMS AGAINST THE BANK NOT ACKNOWLEDGED AS DEBTS		32276 27 59		16609 19 94
II. अंशतः प्रदत्त निवेश हेतु देयताएं LIABILITY FOR PARTLY PAID INVESTMENTS		44 00		44 00
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं LIABILITY ON ACCOUNT OF OUTSTANDING FORWARD EXCHANGE CONTRACTS		269478 53 82		416865 19 29
IV. ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियाँ GUARANTEES GIVEN ON BEHALF OF CONSTITUENTS				
ए. भारत में / a. IN INDIA	43722 62 37		45540 32 19	
बी. भारत से बाहर / b. OUTSIDE INDIA	162 87 21		168 10 97	
		43885 49 58		45708 43 16
V. स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं ACCEPTANCES, ENDORSEMENTS AND OTHER OBLIGATIONS		24842 43 63		23631 39 94
VI. अन्य मद जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है / OTHER ITEMS FOR WHICH THE BANK IS CONTINGENTLY LIABLE				
ए. पुनः भुनाए गये विनिमय बिल a. BILLS OF EXCHANGE REDISCOUNTED			-	
बी. अन्य / b. OTHERS	4896 92 79		4474 71 99	
		4896 92 79		4474 71 99
कुल / Total		**375380 11 41**		**507289 38 32**

यथा दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित लाभ व हानि खाते का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2022

	यथा दिनांक 31.03.2022 को समाप्त वर्ष हेतु (₹ '000) For the Year ended 31.03.2022 (₹ '000)		यथा दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष हेतु (₹ '000) For the Year ended 31.03.2021 (₹ '000)	
अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज / SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED				
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / डिस्काउंट INTEREST/DISCOUNT ON ADVANCES / BILLS		49879 79 26		50422 40 82
II. निवेशों से आय / INCOME ON INVESTMENTS		18163 91 75		17861 76 53
III. भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य अंतर बैंक निधियों में शेषराशि पर ब्याज / INTEREST ON BALANCES WITH RBI AND OTHER INTER BANK FUNDS		2173 62 86		1861 32 87
IV. अन्य / OTHERS		396 44 69		107 76 81
कुल / **Total**		**70613 78 56**		**70253 27 03**
अनुसूची 14 - अन्य आय / SCHEDULE 14 - OTHER INCOME				
I. कमीशन, विनिमय और दलाली COMMISSION, EXCHANGE AND BROKERAGE		1418 48 32		1846 81 84
II. निवेश के विक्रय से लाभ PROFIT ON SALE OF INVESTMENTS				
लाभ / PROFIT	3748 56 10		4066 17 32	
घटाएं : हानि / LESS : LOSS		3748 56 10		4066 17 32
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ PROFIT ON REVALUATION OF INVESTMENTS	346 58 29		2223 45 77	
घटाएं: निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि LESS: LOSS ON REVALUATION OF INVESTMENTS		346 58 29		2223 45 77
IV. भूमि / भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय से लाभ PROFIT ON SALE OF LAND / BUILDINGS AND OTHER ASSETS				
लाभ / PROFIT	14 42 05		28 70 25	
घटाएं : हानि / LESS : LOSS		14 42 05		28 70 25
V. विनिमय लेन-देन से लाभ PROFIT ON EXCHANGE TRANSACTIONS				
लाभ / PROFIT	2814 08 77		1883 13 26	
घटाएं: हानि / LESS : LOSS		2814 08 77		1883 13 26
VI. लाभांश के माध्यम से अर्जित आय INCOME EARNED BY WAY OF DIVIDEND		56 37 16		9 92 63
VII. विविध आय / MISCELLANEOUS INCOME		15244 59 20		13027 96 68
कुल / **Total**		**23643 09 89**		**23086 17 75**
अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED				
I. जमा पर ब्याज / INTEREST ON DEPOSITS		39753 72 66		42105 45 20
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज INTEREST ON RESERVE BANK OF INDIA / INTERBANK BORROWINGS		1260 25 59		1059 67 17
III. अन्य / OTHERS		2021 48 73		2017 37 34
कुल / **Total**		**43035 46 98**		**45182 49 71**

यथा दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित लाभ व हानि खाते का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2022

	यथा दिनांक 31.03.2022 को समाप्त वर्ष हेतु (₹ '000) For the Year ended 31.03.2022 (₹ '000)		यथा दिनांक 31.03.2021 को समाप्त वर्ष हेतु (₹ '000) For the Year ended 31.03.2021 (₹ '000)	
अनुसूची 16 - परिचालन व्यय **SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES**				
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान PAYMENTS TO AND PROVISIONS FOR EMPLOYEES		13208 73 45		13099 47 82
II. किराया, कर, बिजली / RENT, TAXES, LIGHTING		1156 50 91		1165 44 64
III. मुद्रण व लेखन सामग्री / PRINTING AND STATIONERY		131 04 61		179 75 50
IV. विज्ञापन व प्रचार / ADVERTISEMENT AND PUBLICITY		141 14 43		80 20 30
V. बैंक की संपत्ति में मूल्यह्रास / DEPRECIATION ON BANK'S PROPERTY		841 05 19		838 03 51
VI. निदेशकों का शुल्क, भत्ता और व्यय DIRECTORS' FEES, ALLOWANCES AND EXPENSES		1 07 77		1 06 75
VII. लेखा परीक्षकों का शुल्क और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों सहित) / AUDITORS' FEES AND EXPENSES (INCLUDING BRANCH AUDITORS' FEES AND EXPENSES)		68 15 05		116 99 93
VIII विधि प्रभार / LAW CHARGES		117 90 20		85 42 54
IX. डाक, तार, दूरभाष आदि POSTAGE, TELEGRAMS, TELEPHONES ETC.		119 88 15		148 32 37
X. मरम्मत और अनुरक्षण / REPAIRS AND MAINTENANCE		672 35 17		550 55 06
XI. बीमा / INSURANCE		877 60 67		1070 25 60
XII. अन्य व्यय / OTHER EXPENDITURE		10588 24 31		10949 35 67
कुल / Total		**27923 69 91**		**28284 89 69**
अनुसूची 17 - सहयोगियों में आय / (हानि) की हिस्सेदारी **SCHEDULE 17 - SHARE OF EARNINGS / (LOSS) IN ASSOCIATES**				
I. केनफिन होम्स लिमिटेड / CANFIN HOMES LTD.		141 28 44		136 81 81
II. कॉमनवेल्थ ट्रस्ट इंडिया लिमिटेड COMMONWEALTH TRUST INDIA LTD				
III. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / REGIONAL RURAL BANKS				
ए. कर्नाटक ग्रामीण बैंक A. KARNATAKA GRAMIN BANK	14 74 21		48133	
बी. केरल ग्रामीण बैंक B. KERALA GRAMIN BANK	43 65 61		9 37 22	
सी. आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक C. ANDHRA PRAGATHI GRAMEENA BANK	145 96 48		100 40 74	
डी. कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक D. KARNATAKA VIKAS GRAMEENA BANK	17 68 15	222 04 45	3 17 02	117 76 31
कुल / Total		**363 32 89**		**254 58 12**

अनुसूची - 18

यथा 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणियों की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

[1] (क) समेकित वित्तीय विवरणी तैयार करने का आधार

बैंक (मूल संस्था), इनकी अनुषंगियों, सहयोगी संस्थाओं तथा संयुक्त उद्यमों (समूह) की समेकित वित्तीय विवरणी (सीएफएस) ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत तैयार की गई है और अन्यथा उल्लेखित को छोड़कर भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों, संबंधित सांविधिक प्रावधानों, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित नियामक मानदंडों / दिशानिर्देशों, बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण, कंपनी अधिनियम, 2013, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानकों और संबंधित उद्योग / कारोबार की प्रचलित प्रथाओं के महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्यों के अनुरूप है।

(ख) अनुमानों का उपयोग:

समेकित वित्तीय विवरणी की तैयारी के लिए प्रबंधन तंत्र को आस्तियों, देयताओं, व्यय, आय तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटन को प्रभावित करनेवाली राशि के संबंध में वित्तीय विवरणी की तारीख को अनुमानों तथा धारणाओं को बनाने की आवश्यकता है। प्रबंधन का मानना है कि ये अनुमान व धारणाएं उचित व विवेकपूर्ण है। तथापि, वास्तविक परिणाम अनुमानों से अलग हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों के किसी भी संशोधन को वर्तमान तथा भविष्य की अवधि के लिए मान्यता दी गई है।

[2] समेकन प्रक्रिया

2.1 समूह [नौ (9) अनुषंगियों, पांच (5) सहयोगी संस्थाओं तथा एक (1) संयुक्त उद्यम सहित] के समेकित वित्तीय विवरणी की तैयारी निम्नलिखित के आधार पर की गई :

(क) केनरा बैंक (मूल संस्था) के लेखापरीक्षित लेखा

(ख) बैंक और उसकी अनुषंगियों के वित्तीय विवरणी एक रूपी लेखा नीतियों के अनुरूप होने के लिए आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी राशियों को एक जोड़कर अंतरा-समूह लेन देनों और नहीं उगाहे गये लाभ / हानि को हटाने के बाद और जहाँ कहीं आचरणीय हो, आवश्यक परिवर्तन करके पंक्ति दर पंक्ति आधार पर भारतीय सनदी

SCHEDULE - 18

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022

[1] (a) Basis of Preparation of Consolidated Financial Statements

The Consolidated Financial Statements (CFS) of the Bank (Parent), its Subsidiaries, Associates and Joint Venture (Group) are drawn up on historical cost convention and conform in all material aspects to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, applicable statutory provisions, regulatory norms / guidelines prescribed by Reserve Bank of India (RBI), Insurance Regulatory and Development Authority, Companies Act, 2013, Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the prevalent market practices, in the respective industry / business except as otherwise stated.

(b) Use of Estimates:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date of the financial statements. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized in current and future periods.

[2] Consolidation procedure

2.1 CFS of the Group [comprising of Nine (9) Subsidiaries, Five (5) Associates and One (1) Joint Venture] have been prepared on the basis of:

(a) Audited accounts of Canara Bank (Parent).

(b) Line by line aggregation of each item of asset / liability / income / expense of the Subsidiaries with the respective item of the Parent, and after eliminating all material intra-group balances / transactions, unrealised profit / loss and making necessary adjustments wherever required for all

लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गये लेखा मानक (एएस) 21 (समेकित वित्तीय विवरणी) के अनुरुप तैयार किये गये हैं।

(ग) सहयोगी संस्थाओं में की गई दीर्घावधि निवेश के लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानक (एएस) - 23 (सहयोगी संस्थाओं में निवेशों के लेखांकन के लिए समेकित वित्तीय विवरणी) द्वारा सहयोगी संस्थाओं के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर किया गया है। सहयोगी संस्थाओं के परिचालन परिणामों के निवेशक के हिस्से को समेकित लाभ व हानि विवरणी में अलग से दर्शाया गया है।

(घ) संयुक्त उद्यम के मामले में "समनुपातिक समेकन पद्धति" में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गये लेखा मानक (एएस) 27 (संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग) के अनुसार समेकित किया गया है।

2.2 समेकित वित्तीय परिणाम में अल्पांश ब्याज से तात्पर्य अनुषंगियों में निवल ईक्विटी / लाभ में अल्पसंख्यक शेयरधारकों के हिस्से से है।

2.3 अनुषंगियों में उसके निवेशों के साथ मूल संस्था की लागत तथा अनुषंगियों के ईक्विटी में मूल के हिस्से के बीच के अंतर को मामलानुसार साख / पूँजी आरक्षित निधि के रूप में मान्यता दी गई।

[3] विदेशी मुद्रा अंतरण / विदेशी मुद्रा संपरिवर्तन

3.1 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को काल्पनिक दरों पर प्रारंभिक तौर पर अभिलेखित किया जाता है। विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को विदेशी विनिमय विक्रेता संघ (फेडाई) द्वारा प्रकाशित दरों पर पुन: वर्णित किया गया है। पुन: वर्णन से त्रैमासिक दरों पर उत्पन्न होनेवाली विनिमय अंतरों को लाभ-हानि खाते में मान्यता देकर अभिलेखित किया गया है।

3.2 विदेशी शाखा के संबंध में लेनदेनों एवं शेष को अभिन्न विदेशी परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसे लेन-देनों तथा शेष राशि को बैंक (मूल संस्था) द्वारा तिमाही आधार पर समेकित किया गया है।

3.3 परिसंपत्तियों एवं देयताओं (दोनों मौद्रिक व गैर-मौद्रिक तथा आकस्मिक देयताएं) का अंतरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) 11 (विदेशी विनिमय दरों पर

significant non-uniform accounting policies as per Accounting Standard (AS) 21 (Consolidated Financial Statements) issued by ICAI.

(c) Long-term Investments in Associates are accounted for under the Equity Method as per Accounting Standard (AS) 23 (Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements) issued by ICAI based on the Audited Financial Statements of the Associates. The investor's share of the result of the operations of the Associates is reflected separately in the Consolidated Profit & Loss Account.

(d) Interests in Joint Ventures are consolidated on 'Proportionate Consolidation Method' as prescribed in Accounting Standard (AS) 27 (Financial Reporting of Interests in Joint Ventures) issued by ICAI.

2.2 Minority interest in the CFS consists of the share of the minority shareholders in the net equity / profit of the subsidiaries.

2.3 The difference between cost to the Parent of its initial investment in the subsidiaries and the Parent's portion of the equity of the subsidiaries is recognized as goodwill / capital reserve as the case may be.

[3] Foreign Currency Translation / Conversion of Foreign Currencies

3.1 Foreign currency monetary items are initially recorded at a notional rate. Foreign currency monetary items are restated at the rate published by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) at the end of each quarter. Exchange difference arising on restatement of such items at the quarterly rates is recognised in Profit & Loss Account.

3.2 Transactions and balances of foreign branches are classified as non-integral foreign operations. Such transactions and balances are consolidated by the Bank (Parent) on quarterly basis.

3.3 Assets and Liabilities (both monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing spot rate of exchange announced by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) as at the end of each quarter and

परिवर्तन के प्रभाव) के अनुरूप एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक तिमाही के अंत में 'फेडाई' द्वारा घोषित अंतिम हाजिर विनिमय दर पर किया जाता है। विदेशी शाखाओं के आय एवं व्यय मदों को 'फेडाई' द्वारा प्रकाशित तिमाही औसत समापन दर पर अंतरित किया जाता है।

परिणामस्वरूप होनेवाले विनिमय लाभ / हानि को, विदेशी मुद्रा अंतरण प्रारक्षिति में जमा / नामे किया जाएगा।

3.4 वायदा विनिमय संविदाएं

सभी वायदा विनिमय संविदाओं के प्रारंभ में उत्पन्न होनेवाले प्रीमियम या भुनन को व्यय या संविदा पर होनेवाले आय के रूप में परिशोधित किया गया है। वायदा विनिमय संविदाओं के अपरिशोधित प्रीमियम या भुनन सहित असामयिक रद्दकरण पर होनेवाले लाभ / हानि, यदि है तो, रद्दकरण तारीख पर मान्यता दी गई। वायदा संविदाओं पर विनिमय अंतरों को रिपोर्टिंग अवधि, जहाँ विनिमय दर परिवर्तित हुए हैं, पर लाभ व हानि खाते में मान्यता दी गई है।

3.5 बकाया वायदा विनिमय संविदाओं, गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों तथा अन्य बाध्यताओं के संबंध में आकस्मिक देयताओं का परिकलन फेडाई द्वारा प्रकाशित अंतिम दरों के अनुसार तुलन पत्र में किया गया है।

[4] निवेश

4.1 निवेशों का संवर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। बैंक का संपूर्ण निवेश संविभाग तीन संवर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे 'परिपक्वता के लिए धारित' (एचटीएम), 'बिक्री के लिए उपलब्ध' (एएफएस) और 'व्यापार के लिए धारित' (एचएफटी) जिसे प्रतिभूतियों के अभिग्रहण के समय निर्धारित किया जाता है।

निवेशों को तुलन-पत्र में छः संवर्गों में वर्गीकृत किया जाता है जैसे, (क) सरकारी प्रतिभूतियाँ (ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (ग) शेयर (घ) डिबेंचर और बांड (ङ) अनुषंगियाँ तथा संयुक्त उद्यम और (च) अन्य

4.2 निवेशों के अधिग्रहण लागत को निर्धारित करने के लिए:

(क) प्रतिभूतियों की खरीदी के समय उनसे संबंधित दलाली, कमीशन आदि जैसे लागतों को लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया जाता है।

(ख) अधिग्रहण / निपटान की तारीख तक ऋण लिखतों पर खंडित अवधि ब्याज को राजस्व के रूप में माना जाता है।

Income and Expenditure items of the foreign branches are translated at the quarterly average rate published by FEDAI in accordance with Accounting Standard (AS) 11 (The effect of Changes in Foreign Exchange rates) issued by the ICAI and as per the guidelines of RBI regarding the compliance of the said standard.

The resultant exchange gain / loss is credited / debited to Foreign Currency Translation Reserve.

3.4 Forward Exchange Contracts

Premium or discount arising at the inception of all forward exchange contracts are amortized as expense or income over the life of the contract. Profit / Loss arising on cancellation of forward exchange contracts, together with unamortised premium or discount, if any, is recognized on the date of termination. Exchange differences on forward contracts are recognized in the Profit & Loss account in the reporting period in which the exchange rates change.

3.5 Contingent liabilities in respect of outstanding forward exchange contracts, guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are stated in the balance sheet at the closing rates published by FEDAI.

[4] Investments

4.1 Classification of investments is made as per the guidelines of the RBI. The entire investment portfolio of the Parent is classified under three categories viz. 'Held to Maturity (HTM)', 'Available for Sale (AFS)' and 'Held for Trading (HFT)'. Such classification is decided at the time of acquisition of securities.

Investments are disclosed in the Balance Sheet under six classifications viz: (a) Government securities, (b) Other approved securities, (c) Shares, (d) Debentures & Bonds, (e) Investments in Associates and (f) Others

4.2 In determining the acquisition cost of investment:

(a) Cost such as brokerage, commission etc., relating to securities at the time of purchase are charged to Profit & Loss Account.

(b) Broken period interest on debt instruments up to the date of acquisition / disposal is treated as revenue.

4.3 निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है जो यथानुसार है:

(क) परिपक्वता के लिए धारित (एचटीएम)

अवधि समाप्ति हेतु धारित संवर्ग के अंतर्गत निवेश पर अभिग्रहण लागत, निवल प्रतिशोधन, अगर कोई है, तो उसके आधार पर किया जाता है। अंकित मूल्य से यदि कोई अधिक अभिग्रहण लागत हो तो उसे शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

अनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों के निवेश को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। मूल्य में कोई भी स्थायी ह्रास हो तो उसका पूर्णत: प्रावधान किया जाता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और अन्य न्यासी शेयरों में निवेशों को लागत पर रखा जाता है।

वेंचर पूँजी निधियों (वीसीएफ) में दिनांक 23.08.2006 के बाद किए गए निवेशों को तीन वर्षों की आरंभिक अवधि के लिए एचटीएम श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जाता है तथा लागत पर मूल्य निर्धारण किया जाता है। संवितरण की तारीख से तीन साल की अवधि के बाद इसे भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार एएफएस व बाज़ार के लिए चिहि्नत में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

(ख) बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)

इस संवर्ग के तहत वर्गीकृत निवेश त्रैमासिक आधार पर बाजार के लिए होते हैं तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक तिमाही की अंतिम तारीख (तुलन पत्र तारीख) को उपलब्ध बाज़ार दरों पर जो स्टॉक एक्सचेंजों पर व्यापार / भाव, भारतीय व्युत्पन्नी संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित मूल्य / आय के आधार पर मूल्यॉंकित किया जाता है।

प्रत्येक श्रेणी / वर्गीकरण के तहत प्रत्येक वर्ग के संबंध में निवल मूल्यह्रास उपलब्ध किया जाता है और निवल मूल्यवृद्धि को नकारा जाता है। प्रत्येक प्रतिभूतियों का मूल्यॉंकन बाज़ार के लिए अंकित किए जाने पर बही मूल्य को कोई परिवर्तन नहीं होता है।

तीन वर्षों की अवधि के पश्चात वेंचर पूँजी निधियों (वीसीएफ) में अंतरित एचटीएम श्रेणी की इकाइयों के [उक्त पैरा 4.3 (क) का संदर्भ लें] वेंचर पूँजी निधियों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर मूल्यांकित किया जाता है। यदि 18 महीनों के लिए

4.3 The valuation of Investments is done in accordance with the guidelines issued by the RBI as under:

(a) Held to Maturity (HTM)

Investments under Held to Maturity category are carried at acquisition cost, net of amortisation, if any. The excess of acquisition cost, if any, over the face value is amortized over the remaining period of maturity.

Investments in Associates are valued under equity method. Any diminution in the value other than temporary in nature is fully provided for.

Investment in sponsored Regional Rural Banks (RRB) and other Trustee Shares are valued at carrying cost.

Investment in units of Venture Capital Funds (VCFs) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of three years and valued at cost. After period of three years from date of disbursement, it will be shifted to AFS and marked-to-market as per RBI guidelines.

(b) Available for Sale (AFS)

Investments classified under this category are marked to market on quarterly basis and valued as per RBI guidelines at the market rates available on the last day of each quarter (Balance Sheet date) from trades / quotes on the stock exchanges, prices / yields declared by the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA). Unquoted securities are also valued as per the RBI guidelines.

The net depreciation under each category / classification is fully provided for, whereas the net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after these are valued at Mark-to-Market basis.

Units of Venture Capital Funds (VCF) transferred from HTM category after a period of three years [Refer para 4.3 (a) above] are valued at Net Asset Value (NAV) as per the audited financial statements of Venture Capital Funds.

ऐसी लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी उपलब्ध नहीं होती है तो, इकाइयों को ₹1 प्रति वेंचर पूँजी निधि के आधार पर मूल्याँकित किया जाता है।

(ग) व्यापार हेतु धारित (एचएफटी)

इस संवर्ग के तहत वर्गीकृत निवेशों को बाज़ार उद्धरण, भारतीय व्युत्पन्नी संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित मूल्य / आय के अनुसार साप्ताहिक आधार पर मूल्याँकित किया जाता है।

प्रत्येक प्रतिभूति के तहत निवल मूल्यह्रास को मान्यता दी गई तथा मूल्यवृद्धि, यदि कोई है तो, नकारा गया। प्रत्येक प्रतिभूतियों का मूल्याँकन "बाज़ार के लिए अंकित किए जाने" पर बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

4.4 एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में शेयरों का अंतरण निम्नानुसार किया जाता है

(क) परिपक्वता के लिए धारित (एचटीएम) श्रेणी से बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) / व्यापार के लिए धारित (एचएफटी) श्रेणी को अंतरण अधिग्रहण मूल्य / बही मूल्य पर किया जाता है । यदि एचटीएम श्रेणी के तहत निवेशों को, मूल रूप से प्रीमियम पर रखा जाता है तो परिशोधन लागत पर अंतरण किया जाता है और अंतरण और परिणामी मूल्यह्रास के परिणामस्वरूप प्रतिभूति का तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा; यदि कोई हो, प्रदान किया जाएगा।

(ख) एएफएस / एचएफटी श्रेणी से एच टी एम श्रेणी में अंतरण बही मूल्य या बाज़ार मूल्य में से निम्नतर मूल्य पर किया जाता है।

(ग) एएफएस से एचटीएम श्रेणी या इसके विपरीत को रखाव लागत पर अंतरित किया जाता है। उपचित मूल्यह्रास, यदि कोई है तो, एच एफ टी प्रतिभूतियों के प्रति मूल्यह्रास के प्रावधान के लिए और इसके विपरीत अंतरित किया जाता है।

4.5 प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी (प्रकं / पुकं) को बैंक द्वारा बेची गयी अनर्जक निवेश वित्तीय आस्तियों के मामले में प्रकं / पुकं द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों को उनके प्रतिदेय मूल्य और वित्तीय आस्तियों के निवल बही मूल्य में से निम्नतर मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है। बहियों में इनका निवेश उपर्युक्तानुसार निर्धारित मूल्य पर इनके विक्रय या वसूली तक किया जाता है और ऐसे विक्रय / वसूली पर हानि या लाभ निम्नानुसार पेश किया जाता है:

(क) यदि विक्रय निवल बही मूल्य से कम मूल्य पर है तो, तद्संबंधी कमी को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मान्यता दी जाती है।

(ख) यदि विक्रय निवल बही मूल्य से उच्च मूल्य पर है तो, अतिरिक्त प्रावधान को वापस नहीं किया जाता है, बल्कि

In case such audited financial statements are not available continuously for 18 months as on the date of valuation, units are valued at ₹1 per VCF.

(c) Held for Trading (HFT)

Investments classified under this category are valued at rates based on market quotations, price/ yields declared by FIMMDA on a weekly basis.

The net depreciation under each security held is fully provided for whereas the net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after "marked to market".

4.4 Transfer of scrips from one category to another is carried on the following basis

(a) HTM to AFS / HFT category at acquisition price / book value. In case the investments under HTM category, originally placed at premium than the transfer is made at amortised cost and security shall be immediately revalued consequent to the transfer and resultant depreciation; if any, shall be provided.

(b) AFS / HFT to HTM category at lower of the book value or market value.

(c) AFS to HFT category or vice versa, at the carrying value. The accumulated depreciation, if any, to be transferred to the provision for depreciation against HFT securities and vice versa.

4.5 Non-performing Investments Security Receipts issued by Securitisation / Reconstruction Company (SC / RC) in respect of financial assets sold by the Bank to the SC / RC are valued at the lower of the redemption value of the Security Receipt or the Net Book Value of the financial asset. The Investment is carried in the books at the price determined as above until its sale or realisation and on such sale or realisation, loss or gain is dealt with as below:

(a) If sale is at a price below Net Book Value (NBV), the shortfall is recognised as per Reserve Bank of India guidelines.

(b) If the sale is for a value higher than NBV, the excess provision is not reversed but utilized to

उसका उपयोग प्रकं / पुकं को अन्य वित्तीय आस्तियों के विक्रय से होनेवाली कमी / हानि की पूर्ति के लिए किया जाता है।

4.6 तीनों में से किसी भी श्रेणी में शामिल की गई प्रतिभूतियों के मामले में जहाँ ब्याज / मूल राशि एक निर्धारित अवधि के लिए बकाया है तो उसे अनर्जक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसी प्रतिभूतियों पर ब्याज आय की गणना नहीं की जाती है तथा निवेशों के मूल्य पर आवश्यक ह्रास / प्रावधान बनाया जाता है। ऐसे अनर्जक निवेशों के प्रति मूल्यह्रास को अन्य अर्जक आस्तियों के प्रति मूल्यवृद्धि से समंजन नहीं किया जाता है।

4.7 निवेशों की बिक्री पर लाभ

'बिक्री के लिए उपलब्ध' तथा 'व्यापार के लिए धारित' श्रेणियों के तहत निवेशों की बिक्री पर लाभ को लाभ व हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

'परिपक्वता के लिए धारित' श्रेणी के संबंध में निवेशों की बिक्री पर उपलब्ध लाभ को प्राथमिक तौर पर लाभ व हानि खाते में लिया जाता है तथा लाभ की समतुल्य राशि को पूँजी आरक्षित निधि (कर व आरक्षित निधि को अंतरित की जानेवाली राशि का निवल) में विनियोजित किया जाता है।

सभी तीनों श्रेणियों में निवेशों की बिक्री पर हानि को लाभ व हानि खाते में मान्यता दी गई है।

4.8 रेपो / प्रति रेपो का लेखांकन व चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ)

एलएएफ सहित रेपो / प्रति रेपो के तहत सहमत शर्तों पर आरबीआई से पुनःखरीद / पुनर्बिक्री करार के साथ खरीदी / बेची गई प्रतिभूतियों को उधार के रूप में लेखांकित किया गया है।

रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियों को निवेश के तहत दिखाया जाता है और रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियों को निवेश में शामिल नहीं किया जाता है। यथास्थिति अनुसार, लागत और राजस्व की गणना ब्याज व्यय / आय के रूप में की जाती है।

[5] व्युत्पन्नी संविदाएं

बैंक (मूल) ब्याज दर अदला-बदली और मुद्रा व्युत्पन्नियों में व्यवहार करता है। बैंक (मूल) द्वारा व्यवहार किये जा रहे ब्याज दर व्युत्पन्न रुपया ब्याज दर अदला-बदली, परस्पर लेनदेन की मुद्रा ब्याज दर अदला-बदली और वायदा दर करार होते हैं। बैंक (मूल संस्था) द्वारा व्यवहार की जा रही मुद्रा व्युत्पन्नियां, विकल्प और मुद्रा अदला-बदली होते हैं।

meet shortfall / loss on account of sale of other financial assets to SC / RC.

4.6 Non-Performing Investments Securities included in any of three categories where interest / principal is in arrears for a specified period, are classified as Non-Performing Investment. Interest Income on such securities is not reckoned and appropriate depreciation / provision in value of Investments is made. Deprecation in respect of such Non-Performing Investments is not set off against appreciation in other performing securities.

4.7 Profit on sale of Investments

Profit on sale of Investments in respect of 'Available for Sale' and 'Held for Trading' categories is recognized in Profit & Loss Account.

Profit on sale of Investments in respect of 'Held to Maturity' category is first taken to the Profit & Loss Account and an equivalent amount of Profit is appropriated to the Capital Reserve (net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserve).

Loss on sale of Investments in all the three categories is recognized in Profit & Loss Account.

4.8 Accounting for Repo / Reverse Repo and Liquidity Adjustment Facility (LAF)

Securities sold / purchased with an agreement to repurchase / resale on the agreed terms under Repo/ Reverse Repo including LAF with RBI are recognized as Borrowing / Lending.

Securities sold under Repo are continued to be shown under investments and Securities purchased under Reverse Repo are not included in investments. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

[5] Derivative contracts

The Bank (Parent) deals in Interest Rate Swaps and Currency Derivatives. The Interest Rate Derivatives dealt by the Bank (Parent) are Rupee Interest Rate Swaps, Cross Currency Interest Rate Swaps and Forward Rate Agreements. Currency Derivatives dealt by the Bank (Parent) are Options and Currency Swaps.

ऐसे व्युत्पन्नी संविदाओं को निम्नानुसार मूल्यॉंकित किया जाता है:

(क) व्यापार के लिए प्रयोग की जानेवाली व्युत्पन्नियां बाज़ार के लिए अंकित आधार पर मूल्यांकन की जाती हैं और निवल मूल्यह्रास की पहचान की जाती है जबकि निवल मूल्यवृद्धि को नकारा जाता है।

(ख) प्रतिरक्षा के लिए उपयोग में लायी जा रही व्युत्पन्नी संविदाएं निम्नानुसार हैं:

(i) प्रतिरक्षा के रूप में निर्धारित व्युत्पन्नी संविदाएं बाजार के लिए अंकित नहीं की जाती है, जब तक कि उनकी आधारभूत आस्तियां बाजार के लिए अंकित न हो।

(ii) प्रतिरक्षा अदला-बदली के लिए उपचित आधार पर आय / व्यय का लेखा किया जाता है।

[6] अग्रिम

6.1 अग्रिमों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंड के अनुसार अर्जक और अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

6.2 अग्रिमों को उधारकर्तावार मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

6.3 अर्जक / अनर्जक अग्रिमों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार घरेलू अग्रिमों हेतु प्रावधान किए गए हैं।

6.4 विदेशी शाखाओं के अर्जक / अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान, मेजबान देश के विनियमों / भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारितानुसार, जो भी अधिक कड़े हैं, किए जाते हैं।

6.5 तुलन पत्र में बताए गए अग्रिम अनर्जक आस्तियों, क्रेडिट गारंटी संस्थानों से प्राप्त दावे और पुनर्भुनाई के लिए किए गए प्रावधानों के निवल हैं।

6.6 अनर्जक अग्रिमों में वसूलियों को पहले प्रभारों और ब्याज के रूप में समायोजित किया जाता है, उसके बाद मूलधन के लिए समायोजित किया जाता है। एनपीए खातों में वसूली, जो एनसीएलटी समाधान के माध्यम से ओटीएस के तहत निपटाए जाते हैं और जिन्हें विवेकपूर्ण / तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाल दिया जाता है, जिसमें सरकारी गारंटी / सब्सिडी द्वारा कवर किए गए खाते भी शामिल होते हैं जहां वसूली मूलधन, शुल्क और ब्याज के क्रम में समायोजित की जाती है।

6.7 प्रतिभूतिकरण / पुनर्निमाण कंपनी को बेची गयी वित्तीय आस्तियों के मामले में, मूल्यॉंकन, आय निर्धारण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

Such derivative contracts are valued as under:

(a) Derivative contracts dealt for trading are valued on mark-to-market basis, net depreciation is recognized while net appreciation is ignored.

(b) Derivative contracts undertaken for hedging are:

(i) Derivative contracts designated as hedges are not marked to market unless their underlying asset is marked to market.

(ii) Income / Expenditure is recognized on accrual basis for Hedging Swaps.

[6] **Advances**

6.1 Advances are classified as Performing and Non-Performing Assets in accordance with the prudential norms issued by RBI.

6.2 Advances are classified into Standard, Sub-Standard, Doubtful and Loss assets borrower-wise.

6.3 Provisions for Domestic Advances are made for Performing / Non-Performing Advances in accordance with the RBI Guidelines.

6.4 Provisions for Performing / Non-Performing advances with foreign branches are made as per regulations of host country or according to the norms prescribed by RBI, whichever is more stringent.

6.5 Advances stated in the Balance Sheet are net of provisions made for Non-Performing Assets, claims received from Credit Guarantee Institutions and rediscount.

6.6 Recoveries in Non-Performing Advances are apportioned first towards charges and interest, thereafter towards principal. Recovery in NPA accounts which are settled under OTS, through NCLT Resolution and which are Prudentially/ Technically Written off including Accounts covered by Government Guarantees / Subsidy where the recoveries are adjusted in the order of Principal, Charges and Interest.

6.7 In case of financial assets sold to SC / RC, the valuation and income recognition are done as per RBI guidelines.

6.8 एनपीए पर निर्दिष्ट प्रावधान के अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए जाते हैं।

[7] अचल परिसंपत्तियां

7.1 बैंक के परिसर में मुक्त भूमि और पट्टेवाली भूमि संपत्ति दोनों शामिल हैं। सभी अचल परिसंपत्तियों का पूंजीयन उसके उपयोग की तिथि के आधार पर किया जाता है।

7.2 भूमि व परिसर को पुनर्मूल्यन लागत और अन्य अचल परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक लागत पर बताया गया है। पुर्नमूल्यांकन पर मूल्य वृद्धि, यदि कोई हो तो, उसे 'पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि' खातों में जमा किया जाता है। संवर्धित मूल्य के कारण होनेवाले मूल्यह्रास / परिशोधन को लाभ व हानि खाते में नामे किया जाता है। पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियों से राजस्व आरक्षित निधियों में समतुल्य राशि हस्तांतरित की गई है।

[8] मूल्यह्रास

8.1 मूल संस्था

8.1.1 संपत्ति के जीवन काल के आधार पर सभी संपत्तियों के लिए मूल्यह्रास की विधि सीधी रेखा पद्धति के आधार पर है।

8.1.2 सॉफ्टवेयर / अमूर्त, सर्वर, विद्युत उपकरण और मोटर वाहनों को छोड़कर सभी आस्तियों का जीवनकाल कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग सी अनुसूची II के अनुसार परिभाषित किया गया है।

8.1.3 विभिन्न वर्ग की आस्तियों के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई आस्तियों का अनुमानित जीवनकाल निम्नानुसार है:

क्र. सं.	संपत्ति का प्रकार	अनुमानित जीवनकाल
i	पूर्ण स्वामित्व वाली इमारतें	60 साल
ii	ए) पट्टाधारित भूमि	पट्टा अवधि
	बी) पट्टाधारित इमारतें	पट्टा अवधि से कम या 60 वर्ष
iii	फर्नीचर और फिक्स्चर	10 साल
iv	**ए) इलेक्ट्रोनिक उपकरण:** टेलीविजन, प्रोजेक्टर, रेफ्रिजरेटर आदि और सुरक्षा गैजेट जैसे सीसीटीवी एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम, नोट काउंटिंग, नोट सॉर्टिंग मशीन, एटीएम आदि।	5 साल

6.8 In addition to the specific provision on NPAs, general provisions are also made for standard assets as per extant RBI Guidelines.

[7] Fixed Assets

7.1 The premises of the Bank include freehold and leasehold properties. All the Fixed Assets are capitalized based on the date of put to use.

7.2. Land and Premises are stated at revalued cost and other fixed assets are stated at historical cost. The appreciation on revaluation, if any, is credited to the 'Revaluation Reserve' Account. Depreciation / Amortization attributable to the enhanced value have been debited to the Profit & Loss account. Equivalent amount has been transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve.

[8] Depreciation

8.1 Parent

8.1.1 Depreciation method is on Straight Line Method, for all Assets based on life span of the assets.

8.1.2 The life span of the assets is defined as per Part C, Schedule II of the Companies Act, 2013 other than Software / Intangibles, Servers, Electrical Equipments and Motor Vehicles.

8.1.3 Estimated life span of the assets adopted by the bank for different class of assets is as under:

Sl No	Type of asset	Estimated life span
i	Free hold Buildings	60 Years
ii	A) Lease hold Land	Lease period
	B) Lease hold Building	Lower of lease period or 60 Years
iii	Furniture & Fixtures	10 Years
iv	**A) Electronic Equipment:** Televisions, Projectors, Refrigerators, etc and Security Gadgets like CCTV Access Control System, Fire Alarm System, Note Counting, Note Sorting Machines, ATMs etc.	5 Years

	बी) इलेक्ट्रीकल उपकरणः वाटर कूलर, ग्राइंडर, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरीफायर, स्टेबलाइजर्स, पंखे आदि।	8 वर्ष
	सी) इलेक्ट्रीकल फिक्स्चरः जैसे एलईडी/ट्यूब लाइट फिक्स्चर इत्यादि।	10 वर्ष
v	कंप्यूटर और सर्वर	3 साल
vi	मोटर गाड़ी	5 साल

मूल्यह्रास की दरों में परिवर्तन (जीवन काल के आधार पर) को दिनांक 01–04–2020 से लागू किया गया है।

8.1.4 सॉफ्टवेयर / अमूर्त संपत्ति का 5 वर्षों में परिशोधन किया जाता है।

8.1.5 यदि अधिग्रहण के वर्ष में वस्तु को 180 दिनों और उससे अधिक के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए 100% मूल्यह्रास लगाया जाएगा। यदि अधिग्रहण के वर्ष में 180 दिनों से कम समय के लिए परिसंपत्ति का उपयोग किया जाता है, तो संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए 50% मूल्यह्रास लगाया जाता है।

8.1.6 मूल लागत मूल्य का 5% अवशिष्ट मूल्य होगा यदि संपत्ति का उपयोगी जीवन 8 वर्ष और उससे अधिक है। मूल लागत मूल्य का ₹5/– अन्य परिसंपत्तियों के लिए अवशिष्ट मूल्य है।

8.1.7 पट्टेदारी संपत्तियों पर भुगतान किए गए प्रीमियम को लीज अवधि या प्रासंगिक संपत्ति के जीवन काल, जो भी पहले हो, पर चार्ज किया जाता है। पट्टेदारी भूमि की लागत और पट्टेदारी सुधारों को पट्टे की अवधि या प्रासंगिक परिसंपत्तियों के जीवन काल में, जो भी कम हो, परिशोधित किया जाता है।

8.1.8 विदेशी कार्यालयों में धारित अचल संपत्तियों के संबंध में, संबंधित देशों के विनियमों / मानदंडों के अनुसार मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।

8.1.9 ऑपरेटिंग लीज पर ली गई परिसंपत्तियों के लिए लागत वृद्धि सहित लीज भुगतान को आईसीएआई द्वारा जारी एएस 19 (पट्टों) के अनुसार लीज अवधि में लाभ और हानि खाते में मान्यता दी गई है।

8.2 अनुषंगियां

(क) घरेलू अनुषंगियों की स्थायी परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास

	B) Electrical Equipment: Water Cooler, Grinder, Mixer Grinder, Water Purifiers, Stabilizers, Fans etc.	8 Years
	C) Electrical Fixtures: Like LED / Tube light Fixtures, etc.	10 years
v	Computers and Servers	3 Years
vi	Motor Vehicles	5 years

The change in rates (based on life span) of depreciation is applied effective from 01-04-2020.

8.1.4 Software / Intangible Assets are amortized over 5 years.

8.1.5 If the item is put to use for 180 days and above in the year of acquisition, 100% depreciation will be charged for the concerned financial year. If the asset is put to use for less than 180 days in the year of acquisition, 50% depreciation to be charged for the concerned financial year.

8.1.6 5% of the Original cost price will be residual value in case of the assets having useful life 8 years and above. ₹5/- of the Original cost price is residual value for other assets..

8.1.7 Premium paid on leasehold properties is charged off over the lease period or life span of relevant asset, whichever is earlier. Cost of leasehold land and leasehold improvements are amortised over the period of lease or life span of relevant assets whichever is lower.

8.1.8 In respect of fixed assets held at foreign offices, depreciation is provided as per the regulations / norms of the respective countries

8.1.9 Lease payments including cost escalation for assets taken on operating lease are recognised in the Profit and Loss Account over the lease term in accordance with the AS 19 (Leases) issued by ICAI.

8.2 Subsidiaries:

(a) Fixed Assets of the domestic subsidiaries are

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के तहत निर्धारित दरों पर किया जाता है।

(ख) सॉफ्टवेयर खरीदी / विकास तथा लाइसेंस लागत आदि जैसे अमूर्त आस्तियों का मूल्यह्रास सीधी लाइन पद्धति आधार पर सॉफ्टवेयर के उपयोज्य जीवन के अनुसार सॉफ्टवेयर के प्रथम उपयोग से अधिकतम 3 वर्षों के लिए मूल हासिल किया जाता है।

(ग) पट्टेदारी परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित पद्धति और दरों पर या करारों के अनुसार पट्टेदारी की पूरी प्राथमिक / द्वितीयक अवधि के लिए पट्टेदारी किरायों को वर्ष के दौरान संचित पट्टेदारी किरायों का अनुपात, दोनों में जो अधिक हो उस दर पर किया जाता है।

[9] आस्तियों की हानि

प्रत्येक तुलन पत्र तारीख को यह मूल्यांकन किया जाता है कि किसी आस्ति के अपक्षयन का संकेत है या नहीं। यदि ऐसा कोई संकेत पाया जाता है तो, वसूली योग्य राशि का एक अनुमान बनाया जाता है तथा यदि कोई अपक्षयन है तो, प्रावधान किया जाता है।

[10] राजस्व का परिकलन

निम्नलिखित को छोड़कर आय व व्यय का लेखांकन सामान्यतया उपचित आधार पर किया जाता है।

(क) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार अनर्जक अग्रिमों तथा अनर्जक निवेशों पर ब्याज को मान्यता दी गई है।

(ख) अतिदेय बिलों, कमीशन (सरकारी कारोबार और एलसी बीजी के लिए कमीशन को छोड़कर), विनिमय, दलाली तथा लॉकर किराये पर ब्याज की गणना वसूली होने पर की जाती है। लाभांश की गणना तब की जाएगी जब उसको प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाएगा।

(ग) जहां तक बैंक के विदेशी कार्यालयों का संबंध है, आय और व्यय की उस देश के स्थानीय कानूनों के अनुसार गणना की जाती है जहाँ संबंधित विदेशी कार्यालय स्थित है।

(घ) मुकदमा दायर किए गए लेखों के मामले में संबंधित विधिक तथा अन्य व्ययों को लाभ–हानि खाते में प्रभारित किया जाता है तथा वसूली पर उसकी गणना आय के रूप में की जाती है ।

depreciated as provided in the Schedule II of the Companies Act, 2013.

(b) Intangible assets comprising of software purchase / developed and licensing cost are depreciated on straight-line method over the useful life of the software upto a maximum of 3 years commencing from the date on which software is first utilized.

(c) In respect of leased assets, depreciation is charged either as per the method and rates prescribed under the Companies Act, 2013 or in the ratio of lease rentals accrued during the year to lease rentals for the entire primary / secondary period of the lease, as per agreements, whichever is higher.

[9] Impairment of Assets

An assessment is made at each balance sheet date whether there is any indication that an asset is impaired. If any such indication exists, an estimate of the recoverable amount is made and impairment loss, if any, is provided for.

[10] Revenue Recognition

Income and expenditure are generally accounted on accrual basis, except the following:

(a) Interest on Non-Performing advances and Non-Performing Investments is recognized as per norms laid down by the RBI.

(b) Interest on Overdue Bills, Commission (other than Government business & Commission for LC BG), Exchange, Brokerage and rent on lockers is accounted on realization. Dividend is accounted when the right to receive the same is established.

(c) As regards Bank's foreign offices, income and expenditure are recognised as per the local laws of the country in which the respective foreign office is located.

(d) In case of suit filed accounts, related legal and other expenses incurred are charged to Profit & Loss Account and on recovery the same are accounted as Income.

[11] जीवन बीमा कंपनी

(क) प्रीमियम

पॉलिसी धारकों से वसूली की तार्किक निश्चितता है तो, देय प्रीमियम को आय के रूप में मान्यता दी गई है। इकाई संबद्ध कारोबार के लिए इकाइयों के आबंटन पर आय को मान्यता दी गई है। व्यपगत पॉलिसियों पर प्रीमियम को पॉलिसियाँ बहाल होने पर आय के रूप में मान्यता दी गई है। प्रीमियम को जीएसटी / सेवा कर के निवल के रूप में मान्यता दी गई है। टॉप-अप प्रीमियम को एकल प्रीमियम के रूप में माना गया है।

(ख) संबद्ध कारोबार से आय

निधि प्रबंधन प्रभार, प्रशासनिक प्रभार, मृत्यु दर प्रभार और अन्य प्रभार उत्पाद विशेषताओं के अनुसार संबद्ध निधियों से पॉलिसी के नियम व शर्तों के आधार पर वसूल किया जाता है तथा देय होने पर मान्यता दी जाती है।

(ग) पुनर्बीमा प्रीमियम

पुनर्बीमा प्रीमियम के भुगतान का लेखांकन पुन: बीमा कंपनी के साथ की गई सैद्धांतिक व्यवस्था या संधि के अनुसार किया जाता है।

(घ) प्रदत्त लाभ (दावे सहित)

दावों के लागत में पॉलिसी से लाभ की राशि तथा दावा निपटान लागत, जहाँ लागू हो, शामिल होता है। मृत्यु दावों तथा राइडर दावों की लेखांकन सूचना प्राप्ति के बाद की जाती है।

उत्तरजीवी लाभ दावों तथा परिपक्वता दावों का लेखांकन भुगतान के लिए देय होने पर किया जाता है।

यूनिट लिंक पॉलिसियों के अंतर्गत अभ्यर्पण तथा आहरण (प्रभार का निवल) का लेखांकन, संबद्ध यूनिटों के रद्द होने पर किया जाता है। परंपरागत पॉलिसियों के अंतर्गत इनका लेखांकन अभ्यर्पण की सूचना प्राप्ति तथा स्वीकार किए जाने पर किया जाता है।

लॉक इन अवधि के भीतर संबद्ध पॉलिसियों के अभ्यर्पण के मामले में अर्थात्, पॉलिसी जारी किए जाने की तिथि से 5 वर्ष (1 सितंबर 2010 के बाद जारी की गई पॉलिसियों), ऐसी पॉलिसियों के, अभ्यर्पण मूल्य को एक नामोद्दिष्ट निधि "यूएल व्यतिक्रम पॉलिसी निधि" में निवेशित किया जाता है तथा पॉलिसी धारक को, लॉक

[11] Life Insurance Company

(a) Premium

Premium is recognised as income when due from policy holders, if there is a reasonable certainty of collectability. For unit linked business, income is recognized when the units are allocated. Premium on lapsed policies is recognized as income when such policies are reinstated. Premiums are recognized net of GST / service tax. Top-up premium is considered as single premium.

(b) Income from Linked Business

Fund management charges, administrative charges, mortality charges and other charges as per the product feature are recovered from linked funds in accordance with terms and conditions of policies and are recognized when due.

(c) Reinsurance Premium

Reinsurance premium ceded is accounted in accordance with the treaty or in-principle arrangement with the re-insurer.

(d) Benefits paid (including claims)

Claims costs consist of the policy benefit amount and claim settlement costs, where applicable. Death claims and rider claims are accounted for on receipt of intimation.

Survival benefit claims and maturity claims are accounted for when due for payment.

Surrenders and withdrawals (net of charges) under unit linked policies are accounted for when associated units are cancelled. Under traditional policies these are accounted for when the intimation for the surrender is received and accepted.

In case of surrender of linked policy within the lock-in period i.e., 5 years from the date of issue of policy (in case of policies issued after 1st September 2010), the surrender value of such policies is invested in a designated fund called ‘UL Discontinued Policy Fund’ and is paid to the policy holder on the expiry

इन अवधि की समाप्ति के बाद न्यूनतम निश्चित प्रतिलाभ या वास्तविक प्रतिलाभ, दोनों में जो अधिक हो, का भुगतान किया जाता है।

बीमित प्रस्तावक की मृत्यु के उपरांत यदि बीमा उत्पादों में आगामी प्रीमियम शेष में छूट का प्रावधान हो तो बीमित प्रस्तावक की मृत्यु पर लाभ भुगतान के अंतर्गत देनदारी के रूप में मानकर कुल आगामी प्रीमियम माफ कर दिया जाता है। जब आगामी मॉडल प्रीमियम देय हो जाता है तो उक्त प्रीमियम को उक्त दायित्व को कम करते हुए वित्त पोषित किया जाता है और वह प्रीमियम आय समान रूप से मान्य होता है।

दावों पर पुनर्बीमित वसूली का लेखांकन संबंधित दावों की अवधि में किया जाता है।

(ङ) अधिग्रहण लागत

अधिग्रहण लागत वह लागत है जो प्राथमिक रूप से बीमा संविदा अधिग्रहण से संबंधित होता है तथा जिस अवधि में खर्च होता है उसी अवधि में खर्च किया जाता है जिससे यह परिवर्तित होता रहता है। विशेष प्रावधानों के तहत प्रथम वर्ष में भुगतान किए गए कमीशन वापस ले लिए जाने के कारण उसकी वसूली की गई हो, तो भविष्य में उसका लेखांकन उसी वर्ष में किया जाता है जिसमें उसकी वसूली देय होती है।

(च) जीवन पॉलिसियों की देयताएं

देयताओं के मूल्य का निर्धारण बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ता के अस्तियां, देयताएं तथा शोधक्षमता मार्जिन) विनियम, 2000 तथा आईआरडीए द्वारा जारी समय-सम्य पर यथा संशोधित अन्य संबंधित विनियम, भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा जारी मानक (ए पी एस 2 व ए पी एस 7) बीमांकिक प्रथा तथा भारत में सामान्य तौर पर मान्य बिमांकिक सिद्धांतों के अनुसार होता है।

[12] कर्मचारी हितलाभ

(क) परिभाषित अंशदान योजनाएं: परिभाषित अंशदान योजनाएं जैसे, भविष्य निधि / पेंशन निधि को व्यय के रूप में मान्यता दी गई है तथा लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है ।

of the lock-in period along with minimum guaranteed return or actual return, whichever is higher.

In case of insurance products having the feature of waiver of the balance future premiums on the death of the life proposer, the entire future premiums waived are recognised as liability under the benefits paid on the occurrence of death of the life proposer. When the subsequent modal premium becomes due, the said premiums are funded by reducing the aforesaid liability and the premium income is recognized for the same.

Re-insurance recoveries on claims are accounted for, in the same period as the related claims.

(e) Acquisition Costs

Acquisition costs are costs which vary with and are primarily related to acquisition of insurance contracts and are expensed off in the period in which they are incurred. Recovery on account of claw back of the first year commission paid, if any, in future is accounted in the year in which its recovery is due.

(f) Liability for life policies

The value of liabilities is determined in accordance with Insurance Regulatory and Development Authority (Assets, Liabilities and Solvency Margin of insurers) Regulations, 2000 and other relevant Regulations issued by IRDA as amended from time to time, the Actuarial Practice Standards (APS 2 and APS7)issuedbytheInstituteofActuariesofIndia and generally accepted actuarial principles in India.

[12] Employee Benefits

(a) Defined Contribution Plans: Defined Contribution Plans such as Provident / Pension fund are recognized as an expense and charged to Profit & Loss account.

बैंक 01–04–2010 को या उसके बाद बैंक में शामिल होने वाले सभी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना (एनपीएस) संचालित करता है, जो कि एक परिभाषित अंशदान पेंशन योजना है, ऐसे नए शामिल होने वाले सदस्य मौजूदा पेंशन योजना के सदस्य बनने के हकदार नहीं हैं। योजना के अनुसार, कवर किए गए कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% के साथ–साथ बैंक से मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 14% योगदान करते हैं। बैंक इस तरह के वार्षिक अंशदान को तत्संबंधी वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है।

(ख) परिभाषित हितलाभ योजनाएं

(i) **उपदान:** कर्मचारी उपदान निधि योजना का निधीयन बैंक (मूल) द्वारा किया जाता है जिसका प्रबंधन अलग न्यास द्वारा किया जाता है जो दिशानिर्देशों के अनुसार उनके निधि का प्रबंधन करता है। उपदान के तहत बैंक (मूल) के देयताओं के वर्तमान मूल्य को यथा वर्षांत आधार पर तथा योजना संपत्ति के उचित मूल्य को निवल आधार पर देयताओं को मान्यता देने के लिए सकल देयताओं से कम किया जाता है।

(ii) **पेंशन:** कर्मचारी पेंशन निधि योजना का निधीयन बैंक (मूल) द्वारा किया जाता है जिसका प्रबंधन अलग न्यास द्वारा किया जाता है। पेंशन के तहत बैंक (मूल) के देयताओं के वर्तमान मूल्य को यथा वर्षांत आधार पर तथा योजना संपत्ति के उचित मूल्य को निवल आधार पर देयताओं को मान्यता देने के लिए सकल देयताओं से कम किया गया है।

(ग) अर्जित छुट्टी को दीर्घावधि लाभ माना गया है तथा प्रत्येक तुलन पत्र तारीख को 'अनुमानित इकाई साख पद्धति' के स्वतंत्र बीमांकिक मूल्याँकन के आधार पर परिकलन किया जाता है।

[13] कराधान के लिए प्रावधान

(क) चालू तथा आस्थगित दोनों करों के लिए कर प्रावधान किया जाता है।

(ख) समय–अवधि में अंतर के कारण उत्पन्न होनेवाली विभेदक कर आस्तियों और देयताओं, जो कि बाद की अवधियों के दौरान प्रतिवर्तन योग्य हैं, को अधिनियमित कर की दरों व नियमों अथवा बाद में तुलन–पत्र की

The Bank operates a New Pension Scheme (NPS) for all officers / employees joining the Bank on or after 01-04-2010, which is a defined contribution Pension Scheme, such new joinees not being entitled to become members of the existing Pension Scheme. As per the scheme, the covered employees contribute 10% of their basic pay plus dearness allowance to the scheme together with a contribution from the Bank equivalent to 14% of the basic pay plus dearness allowance. The Bank recognizes such annual contributions as an expense in the year to which they relate.

(b) Defined Benefit Plans

(i) **Gratuity:** The employee Gratuity Fund Scheme is funded by the Bank (Parent) and managed by a separate trust who in turn manages their funds as per guidelines. The present value of the Bank's (Parent) obligation under Gratuity is recognized on actuarial basis as at the year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligation to recognize the obligation on a net basis.

(ii) **Pension:** The employee Pension Fund Scheme is funded by the Bank (Parent) and managed by a separate trust. The present value of the Bank's (Parent) obligations under Pension is recognized on the basis as at the year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligation to recognize the obligation on a net basis.

(c) The privilege leave is considered a long term benefit and is recognized based on independent actuarial valuation on 'projected Unit credit method' at each Balance Sheet date.

[13] Provision for Taxation

(a) Provision for tax is made for both Current and Deferred Taxes.

(b) Deferred Tax assets and liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and laws that

तारीख पर अधिनियमित कर की दरों व नियमों का प्रयोग करते हुए मान्यता दी जाती है।

(ग) आस्थगित कर आस्तियों का प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यथास्थिति अनुसार प्रबंधन के निर्णय के आधार पर मान्यता देकर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, व उनके प्राप्तियों को यथोचित रूप से निश्चित या आभासी, जैसा भी मामला हो, माना जाता है।

(घ) आस्थगित कर संपत्तियों को अनवशोषित मूल्यह्रास और कर घाटा से आगे ले जाने पर मान्यता तभी दी जाती है, जब इस बात के पुख्ता सबूतों का समर्थन करते हुए आभासी निश्चितता है कि ऐसी आस्थगित कर संपत्ति को भविष्य में मुनाफे के खिलाफ प्रयोग किया जा सकता है। उपर्युक्त को छोड़कर अन्य मदों पर आस्थगित कर आस्तियां उचित निश्चितता के आधार पर मान्य होती हैं।

[14] प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ

(क) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 29 (आकस्मिक देयताओं तथा आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान) के अनुसार बैंक (मूल) द्वारा प्रावधानों को मान्यता तभी दी जाती है जबः

(i) पूर्ववर्ती घटना के परिणाम के रूप में वर्तमान में कोई देयता हो

(ii) उस देयता को निभाने के लिए आर्थिक लाभ युक्त स्रोतों के बहिर प्रवाह की संभावना हो, तथा

(iii) जब देयता राशि का उचित परिकलन किया जा सकता हो।

(ख) निम्नलिखित के लिए कोई प्रावधान नहीं दिया गया

(i) पूर्व की घटनाओं से उत्पन्न होनेवाली किसी संभावित दायित्व और जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या उससे अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं, जोकि पूर्ण रूप से बैंक (मूल) के नियंत्रण के भीतर हों, के घटने या न घटने पर ही की जाएगी।

(ii) यह प्रत्याशित नहीं है कि आर्थिक हितों से सुसम्पन्न संसाधनों का बहिर्गमन देयता के निपटान के लिए आवश्यक हो, अथवा

(iii) देयता की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

have been enacted or substantively enacted as of the balance sheet date.

(c) Deferred tax assets are recognised and re-assessed at each reporting date, based upon management's judgment as to whether their realisation is considered as reasonably certain or Virtual certain as the case may be.

(d) Deferred Tax Assets are recognised on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realised against future profits. Deferred tax assets on the items other than above are recognized on the basis of reasonable certainty.

[14] Provisions, Contingent Liabilities, Contingent Assets

(a) In conformity with Accounting Standard (AS) 29 (Provisions, Contingent Liabilities & Contingent Assets) issued by ICAI, the Bank (Parent) recognizes provision only when:

(i) It has a present obligation as a result of past event.

(ii) It is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and

(iii) When a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

(b) No provision is recognized for

(i) Any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank (parent).

(ii) It is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, or

(iii) A reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

ऐसी देयताओं को आकस्मिक देयताओं के रूप में अभिलेखित किया गया है। इसको नियमित अंतरालों पर निर्धारित किया जाता है तथा देयता का केवल वह हिस्सा, जिसके लिए आर्थिक लाभ युक्त स्रोतों का बहिर प्रवाह संभव है, के लिए प्रावधान किया गया है। अतिदुर्लभ परिस्थितियों में जहाँ पर विश्वसनीय अनुमान बनाया नहीं जा सकता, वहाँ प्रावधान नहीं किया जाता है।

(ग) आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणियों में मान्यता नहीं दी जाती है।

[15] निवल लाभ

लाभ-हानि खाते में निवल लाभ निम्नलिखितों के पश्चात है:

(क) निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान

(ख) कराधान के लिए प्रावधान

(ग) ऋण हानियों के लिए प्रावधान

(घ) मानक आस्तियों के लिए प्रावधान

(ङ) अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान

(च) अन्य सामान्य व अनावश्यक प्रावधान

[16] प्रति शेयर अर्जन

बैंक (मूल), लेखांकन मानक 20 (प्रति शेयर अर्जन) के अनुसार प्रति शेयर का मूल व तनुकृत अर्जन को रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना कर पश्चात निवल लाभ को वर्ष के दौरान बकाए ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके किया जाता है।

[17] नकदी प्रवाह विवरण

अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके नकदी प्रवाह विवरणी की सूचना दी जाती है।

[18] खंड रिपोर्टिंग

बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार और आईसीएआई द्वारा जारी एएस-17 के अनुपालन में व्यवसाय खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक खंड को द्वितीयक रिपोर्टिंग खंड के रूप में मान्यता देता है।

Such obligations are recorded as Contingent Liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which the outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

(c) Contingent Assets are not recognized in the financial Statements.

[15] Net Profit

The Net Profit in the Profit & Loss Account is after:

(a) Provision for Depreciation on Investments

(b) Provision for Taxation

(c) Provision on Loan Losses

(d) Provision on Standard Assets

(e) Provision for Non-Performing Investments

(f) Other usual & necessary items

[16] Earnings Per Share

The Bank (Parent) reports basic and diluted Earnings per Share in accordance with Accounting Standard (AS) 20 (Earnings Per Share). Basic Earnings Per Share is computed by dividing the net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the Year.

[17] Cash Flow Statement

Cash flow Statement is reported by using indirect method.

[18] Segment Reporting

The Bank recognises the business segment as the primary reporting segment and geographical segment as the secondary reporting segment in accordance with the RBI guidelines & in compliance with AS-17 issued by ICAI.

अनुसूची - 19

यथा 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणियों पर लेखा संबंधी टिप्पणियां

1. समूह की समेकित वित्तीय विवरणी (सीएफएस) में केनरा बैंक (मूल) व उसकी निम्नलिखित अनुषंगियों, सहयोगी संस्थाओं व संयुक्त उद्यम का परिणाम शामिल है । अनुषंगियों / सहयोगी संस्थाओं / संयुक्त उद्यम की वित्तीय विवरणी को, यथा 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष अर्थात, मूल बैंक की तरह उसी रिपोर्टिंग तिथि तक तैयार किया गया है।

1.1 अनुषंगियाँ:

निम्न अनुषंगियों को उनके लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों के आधार पर समेकित किया गया है:

क्र. सं.	कंपनी का नाम	निगमन का प्रकार	निगमिति देश	स्वामित्व हित का प्रतिशत (%)
1	केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लि.	अनुषंगी	भारत	100%
2	केनबैंक फिनान्शियल सर्विसेस लि.	अनुषंगी	भारत	100%
3	केनरा बैंक सिक्योरिटीज लिमिटेड	अनुषंगी	भारत	100%
4	केनबैंक फैक्टर्स लि.	अनुषंगी	भारत	70%
5	केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज़ लि.	अनुषंगी	भारत	69.14%
6	केनरा रोबैको आस्ति प्रबंधन कंपनी लि.	अनुषंगी	भारत	51%
7	केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जीवन बीमा कंपनी लि.	अनुषंगी	भारत	51%
8	सिंडबैंक सर्विसेज लि.*	अनुषंगी	भारत	100%
9	केनरा बैंक (तंजानिया) लि.	अनुषंगी	तंजानिया	100%

*मूल बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक 27.01.2022 को आयोजित अपनी बैठक में दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 की धारा 59 के तहत स्वैच्छिक परिसमापन और सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड के लिए परिसमापक नियुक्त करने की अनुमति दी है।

उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी (एचईएफए) भारत में प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में पूंजीगत संपत्ति के निर्माण की दिशा में वित्तपोषण के लिए एमएचआरडी, भारत सरकार (90.91%) और केनरा बैंक (9.09%) का एक संयुक्त उद्यम है। एचईएफए, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत धारा 8 (लाभ के लिए नहीं) के तहत केंद्र सरकार की एक कंपनी के रूप में और आरबीआई के साथ गैर-जमा लेने वाली एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत है।

चूंकि धारा 8 कंपनी के मुनाफे पर कोई अधिकार नहीं है और एचईएफए द्वारा धन के अंतरण पर दीर्घकालिक प्रतिबंधों को देखते हुए, एचईएफए की वित्तीय स्थिति को बैंक के सीएफएस में नहीं माना गया है।

SCHEDULE - 19

NOTES ON ACCOUNTS ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2022

1. The Consolidated Financial Statements (CFS) of the Group comprises the result of the Canara Bank (Parent) and following Subsidiaries, Associates and Joint venture. The financial statements of the Subsidiaries / Associates / Joint venture are drawn up to the same reporting date as that of the Parent i.e. year ended on March 31, 2022.

1.1 Subsidiaries

The following subsidiaries have been considered for consolidation based on their Audited Financial Statements:

Sl. No.	Name of Company	Type of Incorporation	Country of Incorporation	Percentage of Ownership Interest
1	Canbank Venture Capital Fund Ltd.	Subsidiary	India	100%
2	Canbank Financial Services Ltd.	Subsidiary	India	100%
3	Canara Bank Securities Ltd.	Subsidiary	India	100%
4	Canbank Factors Ltd.	Subsidiary	India	70%
5	Canbank Computer Services Ltd.	Subsidiary	India	69.14%
6	Canara Robeco Asset Management Company Ltd.	Subsidiary	India	51%
7	Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd.	Subsidiary	India	51%
8	SyndBank Services Ltd.*	Subsidiary	India	100%
9	Canara Bank (Tanzania) Ltd.	Subsidiary	Tanzania	100%

*The Board of Directors of parent in its meeting held on 27.01.2022 permitted for voluntary liquidation under Section 59 of Insolvency and Bankruptcy Code 2016 and to appoint the liquidator for SyndBank Services Ltd.

Higher Education Financing Agency (HEFA) is a joint venture of MHRD, Government of India (90.91%) and Canara Bank (9.09%) for financing towards creation of capital assets in premier educational institutions in India. HEFA is registered under Section 8 (Not-for-profit) under the Companies Act 2013 as a Union Govt company and as Non–deposit taking NBFC with RBI.

Since there is no right over the profits of Section 8 Company and considering the long-term restrictions over transfer of funds by HEFA, the financials of the HEFA has not been considered in CFS of the Bank.

1.2. सहयोगी संस्थाएं

I. निम्नलिखित सहयोगी संस्थाओं में निवेश को उनकी लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों के आधार पर समेकन के उद्देश्य हेतु विचारार्थ लिया गया है:

क्र. सं.	सहयोगी संस्थाओं के नाम	लेखापरीक्षित / गैर-लेखापरीक्षित	निगमिति देश	यथा 31.03.2022 को स्वामित्व हित का प्रतिशत (%)	यथा 31.03.2021 को स्वामित्व हित का प्रतिशत (%)
1	केनफिन होम्स लि.	लेखापरीक्षित	भारत	29.99%	29.99%
2	कर्नाटक ग्रामीण बैंक (पूर्व में प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक)	गैर-लेखापरीक्षित	भारत	35.00%	35.00%
3	केरल ग्रामीण बैंक (पूर्व में साउथ मलबार ग्रामीण बैंक)	गैर-लेखापरीक्षित	भारत	35.00%	35.00%
4	कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक	गैर-लेखापरीक्षित	भारत	35.00%	35.00%
5	आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक	गैर-लेखापरीक्षित	भारत	35.00%	35.00%

1.2 Associates

I. The investment in the following Associates have been considered for the purpose of consolidation based on their Financial Statements:

Sl. No.	Name of the Associates	Audited / Unaudited	Country of incorporation	Percentage of ownership interest (%) as on 31.03.2022	Percentage of ownership interest (%) as on 31.03.2021
1.	Canfin Homes Ltd.	Audited	India	29.99%	29.99%
2.	Karnataka Gramin Bank (Erstwhile Pragathi Krishna Gramin Bank)	Unaudited	India	35.00%	35.00%
3.	Kerala Gramin Bank (Erstwhile South Malabar Gramin Bank)	Unaudited	India	35.00%	35.00%
4.	Karnataka Vikas Grameena Bank	Unaudited	India	35.00%	35.00%
5.	Andhra Pragathi Grameena Bank	Unaudited	India	35.00%	35.00%

1.3 संयुक्त उद्यम

ए. रूस में निगमित कमर्शियल इंडो बैंक एल एल सी, मॉस्को (पूर्व में वाणिज्यिक बैंक ऑफ इंडिया एलएलसी, मॉस्को) संयुक्त उद्यम संस्था के संबंध में जिसमें बैंक का 40% हित है, समेकन 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखों के आधार पर किया गया है। संयुक्त उद्यम के लिए लेखा वर्ष दिसंबर 31 को समाप्त होगा।

बी. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक - 27 - "संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग" की आवश्यकता के अनुसार उक्त संयुक्त उद्यम में आस्तियों, देयताओं, आय व व्यय राशि में मूल बैंक के शेयर निम्नवत हैं:

1.3 Joint Venture

a. In respect of Commercial Indo Bank LLC, Moscow, (formerly Commercial Bank of India LLC., Moscow) the Joint Venture entity, incorporated in Russia wherein the Bank has 40% interest, consolidation has been done based on audited accounts for the year ended on 31st March, 2022. The Accounting year for the joint venture ends on 31st December.

b. As required by Accounting Standard (AS) - 27 - "Financial Reporting of Interest in Joint Ventures" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) the amount of the Assets, Liabilities, Income and Expenses of Parent's share in the said Joint Venture is as under:

क. तुलन पत्र

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
पूँजी व देयताएं		
पूँजी	111.16	107.22
आरक्षित निधियाँ तथा अधिशेष	(24.84)	(19.40)
जमा	106.70	150.50
उधार	0.00	29.24
अन्य देयताएं व प्रावधान	9.46	5.64
कुल	**202.48**	**273.20**
आस्तियाँ		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद व शेष	1.65	0.22
बैंकों में शेष तथा माँग और अल्पसूचना पर धन	133.54	206.08
निवेश	36.33	41.92
अग्रिम	25.09	19.11
अचल आस्तियाँ	2.83	1.65
अन्य आस्तियाँ	3.04	4.22
कुल	**202.48**	**273.20**
आकस्मिक देयताएं	16.70	11.22

ख. लाभ और हानि खाता

(₹ करोड़ में)

विवरण	2021-22	2020-21
आय		
अर्जित ब्याज	11.55	8.92
अन्य आय	1.55	2.00
कुल	**13.10**	**10.92**
व्यय		
व्यय किया गया ब्याज	2.80	2.32
परिचालन व्यय	6.04	5.72
प्रावधान और आकास्मिक व्यय	0.68	0.25
कुल	**9.52**	**8.29**
लाभ	**3.58**	**2.63**

2. अनुषंगियाँ, सहयोगी और संयुक्त उद्यम प्रचलित कानून और प्रथा के अनुसार लगातार लेखांकन नीतियों का पालन कर रहे हैं, जो संबंधित उद्योग / कारोबार / देश की आवश्यकताओं के चलते मूल से भिन्न होते हैं। प्रबंधन की राय में, चूंकि इसका प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है, समेकित वित्तीय विवरणों में इसके लिए किसी प्रकार के समायोजन की आवश्यकता नहीं है।

A. Balance Sheet

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2022	31.03.2021
Capital & Liabilities		
Capital	111.16	107.22
Reserve & Surplus	(24.84)	(19.40)
Deposits	106.70	150.50
Borrowings	0.00	29.24
Other Liabilities and Provisions	9.46	5.64
TOTAL	**202.48**	**273.20**
Assets		
Cash & Balance with RBI	1.65	0.22
Balance with Banks & Money at Call and Short Notice	133.54	206.08
Investments	36.33	41.92
Advances	25.09	19.11
Fixed Assets	2.83	1.65
Other Assets	3.04	4.22
TOTAL	**202.48**	**273.20**
Contingent Liabilities	16.70	11.22

B. Profit & Loss Account

(₹ in Crore)

Particulars	2021-22	2020-21
Income		
Interest Earned	11.55	8.92
Other Income	1.55	2.00
TOTAL	**13.10**	**10.92**
Expenditure		
Interest Expended	2.80	2.32
Operating Expenses	6.04	5.72
Provision and Contingencies	0.68	0.25
TOTAL	**9.52**	**8.29**
PROFIT	**3.58**	**2.63**

2. The Subsidiaries, Associates and Joint Ventures are following Accounting Policies consistently as per the prevalent law and practice, which are different from Parent in a few cases because of respective industry/ business / country requirements. In the opinion of the management, as the impact of the same is not material, no adjustment is required in Consolidated Financial Statements.

3. विभिन्न अनुषंगियों के अधिग्रहण से उत्पन्न आरक्षित पूंजी (सुनाम) के विवरण निम्नवत हैं:

(₹ करोड़ में)

अनुषंगी का नाम	31.03.2022	31.03.2021
केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड	2.54	2.54
केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज़ लिमिटेड	0.25	0.25
निवल पूंजी आरक्षित निधियां	**2.79**	**2.79**

4. **अंतरशाखा लेनदेन और लेखा शेष की पुष्टि**

अंतर कार्यालय समाशोधन लेखा के माध्यम से संपूर्ण बैंक हेतु कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) के आधार पर प्रणाली द्वारा स्वतः मूल बैंक के अंतर शाखा / कार्यालय संव्यवहार के तहत प्रविष्टियों का मिलान व सेटिंग किया गया है।

कुछ समूह कंपनियों में फुटकर लेनदार, फुटकर देनदार, ऋण और अग्रिम आदि में शेष राशि की पुष्टि की जाती है।

5. **केनबैंक फाइनेंशिएल सर्विसेज़ लिमिटेड (केनफिना)**

भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुपालन में केनबैंक फाइनेंशिएल सर्विसेज़ लिमिटेड (केनफिना) पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी, जिसकी निवल मालियत पूरी तरह से खत्म हो गई है, वह गैर बैंकिंग वित्तीयन कंपनी के किसी भी अन्य कार्य में नहीं लगी है। आगे, भारतीय रिज़र्व बैंक ने केनफिना की सभी वित्तीय आस्तियों के निपटान के लिए समय को तीन वर्षों के लिए, अर्थात् 31 जनवरी, 2020 तक बढ़ा दिया है। समय का विस्तारण उक्त अवधि के दौरान कंपनी द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के कोई भी कार्य नहीं करने की शर्त के अधीन है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि केनफिना कंपनी यथा मार्च 2019 को मुख्य कारोबार मानदंड (पीबीसी) को पूरा नहीं किया है । इसलिए, वित्तीय आस्तियों के निपटान और एनबीएफसी गतिविधियों के समापन के लिए समय सीमा के विस्तारण की आवश्यकता नहीं है। विस्तार की अनुमति को ध्यान में रखते हुए, सीएएनएफ़आईएनए की वित्तीय स्थिति को कार्यशील संस्था के आधार पर समेकित किया गया है।

कंपनी अपनी प्राथमिक एनबीएफसी गतिविधियां नहीं चला रही है, क्योंकि कंपनी की निवल संपत्ति 31.03.2019 को ऋणात्मक थी। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2019-20 में कंपनी की निवल संपत्ति धनात्मक हो गई है और वित्त वर्ष

3. The break-up of Capital Reserve / (Goodwill) arising on the acquisition of various Subsidiaries is as under:

(₹ in Crore)

Name of the Subsidiary	31.03.2022	31.03.2021
Canbank Factors Limited	2.54	2.54
Canbank Computer Services Limited	0.25	0.25
Net Capital Reserve	**2.79**	**2.79**

4. **Inter-Branch transactions and confirmation of balances**

The matching and setting of entries under Inter-Branch / office transactions of the Parent Bank are carried out by the system itself based on Core Banking Solutions (CBS) for the whole of the Bank through Inter Office Adjustment account.

In some of the Group Companies, balances in Sundry Creditors, Sundry Debtors, Loans and Advances etc. are subject to confirmation.

5. **Canbank Financial Services Limited (CANFINA)**

Pursuant to the directions of the Reserve Bank of India, Canbank Financial Services Ltd. (CANFINA), a wholly owned Subsidiary whose net worth is totally eroded is not engaged in any of the activities of a Non-banking Financial Company. Further, Reserve Bank of India, has permitted CANFINA a further extension of three years i.e up to January 31, 2020 to dispose off the financial assets. The extension of time is subject to the condition that the company shall not undertake any NBFC type of activity during the period. The Reserve Bank of India has informed that the Company CANFINA is not meeting Principal Business Criteria (PBC) as on March 2019. Hence, the extension of time limit for disposal of financial assets and winding of NBFC activities is not required. Considering the extension permitted, the financials of CANFINA have been consolidated on going concern basis.

The company is not carrying its primary NBFC activities, since company's net worth was negative as at 31.03.2019. However, company's net worth has become positive in the financial year

2020–21 और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए धनात्मक बनी हुई है। कंपनी ने आरबीआई दिशानिर्देशों के ढांचे के भीतर एनबीएफसी गतिविधियों को शुरू करने के लिए 31.03.2021 को आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रमुख कारोबार मानदंड (प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया) (पीबीएस) को भी पूरा किया है, जो कंपनी के बोर्ड के साथ-साथ बैंक के बोर्ड से अनुमोदन के अधीन है।

6. संबद्ध पार्टी का प्रकटन

6.1 संबद्ध पार्टियों की सूची और बैंक के साथ उनका संबंध - मूल कंपनी - केनरा बैंक

6.1.1 मुख्य प्रबंधन कार्मिक

i) श्री एल वी प्रभाकर,
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ii) श्री देवाशीष मुखर्जी, कार्यपालक निदेशक

iii) सुश्री मणिमेखलै, कार्यपालक निदेशक

iv) श्री के सत्यनारायण राजू, कार्यपालक निदेशक

v) श्री बृज मोहन शर्मा,
कार्यपालक निदेशक (19.05.2021 से)

6.1.2 मूल कंपनी

i) केनरा बैंक

6.1.3 अनुषंगियाँ

1	केनबैंक फाइनेंशिएल सर्विसेज़ लिमिटेड
2	केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड
3	केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड
4	केनरा रोबेको आस्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड
5	केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज़ लिमिटेड
6	केनरा बैंक सेक्यूरिटीज़ लिमिटेड (पूर्व जीआईएलटी सेक्यूरिटीज़ ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड)
7	केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड
8	केनरा बैंक (तंजानिया) लिमिटेड
9	सिंड बैंक सर्विसेज लिमिटेड

6.1.4 संयुक्त उद्यम

कमर्शियल इंडो बैंक एल एल सी, मॉस्को (पूर्व में कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एलएलसी, मॉस्को)

2019-20 and continued positive for the FY 2020-21 and FY 2021-22. Company has also met the Principal Business Criteria (PBC) as per RBI guidelines as on 31.03.2021 to commence NBFC activities within the framework of RBI guidelines subject to approval from the Board of company as well as Board of the Bank.

6. Related Party Disclosures

6.1 Names of Related parties and their relationship with the Bank- Parent - Canara Bank

6.1.1 Key Management Personnel

i) Shri L V Prabhakar,
Managing Director & Chief Executive Officer

ii) Shri Debashish Mukherjee, Executive Director

iii) Ms. Manimekhalai A, Executive Director

iv) Shri K Satyanarayana Raju, Executive Director

v) Shri Brij Mohan Sharma,
Executive Director (since 19.05.2021)

6.1.2 Parent

i) Canara Bank

6.1.3 Subsidiaries

1	Canbank Financial Services Ltd.
2	Canbank Venture Capital Fund Ltd.
3	Canbank Factors Ltd.
4	Canara Robeco Asset Management Company Ltd.
5	Canbank Computer Services Ltd.
6	Canara Bank Securities Ltd. (formerly GILT Securities Trading Corpn. Ltd)
7	Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd.
8	Canara Bank (Tanzania) Ltd.
9	Synd Bank Services Ltd.

6.1.4 Joint Ventures

Commercial Indo Bank LLC. Moscow (formerly Commercial Bank of India LLC. Moscow

6.1.5 सहयोगी संस्थाएं

1	केनफिन होम्स लिमिटेड
	बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
2	कर्नाटक ग्रामीण बैंक (पूर्व में प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक)
3	केरल ग्रामीण बैंक (पूर्व में साउथ मलबार ग्रामीण बैंक)
4	कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक
5	आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक

उच्चतर शिक्षा निधीयन एजेंसी (एचईएफए)

उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी (एचईएफए) भारत में प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में पूंजीगत संपत्ति के वित्त निर्माण के लिए एमओई, भारत सरकार (90.91%) और केनरा बैंक (9.09%) का एक संयुक्त उद्यम है। एचईएफए, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत धारा 8 (लाभ के लिए नहीं) के अंतर्गत केंद्र सरकार की कंपनी और आरबीआई के साथ गैर-जमा लेने वाली एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत है।

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, विश्व स्तरीय उच्च शिक्षण संस्थानों के निर्माण के लिए और देश के आईआईएम, आईआईटी, एम्स, आईआईएसईआर, आईआईएससी, एनआईटी आदि जैसे संस्थानों में अनुसंधान सुविधाओं को स्थापित करने के उद्देश्य से, उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे के मानकों में सुधार के लिए एक विशेष उद्देश्य के माध्यम से मंच प्रदान करने के लिए प्रयासरत है।

इसके आधार पर एमओई (पूर्व में एमएचआरडी) ने ₹2000 करोड़ की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी के साथ हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी (एचईएफए) एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। एमओई ने ₹1,000 करोड़ का योगदान दिया है और केनरा बैंक ने आनुपातिक रूप से ₹100 करोड़ का योगदान दिया है।

इसके बाद, एमओई ने एचईएफ़ए इक्विटी आधार के मौजूदा अधिदेश और वित्तपोषित किए जाने वाले संस्थानों की श्रेणी का दायरा बढ़ाया। तदनुसार, अधिकृत पूंजी को ₹10,000 करोड़ तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें एमओई यथा 31.03.2022 तक ₹5,000 करोड़ की अतिरिक्त इक्विटी प्रदान करेगा और केनरा बैंक ₹500 करोड़ का योगदान देगा, यथा 31.03.2022 तक एमओई ने ₹4,812.50 करोड़ और केनरा बैंक ने ₹481.25 करोड़ का योगदान दिया है, कंपनी ने ₹13,935.37 करोड़ के संवितरण के साथ ₹33,486.37 करोड़ की सीमा तक सावधि ऋण स्वीकृत किए हैं।

6.1.5 Associates

1	Canfin Homes Ltd.
	Regional Rural Banks sponsored by the Bank
2	Karnataka Gramin Bank (Erstwhile Pragathi Krishna Gramin Bank)
3	Kerala Gramin Bank (Erstwhile South Malabar Gramin Bank)
4	Karnataka Vikas Grameena Bank
5	Andhra Pragathi Grameena Bank

HIGHER EDUCATION FUNDING AGENCY (HEFA)

Higher Education Financing Agency (HEFA) is a joint venture of MoE, Government of India (90.91%) and Canara Bank (9.09%) for financing creation of capital assets in premier educational institutions in India. HEFA is registered under Section 8 (Not-for-profit) under the Companies Act 2013 as a Union Govt company and as Non–deposit taking NBFC with RBI.

The Ministry of Education, GoI with an object to build world-class higher educational institutions and to set up research facilities, intended to provide a platform, through a special purpose vehicle, for improvement of the infrastructure standards of the higher educational institutions like IIM, IIT, AIIMS, IISER, IISc, NIT etc., of the country.

Based on this, the MoE (formerly MHRD) proposed to set up Higher Education Financing Agency (HEFA) a Joint Venture Company with an initial authorized capital of ₹2000 Crore MoE had contributed ₹1,000 Crore and Canara Bank has contributed proportionately ₹100 Crore.

Subsequently, MoE extended the scope of existing mandate of HEFA equity base and range of institutions to be financed. Accordingly, the authorized capital has been increased to ₹10,000 Crore wherein MoE will provide an additional equity of ₹5,000 Crore and Canara Bank will contribute ₹500 Crore As on 31.03.2022, MoE has infused Capital of ₹4,812.50 Crore and Canara Bank has contributed ₹481.25 Crore, respectively. As at 31.03.2022, Company has sanctioned Term Loans to the extent of ₹33,486.37 Crore with a disbursement at ₹13,935.37 Crore.

निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर बैंक के सीएफएस में एचईएफए की वित्तीय स्थिति पर विचार नहीं किया जाता है:

ए) समेकन के पीछे का उद्देश्य अनुषंगी / जेवी के लाभ, आय और संपत्ति को होल्डिंग / वेंचर कंपनी में अपनी होल्डिंग / वेंचर के आधार पर विलय करना है। होल्डिंग / वेंचर कंपनी तकनीकी रूप से अपनी अनुषंगी / वेंचर की आनुपातिक संपत्ति (लाभ सहित) का मालिक है, जब हम वेंचर कंपनी को सेक्शन 8 कंपनी के साथ समेकित करते हैं, तो यह वेंचर कंपनी की संपत्ति की गलत तस्वीर को दर्शाएगा, जैसा कि उद्यम कंपनी कभी भी धारा 8 कंपनी के लाभ पर किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकती है। अतः समेकन का प्रश्न ही नहीं उठता है।

बी) एएस 21 (समेकित वित्तीय विवरण) वर्तमान मामले में लागू नहीं होगा क्योंकि यह नियंत्रण की परिभाषा को पूरा नहीं करता है।

पूरी करने के लिए शर्तें	केनरा बैंक की स्थिति	प्रयोज्यता
1. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुषंगियों के माध्यम से किसी उद्यम की मतदान शक्ति के आधे से अधिक का स्वामित्व	जेवी सह शेयरधारक समझौते के पैरा 4.1 के अनुसार केनरा बैंक के पास केवल 9.09% हिस्सेदारी है जो कि मतदान शक्ति के आधे से काफी नीचे है।	पूर्ण नहीं होती है

The financials of HEFA is not considered in the CFS of the Bank based the following facts:

a) The intent behind consolidation is to merge the profits, income and wealth of the subsidiary / JV into the holding / Venture company by the virtue of its holding / Venture. The holding / Venture company technically owns the proportionate wealth (including the profit) of its subsidiary/ Venture, When we consolidate the Venture company with a Section 8 company, it will however depict a wrong picture of the wealth of the venture company, as the venture company can never claim any right over the profits of a Section 8 Company. Therefore, the question of consolidation does not arise.

b) AS 21 (Consolidated Financial Statement) would not be applicable in the current case as this does not satisfy the definition of Control.

Conditions to satisfy	Canara Bank's position	Applicability
1. The ownership, directly or indirectly through subsidiary (ies), of more than one-half of the voting power of an enterprise	As per Para 4.1 of the JV-Cum-Shareholder Agreement Canara Bank is holding only 9.09% which is much below the threshold of one-half of the voting power.	Not Satisfied

2. किसी कंपनी के मामले में निदेशक मंडल की संरचना का नियंत्रण या संबंधित गवर्निंग की संरचना का नियंत्रण	जेवी सह शेयरधारक समझौते के पैरा 9.1.1 के अनुसार, एचईएफए के निदेशक मंडल में 7 निदेशक, जिनमें से केनरा बैंक के केवल दो निदेशक, जिनमें से एक प्रबंध निदेशक (एमडी) होगा, बोर्ड में प्रतिनिधित्व करेंगे। इसी प्रकार, उक्त समझौते के पैरा 8.2 के अनुसार, एमडी निदेशक मंडल के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निर्देशों के तहत कार्य करेगा।	चूंकि, बैंक के पास बोर्ड की संरचना में नियंत्रण हिस्सेदारी नहीं है, इसलिए शर्त पूरी नहीं होती है।

सी) एएस 27 (संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग) एएस 27 के पैरा 28 (बी) के तहत प्रदान किए गए प्रतिबंध के कारण लागू नहीं होगा जो निम्नानुसार पढ़ा जाता है:

जेवी की प्रकृति के कारण, भले ही आरबीआई के साथ एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत हो, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत एक गैर-लाभकारी कंपनी है, एएस 27 के पैरा 28 (बी) के तहत प्रदान किए गए प्रतिबंध के कारण जेवी पर सीएफएस के लिए विचार नहीं किया जाएगा, जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाता है: "(बी) एक संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई में एक हित जो गंभीर दीर्घकालिक प्रतिबंधों के तहत संचालित होता है जो उद्यमकर्ता को धन हस्तांतरित करने की उसकी क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है।

ऐसी संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई में ब्याज को लेखा मानक (एएस) 13, निवेश के लिए लेखांकन के अनुसार निवेश के रूप में हिसाब में लिया जाना चाहिए।"

2. Control of the composition of the board of directors in the case of a company or of the composition of the corresponding governing	As per Para 9.1.1 of the JV - cum-shareholder Agreement, Board of Directors of HEFA consists of 7 directors out of which only two directors of Canara Bank, one of whom will be Managing Director (MD), will represent in the Board. Similarly, as per para 8.2 of the said agreement, MD shall function under the control, supervision and directions of the Board of Directors.	Since the Bank is not having controlling stake in composition of Board, the condition is not satisfied

c) AS 27 (Financial Reporting of Interests in Joint Ventures) would not be applicable due to the restriction provided under para 28 (b) of AS 27 which read as under:

Due to the nature of the JV, even if registered as NBFC with RBI, which is a not-for-profit company registered U/s 8 of Companies Act, 2013 the JV would not be considered for CFS due to the restriction provided under para 28 (b) of AS 27 which read as "(b) an interest in a jointly controlled entity which operates under severe long-term restrictions that significantly impair its ability to transfer funds to the venturer.

Interest in such a jointly controlled entity should be accounted for as an investment in accordance with Accounting Standard (AS) 13, Accounting for Investments."

जेवी के गठन का इरादा कंपनी अधिनियम, 2013 (जेवी सह शेयरधारक समझौते के पृष्ठ 2 के खंड सी) के प्रावधानों के तहत एक धारा 8 कंपनी को शामिल करना है। इसके अलावा, उपर्युक्त समझौते के पैरा 4.4 और पैरा 8.4 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि लाभ इक्विटी का हिस्सा होगा और जो दर्शाता है कि इसमें दीर्घकालिक प्रतिबंध हैं जो बैंक को निधि अंतरण करने की उसकी क्षमता को काफी कम कर देते हैं। इसके अलावा, एएस 27 के पैरा 12 और 13 निम्नानुसार हैं:

12 संयुक्त रूप से नियंत्रित परिचालन में अपने हितों के संबंध में, एक उद्यमकर्ता को अपने अलग वित्तीय वक्तव्यों में और इसके परिणामस्वरूप अपने समेकित वित्तीय वक्तव्यों में पहचानना चाहिए:

(ए) वह संपत्ति जो वह नियंत्रित करता है और वह देनदारियां जो वह वहन करता है; और

(बी) वह खर्च जो वह करता है और आय का उसका हिस्सा जो वह संयुक्त उद्यम से अर्जित करता है।

चूंकि संपत्ति, देनदारियां, आय और व्यय पहले से ही उद्यमकर्ता के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में पहचाने जाते हैं, और इसके परिणामस्वरूप इसके समेकित वित्तीय विवरणों में, इन मदों के संबंध में कोई समायोजन या अन्य समेकन प्रक्रियाओं की आवश्यकता नहीं होती है जब उद्यमकर्ता समेकित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है।"

चूंकि बैंक इसकी आय को उद्यम से प्राप्त शुल्क को अपनी जनशक्ति और अन्य संसाधनों के साथ उद्यम के प्रबंधन की लागत के लिए दर्शाता है, और निवेश के रूप में सब्सक्राइब की गई शेयर पूंजी को भी मान्यता देता है, समेकन की आगे की प्रक्रिया / समायोजन की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने सीएफएस में जेवी को एएस 21 या एएस 27 के तहत नहीं माना है।

The intent of forming of the JV is incorporating a Section 8 Company under the provisions of Companies Act, 2013 (Clause C of page 2 of the JV-cum-shareholder Agreement). Further, Para 4.4 and Para 8.4 of the captioned agreement it clearly mentioned that the profit shall form part of the equity and which demonstrates that there is long term restrictions that significantly impair its ability to transfer funds to the Bank.

Also, para 12 and 13 of AS 27 states as under: "12. In respect of its interests in jointly controlled operations, a venturer should recognise in its separate financial statements and consequently in its consolidated financial statements:

(a) the assets that it controls and the liabilities that it incurs; and

(b) the expenses that it incurs and its share of the income that it earns from the joint venture.

Because the assets, liabilities, income and expenses are already recognised in the separate financial statements of the venturer, and consequently in its consolidated financial statements, no adjustments or other consolidation procedures are required in respect of these items when the venturer presents consolidated financial statements."

Since the bank accounts in its income, the fees received from the Venture towards the cost of managing the venture with its manpower and other resources and also recognizes the subscribed share capital as investment, the further procedure / adjustment of consolidation is not required.

In view of the above reasons the Bank has not considered the JV in CFS either under AS 21 or AS 27.

6.1.6 मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के लिए लेनदेनों का प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

(i) मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के लिए पारिश्रमिक निम्नानुसार है: (₹ में)

नाम	पदनाम	2021-22	2020-21
श्री एल वी प्रभाकर	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	36,89,417.00	32,64,338.43
श्री देवाशीष मुखर्जी	कार्यपालक निदेशक	33,46,777.00	29,72,568.02
सुश्री मणिमेखलै ए	कार्यपालक निदेशक	32,50,311.00	28,87,313.51
श्री के सत्यनारायण राजू	कार्यपालक निदेशक	29,97,945.63	1,59,348.13
श्री बृज मोहन शर्मा	कार्यपालक निदेशक (19.05.2021 से)	27,17,759.37	-
श्री मटम वेंकट राव	कार्यपालक निदेशक (28.02.2021 तक)	1,03,422.87	27,72,411.94
श्री कृष्णन एस	कार्यपालक निदेशक (01.04.2020 से 03.09.2020 तक)	48,305.29	13,08,612.34
कुल		**1,61,53,938.16**	**1,33,64,592.37**

लेखांकन मानक 18 के पैरा 5 के अनुसार मुख्य प्रबंधन कार्मिकों तथा मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के संबंधियों के लेन-देन सहित बैंकर-ग्राहक संबंध प्रकृति के लेन-देन का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

6.1.6 Disclosure about transactions with Key Management Personnel is as under:

(i) Remuneration to Key Management Personnel is as under: (₹ in)

Name	Designation	2021-22	2020-21
Shri L V Prabhakar	Managing Director & Chief Executive Officer	36,89,417.00	32,64,338.43
Shri Debashish Mukherjee	Executive Director	33,46,777.00	29,72,568.02
Ms. Manimekhalai A	Executive Director	32,50,311.00	28,87,313.51
Shri K Satyanarayana Raju	Executive Director	29,97,945.63	1,59,348.13
Shri Brij Mohan Sharma	Executive Director (From 19.05.2021)	27,17,759.37	-
Shri Matam Venkata Rao	Executive Director (Till 28.02.2021)	1,03,422.87	27,72,411.94
Shri Krishnan S	Executive Director (From 01.04.2020 to 03.09.2020)	48,305.29	13,08,612.34
Total		**1,61,53,938.16**	**1,33,64,592.37**

In terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel have not been disclosed.

7. प्रति शेयर आयः

7.1 प्रति शेयर मूल और मिश्रित आयः

विवरण	2021-22	2020-21
मूल और मिश्रित ईपीएस (₹)	35.04	19.11

7. Earnings Per Share:

7.1 Basic and Diluted Earnings Per Share:

Particulars	2021-22	2020-21
Basic and Diluted EPS (₹)	35.04	19.11

7.2 ईपीएस की गणनाः

	विवरण	2021-22	2020-21
क	इक्विटी शेयरधारकों के कारण वर्ष के लिए निवल लाभ / (हानि) (₹ करोड़ में)	6124.83	2890.60
ख	इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (करोड़)	174.77	151.23
ग	31 मार्च को बकाया शेयरों की संख्या (करोड़)	181.43	164.67
घ	प्रति शेयर मूल और मिश्रित आय (ए / बी) (₹)	35.04	19.11
ङ	प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹)	10.00	10.00

7.2 Computation of EPS:

	Particulars	2021-22	2020-21
A	Net Profit / (Loss) for the year attributable to Equity Shareholders (₹ in Crore)	6124.83	2890.60
B	Weighted Average Number of Equity Shares (Crore)	174.77	151.23
C	No. of Shares outstanding as on 31st March (Crore)	181.43	164.67
D	Basic and Diluted Earnings per Share (A / B) (₹)	35.04	19.11
E	Nominal Value per Share (₹)	10.00	10.00

8. वर्ष के दौरान किए गए प्रावधानों और आकस्मिकताओं का विवरणः (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
निवेश और एनपीआई पर मूल्यह्रास का प्रावधान	978.69	106.38
एनपीए के लिए प्रावधान	9868.06	14174.20
मानक आस्ति के लिए प्रावधान	-233.42	2.27
कर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	3349.91	1179.57
उचित मूल्य में कमी का प्रावधान	454.21	-54.17
संदिग्ध आस्तियों की वसूली का प्रावधान	25.73	75.00
देश जोखिम एक्सपोजर के लिए प्रावधान	13.08	19.24
अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं - निवल	3046.36	1667.58
कुल	**17502.62**	**17170.07**

8. Details of Provisions and Contingencies made during the year: (₹ in Crore)

Particulars	31.03.2022	31.03.2021
Provision for Depreciation on Investment and NPI	978.69	106.38
Provision towards NPA	9868.06	14174.20
Provision towards Standard Asset	-233.42	2.27
Provision for Tax (Including Deferred Tax)	3349.91	1179.57
Provision for Diminution in Fair Value	454.21	-54.17
Provision for assets doubtful of recovery	25.73	75.00
Provision for Country Risk Exposure	13.08	19.24
Other Provision and Contingencies - Net	3046.36	1667.58
TOTAL	**17502.62**	**17170.07**

9. समेकित खण्ड रिपोर्टिंग

भाग क-कारोबार क्षेत्र (₹ करोड़ में)

	विवरण	समाप्त वर्ष	
		31.03.2022	31.03.2021
(1)	राजस्व खंड		
ए	राजकोषीय परिचालन	22110.18	21992.64
बी	खुदरा बैंकिंग परिचालन	35968.43	32727.81
सी	थोक बैंकिंग परिचालन	27677.81	29364.19
डी	जीवन बीमा संचालन	8500.47	9254.81
ई	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
एफ़	गैर-आबंटित	0.00	0.00
	कुल	**94256.89**	**93339.45**
	घटाये : अंतर क्षेत्र राजस्व	0.00	0.00
	परिचालनों से आय	**94256.89**	**93339.45**
(2)	खंड परिणाम		
ए	राजकोषीय परिचालन	8030.97	6482.45
बी	खुदरा बैंकिंग परिचालन	6330.59	3743.52
सी	थोक बैंकिंग परिचालन	(5226.79)	(6446.53)
डी	जीवन बीमा परिचालन	10.24	102.11
ई	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
	कुल	**9145.01**	**3881.55**
एफ़	गैर-आबंटित आय / व्यय (प्रावधानों और आकस्मिकताओं सहित)	-	-
	कर पूर्व कुल लाभ	**9145.01**	**3881.55**
	आय कर	3349.91	1179.57
	निवल लाभ	**5795.10**	**2701.98**
	जोड़ें: सहयोगी संस्था में कमाई का हिस्सा	**363.33**	**254.58**
	घटाएँ : अल्पसंख्यक हित	**33.60**	**65.96**
	समूह के कारण वर्ष के लिए समेकित लाभ / (हानि)	**6124.83**	**2890.60**
	आस्ति खंड		
ए	राजकोषीय परिचालन	370831.33	351206.92
बी	खुदरा बैंकिंग परिचालन	404781.08	358607.52
सी	थोक बैंकिंग परिचालन	399829.75	384152.60
डी	जीवन बीमा परिचालन	27214.95	22584.45
ई	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
एफ़	गैर-आबंटित आस्तियां	55006.42	62988.11
	कुल आस्ति	**1257663.53**	**1179539.60**
	देयता खंड		
ए	राजकोषीय परिचालन	344037.98	342345.57
बी	खुदरा बैंकिंग परिचालन	389837.55	345570.39
सी	थोक बैंकिंग परिचालन	399803.04	372942.16
डी	जीवन बीमा परिचालन	26556.86	21931.59
ई	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
एफ़	गैर-आबंटित देयता	27466.78	34340.30
	कुल देयता	**1187702.21**	**1117130.01**
(3)	प्रयुक्त पूंजी		
ए	राजकोषीय परिचालन	26793.35	8861.35
बी	खुदरा बैंकिंग परिचालन	14943.53	13037.13
सी	थोक बैंकिंग परिचालन	26.71	11210.43
डी	जीवन बीमा परिचालन	658.09	652.86
ई	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
एफ़	गैर-आबंटित	27539.64	28647.82
	कुल	**69961.32**	**62409.59**

9. Consolidated Segment Reporting

Part A-Business Segment (₹ in Crore)

	PARTICULARS	YEAR ENDED	
		31.03.2022	31.03.2021
(1)	**Segment Revenue**		
A	Treasury Operations	22110.18	21992.64
B	Retail Banking Operations	35968.43	32727.81
C	Wholesale Banking Operations	27677.81	29364.19
D	Life Insurance Operation	8500.47	9254.81
E	Other Banking Operation	0.00	0.00
F	Unallocated	0.00	0.00
	Total	**94256.89**	**93339.45**
	Less: Inter segment Revenue	0.00	0.00
	Income from operations	**94256.89**	**93339.45**
(2)	**Segment Results**		
A	Treasury Operations	8030.97	6482.45
B	Retail Banking Operations	6330.59	3743.52
C	Wholesale Banking Operations	(5226.79)	(6446.53)
D	Life Insurance Operation	10.24	102.11
E	Other Banking Operations	0.00	0.00
	Total	**9145.01**	**3881.55**
F	Unallocated income /expenses (including provisions and contingencies)	-	-
	Total profit before tax	**9145.01**	**3881.55**
	Income Tax	3349.91	1179.57
	Net Profit	**5795.10**	**2701.98**
	Add: Share of earning in Associates	**363.33**	**254.58**
	Less: Minority Interest	**33.60**	**65.96**
	Consolidated profit / (loss) for the year attributable to the Group	**6124.83**	**2890.60**
	Segment Assets		
A	Treasury Operations	370831.33	351206.92
B	Retail Banking Operations	404781.08	358607.52
C	Wholesale Banking Operations	399829.75	384152.60
D	Life Insurance Operation	27214.95	22584.45
E	Other Banking Operations	0.00	0.00
F	Unallocated Assets	55006.42	62988.11
	Total Assets	**1257663.53**	**1179539.60**
	Segment Liabilities		
A	Treasury Operations	344037.98	342345.57
B	Retail Banking Operations	389837.55	345570.39
C	Wholesale Banking Operations	399803.04	372942.16
D	Life Insurance Operation	26556.86	21931.59
E	Other Banking Operations	0.00	0.00
F	Unallocated Liabilities	27466.78	34340.30
	Total Liabilities	**1187702.21**	**1117130.01**
(3)	**Capital Employed**		
A	Treasury Operations	26793.35	8861.35
B	Retail Banking Operations	14943.53	13037.13
C	Wholesale Banking Operations	26.71	11210.43
D	Life Insurance Operations	658.09	652.86
E	Other Banking Operations	0.00	0.00
F	Unallocated	27539.64	28647.82
	Total	**69961.32**	**62409.59**

भाग ख - भौगोलिक खंड

(₹ करोड़ में)

	विवरण	वर्षांत	
		31.03.2022	31.03.2021
ए	**राजस्व**		
	घरेलू	93093.30	92005.18
	अंतर्राष्ट्रीय	1163.59	1334.27
	कुल	**94256.89**	**93339.45**
बी	**आस्तियां**		
	घरेलू	1144417.68	1092833.79
	अंतर्राष्ट्रीय	113245.85	86705.81
	कुल	**1257663.53**	**1179539.60**

10. अनुषंगियों, सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यम के समग्र लाभ / हानि में मूल संस्था का हिस्सा आँकने के बाद समूह की समेकित आरक्षित निधियां ₹68147.19 करोड़ है, जिसमें से ₹64297.18 करोड़ मूल संस्था के हैं और शेष ₹3850.01 करोड़ अनुषंगियों, सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यम के हैं (पिछले वर्ष ₹60762.84 करोड़ जिसमें से ₹57238.19 करोड़ मूल संस्था के और शेष ₹3524.65 करोड़ अनुषंगियों, सहयोगी संस्थाओं और संयुक्त उद्यम के थे)।

    मूल कंपनी और अनुषंगियों की प्रत्येक वित्तीय विवरणी में प्रकटित अतिरिक्त सांविधिक सूचना की समेकित वित्तीय विवरणी के सत्य एवं निष्पक्ष राय पर कोई प्रभाव नहीं है और भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए सामान्य स्पष्टीकरण को दृष्टि में रखते हुए वैसे मदों की सूचना, जो महत्वपूर्ण नहीं है, उसे समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकटन नहीं किया गया है ।

11. लेखांकन मानक 28 - आस्तियों की हानि

जब भी घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन यह अपेक्षा करते हैं कि आस्ति की वहन राशि वसूली-योग्य नहीं है तो वर्ष के समापन पर आस्तियों की हानि की समीक्षा की जाती है। धारित व प्रयुक्त की जाने वाली आस्ति की वसूली-योग्यता को आस्ति की वहन राशि से आस्ति द्वारा उत्पन्न होने हेतु संभावित फ्यूचर निवल भुनाये गये नकद प्रवाह की तुलना कर मापा जाता है। यदि ऐसी आस्ति को हानि माना जाए तो उस हानि को आस्ति की वसूली-योग्य राशि से अधिक हुई आस्ति की वहन राशि द्वारा मान्यता दी जाती है और तदनुसार मापा जाता है। यद्यपि, बैंक के प्रबंधन की राय में जिस वर्ष लेखांकन मानक 28 - "आस्तियों की हानि" लागू है, उस वर्ष के दौरान आस्तियों की भौतिक हानि का कोई संकेत नहीं है ।

Part B - Geographical Segment

(₹ in Crore)

	PARTICULARS	YEAR ENDED	
		31.03.2022	31.03.2021
a	**Revenue**		
	Domestic	93093.30	92005.18
	International	1163.59	1334.27
	Total	**94256.89**	**93339.45**
b	**Assets**		
	Domestic	1144417.68	1092833.79
	International	113245.85	86705.81
	Total	**1257663.53**	**1179539.60**

10. The consolidated Reserves of the Group after reckoning Parent's share of accumulated profit / loss of Subsidiaries, Associates and Joint Venture amount to ₹68147.19 Crore of which ₹64297.18 Crore relate to the Parent and the balance ₹ 3850.01 Crore relates to the Subsidiaries, Associates and Joint Venture (Previous year ₹ 60762.84 Crore of which ₹ 57238.19 Crore relate to the Parent and the balance ₹ 3524.65 Crore relates to the Subsidiaries, Associates and Joint Venture).

    Additional statutory information disclosed in individual financial statements of the Parent and Subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the Consolidated Financial Statements and also the information pertaining to the items which are not material have not been disclosed in the Consolidated Financial Statements in view of the general clarification issued by the ICAI.

11. Accounting Standard 28 - Impairment of Assets

Assets are reviewed for impairment at the end of the year whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of an asset to be held and used is measured by a comparison for the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such an asset is considered to be impaired, the impairment to be recognized and is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the recoverable amount of the asset. However, in the opinion of the Bank's Management, there is no indication of material impairment to the assets during the year to which Accounting Standard 28 - "Impairment of Assets" applies.

12. बैंक ने लेखा नीति में एकरूपता रखने के लिए उद्योग प्रथा के अनुरूप 1 अप्रैल 2021 से सरफेसी / डीआरटी के माध्यम से आय और खाते में सामान्य वसूली के माध्यम से वापस गए वाद दायर खातों और खातों में वसूली के विनियोग के तरीके को बदल दिया है। तद्नुसार, ऐसे एनपीए खातों में वसूली अब मूलधन, लागत और ब्याज के क्रम में विनियोग के पहले के तरीके की तुलना में लागत, ब्याज और मूलधन के क्रम में विनियोजित की जाती है। लेखांकन नीति में उपरोक्त परिवर्तन के परिणामस्वरूप यथा 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए ब्याज आय में ₹533.15 करोड़ की वृद्धि हुई है और सकल एनपीए में ₹470.89 करोड़ और एनपीए प्रावधान में ₹247.28 करोड़ की वृद्धि हुई है।
13. वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, बैंक ने ₹149.35 प्रति इक्विटी शेयर के निर्गम मूल्य पर योग्य संस्थागत निवेशकों को प्रत्येक ₹10/– के अंकित मूल्य वाले 16,73,92,032 इक्विटी शेयर जारी और आबंटित किए हैं। (जिसमें शेयर प्रीमियम के लिए ₹139.35 प्रति इक्विटी शेयर शामिल है)।
14. वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, बैंक ने निजी प्लेसमेंट के माध्यम से ₹4000.00 करोड़ (31.03.022 को समाप्त चालू तिमाही के दौरान जुटाए गए ₹1000 करोड़ सहित) मूल्य के बेसल III अनुपालक अतिरिक्त टियर I बांड और ₹2500.00 करोड़ मूल्य के बेसल III अनुपालक अतिरिक्त टियर II बांड जारी किए हैं।
15. यथा 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने शेयरधारकों के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, यथा 31.03.2021 को शेयर प्रीमियम खाते में उपलब्ध शेष राशि के प्रति अपनी ₹18495.30 करोड़ की समग्र हानि का समंजन कर दिया है।
16. कोविड-19 के परिणामस्वरूप ग्राहकों के व्यवहार में हुए बदलाव और महामारी के डर तथा कारोबारी एवं वैश्विक गतिविधियों में लगी पाबंदियों ने वैश्विक और भारतीय वित्तीय बाजारों में महत्वपूर्ण अस्थिरता पैदा की है। वर्तमान महामारी और उससे भविष्य में होने वाले परिवर्तन, यदि हुआ तो, बैंकिंग परिचालन और आस्ति गुणवत्ता को किस हद तक प्रभावित करेगी, यह कहना अनिश्चित है। चुनौतियों के बावजूद, प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय परिणामों में किसी प्रकार के समायोजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह यथा 31.03.2022 को समाप्त चालू वित्तीय वर्ष के वित्तीय परिणामों को विशेष रूप से बाधित नहीं करेगा और इससे बैंकों के भविष्य के वित्तीय परिणामों और वर्तमान समस्याओं पर किसी प्रकार का महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होगा।
17. पिछले वर्ष के आँकड़ों को जहाँ कहीं आवश्यक हुआ, पुनर्समुहित/ पुनर्व्यवस्थित / पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

12. The Bank has changed the method of appropriation of recovery in suit filed accounts and accounts recalled by way proceeds through SARFAESI / DRT and normal recovery in the account w.e.f. 1st April 2021 in line with industry practice to have uniformity in accounting policy. Accordingly, the recoveries in such NPA accounts are now appropriated in the order of cost, interest and principal as against the earlier method of appropriation in the order of principal, cost and interest. The above change in accounting policy has resulted an increase in interest income by ₹533.15 Crore for the year ended on 31.03.2022 and consequential effect in Gross NPA by ₹470.89 Crore and NPA provision by ₹ 247.28 Crore.
13. During the FY 2021-22, Bank has issued and allotted 16,73,92,032 equity shares having face value of ₹10/- each to qualified institutional players at an issue price of ₹149.35 per equity share (which includes ₹ 139.35 per equity share towards share premium).
14. During the FY 2021-22, Bank has issued Basel III Compliant Additional Tier I Bonds aggregating to ₹4000.00 Crore (including ₹1000 Crore raised during current quarter ended on 31.03.2022) and Basel III Compliant Additional Tier II Bonds aggregating to ₹ 2500.00 Crore through private placement.
15. During the year ended 31.03.2022, Bank has set off its accumulated losses of ₹18495.30 Crore as at 31.03.2021 against the available balance in the share premium account after obtaining approval from shareholders as well as the Reserve Bank of India.
16. The impact of COVID - 19 including changes in customer behaviour and pandemic fears, as well as restrictions on business and individual activities, has led to significant volatility in global and Indian financial markets. The extent to which the current pandemic and its future waves; if any, including other related developments will impact the banks operation and asset quality are uncertain. Despite the challenges, the management believes that no adjustments are required in the financial results, as it does not significantly impact the same for current year ended on 31.03.2022 and there may not be any significant impact on Bank's future financial results and the going concern assumptions.
17. Figures of the previous year have been regrouped / rearranged / reclassified wherever necessary.

आर महेन्द्रन मंडल प्रबंधक	**के शिवरामकृष्णन** मंडल प्रबंधक	**गणेश आर** सहायक महा प्रबंधक	**दीपक सक्सेना** सहायक महा प्रबंधक
एस के मजूमदार महाप्रबंधक एवं सीएफ़ओ	**वी रामचन्द्र** मुख्य महा प्रबन्धक	**बृज मोहन शर्मा** कार्यपालक निदेशक	**के सत्यनारायण राजू** कार्यपालक निदेशक
ए मणिमेखलै कार्यपालक निदेशक	**देवाशीष मुखर्जी** कार्यपालक निदेशक	**एल.वी. प्रभाकर** प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
सुचीन्द्र मिश्रा निदेशक	**आर केशवन** निदेशक	**नलिनी पद्मनाभन** निदेशक	**दिबाकर प्रसाद हरिचन्दन** निदेशक
वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर निदेशक	**बिमल प्रसाद शर्मा** निदेशक	**करुणाकर शेट्टी** निदेशक	

समसंख्यक दिनांक को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते **एन के भार्गव एंड कंपनी** सनदी लेखाकार फर्म सं : 000429N	कृते **राव एंड एम्मार** सनदी लेखाकार फर्म सं : 003084S	कृते **पी ए एंड एसोसिएट्स** सनदी लेखाकार फर्म सं : 313085E	कृते **अरुण के अग्रवाल एंड एसोसिएट्स** सनदी लेखाकार फर्म सं : 003917N	कृते **सरथ एंड एसोसिएट्स** सनदी लेखाकार फर्म सं : 005120S
(एन.के. भार्गव) साझेदार सदस्य सं. 080624	**(आर सुब्रमणियन)** साझेदार सदस्य सं. 015617	**(ब्रजानंद दास)** साझेदार सदस्य सं. 062142	**(अरुण कुमार अग्रवाल)** साझेदार सदस्य सं. 082899	**(पी सरथ कुमार)** साझेदार सदस्य सं. 021755

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 06.05.2022

R MAHENDRAN DIVISIONAL MANAGER	**K SIVARAMAKRISHNAN** DIVISIONAL MANAGER	**GANESH R** ASST. GENERAL MANAGER	**DEEPAK SAXENA** ASST. GENERAL MANAGER
S K MAJUMDAR GENERAL MANAGER & CFO	**V RAMACHANDRA** CHIEF GENERAL MANAGER	**BRIJ MOHAN SHARMA** EXECUTIVE DIRECTOR	**K. SATYANARAYANA RAJU** EXECUTIVE DIRECTOR
A. MANIMEKHALAI EXECUTIVE DIRECTOR	**DEBASHISH MUKHERJEE** EXECUTIVE DIRECTOR	**L.V. PRABHAKAR** MANAGING DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER	
SUCHINDRA MISRA DIRECTOR	**R KESAVAN** DIRECTOR	**NALINI PADMANABHAN** DIRECTOR	**DIBAKAR PRASAD HARICHANDAN** DIRECTOR
VENKATACHALAM RAMAKRISHNA IYER DIRECTOR	**BIMAL PRASAD SHARMA** DIRECTOR	**KARUNAKARA SHETTY** DIRECTOR	

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For **N. K. BHARGAVA & CO** Chartered Accountants FRN : 000429N	For **RAO & EMMAR** Chartered Accountants FRN : 003084S	For **P A & ASSOCIATES** Chartered Accountants FRN : 313085E	For **ARUN K AGARWAL & ASSOCIATES** Chartered Accountants FRN : 003917N	For **SARATH & ASSOCIATES** Chartered Accountants FRN : 005120S
(N.K.BHARGAVA) PARTNER MEMBERSHIP NO.080624	**(R SUBRAMANIAN)** PARTNER MEMBERSHIP NO:015617	**(BRAJANANDA DASH)** PARTNER MEMBERSHIP NO:062142	**(ARUN KUMAR AGARWAL)** PARTNER MEMBERSHIP NO.082899	**(P SARATH KUMAR)** PARTNER MEMBERSHIP NO.021755

Place : Bengaluru
Date : 06.05.2022

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरणी
CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31st March 2022

(₹ करोड़ में/₹ in Crore)

	31-मार्च-2022 31-Mar-2022	31-मार्च-2021 31-Mar-2021
I. परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह / CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
करों के पूर्व निवल लाभ / Net profit After Taxes	6124.83	2890.60
जोड़े : कर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर के लिए सहित प्रावधान) / Add: Provision for Tax (Incl Provision for Deferred Tax)	3349.91	1179.57
कर के पूर्व निवल लाभ / Net profit Before Taxes	**9474.74**	**4070.17**
समायोजन हेतु: / ADJUSTMENTS FOR:		
निवेश मूल्यह्रास के लिए प्रावधान / Provision for Investment Depreciation	974.90	106.39
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Non-Performing Assets	9868.07	14174.20
घटाएं: अन्य आरक्षित निधियों से आहरित की गई राशि / Less: Amount Drawn from the Other Reserves	-	2515.99
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Standard Asset	(233.42)	2.28
आकस्मिक और अन्य व्यय के लिए प्रावधान / Provision for Contingencies and Others	3543.15	1707.62
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास / Depreciation on Fixed Assets	841.05	838.04
निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर हानि / Loss on Revaluation of Investments	346.58	2543.76
टियर I और टियर II बॉन्ड पर ब्याज / Interest on Tier I and Tier II bonds	2024.73	2013.65
निवेश की बिक्री पर (लाभ) / हानि / (Profit) / Loss on Sale of Investments	(3748.56)	(4066.17)
अचल आस्तियों की बिक्री पर (लाभ) / हानि / (Profit) / Loss on Sale of Fixed Assets	(14.42)	(28.70)
उप – कुल / Sub total	**13602.08**	**19807.06**
समायोजन हेतु: / ADJUSTMENTS FOR :		
जमा में वृद्धि / (कमी) / Increase / (Decrease) in Deposits	75355.93	105418.13
उधार में वृद्धि / (कमी) / Increase / (Decrease) in Borrowings	(7297.85)	(13344.62)
निवेश में (वृद्धि) / कमी / (Increase) / Decrease in Investments	(24962.42)	(15225.16)
अग्रिम में (वृद्धि) / कमी / (Increase) / Decrease in Advances	(64577.51)	(22484.38)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी / (Increase) / Decrease in Other assets	16113.28	(12301.06)
अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि / (कमी) / Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	(12670.52)	(5290.86)
अल्पांश ब्याज में वृद्धि / (कमी) / Increase / (Decrease) in Minority Interest	31.31	63.28
कराधान से पहले परिचालन गतिविधि से नकद प्रवाह **Cash flow from operating activity before taxation**	**(18007.78)**	**36835.33**
घटाएं : निवल आयकर (प्रदत्त) / प्रतिदेय / Less: Net Income Tax (Paid) / Refund	(4150.05)	(1594.90)
परिचालन गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह NET CASHFLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (ए) (A)	**918.99**	**59117.66**
II. निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह / CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
अनुषंगियों / सहयोगियों / संयुक्त उद्यमों में निवेश में (वृद्धि) / कमी (Increase) / Decrease in Investment in Subsidiaries / Associates / JVs	(540.15)	(222.35)
अचल आस्तियों में (वृद्धि) / कमी / (Increase) / Decrease in Fixed Assets	(821.02)	(922.72)
अन्य आरक्षित निधियों में वृद्धि / (कमी) / Increase / (Decrease) in Other Reserve	105.29	115.93
निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी NET CASH USED IN INVESTING ACTIVITIES (बी) (B)	**(1255.88)**	**(1029.14)**

III. वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह / CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
शेयर पूंजी / Share Capital	167.39	193.24
शेयर प्रीमियम / Share Premium	2322.79	1797.99
वर्ष के दौरान टियर I और टियर II बॉण्ड का नया निर्गम / Fresh Issue of Tier I and Tier II Bonds during the Year	6500.00	2936.10
वर्ष के दौरान टियर I और टियर II बॉण्ड का मोचन / Redemption of Tier I and Tier II Bonds during the Year	(2930.00)	(2619.30)
टियर I और टियर II बॉण्ड पर ब्याज का भुगतान Payment of interest on Tier I and Tier II bonds	(2024.73)	(2013.65)
ई-एसबी शेयर धारकों को भुगतान की गई राशि (अंश भाग के लिए) / Amount paid to e-SB shareholders (for fraction part)	-	(4.30)
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (सी) (C)	**4035.45**	**290.08**
IV विदेशी मुद्रा उतार - चढ़ाव के कारण नकद प्रवाह CASH FLOW ON ACCOUNT OF EXCHANGE FLUCTUATION		
विदेशी मुद्रा उतार - चढ़ाव आरक्षित निधियां / Reserves of Foreign Currency Fluctuation	(173.50)	(87.33)
विदेशी मुद्रा उतार - चढ़ाव के कारण निवल नकद प्रवाह NET CASH FLOWS ON ACCOUNT OF EXCHANGE FLUCTUATION (डी) (D)	(173.50)	(87.33)
नकदी और नकद तुल्य में निवल वृद्धि / (कमी) (ए + बी + सी + डी) Net Increase/ (Decrease) in cash and cash equivalents (A+B+C+D)	**3525.06**	**58291.27**
प्रारंभिक नकदी और नकद तुल्य / Opening Cash and Cash equivalents	**178866.37**	**120575.10**
अंतिम नकदी और नकद तुल्य / Closing Cash and Cash Equivalents	**182391.43**	**178866.37**

नोट / Notes:

1. नकद प्रवाह विवरणी अप्रत्यक्ष पद्धति के तहत तैयार किया गया है और जहां आवश्यक है, आंकड़ों को फिर से समूहीकृत किया गया है।
2. नकदी और नकद तुल्य में नकदी, आरबीआई और अन्य बैंकों में शेष और मांग और अल्पसूचना पर प्रतिदेय राशि शामिल है।

1. The Cash Flow Statement has been prepared under the Indirect Method and figures has been re-grouped wherever considered necessary.
2. Cash and Cash equivalents includes Cash on hand, Balance with RBI & Other Banks and Money at Call and Short Notice.

नकदी व नकद तुल्य के घटक / Components of Cash & Cash Equivalents	**यथा 31.03.2022 को (लेखापरीक्षित) As at 31.03.2022 (Audited)**	**यथा 31.03.2021 को (लेखापरीक्षित) As at 31.03.2021 (Audited)**
आरबीआई में नकदी व शेष/ Cash & Balance with RBI	51637.08	43115.94
बैंकों में शेष और मांग और अल्पसूचना पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	130754.35	135750.43
कुल / Total	**182391.43**	**178866.37**

आर महेन्द्रन
मंडल प्रबंधक

के शिवरामकृष्णन
मंडल प्रबंधक

गणेश आर
सहायक महा प्रबंधक

दीपक सक्सेना
सहायक महा प्रबंधक

एस के मजूमदार
महाप्रबंधक एवं सीएफ़ओ

वी रामचन्द्र
मुख्य महा प्रबन्धक

बृज मोहन शर्मा
कार्यपालक निदेशक

के सत्यनारायण राजू
कार्यपालक निदेशक

ए मणिमेखलै
कार्यपालक निदेशक

देवाशीष मुखर्जी
कार्यपालक निदेशक

एल.वी. प्रभाकर
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

सुचीन्द्र मिश्रा
निदेशक

आर केशवन
निदेशक

नलिनी पद्मनाभन
निदेशक

दिबाकर प्रसाद हरिचन्दन
निदेशक

वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर
निदेशक

बिमल प्रसाद शर्मा
निदेशक

करुणाकर शेट्टी
निदेशक

समसंख्यक दिनांक को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते **एन के भार्गव एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 000429N
(एन.के. भार्गव)
साझेदार
सदस्य सं. 080624

कृते **राव एंड एम्मार**
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 003084S
(आर सुब्रमण्यम)
साझेदार
सदस्य सं. 015617

कृते **पी ए एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 313085E
(ब्रजानंद दास)
साझेदार
सदस्य सं. 062142

कृते **अरुण के अग्रवाल एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 003917N
(अरुण कुमार अग्रवाल)
साझेदार
सदस्य सं. 082899

कृते **सरथ एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 005120S
(पी सरथ कुमार)
साझेदार
सदस्य सं. 021755

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 06.05.2022

R MAHENDRAN
DIVISIONAL MANAGER

K SIVARAMAKRISHNAN
DIVISIONAL MANAGER

GANESH R
ASST. GENERAL MANAGER

DEEPAK SAXENA
ASST. GENERAL MANAGER

S K MAJUMDAR
GENERAL MANAGER & CFO

V RAMACHANDRA
CHIEF GENERAL MANAGER

BRIJ MOHAN SHARMA
EXECUTIVE DIRECTOR

K. SATYANARAYANA RAJU
EXECUTIVE DIRECTOR

A. MANIMEKHALAI
EXECUTIVE DIRECTOR

DEBASHISH MUKHERJEE
EXECUTIVE DIRECTOR

L.V. PRABHAKAR
MANAGING DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER

SUCHINDRA MISRA
DIRECTOR

R KESAVAN
DIRECTOR

NALINI PADMANABHAN
DIRECTOR

DIBAKAR PRASAD HARICHANDAN
DIRECTOR

VENKATACHALAM RAMAKRISHNA IYER
DIRECTOR

BIMAL PRASAD SHARMA
DIRECTOR

KARUNAKARA SHETTY
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For **N. K. BHARGAVA & CO**
Chartered Accountants
FRN : 000429N
(N.K.BHARGAVA)
PARTNER
MEMBERSHIP NO.080624

For **RAO & EMMAR**
Chartered Accountants
FRN : 003084S
(R SUBRAMANIAN)
PARTNER
MEMBERSHIP NO.015617

For **P A & ASSOCIATES**
Chartered Accountants
FRN : 313085E
(BRAJANANDA DASH)
PARTNER
MEMBERSHIP NO:062142

For **ARUN K AGARWAL & ASSOCIATES**
Chartered Accountants
FRN : 003917N
(ARUN KUMAR AGARWAL)
PARTNER
MEMBERSHIP NO.082899

For **SARATH & ASSOCIATES**
Chartered Accountants
FRN : 005120S
(P SARATH KUMAR)
PARTNER
MEMBERSHIP NO.021755

Place : Bengaluru
Date : 06.05.2022

नामांकन पत्र

सेवा में,
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, क्र. सं.
केनरा बैंक,
प्रधान कार्यालय : बेंगलूरु

प्रिय महोदय,

निदेशकों का निर्वाचन

आपके दिनांक 06.05.2022 की वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) नोटिस दिनांक 18.05.2022 के संदर्भ में मैं,______________________ ______________चुनाव में भाग लेने हेतु निर्दिष्ट तारीख / अंतिम तारीख यानी यथा शुक्रवार, 20 मई, 2022 को केनरा बैंक के प्रत्येक ₹10/– के ____________________ईक्विटी शेयरों का शेयरधारक हूँ, यथा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (i) के प्रावधानों के अनुसार बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करनेवाले निदेशक के रूप में **गुरुवार 23 जून, 2022** को होने वाली बैंक के शेयरधारकों की 20वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में चुने जाने के लिए ____________________ के निवासी श्री / श्रीमती ______ __________________________________ पुत्र / पुत्री / पत्नी ______________ को एतद्द्वारा नामित करता हूँ/करती हूँ।

हस्ताक्षर	
नाम	
धारित शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलिओ संख्या (अभौतिकीकृत न हो तो)	
डीपी आईडी संख्या तथा ग्राहक आईडी संख्या (अभौतिकीकृत हो तो)	
स्थान	
दिनांक	

टिप्पणियाँ:

1. यदि नामांकन एक कॉर्पोरेट निकाय द्वारा किया जाता है तो नामांकन प्रपत्र के साथ निदेशक मंडल द्वारा उस बैठक के अध्यक्ष के हस्ताक्षर के तहत पारित प्रस्ताव की प्रमाणित सत्य प्रति होनी चाहिए, जिस में यह पारित किया गया था।
2. उम्मीदवारी को नामांकित करने वाले शेयर धारकों के हस्ताक्षर बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर के साथ मेल खाने चाहिए ।
3. यदि उपर्युक्त में से किसी कॉलम को रिक्त छोड दिया जाता है या विवरण गलत पाए जाते हैं, तो नामांकन अस्वीकृत किया जा सकता है ।

NOMINATION FORM

To
The Managing Director & CEO, Sr. No.
CANARA BANK
Head Office: Bengaluru

Dear Sir,

ELECTION OF DIRECTORS

With reference to your intimation dated 06.05.2022 and AGM Notice dated 18.05.2022 I, ______________________

a shareholder of Canara Bank holding _________ equity shares of ₹10/- each as on **Friday the 20th May, 2022**, i.e., the Specified / Cut-Off date for participating in the Election, do hereby nominate Sri / Smt.______________________ _____ son / daughter / wife of __________________________ residing at ________________ for being elected as a Director of Canara Bank representing the Shareholders of the Bank as provided in Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the 20th Annual General Meeting of the Shareholders of the Bank to be held on **Thursday, the 23rd June, 2022**.

Signature	
Name	
Number of shares held	
Regd. Folio No. (If not dematerialized)	
DP ID No. & Client ID No. (If dematerialized)	
Place	
Date	

Notes:

1. In case of nomination by a Body Corporate, the nomination form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the Meeting at which it was passed.
2. Signature of the Shareholders nominating the candidate should match with the specimen signature available with the share transfer agent of the Bank.
3. If any of the columns above is left Blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.

घोषणाएं

मैं ____ पुत्र / पुत्री / पत्नी

श्री / श्रीमती ______________________ निवासी ____________________________ एतद्द्वारा पुष्टि करता / करती हूँ कि :

a. मैं शुक्रवार **20 मई, 2022** को, यानी चुनाव में भाग लेने के लिए निर्दिष्ट / अंतिम तिथि को, बैंक के ₹10/– प्रत्येक के __________ इक्विटी शेयर धारण करने वाला एक शेयरधारक हूँ, और बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने पर कार्यकाल के अंत तक शेयरों को रखने का वचन देता हूँ;

b. *मुझे (i) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, (ii) बैंकिंग, (iii) सहकारिता, (iv) अर्थशास्त्र, (v) वित्त (vi) कानून, (vii) लघु उद्योग या आईटी / भुगतान और निपटान प्रणाली / मानव संसाधन / जोखिम प्रबंधन / व्यवसाय प्रबंधन या किसी अन्य क्षेत्र आदि का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव जो कि भारतीय रिजर्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी होगा, में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है और मैं अधिनियम की धारा 9 की उप–धारा 3ए के संदर्भ में जमाकर्ताओं या किसानों, श्रमिकों और कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हूं और इसके साक्ष्य के रूप में, मैं इसके साथ प्रासंगिक परिसाक्ष्य प्रस्तुत करता हूँ, तथा: **(*जो लागू न हो उसे काट दें।)**

c. मैं नामांकन संख्या ______________; स्वीकार करता हूँ; तथा

d. मैं केनरा बैंक के निदेशक का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ; तथा

e. मैं, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970, केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, यथासंशोधित, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्रासंगिक अधिसूचनाएं और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर–सरकारी निदेशकों के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश के प्रावधानों के तहत बैंक का निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं हूँ, तथा

f. मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत अयोग्य नहीं हूँ; तथा

g. मैं न तो लाभ का कोई पद धारण करता हूं और न ही मैं किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप–धारा (1) के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक का कर्मचारी हूं या भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में परिभाषित किसी सहायक बैंक का कर्मचारी हूँ।

मैं आगे घोषणा करता हूं कि:

h. मुझे कभी भी दिवालिया घोषित नहीं किया गया है या कोई भुगतान निलंबित नहीं है या ऋणदाता को बकाया नहीं है; तथा

i. मेरी मानसिक स्थिति बिल्कुल सही है व ऐसा ही सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित है एवं नैतिक अधमता वाले किसी भी अपराध में फ़ौजदारी अदालत द्वारा मैं दोषी नहीं हूँ; तथा

j. मुझे किसी भी आर्थिक अधिकारी या न्यायिक मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा उद्घोषित अपराधी घोषित नहीं किया गया है; तथा

k. मैं निर्वाचित हो जाने पर, बैंक के साथ व्यावसायिक संबंध को समाप्त कर दूंगा, यदि कोई हो, और निदेशक के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान और उसके बाद दो वर्षों के लिए बैंक के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं रखूंगा; तथा

l. मैं किसी बैंक या रिज़र्व बैंक या किसी वित्तीय संस्थान (एफआई) या बीमा कंपनी या किसी अन्य बैंक को धारण करने वाले एनओएफएचसी के बोर्ड का सदस्य नहीं हूँ।

m. मैं किराया खरीद, वित्तपोषण, धन उधार, निवेश, पट्टे पर देने और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों से जुड़ा नहीं हूँ;

DECLARATIONS

I, Shri/Smt____ son / daughter / wife of Shri / Smt. ______________________, resident of ____________________ hereby confirm that:

a. I am a Shareholder holding __________ equity shares of ₹10/- each of the Bank as on Friday **20th May 2022**, i.e., the Specified / Cut-Off Date for participating in the election, and undertake to hold the shares till the end of the tenure, if elected as a Director of the Bank;

b. *I have special knowledge or practical experience in (i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operation, (iv) economics, (v) finance (vi) law (vii) small scale industry, or IT / Payment & Settlement Systems / Human Resources / Risk Management / Business Management etc. or any other matter the special knowledge / practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India would be useful to the Bank) and I represent the interest of the depositors or farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Act and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials, and (*Delete whichever is not applicable.);

c. I accept the nominations numbering _____________; and

d. I am willing to contest for the election of Director of Canara Bank; and

e. I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of the Banking Regulations Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Canara Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2000 as amended, relevant Notifications issued by RBI and Guidelines issued by GOI with regard to Non-Official Directors of Public Sector Banks and;

f. I am not disqualified under Section 164 of the Companies Act, 2013; and

g. I neither hold any office of profit nor I am an employee of any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959:

I further declare that:

h. I have not been at any time adjudicated as an insolvent or have suspended payment or has compounded with my creditors; and

i. I have not been found of unsound mind and stands so declared by a competent court and have not been convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude; and

j. I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Officer or Judicial Magistrate or High Court or any other court; and

k. I will severe professional relationship, if any, with the Bank forthwith on getting elected and will not undertake any professional relationship with the Bank during my tenure as Director and for a period of two years thereafter; and

l. I am not a member of the Board of any bank or the Reserve Bank or a Financial Institution (FI) or an Insurance Company or a NOFHC holding any other bank.

m. I am not connected with hire purchase, financing, money lending, investment, leasing and other para banking activities;

n. मैं विगत समय में किसी भी बैंक/एफआई/भा.रि.बै./बीमा कंपनी में छः वर्षों हेतु किसी भी वर्ग के तहत, चाहे निरंतर हो अलग–अलग अवधि में बोर्ड का निदेशक नहीं रहा हूँ।

o. मैं शेयर दलाली (स्टॉक ब्रोकिंग) के व्यवसाय में संलग्न नहीं हूँ।

p. मैं सांसद या राज्य विधानमंडल या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों (अन्य स्थानीय निकायों का मतलब निकाय जैसे अधिसूचित क्षेत्र परिषद, नगर परिषद, पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद, आदि) का पद धारण नहीं करता हूँ।

q. मैं किसी सनदी लेखाकार फर्म के भागीदार के रूप में कार्य नहीं कर रहा हूं जो वर्तमान में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत है।

r. मैं एक सनदी लेखाकार फर्म के भागीदार के रूप में कार्य नहीं कर रहा हूं जो वर्तमान में केनरा बैंक, जिसमें चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया गया है, के सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक या समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत है।

s. मेरा केनरा बैंक के साथ न तो कोई व्यावसायिक संबंध (कानूनी सेवाओं, सलाहकार सेवाओं आदि सहित) है और न ही मैं ऐसी गतिविधियों में संलग्न हूं, जिसके परिणामस्वरूप केनरा बैंक के साथ व्यावसायिक हितों का टकराव हो सकता है।

t. मेरा केनरा बैंक या किसी अन्य बैंक को धारण करने वाले किसी एनओएफएचसी के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं है और निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने से पहले चुने जाने पर बैंक के साथ संबंध समाप्त करने का वचन देता हूँ ।

u. मैं किसी नियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण/एजेंसी, या कानून प्रवर्तन एजेंसी के प्रतिकूल नोटिस में नहीं हूं और मैं किसी भी ऋण देने वाली संस्था का चूककर्ता नहीं हूँ ।

v. मैं एक निदेशक के रूप में पद ग्रहण करने से पहले प्रसंविदा विलेख (आरबीआई परिपत्र दिनांक 02.08.2019 के निर्धारित प्रारूप में) को निष्पादित करने का वचन देता हूँ;

w. मैं इस घोषणा के बाद होने वाली घटनाओं को, यदि कोई हो, यथाशीघ्र पूरी तरह से बैंक को सूचित करूंगा, जो कि ऊपर दी गई सूचनाओं से संबंधित है और बैंक के निदेशक के रूप में मेरे निर्वाचन पर प्रसंविदा विलेख को निष्पादित करने के लिए प्रासंगिक है; तथा

x. मैं बैंक के निदेशक के रूप में पद धारण करने तक सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, यथा संशोधित के प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन करने का वचन देता हूँ; तथा

y. मैं अपने व्यक्तिगत विवरण संलग्न करता हूं जो मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सभी प्रकार से सत्य और पूर्ण हैं, तथा

z. मैं अपने वर्तमान के साथ–साथ अन्य कंपनियों / बैंकों में पिछले निदेशक पद का विवरण निम्नानुसार देता हूँ

कंपनी / बैंक का नाम	निदेशक पद का विवरण जैसे कार्यकाल, निदेशक पद की प्रकृति, अवधि आदि।

(यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पंक्तियाँ / पत्रक जोड़ें)

aa. मैं अपने व्यक्तिगत विवरण संलग्न करता हूं जो सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सभी प्रकार से सत्य और पूर्ण हैं; तथा

नाम	
हस्ताक्षर	
मोबाइल नंबर	
ईमेल आईडी	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो सं. (यदि अभौतिकीकृत न हो तो)	

n. I have not served as director in the past on the board of any bank / FI / RBI / Insurance Company under any category for six years, whether continuously or intermittently.

o. I am not engaging in the business of stock broking.

p. I am not holding the position of a Member of Parliament or State Legislature or Municipal Corporation or Municipality or other local bodies (other local bodies means bodies such as Notified Area Council, City Council, Panchayat, Gram Sabha, Zila Parishad, etc.)

q. I am not acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as a Statutory Central Auditor of any nationalised bank or State Bank of India.

r. I am not acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor of Canara Bank.

s. I neither have any business connection (including legal services, advisory services etc.) with Canara Bank nor I am engaged in activities which might result in a conflict of business interests with Canara Bank.

t. I am not having any professional relationship with the Canara bank or any NOFHC holding any other bank and undertake to sever the relationship with the Bank if elected before assuming charge as a director.

u. I am not under adverse notice of any regulatory or supervisory authority / agency, or law enforcement agency and I am not defaulter of any lending institution.

v. I undertake to execute Deed of Covenants (in the prescribed format of RBI circular dated 02.08.2019) before assuming office as a director;

w. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto; and

x. I undertake to comply with the relevant provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, as amended till I hold the position as a Director of the Bank; and

y. I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief true and complete in all respects, and

z. I give below the details of my present as well as past directorship details in other companies / banks:

Name of the Company / Bank	Directorship details viz. tenure, nature of directorship, period etc.

(add additional rows / sheets if necessary)

I enclose my personal details which are to the best of knowledge and belief true and complete in all respects; and

Name	
Signature	
Mobile Number	
E-mail ID	
No. of Shares	
Regd. Folio No. (if not dematerialized)	

डीपी आईडी संख्या और ग्राहक आईडी संख्या (यदि अभौतिकीकृत हो)	
स्थान	
दिनांक	

नोटः उम्मीदवार इस घोषणा में निहित कथनों को हटा / संशोधित कर सकते हैं।

उपरोक्त घोषणा पर मेरे सामने हस्ताक्षर किए गए।

____

जज, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या सब–रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस, या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या केनरा बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के मुहर सहित हस्ताक्षर।

DP ID No. & Client ID No. (if dematerialized)	
Place	
Date	

Note: Candidates may delete / modify the statement/s contained in this declaration.

The above declaration was signed before me.

____

Signature with seal of Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances, or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or Canara Bank or any Nationalized Bank.

प्रस्तावित निदेशक द्वारा घोषणा और वचन-पत्र

(उपयुक्त संलग्नकों के साथ)

नवीनतम फोटोग्राफ कृपया यहां लगाएं

क्र.सं.	विवरण	प्रकट की गई जानकारी		
I. व्यक्तिगत विवरण:				
1.	पूरा नाम	मूल नाम	मध्य नाम	उपनाम
2.	पिता का नाम			
3.	लिंग (पुरुष / महिला / अन्य)			
4.	वर्तमान पता			
5.	ई–मेल पता और अन्य ई–मेल पता: एसटीडी कोड के साथ दूरभाष संख्या: मोबाईल संख्या			
6.	राष्ट्रीयता			
7.	जन्म तिथि (दिनांक / माह / वर्ष) और आयु	---/---/----- आयु: -- वर्ष -- महीने		
8.	शैक्षणिक योग्यताएं			
9.	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)			
10.	आधार संख्या (वैकल्पिक)			
11.	(a) स्थायी खाता संख्या (पैन): (b) प्रभार, जहां प्रस्तावित निदेशकों का कर (आयकर क्षेत्राधिकार) /आयकर मंडल / वार्ड का नाम और पता, निर्धारित किया जाता है: (b) पिछले 3 वर्षों के लिए रिटर्न दाखिल करने और करों के भुगतान का विवरण	दायर करने की तिथि	भुगतान किए गए कर की राशि (आईएनआर)	
12.	स्थायी पता			
13.	लेखा, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, वित्त, कानून, लघु उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, भुगतान और निपटान प्रणाली, मानव संसाधन, जोखिम प्रबंधन, व्यवसाय प्रबंधन जैसे एक या अधिक मामलों के संबंध में प्रासंगिक ज्ञान या अनुभव पर संक्षिप्त विवरण के रूप में ब्योरा या कोई अन्य मामला जिसका विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव रिज़र्व बैंक की राय में बैंकिंग कंपनी के लिए उपयोगी होगा।			

Declaration and Undertaking by a Proposed Director

(with appropriate enclosures)

Please affix latest passport size photograph here

Sr No	Particulars	Information Disclosed		
I. Personal Details				
1	Name in full	First Name	Middle Name	Last Name
2.	Father's name			
3.	Gender (M/F/others)			
4.	Present address			
5.	E-mail address & alternate e-mail address: Telephone Number with STD code: Mobile Number:			
6.	Nationality			
7.	Date of Birth (dd/mm/yyyy) and Age	- - - / - - - / - - - - - Age: - - years - - months		
8.	Educational qualifications			
9.	Director Identification Number (DIN)			
10.	Aadhaar Number (Optional)			
11.	(a) Permanent Account Number (PAN) (b) Charge where the proposed director is assessed to tax (Income Tax jurisdiction) / name and address of Income Tax Circle / Ward (c) Details of filing of return(s) and payment of taxes for past 3 years	Date of filing	Amount of Tax Paid (INR)	
12.	Permanent address			
13.	Details in the form of a brief write up on the relevant knowledge or experience in respect of one or more of the matters namely accountancy, agriculture and rural economy, banking, co-operation, economics, finance, law, small scale industry, information technology, payment and settlement systems, human resources, risk management, business management or any other matter the special knowledge of and practical experience of which would in the opinion of the Reserve Bank be useful to the Banking Company.			

14.	वर्तमान व्यवसाय (पदनाम, संगठन का नाम और अनुभव का संक्षिप्त विवरण)				
15.	पिछले न्यूनतम दस वर्षों को प्रावरित (कवर) करते पिछले व्यवसाय सहित काम किए गए संगठन का पूरा पता, कार्यग्रहण की तारीख, कार्यमुक्त होने की तारीख(कारणों सहित), पदनाम, आदि।				
16.	सनदी लेखाकार के मामले में, निम्नलिखित को इंगित करें: भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की सदस्यता संख्या (a) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के साथ पंजीकरण की तिथि (b) पंजीकृत फर्म / फर्मों का नाम और पता (c) फर्म (फर्मों) या आपके द्वारा वर्तमान में किए गए ऑडिट का विवरण				
17.	शाखा और खाता संख्या (बचत / चालू / ऋण खाते) के साथ बैंकर(ओं) का नाम जहां आप प्राथमिक खाताधारक है :	बैंक का नाम	शाखा	खाते का प्रकार	खाता संख्या
18.	आपकी शेयरधारिता के संबंध में विवरण, यदि आपके पास, आपके पति या पत्नी और आपके नाबालिग बच्चे द्वारा किसी भी इकाई में, भौतिक या डीमैट रूप में रखा गया है।(डीमैट / शेयरधारिता प्रमाणपत्र संलग्न करें)				
19.	बैंक के निदेशक पद से संबंधित कोई अन्य संगत जानकारी				
II. प्रस्तावित निदेशक के प्रासंगिक संबंध:					
20.	रिश्तेदारों की सूची, यदि कोई हो, जो किसी भी बैंक से जुड़े हुए हैं [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (77) और कंपनी (परिभाषा की विशिष्टता) नियम, 2014 के नियम 4 का संदर्भ लें।] :				
21.	ऐसी संस्थाओं की सूची जिसमें: (a) इच्छुक [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 देखें] : (b) लाभकारी स्वामित्व [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 89 और एमसीए के लागू महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामित्व नियम भी देखें]: (c) ट्रस्टी (ट्रस्ट के संदर्भ में किसी अन्य संबंध का भी उल्लेख करें):				

14.	Present occupation (designation, name of the organization and brief write-up on experience)	
15.	Previous occupation covering minimum of past ten years, with complete address of the organization(s) worked in, date of joining, date of relieving (including reasons), designation, etc.	
16.	In case a Chartered Accountant, indicate the following: Membership Number of Institute of Chartered Accountants of India (ICAI): (a) Date of registration with the ICAI: (b) Name and Address of the registered firm/s: (c) Details of the Audit(s) presently undertaken by the firm(s) or by you:	

		Bank Name	Branch	Type of A/c	A/c Number
17.	Name of the banker(s) with Branch and Account Numbers (savings / current / loan accounts) where you are a primary account holder:				

18.	Details of shareholding, if held in any entity, either in physical or dematerialized form, by you, spouse, and your minor child. (attach demat / shareholding certificate)	
19.	Any other information relevant to directorship of the bank:	
II. Relevant Relationships of proposed director:		
20.	List of relatives, [Refer Section 2(77) of the Companies Act, 2013 and Rule4 of the Companies (Specification of Definition) Rules, 2014] if any, who are connected with any bank:	
21.	List of entities in which: (a) Interested [Refer Section184 of the Companies Act, 2013]: (b) Beneficial ownership [Refer Section 89 of Companies Act, 2013 as also the applicable Significant Beneficial Ownership Rules of MCA]: (c) Trustee (also mention any other relationship with reference to a trust):	

<table>
<tr><td>22.</td><td rowspan="8">मौजूदा और प्रस्तावित संस्थाओं की सूची, जिनमें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (एनई) * के अर्थ के तहत पर्याप्त हित रखते हैं।</td><td>कंपनी / फर्म का नाम</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>निगमन का देश</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>शेयरों की संख्या</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>धारित शेयर का कुल अंकित मूल्य</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>कुल चुकता पूंजी के % के रूप में शेयरधारिता</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>लाभकारी हित (मूल्य के साथ-साथ % में)</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>क्या इकाई कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत एक कंपनी है।</td><td></td></tr>
<tr><td>23.</td><td>विदेशों में निगमित और भारत में कारोबार करने वाली संस्थाओं में धारिताओं का विवरण।</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>24.</td><td>बैंक / एनबीएफसी / किसी अन्य कंपनी का नाम जिसमें वर्तमान में या अतीत में आप बोर्ड के सदस्य / सलाहकार रहे हैं (उस अवधि का ब्यौरा देना जिसके दौरान ऐसे कार्यालय में काम किया है।</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>25.</td><td>यदि किसी ऐसी संस्था से जुड़े हों, जो किराया खरीद, वित्तपोषण, निवेश, पट्टे पर देने और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियां, करती हों (संगठन के स्वरूप का उल्लेख किया जाना चाहिए), उसका विवरण।</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>26.</td><td>यदि किसी स्टॉक ब्रोकर या किसी ऐसी संस्था से संबद्ध हों जो शेयर ब्रोकिंग गतिविधियों में शामिल हों, उनका विवरण दें।</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>27.</td><td>निधि और गैर-निधि आधारित सुविधाओं का विवरण, यदि कोई हो, जिनका आपने व्यक्तिगत रूप से तथा/या उपरोक्त मद सं.(21) से (26) तक वर्तमान में सुविधा का लाभ उठाया है।</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>28.</td><td>ऐसे मामले, यदि कोई हो, जहां एक व्यक्ति के रूप में, आप, या ऊपर बिंदु (21) से (26) तक में सूचीबद्ध इकाइयां, बैंक / एनबीएफसी / किसी अन्य उधार देनेवाली संस्था से प्राप्त ऋण सुविधाओं के संबंध में अतीत में इरादतन चूककर्ता के रूप में चूककर्ता रह चुके हों या घोषित किए गए हों।</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>29.</td><td>निदेशक पद के लिए प्रासंगिक पेशेवर उपलब्धियां।</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">* कंपनी के संबंध में पर्याप्त हित" का अर्थ है (i) किसी व्यक्ति या उसके जीवनसाथी या अवयस्क बच्चे द्वारा, उसके शेयर में, चाहे अकेले या सामूहिक रूप से कोई लाभदायक हित रखना है, जिसपर भुगतान की गई राशि, कंपनी की चुकता पूंजी से पांच लाख रुपये या दस प्रतिशत से अधिक हो, इनमें से जो भी कम हो; ii) एक फर्म के संबंध में, अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति या उसके जीवनसाथी या अवस्य बच्चे द्वारा चाहे अकेले या सामूहिक रूप से कोई लाभकारी हित रखना, जो उक्त फर्म के सभी भागीदारों द्वारा निर्धारित कुल पूंजी का दस प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है।</td></tr>
<tr><td colspan="4">IV प्रस्तावित निदेशक के विरुद्ध कार्यवाहियां, यदि कोई हों:</td></tr>
<tr><td>30.</td><td>(a) यदि वह किसी व्यवसायिक संगठन/निकाय का सदस्य हो तो उनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई विलंबित या शुरू की गई या पूर्व में दोषी ठहराया गया या प्रत्याशी को किसी व्यवसाय/पेशे में प्रविष्ट होने से रोका गया है, विवरण दें।</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>(b) यदि व्यक्तिगत पेशेवर आचरण या गतिविधियों के बारे में किसी भी लिखित शिकायत या आरोप का विषय है, तो उसका विवरण।</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>31.</td><td>अभियोजन के विवरण, यदि कोई हो, लंबित या शुरु किया गया या जसके परिणास्वरूप अतीत में स्वयं को/और या आर्थिक कानूनों और विनियमों के उल्लंघन के लिए उपरोक्त बिंदु (21) से (26) में सूचीबद्ध किसी भी संस्था के खिलाफ दोषी ठहराया गया हो।</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="7">22.</td><td rowspan="7">List of entities, existing and proposed, in which holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne)* of the Banking Regulation Act, 1949.</td><td>Name of the company / firm</td><td></td></tr>
<tr><td>Country of incorporation</td><td></td></tr>
<tr><td>Number of shares</td><td></td></tr>
<tr><td>Face value of each share</td><td></td></tr>
<tr><td>Total face value of share holding</td><td></td></tr>
<tr><td>Shareholding as % of total Paid-up Capital</td><td></td></tr>
<tr><td>Beneficial interest (in value as well as % terms)</td><td></td></tr>
<tr><td>23.</td><td>Details of holdings in entities incorporated abroad and having a place of business in India.</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>24.</td><td>Name of Bank / NBFC / any other company in which currently or in the past a member of the Board / Advisor etc. (giving details of period during which such office is being / was held).</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>25.</td><td>If connected with any entity undertaking hire purchase, financing, investment, leasing and other para banking activities (nature of association to be mentioned), details thereof.</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>26.</td><td>If a stock broker or connected with any entity engaged in share broking activities, details thereof.</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>27.</td><td>Details of fund and non-fund-based facilities, if any, presently availed in person and / or by entities listed in (21) to (26) above.</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>28.</td><td>Cases, if any, where as an individual or the entities listed at (21) to (26) above have defaulted or declared as wilful defaulter in the past in respect of credit facilities Obtained from a bank / NBFC / any other lending institution.</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>29.</td><td>Professional achievements relevant for the directorship.</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">*substantial interest” (i) in relation to a company, means the holding of a beneficial interest by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, in the shares thereof, the amount paid up on which exceeds five lakhs of rupees or ten percent of the paid-up capital of the company, whichever is less; (ii) in relation to a firm, means the beneficial interest held therein by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, which represents more than ten per cent of the total capital subscribed by all the partners of the said firm.</td></tr>
<tr><td colspan="4">IV. Proceedings, if any, against the proposed director:</td></tr>
<tr><td>30.</td><td>(a) As a member of a professional association / body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past or whether been banned from entry at any Profession / occupation at any time, details thereof.</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>(b) If subject of any written complaint or accusation regarding individual professional conduct or activities, details thereof.</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>31.</td><td>Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction of self or the entities listed at (21) to (26) above for violation of economic laws and regulations.</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

32.	आपराधिक अभियोजन के विवरण, यदि कोई हो, लंबित या शुरु या जिसके परिणामस्वरूप दोषी ठहराया गया।	
33.	यदि एएमएल / सीएफटी दिशानिर्देशों के किसी भी उल्लंघन में लिप्त हैं, तो उसके विवरण।	
34.	यदि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत परिकल्पित किसी भी अयोग्यता को आकर्षित करते हैं, तो उसका विवरण।	
35.	यदि दिवालिया घोषित किया गया है या भुगतान निलंबित किया गया है या लेनदारों के साथ समझौता किया गया है, तो उसका विवरण।	
36.	यदि विकृत मस्तिष्क का पाया गया हो और एक सक्षम न्यायाल्य द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो, तो उसका विवरण।	
37.	(a) यदि अपराधिक न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध का दोषी ठहराया गया है जिसमें नैतिक क्रूरता या अन्यथा शामिल है, उसका विवरण।	
	(b) यदि किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है, तो उसका विवरण?	
38.	एक पूर्णकालिक निदेशक का पद धारण करने के अलावा यदि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के तहत कोई भी लाभ का पद रखते हैं, तो उसका विवरण।	
39.	यदि किसी व्यक्ति या ऊपर बिंदु (21) से (26) में किसी भी संस्था के रूप में, पिछले नियोक्ता या सरकारी विभागों या एजेंसी से किसी भी जांच/सतर्कता/ मामलों की जांच के अधीन है, तो उसका विवरण।	
40.	यदि सीमा शुल्क / उत्पाद शुल्क / आयकर / विदेशी विनिमय / अन्य राजस्व प्राधिकरण की अपेक्षानुसार नियमों / विनियमों / संवैधानिक आवश्यकताओं के उल्लंघन का दोषी पाया गया है, तो उसका विवरण।	
41.	यदि किसी भी नियामक जैसे - सेबी, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए आदि, पेशेवर संगठन, सरकारी एजेंसी, या न्यायालय द्वारा किसी व्यावसायिक आचरण या गतिविधियों के कारण निंदा की गई, फटकर लगाई गई, प्रतिबंधित, निलंबित, बाधित, रोक लगाई गई हो, या अन्यथा मंज़ूरी दी गई हो, तो उसका विवरण। (यद्यपि, उम्मीदवार के लिए ऐसे आदेशों और निष्कर्षों के बारे में कॉलम में उल्लेख करना आवश्यक नहीं होगा, जो बाद में पूरी तरह से बदल किए गए हों/ पूर्णतया रद्द कर दिए गए हों, परन्तु इन्हें ऐसी स्थिति में वर्णित करना आवश्यक होगा जहां तकनीकी कारणों जैसे - अधिकार क्षेत्र की कमी या सीमित होने के कारण बदल / रद्द किया गया हो न कि योग्यता के आधार पर। यदि कोई आदेश अस्थायी रूप से रोका गया है तथा अपीलीय / न्यायालय की कार्रवाई लंबित है, तो उसका भी वर्णन किया जाना चाहिए।	
V सामान्य जानकारी :		
42.	यदि सनदी लेखाकार, अधिवक्ता, आदि जैसे पेशेवर और किसी भी बैंक में वर्तमान में कोई व्यावसायिक कार्य कर रहे / करते हैं तो बैंक के नाम और बैंक के साथ संबंध की अवधि सहित विवरण प्रदान करें ।	
43.	यदि कोई सांसद / एमएलए / एमएलसी या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों में राजनीतिक पद धारक है, तो उसका विवरण प्रदान करें।	
VI. प्रकटीकरण और पारदर्शिता के हित में, यदि कोई अन्य सूचना, जो "उपयुक्त और समुचित" का मूल्यांकन करने के लिए सुसंगत हो, तो उसका विवरण प्रदान करें।		

32.	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction.	
33.	If indulged in any breach of AML / CFT guidelines, details thereof.	
34.	If attracting any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Companies Act, 2013, details thereof.	
35.	If adjudicated insolvent or has suspended payment or has compounded with creditors, details thereof.	
36.	If found to be of unsound mind and stands so declared by a competent Court, details thereof.	
37.	(a) If convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude or otherwise, details thereof.	
	(b) If convicted by any Court of law, details thereof?	
38.	If holding any office of profit under any nationalised bank or State Bank of India, except for holding the post of a whole-time director, details thereof.	
39.	If as an individual or any of the entities at (21) to (26) above have been subject to any investigation / vigilance / matters of enquiry from any of the previous employers or government departments or agency, details thereof.	
40.	If found guilty of violation of rules / regulations / legislative requirements by Customs / excise / income tax / foreign exchange / other revenue authorities, details thereof.	
41.	If reprimanded, censured, restricted, suspended, barred, enjoined, or otherwise sanctioned by any regulator such as SEBI, IRDAI, PFRDA etc., professional organization, Government agency, or court because of professional conductor activities, details thereof. (Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings which have been later on reversed / set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal / setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, and not on merit. If the order is temporarily stayed and the appellate / court proceedings are pending, the same also should be mentioned).	
V. General Information:		
42.	If a professional like Chartered Accountant, Advocate etc. and presently undertaking / undertaken any professional work in any bank, provide details thereof including the name of the bank and period of association with the bank.	
43.	If a sitting MP / MLA / MLC or holding political position in Municipal Corporation or Municipality or other local bodies, provide details thereof.	
VI. In the interest of disclosure and transparency, should there be any other information relevant for assessing 'fit and proper', provide details thereof.		

घोषणा		
मैं पुष्टि करता / करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही व पूर्ण है। मैं बैंक को उन घटनाओं के संबंध में पूरी जानकारी यथाशीघ्र प्रदान करने का वचन देता हूँ / देती हूँ जो मेरी नियुक्ति के बाद घटित होती है जो उपरोक्त प्रदान की गई जानकारी के लिए प्रासंगिक हैं।		
	स्थान : दिनांक :	**प्रस्तावित निदेशक के हस्ताक्षर (उम्मीदवार)**
	नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) / निदेशक मंडल की स्वयं की टिप्पणियां कि उपरोक्त जानकारी सत्य और पूर्ण है।	
	स्थान : दिनांक :	**एनआरसी / बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर**

Undertaking	
I confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief, true and complete. I undertake to keep the bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place after my appointment which are relevant to the information provided above.	
Place : Date :	**Signature of proposed Director (Candidate)**
Remarks of Nomination and Remuneration Committee (NRC) / Board of having satisfied itself that the above information is true and complete.	
Place : Date :	**Signature of the Chair of the NRC / Board**

लाभांश वितरण नीति

पात्रता मापदंड

- **बैंक के पास होना चाहिए**

➢ दो पूर्ण वर्षों से पहले और लेखांकन वर्ष के लिए कम से कम 9% का सीआरएआर जिसके लिए वह लाभांश घोषित करने का प्रस्ताव रखता है।

➢ निवल एनपीए 7% से कम।

यदि कोई बैंक उपरोक्त सीआरएआर मानक को पूरा नहीं करता है, लेकिन उसके पास लेखांकन वर्ष के लिए कम से कम 9% का सीआरएआर है, जिसके लिए वह लाभांश घोषित करने का प्रस्ताव रखता है, तो यह लाभांश घोषित करने के लिए पात्र होगा, बशर्ते कि उसका निवल एनपीए अनुपात 5% से कम हो ।

बशर्ते, बैंकों को 2.5% की पूंजी संरक्षण बफर बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जिसमें 9% की नियामक न्यूनतम पूंजी आवश्यकता के ऊपर सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी शामिल होती है। जब बैंकों का पूंजी स्तर इस सीमा के भीतर आता है तो बैंकों पर पूंजी वितरण बाधाएं लगाई जाएंगी। नीचे दी गई तालिका से पता चलता है कि न्यूनतम पूंजी संरक्षण अनुपात एक बैंक को कॉमन इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात के विभिन्न स्तरों पर मिलना चाहिए।

प्रत्येक बैंक के लिए न्यूनतम पूंजी संरक्षण मानदंड

वर्तमान अवधि प्रतिधारित उपार्जन को शामिल करने के बाद सामान्य इक्विटी टीयर 1 अनुपात	न्यूनतम पूंजी संरक्षण अनुपात (कमाई का % के रूप में व्यक्त)
5.5% – 6.125%	100%
>6.125% – 6.75%	80%
>6.75% – 7.375%	60%
>7.375% – 8.0%	40%
>8.0%	0%

सामान्य इक्विटी टियर 1 अनुपात में 5.5% की न्यूनतम सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपयोग की जाने वाली राशियाँ शामिल हैं, लेकिन 7% टियर 1 और 9% कुल पूँजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक किसी भी अतिरिक्त सामान्य इक्विटी टियर 1 को शामिल नहीं किया गया है ।

Dividend Distribution Policy

Eligibility Criteria

- **The Bank should have**

➢ CRAR of at least 9% for preceding two completed years and the accounting year for which it proposes to declare dividend.

➢ Net NPA less than 7%.

In case any Bank does not meet the above CRAR norm, but is having a CRAR of at least 9% for the accounting year for which it proposes to declare dividend, it would be eligible to declare dividend provided its Net NPA ratio is less than 5%.

Provided, Banks are required to maintain a capital conservation buffer of 2.5%, comprised of Common Equity Tier 1 capital, above the regulatory minimum capital requirement of 9%. The capital distribution constraints will be imposed on Banks when their capital levels fall within this range. The below table shows the minimum capital conservation ratios a Bank must meet at various levels of the Common Equity Tier 1 capital ratios.

Minimum capital conservation standards for individual bank

Common Equity Tier 1 Ratio after including the current periods retained earnings	Minimum Capital Conservation Ratios (expressed as % of earnings)
5.5% - 6.125%	100%
>6.125% - 6.75%	80%
>6.75% - 7.375%	60%
>7.375% - 8.0%	40%
>8.0%	0%

The Common Equity Tier 1 ratio includes amounts used to meet the minimum Common Equity Tier 1 capital requirement of 5.5%, but excludes any additional Common Equity Tier 1 needed to meet the 7% Tier 1 and 9% Total Capital requirements.

इसके अलावा, भारत में निगमित अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति के लिए प्रतिचक्रीय पूंजी बफर (सीसीसीबी) के तहत पर्याप्त पूंजी बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जैसा कि संबंधित न्यायालयों में मेजबान पर्यवेक्षकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। बैंकों को विवेकाधीन वितरण पर प्रतिबंध के अधीन किया जाएगा (इसमें लाभांश भुगतान, शेयर बायबैक और स्टाफ बोनस भुगतान शामिल हो सकते हैं) यदि वे प्रतिवर्गीय पूंजी बफर पर आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं जो पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) की आवश्यकता का एक विस्तार है । कुल आरडब्ल्यूए के 2.5% के सीसीसीबी और सीसीबी 2.5% की समवर्ती आवश्यकता को मानते हुए, बैंक का अपेक्षित संरक्षण अनुपात (विवेकपूर्ण वितरण संबंधी प्रतिबंध), सीईटी 1 के विभिन्न स्तरों पर धारित पूंजी निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत है:

व्यक्तिगत बैंक न्यूनतम पूंजी संरक्षण अनुपात, 2.5% प्रत्येक पूंजी संरक्षण बफर और सीसीसीबी की आवश्यकता मानते हुए	
सामान्य इक्विटी टीयर 1 अनुपात सीमा	न्यूनतम पूंजी संरक्षण अनुपात (उपार्जन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त)
>5.5% - 6.75%	100%
>6.75% - 8.0%	80%
>8.0% - 9.25%	60%
>9.25% - 10.50%	40%
>10.50%	0%

सीईटी 1 अनुपात बैंड उस समय में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित आवश्यक सीसीबी और सीसीसीबी के 25% की वृद्धि में संरचित हैं ।

इसके अलावा, लाभांश की घोषणा आरबीआई द्वारा अपने परिपत्र डीबीएस.सीओ.पीपीडी.बीसी.सं.8/11.01.005/2016–17 दिनांक 13 अप्रैल, 2017 को "संशोधित शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई ढ्रांचा (पीसीए)" पर लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन है । 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए बैंकों के वित्तीय आधार पर संशोधित पीसीए ढांचे के प्रावधान 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे ।

बैंकों के लिए संशोधित शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे ने संकेतक को पूंजी, संपत्ति की गुणवत्ता और लाभप्रदता के लिए ट्रैक करने के लिए दिया था । परिपत्र में उल्लिखित संकेतकों के आधार पर, जोखिम थ्रेशोल्ड को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है जैसा कि नीचे दी गई तालिका में और बैंक द्वारा उक्त जोखिम सीमा का उल्लंघन करने पर अनिवार्य कार्रवाई की जाएगी ।

Provided further that, Banks incorporated in India having international presence are required to maintain adequate capital under Countercyclical Capital Buffer (CCCB) as prescribed by the host supervisors in respective jurisdictions. Banks will be subject to restrictions on discretionary distributions (may include dividend payments, share buybacks and staff bonus payments) if they do not meet the requirement on Countercyclical Capital Buffer which is an extension of the requirement for capital conservation buffer (CCB). Assuming a concurrent requirement of CCB of 2.5% and CCCB of 2.5% of total RWAs, the required conservation ratio (restriction on discretionary distribution) of a bank, at various levels of CET1 capital held is illustrated in the following Table:

Individual bank minimum capital conservation ratios, assuming a requirement of 2.5% each of capital conservation buffer and CCCB	
Common Equity Tier 1 Ratio bands	Minimum Capital Conservation Ratios (expressed as a percentage of earnings)
>5.5% - 6.75%	100%
>6.75% - 8.0%	80%
>8.0% - 9.25%	60%
>9.25% - 10.50%	40%
>10.50%	0%

The CET 1 ratio bands are structured in increments of 25% of the required CCB and CCCB prescribed by the Reserve Bank of India at that point in time.

Also, the declaration of dividend is further subject to the restrictions imposed by RBI vide its Circular DBS.CO.PPD. BC.No.8/11.01.005/2016-17 dated April 13th 2017 on “Revised Prompt Corrective Action Framework” (PCA). The provisions of the revised PCA framework will be effective from April 1, 2017, based on the financials of the banks for the year ended March 31, 2017.

The Revised Prompt Corrective Action (PCA) framework for Banks had given the indicators to be tracked for Capital, asset quality and profitability. Based on the indicators mentioned in the Circular, risk thresholds have been classified into three categories as given in the table below and the mandatory action that would be taken when a bank breaches the said risk threshold.

जोखिम सीमा (थ्रेशोल्ड) के तहत वर्गीकृत करने के लिए विभिन्न संकेतक

पीसीए मैट्रिक्स – मापदंड, संकेतक और जोखिम सीमा				
मापदंड	संकेतक	जोखिम सीमा 1	जोखिम सीमा 2	जोखिम सीमा 3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
पूंजी (सीआरएआर या सीईटी1 अनुपात का अतिक्रमण)	सीआरएआर – पूंजी से जोखिम आस्तियों के अनुपात के लिए न्यूनतम नियामक निर्धारण + लागू पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) और/या सामान्य इक्विटी टियर 1 अनुपात (सीईटी 1 पीएसटी) + लागू पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) के नियामक पूर्व–निर्दिष्ट ट्रिगर	कॉलम (2) में निर्धारित संकेतक के नीचे से 250 बीपीएस तक कॉलम (2) में निर्धारित संकेतक के 162.50 बीपीएस नीचे से तक	कॉलम (2) में निर्धारित संकेतक के नीचे से 250 बीपीएस से अधिक लेकिन 400 बीपीएस से कम कॉलम (2) में निर्धारित संकेतक के नीचे से 162.50 बीपीएस से अधिक लेकिन 312.50 बीपीएस से कम	कॉलम (2) में निर्धारित संकेतक के नीचे से 400 बीपीएस अधिक कॉलम (2) में निर्धारित संकेतक के नीचे से 312.50 बीपीएस अधिक
	पीसीए को ट्रिगर करने के लिए सीआरएआर या सीईटी1 अनुपात का अतिक्रमण			
आस्ति गुणवत्ता	निवल अनर्जक अग्रिम (एनएनपीए) अनुपात	>=6.0% लेकिन <9.0%	>=9.0% लेकिन < 12.0%	>=12.0%
लीवरेज	विनियामक न्यूनतम टियर 1 लीवरेज अनुपात	नियामक न्यूनतम से 50 बीपीएस से नीचे	50 बीपीएस से अधिक लेकिन नियामक न्यूनतम से 100 बीपीएस से अनधिक	नियामक न्यूनतम से 100 बीपीएस से अधिक

The various indicators for classifying under risk thresholds:

PCA matrix - Parameters, indicators and risk thresholds				
Parameter	Indicator	Risk Threshold 1	Risk Threshold 2	Risk Threshold 3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Capital (Breach of either CRAR or CET 1 ratio)	CRAR - Minimum regulatory prescription for Capital to Risk Assets Ratio + applicable Capital Conservation Buffer (CCB) and/or Regulatory Pre-Specified Trigger of Common Equity Tier 1 Ratio (CET 1 PST) + applicable Capital Conservation Buffer (CCB)	Upto 250 bps below the Indicator prescribed at column (2) Upto 162.50 bps below the Indicator prescribed at column (2)	More than 250 bps but not exceeding 400 bps below the Indicator prescribed at column (2) More than 162.50 bps below but not exceeding 312.50 bps below the Indicator prescribed at column (2)	In excess of 400 bps below the Indicator prescribed at column (2) In excess of 312.50 bps below the Indicator prescribed at column (2)
	Breach of either CRAR or CET 1 ratio to trigger PCA			
Asset Quality	Net Non-Performing Advances (NNPA) ratio	>=6.0% but <9.0%	>=9.0% but < 12.0%	>=12.0%
Leverage	Regulatory minimum Tier 1 Leverage Ratio	Upto 50 bps below the regulatory minimum	More than 50 bps but not exceeding 100 bps below the regulatory minimum	More than 100 bps below the regulatory minimum

विभिन्न जोखिम सीमा के आधार पर, बैंकों के खिलाफ कुछ अनिवार्य और विवेकाधीन कार्रवाई शुरू की जाएगी। दूसरों के बीच अनिवार्य क्रियाकलापों में जोखिम सीमा के बावजूद लाभांश वितरण पर प्रतिबंध शामिल है जिसके तहत बैंक वर्गीकृत है।

- बैंक को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 15 और 17 के प्रावधानों का पालन करना चाहिए।
- बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी प्रचलित नियमों / दिशानिर्देशों का अनुपालन करना चाहिए, जिसमें संपत्ति की क्षति और कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के लाभों के लिए पर्याप्त प्रावधान बनाना, सांविधिक आरक्षित को लाभ का हस्तांतरण आदि शामिल हैं।
- प्रस्तावित लाभांश चालू वर्ष के लाभ से देय होना चाहिए ।
- रिज़र्व बैंक को लाभांश की घोषणा के लिए बैंक पर कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए।
- इसके अलावा लाभांश की घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक / भारत सरकार / वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किसी भी निर्देश या संचार के अधीन होगी।

लाभांश भुगतान के बाद सभी बैंक लागू न्यूनतम नियामक पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करना जारी रखेंगे। इक्विटी शेयरों पर लाभांश की घोषणा करते समय, निदेशक मंडल की यह जिम्मेदारी होगी कि वह अन्य बातों के साथ-साथ आर्थिक वातावरण और लाभप्रदता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए लागू पूंजी आवश्यकताओं और प्रावधानों की पर्याप्तता के संबंध में बैंक की वर्तमान और अनुमानित पूंजी स्थिति को ध्यान में रखें।

Based on the various risk thresholds, certain mandatory and discretionary actions would be initiated against Banks. The mandatory actions amongst others include the restriction on dividend distribution irrespective of the risk threshold under which a Bank is classified.

- The Bank should comply with the provisions of Sections 15 and 17 of the Banking Regulation Act, 1949
- The Bank should comply with the prevailing regulations / guidelines issued by RBI, including creating adequate provisions for impairment of assets and staff retirement benefits, transfer of profits to Statutory Reserves etc.
- The proposed dividend should be payable out of the current year's profit.
- The Reserve Bank should not have placed any explicit restrictions on the Bank for declaration of dividends.
- The declaration of dividend shall be further subject to any Directions or Communications issued by RBI/Government of India / Ministry of Finance from time to time.

All banks shall continue to meet the applicable minimum regulatory capital requirements after dividend payment. While declaring dividend on equity shares, it shall be the responsibility of the Board of Directors to inter-alia consider the current and projected capital position of the bank vis-à-vis the applicable capital requirements and the adequacy of provisions, taking into account the economic environment and the outlook for profitability.

देय लाभांश की मात्रा:

लाभांश भुगतान अनुपात 40% से अधिक नहीं होना चाहिए और नीचे दिए गए मैट्रिक्स के अनुसार होना चाहिए:

श्रेणी	सीआरएआर	निवल एनपीए अनुपात			
		शून्य	शून्य से अधिक लेकिन 3% से कम	3% से लेकर 5% से कम तक	5% से लेकर 7% से कम तक
		लाभांश भुगतान अनुपात की सीमा			
क	पिछले 3 वर्षों में से प्रत्येक के लिए 11% या अधिक	40 तक	35 तक	25 तक	15 तक
ख	पिछले 3 वर्षों में से प्रत्येक के लिए 10% या अधिक	35 तक	30 तक	20 तक	10 तक
ग	पिछले 3 वर्षों में से प्रत्येक के लिए 9% या अधिक	30 तक	25 तक	15 तक	5 तक
घ	चालू वर्ष में 9% या अधिक	10 तक		5 तक	शून्य

['वर्ष के दौरान' शुद्ध लाभ के लिए लाभांश भुगतान अनुपात की गणना 'एक वर्ष में देय लाभांश' (लाभांश कर को छोड़कर) के प्रतिशत के रूप में की जाएगी।]

Quantum of Dividend Payable:

The dividend payout ratio shall not exceed 40% and shall be as per the matrix furnished herein below:

Category	CRAR	Net NPA Ratio			
		Zero	More than Zero but less than 3%	From 3% to less than 5%	From 5% to less than 7%
		Range of Dividend Payout Ratio			
A	11% or more for each of the last 3 years	Up to 40	Up to 35	Up to 25	Up to 15
B	10% or more for each of the last 3 years	Up to 35	Up to 30	Up to 20	Up to 10
C	9% or more for each of the last 3 years	Up to 30	Up to 25	Up to 15	Up to 5
D	9% or more in the Current year	Up to 10		Up to 5	Nil

[Dividend payout ratio shall be calculated as a percentage of 'dividend payable in a year' (excluding dividend tax) to 'net profit during the year']

- यदि प्रासंगिक अवधि के लिए लाभ में कोई अतिरिक्त असाधारण लाभ / आय शामिल है, तो विवेकपूर्ण भुगतान अनुपात के अनुपालन में भुगतान के अनुपात की गणना ऐसी अतिरिक्त असाधारण मदों को छोड़कर की जाएगी।

- In case the profit for the relevant period includes any extra-ordinary profits / income, the payout ratio shall be computed after excluding such extra-ordinary items for reckoning compliance with the prudential payout ratio.

- वित्तीय वर्ष से संबंधित वित्तीय विवरणी, जिसके लिए बैंक लाभांश की घोषणा कर रहा है, सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किसी भी पात्रता से मुक्त होनी चाहिए, जिसका उस वर्ष के दौरान लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उस प्रभाव के लिए किसी भी पात्रता के मामले में, लाभांश भुगतान अनुपात की गणना करते समय निवल लाभ को उपयुक्त रूप से समायोजित किया जाना चाहिए।
- भारत सरकार के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों को अपनी इक्विटी का 20% (अर्थात प्रदत्त पूंजी) या कर पश्चात लाभ का 20%, जो भी अधिक हो, का न्यूनतम लाभांश देना आवश्यक है।
- लाभांश की मात्रा उपरोक्त बिंदु संख्या 6.1 में उल्लिखित अनुसार मानदंडों की पूर्ति के अधीन होगी और सीमा (अधिकतम / न्यूनतम); यदि कोई हो; जैसा कि समय-समय पर भारत सरकार / भारतीय रिजर्व बैंक / अन्य नियामक द्वारा निर्धारित किया जाता है।
- बैंक, मुनाफे के आधार पर अंतरिम लाभांश घोषित कर सकता है। ऐसे मामले में अंतिम लाभांश घोषित करते समय इसे समायोजित किया जाएगा और अंतरिम लाभांश सहित बैंक द्वारा भुगतान किया जाने वाला कुल लाभांश इस नीति में निर्धारित सीमा (अधिकतम / न्यूनतम) और अन्य शर्तों के अधीन होगा।

- The financial statements pertaining to the financial year for which the Bank is declaring a dividend should be free of any qualifications by the statutory auditors, which have an adverse bearing on the profit during that year. In case of any qualification to that effect, the net profit should be suitably adjusted while computing the dividend payout ratio.
- As per the extant guidelines of Government of India, the Banks are required to pay a minimum dividend of 20% of their equity (i.e paid-up capital) or 20% of their post-tax profits whichever is higher.
- The quantum of the dividend shall be subject to the fulfillment of the criteria as enumerated in Point No 6.1 above and the limit (Maximum/ Minimum); if any; as stipulated by GoI / RBI / Other regulator from time to time.
- Bank may declare Interim Dividend based on profitability. In such case it will be adjusted while declaring final dividend and the total dividend to be paid by the Bank including interim dividend shall be subject to the limit (Maximum/ Minimum) and other conditions as stipulated herein in this policy.

हरित पहल – शेयरधारकों से अपील

नोटिस / वार्षिक रिपोर्ट और अन्य संप्रेषण ई–मेल के माध्यम से प्राप्त करने के लिए

डीमैट खातों में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि: वे अपने डीमैट खाते में ईमेल आईडी को पंजीकृत करें।
भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि: वे अपनी सहमति इस पत्र के छिद्रित हिस्से को भरकर और हस्ताक्षर करके हमारे रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को नीचे दिए गए पते पर भेजें:

केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
यूनिट: केनरा बैंक,
सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31–32
गचीबॉवली, फाइनेंसियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा,
हैदराबाद – 500032
ई–मेल आईडी: einward.ris@kfintech.com
टोल फ्री नंबर: 1800 345 4001

केनरा बैंक की हरित पहल

दिनांक :

केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
यूनिट: केनरा बैंक,
सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31–32
गचीबॉवली, फाइनेंसियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा,
हैदराबाद – 500032
ई–मेल आईडी: einward.ris@kfintech.com

प्रिय महोदय/महोदया,

मैं / हम ____________________ केनरा बैंक के __________ शेयर भौतिक रूप में धारण करता हूं / करते हैं, केनरा बैंक के कॉरपोरेट गवर्नेंस के तहत हरित पहल (ग्रीन इनिशिएटिव) के रूप में, मेरे / हमारे नीचे दिए गए ईमेल आईडी के माध्यम से केनरा बैंक से सभी प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त करता हूं / करते हैं।

फोलियो संख्या: ____________________
ईमेल आईडी ____________________ ₹ ____________________
मोबाइल नंबर ____________________

मैं / हम यह भी वचन देता हूं / देते हैं कि मेरी / हमारी ईमेल आईडी के माध्यम से प्राप्त संप्रेषण को केनरा बैंक द्वारा हमें भेजे गए दस्तावेजों की उचित, विधिक और पर्याप्त सुपुर्दगी के रूप में माना जाएगा। मैं / हम साथ ही यह वचन देता हूं / देते हैं कि किसी तकनीकी / अन्य विफलताओं के कारण मेरी / हमारी ईमेल आईडी पर प्रेषित संप्रेषण ठीक से न प्राप्त होने के मामले में मैं / हम केनरा बैंक, उसके किसी भी कर्मचारी, रजिस्ट्रार या उसके कर्मचारियों को जिम्मेदार नहीं ठहराउंगा / ठहराएंगे।

____
प्रथम / एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

GREEN INITIATIVE - APPEAL TO SHAREHOLDERS

TO GET NOTICES / ANNUAL REPORTS & OTHER COMMUNICATION THROUGH E-MAIL

Shareholders holding Shares in Demat Accounts are requested to: Register an email ID to their Demat A/c.
Shareholders holding Shares in Physical form are requested to:
Send their consent by filling up and signing the perforated portion of this communication to our Registrar & Share Transfer Agent at their address given hereunder:
Kfin Technologies Ltd.
Unit : Canara Bank,
Selenium Tower B, Plot No. 31-32
Gachibowli, Financial District, Nanakramguda,
Hyderabad - 500 032
E-mail ID: einward.ris@kfintech.com
Toll Free No: 1800 345 4001

GREEN INITIATIVE OF CANARA BANK

Date :

Kfin Technologies Ltd.
Unit : Canara Bank,
Selenium Tower B, Plot No. 31-32
Gachibowli, Financial District, Nanakramguda,
Hyderabad - 500 032
E-mail ID: einward.ris@kfintech.com

Dear Sir,

I/We ________________________________ holding _________ shares of Canara Bank in physical form, intend to receive all communication from Canara Bank through our email ID given hereunder, as a part of Green Initiative under Corporate Governance of Canara Bank.

Folio Number:_________________________
Email ID ________________________________@__________________
Mobile No. ____________________________

I/We also undertake that the communication received through my/ our email id will be treated as proper, legal and sufficient delivery of documents sent to us by Canara Bank. I/We further undertake that we would not hold Canara Bank, any of its employees, Registrar or its employees, responsible in case of communication is not properly received at my/our email ID due to any technical/other failures.

____
Signature of the First/Sole Shareholder

कुशल और त्वरित सेवाओं के लिए शेयरधारकों से अपील

1. **कृपया अपने भौतिक शेयरों को डीमैट (अभौतिक) करें**
2. **कृपया लाभांश राशि को आपके बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक / सीधे क्रेडिट करने के लिए अपना अधिदेश पंजीकृत करें।**
3. **ई–मेल के माध्यम से संचार प्राप्त करने के लिए कृपया अपनी ई–मेल आईडी पंजीकृत करें।**

अभौतिकीकरण (डीमटेरियलाइजेशन) के लाभ

1. शेयर प्रमाणपत्र के खोने का कोई खतरा नहीं
2. कोई शेयर हस्तांतरण शुल्क या स्टाम्प ड्यूटी व्यय नहीं
3. आसान / झंझट-रहित अंतरण / हस्तांतरण
4. नामांकन (नॉमिनेशन) संभव
5. लाभांश को सीधे आपके बैंक खाते में जमा किया जाना
6. एएसबीए / आईपीओ आवेदन संभव

इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से लाभांश के भुगतान के लिए अधिदेश पंजीकृत करने के लाभ

1. लाभांश भुगतान तिथि पर ही लाभांश का सीधे क्रेडिट
2. लाभांश वारंटों के देर से प्राप्त होने / प्राप्त न होने / पुनर्वैधीकरण की कोई समस्या नहीं

ई–मेल आईडी पंजीकृत करने के लाभ

1. भारत सरकार की हरित पहल का हिस्सा बनें
2. एजीएम और ईजीएम नोटिस / वार्षिक रिपोर्ट / अन्य संचार सहित सभी प्रकार के कॉर्पोरेट संचार की तत्काल प्राप्ति।

Appeal to Shareholders for Efficient & Prompt Services

1. **Please Demat your Physical Shares**
2. **Please register your Mandate for Electronic / direct credit of Dividend amount in your Bank A/c**
3. **Please register your E-mail ID for receiving communications through E-mail**

Benefits of Dematerialization

1. No threat of loss of Share Certificate
2. No Share Transfer Fees or Stamp Duty Expenses
3. Easy / hassle-free Transfer / Transmission
4. Nomination possible
5. Dividend directly credited to your Bank A/c
6. ASBA / IPO Application possible

Benefits of Registering Mandate for payment of Dividend through Electronic Mode

1. Direct credit of dividend on Dividend payment date itself
2. No problem of late / non-receipt / revalidation of Dividend Warrants

Benefits of Registering E-mail ID

1. Be a part of Green Initiative of Government of India (GOI)
2. Immediate receipt of Corporate communication including Notice of AGM & EGM / Annual Reports / Other communication.

टिप्पणियां / Notes

टिप्पणियां / Notes

टिप्पणियां / Notes

टिप्पणियां / Notes

टिप्पणियां / Notes

टिप्पणियां / Notes

कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के अंतर्गत मेसर्स जयदेव इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवेस्कुलर साइंसेस एंड रिसर्च सेंटर, बेंगलूरु को "हार्ट लंग मशीन" के लिए ₹75 लाख की राशि दान की गई।

As a part of "CSR Initiative", an amount of ₹ 75 lakh towards a "Heart Lung Machine" was donated to M/s. Jayadeva Institute of Cardiovascular Sciences & Research Centre, Bengaluru.

श्री एल वी प्रभाकर, एमडी एवं सीईओ ने श्री अमित शाह की उपस्थिति में गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय से केनरा ज्योति पत्रिका के लिए कीर्ति पुरस्कार (गृह पत्रिका श्रेणी में प्रथम पुरस्कार – 'ग' क्षेत्र) प्राप्त किया ।

Shri L.V. Prabhakar, MD & CEO receiving Kirti Puraskar (First prize for In-house Magazine Category- 'C' Region) for Canara Jyoti Magazine from Shri Nityanand Rai, Minister of State for Home Affairs in the presence of Shri Amit Shah

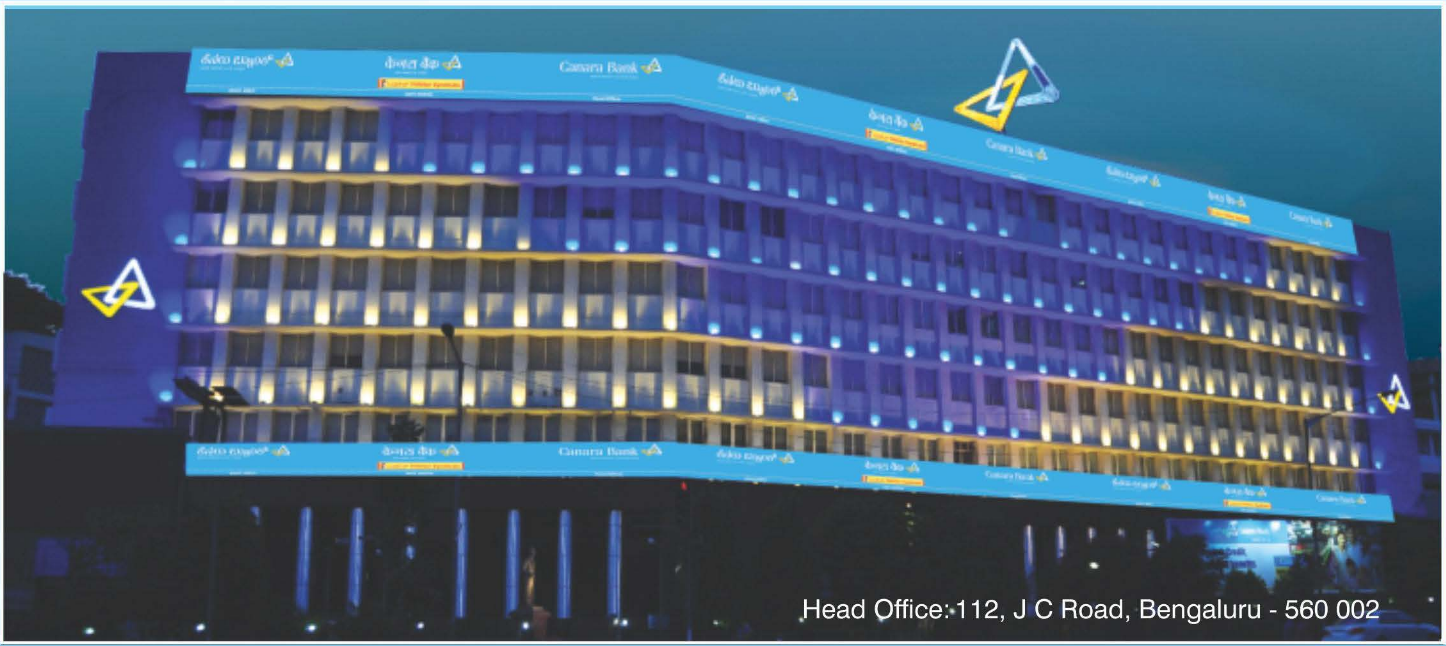

केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम
A Government of India Undertaking
सिंडिकेट Syndicate
Together We Can
canarabank | canarabankofficial | canarabankinsta
Call Canara 1800 425 0018
www.canarabank.com